दशा माला, खंड 33, अंक 14

सोमवार, 17 मार्च, 2008
27 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....75.....
Dated...18 Mar 2008

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)

अंक 14, सोमवार, 17 मार्च, 2008/27 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3-40
* तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 244, 246 और 247	3-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	40-342
तारांकित प्रश्न संख्या 245 और 248 से 260	40-108
अतारांकित प्रश्न संख्या 2369 से 2532	108-342
सभा पटल पर रखे गए पत्र	343-350
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित "सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी–डैक) का कार्यकरण" विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. शकील अहमद	350-351
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	352-366
बालकों/बालिकाओं के पढ़ाई के बोझ को कम करने और उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए देश में शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता।	
श्री सन्दीप दीक्षित	352, 355-360
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	352
श्रीमती प्रिया दत्त	360-361
सदस्यों द्वारा निवेदन	366-377
ल्हासा में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के मारे जाने के बारे में	
उपाध्यक्ष महोदय को उनके जन्मदिन पर बधाई	378
नियम 377 के अधीन मामले	378-389
(एक) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों को समुचित वेतन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र शेखर रेड्डी	379
(दो) हुबली–धारवाड़ में ऑटो क्लस्टर और गुलबर्गा में महिला उद्यमियों के लिए फूड क्लस्टर के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	379

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में यातायात को सुचारू बनाने के लिए एक रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 379-380

(चार) जूनागढ़ और ऊना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने और गुजरात में केशोद सिटी के लिए एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ 380

(पांच) सिंगापुर, मलेशिया और बहरीन मे रह रहे अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री जे. एम. आरून रशीद 380-381

(छह) तमिलनाडु में डिंडीगुल और केरल में कुमुली के बीच रेल संपर्क सुविधा आरम्भ कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेनथन 381-382

(सात) गोरखपुर और सोनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29 (ई) का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 382

(आठ) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को भारत के पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 382-383

(नौ) गुजरात में औद्योगिक परियोजनाओं को चालू करने की समय सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 383

(दस) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक "सूर्य कुण्ड" स्थान का रख – रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 383-384

(ग्यारह) मगदल्ला और अन्य पत्तनों के विकास के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री काशी राम राणा 384

(बारह) केन्द्र सरकार के उपक्रम इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. एन. कृष्णदास 384-385

(तेरह) केरल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वन्डानाम, अलप्पुझा के पास एक ब्लॉक रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. के. एस. मनोज 385

(चौदह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रेल संपर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायण बुधौलिया 385-386

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के ललितपुर में वन क्षेत्रों से बेदखल कर दिए गए एक अनुसूचित जाति समुदाय "सहारिया" के लिए निवास संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव 386

(सोलह) बिहार में दानापुर मेन लाईन पर स्थित जमालुद्दीन चक गांव और खगौल नौबतपुर के बीच एक पैदल ऊपरि पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 386-387

(सत्रह) आठवीं अनुसूची में दी गई समस्त भाषाओं को संघ सरकार की राज भाषा बनाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 387

(अठारह) मान्यता प्राप्त पत्रकारों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं फिर से दिए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव 387-388

(उन्नीस) आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण संबंधी ऊषा मेहरा आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लाए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 388-389

(बीस) 220 के.वी. पारेषण लाईन के द्वारा उत्तरी ग्रिड के साथ लद्दाख को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री थुपस्तन छेवांग 389

चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प 391-437

तथा

चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मोहन सिंह 391-392, 395-398

श्री शरद पवार 392-394

योगी आदित्यनाथ 398-401

श्री बालासाहिब विखे पाटील 401-405

डा. बाबू राम मिडियम 405-407

श्री सीताराम सिंह 407-409

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 409-413

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 413-416

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 417

डा. एम. जगन्नाथ 418-419

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 419-423

श्री शैलेन्द्र कुमार 423-425

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील 425-426

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ 426-428

श्री संतोष गंगवार 428

श्री शरद पवार 429-437

संकल्प वापस लिया गया 437

विचार करने के लिए प्रस्ताद 437

खंड 2 से 4 और 1 437

पारित करने के लिए प्रस्ताव 437-438

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2008 441

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मोहन सिंह 442, 443-444, 444

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 442-443, 486-487

श्रीमती किरण माहेश्वरी 444

श्री मधुसूदन मिस्त्री 445-449

श्री हन्नान मोल्लाह 449-452

श्री तथागत सत्पथी 452-454, 455

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 455-458

श्री प्रबोध पाण्डा 458-460

प्रो. रासा सिंह रावत 460-462

श्री अधीर चौधरी 462-464

श्री वरकला राधाकृष्णन 464-465

श्री भर्तृहरि महताब 466-468

श्री नन्द कुमार साय 469-470

श्री रामदास आठवले 470

श्री विक्रम केशरी देव 471-472

श्री निखिल कुमार 472-474

श्री खारवेल स्वाईं 474-476

श्री राम कृपाल यादव 476--477

श्री अबु अयीश मंडल 478
श्री पी.एस. गढ़वी 478-479
श्री मोहन सिंह 487-488
संकल्प वापस लिया गया 488
विचार करने के लिए प्रस्ताव
खंड 2, 3 और 1 488
पारित करने के लिए प्रस्ताव 488
अनुबंध-I 505-510
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 505
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 506-510
अनुबंध-II 511-512
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 511-512
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 511-512

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 17 मार्च, 2008/27 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, भारत–तिब्बत में *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, तिब्बत में सौ से ज्यादा लोग मारे गए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मल्होत्रा जी, आप शून्य काल में इसे उठाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको प्रश्न काल के बाद अवसर देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न काल चलने दीजिए। इसे जीरो आवर में लेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे 'शून्यकाल' के दौरान उठाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उसके बाद क्या होगा?*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जीरो आवर में सुनेंगे। इसे प्रश्न काल के बाद सुनेंगे।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, प्रश्न काल के सस्पेंशन का नोटिस दिया हुआ है। *...(व्यवधान)* इसे इमीडिएटली लेना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। प्रश्न काल को नियमावली में निलंबित करने के कोई प्रावधान नहीं है। हमारी मजबूरी है। हम शून्यकाल में इसे सुनेंगे। यह मानवाधिकार का मामला है, इसे सुना जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सुमन जी बैठिए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, दो मिनट हमारी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : स्वामी जी बैठिए। शून्यकाल में इसको सुनाने की कोशिश करें। कुछ लिखा नहीं जा रहा है। यह प्रश्न काल है, इसमें और कुछ लिखा नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप एक घंटे इंतजार कर लें। बिना इजाजत जो भी है, वह नोट नहीं हो रहा है। अब प्रश्न काल शुरू होता है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शून्य काल में सुनेंगे – एक घंटे बाद

...(व्यवधान)

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : मेरा भी सस्पेंशन का नोटिस था।

सभापति महोदय : अगर सब सस्पेंड हो जाएंगे, तो फिर यहां कौन बैठेगा?

श्री अविनाश राय खन्ना : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर रोजगार नहीं रहेगा, तो *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शून्य काल में आपको सुनेंगे।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, आप क्या हमें जीरो आवर में इजाजत देंगे?

[अनुवाद]

मैंने प्रश्न काल के स्थगन के लिए नोटिस दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको नहीं सुना जाएगा, तो किसे सुना जाएगा, आप विराजिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अविनाश राय खन्ना : महोदय, मेरा भी आग्रह है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, शून्य काल में सुनेंगे।

प्रश्न सं. 241, श्री राकेश सिंह।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की हिस्सेदारी

***241. श्री राकेश सिंह** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेसिक और मोबाइल टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराए जाने में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पिछले एक वर्ष और वर्ष 2007–08 के दौरान कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 61.07 मिलियन थी जो 31/01/2008 को बढ़कर 76.46 मिलियन हो गयी है। तथापि, बाजार में बढ़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान इनकी बाजार हिस्सेदारी लगातार घटी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित ठोस उपाय किये गए हैं :

(i) नेटवर्क संकुलन से निजात पाने के लिए सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क का विस्तार और लगातार बढ़ रही मांग को पूरा करना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े भू–भाग में आनुषंगिक कवरेज प्रदान करने के लिए सभी राजमार्गों के साथ–साथ मोबाइल नेटवर्क स्थापित करना।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं पर अधिक ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्कीमें शुरू की गयी हैं:–

- टेलीफोन सुविधा से वंचित 68,822 गांव में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करना।
- चरण–I में 7,871 साझा अवसंरचना स्थलों की स्थापना और चरण–II में 11049 स्थलों के लिए योजना।
- ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल) के लिए सरकारी सहायता।

(iv) सभी प्रमुख शहरों में ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क का विस्तार और लगभग 1000 ग्रामीण ब्लाकों में ब्रॉडबैण्ड की शुरुआत।

(v) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को दोहरी प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम के प्रयोग की अनुमति दी जा रही है।

(vi) मोबाइल और लैण्ड लाइन दोनों के उपभोक्ताओं के लिए नए रूझानों के अनुरूप समाचार, गाने, ज्योतिष, ई–टिकटिंग, शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), वायस एसएमएस इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी) इत्यादि जैसी विभिन्न मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करना।

(vii) भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने प्रशुल्कों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं और विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के लिए नई–नई योजनाएं शुरू कर रहे है, ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी और ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह : माननीय सभापति महोदय, जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की हिस्सेदारी के बारे में जवाब दिया गया है। इसमें वास्तव में सुविधाओं के बारे में तो उल्लेख है, लेकिन यदि हिस्सेदारी कहीं कम हो रही है, उसके क्या कारण हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज्यादातर देशों में उनकी अपनी एक नेशनल सर्विस होती है और वह आम तौर पर निजी क्षेत्र की कंपनियों से बेहतर होती है, लेकिन हमारे यहां बीएसएनएल लगातार डी–ग्रेड होता चला जा रहा है। उसमें काल नहीं लगती है और अगर काल लगती भी है, तो काल ड्राप हो जाना, ये सारी चीजें बहुत ही आम है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि अभी

रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने सारे के सारे सिम सरेंडर करने जा रही है, एक लाख से अधिक सिम वह सरेंडर कर रही है।

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री राकेश सिंह : महोदय, सब कुछ नेटवर्क आप्टिमाइजेशन ठीक न होने के कारण हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां कुछ समय के अंतराल पर यह काम होना चाहिए, क्या अभी नेटवर्क आप्टिमाइजेशन का काम हुआ है और अगर हुआ है, तो किस स्तर तक हुआ है।

डा. शकील अहमद : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारा शेयर कम हुआ है। लैंडलाइन में शेयर कम होने की बात सही है कि क्योंकि लोग मोबाइल फोन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए लैंडलाइन में हमारा शेयर कम हुआ है। लेकिन जहां तक वायरलैस सिस्टम का सवाल है, उसमें 31 मार्च, 2006 को टेलीफोन मार्किट में हमारी भागीदारी 21.23 प्रतिशत थी, जो मार्च, 2007 में बढ़कर 24.13 प्रतिशत हुई है। आपने प्रोक्योरमैंट और ऑप्टीमाइजेशन के बारे में बड़ा वैलिड सवाल किया। प्राइवेट ऑपरेटर्स भी इस सेवा में हैं और सरकारी संस्था बीएसएनएल भी इस सेवा में है। हम मानते हैं कि नियमों के बंधे होने के कारण थोड़ी देर के लिए हमारे सामने व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। यदि आज मार्किट की डिमांड बदल गई, तो प्राइवेट ऑपरेटर अभी फोन उठाकर अपने सारे आर्डर चेंज कर सकता है, टैंडर बदल सकता है, जो पेराफर्नेलिया है, उसे एक दिन में चेंज कर सकता है, जबकि हमारी एक प्रक्रिया है, हम नियमों से बंधे हुए हैं, संचिकाएं चलती हैं, हम पार्लियामैंट के प्रति उत्तरदायी हैं, फिर सीएजी है, विजिलैंस है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इक्विपमैंट्स के प्रोक्योरमेंट में देर हुई है। मैं उसका कारण बताना चाहता हूं। बीएसएनएल ने लगभग साढ़े चार करोड़ नई टेलीफोन लाईन्स के लिए मार्च, 2006 में टैंडर किया। उसमें एक कम्पनी का टैंडर रिजैक्ट हो गया। वह न्यायालय में चली गई। न्यायालय ने हम पर रोक लगा दी कि आप तब तक वह टैंडर नहीं कर सकते, जब तक आपको कोर्ट अनुमति नहीं देगा। अप्रैल, 2007 में वह केस विदड्रा हुआ। उसके बाद फिर पेराफर्नेलिया बना हुआ और नवम्बर में हमने नया आर्डर प्लेस किया। लेकिन माननीय सदस्य ने जिस अवधि का प्रश्न पूछा है, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उस बीच एमटीएनएल और बीएसएनएल, जो भारत सरकार की पब्लिक सैक्टर की कम्पनियां हैं, उन्होंने डेढ़ करोड़ नए टेलीफोन कनैक्शन लगाए हैं। लैंडलाइन में हमारी डिक्लाइन है, यह बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरैंडर हो रहा है, सरैंडर भी हुआ है और हमने नई लाइन्स भी दी है। ओवररॉल लैंडलाइन में हमारा डिक्लाइन है। सैल फोन में हमने डेढ़ करोड़ से ज्यादा फोन लगाए हैं। जैसे ही हमारा नया इक्विपमैंट आता है, सरकार के नियम–कानून की वजह से जो थोड़ी देर हुई थी, न्यायालय की वजह से देर हुई थी, उसे हम ऑप्टीमाइज करके सेवाएं और ज्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे।...*(व्यवधान)*

हम एक बात और कहना चाहते हैं कि ट्राई रैगुलेटर, जो सर्विसेज का क्वालिटी बैंचमार्क है, उसने पिछले सितम्बर में अपनी जो रिपोर्ट दी है, उसमें उसने हमें सबसे अच्छा नहीं दिया, कुछ मामलों में अच्छा दिया है, कहीं हमारी कमियां भी दर्शायी हैं, लेकिन ओवरॉल प्राइवेट कम्पनियों के मुकाबले में हमें कम नहीं दर्शाया है। ट्राई जो इंडीपैंडैंड बॉडी है, वही इसे रैगुलेट करती है।

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदय, मुझे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं दूसरा सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछता हूं। जब दुनियां में जीएसएम टेक्नालॉजी आई थी, तब भारत पहला देश था जिसने उस टेक्नोलॉजी को अपनाया था, भले ही इम्पलीमेंट करने में जरूर हम पांचवें और छठे नम्बर पर पहुंच गए थे। आज दुनियां में 60 से 70 देश ऐसे हैं जो थ्री जी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं और चीन फोर जी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुका है। ...*(व्यवधान)* हम अभी थ्री जी टेक्नोलॉजी की तरफ भी धीरे–धीरे बढ़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सवाल कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदय, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बिना इसके सवाल नहीं हो सकता। मेरा सवाल है कि थ्री जी टेक्नोलॉजी के लिए जो स्पैक्ट्रम एलोकेशन होता है, उसमें अनावश्यक विलंब क्यों हो रहा है?

क्या निजी क्षेत्र की कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या सरकार इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारण करने के बारे में बयान देगी?

डा. शकील अहमद : सभापति महोदय, मैं सदन को 2जी और 3जी का थोड़ा फर्क बताना चाहता हूं। यह थर्ड और सैकिंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क की बात है। जो सुविधाएं अभी हम दे रहे हैं, उनमें और सुविधाएं देने की बात है। लेकिन मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करता कि इस देश के अधिकांश लोग अभी तक आवाज और एसएमएस का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम लोग 3जी की बात करते हैं। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले देश के आम आदमी तक टेलीफोन सुविधाएं पहुंचाने की है, इसी दृष्टि से हम 3 जी में काम कर रहे हैं।

जहां तक स्पेक्ट्रम एलोकेशन और लाइसेंस देने की बात है, तो यह सवाल मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, मगर फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि 3जी के

बारे में गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम स्पेक्ट्रम एलोकेट करेंगे। हम टेंडर और बिड्स से स्पेक्ट्रम की एक तरह से नीलामी करेंगे। जो प्राइवेट ऑपरेटर ज्यादा पैसा देगा, उसे सरकार देगी, मगर जहां तक आम आदमी की सुविधा की बात है, तो उनको आज भी 2जी की ही आवश्यकता है। वही हमारा थ्रस्ट एरिया है, जिसे हम करेंगे। एमटीएनएल ने वर्ष 2008–09 में वाइमैक्स भी प्लान किया है। इसके साथ–साथ एमटीएनएल ने इस वर्ष साढ़े सात लाख नये टेलीफोन के विस्तार की बात भी की है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदय, मैंने यह बात नहीं की। मैंने केवल समय सीमा की बात की है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने अपने दो प्रश्न पूछ लिये हैं इसलिए अब आप कोई और प्रश्न नहीं पूछ सकते। आपकी कोई बात लिखी नहीं जा रही इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह सत्य नहीं है कि इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों के शेयर बढ़े हैं, बल्कि भारत संचार निगम लिमिटेड का कुल शेयर 20 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत हो गया है इसके अतिरिक्त भारत संचार निगम लिमिटेड को ग्रामीण क्षेत्रों के दूरभाष कनेक्शन मुहैया कराने के लिए संपूर्ण यू.एस.ओ. निधि प्राप्त नहीं हो रही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रश्न पर आता हूं। एक प्रश्न पूछा गया है और माननीय रेल मंत्री लालू जी को मैनें एक पत्र भी लिखा है। जिसमें उनसे पूछा है कि अब सी.यू.जी. के अंतर्गत भारतीय रेल को दिये गए एक लाख जी.एस.एम. मोबाईल कनेक्शन 'एयरटेल' को क्यों दे दिये गये। पूर्व रेल में किए गए मेरे अनुरोध के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड को 10,000 कनेक्शन दिए गए। अब पूर्व रेल ने इन 10,000 कनेक्शनों को एयरटेल को देने का फैसला कर लिया है। भारतीय रेल द्वारा भी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को मदद दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : दूसरा तथ्य यह है। इस वर्ष 2007–08 के लिए 80 लाख मोबाइल में से भारत संचार निगम लिमिटेड मात्र 8 लाख कनेक्शन दे पाया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप उन्हे खुद सूचना दे रहे हैं। आप सवाल क्यो पूछ रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : आप किस मिनिस्टर से कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं आपको और उनको, दोनों मिनिस्टर्स से कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना सवाल पूछिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि भारत संचार निगम लिमिटेड के शेयर को बढ़ाने के लिए क्या सरकार भा.सं.नि.लि. को विभिन्न प्रकार के उपकरण जो उसके पास उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध कराकर यू.एस.ओ. कोष से इसे पर्याप्त सहायता उपलब्ध करायेगी?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सवाल कीजिए। यही तो समस्या है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के कदम उठाये जायेंगे जिससे कि भारत संचार निगम लिमिटेड के आज के 17 प्रतिशत शेयर में कुछ महत्वपूर्ण वृद्धि हो।

डा. शकील अहमद : महोदय, सरकार, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों, भारत संचार निगम लिमिटेड तथा एम.टी.एन.एल. के शेयर को बढ़ाने के लिए सभी कदम उठा रही है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने हाल ही में आदेश पारित किया है और बहुत जल्द ही हम दोनों कम्पनियों, भा.सं.नि.लि. तथा एम.टी.एन.एल. में संयुक्त रुप से

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

4.5 मिलियन टेलिफोन कनेक्शन के लिए संविदा देने के लिए कहेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि हाल ही में बहुत ही खतरनाक प्रवृति रही है। लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए वी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के केबल को काटने जैसा अवांछिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं या करा रहे हैं। कानून–व्यवस्था दूर संचार विभाग के हाथों में नहीं है। इसलिए, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे अपने–अपने राज्यों की सरकारों से भा.सं.नि.लि. और एम.टी.एन.एल. को मदद करने के लिए कहें क्योंकि कानून–व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है।

[हिन्दी]

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। भाषण देने की उनकी चतुराई का मैं स्वागत करता हूं। हमारे हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर का शेयर कम होता जा रहा है।

[अनुवाद]

उन्होंने स्वीकार किया है कि इसमें क्षेत्रों से कमी आ रही है।

[हिन्दी]

अगले तीन साल या पांच साल बाद क्या करना है उसके बारे में बताइए? इररेगुलरेटीज होने का कारण क्या है? दूसरे लोग इररेगुलरेटीज कर रहे हैं, हम नहीं कर सके हैं।

[अनुवाद]

वह सब एक स्पष्ट सांठ–गांठ का बचाव करने का कोरा बहाना है। मेरा आरोप है कि यह सब इस सांठगांठ को छुपाने के लिए किया जाता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सवाल कीजिए, चार्जेज लगाने के लिए अभी समय नहीं है।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं इसी बिंदु पर आ रहा हूं। मैं इसकी जांच की मांग करुंगा। मैं कह रहा हूं कि वहां रहने वाले बहुत से लोगों के साथ सांठ–गांठ है। मैं उनके काम नहीं जानता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई जांच कराने पर सहमत होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार टेलिफोन प्राधिकारियों और राज्य सरकारों पर दोषारोपण किए बगैर किसी निष्पक्ष जांच के लिए सहमत होगी?

डा. शकील अहमद : महोदय, मैं भा.सं.नि.लि. या एम.टी.एन.एल. के अधिकारियों और कार्मिकों पर माननीय सदस्य द्वारा लगाये गए आरोप से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री गुरूदास दासगुप्त : टोटल डिसएग्रीमेंट तो होगा ही। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह ली है, अब मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. शकील अहमद : महोदय, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि दूरसंचार के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के शेयर कम हो रहे हैं। लेकिन मैंने ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, आप बैठिए।

[अनुवाद]

डा. शकील अहमद : लेकिन मैंने मोबाइल फोन और लैंड लाइन फोन को अलग कर दिया है। हमने तार रहित फोन के क्षेत्र में शेयर बढ़ाया है और लैंड लाइन फोन के मामले में इसमें कमी आई है और यही कारण है कि मैंने इस सभा के माननीय सदस्यों से मदद मांगी है।

[हिन्दी]

ग्यारहवीं योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन

+

***242. श्री राजीव रंजन सिंह ललन :**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खाद्यान्नों की संभावित मांग और उनके उत्पादन के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यविधि तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। निम्नलिखित सारणी प्रक्षेपित मांग तथा पूर्व में सूचित वृद्धि दर एवं सरकार द्वारा अपनाये गए नये उपायों पर आधारित अनुमानित उत्पादन को दर्शाती है:–

अनाज (मिलियन टन)

वर्ष	प्रक्षेपित मांग	प्रक्षेपित उत्पादन
2007–08	214.02	219.32*
2011–12	234.26	230.01#

*आंकलन # राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य को लेकर।

2007–08 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 219.32 मिलियन टन (7 फरवरी, 2008 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) अनुमानित है तथा वर्ष 2007–08 के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता, मांग से लगभग 5 मिलियन टन अधिक होगी। यह संभावना है कि देश दालों को छोड़कर खाद्यान्नों में 11वीं योजना के दौरान आत्मनिर्भर होगा।

(ग) से (ङ) चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रबी 2007–08 से देश में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ की गयी है। इसका उद्देश्य लक्षित जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से 11वीं योजना की समाप्ति अर्थात 2011–12 तक चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गयी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% की वार्षिक दर प्राप्त करना है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में स्वीकार किया है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया है। उसके अंदर उन्होंने लक्षित जिलों में काम शुरू करने की घोषणा की है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है।

सभापति महोदय : आप सवाल करें।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सवाल भी करूंगा।

सभापति महोदय : बताने के लिए वह हैं और पूछने के लिए आप हैं। इसलिए कृपया प्रश्न पूछें।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : जब तक प्रश्न की भूमिका नहीं बताऊंगा तो सवाल का पता नहीं चलेगा और उत्तर भी ठीक नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न काल भूमिका के लिए नहीं है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : लक्षित जिलों में इन्होंने काम शुरू करने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में आज कृषि अलाभकारी हो गई है और लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं। इसलिए लक्षित जिलों का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में लक्षित जिलों में काम करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि 2007–2008 में उत्पादन पांच मिलियन टन अतिरिक्त होना है, लेकिन 2011–2012 में चार मिलियन टन घट जाएगा। अगर यह स्थिति रही तो कृषि का उत्पादन घट जाएगा और वह अलाभकारी हो जाएगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जिन लक्षित जिलों का चयन किया है, उसका क्या आधार है, कितने राज्यों में कौन–कौन से जिलों को आपने लक्षित जिले माना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : सभापति जी, एसेंशयली लक्षित जिलों का आधार यह है कि जिन राज्यों में लोग फसल पैदा करते हैं, हर राज्य में फसल पैदा करने वाले जिले सीमित है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में तीन आइटम्स हैं – पहली व्हीट है, दूसरी राइस है और तीसरी पल्सेज़ है। ये चीजें हिंदुस्तान के सभी जिलों में नहीं होती है। जैसे व्हीट है, वह सभी जिलों में नहीं होता, कोस्टल स्टेट्स जैसे केरल है, वहां भी नहीं होता। इसलिए वहां गेहूं की फसल बोने का कोई फायदा नहीं होगा। यह कार्यक्रम बनाते समय हमने इस पर ध्यान दिया कि ऐसे राज्यों के जिलों में जहां गेहूं की पैदावार होती है, जो राज्य की एवरेज है और नेशनल ऐवरेज है, उससे कम पैदावार होती है, उन जिलों को नेशनल एवरेज तक लाने के लिए इस योजना में शामिल किया है, जिससे उन पर ध्यान दिया जा सके। तीसरी बात यह है कि जिला ऐसा होना चाहिए, जहां 50 प्रतिशत क्षेत्र गेहूं का आता है या जहां पैडी होती है तो वह आता है। यह क्राइटेरिया उन जिलों का बनाया है। जहां तक राइस की बात है, आंध्र प्रदेश में 11 जिलों में, असम में 13 जिलों में, बिहार में ...*(व्यवधान)* 18 जिलों में, झारखंड में पांच जिलों में, महाराष्ट्र में छः जिलों में, कर्नाटक में सात जिलों में, मध्य प्रदेश में नौ जिलों में, उड़ीसा में 12 जिलों में और छत्तीसगढ़ में दस जिलों में राइस होता है। तमिलनाडु में भी पांच जिलों में राइस होता है। इस तरह से इनका चयन किया गया है।

[अनुवाद]

उन जिलों की पहचान कर ली गई है जिनके पास चावल उत्पादकता के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर भूमि है, जो राज्य के औसत से कम है, कम उत्पादकता वाला क्षेत्र है। यही मानदंड हैं। उसी प्रकार, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको गेहूं और दाल के बारे में भी सूची दे सकता हूं।

[हिन्दी]

जिलों की लिस्ट काफी लम्बी है इसलिए मैं इसे सदन के पटल पर रख देता हूं।

श्री अधीर चौधरी : बंगाल का एक भी जिला नहीं है।

सभापति महोदय : आप मंत्री जी से बात कर लेना।

श्री शरद पवार : बंगाल के आठ जिले हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दो प्रकार से कृषि का विकास करने की बात कही गई है – एक तो खाद्य का उत्पादन बढ़ाना और दूसरे खाद्य उत्पादकता को बढ़ाना। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश में कितनी भूमि कृषि योग्य है और कितनी भूमि इस पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर, 2011–2012 के अंत तक कृषि योग्य हो जाएगी? इसके अलावा आज आपकी उत्पादकता दर क्या है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है, उसे भी पढ़ लें।

श्री शरद पवार : इसके बारे में मुझे अलग से नोटिस चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : सभापति महोदय, अभी कृषि विकास दर 2.7 प्रतिशत के करीब है। हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में चार प्रतिशत वार्षिक दर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास आयोग ने अलग–अलग योजनाएं शुरू की हैं।

11वीं योजना में हमारा उद्देश्य बागवानी और फलों की पैदावार को बढ़ाना तथा विश्व के अनेक देशों में उनके निर्यात को बढ़ावा देना है। बागवानी के अंतर्गत फलों का विकसित देशों के निर्यात के लिए, करीब– करीब 45 डिग्री उबलते पानी का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मेरे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आम की पैदावार ज्यादा होती है। वर्ष 2003–2004 में करीब 8 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन हुआ है।

सभापति महोदय : यह प्रश्न फूड–सिक्योरिटी से संबंधित है और आप आम के उत्पादन की बात कर रहे हैं।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : मैं खेती की पैदावार की ही बात कर रहा हूं। जब पैदावार बढ़ेगी और उसका अधिकतम मूल्य उसे प्राप्त नहीं होता है, तो उसका आर्थिक विकास कैसे होगा?

सभापति महोदय : आप अलग से सूचना दीजिए। इस सवाल से यह संबंधित नहीं है, इसके लिए आप अलग से सूचना दीजिए।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : सर, मैंने माननीय मंत्री जी से बात की थी और उनके ध्यान में भी इस बात को लाया था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सौराष्ट्र में करीब 8 लाख मीट्रिक टन आम की पैदावार होती है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में उसके निर्यात का प्रावधान है। निर्यात के पहले उसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है, लेकिन उसे ट्रीटमेंट देने का प्लांट पूरे गुजरात में कहीं नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में वह प्लांट है। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में प्लांट लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रहा है?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के पास अगर सूचना हो तो वे दे सकते हैं।

श्री शरद पवार : नहीं, यह सवाल रिस्ट्रिक्टिड है –

[अनुवाद]

ग्यारहवीं योजना अवधि में खाद्यान्नों की मांग और उत्पादन

[हिन्दी]

माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि उनके क्षेत्र में आम की पैदावार ज्यादा होती है और वे उस पैदावार को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए, उसे ट्रीटमेंट देने की जो आवश्यकता है, ट्रीटमेंट देने का प्लांट उनके क्षेत्र में नहीं है, उनके एरिया में नहीं, यह उनकी शिकायत है। नेशनल होर्टिकल्चर मिशन नाम की अलग स्कीम भारत सरकार ने इंट्रोडयूस की है। उस स्कीम के अंतर्गत जैसे प्लांटेशन के प्रोग्राम के लिए सुविधा दी जाती है, सहायता दी जाती है, वैसे ही मार्किटिंग के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए – चाहे कोल्ड हाउस हो, ट्रीटमेंट का प्लांट हो या एक्सपोर्ट के लिए बाकी इंतजाम हो, उसके लिए भारत सरकार ने आर्थिक सहायता देने का प्रबंध किया है। इस तरह का प्रपोजल अगर उस एरिया से आयेगा तो प्रपोजल के लिए सहायता देने में मुझे खुशी होगी।

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरुप : महोदय, प्रश्न 248 उसी प्रकार का है। इसलिए क्या आप इसको क्लब कर सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय :. नहीं।

श्री संतोष गंगवार : सभापति जी, वर्ष 2007–2008 में आपने बताया कि प्रक्षेपित उत्पादन मांग के मुकाबले ज्यादा है। यह आपके संज्ञान में है कि इस वर्ष भी हमने खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए गेहूं का आयात किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य और उसके लिए उपाय बताए गये हैं। अभी–अभी मेरी जानकारी में आया है, हो सकता है कि शायद वह गलत हो कि वर्ष 2010 में 247 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी और वर्ष 2020 में 296 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। आज केवल हमारा 40 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित हैं और विभिन्न कारणों से कृषि योग्य एरिया कम हो रहा है, चाहें सेज के कारण से हो या किसी अन्य कारण से हो। जब एरिया निरंतर कम हो रहा है, सिंचित क्षेत्र हम बढ़ा नहीं रहे हैं और खाद्यान्न की मांग निरंतर बढ़ रही है तो इस उत्तर के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसा ब्लू–प्रिंट नहीं दिया है जिससे पता चले कि हम वास्तविक तौर पर अपनी मांग पूरी कर पाएंगे या हमें अगले 10–20 वर्षों में पूरी तरह से विदेशों पर, खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। तिलहन के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, पर हमें लगता है कि गेहूं के बारे में भी मजबूरी में हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी बहुत सक्षम हैं और पूरे देश की कृषि–व्यवस्था से अवगत हैं, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कोई ऐसी योजना बनाएं कि वर्ष 2011 में हमारा उत्पादन इसके अनुरूप रहे और हमें विदेश से खाद्यान्न न लेना पड़े। क्या ऐसा वायदा माननीय मंत्री जी कर सकते हैं कि हम गेहूं का एक दाना भी विदेश से आयात नहीं करेंगे?

श्री शरद पवार : गेहूं, पैडी एंड राइस की जहां तब बात है, जो प्रोग्राम बना है उसके माध्यम से देश में वर्ष 2011–2012 तक राइस और व्हीट की, हर साल की जो रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, उससे ज्यादा पैदा करने का, प्रोडक्शन करने का प्रोग्राम हमने बना लिया है और इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अब सवाल यह आता है कि हम विदेश से आयात क्यों करते हैं? विदेश से आयात करने पर किसी को खुशी नहीं होती है, हमारी मजबूरी है। विदेश से आयात करने की स्थिति तब पैदा होती है, जब भारत सरकार का स्टॉक ठीक न हो या कहीं किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, कहीं सूखा पड़ गया, ऐसी इमरजेंसी में अगर हमारे पास एक स्ट्रेटजिक रिजर्व नहीं रहेगा, तो शायद गंभीर परिस्थिति का सामना देश को करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारी किल्यर–कट नीति है कि हमारा खुद का भी प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जाए। यह बात सच है कि 40 प्रतिशत इरिगेशन की हमारी स्थिति है, मगर इस साल का बजट आप देखिए, आज तक ऐसा प्रोविजन कभी नहीं किया गया। अब इतना बड़ा प्रोविजन करने का हेतु यह है कि हम इरिगेशन का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो–जो कदम उठाने चाहिए, ये सभी कार्यक्रम हमने शामिल किए हैं। फिर भी देश में क्रॉप की पोजिशन सही न हो, तो देश के सामने गंभीर समस्या का सामना करने की नौबत आ सकती है, इसलिए हमें चाहेंगे कि हम आयात न करें, मगर जरूरत पड़े तो भूख की समस्या को हल करना, यह भी सरकार का फर्ज है।

[अनुवाद]

श्री रुपचंद पाल : महोदय, खाद्यान्न उत्पादकता विशेषकर मोटे अनाजों और दालों की कमी की बात अनेक लोगों ने स्वीकार की है और इसका कारण पूर्ववर्ती सरकार तथा वर्तमान सरकार दोनों के द्वारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा है। उत्तर में कहा गया है कि खाद्यान्नों का प्रक्षेपित उत्पादन 219.39 मिलियन टन होगा। लेकिन अनुमान है कि रबी मौसम में उत्पादन में भारी कमी आयेगी और खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी होगी। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि सरकार पुनः खाद्यान्न का आयात करने के लिए मजबूर होगी?

श्री शरद पवार : मैं एक बात बहुत साफ–साफ बताना चाहता हूं कि यह आरोप स्वीकार करना बहुत ही कठिन है कि यह सरकार कृषि की उपेक्षा कर रही है। यह सही स्थिति नहीं है। मैं खाद्यान्नों के कुल उत्पादन के बारे में बता सकता हूं। वर्ष 2005–06 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 198 मिलियन था।

[हिन्दी]

इसमें सुधार हो गया है, यह दस मिलियन टन बढ़ गया है और 208 मिलियन टन प्रोडक्शन हो गया। वर्ष 2006–07 में 217 मिलियन टन से 19 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। वर्ष 2007–08 में 219.32 मीन्स 21 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ गया। यह बात साफ है कि हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मगर इसमें यह बात भी साफ है कि पल्सेज और सेरियल्स के जितने उत्पादन की जरूरत है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, खास तौर पर पल्सेज रेन फेड एरिया में हम लेते हैं। जो इरिगेटिड एरिया होता है, वहां पल्सेज की फसल किसान नहीं लेता, वह रेनफेड एरिया में लेता है। हमारा किसान इस पर ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए इन दोनों का उत्पादन कम है। मगर हम नई वैराइटी डैवलप करने के लिए ध्यान दे रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ेगी और यह भी समस्या हल हो सकती है। जहां तक इम्पोर्ट की बात है, मैंने साफ कर दिया है कि हम इम्पोर्ट करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब फूड सिक्योरिटी की समस्या आती है, उसके लिए कुछ न कुछ तैयारी सरकार को हमेशा करनी पड़ती है।

वस्त्र उत्पादन

+

*243. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

श्री काशीराम राणा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् आज तक देश के वस्त्र उद्योग में कार्यरत श्रमिकों/कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान वस्त्र उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे इसके सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष का उत्पादन, निर्यात और वृद्धि दर से संबंधित ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों में रोजगार के संबंध में सूचना अनुबंध-I में तथा विद्युतकरघा क्षेत्र के संबंध में सूचना अनुबंध-II में दी गई है। हथकरघा जैसे असंगठित क्षेत्र के संबंध में राज्यवार एवं वर्षवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) विगत 5 वर्षों की तुलना में वस्त्र मदों का उत्पादन एवं प्रतिशत परिवर्तन अनुबंध-III में दिया गया है। विगत 5 वर्षों में पूर्ववर्ती 9 वर्षों की तुलना में वस्त्र मदों के निर्यात का ब्यौरा एवं प्रतिशत परिवर्तन अनुबंध-IV में दिया गया है।

अनुबंध-I

कपास/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर एसएसआई) जिसमें बुनाई और एस एस आई और मिश्रित मिलें शामिल हैं में रोजगार

(संख्या में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	38 059	36,237	36,528	36,580	36,842	34,611
असम	4,080	4,046	4,046	4,046	4,046	3,955
बिहार	3,189	2,771	2,771	2,771	2,396	2,350
छत्तीसगढ़	2,461	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225
दिल्ली	1,318	1,318	1,318	1,318	0	0
गोया	72	72	72	72	72	72
गुजरात	165,570	101,136	99,657	95,274	94,332	72,993
हरियाणा	21,931	19,117	18,880	18,722	13,226	13,721
हिमाचल प्रदेश	14,077	13,628	13,292	13,527	13,923	13,698
जम्मू-कश्मीर	4,158	3,776	3,861	5,796	5,142	6,607
झारखंड	712	707	707	707	707	707
कर्नाटक	37,088	29,578	29,478	29,429	27,142	27,131
केरल	16,799	15,998	16,096	14,600	14,096	13,462
मध्य प्रदेश	58,069	49,902	49,568	48,544	48,624	49,777
महाराष्ट्र	180,682	169,049	164,859	158,098	148,700	111,927

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	350	350	350	350	350	350
उड़ीसा	16,080	16,080	16,108	16,108	16,108	15,196
पंजाब	59,852	52,[illegible]	52,916	55,318	57,649	53,424
राजस्थान	57,970	55,469	55,039	55,398	58,053	61,300
तमिलनाडु	199,353	194,903	192,917	198,973	210,598	216,486
उत्तर प्रदेश	70,110	70,660	60,028	58,387	55,156	54,355
उत्तरांचल	3,228	3,333	3,33[illegible]	3,447	3,644	2,148
पश्चिम बंगाल	38,006	36,160	36,075	34,284	32,178	32,045
संघ शासित प्रदेश						
दादरा और नगर हवेली	2,251	2,307	2,307	2,350	2,356	2,463
दमन और दीव	180	180	180	180	180	180
पांडिचेरी	7,672	7,662	7,539	7,377	6,675	6,411
कुल योग	1,003,317	888,171	877,170	862,883	853,420	796,594

अनुबंध-II

विद्युतकरधा क्षेत्र में राज्यवार रोजगार

(संख्या में)

क्रम सं.	राज्य	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	109,940	110,035	110,453	110,953	111,648	112,404
2	असम	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235
3	बिहार	6,815	6,815	6,815	6,815	6,815	6,815
4	गोवा	305	305	305	305	305	305
5	गुजरात	795,658	801,009	805,922	806,807	807,527	807,882
6	हरियाणा	24,705	24,705	24,753	24,788	24,803	24,833
7	हिमाचल प्रदेश	3,653	3,653	3,653	3,653	3,653	3,653
8	जम्मू–कश्मीर	163	163	163	163	163	163
9	कर्नाटक	204,580	204,672	204,672	204,672	204,705	204,725
10	केरल	6,758	6,828	6,828	6,970	6,980	6,980

1	2	3	4	5	6	7	8
11	मध्य प्रदेश	113,995	166,915	189,335	216,853	235,360	261,317
12	महाराष्ट्र	1,827,362	2,092,912	2,150,737	2,202,159	2,286,379	2,503,159
13	उड़ीसा	8,298	8,298	8,303	8,303	8,303	8,303
14	पंजाब	59,015	59,015	59,050	59,050	59,050	59,050
15	राजस्थान	79,875	80,623	80,772	83,105	83,215	83,660
16	तमिलनाडु	800,489	835,929	914,492	933,801	944,937	953,712
17	उत्तर प्रदेश	164,835	164,835	164,910	164,930	164,974	164,983
18	पश्चिम बंगाल	10,903	10,933	11,663	11,828	12,378	13,663
19	दिल्ली	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755
20	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
संघ शासित प्रदेश							
21	चंडीगढ़	105	105	105	105	105	105
22	दादरा और नगर हवेली	2,325	2,325	2,405	2,405	2,405	2,405
23	पांडिचेरी	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075
24	अंडमान और निकोबार, दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
	कुल	4,231,843	4,592,140	4,757,383	4,859,730	4,975,770	5,230,182

अनुबंध-III

वस्त्र मदों का उत्पादन

मद	इकाई	2002–03	2003–04	% परिवर्तन	2004–05	% परिवर्तन	2005–06	% परिवर्तन	2006–07	% परिवर्तन	अप्रैल–जून 2007–08	अप्रैल–जून 2006–07	% परिवर्तन
कपास	बेल लाख	136	179	32	243	36	241	–0.8	280#	16	–	–	–
मानव निर्मित फाइबर	गांठ मि. किग्रा	914	953	4	1023	7	968	–5	1139	18	1047	952	10
फिलामेंट यार्न	मि. किग्रा	1100	1118	2	1109	–1	1179	6	1370	16	1260	1137	11
स्पन यार्न	मि. किग्रा	3081	3052	–1	3223	6	3458	7	3813	10	3335	3174	5
सभी फेब्रिक्स	मि. वर्ग मी.	41311	41721	1	44685	7	48808	9	52665	8	56767 (अनु – 2007–08)		8

* = 11.01.2008 को आयोजित सीएबी बैठक के अनुसार

अनुबंध-IV

भारत से वस्त्र मदों का निर्यात

(मूल्य मि. अम. डालर में)

मदें	2002–03	2003–04	% परिवर्तन	2004–05	% परिवर्तन	2005–06	% परिवर्तन	2006–07	% परिवर्तन	अप्रैल–अक्तूबर 2006–07	अप्रैल–अक्तूबर 2007–08	% परिवर्तन
सिले सिलाए परिधान	5705	6248	9.52	6575	5.23	8634	31.32	8687	0.61	5115	4914	–3.93
सूती वस्त्र	3370	3609	7.09	3551	–1.61	4609	29.79	5480	18.90	2878	2818	–2.08
मानव निर्मित वस्त्र	1421	1826	28.50	2055	12.54	2043	–0.58	2359	15.47	1357	1691	24.61
ऊनी यार्न फैब्रिक्स मेड अप्स आदि	51	58	13.73	70	20.69	85	21.43	84	–1.18	51	48	–5.88
रेशम वस्त्र	315	381	20.95	406	6.56	433	6.65	432	–0.23	260	217	–16.54
कुल	10862	12122	11.60	12657	4.41	15804	24.86	17042	7.83	9661	9688	0.28

स्रोत : भारत के विदेशी व्यापार आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं एवं देश)

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल : सभापति महोदय, वस्त्र उद्योग का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि यह कुल उत्पादन का 14 प्रतिशत और कुल निर्यात का 16 प्रतिशत है एवं कृषि के बाद इसी क्षेत्र में लोगों को अधिक रोजगार मिला है। एक जमाने में जो भारतीय वस्त्र उद्योग के उत्पादन की तूती बोलती थी, अब वह बंद हो गई है। वियतनाम, चीन एवं बंगलादेश में वस्त्र उद्योग का उत्पादन 25 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और भारत के वस्त्र उद्योग के उत्पादन को उतनी प्राथमिकता नहीं मिल रही है। हालांकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद भी वस्त्र उद्योग में जो उत्पादन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आजादी के आसपास जो वस्त्र उद्योग में उत्पादन था, विश्व बाजार में जो हमारा हिस्सा था, क्वालिटी थी, उसके मुकाबले आज स्थिति खराब है या अच्छी है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : सभापति महोदय, आजादी के बाद जो मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण होना चाहिए था, वह टैक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं हुआ था। इसके बाद कोटा रिजीम दिसम्बर 2004 में खत्म हुई। उसके बाद प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ा है। यह कहना ठीक नहीं है कि प्रोडक्शन कम हुआ है। हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन रुपए की कीमत भी बढ़ी है। रुपए की वैल्यूएशन तकरीबन 14–15 परसेंट बढ़ी है। इस हिसाब से रुपए की टर्म में और डॉलर के हिसाब से कई रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट जरूर कम हुआ है लेकिन टोटल प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है।

श्री जीवाभाई ए. पटेल : सभापति महोदय, विश्व के दूसरे देश वियतनाम, चीन एवं बंगलादेश की तरह क्या भारत में भी वस्त्र उत्पादन की वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं? अगर हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : सभापति महोदय, हमने बहुत से एक्शन उठाए हैं। रुपया मजबूत होने के हिसाब से जो एक्शन लेने चाहिए, काफी एक्शन लिए हैं। मैं इस समय इसमें पड़ना ठीक नहीं समझता हूं लेकिन भारत का रुपया जितना मजबूत हुआ है, उतनी बंगलादेश की करेंसी मजबूत नहीं हुई है, वह डिक्रीज हुई है। पाकिस्तान, वियतनाम की करेंसी की कीमत थोड़ी बढ़ी है, लेकिन हिन्दुस्तान के रुपए का वैल्यूएशन करीब 15 परसेंट बढ़ा है। इस हिसाब से यह प्रॉब्लम है, अन्यथा कोई प्रॉबलम नहीं है।

श्री काशीराम राणा : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मैं उनके जवाब में ही कहूंगा कि सरकार ने एक्सपोर्ट का जो टारगेट तय किया है, वह इस साल 25 बिलियन डॉलर है, जबकि वर्ष 2006–07 और 2007–08 के अप्रैल से अक्टूबर तक के जो फीगर्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक एक्सपोर्ट कम हो रहा है। लगता है कि हम 25 बिलियन डॉलर तक

पहुंच नहीं पाएंगे। हमारा 17–18 बिलियन डॉलर से अधिक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारा फैब्रिक का उत्पादन कम हो रहा है। इसमें जहां 2002–03 में एम्पलॉयमेंट लेने वाले दस लाख लोग थे, आज आठ लाख लोग रह गए हैं। इसी तरह से चाहे कॉटन का सवाल हो या मैन मेड फैब्रिक का हो, सभी का इसमें नैगेटिव ट्रेंड दिखाया गया है। जैसे कि रेडिमेड में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह सूचना सब के पास है। आप सवाल करें।

श्री काशीराम राणा : सिल्क हो, मैनमेड कपड़ा हो या कॉटन हो, सभी का एक्सपोर्ट नैगेटिव है। जहां तक आज सवाल टैक्सटाइल उद्योग का है, 40 से 50 परसेंट कैपेसिटी पर यह इंडस्ट्री चल रही है। हमारा एक्सपोर्ट टारगेट बराबर फुलफिल हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और साथ ही कामगार जो बेरोजगार हो रहे हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री शंकर सिंह वाघेला : सभापति जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है। हमारे पास 2007–08 में प्रोडक्शन बढ़ने के फीगर्स हैं। सिल्क, रेडिमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट जरूर कम हुआ है लेकिन मैनमेड फैब्रिक्स का बढ़ा है। कई आइटम्स में एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन टोटल प्रॉबलम रूपी वैल्यूएशन की है। अगर रुपया इतना मजबूत नहीं होता है तो आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। अमेरिका और यूरोप जो मेन एक्सपोर्ट मार्किट हैं, कोटा रिजीम खत्म होने के बाद, अकेले हम अमेरिका में 24 परसेंट बढ़े थे, पूरी मार्किट में 18 परसेंट बढ़े थे, यहां जरूर डिक्रीज हुआ है। वहां टोटल इम्पोर्ट भी कम हो रहा है। अमेरिका का इम्पोर्ट कम हो गया है। यूरोपियन मार्किट का, इनक्लूडिंग टैक्सटाइल प्रोडक्शन, इम्पोर्ट कम है। इस हिसाब से प्रॉबलम है। एक्सपोर्टर्स की जो डिमांड आई है, उसके हिसाब से भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं चाहे सर्विस टैक्स का मामला हो, डीपीएपी का मामला हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो, हमने एक्सपोर्ट को मैंटेन करने के लिए बहुत सुविधाएं देने की कोशिश की है जिससे उनको तकलीफ न हो।

[अनुवाद]

कृषि योजनाओं का कार्यान्वयन

+

*244. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :***

श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ कृषि योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त स्कीमों को प्रभावी ढंग से और शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए किसान संगठनों के साथ विचार–विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही कृषि प्लान स्कीमों, जिनमें हाल ही में शुरू की गई 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' और 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' नामक स्कीमें शामिल हैं, के कार्यान्वयन की गति धीमी नहीं है। हाल ही में आरम्भ की गई इन दोनों स्कीमों के लिए सरकार की स्वीकृति शीघ्रता से ली गई थी और इन दोनों स्कीमों का कार्यान्वयन रिकार्ड समय में आरम्भ किया गया।

(ग) और (घ) महत्वपूर्ण नीति संबंधी उपायों के बारे में कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय 23.12.2006 को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के साथ परामर्श किया गया था। विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन स्कीम के अन्तर्गत कृषकों के फीडबैक प्राप्त करने हेतु ब्लाक स्तर पर कृषक परामर्श समितियां एक औपचारिक तंत्र है। राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने के लिए कृषि विपणन सुधारों पर सहमति बनाने के लिए देश के चार क्षेत्रों में इस वर्ष के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय परामर्शदात्री सम्मेलनों के जरिए किसानों तथा किसान संगठनों से परामर्श किया गया।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : महोदय, मंत्री जी से पूछा गया था कि कृषि योजना की जो स्कीमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या उनकी गति मंथर है, वे धीमी गति से चल रही हैं? अगर धीमी गति से चल रही हैं तो उनका विवरण क्या है? माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि केवल दो स्कीमें चल रही हैं – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इन्होंने ब्यौरा देने के बजाय इतना ही कहा कि हड़बड़ाहट में ये स्कीमें चालू की गईं, देर से इनकी स्वीकृति मिली और काम प्रारंभ हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन स्कीमों को कब से प्रारंभ किया गया और आज उनमें क्या प्रगति है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : यह बात सच है कि जवाब में इन दो स्कीमों के बारे में दिया गया है, लेकिन जब डीसीजन हुआ और जिन पर पूरे

देश में अमल हुआ, वह दो स्कीमों तक सीमित नहीं है। यूपीए सरकार के आने के बाद इस देश में नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन, माइक्रो इरीगेशन, नेशनल बैम्बू मिशन, माइक्रो मैनेजमेंड एंड एग्रीकल्चर, मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम जैसी कई स्कीम्स शुरू की गई हैं। इन्हें शुरू करने में इनीशियल समय लगता है और इनकी गति कम कैसे हो, इस पर ध्यान दिया गया है। जहां तक इन दो स्कीमों, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रगति के बारे में पूछा गया है, मैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में कहना चाहता हूं कि उसका यह पहला साल है और पहले साल में जिन राज्यों, डिस्ट्रिक्ट्स का इसमें सैलेक्शन हुआ, उनको जो टारगेट दिया गया, जो राशि दी गई, इन सभी का ठीक से इस्तेमाल करने का काम हर राज्य ने किया है और इनका रिस्पांस अच्छा आया है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से राज्य सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं, इसकी परिस्थिति में बदलाव आयेगा।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : महोदय, आप तमाम स्कीमें बना रहे हैं लेकिन किसान को कोई लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज किसान को लाभकारी मूल्य न मिलने की वजह से किसानों का धंधा घाटे का धंधा हो गया है जिससे किसान इस धंधे को करना नहीं चाहता है। क्या केन्द्र सरकार की कोई ऐसी योजना है जिससे किसानों को उसका लाभकारी मूल्य मिल जाए? इसमें ब्यूरोक्रेट्स के अलावा किसानों की राय ली जाए क्योंकि असली समस्या किसान समझते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं समझते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री शरद पवार : महोदय, इस देश में मूल्य तय करने के लिए पिछले 40 वर्षों से एक सिस्टम स्वीकार किया हुआ है, जिस पर अमल हो रहा है, इसे सीएसीपी कहते हैं। इसके माध्यम से टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखकर प्राइस रिकमेंड किया जाता है, प्राइस रिकमेंड करने के बाद जो रिकमेंडेशन आती है, उसे हर राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। इस संबंध में राज्य सरकारों के कमेंट लेने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है और किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पूरी कैसे होगी, इस पर ध्यान दिया जाता है। मैं इस सरकार के आने के बाद के दो उदाहरण देना चाहता हूं। पहले पांच सालों में गेहूं के लिए टोटल वृद्धि 60 रुपए के आसपास थी और इन तीन-चार सालों में गेहूं की कीमत में 360 रुपए प्रति क्विंटल सुधार हुआ है। सरकार ने इतनी ज्यादा कीमत देने की तैयारी कर रखी है। इसी तरह से पैडी की कीमत भी ज्यादा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मैं मानता हूं कि आज दुनिया में फूड ग्रेन्स के प्राइसिस कहां से कहां तक जा रहे हैं, दुनिया में फूडग्रेन्स की समस्या पैदा हो रही है इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, हमारा क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, उचित कीमत कैसी देंगे ताकि किसान इस पर ध्यान दें, इन सब पर सरकार की पूरी तरह से नजर है और इस तरह से पॉलिसी तय की गई है।

चौधरी लाल सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो स्कीम्स बनाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे किसानों को फायदा हो रहा है और इस बार इससे भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैंने कई दफा यह कहा है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिये।

चौधरी लाल सिंह : मैंने कई दफा कहा है कि जब आप प्राइस फिक्स करते हैं, लेकिन प्राइस फिक्स करने के बाद, जब वहां कोई प्रोक्योरमेंट सैन्टर ही नहीं है, जहां प्रोक्योरमेंट होता ही नहीं, ऐसे में किसान अपनी प्रोडक्शन कहां देगा। फिर वह बिचौलियों के पास जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी लिखकर दिया था कि हमारे कुछ एरियाज हैं, जैसे कठुआ, आर.एस.पुरा, हीरा नगर, अखनूर में हर वर्ष पैडी की बम्पर क्रॉप होती है, लेकिन वहां कोई प्रोक्योरमेंट सैन्टर नहीं है। इसके साथ ही इस वर्ष जो हमारी गंदुम होगी, उसके लिए भी वहां कोई प्रोक्योरमेंट सैन्टर नहीं है। वैसे आपका विभाग किसानों का कस्टोडियन है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वहां के किसानों को बचाने के लिए क्या सरकार कोई प्रोक्योरमेंट सैन्टर खोलने या एफ.सी.आई. के माध्यम से कोई योजना बनाने जा रही है?

सभापति महोदय : ये सैन्टर्स तो राज्य सरकारें बनाती हैं।

श्री शरद पवार : सर, आपने सही जवाब दिया है कि इन सैन्टर्स को शुरू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और उनका सपोर्टिंग काम फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती है। जहां तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, वह देश में राइस और व्हीट का ही प्रोक्योरमेंट करता है। बाकी जो पैदावार देश में होती है, जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस यदि इसके नीचे आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मार्केट में उतरकर जिम्मेदारी लेना उनका फर्ज है। यदि इसमें नुकसान होगा तो पचास परसेंट नुकसान की जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है। कई राज्यों ने इस तरह का काम किया है। दो साल पहले राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर मस्टर्ड की खरीददारी की थी, जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं करता। इसलिए ऐसा काम कई राज्य स्वयं करते हैं कि उनके राज्य में जो पैदावार होती है और यदि किसान को कम कीमत मिलने की परिस्थिति पैदा हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा इसमें कदम उठाकर काम किया जाता है।

जहां तक जम्मू-कश्मीर की जो समस्या यहां बतलाई गई है, मैं उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट से जरूर बात करूंगा और अगर आवश्यकता

हुई और वहां इतना प्रोडक्शन मिला तो वहां सैन्टर खोलने के लिए भी हम फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से कहेंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : प्रेस तथा केरल विधानसभा में यह बात कही गई थी कि राज्य सरकार ने श्री एम.एस. स्वामीनाथन के साथ परामर्श पर अलेप्पी जिले मे कुट्टानंद से संबंधित एक कृषि विकास योजना तैयार की थी जिसे सरकार को सौंप दिया गया था। परन्तु सरकार ने श्री एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा तैयार की गई योजना का अनुमोदन नहीं किया था। सरकार, कृषि उत्पादन बढ़ाने की इच्छुक है। श्री एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा कुट्टानंद में धान की खेती के विकास हेतु सौंपी गई योजना को स्वीकार करने में क्या परेशानी थी? राज्य सरकार को मजबूर होकर स्वयं ही योजना को अपने हाथ में लेना होगा। माननीय कृषि मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए।

इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि उस योजना को लागू करें ताकि केरल के कमी वाले क्षेत्रों को अत्यधिक राहत मिल सके। क्या माननीय मंत्री ऐसा करेंगे?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : केरल के उस जिले से संबंधित मुद्दे के बारे में केरल सरकार ने भी हमसे संपर्क किया था। केरल के माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा था और मुझ से मिले भी थे। इसके बाद हमने यह कार्य स्वामीनाथन प्रतिष्ठान को सौंप दिया था। इस प्रतिष्ठान ने उस जिले हेतु एक विस्तृत योजना बनाई थी। यह योजना भारत सरकार को सौंप दी गई है। कृषि मंत्रालय ने उस योजना को अनुमोदित कर दिया है। अंतिम निर्णय तथा बजटीय प्रावधान हेतु हम इसे मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करेंगे। केरल हेतु इस योजना को लागू करने के लिए हम काफी इच्छुक हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न सं. 245, श्री नवीन जिन्दल – उपस्थित नहीं। प्रश्न सं. 246, श्री जे.एम. आरून रशीद।

फलों और सब्जियों के खुदरा व्यापार पर कार्पोरेट क्षेत्र का अधिपत्य

*246. **श्री जे.एम. आरून रशीद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को उनकी उपज की बिक्री से मिलने वाला अधिकांश लाभ बिचौलियों द्वारा हथिया लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने और किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या फलों और सब्जियों के उत्पादन और खुदरा बाजार पर भी कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा एकाधिपत्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप किसानों और खुदरा व्यापारियों को समान रूप से भारी घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कृषि उत्पाद की खरीद और बिक्री अधिकतर मंडी यार्डों में होती है। जहां कई मंडी कर्मी सौदेबाजी की कार्यवाही में भाग लेते हैं। खुदरा विक्रेताओं या प्रसंस्करणकर्ताओं या निर्यातकों को कृषि उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में कमीशन एजेंटों, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, वितरकों, डीलरों आदि के नाम पर कई बिचौलिये काम करते हैं, जो किसानों तक पहुंचने वाले मूल्यों के निर्धारण के पहले ही उपभोक्ता खर्च में अपने हिस्सा ले लेते हैं। यह पाया गया है कि अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में बिचौलियों की संख्या 6 से 8 तक होती है। अध्ययन दर्शाते हैं कि उपभोक्ता खर्च में उत्पादकों का शेयर खाद्यान्नों में 56% से 88% और दलहन में 79 से 95%, तिलहन में 65 से 96% और फल एवं सब्जियों के मामले में 33 से 75% तक होता है।

(ग) किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि मंडी सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए पहल की है। भारत सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला को कम करने और उपभोक्ता खर्च में किसानों के अंश में सुधार लाने की दृष्टि से एक मॉडल कृषि उत्पाद मंडी विनियमन सपोर्ट (ए पी एम आर) अधिनियम तैयार किया है और 2003 में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने संबंधित ए पी एम आर अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए परिचालित कर दिया है ताकि विद्यमान विपणन प्रणालियों को कुशल बनाया जा सके तथा निजी मंडियों को अनुमति दी जा सके और वैकल्पिक विपणन चैनलों जैसे कि प्रत्यक्ष विपणन, अनुबंधित खेती, ई ट्रेडिंग आदि का विकास किया जा सके। संशोधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार ने माडल ए पी एम आर नियमावली भी तैयार की है और इसे अपनाने के लिए नवम्बर, 2007 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को

परिचालित कर दी है। सरकार ने विपणन अवसंरचना को विकसित करने/मजबूत बनाने के लिए सुधार से जुड़ी एक स्कीम शुरू की है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उचित अग्र एवं पश्च सम्पर्कों के साथ टर्मिनल मंडी कम्पलेक्सों की स्थापना करें ताकि मूल्य वर्धन और कुशल विपणन के जरिए किसान बेहतर फार्म लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार ने वायदा बाजार में कृषि जिंसों के व्यापार की भी अनुमति दी है जो मंडी में मूल्यों की स्थिरता में मदद कर रहा है और जिससे बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है। विभिन्न वस्तु विनिमय केन्द्रों ने कृषि वस्तुओं की ई ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रोनिक स्पोट एक्सचेंजों की स्थापना भी की है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद : महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहता है। मुद्दा यह है कि इलायची, काली मिर्च, अंगूर और आलू जैसे पर्वतीय क्षेत्र की कृषि उपजों को बिचौलियों के माध्यम से बड़ी श्रृंखलाओं को बेच दिया गया है। क्या सरकार की प्रायोजित फुटकर बिक्री केन्द्र तथा खरीद केन्द्र खोलने और बिक्री करने की कोई योजना है? जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने 'ओझावर सन्डाई' अर्थात् कृषक बाजार स्थापित किए हैं? इसी प्रकार क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे बाजार खोले जाने की कोई योजना है ताकि कृषि उत्पादों को अच्छे मूल्यों पर बेचा जा सके?

श्री शरद पवार : भारत सरकार ने कृषि तथा सहकारिता मंत्री तथा विभिन्न राज्यों के विपणन विभागों की बैठक बुलाई तथा कृषि उत्पाद, बाजार विनियम अधिनियम में कतिपय संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। एक विशेष योजना तैयार की गई है। और सभी राज्यों को भेज दी गई है। सोलह राज्यों ने अपने–अपने कृषि उत्पाद बाजार विनियम अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस अधिनियम में नए बाजार स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। बागवानी मिशन में भी नए बाजार स्थापित किए जाने हेतु वित्तीय प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने भी 'टर्मिनल मार्केट्स' स्थापित करने की योजना अनुमोदित की है जिस संबंध में राज्य सरकारों को निर्णय लेना है। भारत सरकार ने थोड़ी वित्तीय सहायता दी थी। कई राज्यों ने उचित उपाय किए हैं। लगभग, सभी राज्यों में नए 'टर्मिनल मार्केट्स' स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में पहले ही तेजी लाई जा चुकी है। राज्यों को सभी प्रकार की सहायता दी जा चुकी है। भूमि अर्जन और बाजार स्थापित किए जाने संबंधी जिम्मेदारी अंततः संबंधित राज्य सरकारों को लेनी है। ये इस दिशा में कार्य कर रही हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद : मैं जानना चाहता हूं कि अधिनियम में कब संशोधन किया जाएगा। कृषि उत्पादों को बहुत ही कम मूल्यों पर बेचा जाता है। इससे किसानों को बहुत तेजी का सामना करना पड़ता है। इसमें संशोधन कब किया जाएगा? उत्पादन केन्द्र कब खोले जाएंगे? क्या खरीद केन्द्रों में शीतागार स्थापित किए जाएंगे? क्या सरकार का विचार शीतागारों की स्थापना करने का है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्याप्त शीतागार सुविधाएं हैं? यह सुविधा वहां है। मैदानी क्षेत्रों में ऐसी शीतागार सुविधाएं नहीं है। उत्पाद खराब हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप 'पेनी' में ही एक दिन में लगभग एक हजार टन अंगूर तथा अन्य सभी उत्पाद विशेषकर सब्जियां पैदा होती है। ये राज्य के सारे हिस्सों तथा अन्य राज्यों में भी जाती हैं। प्रशीतित वाहन अवश्य ही उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा उन क्षेत्रों में शीतागार सुविधाएं स्थापित भी की जानी चाहिए। क्या सरकार की इस प्रकार की कोई योजना है?

श्री शरद पवार : मैंने पहले ही कहा था कि भारत सरकार बागवानी मिशन के तहत ऐसी राज्य सरकारों को जो शीतागार तथा किसानों हेतु अन्य सुविधाएं प्रदान करना चाहती हैं। उन्हें धन मुहैया कराती है।

अनेक राज्यों ने 'टर्मिनल मार्केट' प्रणाली हेतु पहल की है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, तिरूपति और विशाखापट्टनम का चयन किया गया है। बिहार में पटना का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर का चयन किया गया है। इन स्थानों में 'टर्मिनल मार्केट्स' स्थापित किए जाएंगे। 'टर्मिनल मार्केट्स' में वर्गीकरण केन्द्र का भी प्रावधान है। शीतागारों का भी प्रावधान है। प्रशीतन वाहनों का भी प्रावधान है। भारत सरकार वित्तीय सहायता दे रही है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : सभापति महोदय, आरून साहब ने जो सवाल किया, कृषि मंत्री जी उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं। मैं कल कश्मीर होकर आ रहा हूं। वहां दूर–दराज के गांवों के पहाड़ी इलाकों के लोग पूरी तरह से बागवानी पर निर्भर है। इतने सालों के बाद भी उनके प्रोड्यूस के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल उनकी [illegible] क्राप होती है फिर भी उन लोगों को रोना पड़ता है। यह स्थिति [illegible] साल की है कि उन्हें स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिलती, जिससे मार्कीट में वे अपना प्रोड्यूस बेच सकें। यह सारा काम वहां जो मिडिलमैन है, उसके हाथ में रहता है। सरकार इतनी सारी बातें कर रही हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : समय नहीं है, आप अपने सवाल के उत्तर के लिए भी समय रखें।

मोहम्मद सलीम : सभापति महोदय, दूसरे प्रान्तों की भी यही

स्थिति है। हिमाचल में भी यही है। सरकार की स्कीम्स तो हैं लेकिन किस तरह से उन्हें अमल में लाया जाये? यू.पी.ए. सरकार ने कहा है कि बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड रीजन्स, हिल्ली टैरेन्स में स्पेशल डेवलेपमेंड के एफर्ट्स करने और उसके नजदीक सुविधाएं देने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर इस बारे में क्या कदम उठायेंगी?

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में उत्तर दें।

श्री शरद पवार : सभापति महोदय, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्कीट एक्ट में पहले प्रोवीजन था कि किसान अपना माल वहीं जाकर लाइसेंसी को बेच सकते थे, लेकिन अब इस एक्ट में सुधार किया गया है। अब किसान कहीं भी जाकर अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। वह अपनी मार्कीट सैट अप कर सकता है। मार्कीट के साथ साथ जो लोग अपना इनफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनैंशियल सपोर्ट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। जहां तक हिल्ली स्टेट, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, वहां हार्टीकल्चर के लिए अलग स्कीम है और इस मद में सब से ज्यादा राशि उन राज्यों को दी गई है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी

+

***247. श्री महावीर भगोरा :**

श्री घुरन राम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रीमियम के भुगतान के संबंध में क्या मापदंड हैं और इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा किसानों का अंशदान कितना–कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत किसानों को किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने उक्त योजना में अपने हिस्से का भुगतान किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) स्कीम के अधीन वर्ष 2006–07 के दौरान कवर किए गए और लाभान्वित किसानों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध–I पर है।

(ख) इस स्कीम के अधीन स्कीम के प्रावधान के अनुसार किसानों से खाद्य एवं तिलहन फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत के बीच समान दरें (बीमित धनराशि का) और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु बीमांकिक दरें प्रभारित की जाती है। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसान प्रीमियम में 10 प्रतिशत राजसहायता के पात्र हैं जिसे 50:50 आधार पर केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा शेयर किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को किए गए भुगतान के ब्यौरे अनुबंध–II पर है।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार (केन्द्रीय और राज्य) द्वारा किए गए भुगतान का ब्यौरा अनुबंध–II पर है। भारत सरकार अथवा संबंधित राज्यों के पास निधियों के शेयर अनुपलब्धता के कारण 31442.28 लाख रुपए के दावे लम्बित हैं। ज्योंही भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी है, को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी, इन दावों का निपटान कर दिया जाएगा।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन कवर किए और लाभान्वित किसान : 2006–07

क्रम सं.	राज्य	खरीफ 2006		रबी 2006–07		कुल 2006–07	
		कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसान	कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसान	कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1964838	638773	35440	40588	2270278	679361

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	8800	3882	5818	491	14618	4373
3.	बिहार	344686	75896	339749	65927	684435	141823
4.	छत्तीसगढ़	716118	22213	13202	4	729320	22217
5.	गोवा	544	1	0	0	544	1
6.	गुजरात	863802	761536	14080	3984	877882	765520
7.	हरियाणा	53482	2474	45261	6918	98743	9392
8.	हिमाचल प्रदेश	5211		14061	0	19272	0
9.	झारखण्ड	1198520	49043	64161	8842	1262681	57885
10.	कर्नाटक	792498	314259	547839	301318	1340337	615577
11.	केरल	13341	1797	16871	487	30212	2284
12.	मध्य प्रदेश	1277350	135926	581758	17	1859108	135943
13.	महाराष्ट्र	1638409	620044	37655	504	1676064	620548
14.	मेघालय	703	11	2399	0	3102	11
15.	उड़ीसा	880330	68532	199887	12521	1080217	81053
16.	राजस्थान	1805504	353650	813676	121616	2619180	475266
17.	सिक्किम	0		38	0	38	0
18.	तमिलनाडु	46153	7415	269218	12379	315371	19794
19.	त्रिपुरा	398	9	2074	0	2472	9
20.	उत्तर प्रदेश	886961	223621	1111041	336142	1998002	559763
21.	उत्तराखंड	5635	379	14500	987	20135	1366
22.	पश्चिम बंगाल	426820	42868	574501	36344	1001321	349212
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	78	0			78	0
24.	पांडिचेरी	570		2254	0	2824	0
25.	जम्मू-कश्मीर	3303	524	2467	0	5770	524
	कुल	12934054	3322853	4977950	1219069	17912004	4541922

अनुबंध-II

राज्य–वार मौसम–वार भुगतान किए गए दावे और दावे शेयर करना

क्रम सं.	राज्य	भुगतान किए गए दावे 2004–05	खाता	राज्य का शेयर	भारत सरकार का शेयर	भुगतान किए गए दावे 2005–06	खाता	राज्य का शेयर	भारत सरकार का शेयर	भुगतान किए गए दावे 2006–07	खाता	राज्य का शेयर	भारत सरकार का शेयर
1.	आन्ध्र प्रदेश	9296.85	8770.11	263.37	263.37	49692.97	8455.01	20618.98	20618.98	52841.90	8236.51	22302.69	22302.70
2.	असम	68.94	22.79	23.08	23.07	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	23988.71	1100.63	11444.04	11444.04	15392.55	1274.04	7059.25	7059.26	4018.74	1494.54	1262.10	1262.10
4.	छत्तीसगढ़	504.64	356.92	73.86	73.86	12.21	12.21	0.00	0.00	461.04	461.04	0.00	0.00
5.	गोवा	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	28906.21	5605.46	11649.88	11649.88	813.04	813.04	0.00	0.00	48407.42	7083.94	25552.29	15771.19
7.	हरियाणा	133.36	108.44	12.46	12.46	1594.13	230.59	681.77	32.14	681.77	32.14	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2.55	2.55	0.00	0.00	104.42	13.16	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	झारखण्ड	1060.54	136.55	461.99	461.99	10738.46	721.75	5008.35	5008.36	493.64	493.64	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	3050.40	2925.95	124.45	0.00	4536.60	4536.60	0.00	0.00	15028.09	3047.61	5990.24	5990.24
11.	केरल	39.17	39.17	0.00	0.00	149.32	52.42	48.45	41.17	48.48	41.17	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	5969.41	4476.49	746.46	746.46	2000.88	1895.92	52.48	52.48	3552.52	3552.52	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	13005.76	2924.64	5040.56	5040.56	3251.09	3086.96	82.07	82.06	14067.59	2211.67	5927.96	5927.96
14.	मेघालय	1.46	0.76	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
15.	उड़ीसा	1504.79	1504.79	0.00	0.00	594.63	414.04	90.29	90.29	2793.72	2765.40	14.16	14.16
16.	राजस्थान	14333.79	5374.48	4479.66	4479.65	30057.02	6536.02	15024.01	8496.99	23302.35	7404.20	7949.08	7949.07
17.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	तमिलनाडु	3854.22	533.02	1660.60	1660.60	4827.34	506.33	2160.50	2160.50	555.79	555.79	0.00	0.00
19.	त्रिपुरा	3.85	3.23	0.31	0.31	36.16	10.93	12.61	12.61	0.04	0.04	0.00	0.00
20.	उत्तर प्रदेश	12200.77	3228.57	4486.10	4486.11	7926.66	3322.89	2301.89	2301.89	11242.50	5966.38	2638.06	2638.06
21.	उत्तराखंड	1.87	1.39	0.24	0.24	235.52	16.31	109.60	109.60	17.28	10.86	3.21	3.21
22.	पश्चिम बंगाल	1861.73	1554.79	153.47	153.47	7713.46	2308.66	2702.40	2702.41	12827.52	3037.41	9732.48	57.63
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	पांडिचेरी	34.75	14.67	10.04	10.04	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	जम्मू – कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	5.15	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	119823.78	38686.42	40630.91	40506.45	139'694.24	34221.27	55999.99	49472.99	189683.53	46394.95	81372.27	61916.32

श्री महावीर भगोरा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि वर्तमान में छोटे और सीमान्त किसान प्रीमियम में 10 प्रतिशत राजसहायता के पात्र हैं, जिसे 50:50 आधार पर केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा शेयर किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में जो उत्तर बताया है, उसमें एक भी सही नहीं है।

सभापति महोदय, वर्षवार पात्र किसानों की संख्या बिल्कुल अलग–अलग है। जहां तक 50 प्रतिशत शेयर का सवाल है, मैं केवल एक वर्ष 2006–07 के आंकड़े दूंगा। इसमें केन्द्रीय सरकार का शेयर 61916.07 लाख रुपये और राज्य सरकारों का शेयर 81372.27 लाख रुपये है। यह अंतर 20 हजार लाख रुपये का है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : सभापति महोदय, ये दोनों उत्तर सही है। जहां तक किसानों को कवर करने की बात है, इन फीगर्स में फर्क हर साल में है। यह बात भी सही है कि सभी किसान इन्श्योरेंस नहीं करते हैं। कुछ किसान साल में करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जहां तक वर्ष 2006 के खरीफ सीजन का सवाल है।

[अनुवाद]

व्यवहारिक रूप से 1,293 करोड़ रुपए का बीमा है।

[हिन्दी]

इसमें बैनेफिट 33 लाख किसानों को हुआ। इसमें वर्ष 2006–07 की रबी फसल की टोटल फिगर्स दी हुई है, स्टेटवाइज दी गई है। हमने यह फीगर्स वहां से कलैक्ट की है जो इन्श्योरेंस का काम करते हैं और उसके मुताबिक फाइनैंशियल सपोर्ट भी की गई है। ये दोनों फीगर्स बिल्कुल सही है।

श्री महावीर भगोरा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के हिसाब से प्रश्न का उत्तर सही हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक यह सही नहीं है। लगता है कि अधिकारी लोग बताना नहीं चाहते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप दूसरा सवाल पूछिये, समय नहीं है।

श्री महावीर भगोरा : सभापति जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि भारत सरकार अथवा संबंधित राज्यों के पास निधियों के शेयर अनुपलब्धता के कारण 31442.28 लाख रुपए के दावे लम्बित हैं, जिनमें एक साल में हो गये हैं। आज की तारीख में इसकी क्या पोजीशन है – कितने दावे लम्बित हैं और उनका कब तक निपटान कर दिया जायेगा?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री शरद पवार : जहां तक भारत सरकार की बात है, जिस राशि का प्रावधान इस हेतु किया गया था, वह काम पूरा होने के पहले राशि कम पड़ गई थी। मगर कल जो सप्लीमैंट्री डिमांड्स इस सदन ने स्वीकार कीं, इसमें इनका प्रोविज़न किया गया था, वह पैसे पार्लियामेंट ने मंजूर किये हैं। अब उसे देने में देरी लगना दिखाई नहीं देता, ज्यादा से ज्यादा दो महीने लगेंगे।

सभापति महोदय : श्री घुरन राम – उपस्थित नहीं। श्री करुणाकरण – उपस्थित नहीं।

श्री राजनरायण बुधौलिया : माननीय सभापति महोदय, देश के जिन इलाकों में पिछले चार–पांच वर्षों से लगातार किसानों की दुर्दशा हो रही है – बाढ़, सूखा, पाला या ओलावृष्टि की वजह से, ऐसे क्षेत्रों में बर्बाद किसानों के लिए क्या अलग से किसी प्रकार की राष्ट्रीय कृषि बीमा राशि प्रदान करने की किसी योजना पर सरकार विचार करेगी?

श्री शरद पवार : महोदय, पहले जो बीमा एजेन्सी थी, अब हमने परिवर्तन करके एक नयी स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिसका ब्यौरा इस बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने दिया था, उसका नाम है वेजर वेज इंश्योरेंस स्कीम। इसमें यदि बारिश की परिस्थिति होगी, रेनफाल कम होगा तो मदद होगी, सूखा पड़ेगा तो मदद हो सकती है, तापमान में फर्क पड़ा तो भी मदद हो सकती है, स्नोफाल हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, फ्लड्ज आ गए और उनसे फसल को जो नुकसान होता है, उन सब को इसमें स्वीकार किया है। यह स्कीम इस साल से देश के सभी राज्यों में लागू की गई है। ...*(व्यवधान)* इसमें खरीफ और रबी इस साल से ली है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तिलहनों और दलहनों का उत्पादन

***245. श्री नवीन जिन्दल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर) द्वारा तिलहनों और दलहनों की किन–किन किस्मों को अधिसूचित किया गया है;

(ख) क्या किसानों द्वारा इन किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन किस्मों की फसलवार कुल कितने क्षेत्र में खेती हो रही है तथा तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि देश में इन किस्मों के उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारत सरकार द्वारा बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहनों (64) और दलहनों (74) की कुल 138 निम्नलिखित किस्में अधिसूचित की गईं:–

तिलहन : मूंगफली–11; सोयाबीन–11; तोरिया और सरसों–16; सूरजमुखी–8; कुसुम–4; अरण्डी–1; अलसी–5; तिल–6; रामतिल–2

दलहन : चना–20; अरहर–8; उड़द–8; मूंग–11; मटर–9; समूर–7; राजमां–5; कुलथी–3; ग्वार–1; मोठ–2

(ख) और (ग) बड़े पैमाने पर खेती हेतु किसानों को उपलब्ध कराने से पहले उत्पादन की बीज श्रृंखला को न्यूक्लियस से प्रजनक, प्रजनक से फाउंडेशन और फाउंडेशन से प्रमाणित बीजों तक चार वर्ष का समय लगता है।

(घ) और (ङ) परिषद द्वारा किसानों के खेतों पर किए गए अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों (एफएलडीएस) में तिलहनों में 20–25 प्रतिशत तथा दलहनों के मामले में 25–30 प्रतिशत के बीच में उपज में वृद्धि देखी गई। इसने दर्शाया कि ये किस्में तथा अनुकूल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियां लाभांश दिला सकती है।

विश्व भर में खाद्यान्नों के मूल्य

***248. एडवोकेट सुरेश कुरुप** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान विश्व भर में खाद्यानों के मूल्य में वृद्धि का रुझान रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर इसके संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। गत एक वर्ष के दौरान सभी प्रमुख अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार विश्व के विभिन्न प्रमुख उत्पादक देशों में खाद्यान्नों के मूल्यों और उपलब्धता के परिदृश्य की बारीकी से निगरानी कर रही है। सरकारी आकलन में उच्च वैश्विक मूल्यों और कमजोर आपूर्ति स्थिति से आयात करना कठिन और महंगा दोनों होगा। अब तक खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और दालों) का घरेलू उत्पादन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहा है।

(घ) सरकार मूल्यों को संतुलित रखने और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाती रही है। इसने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं जो संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(1) वर्ष 2007–2008 के दौरान गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां राज्य व्यापार निगम, एम एम टी सी, पी ई सी 23.0 लाख मीट्रिक टन (+/-5%) का आयात कर रही हैं। लगभग 18.0 लाख टन गेहूं का ठेका दिया गया है और 27.2.2008 तक समूची मात्रा भारत में पहुंच चुकी है। राज्य व्यापार निगम को 13.06 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; एम एम टी सी और पी ई सी ने क्रमशः 3.425 लाख टन और 1.5 लाख टन गेहूं के आयात के आदेश दे दिए हैं। शून्य शुल्क पर गेहूं के आयात की वैधता की अवधि 31.12.2006 से बढ़ाकर 28.2.2007 तक और फिर 31.12.2007 कर दी गयी थी। इसको अब अगले आदेशों के लिए बढ़ा दिया गया है।

(2) गेहूं के निर्यात पर 09.02.2007 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 31.12.2007 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को अब अगले आदेशों तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(3) गेहूं और धान की खरीद को बढ़ाने के लिए सरकार पिछले पांच सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और बोनस की घोषणा करती रही है। सरकार ने 9.10.2007 को फसल वर्ष 2007–08 (रबी विपणन मौसम 2008–09 में विपणन के लिए) गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसने खरीफ विपणन मौसम 2007–08 में धान के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन बोनस भी अनुमोदित किया। इसी प्रकार सरकार द्वारा उस गैर–बासमती चावल के निर्यात पर 5 मार्च, 2008 से प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसका न्यूनतम निर्यात मूल्य 650 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से कम है तथा बंदरगाहों अर्थात् कांदला, काकीनाडा, कोलकाता और जे एन पी टी, मुंबई के जरिए बासमती और गैर–बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(4) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) और अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) के जरिए समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है। तथापित, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत गेहूं और चावल का उठान बढ़ता जा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चावल का उठाव 2003–04 को 242 लाख टन से बढ़कर 2006–07 में 316 लाख टन हो गया। अप्रैल–नवम्बर, 2007 की अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 242.96 लाख टन गेहूं और चावल का आबंटन किया गया है।

(5) चावल और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य 1.7.2002 से संशोधित नहीं किए गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए गेहूं का केंद्रीय निर्गम मूल्य 4.15 रुपए प्रति कि. ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि. ग्र. रहा। चावल का मूल्य गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए 5.65 रुपए प्रति कि. ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि. ग्रा. रहा।

(6) 8 जून, 2006 को दालों के आयात पर सीमा शुल्क को घटा कर शून्य कर दिया गया था और शून्य शुल्क पर दालों के आयात की वैधता की अवधि को 31.3.2007 से बढ़ा कर 1.8.2007 तक और फिर 31.3.2009 कर दिया गया है।

(7) 22 जून, 2006 से दालों (7.3.2007 से काबुली चने के निर्यात को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। दालों के निर्यात पर प्रतिबंध प्रारंभ में 31.3.2007 तक था और उसको 31.3.2008 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

(8) सरकार की पहल पर राज्य एजेंसियां (नेफेड, पी ई सी लि., एम एम टी सी और एस टी सी) 1.5 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात करने का लक्ष्य रखेंगी। इन एजेंसियों द्वारा किए गए 14.01 लाख टन दाल की कुल संविदा में से 28.02.2008 तक 10.86 लाख टन पहुंच चुकी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से खाद्य तेलों का आयात करने तथा घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने हाल ही में 46.500 टन पॉम ऑयल के आयात के आदेश दे दिए हैं और समूची मात्रा भारत के बंदरगाहों पर पहुंच चुकी है।

(9) 1.03.2007 से सूरजमुखी के कच्चे तेल पर आयात शुल्क को 65% से घटाकर 50 % और सूरजमुखी के रिफाइण्ड तेल पर 75 % से घटाकर 60% कर दिया गया है। 23.7.2007 से पुनः सूरजमुखी के तेल कच्चा और रिफाइण्ड दोनों पर आयात शुल्क घटाया गया है और यह अब क्रमशः 40% और 50% है।

(10) कच्चे पॉम तेल पर आयात शुल्क को 13.04.2007 से 60% से घटकार 50% कर दिया गया। 23.7.2007 से कच्चे पॉम तेल पर आयात शुल्क को और आगे घटाकर 45% तथा रिफाइण्ड पॉ तेल पर 52.5% कर दिया गया। सरकार ने सभी खाद्य तेलों पर 4% के अतिरिक्त समानांतर शुल्क को वापस ले लिया। 24.1.2007 से पूर्व आयात शुल्क क्रमशः 70% और 80% थे।

(11) 23.07.2007 से सोयाबीन तेलों पर आयात को 45% से कम करके 40% कर दिया गया है।

(12) प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए नेफेड ने न्यूनतम निर्यात मूल्य मार्च/अप्रैल, 2007 के 250 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर अक्तूबर, 2007 में 495 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन कर दिए। प्याज के निर्यात को भी दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 22 (आर ई 2007) / 2004–09 के द्वारा निर्दिष्ट मार्गीकरण एजेंसियों के जरिए लाइसेंस के तहत रखा गया। इसके अलावा, सरकार ने दिल्ली सरकार, नेफेड, केंद्रीय भण्डार तथा मदर डेयरी द्वारा संचालित मोबाइल केंद्रों के जरिए भी प्याज की बिक्री की। इन लगभग 375 बिक्री केन्द्रों ने 17–18 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्याज बेचा जबकि बाहर 22–24 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से बिक रहा था। चूंकि प्याज के घरेलू मूल्य में अब गिरावट का रुझान है, इसलिए न्यूनतम निर्यात मूल्य और कम कर दिए गए हैं। इस समय प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 180 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन है। खरीफ की फसल में प्याज की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिबंध को अब 16.11.2007 से हटा लिया गया है।

(13) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके प्रणाली में नकदी को कम करने हेतु कदम उठाए गए। यह अनुपात पहले 6 अगस्त, 2007 को 7 प्रतिशत और फिर 30 अक्तूबर, 2007 को 7.5 प्रतिशत किया गया। इससे बाजार में 30 हजार करोड़ रुपए की नकदी आ गई।

(14) पूर्ण एहतियात के एक उपाय के रूप में वायदा बाजार आयोग (एफ एम सी) ने 23.01.2007 को तीन राष्ट्रीय एक्सचेंज अर्थात् (क) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.; (ख) नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि.; (ग) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि. को तूर और उड़द की सभी संविदाओं को सूची से हटाने तथा तूर और उड़द की सभी संविदाओं में सभी बकाया पोजीशनों को 23.1.2007 को बंद मूल्य पर समाप्त करने का निदेश दिया। वायदा बाजार आयोग ने यह भी कहा है कि

उसकी पूर्व अनुमति के बिना आगे कोई संविदा नहीं की जाएगी और उड़द व तूर में संविदाओं के लिए पहले दी जा चुकी अनुमति आहरित मानी जाएगी।

(15) इसी प्रकार वायदा बाजार आयोग ने 27.2.2007 को सभी राष्ट्रीय एक्सचेंजों को निदेश दिया है कि गेहूं और चावल की कोई नई संविदा शुरू न की जाए।

(16) गेहूं, दालों आदि के भावी मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए वायदा बाजार आयोग ने ओपन पोजिसन पर सीमा का निर्धारण, मूल्य के दैनिक उतार-चढ़ाव की सीमा कम करने और अतिरिक्त/विशेष मार्जिन लगाने जैसे अपेक्षित विनियामक उपाय किए हैं।

(17) योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो वस्तुओं के मूल्यों पर भावी सौदा व्यापार के प्रभाव, यदि कोई हो, का अध्ययन करेगी।

(18) प्रचलित मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 29.8.2006 को एक केंद्रीय आदेश जारी किया था ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों की स्टॉक सीमा को छः महीने की अवधि तक लागू कर सकें। इस आदेश के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन मदों के जमा स्टॉक को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं ताकि उचित मूल्यों पर आम जनता को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने 1.9.2007 के केंद्रीय आदेश की अवधि को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया। इसको अब 1.3.2008 से 31.8.2008 तक अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

पार्थेनियम खरपतवार

*249. **श्री भावरचन्द गहलोत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल गेहूं के साथ उगने वाली पार्थेनियम खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है और इससे देश के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में किसानों को भारी नुकसान होता है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) पार्थेनियम खरपतवार, जो विभिन्न प्रकार की मृदाओं और निवास स्थान में पैदा होता है, खरपतवार की गहनता और कृषि जलवायु स्थितियों पर निर्भर करते हुए फसलों को और गेहूं उत्पादन क्षेत्रों को भी क्षति पहुंचता है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में व्यापक अनुसंधान के जरिए इस खरपतवार पर नियंत्रण करने और उसे रोकने के लिए रणनीतियां तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-भौतिक, जीव-विज्ञानीय और रासायनिक नियंत्रण उपायों का अनुप्रयोग; इसके कुप्रभावों पर किसानों को शिक्षित करना और खरपतावार नशियों, जैव एजेण्टों आदि के पूर्ण अनुप्रयोग के जरिए इसका प्रबंधन और राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर के जरिए मूलभूत और रणनीतिक खरपतवार प्रबंधन प्रौद्योगिकी प्रदान करना।

[अनुवाद]

बीजों का संरक्षण

*250. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भावी पीढ़ियों के लाभार्थ विशिष्ट फसलों, जिनमें से अनेक लुप्त हो रही हैं, के बीजों के संरक्षण के लिए कोई योजना अथवा परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संरक्षित फसल बीजों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को नार्वे में बनाए जा रहे ग्लोबल सीड वाल्ट (जीएसवी) की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश की विशिष्ट फसलों के बीजों को जी.एस.वी. में रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) का राष्ट्रीय अधिदेश, किसानों की परम्परागत उत्पादन प्रणालियों में उपलब्ध फसली पौधों के वंशक्रमों और स्थानीय किस्मों के बीजों को उनके लुप्त होने से पहले अपने राष्ट्रीय जीन बैंक में संग्रहण, अभिलक्षणन और सुरक्षित संरक्षण करना है।

इसके अतिरिक्त, पादप किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार

प्राधिकरण के पास पादप किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार किस्म के मालिक को एकमात्र अधिकार देने के लिए नई, वर्तमान और किसानों की किस्मों को पंजीकृत करने का अधिदेश है। संरक्षण अवधि के दौरान बीजों की पंजीकृत किस्मों को राष्ट्रीय जीन बैंक में रखा जाता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो स्थित भारतीय राष्ट्रीय बीज जीन बैंक विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक है, जिसमें कुल 3,56,471 प्रविष्टियां हैं जो 1,324 फसल/पादप प्रजातियों के जननद्रव्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय जीन बैंक में देशी प्रविष्टियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) जी, हां। भारत सरकार को 26 फरवरी, 2008 को नार्वे में ग्लोबल सीड वाल्ट (जीएसवी) के उद्घाटन की जानकारी है।

विवरण

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय जीनबैंक में संग्रहित प्रविष्टियों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

राज्य	प्रविष्टियों की संख्या
1	2
जम्मू-कश्मीर	516
हिमाचल प्रदेश	2393
उत्तराखंड	2869
सिक्किम	371
अरूणाचल प्रदेश	693
असम	2264
मेघालय	787
मणिपुर	716
नागालैंड	474
मिजोरम	194
त्रिपुरा	233
राजस्थान	3115
मध्य प्रदेश	18744
गुजरात	2226
उत्तर प्रदेश	9651
बिहार	3339
पश्चिम बंगाल	816
झारखंड	933
छत्तीसगढ़	4002
उड़ीसा	4421
आंध्र प्रदेश	5773
कर्नाटक	2773
तमिलनाडु	3406
महाराष्ट्र	6634
गोवा	98
केरल	1182
अण्डमान और निकोबार	25
कुल	78648

राष्ट्रीय जीनबैंक में शेष प्रविष्टियां प्रणाली एवं विदेशी स्रोतों से हैं।

[हिन्दी]

श्रम विवाद

***251. श्री अजीत जोगी :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न श्रम न्यायालयों में राज्य-वार कुल कितने श्रम विवाद लंबित हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने विवादों को निपटाया गया तथा उक्त विवादों को निपटाने में कितना समय लिया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार ऐसे कितने विवाद हैं जिनमें नियोक्ताओं को देश के विद्यमान औद्योगिक श्रम कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार एक समुचित सरकार औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकती है। केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक विवादों के संबंध में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों (सी जी आई टी–सह–श्रम न्यायालय) का गठन करने के लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। देश के विभिन्न भागों में 22 सी जी आई टी–सह–श्रम न्यायालय हैं। वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान विभिन्न सी जी आई टी–सह–श्रम न्यायालयों में लम्बित और निपटाए गए श्रम विवादों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। राज्य श्रम न्यायालयों का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

संराधन तंत्र द्वारा जहां तक संभव हो विवादों के निपटान का प्रयास किया जाता है। वे संराधन कार्यवाहियों जो असफल रहती हैं उन्हें न्यायनिर्णयन हेतु श्रम न्यायालयों को भेज दिया जाता है। श्रम न्यायालयों में किसी औद्योगिक विवाद के निपटान में मामले के आधार पर, अलग–अलग समय लगता है और अन्य बातों के साथ–साथ विवाद से संबंधित पक्षों की ओर से सहयोग पर निर्भर करती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश मामलों में तीन माह के निर्धारित मानक समय से कहीं अधिक समय लगता है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने हेतु कार्य ढांचे का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु समुचित सरकार के औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से हस्तक्षेप, मध्यस्थता और संराधन की व्यवस्था की गई है। यदि संराधन कार्यवाहियां विवाद के समाधान में असफल रहती हैं तब ऐसे विवादों को, यदि समुचित सरकार का यह मत हो कि एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है अथवा संभावित है, न्यायनिर्णयन हेतु विभिन्न औद्योगिक अधिकारण–सह–श्रम न्यायालयों को भेजा जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार जब किसी औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकारण को भेजा जाए तो वह शीघ्र अपनी कार्यवाहियां आयोजित करेगा और समुचित सरकार को अपना पंचाट प्रस्तुत करेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में मध्यस्थता, संराधन और न्याय–निर्णयन से संबंधित उपबंधों के पीछे विवादों से संबंधित अलग–अलग पक्षों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के बजाय पीड़ित पक्ष को राहत प्रदान करने की भावना है। औद्योगिक विवाद प्रायः (i) कर्मकारों के किसी समूह द्वारा समूहिक रूप से उठाई गई मांगों के कारण और (ii) विवादों, जिनमें अलग–अलग कर्मकारों को दी गई सजा शामिल है, के कारण उत्पन्न होते है।। अतः विवादों की संख्या के संबंध में, जिनमें विद्यमान औद्योगिक श्रम कानूनों के उपबंधों के उल्लंघनों हेतु नियोक्ताओं को उत्तरदायी ठहराया गया हो, विशिष्ट सूचना का पता नहीं लगाया जा सकता।

विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों (केन्द्रीय क्षेत्र) में लंबित/निपटाये गए मामलों की वर्षवार संख्या

क्रम सं.	सी जी आई टी	2004–05				2005–06				2006–07			
		मामले		आवेदन		मामले		आवेदन		मामले		आवेदन	
		निपटाये गए	लंबित	निपटाये गए	लंबित	निपटाये गए	लंबित	निपटाये गए	लंबित	निपटाये गए	लंबित	निपटाये गए	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	मुम्बई–I	25	240	13	81	63	213	28	64	75	193	38	35
2.	मुम्बई–II	8	405	4	410	20	456	9	438	97	410	26	506
3.	धनबाद–I	33	1,784	9	364	150	1745	31	367	73	1,746	17	358
4.	धनबाद–II	221	1,022	1	52	195	929	0	36	45	949	0	36
5.	आसनसोल	32	472	2	93	50	562	14	79	64	606	17	62
6.	कोलकाता*	19	219	39	130	8	269	0	133	9	281	8	95
7.	चंडीगढ़–I	180	2,005	29	324	1,162	911	162	212	148	846	123	98
8.	चंडीगढ़–II	5	62	0	10	72	1,178	10	144	275	946	67	112
9.	नई दिल्ली–I	126	552	18	288	94	492	39	451	72	540	29	469
10.	नई दिल्ली–II	237	537	95	98	192	493	74	57	242	333	38	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	कानपुर	42	679	150	250	96	663	188	184	158	560	55	154
12.	जबलपुर	177	1,459	29	639	126	1454	52	597	107	1,438	115	489
13.	चेन्नई*	170	588	21	22	131	584	24	35	379	293	4	30
14.	बंगलोर	83	368	138	35	95	352	20	82	113	288	19	95
15.	हैदराबाद	186	1,205	10	768	659	780	187	631	156	856	556	199
16.	नागपुर	5	848	07	19	912	0	15	178	836	3	18	
17.	भुवनेश्वर	4	433	2	111	41	424	38	99	41	412	36	136
18.	लखनऊ	71	436	28	29	75	408	13	36	60	379	8	38
19.	जयपुर*	74	123	24	57	108	154	24	24	51	228	0	0
20.	गुवाहाटी	2	23	0	7	13	33	37	8	37	1	7	
21.	एर्नाकुलम	0	7	0	0	18	22	0	58	122	247	96	29
22.	अहमदाबाद*	115	1,666	15	833	208	1,818	71	1,037	49	1,947	40	1,473
	कुल	1,815	15,133	627	4,608	3,695	14,852	987	4,786	2,522	14,371	1,296	4,521

* 04-05 और 05-06 के अंतर्गत दर्शाए गए आंकड़े क्रमशः जनवरी–दिसम्बर, 2004 और 2005 के हैं।

मामले : वे मामले हैं जो क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (के) या सहायक श्रमायुक्तों (के) द्वारा कराई गई संराधन प्रक्रिया के असफल होने पर न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत सी जी आई टी – सह – श्रम न्यायालयों को भेजे जाते हैं।

आवेदन : वे आवेदन हैं जो कामगारों द्वारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33–क और 33–ग के अंतर्गत सी जी आई टी – सह – श्रम न्यायालयों के समक्ष सीधे दायर किए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों (केन्द्रीय क्षेत्र) में दिसम्बर, 07 तक वर्षवार लंबित/निपटाये गए मामले

क्रम सं.	सी जी आई टी	2007–2008			
		मामले		आवेदन	
		वर्ष के दौरान निपटाए गए	वर्ष के अंत में लम्बित	वर्ष के दौरान निपटाए गए	वर्ष के अंत में लम्बित
1	2	3	4	5	6
1.	मुम्बई–I	14	228	14	37
2.	मुम्बई–II	55	420	101	525
3.	धनबाद–I*	4	1,792	0	363
4.	धनबाद–II**	5	994	0	64
5.	आसनसोल	37	660	4	65
6.	कोलकाता**	13	291	0	102
7.	चंडीगढ़–I#	43	868	22	102
8.	नई दिल्ली–I	36	538	10	468
9.	कानपुर	52	553	15	150
10.	जबलपुर	77	1,453	104	387
11.	चेन्नई	68	307	1	37
12.	बंगलोर	84	365	13	77
13.	हैदराबाद	39	955	5	198
14.	नागपुर**	39	904	0	21
15.	भुवनेश्वर^^	10	402	1	136
16.	लखनऊ	70	374	12	29

1	2	3	4	5	6
17.	जयपुर**	0	270	0	0
18.	नई दिल्ली–II	146	253	18	75
19.	गुवाहाटी	17	28	0	7
20.	एर्नाकुलम	87	192	42	27
21.	अहमदाबाद**	10	2,014	11	1,583
22.	चंडीगढ़–II^	104	877	5	135
	कुल	1,010	14,738	378	4,588

* नवम्बर, 07 तक ** सितम्बर, 07 तक # जुलाई, 07 तक
^^ अप्रैल, 07 तक ^ अक्टूबर, 07 तक

मामले : वे मामले हैं जो क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (के) या सहायक श्रमायुक्तों (के) द्वारा करायी गई संराधन प्रक्रिया के असफल होने पर न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत सी जी आई टी – सह – श्रम न्यायालयों को भेजे जाते हैं।

आवेदन : वे आवेदन हैं जो कामगारों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33–क और 33–ग के अंतर्गत सी जी आई टी – सह – श्रम न्यायालयों के समक्ष सीधे दायर किए जाते हैं।

कृषि क्षेत्र को विश्व बैंक से सहायता

***252. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री वी. के. दुग्गर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्र को विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र को उपर्युक्त सहायता का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक सहायता का कम उपयोग किए जाने की कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र के लिये विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग और मूल्यांकन एक नियमित प्रक्रिया है। कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जहां चालू सभी तीन पनधारा परियोजनाओं के तहत उपयोग सन्तोषजनक रहा है, वहीं वितरण एवं क्रियान्वयन की धीमी गति के कारण असम कृषि प्रतिस्पर्द्धा परियोजना के तहत उपयोग केवल साधारण स्तर पर संतोषजनक पाया गया है। राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना भी निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रही है। वितरण एवं क्रियान्वयन की धीमी गति के कारणों का समाधान किया जा रहा है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कृषि क्षेत्र की परियोजनाएं

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	एलएन/ सीआर सं.	हस्ताक्षर की तारीख	से लागू	आखिरी तारीख	परियोजना लागत	एलएन/ सीआर राशि	जन. 08 तक संचयी वितरण#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम कृषि प्रतिस्पर्द्धा परियोजना	असम	4013 आईएन	14.1.2005	24.2.2005	31.3.2010	214.25	154	28.411
2.	उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत पनधारा विकास परियोजना	उत्तराखंड	3907 आईएन	30.07.2004	10.9.2004	31.3.2012	89.35	69.62	17.254
3.	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना	कर्नाटक	3528 आईएन	26.7.2001	10.9.2001	31.3.2008	107.6	*80.4	55.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयी पनधारा विकास परियोजना	हिमाचल प्रदेश	4133 आईएन	19.1.2006	24.2.2006	31.3.2013	75	60	15.818
5.	राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना	केन्द्रीय	4161 आईएन 4162 आईएन	24.7.2006	18.9.2006	31.12.2012	250	200	21.089

आंकड़े सी ए ए एण्ड ए के कार्यालय से लिये गए हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई के लिए पानी की कमी

***253. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ा है और कितनी कमी पाई गई है; और

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) पूरे देश के लिए पिछले तीन वर्षों 2005–2006 और 2007 के दौरान दीर्घावधिक औसत का क्रमश 99 %, ९९% और 105% मानसूनी वर्षा देखी गई। तथापि, (क) 2005 के दौरान झारखंड, बिहार, असम एवं मेघालय और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा (ख) 2006 के दौरान अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु एवं पांडिचेरी और (ग) 2007 के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ़ एवं दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश में कम वर्षा देखी गई। तथापि, पूरे देश के लिए वर्ष 2005, 2006 और 2007 की मानसून अवधि के अंत तक 81 मानीटर किए गए जलाशयों में समग्र सक्रिय भंडारण पिछले 10 वर्षों के औसत का क्रमशः 115 %, 129% और 119% था।

उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कई उपाय प्रारंभ किए गए हैं जिनमें भंडारणों का सृजन, जल निकायों का पुनरूद्धान, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा बेहतर प्रबंधन विधियों का अपनाया जाना आदि शामिल हैं। अब तक लगभग 225 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। मौजूदा आकलन के अनुसार विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल अनुमानित भंडारण क्षमता लगभग 64 बीसीएम है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने अन्वेषण और आयोजना के लिए विभिन्न अन्य स्कीमों की पहचान की है और ऐसी स्कीमों का अनुमानित भंडारण लगभग 108 बीसीएम है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई स्कीमों (सतही और भूजल दोनों) की संकल्पना, आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार भी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी अवयवन) कार्यक्रम; कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता/अनुदान प्रदान करती है। भारत सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है जिसमें दो घटक अर्थात (i) प्रायद्वीपीय नदी विकास और (ii) हिमालयी नदी विकास शामिल हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का हस्तातरण करने के लिए नहर प्रणालियों को परस्पर जोड़ने सहित विभिन्न नदी प्रणालियों पर भंडारणों का निर्माण करने की योजना है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज और मोबाईल टावर

***254. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में अब तक स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों तथा मोबाइल टावरों की संख्या तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2008–09 के दौरान कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने तथा विद्यमान एक्सचेंजों की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) बीएसएनएल ने विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2005–06, 2006–07, 2007–08 में 30/01/2008 तक) के दौरान अपने नेटवर्क में 5,00,996 लाइनों की क्षमता सहित 546 टेलीफोन एक्सचेंज और 22,368 मोबाइल टावर संस्थापित किए हैं। जबकि एमटीएनएल ने इसी अवधि के दौरान अपने नेटवर्क में 1,27,500 लाईनों की क्षमता सहित 28 टेलीफोन एक्सचेंज और 975 मोबाइल टावर संस्थापित किए हैं। बीएसएनएल/एमटीएनएल के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध द्वारा देश में जिन मोबाइल टावरों की अनुमति दी गई है उनकी राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण–IV में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, हां। बीएसएनएल और एमटीएनएल का 2008–09 के दौरान अपने–अपने नेटवर्क में 92 और 24 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। चूंकि बीएसएनएल के मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है अतः इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एमटीएनएल का 2008–09 में अपने मौजूदा एक्सचेंजो की संस्थापित क्षमता में 1, 54, 000 लाइनों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। सर्किलवार एक्सचेंज क्षमता और कार्यरत कनेक्शनों का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों (2005–06, 2006–07, 2007–08 में 31.1.08 तक) के दौरान संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों और मोबाइल टावरों की सर्किल वार सूची

क्रम सं.	सर्किल का नाम	संस्थापित नए एक्सचेंजों की संख्या	संस्थापित क्षमता	संस्थापित मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3	4	5
1	अंडमान और निकोबार	2	282	68
2	आंध्र प्रदेश	8	16976	1051
3	असम	14	3824	521
4	बिहार	59	27176	507
5	छत्तीसगढ़	5	1472	592
6	गुजरात	8	5306	1509
7	हरियाणा	18	18128	792
8	हिमाचल प्रदेश	5	1480	387
9	जम्मू–कश्मीर	8	2020	403
10	झारखंड	43	34440	354
11	कर्नाटक	29	38952	909
12	केरल	27	37000	1306
13	मध्य प्रदेश	12	5866	969
14	महाराष्ट्र	27	43728	2213
15	पूर्वोत्तर–I	5	2320	260
16	पूर्वोत्तर–II	16	6736	212
17	उड़ीसा	25	11956	743
18	पंजाब	20	9216	1045
19	राजस्थान	16	9544	1678
20	तमिलनाडु	64	79116	1328
21	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9	3064	2111
22	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2	2336	1111
23	उत्तरांचल	5	1524	325
24	प. बंगाल	21	13128	730
25	कोलकाता	82	93220	568
26	चेन्नै	16	32186	676
	कुल बीएसएनएल	546	500996	22368
27	दिल्ली	5	23500	597
28	मुंबई	23	104000	378
	कुल एमटीएनएल	28	127500	975

विवरण-II

वर्ष 2008–09 के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्रम सं.	सर्किल का नाम	प्रस्तावित नए एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	11
2	छत्तीसगढ़	8
3	हरियाणा	2

1	2	3
4	जम्मू–कश्मीर	5
5	कर्नाटक	15
6	मध्य प्रदेश	2
7	पूर्वोत्तर–I	7
8	पूर्वोत्तर–II	1
9	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	24
10	उत्तरांचल	9
11	चेन्नै	8
	कुल बीएसएनएल	92
12	दिल्ली	14
13	मुंबई	10
	कुल एमटीएनएल	24

विवरण-III

सर्किल–वार एक्सचेंज क्षमता और कार्यरत कनेक्शनों का ब्यौरा

क्रम सं.	सर्किल	कुल क्षमता	कुल कनेक्शन
1	2	3	4
1	अंडमान और निकोबार	60096	25158
2	आंध्र प्रदेश	3890032	2495739
3	असम	714684	433488
4	बिहार	1339816	965447
5	छत्तीसगढ़	429659	257268
6	गुजरात	3632182	2147111
7	हरियाणा	1522200	908859
8	हिमाचल प्रदेश	642682	419851
9	जम्मू–कश्मीर	417056	261984
10	झारखंड	650721	443400
11	कर्नाटक	3374233	2334194
12	केरल	4269075	3586236
13	मध्य प्रदेश	1652330	1203672
14	महाराष्ट्र	5138608	3481345
15	पूर्वोत्तर–I	282800	207365
16	पूर्वोत्तर–II	211264	129385
17	उड़ीसा	968420	764941
18	पंजाब	2725017	1451696
19	राजस्थान	2266070	1564375
20	तमिलनाडु	3511038	2363584
21	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2311572	1451165
22	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1727874	937532
23	उत्तरांचल	498524	325396
24	प. बंगाल	1704895	1126103
25	कोलकाता	1664671	1328096
26	चेन्नै	1313833	993920
	कुल बीएसएनएल	46919352	31607310
27	दिल्ली	2780129	1575597
28	मुंबई	2766872	2134713
	कुल एमटीएनएल	5547001	3710310

विवरण-IV

बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध द्वारा अनुमति दिए गए मोबाइल टावरों का राज्य–वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	31.12.2007 की स्थिति के अनुसार बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध द्वारा अनुमति दिए गए टावरों की कुल संख्या
1	2	3
1.	राजस्थान	11,100
2.	गुजरात	12,580
3.	महाराष्ट्र और गोवा, दमन और दीव	19,040

1	2	3
4.	कर्नाटक	10,729
5.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	8,293
6.	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15,378
7.	असम और अरुणाचल प्रदेश	3025
8.	दिल्ली और हरियाणा	12,813
9.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	21,460
10.	आंध्र प्रदेश	11,233
11.	पंजाब और हिमाचल प्रदेश	12,032
12.	तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	15,230
13.	बिहार और झारखंड	6,239
14.	मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	1,420
15.	केरल और लक्षद्वीप	8,565
16.	जम्मू–कश्मीर	1,944
	मोबाइल टावरों की कुल संख्या	1,71,081

[अनुवाद]

आयुध निर्माणियों द्वारा विदेशी सहयोग लिया जाना

***255. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुध निर्माणियां विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग करने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आयुध निर्माणी बोर्ड से भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के सहयोग से 155 मि. मी. (बोफोर्स) तथा 105 मि. मी. आर्टिलरी तोपों का उन्नयन कार्य शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) आयुध निर्माणियों ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए अपेक्षित उत्पादों का विकास करने के लिए निम्नलिखित उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौते किए हैं :–

(i) ओरलिकन कन्ट्रेवैव्स स्विटजरलैंड

(ii) बी ए ई एस डब्ल्यू एस रक्षा, स्वीडन

(iii) फ्लावर डिफेंस, यू एस ए

(iv) इजराइल मिलिस्टरी इन्डस्ट्रीज, इजराइल

(ग) आयुध निर्माणियों ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के साथ 155 मि. मी. की बोफोर्स तोप के उन्नयित रूपांतर का पहले ही विकास कर लिया। आयुध निर्माणियों ने टाटा पावर के साथ 105 मि. मी. आर्टिलरी तोप के वाहन माउंटेड रूपांतर का भी विकास किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग में मंदी

***256. श्री संजय धोत्रे :**
श्री श्रीचन्द्र कृपलानी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय हथकरघा, विद्युतकर्घा तथा वस्त्र संबंधी अन्य अधिकांश उद्योगों को अत्यधिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या केन्द्र सरकार ने देश में इन उद्योगों की स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योगवार ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा देश्या में इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन उद्योगों के विकास तथा इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए उद्योग–वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा उपयोग में लाई गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विवरण–I में प्रदर्शित हथकरघा एवं विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन और स्पन यार्न, मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और फैब्रिक्स के विनिर्माण में सम्पूर्ण रूप से वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वस्त्र उद्योग की वृद्धि के लिए तैयार की गई कार्य योजना में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है :

* अपैरल और परिधान;
* फाइबर की उपलब्धता;
* जनशक्ति विकास;
* वस्त्र मशीनरी; और
* तकनीकी वस्त्र;

चल रही योजनाओं के अतिरिक्त दो प्रमुख योजनाएं अर्थात् प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना और एकीकृत वस्त्र पार्क योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का अनुमोदन दे दिया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नई पहलों से वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इनमें बाजार विकास एवं उत्पाद विविधीकरण योजना, "नेबरहुड अपैरल एंड टेक्सटाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर जॉब एसुरेन्स (नतीजा)" के रूप में ज्ञात जनशक्ति विकास योजना, निवेश क्षेत्र सृजन करने का प्रस्ताव तथा तकनीकी वस्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शामिल है। 2008–09 के बजट में पैमाने की मितव्यता सुनिश्चित करने तथा इन क्षेत्रों में जोर देने के लिए देश में हथकरघा, विद्युतकरघा एवं हस्तशिल्प उप–क्षेत्रों में 6 मेगा–समूहों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है।

(ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्ष–वार क्षेत्रवार निधि आबंटन एवं वास्तविक व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

(मि. कि.ग्रा. में)

माह/वर्ष	यार्न का उत्पादन			
			100%	
	सूती	मिश्रित	गैर–सूती	सकल योग
1999–00	2203.70	620.77	221.10	3015.57
2000–01	2266.87	645.80	247.55	3160.22
2001–02	2211.88	609.03	280.15	3101.06
2002–03	2177.16	584.61	319.61	3081.37
2003–04	2120.71	589.33	341.76	3051.80
2004–05	2272.26	584.97	366.29	3223.52
2005–06	2520.87	588.11	349.31	3458.29
2006–07 (अ.)	2823.59	635.10	354.60	3813.39
2007–08 (पू.)	2617 67	604.41	338.33	3560.41

अ = अनन्तिम पू = पूर्वानुमानित

माह	विस्कोस फिलामेन्ट यार्न	पालिस्टर फिलामेन्ट यार्न	नाइलॉन फिलामेन्ट यार्न	पाली प्रापीलीन फिलामेंट यार्न	योग
1999–00	49.48	801.02	26.05	17.21	893.76
2000–01	55.26	819.70	26.27	18.49	919.72
2001–02	48.35	866.16	27.83	19.84	962.18
2002–03	50.80	995.37	29.73	24.41	1100.31
2003–04	53.17	1013.00	30.99	20.82	1117.98
2004–05	53.56	1003.63	36.41	16.30	1108.90
2005–06	53.09	1075.82	35.84	13.58	1179.33
2006–07 (अ.)	53.98	1270.83	32.25	13.41	1370.48
2007–08 (पू.)	46.63	1223.57	28.13	9.84	1308.17

अ = अनन्तिम पू = पूर्वानुमानित

विभिन्न क्षेत्रों में फैब्रिक्स का उत्पादन

(मि. वर्ग मी. में)

अवधि	मिल क्षेत्र	विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र	विकेन्द्रीकृत हौजरी क्षेत्र	हथकरघा क्षेत्र	योग
1999–00	1714	23187	6374	7352	38627
2000–01	1670	23803	6696	7506	39675
2001–02	1546	25192	7067	7585	41390
2002–03	1496	25954	7881	5980	41311
2003–04	1434	26947	7847	5493	41721
2004–05	1526	28325	9112	5722	44685
2005–06	1656	30626	10418	6108	48808
2006–07 (अ.)	1746	32879	11504	6536	52665
2007–08 (पू.)	1744	35304	12645	7074	56767

अ = अनन्तिम पू = पूर्वानुमानित

हथकरघा और विद्युतकरघा उप–क्षेत्रों में कपड़ा उत्पादन

(मि. व.मी. में)

क्षेत्र	2004–05	2005–06	2006–07	अप्रैल–जनवरी (अनन्तिम)	
हथकरघा	5722	6108	6536	5377	5797
	28325	30626	32879	27406	28337

विवरण-II

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिव्यय और व्यय (प्रगामी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	क्षेत्र/योजना	10वीं योजना परिव्यय (अनुमोदित)	कुल व्यय (02.02.07 तक)	वार्षिक योजना 2002–03		वार्षिक योजना 2003–04		वार्षिक योजना 2004–05		वार्षिक योजना 2005–06			वार्षिक योजना 2006–07		
				बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक रिलीज	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक रिलीज (02-02-07 तक)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग														
1	हथकरघा	625.00	730.33	140.00	130.66	156.77	128.96	154.56	152.40	156.00	205.54	192.88	185.00	221.45	125.58
2	विद्युतकरघा	60.00	22.73	12.00	4.52	14.00	8.26	12.28	4.01	8.00	7.50	5.52	8.00	6.00	0.47
3	रेशम उत्पादन	450.00	311.94	87.50	90.59	92.68	89.68	102.46	102.66	110.00	136.42	131.41	142.00	132.37	97.60
4	हस्तशिल्प	425.00	340.96	88.00	64.98	105.55	63.73	103.00	78.68	105.00	105.00	97.24	110.00	104.65	38.32
5	ऊन तथा ऊनी वस्त्र	40.00	25.13	8.00	6.29	13.00	10.00	12.00	0.00	5.00	5.00	6.09	5.00	10.25	3.75
	उप योग (क)	1600.00	1632.19	335.50	297.04	380.00	300.53	384.30	337.76	384.00	459.56	433.14	450.00	474.72	263.72
ख.	उद्योग एवं खनिज														
6	निफ्ट	30.00	97.73	8.00	13.73	18.00	23.00	32.71	25.00	12.78	25.00	25.00	11.00	16.00	11.00
7	एन टी सी	1.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01				
8	बी आई सी	1.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01				
9	एन जे एम सी	1.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01				
10	एन जी जे डी	30.00	27.15	6.00	5.33	7.00	6.95	7.00	7.48	7.00	7.40	7.40			
11	जे एस डी सी	5.00	11.00	2.00	2.00	2.00	0.73	0.70	0.70	0.74	1.35	1.35	9.00	9.00	6.30
12	टी आर ए एस सहित आर एंड डी	50.00	12.34	10.00	7.71	10.00	2.56	2.00	0.92	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	
13	निर्यात संवर्धन अध्ययन	5.00	1.91	2.00	0.75	2.00	0.62	1.00	0.17	0.50	1.00	0.37	1.00	1.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	सी टी एस	150.00	155.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	80.00	70.00	40.00	100.00	50.00	25.00
15	सचि. आर्थिक सेवाएं	5.00	1.90	1.00	0.30	1.00	0.49	1.00	0.32	1.05	0.90	0.61	1.00	0.80	0.25
16	अपैरल पार्क (एन) के लिए एकीकृत स्कीम		118.37								60.00	27.58	209.00	190.00	90.69
	अपैरल पार्क	75.00	71.36	14.50	0.00	25.00	10.14	30.00	22.00	100.00	50.00	39.42			
17	अवसंरचनात्मक विकास योजनाएं	75.00	39.99	15.00	0.00	22.00	10.93	30.00	10.00	100.00	50.00	39.06			
18	स्वैच्छिक सेवा	150.00	42.75	30.00	42.75										
19	निर्यात विपणन सहायता योजना (एन)	9.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.01				
20	तकनीकी वस्त्र (एन)	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01				
21	एस जेडी एफ (पटसन प्रौद्योगिकी मिशन सहित)	40.00	3.04	7.97	0.00	7.97	0.64	5.00	1.00	11.83	6.37	1.40	12.50	12.50	
22	टी यू एफ एस	1270.00	2019.30	250.00	202.59	250.00	248.97	340.00	283.61	450.00	450.53	485.00	550.00	894.48	799.13
23	ओ ओ/टी एक्स सी			0.00	0.16*										
24	वस्त्र प्रबंधन संस्थान, कोयम्बटूर		9.00	0.00	0.09	3.00	3.00	3.25	0.91	1.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00
	उप योग (ख)	1900.00	2641.37	379.50	305.41	380.00	338.13	493.70	392.11	786.00	725.65	670.34	899.50	1179.72	935.38
	सकल योग (क + ख)	3500.00	4273.56	715.00	602.45	760.00@	638.66	878.00$	729.87	1150.00	1185.21	1103.48	1349.48	1654.50	1199.10

एन : नई योजनाएं

*2002-03 (संशोधन अनुमान में प्रावधान किया गया।)

@ जम्मू तथा कश्मीर पैकेज के लिए अतिरिक्त 45 करोड़ रु. शामिल

$ जम्मू तथा कश्मीर के लिए 13 करोड़ रु. और पी एम पैकेज के तहत योजनाओं के लिए 29.85 करोड़ रु. शामिल।

पी ए ओ से वास्तविक रिलीज के आधार पर

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों को किराए पर लिया जाना

***257. डा. धीरेंद्र अग्रवाल** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) द्वारा किराए पर लिए गए निजी गोदामों की संख्या और उनकी भंडारण क्षमता कितनी है और इनके लिए कितने किराए का भुगतान किया गया;

(ख) क्या सरकार ने इन गोदामों को किराए पर लेने के समय किराए में कमी सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2008–09 के दौरान कितनी भंडारण क्षमता किराए पर लिए जाने की संभावना है तथा इसके लिए कितने किराए का भुगतान किया जाएगा?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी पार्टियों से सीधे किराए पर लिए गोदामों की संख्या व उनकी भंडारण क्षमता और दिए गए किराए का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	गोदामों की संख्या	क्षमता (लाख टन में)	दिया गया किराया (करोड़ रुपए में)
2004–05	124	14.13	12.05
2005–06	91	8.83	9.54
2006–07	88	6.77	7.02 (अनंतिम)
2007–08 (31.1.2008 की स्थिति के अनुसार)	76	6.58	7.25 (संशोधित अनुमान)

(ख) और (ग) जी, हां। निजी गोदामों के किराये में कमी लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं–

(i) निजी गोदामों को किराए पर लेने की शक्तियां कार्यकारी निदेशकों (अंचल) /महा प्रबंधकों (क्षेत्रों) से वापस ले ली गई हैं और अब इन गोदामों को किराए पर लेने के लिए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अनुमोदन लेना आवश्यक है।

(ii) निजी गोदामों को किराए पर लेने की आवश्यकता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। केवल उन्हीं क्षेत्रों में गोदाम किराए पर लिए जाते हैं जहां केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के गोदाम उपलब्ध नहीं हैं।

(iii) गोदामों को न्यूनतम आवश्यक अवधि के लिए लिया जाता है।

(iv) गोदामों को लेने के पूर्व उसके लिए दी जाने वाली लागत की विस्तार से जांच की जाती है।

(v) रेल शीर्षों या राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के निकट गोदामों को किराए पर लेने का प्रयास किया जाता है ताकि ढुलाई की लागत का न्यूनतम किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार 69% भंडारण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और आगे अधिक गोदामों को किराए पर लेना खरीद और उठान के रूझान पर निर्भर करेगा। केवल अति आवश्यक होने पर ही भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से निजी गोदामों को किराये पर लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा

***258. श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे निर्यात उद्योगों से, जिन पर बाल श्रमिकों को नियोजित किए जाने के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बाल श्रम समाप्त करने के उद्देश्य से उनकी सामाजिक लेखा परीक्षा करने हेतु एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी लेखा परीक्षा कब तक कराए जाने की संभावना है; और

(ग) उद्योगों, विशेष रूप से निर्यातोन्मुख उद्योगों से बाल श्रम का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए इस समय लागू विनियम क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) जबकि निर्यातोन्मुख उद्योगों में सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, ऐसे उद्योगों से बाल श्रम हटाने को ध्यान में रखते हुए, प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम की रोकथाम हेतु विद्यमान कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार देश के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम चला रही है, जिनमें

निर्यातोन्मुख उद्योगों में बाल श्रम की बहुलता वाले जिले भी शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में डाला जाता है, जहां उन्हें त्वरित ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रवृति, पोषणाहार और स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं इत्यादि प्रदान की जाती हैं। इसके साथ–साथ, विभिन्न, निर्यात संवर्धन परिषदों से एक कार्य योजना के हिस्से के रूप में अपने सदस्य–उद्योगों में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान चलाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में संशोधन

***259. श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने हाल ही में केन्द्र सरकार के पास केन्द्र के आंकड़ों में विद्यमान गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों की संशोधित सूची भेजी है और संशोधित सूची के अनुसार और अधिक खाद्यान्न तथा मिट्ठी का तेल आबटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश के प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु कितना खाद्यान्न और मिट्टी का तेल आबंटित किया गया है;

(घ) क्या कुछ राज्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन–यापन करने वाले परिवारों के लिए आबटित खाद्यान्न और मिट्टी का तेल उठाने में असफल रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीद, उनका भंडारण, परिवहन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार केवल भोजन पकाने और रोशनी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तिमाही आधार पर राजसहायता प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी के तेल का आवंटन करती है।

योजना आयोग द्वारा अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संबंधित संख्या के भीतर पात्र गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न आवंटित करना और आवंटित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों और मिट्टी के तेल का उचित दर दुकानों/मिट्टी के तेल के डीलरों के जरिए उचित वितरण करना राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। राज्यवार परिवारों की संख्या, भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य गरीबी रेखा से नीचे परिवार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा जारी किए गए वास्तविक राशन कार्डों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

विवरण यह दर्शाता है कि 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य सीमा के भीतर राशन कार्ड जारी किए हैं और 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के आवंटन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा से अधिक राशन कार्ड जारी किए हैं। अनेक राज्यों ने उनके द्वारा जारी किए गए गरीबी रेखा से नीचे के अधिक कार्डों के आधार पर उनके राज्य को किए जाने वाले खाद्यान्नों के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के अधिक आवंटन हेतु अनुरोध करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

पूर्व में प्राप्त इस प्रकार के अनुरोधों को योजना आयोग को भेज दिया गया है। तथापि, योजना आयोग ने सूचित किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या पुनः निर्धारित करते समय न केवल आबादी में वृद्धि को ध्यान में रखना होगा बल्कि निर्धनता के आंकड़ों में भी परिवर्तन होगा, अतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समर्थन को संशोधित करने का कोई औचित्य नहीं है।

इस समय, राज्यों को 1993–94 के लिए योजना आयोग के निर्धनता अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर खाद्यानों को आवंटन किया जा रहा है। मार्च, 2007 में योजना आयोग द्वारा जारी किए गए निर्धनता अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की प्रतिशतता में कमी आई

है। यह 1993–94 के 36% से कम होकर 27.5% हो गई है। भारत सरकार 1993–94 के निर्धनता अनुमानों और मार्च 2000 की आबादी के आधार पर ही आवंटन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2004–05 के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है, इसमें उस वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त आवंटन शामिल है। वर्ष 2007–08 के लिए आवंटनों को भी उसी स्तर पर बनाए रखा गया है।

लक्षित परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया। इसके अधीन यह प्रावधान है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित वस्तुएं (खाद्यान्न आदि) लक्षित परिवारों तक पहुंचे और कोई लीकेज/विपथन न हो।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जनवरी, 2008 तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यानों (चावल और गेहूं) के आवंटन और उठान का वितरण ब्यौरा विवरण– III से VI में दिया गया है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का उठाव आवंटन से कम हुआ। वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान आवंटित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का राज्यवार ब्यौरा और वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के उठान का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण– VII और VIII में दिया गया है।

विवरण-I

परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और जारी राशन कार्डों की राज्यवार संख्या

(29.2.08 को तैयार किया गया)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000 में अनुमानित आबादी (लाख में)	गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत	परिवार का आकार	2000 में परिवारों की संख्या (लाख में)	2000 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)	राशन कार्ड (लाख में) गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	754.66	25.68	4.77	158.21	40.63	170.43	15.58	186.01
अरुणाचल प्रदेश	11.92	40.86	4.93	2.42	0.99	0.61	0.38	0.99
असम	261.96	40.86	5.83	44.93	18.36	12.02	7.04	19.06
बिहार	731.11	54.96	6.16	118.79	65.23	40.70	24.29	64.99
छत्तीसगढ़	249.25	42.52	5.65	44.11	18.75	15.53	7.19	22.72
दिल्ली	139.64	14.69	5.02	27.82	4.09	2.90	1.50	4.40
गोवा	15.95	14.92	4.99	3.20	0.48	0.13	0.15	0.28
गुजरात	482.52	24.21	5.51	87.57	21.20	26.60	8.10	34.70
हरियाणा	196.31	25.05	6.30	31.48	7.89	5.38	2.92	8.30
हिमाचल प्रदेश	67.11	40.86	5.34	12.57	5.14	3.17	1.97	5.14
जम्मू–कश्मीर	99.45	40.86	5.52	18.02	7.36	4.80	2.56	7.36
झारखंड	268.31	54.96	6.16	43.56	23.94	14.77	9.18	23.95
कर्नाटक	520.91	33.16	5.52	94.37	31.29	59.23	12.00	71.23
केरल	322.62	25.43	5.28	61.10	15.54	14.89	5.96	20.85
मध्य प्रदेश	548.22	42.52	5.65	97.03	41.25	44.03	15.82	59.85
महाराष्ट्र	911.15	36.86	5.14	177.27	65.34	48.35	24.64	72.99
मणिपुर	25.18	40.86	5.19	4.07	1.66	1.02	0.64	1.66
मेघालय	24.34	40.86	5.42	4.49	1.83	1.13	0.70	1.83
मिजोरम	9.52	40.86	5.70	1.67	0.68	0.42	0.26	0.68
नागालैण्ड	16.84	40.86	5.57	3.02	1.24	0.77	0.47	1.24
उड़ीसा	358.57	48.56	5.28	67.91	32.98	37.59	12.65	50.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	235.36	11.77	5.92	39.76	4.68	3.49	1.79	5.28
राजस्थान	535.59	27.41	6.04	88.67	24.31	16.53	9.32	25.85
सिक्किम	5.59	41.43	5.33	1.05	0.43	0.27	0.16	0.43
तमिलनाडु*	617.74	35.03	4.45	138.82	48.63	149.65	18.65	168.30
त्रिपुरा	37.82	40.86	5.24	7.22	2.95	1.82	1.13	2.95
उत्तर प्रदेश	1626.04	40.85	6.22	261.42	106.79	65.84	40.95	106.79
उत्तराखंड	75.84	40.85	6.22	12.19	4.98	3.37	1.51	4.88
पश्चिम बंगाल	790.06	35.66	5.44	145.23	51.79	37.67	14.80	52.47
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.86	34.47	4.75	0.81	0.28	0.12	0.04	0.16
चण्डीगढ़	8.88	11.35	4.38	2.03	0.23	0.06	0.02	0.08
दादरा और नगर हवेली	1.90	50.34	5.28	0.36	0.18	0.12	0.05	0.17
दमन और दीव	1.40	15.80	5.30	0.26	0.04	0.01	0.01	0.02
लक्षद्वीप	0.71	25.04	6.23	0.11	0.03	0.02	0.012	0.03
पांडिचेरी	11.11	37.40	4.97	2.24	0.84	1.12	0.32	1.44
जोड़	9969.44	5.51	1803.78	652.03	784.56	242.76	1027.32	

1. * तमिलनाडु में गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के आधार पर कोई श्रेणीकरण नहीं है इसलिए गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के कार्डों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. अंत्योदय अन्न योजना के आंकड़े 7.1.2008 के हैं। तदनुरूप से गरीबी रेखा से नीचे के आंकड़ों को कम कर दिया गया है।

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन के लिए गरीबी रेखा से नीचे के अधिक परिवार स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अनुरोध

क्रम सं.	राज्य और अनुरोध	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (लाख)	आबंटन के लिए अनुरोध किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (लाख)
1.	बिहार, फरवरी 2008	65.23	121.00
2.	केरल, जुलाई 2007	15.54	20.22
3.	उड़ीसा, मई 2007	32.98	57.50
4.	कर्नाटक, मई 2004	31.29	63.00
5.	पश्चिम बंगाल, फरवरी, 2006	51.79	52.47
6.	दमन और दीव, नवम्बर, 2007	0.04	0.057
7.	मध्य प्रदेश, दिसम्बर 2007	41.25	60.00
8.	पंजाब, अगस्त 2007	4.68	14.00
9.	छत्तीसगढ़, सितम्बर 2007	18.75	32.90*

* गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए मुख्य मंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन 14.15 लाख अतिरिक्त परिवारों की पहचान की गई।

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2004–05 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				प्रतिशत उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	1,230.128	2,266.740	476.248	3,973.116	1,261.816	1,137.642	456.115	2,855.573	102.576	50.188	95.773	71.870
2	अरुणाचल प्रदेश	31.0680	76.680	9.816	118.176	31.610	54.709	8.661	94.980	99.779	71.347	88.233	80.370
3	असम	650.434	885.140	150.086	1,685.660	623.762	521.126	139.178	1,284.066	95.899	58.875	92.732	76.180
4	बिहार	2,219.184	2,291.520	420.000	4,930.704	809.910	10.312	382.079	1,202.301	36.496	0.450	90.971	24.380
5	छत्तीसगढ़	586.635	1,045.800	200.997	1,833.432	556.720	42.368	180.399	779.487	94.901	4.051	89.752	42.520
6	दिल्ली	155.270	996.516	16.510	1,168.296	148.735	410.117	13.984	572.836	95.791	41.155	84.700	49.030
7	गोवा	11.848	118.296	4.112	134.256	0.000	0.000	5.040	5.040	0.000	0.000	122.568	3.750
8	गुजरात	716.567	2,787.564	167.081	3,671.212	556.091	93.809	114.301	764.201	77.605	3.365	68.411	20.820
9	हरियाणा	257.040	1,014.204	71.532	1,342.776	217.587	154.641	65.097	437.325	84.651	15.248	91.004	32.570
10	हिमाचल प्रदेश	134.816	348.900	44.116	527.832	118.553	152.004	41.755	312.312	87.937	43.567	94.648	59.170
11	जम्मू – कश्मीर	243.008	447.720	66.076	756.804	235.598	292.756	43.508	571.862	96.951	65.388	65.845	75.560
12	झारखंड	801.112	216.300	204.380	1,221.792	365.914	20.607	167.666	554.187	45.676	9.527	82.036	45.360
13	कर्नाटक	987.813	2,070.600	326.463	3,384.876	972.701	848.631	300.882	2,122.214	98.470	40.985	92.164	62.700
14	केरल	487.048	1,808.940	165.560	2,461.548	493.640	264.047	156.714	914.401	101.353	14.597	94.657	37.150
15	मध्य प्रदेश	1,326.222	2,535.372	406.254	4,267.848	1,225.005	22.732	380.325	1,628.062	92.368	0.897	93.618	38.150
16	महाराष्ट्र	2,069.837	4,700.880	674.467	7,445.184	1,773.019	67.391	598.260	2,438.670	85.660	1.434	88.701	32.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	मणिपुर	44.084	47.460	11.930	103.474	29.035	18.305	8.631	55.971	65.863	38.569	72.347	54.090
18	मेघालय	60.152	45.024	16.708	121.884	60.389	21.808	16.119	98.316	100.394	48.436	96.475	80.660
19	मिजोरम	21.241	93.840	7.439	122.520	21.644	70.007	7.098	98.749	101.897	74.603	95.416	80.600
20	नागालैंड	39.529	122.040	12.551	174.120	42.787	108.915	11.922	163.624	108.242	89.245	94.988	93.970
21	उड़ीसा	1,436.088	1,155.564	260.604	2,852.256	1,141.878	132.305	240.040	1,514.223	79.513	11.449	92.109	53.090
22	पंजाब	166.416	1,473.240	30.120	1,669.776	110.983	25.348	22.766	159.097	66.690	1.721	75.584	9.530
23	राजस्थान	708.868	2,763.756	251.672	3,724.296	651.375	301.545	230.951	1,183.871	91.889	10.911	91.767	31.790
24	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.022	18.532	4.058	36.612	99.616	71.796	97.454	83.110
25	तमिलनाडु	1,608.365	3,787.980	434.011	5,830.356	1,665.081	630.638	424.791	2,720.510	103.526	16.648	97.876	46.660
26	त्रिपुरा	100.929	179.232	22.971	303.132	104.670	60.168	21.376	186.214	103.707	33.570	93.056	61.430
27	उत्तर प्रदेश	3,316.042	6,494.460	1,169.138	10,979.640	2,777.114	7.763	1,126.056	3,910.933	83.748	0.120	96.315	35.620
28	उत्तराखंड	177.120	333.552	32.052	542.724	178.697	16.772	41.620	237.089	100.890	5.028	129.851	43.690
29	पश्चिम बंगाल	1,618.945	4,089.180	391.595	6,099.720	1,259.800	924.827	260.473	2,445.100	77.816	22.616	66.516	40.090
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.430	36.360	1.800	45.590	0.887	2.023	0.000	2.910	11.938	5.564	0.000	6.380
31	चंडीगढ़	8.748	75.516	0888	85.152	0.170	0.000	0.191	0.361	1.943	0.000	21.509	0.420
32	दादरा और नगर हवेली	5.544	7.140	1.176	13.860	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33	दमन और दीव	1.428	9.420	0.252	11.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34	लक्षद्वीप	0.372	3.708	0.168	4.248	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35	पांडिचेरी	28.238	13.200	6.874	48.312	2.620	0.085	1.235	3.940	9.278	0.644	17.966	8.160
	जोड़	21,272.257	44,367.656	6,059.811	71,699.724	17,451.813	6,431.933	5,471.291	29,355.037	82.040	14.497	90.288	40.942

विवरण-IV

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2005–06 (अ) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				प्रतिशत उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	असम	1086.129	2266.740	620.247	3973.116	1101.870	1507.070	608.560	3217.500	101.449	66.486	98.116	80.980
2	अरुणाचल प्रदेश	28.560	69.750	12.936	111.246	25.520	43.250	12.400	81.170	89.356	62.007	95.857	72.960
3	असम	625.416	955.140	175.104	1755.660	595.480	444.580	181.090	1221.150	95.213	46.546	103.419	69.560
4	बिहार	2166.651	2291.520	472.533	4930.704	672.010	25.550	421.060	1118.620	31.016	1.115	89.107	22.690
5	छत्तीसगढ़	532.812	1045.800	254.820	1833.432	536.803	52.250	229.189	818.242	100.749	4.996	89.942	44.630
6	दिल्ली	148.464	996.516	23.316	1168.296	145.190	302.610	22.150	469.950	97.795	30.367	94.999	40.230
7	गोवा	10.221	118.296	5.739	134.256	3.804	6.103	2.447	12.354	37.217	5.159	42.638	9.200
8	गुजरात	618.063	2787.564	258.785	3664.412	471.110	178.290	192.340	841.740	76.224	6.396	74.324	22.970
9	हरियाणा	242.516	1014.204	86.056	1342.776	195.250	18.070	76.890	290.210	80.510	1.782	89.349	21.610
10	हिमाचल प्रदेश	116.648	348.900	62.284	527.832	95.560	179.070	55.600	330.230	81.922	51.324	89.269	62.560
11	जम्मू – कश्मीर	220.335	447.720	88.749	756.804	225.770	346.960	73.090	645.820	102.467	77.495	82.356	85.340
12	झारखंड	700.224	216.300	305.268	1221.792	380.910	21.160	282.630	684.700	54.398	9.783	92.584	56.040
13	कर्नाटक	876.317	2035.014	407.752	3319.083	875.690	877.570	378.350	2131.610	99.928	43.124	92.789	64.220
14	केरल	445.560	1808.940	207.088	2461.588	436.973	323.932	200.722	961.627	98.073	17.907	96.926	39.070
15	मध्य प्रदेश	1195.315	2535.372	534.141	4264.828	1217.046	153.020	509.580	1879.646	101.818	6.035	95.402	44.070
16	महाराष्ट्र	1914.468	4700.880	829.836	7445.184	1647.210	127.480	736.410	2511.100	86.040	2.712	88.742	33.730
17	मणिपुर	37.780	47.460	21.864	107.104	33.930	14.890	13.960	62.780	89.809	31.374	63.849	58.620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	मेघालय	53.568	45.024	23.292	121.884	54.700	22.610	22.720	100.030	102.113	50.218	97.544	82.070
19	मिजोरम	18.279	72.020	10.401	100.700	17.650	55.890	10.010	83.550	96.559	77.603	96.241	82.970
20	नागालैंड	35.817	102.400	16.263	154.480	35.610	94.660	16.440	146.710	99.422	92.441	101.088	94.970
21	उड़ीसा	1261.907	1155.564	434.785	2852.256	797.408	109.770	450.493	1357.671	63.191	9.499	103.613	47.600
22	पंजाब	164.067	1473.240	32.469	1669.776	71.110	8.840	18.240	98.190	43.342	0.600	56.177	5.880
23	राजस्थान	593.382	2763.756	340.018	3697.156	469.570	204.170	300.570	974.310	79.135	7.387	88.398	26.350
24	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.050	24.040	4.320	42.410	99.815	93.13[illegible]	103.746	96.270
25	तमिलनाडु	1397.697	3787.980	644.679	5830.356	1391.600	1683.797	657.630	3713.027	99.564	43.923	102.009	63.680
26	त्रिपुरा	95.364	179.232	28.536	303.132	92.770	36.960	28.530	158.260	97.280	37.359	99.979	62.100
27	उत्तर प्रदेश	2945.106	6494.460	1539.686	10979.252	2560.263	40.166	1438.289	4038.718	86.933	0.618	93.414	36.790
28	उत्तराखंड	162.413	333.552	46.759	542.724	166.282	53.316	34.815	254.213	102.382	15.984	74.029	46.840
29	पश्चिम बंगाल	1447.969	4089.180	562.571	6099.720	1294.459	1029.410	454.300	2778.169	89.398	25.174	80.754	45.550
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.428	36.380	1.800	45.588	1.810	15.790	0.530	18.130	24.367	43.427	29.444	39.770
31	चंडीगढ़	6.748	75.516	0.888	85.152	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32	दादरा और नगर हवेली	5.192	7.140	1.528	13.860	1.670	0.890	0.720	3.280	32.165	12.465	47.120	23.670
33	दमन और दीव	1.236	9.420	0.444	11.100	0.440	0.150	0.220	0.810	35.599	1.592	49.550	7.300
34	लक्षद्वीप	0.372	3.360	0.168	3.900	0.470	2.980	0.330	3.780	126.344	88.690	196.429	96.920
35	पांडिचेरी	22.862	13.200	12.250	48.312	12.530	5.200	7.910	25.640	54.807	39.394	64.571	53.070
	जोड़	19200.962	44353.332	8067.219	71621.513	15642.518	8020.494	7442.395	31105.347	81.467	18.083	92.254	43.430

विवरण-V

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2006–07(अ) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				प्रतिशत उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	1,052.088	2,194.220	654.288	3900.596	1054.631	1497.672	656.771	3209.074	100.242	68.255	100.38	82.27
2	अरुणाचल प्रदेश	25.524	62.148	15.972	103.644	16.264	35.045	9.069	60.378	63.720	56.390	56.781	58.26
3	असम	476.700	943.830	294.216	1714.746	479.337	760.534	272.045	1511.916	100.55	80.580	92.464	88.17
4	बिहार	2,019.013	1307.240	662.091	3988.344	448.589	9.257	566.332	1024.178	22.218	0.708	85.537	25.68
5	छत्तीसगढ़	483.688	821.390	295.250	1600.328	521.047	33.377	313.059	867.483	107.72	4.063	106.032	54.21
6	दिल्ली	146.464	664.676	23.316	836.456	146.481	378.265	22.864	547.630	98.664	56.910	98.147	65.47
7	गोवा	5.460	91.190	6.108	102.758	4.400	18.670	3.940	27.010	80.586	20.474	64.506	26.29
8	गुजरात	540.630	1,444.404	310.848	2295.882	493.911	108.286	259.993	862.190	91.358	7.497	83.640	37.55
9	हरियाणा	221.151	499.540	109.394	830.085	202.689	4.739	102.921	310.349	91.652	0.949	94.083	37.39
10	हिमाचल प्रदेश	46.831	319.400	76.806	443.037	45.312	247.940	77.244	370.496	96.756	77.627	100.570	83.63
11	जम्मू – कश्मीर	205.077	482.720	104.007	791.804	209.473	351.349	98.433	659.255	102.14	72.785	94.641	83.26
12	झारखंड	700.224	189.960	305.268	1195.472	427.972	13.912	299.266	741.150	61.119	7.323	98.034	62.00
13	कर्नाटक	768.116	1,594.222	491.350	2853.688	768.531	851.320	465.2	2085.051	100.05	53.400	94.678	73.07
14	केरल	404.277	1,604.460	248.331	2257.068	401.026	375.769	249.313	1026.108	99.196	23.420	100.4	45.46
15	मध्य प्रदेश	1,064.538	1,041.946	650.160	2756.644	1049.59	136.652	603.987	1790.229	98.596	13.115	92.898	64.94
16	महाराष्ट्र	1,911.064	2,270.900	833.220	5015.204	1637.217	169.940	698.753	2505.910	85.67	7.483	83.862	49.97
17	मणिपुर	46.552	41.328	21.180	111.060	37.784	22,171	18.411	78.366	77.822	53.646	86.926	70.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	मेघालय	53.508	44.944	23.352	121.804	53.435	38.895	23.352	115.682	99.864	86.541	100.000	94.97
19	मिजोरम	17.640	43.662	10.920	72.222	17.64	40.158	11.246	69.044	100.000	91.975	102.985	95.60
20	नागालैंड	32.112	77.004	19.968	129.084	37.656	87.041	22.976	147.673	117.27	113.034	115.06	4114.40
21	उड़ीसा	1,165.976	838.990	530.716	2535.682	376.998	137.985	433.288	1248.271	58.063	16.447	81.642	49.23
22	पंजाब	138.228	672.410	58.308	868.946	62.856	53.848	33.563	150.267	45.473	8.008	57.562	17.29
23	राजस्थान	635.306	1,337.890	385.714	2358.910	516.875	160.975	348.024	1025.874	81.358	12.032	90.229	43.49
24	सिक्किम	11.766	26.447	6.474	44.687	11.766	25.948	6.474	44.188	100	98.11	100.000	98.88
25	तमिलनाडु	1,259.232	3,763.560	783.144	5805.936	1159.002	1505.038	775.366	3439.406	92.04	39.990	99.007	59.24
26	त्रिपुरा	95.364	176.858	28.536	300.758	83.159	116.723	25.458	225.340	87.202	65.998	89.214	74.92
27	उत्तर प्रदेश	2,766.663	3,842.700	1,720.01	8329.377	2481.039	325.775	1692.331	4499.145	59.676	8.478	98.391	54.02
28	उत्तराखंड	149.511	287.770	59.661	496.942	134.665	102.360	47.404	284.429	90.07	35.570	79.456	57.24
29	पश्चिम बंगाल	1,522.066	3,473.76	621.684	5617.510	1044.249	838.775	515.641	2398.665	68.607	24.146	82.943	42.7
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.040	22.070	1.800	28.910	2.640	13.670	0.820	17.130	52.381	61.939	45.556	59.25
31	चण्डीगढ़	2.512	31.806	0.888	35.206	0.210	0.000	0.070	0.280	8.360	0	7.883	0.8
32	दादरा और नगर हवेली	4.948	6.650	1.772	13.370	2.540	1.520	0.380	4.440	51.334	22.857	21.445	33.21
33	दमन और दीव	1.044	8.900	0.636	10.580	0.460	0.250	0.370	1.080	44.061	2.809	58.176	10.21
34	लक्षद्वीप	0.295	3.698	0.161	4.154	0.240	2.830	0.160	3.230	81.356	76.528	99.379	77.76
35	पांडिचेरी	21.564	50.050	13.548	85.162	9.590	1.810	7.140	18.540	44.472	3.616	52.702	21.77
	जोड़	18,004.192	30,282.763	9,369.101	57,656.056	14,239.274	8,468.499	8,661.684	31,369.457	79.089	27.965	92.449	54.408

विवरण-VI

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2007–08(अ) जनवरी, 2008 तक के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				प्रतिशत उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	876.740	1817.962	545.240	3239.942	882.081	1487.599	549.379	2919.059	100.609	81.828	100.759	90.100
2	अरुणाचल प्रदेश	21.270	52.042	13.310	86.622	13.480	32.764	8.188	54.432	63.376	62.957	61.518	62.840
3	असम	396.266	480.817	246.164	1123.247	398.032	515.759	248.142	1161.933	100.446	107.267	100.804	103.440
4	बिहार	1433.170	25.791	849.990	2308.951	616.220	7.999	719.747	1343.966	42.997	31.015	84.677	58.210
5	छत्तीसगढ़	391.740	43.096	251.620	686.456	362.819	26.426	257.844	647.089	92.617	61.319	102.474	94.270
6	दिल्ली	107.758	476.283	35.392	619.433	110.913	431.066	29.049	571.028	102.928	90.506	82.078	92.190
7	गोवा	4.550	18.212	5.090	27.852	4.528	17.490	4.132	26.150	99.516	96.036	81.179	93.890
8	गुजरात	440.640	229.623	283.400	953.663	403.607	65.974	247.272	716.853	91.596	28.731	87.252	75.170
9	हरियाणा	173.810	98.243	102.350	374.403	164.562	0.764	97.369	262.695	94.679	0.778	95.133	70.160
10	हिमाचल प्रदेश	110.950	221.602	68.950	401.502	101.964	211.544	66.089	379.597	91.901	95.461	95.851	94.540
11	जम्मू – कश्मीर	168.080	429.891	89.490	687.461	168.335	360.355	89.416	618.106	100.152	83.825	99.917	89.910
12	झारखंड	550.075	42.714	287.835	880.624	406.412	8.102	257.321	671.835	73.883	18.968	89.399	76.290
13	कर्नाटक	635.320	1145.263	419.910	2200.493	627.814	546.468	402.250	1576.532	98.819	47.716	95.794	71.640
14	केरल	335.290	433.777	208.550	977.617	335.333	400.170	208.570	944.073	100.013	92.252	100.010	96.570
15	मध्य प्रदेश	861.778	107.810	552.952	1522.540	861.721	86.022	534.879	1482.622	99.993	79.790	96.732	97.380
16	महाराष्ट्र	1397.729	154.271	849.191	2401.191	1192.084	102.994	706.807	2001.885	85.287	66.762	83.233	83.370
17	मणिपुर	39.998	31.165	18.112	89.275	38.147	27.901	16.954	83.002	95.372	89.527	93.606	92.970
18	मेघालय	39.480	51.377	24.570	115.427	37.955	45.870	23.821	107.646	96.137	89.281	96.952	93.260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	मिजोरम	14.700	46.719	9.100	70.519	14.109	43.031	8.911	66.091	95.980	92.106	97.923	93.660
20	नागालैंड	26.760	66.347	16.640	109.747	26.678	70.714	17.650	115.042	99.694	106.582	106.070	104.820
21	उड़ीसा	971.310	168.761	442.600	1582.671	814.927	119.851	359.875	1294.653	83.900	71.018	81.309	81.800
22	पंजाब	110.927	63.489	52.853	227.269	53.641	33.884	29.198	116.723	48.357	53.370	55.244	51.360
23	राजस्थान	504.610	237.030	326.240	1067.880	458.559	187.168	303.322	949.049	90.874	78.964	92.975	88.870
24	सिक्किम	9.420	23.212	5.780	38.412	9.416	24.465	5.784	39.665	99.958	105.398	100.069	103.260
25	तमिलनाडु	1049.360	2342.033	652.620	4044.013	1044.408	1355.635	653.334	3053.377	99.528	57.883	100.109	75.500
26	त्रिपुरा	65.232	113.897	38.018	217.147	68.843	98.997	33.135	200.975	105.536	86.918	87.156	92.550
27	उत्तर प्रदेश	2304.750	56.288	1432.900	3793.938	2049.442	44.945	1379.523	3473.910	88.923	79.848	96.275	91.560
28	उत्तराखंड	121.380	114.199	52.930	288.509	118.347	87.284	49.141	254.772	97.501	76.431	92.841	88.310
29	पश्चिम बंगाल	1294.650	685.460	518.070	2498.180	1110.037	631.548	440.854	2182.439	85.740	92.135	85.095	87.360
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.200	19.032	1.500	24.732	2.869	11.539	1.096	15.504	68.310	60.629	73.067	62.690
31	चण्डीगढ़	2.450	0.300	0.740	3.490	2.622	0.119	1.102	3.843	107.020	39.667	148.919	110.110
32	दादर और नगर हवेली	3.770	4.154	1.830	9.754	0.423	0.781	0.243	1.447	11.220	18.801	13.279	14.830
33	दमन और दीव	0.870	0.900	0.530	2.300	0.257	0.189	0.163	0.609	29.540	21.000	30.755	26.480
34	लक्षद्वीप	0.587	3.100	0.382	4.069	0.525	2.220	0.632	3.377	89.438	71.613	165.445	82.990
35	पांडिचेरी	17.970	25.750	11.290	55.010	9.379	2.346	6.240	17.965	52.193	9.111	55.270	32.660
	जोड़	14487.590	9830.610	8416.139	32734.339	12510.489	7089.983	7757.432	27357.904	86.353	72.121	92.173	83.576

विवरण-VII

2005–06 से 2007–08 तक के दौरान आबंटित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे

(मात्रा टन में)

राज्य	2007–08	2006–07	2005–06
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार	5816	5316	58163
आंध्र प्रदेश	517158	517158	517158
अरुणाचल प्रदेश	9257	9257	9257
असम	258007	258007	258007
बिहार	647430	647430	647430
चंडीगढ़	13067	13067	13067
छत्तीसगढ़	146938	146938	146938
दादरा और नगर हवेली	2782	2782	2782
दमन और दीव	2118	2118	2118
दिल्ली	168484	168484	168484
गोवा	19212	19212	19212
गुजरात	743759	743759	743759
हरियाणा	145619	145619	145619
हिमाचल प्रदेश	50537	50537	50537
जम्मू और कश्मीर	76044	76044	76044
झारखंड	211175	211175	211175
कर्नाटक	461478	461478	461478
केरल	216308	216308	216308
लक्षद्वीप	795	795	795
मध्य प्रदेश	488609	488609	488609
महाराष्ट्र	1276876	1276876	1276876
मणिपुर	19907	19907	19907
मेघालय	20401	20401	20401
मिजोरम	6217	6217	6217
नागालैंड	13312	13312	13312
उड़ीसा	314977	314977	314977
पांडिचेरी	12257	12257	12257
पंजाब	237192	237192	237192
राजस्थान	398913	398913	398913
सिक्किम	5582	5582	5582
तमिलनाडु	558929	558929	558929
त्रिपुरा	30832	30832	30832
उत्तर प्रदेश	1241772	1241772	1241772
उत्तराखंड	89849	89849	89849
पश्चिम बंगाल	752103	752103	752103
जोड़	9163712	9163712	9163712

विवरण-VIII

2005–06 से 2006–07 तक उठान किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे

(आंकड़े टन में)

राज्य	2006–07	2005–06
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5971*	6582*
आन्ध्र प्रदेश	524075*	509495
अरुणाचल प्रदेश	9141*	9102
असम	257937	257174
बिहार	644582	647190
चंडीगढ़	10478	11619
छत्तीसगढ़	145420	145850
दादर और नगर हवेली	2540	2646
दमन और दीव	2031	1928
दिल्ली	160786	157365
गोवा	19188*	19179

1	2	3
गुजरात	747385*	744499*
हरियाणा	145447	144513
हिमाचल प्रदेश	48936	47904
जम्मू–कश्मीर	74536	71315
झारखंड	210416	211960*
कर्नाटक	463239*	461576*
केरल	216657*	215615
लक्षद्वीप	858*	532
मध्य प्रदेश	488029	484609
महाराष्ट्र	1280062*	1272009
मणिपुर	19467	19729
मेघालय	19678	20265
मिजोरम	6215	6206
नागालैंड	13599*	13298
उड़ीसा	316043*	312171
पांडिचेरी	12253	12344*
पंजाब	236044	235267
राजस्थान	399988*	392790
सिक्किम	5589*	5559
तमिलनाडु	569629*	568456*
त्रिपुरा	30641	30514
उत्तर प्रदेश	1242373*	1241148
उत्तराखंड	93790*	86009
पश्चिम बंगाल	751894	748342
सकल जोड़	9174917	9114760

* राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो को किए गए अतिरिक्त आबंटन सहित

2007-08 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के उठान के ब्यौरे अभी प्राप्त नही हुए हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन

*260. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न वर्गों/श्रेणियों के कामगारों/श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के नियतन हेतु पालन किए जा रहे मानदंडों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या असंगठित और संगठित क्षेत्रों में नियोजित कामगारों/श्रमिकों को संबंधित विनियमों का अनुपालन न किए जाने और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण न्यूनतम मजदूरी के उनके अधिकार और अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई/मामले दर्ज किए गए और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के आधार पर केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें दर्शाने वाला विवरण । संलग्न है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु कोई मानदंड नहीं दिए गए हैं अतः 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा संस्तुत प्रतिमानकों जैसे (क) एक अर्जक हेतु 3 उपभोग इकाइयां, (ख) प्रति औसत भारतीय वयस्क 2700 कैलोरीज की न्यूनतम खाद्य आवश्यकता, (ग) प्रति परिवार प्रति वर्ष 72 यार्ड कपड़े की आवश्यकता, (घ) सरकारी औद्योगिक आवासीय योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र के अनुरूप किराया और (ङ) ईंधन, प्रकाश और व्यय की अन्य विविध मदें जो कुल न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत भाग हो तथा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 में रेप्टाकोस, ब्रेट एंड कंपनी बनाम इसके कर्मकार के मामले में दिए गए निर्णय कि बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता, त्यौहार/उत्सवों सहित न्यूनतम मनोरंजन तथा वृद्धावस्था, विवाह इत्यादि हेतु प्रावधान कुल न्यूनतम मजदूरी का पुनः 25 प्रतिशत होना चाहिए, को समुचित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का संवैधानिक रूप से भुगतान किया जाना होता है। इस अधिनियम के प्रवर्त्तन को दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में आम तौर पर केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) के रूप में पदनामित मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा इसका प्रवर्त्तन सुनिश्चित किया जाता है, राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्त्तन तंत्र के माध्यम से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। वे नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने अथवा कम भुगतान होने के किसी मामले का पता चलने पर वे नियोक्ताओं को मजदूरी का पूरा भुगतान करने की सलाह देते हैं। अनुपालन न करने पर चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ दांडिक उपबंधों को लागू किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के लिए भिन्न–भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मंजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्त्तन से संबंधित यथा उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण–II(क, ख और ग) पर हैं।

विवरण-I

भिन्न–भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कामगारों की भिन्न–भिन्न श्रेणी हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अकुशल	अर्ध–कुशल	कुशल
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	100.00	110.00	120.00
2	अरुणाचल प्रदेश	55.00	60.00	65.00
3	असम	72.99	76.32	79.70
4	बिहार	81.00	83.00	85.00
5	छत्तीसगढ़	69.00	99.59	106.02
6	गोवा	93.00	99.00	105.00
7	गुजरात	55.00	65.00	100.00
8	हरियाणा	135.00	140.00	150. 00
9	हिमाचल प्रदेश	75.00	79.50	91.00
10	झारखंड	67.72	–	–
11	जम्मू और कश्मीर	66.00	88.00	147.00
12	कर्नाटक	74.84	82.34	84.64
13	केरल	97.52	99.02	101.12
14	मध्य प्रदेश	61.37	84.30	87.96
15	महाराष्ट्र	65.00	72.92	75.33
16	मणिपुर	72.40	77.65	79.40
17	मेघालय	70.00	75.00	85.00
18	मिजोरम	103.00	115.00	143.00
19	नागालैंड	66.00	70.00	75.00
20	उड़ीसा	70.00	80.00	90.00
21	पंजाब	96.90	101.35	107.50
22	राजस्थान	73.00	77.00	81.00
23	सिक्किम	85.00	–	–
24	तमिलनाडु	66.73	90.82	93.82
25	त्रिपुरा	47.18	47.18	83.85
26	उत्तर प्रदेश	76.31	88.31	102.91
27	उत्तराखंड	70.82	83.21	95.60
28	पश्चिम बंगाल	57.01	58.16	58.51
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	130.00	140.00	168.00
30	चंडीगढ़	131.79	137.56	149.10
31	दादरा और नगर हवेली	99.80	106.30	112.80
32	दमन और दीव	87.00	97.00	104.00
33	दिल्ली	140.00	146.00	156.00
34	लक्षद्वीप	70.00	76.00	82.00
35	पुडुचेरी	78.00	–	86.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	72.24	85.20	108.12

विवरण-II (क)

वर्ष 2003–04 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन के बारे में ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पता लगी अनियमितताओं की संख्या	सुधार की गई अनियमितताओं की संख्या	फाइल किए गए दावों की संख्या	निपटाए गए/ निर्णित दावों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	वसूल की गई दण्ड राशि (हजार रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केन्द्रीय क्षेत्र	18,587	2,53,141	2,11,115	3,843	3,594	5,599	2,495
	राज्य क्षेत्र							
1.	आन्ध्र प्रदेश	52,204	506	404	19,820	15,293	1,185	135
2.	अरुणाचल प्रदेश	120	35	32	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	8,186	1,582	1,173	14	13	शून्य	1
4.	बिहार	2,97,439	55,996	55,491	24,590	2,057	54	5
5.	गोवा	1,038	3,202	140	9	15	36	30
6.	गुजरात	1,20,550	1,01,364	57,977	4,052	1,134	1,080	1,197
7.	हरियाणा	5,212	शून्य	शून्य	2,928	193	829	4,137
8.	हिमाचल प्रदेश	2,476	1,267	1,056	122	91	211	56
9.	जम्मू – कश्मीर	1,802	382	170	शून्य	शून्य	230	14
10	झारखंड	3,112	688	539	147	शून्य	शून्य	799
11.	कर्नाटक	43,687	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2,145	उपलब्ध नहीं	553	339
12.	केरल	27,779	44,788	35,635	84	74	490	220
13.	मध्य प्रदेश	7,408	1,004	6,404	231	461	1,004	शून्य
14.	महाराष्ट्र	1,13,043	1,25,776	79,623	33	117	287	280
15.	मणिपुर	118	31	9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मेघालय	633	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	29,798	23,535	12,212	57	2	214	13
19.	पंजाब	16,464	शून्य	शून्य	152	170	शून्य	162
20.	राजस्थान	7,681	266	113	293	239	251	81
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को दिनांक 1.10.2004 से सिक्किम में विस्तारित किया गया है।						
22.	तमिलनाडु	1,35,725	7,505	534	2,396	1,995	1,337	835
23.	त्रिपुरा	4,932	95	92	91	63	16	16
24.	उत्तर प्रदेश	39,710	10,512	उपलब्ध नहीं	5,937	7,779	उपलब्ध नहीं	1
25	उत्तराचल	3,322	1,045	388	223	177	334	27
26.	पश्चिम बंगाल	28,478	6,710	6,340	215	2	1	64
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	234	1,170	1,124	24	21	3	8
28.	चंडीगढ़	62	23	23	38	33	11	8
29.	दादरा और नगर हवेली	71	28	28	1	शून्य	4	शून्य
30.	दमन और दीव	295	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	दिल्ली**	8,101	6,460	4,880	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1,223	उपलब्ध नहीं
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	पांडिचेरी	8,589	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (उपर्युक्त राज्य)	9,68,269	3,93,970	2,64,387	63,602	29,929	9,353	8,424
	कुल योग	9,86,856	6,47,111	4,75,502	67,445	33,523	14,952	10,919

टिप्पणी : 1. छत्तीसगढ़ और नागालैंड राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

** कैलेण्डर वर्ष 2004 से संबंधित

विवरण-II (ख)

2004–05 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन संबंधी ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	किये गये	अनियमितताएं		दावे		अभियोजन मामले				जुर्माने की राशि (रु. 000)	
		निरीक्षण	पता लगायी गई	सुधार की गई	दर्ज किए गए	निपटान किए गए	लंबित	दर्ज	निर्णित	दी गई क्षतिपूर्ति की रकम	लगाया गया	वसूल किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केन्द्रीय क्षेत्र		17188	–	–	3471	4507	–	6267	3235	37684	–	–
राज्य क्षेत्र												
1.	आंध्र प्रदेश	123388	11293	7689	11694	9551	882	949	881	26337	156	500
2.	अरुणाचल प्रदेश	120	35	32	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	26962	3400	2343	143	78	9	4	शून्य	173	शून्य	शून्य
4.	बिहार	200498	35356	30910	15376	7800	848	122	6	13841	13841	13841
5.	गोवा	1859	5748	3817	45	22	7	34	19	210	8	1
6.	गुजरात	114556	68406	50059	75	–	29086	2540	950	2392	41	1119
7.	हरियाणा	2615	19	19	1174	346	2764	83	137	709	8065	–
8.	हिमाचल प्रदेश	2353	1041	819	192	58	–	170	131	62	69	69
9.	जम्मू और कश्मीर	1618	473	291	9	9	–	–	187	–	–	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक	107896	–	–	–	–	–	2104	1172	–	1427	–
11.	केरल	26675	38233	29067	111	89	548	641	503	319	505	72
12.	महाराष्ट्र	139038	125986	107924	5	6	5831	527	474	28	757	
13.	मणिपुर	449	28	19	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	मेघालय	569	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	उड़ीसा	24437	20660	11494	96	10	–	317	104	–	21	–
17.	पंजाब	13974	300	–	331	334	–	247	1831	2163	187	–
18.	राजस्थान	7168	387	124	299	302	809	326	217	2951	82	एन ए
19.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का 1.10.2004 से सिक्किम में विस्तार कर दिया गया है।										
20.	तमिलनाडु	176625	4986	814	2645	2318	3993	2193	2423	210351	612	2595
21.	त्रिपुरा	6611	193	193	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	उत्तर प्रदेश	212	187	196	893	2310	10944	29	2125	63649	259	259
23.	उत्तराखंड	4363	834	396	140	136	42	298	229	393	110	110
24.	पश्चिम बंगाल	29952	7465	7360	शून्य	1	743	159	157	38	86	
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	84	420	420	1	शून्य	–	–	–	–	–	–
26.	चंडीगढ़	207	257	171	53	37	417	86	33	145	18	18
27.	दादरा और नगर हवेली	78	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दिल्ली	9337	6167	7291	356	146	334	1424	389	13443	440	192
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	पुडुचेरी	7532	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	कुल (राज्य)	1029276	331898	261472	33638	23553	57257	12256	11968	337204	26684	18798

नोट : शेष राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड एवं दमन और दीव से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

एन ए – उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II (ग)

वर्ष 2005–06 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन से संबंधित ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	किये गये निरीक्षण	अनियमितताएं		दावे		अभियोजन मामले			दी गई क्षतिपूर्ति की राशि (000 रु.)	जुर्माने की राशि (रु. 000)	
			पता लगायी गई	दूर की गई	फाइल किए गए	निपटान किए गए	लंबित	फाइल किए गए	निर्णित		लगाए गए	वसूले गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	केन्द्रीय क्षेत्र	12392	–	–	2543	3434	–	4620	4643	36417	–	–
	राज्य क्षेत्र											
1	असम	26706	12667	8478	232	144	27	16	–	452	शून्य	शून्य
2	बिहार	271206	52846	56342	20159	16225	1136	16	1	10778	103	–
3	गोवा	442	766	296	1	–	5	4	–	1	1	–
4	गुजरात	114327	74554	60714	14	4	30744	3538	2032	1616	2350	2189
5	हरियाणा	1483	49	49	412	387	6168	179	682	758	192	–
6	जम्मू और कश्मीर	2087	728	483	8	7	1329	381	157	–	35	–
7	कर्नाटक	23324	7062	6330	1618	1280	1032	857	344	702	459	316
8	केरल	25472	41202	22403	49	219	529	687	740	1156	649	137
9	महाराष्ट्र	80042	62021	53319	3	–	1163	274	101	533	120	–
10	मणिपुर	431	24	17	–	–	–	–	–	–	–	–
11	मेघालय	299	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	उड़ीसा	18501	16583	8833	98	–	8926	469	687	–	131	–
14	पंजाब	12944	289	181	291	193	649	121	727	895	80	–
15	राजस्थान	8707	1436	1093	203	163	384	195	146	9002	47	35
16	तमिलनाडु	122059	1147	126	2259	1497	6521	1458	620	21741	223	223
17	त्रिपुरा	8639	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	उत्तराखंड	3190	1091	682	223	171	25	201	121	203	37	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	उत्तर प्रदेश	12313	9488	–	1241	1479	8848	647	589	360	1	–
20	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	123	615	615	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	147	–	–
21	चंडीगढ़	222	144	85	–	–	70	39	24	10	13	–
22	दादरा और नगर हवेली	78	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–
23	दिल्ली	7884	5406	6335	1028	503	478	1459	230	470	313	237
24	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	पुडुचेरी	11895	740	740	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल उपर्युक्त राज्य	725668	276218	218670	27608	22129	68007	10525	7201	48824	4754	3174

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा दमन एवं दीव की सूचना प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

अपैरल ट्रेनिंग और डिजाइन केन्द्र

2369. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने अपैरल ट्रेनिंग और डिजाइन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् आज की तिथि तक इन केन्द्रों में केन्द्र–वार कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ऐसे और अधिक अपैरल ट्रेनिंग और डिजाइन केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अपैरल ट्रेनिंग और डिजाइन केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक होने की संभावना है और ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) 14 राज्यों में 39 अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी) चला रही है। 35 केंद्रों में पाठ्यक्रम पहले ही शुरू हो गया है और शेष 4 केन्द्रों में, सत्र अगले शैक्षणिक सत्र में शुरू होगा।

(ख) इन केन्द्रों में दिसम्बर, 2007 तक 33314 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) से (ङ) एईपीसी ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में नए एटीडीसी खोलने के लिए 70 स्थानों की पहचान की है। इन केन्द्रों को शैक्षणिक सत्र 2008 में चालू किये जाने की संभावना है। सरकार एटीडीसी के लिए एईपीसी को निधियां प्रदान नहीं करती है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कोयला

2370. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की परिधि से बाहर किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या घरेलू ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण कोयले को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की परिधि में पुनः लाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) खान और विकास (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोलियरी नियंत्रण नियम 2004 की अधिसूचना के अनुसरण में कोयला मंत्रालय की सिफारिश पर कोयले को आवश्यक वस्तु अधि ानियम के तहत वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है।

(ख) इस विभाग में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशिष्ट पहचान संख्या (नम्बर)

2371. श्री के.पी. धनपालन शानी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का विचार सभी लाभार्थियों को विशिष्ट पहचान संख्या (नम्बर) प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए बीमाकृत व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

नए पशुचिकित्सा अस्पतालों की स्थापना

2372. श्री अलावुद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मवेशियों की प्रति हजार संख्या पर कितने पशुचिकित्सक सर्जन होने की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या सर्जनों की वर्तमान उपलब्धता अपेक्षित मानदंडों के अनुसार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां मवेशियों की संख्या बहुत अधिक है, में कितने नए पशुचिकित्सा अस्पतालों, औषधालयों और पोलीक्लिनिकों की स्थापना की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2000 तक प्रत्येक 5000 गोपशु यूनिट के लिए कम से कम एक पशुचिकित्सक होना चाहिए।

(ख) और (ग) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद द्वारा रखे गए भारतीय पशुचिकित्सा प्रेक्टिशनर रजिस्टरों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.3.2007 तक देश में कुल 50,650 पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रेक्टिशनर उपलब्ध हैं जो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अनुशंसित मानकों की परिधि में है।

(घ) पशुचिकित्सा सेवाएं राज्य का विषय है और ऐसी किसी क्षेत्र विशेष में पशुधन संख्या तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के पास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा नए पशुचिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरियां, पॉलीक्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कोरियर सेवाओं द्वारा समयबद्ध डाक परिदान

2373. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग द्वारा कोरियर सेवाओं के मामले में त्वरित डाक परिदान की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के अनेक विभागों द्वारा कोरियर सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कोरियर सेवाओं का उपयोग करने वाले विभागों के क्या नाम हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी विभागों के लिए डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के उपयोग को आवश्यक बनाने हेतु कोई कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक विभाग के पास समूचे देश में डाक के पारेषण और वितरण के लिए हवाई, रेल एवं सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए एक सघन नेटवर्क है जो मेल, दूरी और हवाई, रेल अथवा सड़क मार्ग की कनेक्टीविटी की श्रेणी पर निर्भर करता है। डाक की डिलीवरी के मानक विभाग द्वारा निर्धारित किये गये हैं तथा उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। कुशल सेवा सुनिश्चित करने के

लिए प्रचालनों की बारीकी से निगरानी की जाती है और उनमें सुधार किया जाता है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार को भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के तहत सभी पत्रों को डाक द्वारा सम्प्रेषित करने और सभी पत्रों को प्राप्त एवं एकत्र करने, भेजने और वितरित करने संबंधी सभी आनुषंगिक सेवाएं निष्पादित करने का अनन्य अधिकार है। अतः डाक विभाग द्वारा प्रदत्त इन सेवाओं का सभी सरकारी विभागों द्वारा प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

रेशम कीट अंडों का उत्पादन

2374. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्पश्चात्, आज की तिथि तक केन्द्रीय रेशम कीट अंडा समिति के अंतर्गत अंडों के उत्पादन संबंधी राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) देश में रेशम कीट अंडों की राज्य–वार मांग और उपलब्धता क्या है;

(घ) क्या रेशम कीट अंडों की मांग उसकी उपलब्धता से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) केंद्रीय रेशम कीट बीज समिति (सीएसएससी) देश में बीज क्षेत्र के सुधारों के कार्यान्वयन को देखने वाला शीर्षस्थ निकाय है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएससी) के तहत कार्य करने वाले रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र (एसएसपीसी) के पिछले तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07 तक) और चालू वर्ष (2007–08) के राज्य–वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं –

(इकाई – लाख डीएफएलएस)

राज्य	2004–05		2005–06		2006–07		2007–08*	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
कर्नाटक	90.00	111.86	104.00	119.78	110.00	137.12	93.60	102.99
तमिलनाडु	17.00	10.03	29.00	20.32	25.00	28.13	21.80	14.51
आंध्र प्रदेश	28.50	18.99	24.00	19.67	24.00	22.14	20.30	20.39
केरल	7.00	15.17	16.00	12.70	16.00	15.40	11.40	10.85
महाराष्ट्र	5.00	2.56	–	0.26	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	60.00	67.82	60.00	62.82	64.00	79.63	61.35	50.96
उड़ीसा	0.74	0.32	1.00	0.67	1.00	0.73	0.80	0.69
जम्मू – कश्मीर	5.06	5.98	5.54	6.18	5.10	7.35	7.00	5.53
उत्तराखंड	10.00	6.42	8.10	7.40	9.56	9.37	12.0	7.95
कुल	223.30	239.15	247.64	249.80	254.66	299.87	231.25	213.87

* जनवरी 2008 तक

(ख) उपर्युक्त रेशमकीट बीज उत्पादन के लिए पिछले तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) और चालू वर्ष (2007–08) के दौरान उपलब्ध कराई गई राशि नीचे दी गई है –

(राशि लाख रु. में)

राज्य/वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08*
1	2	3	4	5
कर्नाटक	702.67	885.39	889.08	869.41
तमिलनाडु	110.95	145.88	179.43	142.56
आंध्र प्रदेश	157.28	207.37	218.28	199.81
केरल	53.29	60.90	88.29	58.37
महाराष्ट्र	11.31	7.72	6.38	5.59
पश्चिम बंगाल	275.02	336.73	351.41	325.99
उड़ीसा	25.64	27.64	31.28	35.07
जम्मू – कश्मीर	35.42	36.94	41.08	35.44
उत्तराखंड	65.48	70.78	75.41	66.16
कुल	1437.06	1779.35	1880.64	1738.40

* जनवरी 2008 तक

(ग) और (घ) मांग के अनुरूप रेशमकीट वाणिज्यिक डीएफएलएस (रोगमुक्त अंडे) तैयार किए जाते हैं और पूर्णरूप से संवितरित किए जाते हैं, इसलिए बीजों की मांग तीनों एजेंसियों नामतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड, राज्य रेशम उत्पादन विभागों और निजी लाइसेंस धारक बीज उत्पादकों (एलएसपी) द्वारा पूर्णतया पूरी की जाती है। 2006–07 के दौरान इन एजेंसियों के माध्यम से रेशम कीट बीजों का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार ने निजी एलएसपी को अपने रेशमकीट बीज का उत्पादन बढ़ाने में सहायता करने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। गुणवत्ता रेशमकीट बीज के उत्पादन में स्वनिर्भर बनने के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभागों को भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनाओं के ब्यौरा नीचे दिया गया है। –

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं -

भारत सरकार द्वारा शहतूत क्षेत्र के लिए 7.86 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ "बीज संगठन एवं एचआरडी" नामक एक योजना स्वीकृत की गई है। योजना के 12 संघटकों का विवरण नीचे दिया गया है –

1. गुणवत्ता बीज कोया प्रजाति के लिए शहतूत बीज फसल रीयरर्स (अपनाये बीज रियर्स) को सहायता।
2. कौशल विकास द्वारा लाइसेंसधारी बीज उत्पादकों को अधिकार।
3. चाकी रियरिंग सहायता के माध्यम से रेशमकीट बीज संवितरण में फ्रैंचाइज सहायता प्रणाली।
4. एनएसएसओ के प्राथमिक बीज फार्मों (बीएसएफ) और रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों (एसएसपीसी) में अवसंरचना सुधार।
5. सीएसबी (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अवसंरचना–केंद्रीय रेशम कीट बीज समिति के लिए कार्यालय की स्थापना।
6. एलएसपी द्वारा गुणवत्ता रेशमकीट बीज उत्पादन का प्रचार।
7. शहतूत बीज क्षेत्र के तहत प्रतिपादित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञों/व्यावसायियों/विषय वस्तु विशेषज्ञों की सेवाएं लेना।
8. सीएसबी (संशोधन) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेना।
9. शहतूती और गैर–शहतूती क्षेत्र के तहत रेशमकीट अंडों के संगरोधन परीक्षण के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण।
10. बीज अधिकारियों को प्रशिक्षण।
11. शहतूत क्षेत्र के तहत और गैर परंपरागत राज्यों में बीज किसानों के कौशल के संवर्धन के लिए सहायता।
12. पूरे देश में मौजूदा बीज उत्पादन नेटवर्क में रोग निगरानी के लिए सहायता।

केंद्रीय प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की है –

1. शहतूत क्षेत्र के तहत मौजूदा बीज/ग्रेनेज इकाइयों को उन्नत करने के लिए सहायता।
2. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर द्विफसलीय बीज उत्पादन ग्रेनेज को सहायता।
3. सार्वजनिक/निजी ग्रेनेजों (गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए) में बीज परीक्षण सुविधाओं को सहायता।
4. शहतूत रेशमकीट बीज उत्पादन के लिए सहायता –
   (क) 3 पी 1 ग्रेनेज
   (ख) 1 पी 2 ग्रेनेज

विवरण

वर्ष 2006–07 के दौरान डीएफएल एस का राज्यवार और एजेंसीवार शहतूत उत्पादन (राज्यों के डीओएस और एन एस एस ओ द्वारा दी गई सूचनानुसार)

(डीएफएल की सं. लाख में)

राज्य	2006–07			
	राज्य	सीएसबी	एलएसपी	कुल
1	2	3	4	5
क. परम्परागत राज्य				
आंध्र प्रदेश	65.95	22.14	813.35	901.44
जम्मू और कश्मीर	19.21	7.35	–	26.56
कर्नाटक	220.49	137.12	864.31	1221.92
तमिलनाडु	59.79	28.13	42.54	130.46
पश्चिम बंगाल	31.54	79.63	385.39	495.56
उप–कुल (क)	396.97	274.37	2105.59	2776.93

1	2	3	4	5
ख. गैर परम्परागत राज्य				
अरूणाचल प्रदेश	0.08	–	–	0.08
असम	2.29	–	–	2.29
बिहार	1.72	–	–	1.72
छत्तीसगढ़	0.69	–	–	0.69
गुजरात	–	–	–	0.00
हरियाणा	–	–	–	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	–	–	0.00
झारखंड	0.30	–	–	0.30
केरल	0.00	15.40	–	15.40
मध्य प्रदेश	6.03	–	–	6.03
महाराष्ट्र	2.56	–	–	2.56
मणिपुर	10.00	–	–	10.00
मेघालय	1.63	–	–	1.63
मिजोरम	3.00	–	–	3.00
नागालैंड	0.00	–	–	0.00
उड़ीसा	0.00	0.73	–	0.73
पंजाब	1.00	–	–	1.00
राजस्थान	–	–	–	0.00
सिक्किम	0.08	–	–	0.08
त्रिपुरा	0.30	–	–	0.30
उत्तराखंड	0.00	9.37	–	9.37
उत्तर प्रदेश	7.75	–	–	7.75
उप–कुल (ख)	37.42	25.50	0.00	62.92
कुल योग	434.39	299.87	2105.59	2839.85
संवितरण %	15.3	10.6	74.1	100.0

स्रोत : सभी राज्यों के डीओएस एवं एन एस एस ओ

एस एस 12.12.2007

[अनुवाद]

केन्द्रीय मजदूर संघों की सदस्यता का सत्यापन

2375. श्री गणेश सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय मजदूर संघों की सदस्यता के सत्यापन के दौरान कुछ संघों द्वारा भेजे गए सदस्यता संबंधी आंकड़ों में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रबंधन में मजदूर संघों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): **(क) और (ख)** जी, हां। आठ केन्द्रीय मजदूर संघों नामतः इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, यूटक (एल एस), यूटक, टी यू सी सी, एन एफ आई टी यू–कोलकाता ने निम्न मुद्दों के आधार पर दूसरे संघों के सदस्यता दावों पर आपत्ति उठाई थी :–

(i) सदस्यता का आधार बढ़ाया जा रहा है,

(ii) संघ का रजिस्ट्रार, मजदूर संघों के साथ पंजीकृत न होना,

(iii) ऐसा कोई संघ मौजूद नहीं है,

(iv) वार्षिक रिटर्न का जमा न करना इत्यादि।

इसके उपरान्त संघों की सदस्यता जिनके दावों पर आपत्तियां उठाई गयी थीं, का आम सत्यापन संबंधी स्थायी समिति द्वारा पद्धति/प्रक्रिया के अनुसार, सत्यापन किया गया।

(ग) और (घ) 1983 से प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित एक व्यापक योजना पहले ही विद्यमान है जो इस योजना के संचालन से विशेष छूट प्राप्त उपक्रमों को छोड़कर सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होती है।

दोहरी प्रौद्योगिकी संबंधी आपत्तियां

2376. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने देश में दोहरी प्रौद्योगिकी मोबाइल अनुज्ञप्तियों पर आपत्ति उठाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का निर्णय लिया गया है कि

दूरसंचार तथा केबल आपरेटरों दोनों को नेटवर्क टेलीविजन की पेशकश करनी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो स्पैक्ट्रम पैनल आवंटन मुद्दे को सुलझाने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास के बारे में प्रधान मंत्री को जानकारी दी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) वित्त मंत्रालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान दूरसंचार अभिगम सेवाओं के लाइसेंसों के अंतर्गत दोहरी प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम के प्रयोग संबंधी मुद्दों पर कुछ प्रश्न उठाए थे और वित्त मंत्रालय को आवश्यक सूचना प्रदान कर दी गई थी।

(ख) एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंस या सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस-धारक दूससंचार सेवा प्रदाताओं के साथ ही पंजीकृत केबल टेलीविजन प्रचालक भी कुछ शर्तों के अध्यधीन, आईपीटीवी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें किसी नए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ग) "व्यावहारिक और वैज्ञानिक पद्धति से स्पेक्ट्रम आवंटन पर समिति" ने कतिपय सिफारिशें की हैं और सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट पर निर्णय ले लिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंस धारकों को स्पेक्ट्रम आवंटन उनके लाइसेंस करार के संगत प्रावधानों और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों के अनुसार, उपलब्धता के अध्यधीन, किया जाता है। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए विद्यमान मानदंड जनवरी, 2008 में समीक्षा के पश्चात जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

डाक सेवाकों के रिक्त पद

2377. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल में डाक सेवकों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल में कितने ग्रामीण डाक सेवकों का स्थानांतरण किया गया है और उन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(घ) क्या ग्रामीण डाक सेवकों ने इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(छ) वर्ष 2001-2002 में शहडोल मंडल में कितने शाखा डाकघर कार्य कर रहे थे और कितने डाकघरों को बंद कर दिया गया है तथा इस समय कितने डाकघर मौजूद हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) देश में आज की तिथि के अनुसार 25924 डाक सेवकों के पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल डिवीजन में डाक सेवकों का कोई पद अभी तक रिक्त नहीं है।

(ख) ग्रामीण डाक सेवकों की मौजूदा स्थापना की समीक्षा जारी थी। रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रारंभ की गई है।

(ग) शहडोल डिवीजन में किसी ग्रामीण डाक सेवक का स्थानांतरण नहीं किया गया है।

(घ) मध्य प्रदेश सर्किल में शहडोल डिवीजन से संबंधित ग्रामीण डाक सेवकों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) शहडोल डिवीजन में शाखा डाकघरों के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :-

2001-2002	466
बंद	कोई नहीं
मौजूदा	470

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

2378. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी मौसम के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में से गाद निकलने का काम चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसकी लागत कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि सेवा केन्द्र

2379. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या देश में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर कर्नाटक का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जनवरी 2006 से कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यकलाप जहां स्वचालित रूट के तहत 100% तक की एफ डी आई की अनुमति दी है वे पुष्पकृषि बागवानी, बीज विकास, पुशपालन, मत्स्य पालन, जल कृषि और नियंत्रित परिस्थितियों में सब्जियों और मशरूम की खेती और कृषि और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं हैं।

चाय पौध रोपण को एफ डी आई के लिए 2002 में खोला गया था। चाय पौध रोपण में सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100% तक एफ डी आई की अनुमति है बशर्ते कि पांच वर्षों की अवधि के दौरान कम्पनी का 26% साम्य विनिवेश भारतीय हिस्सेदार/भारतीय जनता के पक्ष में हो, और यदि भविष्य में भू उपयोग में परिवर्तन होता है तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लिया जाए।

उपरोक्त के अलावा किसी अन्य कृषि क्षेत्र/कार्यकलाप में एफ डी आई की अनुमति नहीं है।

(ग) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डी ए सी) कृषि सेवा केन्द्र शीर्षक से कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

तथापि, डी एस सी 'कृषि क्लिनिक और कृषि विपणन केन्द्र (ए सी एस बी सी)' नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के अन्तर्गत कवरेज के लिए चयनित कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण और आरंभिक सहायता दी जाती है।

देश में राज्य–वार स्थापित कृषि उद्यम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 12.3.2008 तक कर्नाटक में 642 कृषि उद्यमों की स्थापना की जा चुकी है। ए सी ए बी सी योजना के तहत कोई राज्य–वार निधि आबंटन नहीं है। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ए सी ए बी सी योजना को 49.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ए सी ए बी सी योजना को 187.13 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित है।

विवरण

राज्य–वार स्थापित कृषि उद्यम

(1.4.2002 से 12.3.2008 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापित कृषि उद्यमों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	279
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.
3.	असम	31
4.	बिहार	549
5.	चण्डीगढ़	0
6.	छत्तीसगढ़	63
7.	दिल्ली	0
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	158
10.	हरियाणा	24
11.	हिमाचल प्रदेश	54
12.	जम्मू और कश्मीर	30
13.	झारखंड	18
14.	कर्नाटक	642
15.	केरल	15
16.	मध्य प्रदेश	137
17.	महाराष्ट्र	910
18.	मणिपुर	41

1	2	3
19.	मेघालय	0
20.	मिजोरम	0
21.	नागालैंड	2
22.	उड़ीसा	74
23.	पांडिचेरी	1
24.	पंजाब	31
25.	राजस्थान	579
26.	सिक्किम	0
27.	तमिलनाडु	270
28.	त्रिपुरा	0
29.	उत्तर प्रदेश	1118
30.	उत्तरांचल	49
31.	प. बंगाल	52
	योग	5129

[हिन्दी]

कपास उत्पादन

2380. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित कपास की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली कपास के उत्पादन और अनुसंधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी नहीं। देश में उत्पादित कपास की गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कपास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें चार मिनी मिशन हैं। मिनिमिशन–I भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा कपास के अनुसंधान पहलू से संबंधित है जबकि, मिनि मिशन–II विकास और विस्तार कार्यकलापों के लिए हैं और कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। मिनि मिशन–III मार्केट यार्ड के सुधार के लिए और मिनि मिशन IV ओटाई और प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए है जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत है।

मिनिमिशन–I उन्नत कपास उत्पादन और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास से संबंधित है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आई सी ए आर ने अतिरिक्त लम्बा रेशा कपास की आनुवांशिक संभावना को पुनःस्थापित करने के अलावा उच्च रेशा गुणवत्ता के साथ नये जेनो टाइप के विकास के लिए उचित कदम उठाये हैं। उच्च उत्पादकता, शीघ्र पकने वाली, उत्कृष्ट रेशे वाली और जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रति सह्य लम्बे फाहे वाले डिपलोयड देशी कपास (पी ए 255, पी ए 402, एन एच 452) का विकास वर्षा सिंचित कपास की खेती के लिए किया गया जिससे मार्जिनल किसानों को अच्छी क्वालिटी की कपास उगाने में मदद मिली।

मिनिमिशन–II कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों से जुड़ा है और इसे कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिनिमिशन के तहत 15 वर्षों से अनधिक अवधि की किस्मों/संकर किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण करने, प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण, किसानों तथा विस्तार कामगारों के प्रशिक्षण, कीटनाशी प्रतिरोधी प्रबंधन, पौध रक्षण उपायों जिनमें आई पी एम प्रदर्शन शामिल हैं, छिड़कावकों की आपूर्ति, फैरोमोन ट्रेपों, बायो एजेन्टो और पानी की बचत की युक्तियों जैसे स्प्रिकलरों और ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि के लिए सहायता दी जाती है।

मिनिमिशन–III विपणन अवसंरचना के विकास पर संकेन्द्रण करता है जिसमें मण्डी यार्डों, नीलामी केन्द्रों, ग्रेडिंग सुविधाओं, कपास गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण आदि जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। कपास की क्वालिटी में सुधार करने के लिए ओटाई और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य मिनिमिशन IV के अंतर्गत किया जाता है। मिनि मिशन III और IV जिनका मुख्य उद्देश्य कपास की क्वालिटी में सुधार करना है का कार्यान्वयन वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

ई.पी.एफ. और पेंशन खातों के लंबित मामले

2381. श्री टेक लाल महतो : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं उसके पश्चात् आज की तिथि तक पूरे देश में कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी. एफ.) और पेंशन खातों के बहुत अधिक मामले निपटान हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इतनी अधिक संख्या में मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मामलों के त्वरित निपटान के लिए कोई विशेष/कारगर कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मामलों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) जी नहीं। भविष्य निधि और मासिक पेंशन दावों के मामलों में लंबन औसत दावा प्राप्ति से एक माह से कम है।

कार्यभार और लंबन का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है जबकि 31 मार्च की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए लंबित मामलों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है।

(ग) से (ङ) योजना उपबंधों के अनुसार, हर प्रकार से पूर्ण दावे प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निपटा दिए जाते हैं। मामलों के निपटान की प्रक्रिया चलती रहती है। चूंकि नए दावे लगातार प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए कुछ दावों का हमेशा लंबित रहना स्वभाविक है।

विवरण-I

भविष्य निधि और मासिक पेंशन दावों का तुलनात्मक ब्यौरा

वर्ष	कुल कार्यभार	लंबन	लंबन अनुपात	कुल कार्यभार	लंबन	लंबन अनुपात
	भविष्य निधि दावे			मासिक पेंशन दावे		
2004–05	2924610	45225	1.55	527374	31524	5.98
2005–06	2816592	66717	2.37	559646	43838	7.83
2006–07	3224786	72002	2.23	597161	43679	7.31

विवरण-II

लंबित मामलों का क्षेत्रवार ब्यौरा (31 मार्च को समाप्त वर्ष)

क्षेत्र	2004–05		2005–06		2006–07	
	भ.नि.दावे	मासिक पेंशन	भ.नि.दावे	मासिक पेंशन	भ.नि.दावे	मासिक पेंशन
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	3194	916	4685	822	1732	2116
बिहार	2	7	287	725	991	2028
छत्तीसगढ़	999	1867	216	1798	53	708
दिल्ली	1820	1523	937	964	6842	1597
गोवा	518	140	63	219	6	42
गुजरात	5354	3793	16040	328	16558	371
हरियाणा	0	0	20	22	3281	340
हिमाचल प्रदेश	104	0	52	13	355	231
झारखण्ड	752	1193	1144	577	563	516
कर्नाटक	6956	2649	8157	929	11819	1622
केरल	2	26	87	126	101	156
मध्य प्रदेश	54	51	202	329	834	537

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	12509	10263	9973	27372	8220	23672
पूर्वोत्तर क्षेत्र	0	0	20	20	427	222
उड़ीसा	97	481	486	1093	84	2277
पंजाब	42	710	1799	738	2020	1342
राजस्थान	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	7091	1511	12194	2591	13592	3151
उत्तरांचल	17	0	706	570	1054	798
उत्तर प्रदेश	67	958	3081	2200	321	793
पश्चिम बंगाल	5647	5436	6568	2402	2249	1160
कुल	45225	31524	66717	43838	72002	43679

[अनुवाद]

उड़ीसा में एच.ए.एल. के चारों ओर परिधीय विकास

2382. श्री गिरिधर गमांग : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.), कोरापुट ने कंपनी के प्रभाव क्षेत्र के परिधीय विकास के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो परिधीय विकास समिति का गठन कब किया गया था और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम के पास ऐसी समिति नहीं होने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

वायु सेना में गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित विद्यालय

2383. श्री मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के परिसर में केन्द्रीय विद्यालयों के स्थान पर गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) द्वारा संचालित विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस गैर–सरकारी संगठन का नाम क्या है और देश में ऐसे कितने विद्यालय हैं;

(ग) क्या ये विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं;

(घ) इन विद्यालयों में कितने शिक्षक नियुक्त हैं और उनके चयन के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) उन्हें दिए जाने वाले वेतनमानों के क्या मानदण्ड हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। भारतीय वायुसेना के परिसरों में 98 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वायुसेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी जोकि भारतीय वायुसेना का एक गैर–सार्वजनिक निधि उद्यम है, 133 स्कूल चलाती है जिनमें पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। इन 133 स्कूलों में से 43 माध्यमिक स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। वायुसेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापकों की कुल संख्या 1370 है। उनकी भर्ती की पात्रता शर्तें और वेतनमानों संबंधी मापदंड वायुसेना स्कूलों की शिक्षा संहिता के अनुसार विनियमित होते हैं।

[अनुवाद]

कृषि प्रयोजन के लिए जल शुल्क

2384. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए भूमिगत जल के उपयोग के लिए किसानों से अलग–अलग दर प्रभारित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कृषि प्रयोजनों के लिए जल शुल्क को युक्ति संगत बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कृषि प्रयोजन के लिए राज्य के स्वामित्व वाले ट्यूबवेलों से जल आपूर्ति के लिए कुछ राज्यों द्वारा भिन्न-भिन्न दरें प्रभारित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने "देश के विभिन्न भागों में कृषि प्रयोजनों के लिए जल प्रभारों को तर्क संगत बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति" का गठन किया है। तथापि, योजना आयोग ने "भूमि जल प्रबंधन और स्वामित्व" विषय पर सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस विशेषज्ञ दल ने अधिक दक्ष ऊर्जा और जल उपयोग के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रोत्साहन सृजित करने के वास्ते उपाय सुझाए हैं।

[हिन्दी]

नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, नागपुर द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा

2385. श्री सुरेश वाघमारे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस (एन.आर.सी.सी.) नागपुर (विदर्भ क्षेत्र) द्वारा नारंगी तथा निम्बू-वंशीय फलों के पौधारोपण, उत्पादन तथा गुणवत्ता के संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है जो कि विगत कई वर्षों से केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है;

(ख) गत कई वर्षों के दौरान उत्पादन के साथ ही उत्पादन क्षेत्र एवं गुणवत्ता में निरंतर कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संस्थान का योगदान एवं उत्तरदायित्व क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के तहत नागपुर में केन्द्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र के नाम से 1985 में राष्ट्रीय सिट्रप्स अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीसी) की स्थापना की गई और अप्रैल, 1986 से अपने वर्तमान नाम से पुनः नामित इस केन्द्र ने शूट-टिप ग्राफ्टिंग सहित रोग रहित क्वालिटी की रोपण सामग्री के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किया है। गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों को सरकार/निजी नर्सरियों और अलग-अलग किसानों को आगे संवर्धन के लिए सर्वोत्कृष्ट मातृ पौधों के रूप में वितरित किया गया। केन्द्र ने नागपुरी मैंडरिन के दो क्लोनों की पहचान की है, इनमें एक जल्दी तैयार होने वाला और दूसरा कम बीज वाला है। केन्द्र ने पुराने और अनुत्पादक पेड़ों के पुनरूद्धार, समेकित पोषण और जल प्रबंध तथा विभिन्न रोगों और कीट-व्याधियों के लिए नियंत्रण प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। केन्द्र द्वारा विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीसी) सिट्रस डिक्लाइन जो एक जटिल समस्या है, के कारणों पर कार्य कर रहा है। यह समस्या गलत मूलवृंत के उपयोग, अनुचित उत्पादन प्रौद्योगिकियों और कीट-व्याधियों और रोगों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। विदर्भ क्षेत्र में अनेकों बागानों में यह डिक्लाइन अनुचित पोषण प्रबंध, गलत जल निकास प्रणाली तथा कीट-व्याधियों और रोगों की उपस्थिति से जुड़ी है। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को यदि अपनाया जाता है तो इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र ने रोपण सामग्री के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका फलों के उत्पादन और रोपण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विस्तार एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर संवर्धन किया जा सकता है। केन्द्र ने फसल उत्पादन, फसल संरक्षण और नागपुरी मैंडरिन की तुड़ाई के पश्चात की प्रौद्योगिकी, अम्लीय नींबू और मुसम्मी के लिए प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण भी किया है। प्रौद्योगिकी हस्तांनतरण में, केन्द्र ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और किसान मेलों के आयोजन तथा मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में विस्तार साहित्य के प्रकाशन के माध्यम से योगदान किया है। केन्द्र ने कृषि प्रदर्शनियों और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। नींबू वर्गीय फलों पर प्रौद्योगिकी मिशन के तहत प्रेस मीडिया के माध्यम से केन्द्र के कार्य को दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति

2386. प्रो. महादेवराव शिवणकर :

प्रो. एन. रामदास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य भंडारण का विकेंद्रीकरण करने के उपायों के भाग के रूप में उच्च प्रौद्योगिकी वाले गोदामों की स्थापना के लिए व्यापक राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य सुरक्षा तथा बफर स्टाक के संपूर्ण दायरे के अध्ययन के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति को अधिक कारगर एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सरकार ने खाद्यान्नों के भंडारण एवं आवाजाही संबंधी हानियों को कम करने और भण्डारण प्रबंधन तथा खाद्यान्नों के परिवहन को आधुनिक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2000 में खाद्यान्नों के रखरखाव, भंडारण एवं परिवहन संबंधी एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है इस नीति के तहत देश में प्रचालन के लिए स्वंय द्वारा प्रचालन निर्माण (व्यूल्ड–आन–आपरेट) के आधार पर निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से समेकित व्यापक रखरखाव, भंडारण और परिवहन का सृजन किया जाता है। सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण की अध्यक्षता में एक तकनीकी समूह का गठन किया गया है ताकि खाद्यान्नों की तरफ स्टाकिंग नीति की समीक्षा की जा सके। तकनीकी समूह ने राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केन्द्र को अध्ययन का कार्य सौंपा है ताकि खाद्यान्नों की बफर स्टाकिंग नीति की समीक्षा की जा सके।

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 2001–02 के दौरान ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए "ग्रामीण भंडारण योजना" नामक एक पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम भी शुरू किया है ताकि लाभकारी मूल्य पर अपने उत्पाद को बेचने के लिए किसान अपनी जोत क्षमता का संवर्धन करने में सक्षम हो सके। स्कीम के तहत केन्द्र सरकार परियोजना की पूंजी लागत के 25% की दर पर राजसहायता प्रदान कर रही है। अ. जा./अ.ज.जा. और पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित लाभानुभोगियों के लिए पूंजी लागत के 33.33% की उच्च राजसहायता प्रदान की जाती है।

समुद्री मत्स्यन पर सुनामी का प्रभाव

2387. डा. के.एस. मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री मत्स्यन संसाधनों पर सुनामी के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्री मत्स्यन वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में कृत्रिम पिंजड़ा के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों पर सुनामी के प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने विकसित हो रहे फिन फिश के लिए समुद्री पिंजड़ा पालन पर एक पायलट परियोजना स्वीकृत की है ताकि इसकी कार्यकुशलता का अध्ययन किया जा सके। इस परियोजना को पूर्वी और पश्चिमी तटों पर चुनिंदा केन्द्रों पर केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास

2388. श्री मिलिन्द देवरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा मार्च, 2008 में फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के अभ्यासों के आयोजन का क्या महत्व है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान कितने संयुक्त अभ्यास किए गए और किन–किन देशों के साथ किए गए तथा इन अभ्यासों पर कितना व्यय हुआ; और

(ङ) इन संयुक्त अभ्यासों से भारतीय थल सेना को कितना लाभ हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मित्र देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यासों पर विचार, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके साथ सहयोग की हमारी जरूरत के आधार पर मामला–दर–मामला आधार पर किया जाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान फ्रांस, अमरीका, इंग्लैंड, सिंगापुर, रूस, थाइलैंड, चीन, मंगोलिया, ओमान और मालदीव के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किए गए थे। इन युद्धाभ्यासों के आयोजन पर होने वाला खर्च युद्धाभ्यास की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है जिसके लिए विशेष व्यय की मंजूरी समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

(ङ) संयुक्त युद्धाभ्यासों से भारतीय सेना को, सर्वोत्तम पद्धतियों और प्रक्रियाओं के आदान–प्रदान और उन्नत प्रौद्योगिकियों के ज्ञान के जरिए अपनी क्षमता बढ़ाने का लाभ मिलता है। संयुक्त युद्धाभ्यासों से अंतर–संचालनीयता एवं आपसी समझ भी बनती है और सेना से सेना के बीच जारी सहयोग को बल मिलता है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत निधियां

2389. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजना के संबंध में, विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता की उच्चतम सीमा में वृद्धि करने का महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) राज्य सरकार के साथ योजना विचार–विमर्श के दौरान तथा समग्र रूप में राज्य के लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर योजना आयोग द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) हेतु सीमा का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2007–08 के लिए महाराष्ट्र हेतु एआईबीपी की मूल सीमा 350 करोड़ रुपए थी। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2007–08 के लिए एआईबीपी की सीमा 1600 करोड़ रु. तक बढ़ाने हेतु योजना आयोग से संपर्क किया जिसमें लघु सिंचाई स्कीम हेतु 250.118 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया था। तथापि, योजना आयोग ने मौजूदा सीमा पर 750 करोड़ रु. का अतिरिक्त धन मुहैया कराते हुए सीमा को 1100 करोड़ रु. तक बढ़ा दिया है।

अनुसंधान ठेके दिया जाना

2390. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय सलाहकारों, गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संगठनों आदि को अनुसंधान ठेके प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में दिए गए अनुसंधान ठेकों की सूची तथा इन अनुसंधान कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान ठेकों को मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विषय के चयन तथा अनुसंधान ठेकों में क्या कार्य–प्रणाली तथा मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान को 'उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण में अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कालेजों आदि की भागीदारी को बढ़ावा देने' की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। इस स्कीम के तहत अनुसंधान प्रस्ताव विश्वविद्यालयों, कालेजों और गैर–सरकारी संगठनों को मंजूर किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के तहत दिए गए अनुसंधान अध्ययनों और उनकी स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिए गए अनुसंधान अध्ययन के ब्यौरे भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान द्वारा अनुरक्षित परामर्शी परियोजना की वेबसाइट www.consumereducation.in में दिए गए हैं। यह उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट से जुड़ी हुई है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर में दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए यह संगत नहीं है।

(ङ) भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान में गठित एक मूल्यांकन समिति विषयों का चयन करती है और उनको विभाग में निगरानी समिति के अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।

विवरण

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग की स्कीम के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं/ गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान किए गए अनुसंधान अध्ययनों के ब्यौरे

क्र.सं.	संस्था का नाम	मंजूरी वर्ष	विषय	राशि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
2005-2006					
1.	गर्वनमेंट मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, सेक्टर–32, चंडीगढ़	2005–2006	उपभोक्ता अधिकार जागरूकता से पहले और बाद में चंडीगढ़ के कालेज विद्यार्थियों में स्वास्थ्य मुहैया कराने वाली पद्धतियों में अधिकारों के स्तर का मूल्यांकन करना।	50,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
2.	गर्वनमेंट कालेज क्वेपम, गोवा	2005–2006	गोवा में उपभोक्ता निवारण प्रणाली की लेखापरीक्षा।	95,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
3.	नागपुर यूनिवर्सिटी, पोस्टग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ इकानोमिक्स, नागपुर	2005–2006	"महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के विशेष संदर्भ में" सेवा क्षेत्र में विशेष संदर्भ के साथ उपभोक्ता संरक्षण	2,49,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
4.	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, (पंजाब)	2005–2006	पंजाब राज्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के वास्तविक कार्यकरण का क्रिटिकल मूल्यांकन	4,50,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
5.	गर्वनमेंट जेडीबी गर्ल्स कालेज, कोटा राजस्थान	2005–2006	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रभाव तथा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का विकास।	1,50,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
6.	वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2005–2006	पश्चिम बंगाल में राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता मंचों का प्रभाव निर्धारण/मूल्यांकन	3,00,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
7.	स्कोटिश चर्च कालेज, कोलकाता	2005–2006	कोलकाता में उपभोक्ताओं के विशेष संदर्भ में विधायी और प्रशासनिक उपायों का प्रभाव	2,20,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
8.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2005–2006	उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ताओं के कल्याण संबंधी समस्याएं तथा उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता	3,56,400/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
9.	सेंटर फार द स्टडी आफ लॉ एंड गर्वननेंस, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	2005–2006	भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक दूरसंचार बाजार में उपभोक्ता संरक्षण	4,43,400/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
10.	सीसीएस हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार	2005–2006	ग्रामीण हरियाणा में उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण – एक एक्सप्लोरेट्री अध्ययन	3,72,600/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1	2	3	4	5	6
11.	राजे रामराय कालेज, जाथ, (जिला सांगली), महाराष्ट्र	2005–2006	उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव–भूत, वर्तमान और भविष्य	1,90,000/–	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
12.	राजीव गांधी गर्वनमेंट पीजी कालेज, मंदसौर, म.प्र.	2005–2006	मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों और इसकी चुनौतियों का कार्यान्वयन	3,25,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
13.	सेंटर फार अर्बन इक्नोमिक स्टडिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता	2005–2006	विशेष रूप से कोलकाता के संदर्भ में उपभोक्ताओं के अधिकारों और शिकायतों के संबंध में सामान्य जागरूकता।	1,84,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
14.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	2005–2006	अर्थव्यवस्था, उपभोक्तावाद एवं बाजार–ग्रामीण और शहरी डाइकोटामी	3,47,300/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
15.	फोरमेटिव रिसर्च एंड डवलेपमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली	2005–2006	उत्तर प्रदेश राज्य में स्थितिपरक विश्लेषण	3,47,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
16.	सेंट टेरस कालेज, एर्नाकुलम, कोचिन, केरल	2005–2006	उपभोक्ता असंतुष्टिकरण एवं वायसिंग – सामाजिक नीति से संबंधित मुद्दे।	2,50,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
17.	काउंसिल फार ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर	2005–2006	उड़ीसा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित, जागरूकता और जीवन की गुणवत्ता पर रचनात्मक अध्ययन	2,20,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
18.	संत गडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	2005–2006	उपभोक्ता जागरूकता और महिला उपभोक्ताओं का बाइंग बिहेवियर	70,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
19.	पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना	2005–2006	टेक्सटाइल्स और हाउसहोल्ड डयूरेबल्स के उपभोक्ताओं हेतु तकनीकी बेकअप का विकास और निर्धारण	4,31,250/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
20.	जनता विद्या मंदिर, पीजी कालेज, चरखी दादरी, हरियाणा	2005–2006	हरियाणा के ग्रामीण बाजार में उपभोक्ता संबंधी समस्याएं और उपभोक्ता संबंधी समस्याएं और उपभोक्ता संरक्षण हेतु फ्रेमवर्क	1,40,000/–	रिपोर्ट प्रस्तुत की।
21.	भारती दर्शन गर्वनमेंट कालेज फार वूमन, पांडिचेरी	2005–2006	पांडिचेरी में कालेज विद्यार्थियों के बीच उपभोक्ता व्यवहार का विस्तृत अध्ययन	2,50,000/–	रिपोर्ट प्राप्त हुई।

1	2	3	4	5	6
22.	कौटिल्य इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनोमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, पटना, बिहार	2005–2006	जनसमूह के बीच जागरूकता कार्यक्रम	67,000/–	रिपोर्ट प्राप्त हुई।
2006-2007					
23.	एनवाईवाईएस इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, नागपुर	2006–2007	ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए जागरूकता सर्वे	1,99,000/–	रिपोर्ट देय नहीं है।
24.	गर्वनमेंट कालेज फार गर्ल्स, सेक्टर–11, चंडीगढ़	2006–2007	खाद्य उद्योग में उपभोक्ता और कानून ज्ञान एवं चुनौतियों	1,10,000/–	रिपोर्ट प्राप्त हुई।
25.	बी.बी. किसन कालेज, बारपेटा, असम	2006–2007	उपभोक्ता अधिकारों के लिए सुरक्षाकोटि के रूप में लोक अंतकरण–असम के बारपेटा जिले में एक अध्ययन	4,90,000/–	रिपोर्ट देय नहीं है।
26.	कालेज ऑफ होम साइंस, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	2006–2007	सेवा प्रदाता उद्यमों का मूल्यांकन और उपभोक्ता संतुष्टि	3,55,000/–	रिपोर्ट देय नहीं है।
27.	गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स कालेज, मोदीनगर, उ.प्र.	2006–2007	उपभोक्ता व्यवहार–कम्यूनिकेशन और ग्रामीण बाजार	3,61000/–	रिपोर्ट प्राप्त हुई।
28.	श्री शिक्षण प्रकाशक मंडल महिला महाविद्यालय, नागपुर	2006–2007	पूर्वी नागपुर में उपभोक्ता कल्याण और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी गतिविधियां	2,68,000/–	रिपोर्ट प्राप्त हुई।
2007-2008					
29.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, बल्लभ विद्या नगर, कोनिसी, उड़ीसा	2007–2008	जागरूकता स्तर को बढ़ाने के लिए अनुसंधान अध्ययन	2,42,000/–	रिपोर्ट देय नहीं है।
30.	तमिल यूनिवर्सिटी त्रिची, तमिलनाडु	2007–2008	तमिलनाडु में कला और विज्ञान कालेज विद्यार्थियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम	3,83,000/–	रिपोर्ट देय नहीं है।
31.	नेशनल कालेज डिंडीगुल, (तमिलनाडु)	2007–2008	आवश्यक वस्तुओं में उपभोक्ता संरक्षण	1,70,000/–	रिपोर्ट देय नहीं है।

अनुवीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन समिति द्वारा की गई अनुसंधान अध्ययन संबंधी सिफारिश
(निधि जारी नहीं की गई)

1.	अग्रसेन (पीजी) कालेज, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.	2007–2008	ग्रामीण उपभोक्ता जागरूकता और व्यवहार–बुलन्दशहर जिले का अनुभवजन्य अध्ययन।	3,33,000/–

1	2	3	4	5
2.	ग्लोबल चेंजेज मैपिंग फार एक्सिलेंस	2007–2008	ग्लोबल चेंजेज मैपिंग फार एक्सिलेंस	3,62,000/–
3.	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, बरिपाड़ा	2007–2008	उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अनुसंधान अध्ययन–वितरण प्रणाली।	3,00,000/–
4.	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, केरल	2007–2008	केरल में माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का उपभोक्ता जागरूकता का सर्वे और हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए उपभोक्ता अधिकारों पर पाठ्य सामग्री का विकास।	3,25,000/–

बांस का ग्रिगैरियस पुष्पण

2391. श्री मणि चारेनामै :
श्री मित्रसेन यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्य बांसों के ग्रिगैरियस पुष्पण से प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बांस के अंतर्गत फसल क्षेत्र में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बांस की फसल की गुणवत्ता क्या थी और बांस आधारित विभिन्न उद्योगों द्वारा कितनी खपत हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी हां, पूर्वोत्तर राज्यों में बांस का सामूहिक पुष्पण हो रहा है। बांस पुष्पण से प्रभावित राज्य–वार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने बांस पुष्पण की समस्या को प्रबंधित करने के लिए 85 करोड़ रु. के आबंटन से पूर्वोत्तर राज्यों में बांस के भावी सामूहिक पुष्पण के प्रबंधन पर एक योजना शुरू की है।

(ग) और (घ) देश में बांस की फसल की कमी के संबंध में कोई वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में बांस के सामूहिक पुष्पण (30–40 वर्षों में एक बार) के परिणामस्वरूप अत्यधिक बीजण के बाद बांस की सभी कलमें मर जाती हैं।

(ङ) राष्ट्रीय बांस मिशन कृषि एवं सहकारिता विभाग का एक नया कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2006–07 की आखिरी तिमाही में आरंभ किया गया। इस मिशन के अधिदेशों में से एक देश में बांस के राज्य–वार उत्पादन संबंधी सूचना का संग्रहण और संकलन करना है।

तथापि, यह अनुमान है कि 10,00,000 टन बांस का उपयोग कागज तथा पल्प उद्योग में किया जाता है जबकि 1,90,000 टन बांस का उपयोग गैर–कागज उद्योग में किया जाता है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में सामूहिक पुष्पण द्वारा प्रभावित अनुमानित क्षेत्र

राज्य	सामूहिक पुष्पण के अंतर्गत प्रत्याशित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
अरूणाचल प्रदेश	1000
असम	2950
मणिपुर	1592
मेघालय	400
मिजोरम	5100
नागालैंड	250
त्रिपुरा	1677
योग	12939

सिंचाई क्षेत्र में सरकारी निवेश

2392. श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई क्षेत्र में सरकारी निवेश में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने विभिन्न राज्यों में किन–किन परियोजनाओं में सरकारी निवेश का निर्णय लिया है; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को अभी तक क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने सिंचाई क्षेत्र पर उचित बल दिया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में कहा गया है कि "संप्रग (यूपीए) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई में सार्वजनिक निवेश को अतिशीघ्र सार्थक तरीके से बढ़ाया जाए"। एनसीएमपी में आगे यह कहा गया है कि "सिंचाई को उच्चतम निवेश प्राथमिकता दी जाएगी और सभी चालू परियोजनाएं समय सूची के अनुसार निश्चित समय पर पूरी की जाएगी"। X वीं योजना के 95,743 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में XIवीं योजना में सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,32,311 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई विकास के लिए परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार संकल्पित, आयोजित और क्रियान्वित की जाती है। राज्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

खानों की सुरक्षा के लिए आबंटन

2393. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खानों की सुरक्षा, जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्याप्त वित्तीय आबंटन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपबंध समाविष्ट हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए प्रबंधनों को परिपत्रों के रूप में दिशा–निर्देश जारी करता है। तथापि, खानों की सुरक्षा, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन के संबंध में पर्याप्त निधियों के आबंटन का प्राथमिक उत्तरदायित्व खान प्रबंधनों का है।

पाम ऑयल का आयात

2394. श्री एम.एम. कृष्णदास : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान आयातित पाम ऑयल की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त तेल का किस प्रकार उपभोग किया गया;

(ग) क्या दक्षिण पत्तनों में से किसी पत्तन में आयातित पाम ऑयल को लाने–ले–जाने पर कोई प्रतिबंध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2007–08 के दौरान आयात किए गए क्रूड ताड़ तेल की मात्रा व उसके मूल्य के ब्यौरे इस प्रकार हैं –

वर्ष 2007–08	मात्रा लाख टन में	मूल्य करोड़ (रुपए) में
अप्रैल, 2007 से जुलाई, 2007	9.93	1881.14

स्रोत : विदेश व्यापार महानिदेशालय

(ख) ताड़ तेल को परिष्कृत किया जाता है और इसका इस्तेमाल वनस्पति के उत्पादन तथा खाद्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) केरल में किसी पत्तन के जरिए ताड़ तेल के आयात की अनुमति नहीं है। यह कदम राज्य में नारियल किसानों के हित की रक्षा के लिए राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद उठाया गया था।

अस्बेस्टस फैक्ट्रियों में कार्य करने की दशा

2395. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश की अस्बेस्टस फैक्ट्रियों में कार्य करने की दशा में सुधार की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओक्यूपेशनल हैल्थ के माध्यम से एक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उक्त अध्ययन करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा कितनी धनराशि का अंशदान दिया गया तथा सरकार द्वारा कितना आबंटन किया गया?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) "देश में क्राईसोटाइल अस्बेस्टस के उपयोग से उत्पन्न

होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों/पर्यावरणीय जोखिमों का अध्ययन" विषयक एक परियोजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओक्यूपेशनल हैल्थ, अहमदाबाद द्वारा चलायी जा रही है।

(ग) परियोजना की कुल लागत 59.66 लाख रुपये है। इसमें से, 43.66 लाख रुपये का अंशदान भारत सरकार (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय) दे रही है और उद्योग का सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शेष 16 लाख रुपये की राशि का अंशदान अस्बेस्टस सीमेंट उत्पाद विनिर्माता एसोसिएशन द्वारा दिया गया है।

जैविक खाद के प्रभाव

2396. श्री रेवती रमण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैविक खाद के प्रभावों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैविक खाद की गुणवत्ता का अनुवीक्षण करने के लिए कोई प्रणाली विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) गत कुछ दशकों से 'दीर्घावधिक उर्वरक प्रयोग' पर आधारित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने निष्कर्ष निकाला है कि नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटाश (एनपीके) और जैविक खाद की अनुकूल मात्रा का समेकित प्रयोग ही मृदा स्वास्थ्य को बनाये रख सकता है और उच्च सतत पैदावार दे सकता है। आवश्यक पौध पोषण तत्वों की आपूर्ति के अलावा जैविक खाद मृदा की भौतिक स्थितियों में सुधार लाता है और मृदा जीवाणुओं को ऊर्जा प्रदान करके मृदा के जैविकीय क्रियाकलापों को प्रेरित करता है।

(ग) और (घ) जैविक खाद ज्यादातर फार्म पर उत्पादित किये जाते हैं और किसानों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तथापि, कुछ प्रकार के जैविक खादों के व्यवसायीकरण की दृष्टि से तीन जैविक खादों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत लाया गया है नामतः (i) शहरी अपशिष्ट कम्पोस्ट (ii) वर्मी कम्पोस्ट (iii) प्रेस–मड। एफसीओ की विनिर्दिष्टताओं/प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त जैविक खाद की गुणवत्ता की मानिटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

कार्पोरेट कृषि

2397. डा. सत्यनारायण जटिया :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कार्पोरेट कृषि शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्पोरेट कृषि को बढ़ावा देने तथा इसमें किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए नई चकबंदी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण भण्डारण योजना

2398. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता का सृजन करने के लिए एक नई योजना "ग्रामीण भण्डारण योजना" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गोदामों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके बाद आज की तारीख तक इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार सृजित कुल भण्डारण क्षमता कितनी है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत भण्डारण क्षमता सृजन में निजी पक्षों को भागीदारी करने की अनुमति है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत तथा खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) :

(क) सरकार दिनांक 1.04.2001 से केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण स्कीम (ग्रामीण भण्डारण योजना) का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) 31 जनवरी, 2008 के अनुसार स्कीम के अंतर्गत 208.57 लाख मी. टन क्षमता की 16350 भण्डारण परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात 31 जनवरी, 2008 तक स्वीकृत गोदामों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	सं.	क्षमता (लाख मी.टन में)
2004–05	4554	34.81
2005–06	2120	24.61
2006–07	2483	17.01
2007–08 (31 जनवरी, 2008 तक)	1982	26.40

(घ) जी, हां।

(ङ) 31.3.2007 के अनुसार 113.86 लाख मी.टन क्षमता वाले 8594 ग्रामीण गोदामों की निजी क्षेत्र में यथा वैयक्तिक किसान, कृषि स्नातक, अ.जा./अ.ज.जा., महिला उद्यमी, कम्पनियां, निगम इत्यादि में स्वीकृति दी जा चुकी है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत एवं खर्च की गई राशियों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :–

वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	निर्मुक्त राशि (करोड़ रु. में)
2004–05	100	100
2005–06	90	90
2006–07	70	69.93
2007–08 (31 जनवरी, 2008 तक)	70	53.50

विवरण

31.1.2008 को ग्रामीण भंडारण योजना की प्रगति संचयी (वास्तविक)

क्र.सं.	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नई)		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नवीकरण)		कुल	
		परि. की सं.	क्षमता टन में	परि. की सं.	क्षमता टन में	परि. की सं.	क्षमता टन में	परि. की सं.	क्षमता टन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्र प्रदेश	730	2916156	57	10300	51	4750	838	2931206
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	945	0	0	0	0	1	945
3	असम	132	176938	1	650	0	0	133	177588
4	बिहार	22	62700	342	35350	6	1500	370	99550
5	छत्तीसगढ़	210	602703	77	258350	0	0	287	861053
6.	गोवा	3	290	0	0	0	0	3	290
7.	गुजरात	3047	902642	32	93600	19	19600	3098	1015842
8.	हरियाणा	236	1390128	201	24000	155	236017	592	1650145
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	31	3600	0	0	31	3600
10	जम्मू–कश्मीर	1	100	1	1950	0	0	2	2050
11.	झारखंड	4	5848	0	0	0	0	4	5848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	कर्नाटक	1461	1157399	82	52140	2	240	1545	1209779
13	केरल	29	25645	43	13000	8	1570	80	40215
14	मध्य प्रदेश	1331	2703059	105	93000	120	72616	1556	2868675
15	महाराष्ट्र	1756	2087094	33	178500	129	261300	1918	2526894
16	मेघालय	3	9755	34	3450	3	300	40	13505
17	नागालैंड	1	4000	0	0	0	0	1	4000
18	उड़ीसा	204	418338	0	0	0	0	204	418338
19	पंजाब	1162	2639002	14	1790	208	385600	1384	3026392
20	राजस्थान	416	284296	135	66650	116	11600	667	362546
21	तमिलनाडु	81	262920	98	35650	185	26950	364	325520
22	उत्तर प्रदेश	185	1125128	87	149100	693	955468	965	2229696
23	उत्तराखंड	78	151443	22	17650	4	18600	104	187993
24	पश्चिम बंगाल	2050	839961	91	9100	15	1500	2156	850561
25	संघ राज्य क्षेत्र	0	0	01	4000	0	0	1	4000
26	नैफेड	0	0	05	30800	0	0	5	30800
27	एनसीसीएफ	0	0	01	10000	0	0	1	10000
	योग	13143	17766490	1493	1092930	1714	1997611	16350	20857031

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तिलहनों तथा दालों का उत्पादन

2399. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में चालू वर्ष के लिए तिलहनों तथा दालों के उत्पादन तथा इन्हें उगाए जाने के संबंध में कोई आंकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सुनामी से हुई तबाही के बाद बुवाई क्षेत्र में कितनी कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) अण्डमान निकोबार प्रशासन के आकलन के अनुसार वर्ष 2007–08 के लिये तिलहनों और दालों के क्रमशः 320 मी.टन तथा 1000 मी.टन उत्पादन के साथ तिलहनों के तहत 800 हैक्टेयर और दालों के तहत 2000 हेक्टेयर के क्षेत्र कवरेज का प्रक्षेपण किया गया है। सुनामी तबाही के पश्चात बुवाई क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र सहित देश में "कृषि में वृहत प्रबंध" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के किसानों को जैव–उर्वरकों तथा जैव–कीटनाशकों की आपूर्ति पर वित्तीय सहायता के अलावा, तिलहनों और दलहनों के बीज मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

इसके अलावा, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र की सरकार ने किसानों के लाभार्थ राज्य प्लान के तहत विभिन्न स्कीमों

का निरूपण भी किया है। राज्य प्लान स्कीमों के तहत तिलहनी और दलहनी फसलों के बीजों सहित सभी बीजों पर 20% लागत सब्सिडी तथा 100% परिवहन सब्सिडी के रूप में किसानों को सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदों को भरा जाना

2400. श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में उपक्रमों/निगमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदों को भरने के लिए आरक्षण संबंधी मानदण्डों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में कितने आरक्षित पद रिक्त हैं तथा ये पद कितने वर्षों से रिक्त हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) उपक्रम/निगम-वार ब्यौरा निम्नवत् है :-

क्रम सं.	उपक्रम/निगम का नाम	रिक्त पदों की संख्या		कितने वर्षों से रिक्त पड़े हैं
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1.	टेलीकम्युनिकेशंस कन्सलटैंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आईटीआई लिमिटेड	शून्य	40	एक से दस वर्ष
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)	17	16	दो वर्ष
4.	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)	2548	2556	छह माह से दो वर्ष

(ग) जब कभी भी पदों पर भर्ती की जाती है तो पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर पदों को भरने के प्रयास किए जाते हैं। जहां तक आईटीआई लिमिटेड का संबंध है, इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा वर्ष 2004 में बीमार कंपनी घोषित किया जा चुका है तथा इसके द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्यमों को विशेष भर्ती अभियान के जरिए पिछली रिक्तियों को भरने से छूट देने को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

[अनुवाद]

पशु रोगों के लिए प्रयोगशालाएं

2401. श्री रमेश दूबे :

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक कार्य कर रही उच्च सुरक्षा वाली पशु रोग प्रयोगयशालाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में ऐसी प्रयोगशालाओं की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पशु रोगों के बार-बार फैलने को देखते हुए देश में और ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) इस प्रकार की एक प्रयोगशाला देश में भोपाल में कार्य कर रही है जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर का एक एकक है।

(ख) जी, हां।

(ग) पशुपालन, डेरी तथा मात्स्यिकी विभाग एक जैव-सुरक्षा स्तर (बीएसएल)-IV प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन की योजना बना रहा है। इसके अलावा छह बीएस एल-III तथा 23 बीएसएल-II प्रयोगशालाओं का विश्व बैंक सहायता के तहत प्रयोगशाला इंटेलिजेंस कार्यक्रम के जरिए वृद्धि तथा उन्नयन का भी प्रस्ताव है। बीएसएल-III की 6 प्रयोगशालाओं में से 4 को पहले तैयार किया जा चुका है तथा गुवाहाटी, पुणे, जालंधर तथा बरेली में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है एवं 2 बीएसएल-III प्रयोगशाला कोलकाता तथा बंगलौर में बनायी जा रही है।

विभिन्न राज्यों में मौजूदा प्रयोगशालाओं के उन्नयन और उनमें जोड़/परिवर्तन करके बीएसएल-II सुविधाओं के सृजन का प्रस्ताव है।

डाक विभाग को राज सहायता

2402. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग को वर्तमान में केन्द्र सरकार से भारी राज सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार घाटे में चल रहे विभाग को स्वतः धारणीय इकाई में परिवर्तित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक विभाग विशेषकर देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वभौम सेवा दायित्व के अपने मूल उद्देश्य के साथ सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसलिए, विभाग द्वारा इस प्रक्रिया से अर्जित राजस्व परिव्यय से कम पड़ता है तथा राजस्व घाटा होता है। डाक विभाग का घाटा बहुत हद तक इन कारणों के परिणामस्वरूप है :-

(i) परिव्यय की लगभग 89% राशि स्टाफ के वेतन, पेंशन आदि जैसे अनिवार्य शीर्षों पर खर्च होती है।

(ii) सरकार की नीति के अनुसार सार्वभौम सेवा दायित्व के भाग के रूप में आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकतर सेवाओं की दरें निर्धारित होती हैं।

(iii) विभाग के राजस्व घाटे को नीचे दिया गया है :-

	वर्ष	राजस्व घाटा (करोड़ रुपए में)
1.	2005-06	1209.88
2.	2006-07	1249.52

(ग) और (घ) विभाग नये उत्पादों, बाजार विकास गतिविधियों को प्रारंभ कर एवं ग्राहकोन्मुखी रणनीतियों के जरिये अपने राजस्व को बढ़ाने के उपाय कर रहा है। स्पीड पोस्ट, व्यावसायिक पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट आदि प्रीमियम सेवाओं के रूप में निरंतर बढ़ रही है। डाक विभाग वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं, एजेंसी प्रकार्यों की रिटेलिंग हेतु अपने व्यापक नेटवर्क का भी प्रयोग कर अपने राजस्व को बढ़ा रहा है। इसके अलावा, विभाग ने इन्सटेंट धनादेश सेवा एवं अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं को अपने कार्य क्षेत्र में शामिल कर लिया है।

कृषि अनुसंधान

2403. श्री निखिल कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान और शिक्षा का स्वरूप बदलने के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि शिक्षा को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने तथा अनुसंधान और शैक्षिक क्षमताओं को बढाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। इस वर्ष दिनांक 19-20 जनवरी, 2008 को कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के मुख्य मुद्दों में मौसम परिवर्तन, जैव-संसाधन, कृषि शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन, शैक्षणिक विनियामक, कार्मिक नीतियां, पाठ्यक्रम संशोधन, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण, संकाय दक्षता, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन एवं कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान संबंधी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) छात्रों को जानकारी, दक्षता तथा विचार-भाव के उचित मिश्रण के साथ परीक्षणात्मक शिक्षण की सुविधा देने तथा जरूरत आधारित सहभागिता एवं सम्पर्क को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 183 परीक्षाणात्मक शिक्षण एककों को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही अनुसंधान एवं शिक्षा के विशिष्ट (निच) क्षेत्र में अपनी नीतिगत शक्ति में वृद्धि द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों के निष्पादन और स्पष्टता वृद्धि के क्रम में निच क्षेत्र की 283 उत्कृष्टता यूनिटों को स्थापित किया है। डीनों की चतुर्थ समिति द्वारा संस्तुत संशोधित पाठ्यक्रम को व्यापक रूप से कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, सम्मेलन में दिए गए सुझावों और सिफारिशों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा प्रभाग के 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में व्यावहारिक रूप से शामिल किया गया है।

स्पेक्ट्रम का आबंटन

2404. श्री उदय सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने दूरसंचार विभाग को कुछ सेवा प्रदाताओं को उनकी योग्यता से अधिक स्पेक्ट्रम का आबंटन करने के कारणों की व्याख्या करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को स्पेक्ट्रम पर जीएसएम तथा सीडीएमए के बीच लड़ाई की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने स्पेक्ट्रम संबंधी मामलों पर कुछ प्रश्न उठाए थे और उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी।

सेवा प्रदाताओं को उनके लाइसेंस करारों के संगत उपबंधों और पात्रता संबंधी मानदंडों के अनुसार स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाता है बशर्ते, स्पेक्ट्रम उपलब्ध हो। सीडीएमए और जीएसएम प्रणालियों के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों में इन प्रौद्योगिकियों की अपनी स्पेक्ट्रम दक्षता को ध्यान में रखा गया है।

कृषि विपणन

2405. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री वाडिगा रामकृष्णा :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विपणन को सुदृढ़ करने और इसे विकसित करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीय कृत्यक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खरीद प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने और किसानों के उत्पाद के बेहतर विपणन के लिए उन्हें लघु एवं सहायता समूह के गठन में समर्थ बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या वायदा बाजार द्वारा निर्धारित दरें सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक तर्कसंगत हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वायदा कारोबार में किसानों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा गठित अंतरमंत्रालयीय कृषि विपणन सुधार संबंधी कार्य बल द्वारा दिनांक 28.6.2002 को अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने चावल और गेहूं के लिए विकेन्द्रीकृत अधिप्रापण स्कीम शुरू की है जिसका उद्देश्य गैर-पारंपरिक राज्यों में स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभों का विस्तार करना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें भारत सरकार की और से अधिप्रापण करती हैं और इन खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण पद्धति और अन्य कल्याण स्कीमों में वितरण एवं भण्डारण भी करती है। सरकार जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (ए टी एम ए) के माध्यम से राज्य विस्तार सुधार समर्थन स्कीम के अंतर्गत स्वतः सहायता समूहों/सामान्य हित समूहों एवं जिंस विशिष्ट समूहों के गठन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और ऐसे समूहों के गठन से आशा है कि किसानों को अपने उत्पाद के लिए समेकन/मूल्यवर्धन और बेहतर विपणन में सहायता मिलेगी।

(ङ) और (च) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) का उद्देश्य वायदा बाजार में व्यवस्थापन मूल्य निर्धारण से भिन्न है। इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। एम एस पी वास्तविक मण्डी मूल्यों को प्रतिबिम्बित करने से अभिप्रेत नहीं है लेकिन जैसा कि नाम से सूचित होता है कि यह न्यूनतम मूल्य है यदि मण्डी मूल्य निर्धारित एम एस पी से नीचे गिर जाता है, जिसे उत्पादक सरकारी खरीद के अंतर्गत प्राप्त करता है। वायदा बाजार में व्यवस्थापन मूल्य विशेष दिवस और विशेष समय पर प्रतिनिधिक मण्डी मूल्य होने से अभिप्रेत है। अधिकांश व्यवस्थापन मूल्य विभिन्न जिंसों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एम एस पी से अधिक होते हैं लेकिन व्यवहारतया व्यवस्थापन मूल्य एम एस पी से भी नीचे जा सकते हैं। यह उल्लेख करना है कि दोनों पद्धतियों में और विभिन्न उद्देश्यों में जिनके लिए सरकार द्वारा एम एस पी का निर्धारण किया जाता है, मूल्य निर्धारण की विभिन्न विधियों पर विचार करते हुए कौन सी अधिक वैज्ञानिक है। चूंकि वायदा बाजार मूल्य खोज का पारदर्शी तंत्र प्रदान करता है और वायदा बाजार में संरक्षण के माध्यम से मूल्य जोखिमों का निपटान किया जा सकता है, इसे किसानों के लिए अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। कृषि मंत्रालय सहित अन्य एजेंसियों के सहयोग से अग्रणी मण्डी आयोग ने मण्डी अहातों में/ग्रामीण डाकखानों में इलेक्ट्रानिक मूल्य टिकर बोर्डों की स्थापना करने और वायदा बाजार के लाभों के बारे में किसानों को जागरूक बनाने के लिए किसान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और भावी व्यापार में भागीदार करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने जैसे कदमों को उठाया है।

विवरण

अंतर–मंत्रालय कार्य बल की सिफारिशों के ब्यौरे

1. सभी राज्य सरकारें अन्य बातों के साथ साथ विशेष रूप से निम्नलिखित व्यवस्था का प्रावधान करने के लिए राज्य कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम (ए पी एम सी अधिनियम) संशोधित करें :–

(क) कृषि विपणन ढांचा और समर्थनकारी सेवाओं की स्थापना करने और प्रचालित करने (सेवा प्रभार की वसूली सहित) के लिए निजी और सहकारिता क्षेत्रों को सक्षम बनाना।

(ख) लाइसेंसधारी व्यापारियों और विनियमित मण्डियों के माध्यम से जाने की अनिवार्यता के बिना उत्पादक क्षेत्रों और किसान खेतों से कृषि जिंसों की प्रत्यक्ष खरीद।

(ग) प्रसंस्करण अथवा विपणन फार्मों द्वारा "संविदा खेती" कार्यक्रमों की अनुमति। ए पी एम सी जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर संविदा खेती करार आते हैं, में शामिल क्षेत्र, संविदा खेती करारों का अभिलेख करें तथा अपने क्षेत्राधिकार में समुचित विधिक समर्थन से उत्पादकों और प्रसंस्करण कर्त्ताओं के हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करें। "संविदा खेती" कार्यक्रम के तहत कृषि या बागवानी उत्पादों के प्रापण पर बाजार शुल्क, उपकर, शुल्कों, करों इत्यादि की रीति से करों के भार को माफ या कम करें।

(घ) राज्य में विपणन की समस्त प्रक्रिया में बाजार शुल्क की एकल बिंदु वसूली आरंभ करके बाजार फीस की वसूली की प्राप्ति। प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर सेवा प्रभार की प्रकृति में अधिक बाजार प्रयोक्ताओं के लिए प्रदत्त सेवाओं/सुविधाओं के पैमाने के प्रकार के अनुरूप विभिन्न स्लेबों पर शुल्क की वसूली की जा सकती है।

(ङ) विपणन ढांचा विकास परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए एजेंसियां को बढ़ावा देने के लिए आकर्षित करने के लिए, सभी राज्य सरकारों/यू टी प्रशासनों और केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों से निम्नलिखित क्षेत्रों में अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने का अनुरोध किया जाए :–

i) कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम के क्षेत्राधिकार से आगामी और पिछले सह–संबंधों के साथ उन क्षेत्रों से विनियमन जहां नई मण्डियां स्थापित की जाएंगी।

ii) कृषि उत्पाद मण्डियां स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमोदनों के साथ उपयुक्त और पर्याप्त भूमि आबंटन।

iii) किसान संगठनों और संग्रह केन्द्रों के लिए गांव की भूमि का प्रावधान;

iv) बिजली, पानी, सीवर, टेलीफोन इत्यादि जैसी सेवाओं के लिए त्वरित अनुमोदन;

v) आरंभिक पूंजीगत निवेश के लिए दीर्घावधि ऋण; और

vi) आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 जी) के अर्थों के भीतर एक ढांचागत परियोजना के रूप में परियोजना की घोषणा।

2. देश में विपणन ढांचे के विकास के लिए आवश्यक निवेश आकर्षित करने के मद्देनजर, आम और जिंस विशिष्ट कृषि उत्पाद मण्डियों के विकास और मौजूदा कृषि मंडियों, थोक मूल्य, ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में आवधिक सुदृढ़ीकरण के लिए क्रेडिट लिंक्ड सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केन्द्र स्कीम तैयार की जाए। भण्डारण, शीत भण्डार और शीत श्रृंखला ढांचे का निर्माण के लिए, जारी केन्द्रीय स्कीम को 85 लाख एम डी, 56.00 लाख एम टी के शीत भण्डारण की ग्रामीण भण्डारण की अतिरिक्त क्षमता का सर्जन करना और दसवीं योजना अवधि के दौरान आवश्यक शीत श्रृंखला ढांचे को और विस्तारित किया जाए। ए पी एम सी अधिनियमों और विनियमन में राज्यों द्वारा सशर्त और सुधारों के जुड़ी केन्द्रीय सहायता दी जाए। ढांचा विकास कार्यक्रम समर्थन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो परिव्यय की मात्रा पर विचार करते हुए अपेक्षित बाहरी वित्तपोषण मांगा जाए।

3. 2007 में दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक कम से कम 7000 करोड़ रुपए के एक स्तर पर पहुंचने के लिए फसलों (प्रतिभूति वित्त पोषण) के विपणन के लिए ऋण को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए। आर बी आई को प्रगति मानीटर करने के लिए प्रतिभूति वित्तपोषण के लिए दिए गए ऋणों के लिए एक पृथक एम आई एस को आरंभ करने के लिए उपयुक्त विपणन ऋण नीतियां बनाने की आवश्यकता है। नाबार्ड को सहकारी बैंकों के समान शर्तों के आधार पर, किसानों के लिए प्रतिभूति वित्त पोषण सुविधाएं प्रदान करने और आर आर बी के लिए 100% पुनर्वित्त पोषण प्रदान करने के लिए राज्य विपणन सहकारियों के स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आर बी आई को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए कि ग्रामीण गोदामों के लाइसेंसधारी प्रचालकों द्वारा जारी भण्डारण रसीदें/गोदाम रसीदों के किसानों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए बंकरों द्वारा स्वीकार्य हों। प्रतिभूति ऋण के लिए सुगम प्रवेश सुविधा के लिए, आर बी आई को वाणिज्यिक बैंकों के साथ परामर्श से एक सरलीकृत क्रिया–विधि विकसित की जाए।

4. कृषि जिंसों के संबंध में परक्रमीय भण्डारण रसीद प्रणाली की एक व्यवस्था आरंभ करने के लिए, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों को एक पर्याप्त रूप से लम्बी समयावधि तक

संचित वस्तुओं की गुणवत्ता रख–रखाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिंसों के संबंध में वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को विकसित करना चाहिए। भण्डारण निगम भण्डारों में गुणवत्ता और मात्रा दोनों के लिए मानकों को लागू करें, जिसके लिए ग्रेडों और मानकों के मापन के लिए अपेक्षित ढांचे के रूप में भी आरंभ किए जाने की आवश्यकता है ताकि गुणवत्ता और मात्रा मानकों संबंधी विवादों को कम किया जा सके और भण्डारण रसीद की विश्वसनीयता को सुधारा जा सके।

5. लाइसेंसधारी गोदाम प्रचालकों द्वारा जारी गोदाम रसीदों को "परक्रमीयता" का दर्जा प्रदान करने के लिए, परक्रीय दस्तावेज अधिनियम संशोधित किया जाए या विकल्प में, भण्डारण रसीदों को पूर्ण परक्रमीय दस्तावेज बनाए जाने के लिए बहु–माडल परिवहन वस्तु अधिनियम, 1993 के पैटर्न पर एक केन्द्रीय विधान पारित किया जाए। विधि ऐसी रीति से बनाई जाए कि वह भण्डार रसीदों की पूर्ण प्रवर्तनता और पारदर्शिता प्रदान करे।

6. कृषि जिन्सों में वायदा बाजारों का संवर्धन करने के लिए, निम्नलिखित कार्रवाई अनुशंसित हैं :–

(क) एफ सी (आर) अधिनियम की धारा 17 के तहत काली सूची को नए सिरे से देखा जाए ताकि उसमें आमूल–चूल परिवर्तन किया जा सके। इस अधिनियम के तहत एन टी एस डी संविदाओं का निषेध और नियमन भी बंद किया जाए।

(ख) वायदा व्यापार के लिए जिंस विशिष्ट दृष्टिकोण पर रोक लगाई जाए। इसके बजाय समग्र नियमावली, प्रक्रियाओं तथा विनियामक दिशा–निर्देशों के तहत जिंस मंडी रेगुलेटर से नकारात्मक सूची में जिंसों के लिए प्रावधान को छोड़कर किसी भी "अनुबंध" में व्यापार के लिए मान्यता प्राप्त संघ/एक्सचेंज अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ग) ऐसी जिंसों/उत्पादों में वायदा व्यापार के लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर जिंसों तथा उत्पादों के संबंध में एक्सचेंजों को व्यवहार्यता अध्ययन कराना चाहिए। पीस मिल ओपेनिंग की प्रणाली तथा विनियामक/सरकार के मूल्यांकन के आधार पर अनुमति की प्रणाली रोक दी जाए। उचित व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर एक्सचेंजों द्वारा प्रस्तावित अध्ययनों का अध्ययन किया जाए और इसे विनियामक द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(घ) अनुबंध की अभिकल्पना और इसके प्रकार (टीएसडी, वायदा, विकल्प–जब कभी सांविधिक रूप से अनुमत्य हो) के संबंध में एक्सचेंजों को निर्णय लेना होगा केवल उचित विनियमन प्रणाली और सहायक प्रावधानों को ही मंडी विनियामक के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाए।

(ङ) कारोबार की लागत में कमी लाने तथा मात्रा में वृद्धि करने के लिए वायदा व्यापार में भंडारण रसीद की प्रणाली को व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है।

(च) विनियामक (वर्तमान में एफएमसी) को उचित अधिकारों एवं व्यावसायिक क्षमताओं के साथ एसईबीआई के समान एक स्वायत्त संगठन बनाने और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि देश में विस्तृत एवं उदार वायदा मंडी में प्रबोधन एवं निगरानी की जा सके।

(छ) सभी व्युत्पन्न उत्पादों, अमेरिका में सीएफटीसी जैसे जिंस फ्यूचर्स के लिए ही नहीं, के विनियमन के लिए जिंस मंडी विनियामक की भूमिका को पुनः परिभाषित किया जाए, ताकि उनकी विशिष्ट विशेषज्ञता का अनुकूलतम प्रयोग हो सके।

7. विगत तीन दशकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में देश के बेहतर सेवा की है। तथापि, हाल के वर्षों में बहुत सी कृषि जिंसों के अधिशेष तथा इसके परिणामतः भारतीय खाद्य निगम में अत्यधिक खाद्य संग्रह के कारण इसके समक्ष समस्याएं आने लगी हैं। बदलते हुए परिवेश में विशेष रूप से उस स्थिति में जब निजी क्षेत्र को कृषि उत्पादों के विपणन में इसकी औचित्यपूर्ण भूमिका सौंपनी है, अधिप्राप्त से एमएसपी को अलग करते हुए एक वैकल्पिक नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक नीति के तहत किसानों को उनकी आय की सुरक्षा के लिए गिरते हुए बाजारों में एक बीमा कार्यक्रम के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा मूल्य का निर्धारण करने के लिए मंडी की प्रवृत्तियों को अनुमति होनी चाहिए। तिलहन, दलहन, चावल और गेहूं जैसे कृषि जिंसों के लिए कुछ चयनित राज्यों में शुरूआत में आय संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। वैकल्पिक नीतियों के निरूपण तथा क्रियान्वयन तक खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए मौजूदा नोडल/केन्द्रीय एजेंसियों तथा राज्य संगठनों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।

8. विभिन्न कृषि जिंसों के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता मानकों में बार–बार शिथिलता नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे स्टाक के निपटान में, अक्षमता और कठिनाई आएगी। वर्तमान में क्षेत्र स्तर पर कोई विश्वसनीय तथा पारदर्शी प्रणाली नहीं है और ग्रेडिंग कमोबेस विवेक के आधार पर किया जाता है।

सापेक्ष मूल्यांकन की इस प्रणाली को नमी मापने वाले उपस्करों तथा अन्य उपस्करों जो उचित औसत गुणवत्ता मापने में सहायक हो सकते हैं, प्रदान करके आब्जेक्टिव मानदंड के रूप में बदले जाने की आवश्यकता है। किसानों को गुणवत्ता मामले पर शिक्षित करने तथा इन्हें व्यापक लोकप्रियता प्रदान करने के लिए उचित औसत गुणवत्ता के मानदंड सख्ती से प्रवर्तन करने होंगे। राज्य सरकारों के परामर्श से नोडल

एजेंसियों को विपणन मौसम में पहले से ही खरीद केन्द्रों की संख्या तथा स्थिति का निर्धारण करना चाहिए। इन खरीद केन्द्रों की संख्या तथा स्थिति की सूचना के मीडिया, रेडियों, टेलीविजन, लीफलेट इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार करना चाहिए।

9. मंडी हस्तक्षेप स्कीम को और लचीली और सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने की आवश्यकताा है। राज्य सरकार (रों) द्वारा इस स्कीम की अधीन हुई हानियों को शेयर करने के प्रावधान को भी पुनः जांचने की आवश्यकता है।

10. किसानों तथा अन्य मंडी कार्यकत्ताओं को मंडी उन्मुखी विस्तार सेवायें प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को गहनता से विकसित करने की आवश्यकता है। 'मंडी सूचना नेटवर्क' की स्थापना करने वाली चालू केन्द्रीय सैक्टर स्कीम को 10वीं योजना के दौरान देश में सभी थोक कृषि मंडियों को कवरेज प्रदान करना चाहिए। इसे स्वीकार्य ग्रेडिंग तथा मानकीकरण के मानकों, पैकेजिंग तथा लेबलिंग, भंडारण तथा माल गोदाम तथा स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना चाहिए ताकि व्यापार तथा प्रोसेसिंग सैक्टर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में बड़े पैमाने पर कृषि विपणन कर सकें। मंडियों में जहां इस स्कीम का प्रचालन करने में मानव शक्ति बाध्य हो वहां प्राइवेट ठेकेदारों से उन्हें समुचित प्रोत्साहन देते हुए तथा मार्केट यार्ड में आवश्यक संरचना के प्रावधान सहित उनकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

11. विपणन अनुसंधान, स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवायें प्रदान करने का उद्देश्य देश में किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों के ही हितों की रक्षा के लिए अच्छा विपणन वातावरण तैयार करना है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण, विस्तार तथा कृषि विपणन में अनुसंधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए इस संस्थान को कृषि विपणन संवर्धन में लगे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में सहयोग करना चाहिए।

12. सरकार का प्रयास है कि केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर इस रिपोर्ट में समयबद्ध तौर पर दी गई सिफारिशों का प्रचालन किया जाना चाहिए। अवसंरचना विकास से संबंधित उपायों को उसकी योजना के दौरान समुचित स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

13. उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के मद्देनजर संयुक्त सचिव (कृषि विपणन) कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता मे एक मानीटरिंग समिति गठित की जायेगी जिसमें उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, विधि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

14. कृषि मंडियों में सतत कृषि विकास हासिल करने, ग्रामीण निर्धनता में कमी लाने तथा कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए सशक्त साधन के रूप में काम करने की क्षमता निहित है। कृतक बल का विश्वास है कि संबंधित सरकारों और एजेंसियों द्वारा संस्तुत उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से कृषि मंडियों में राष्ट्रव्यापी समकेन होगा जिससे देश व्यापार के उदारीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेगा। सुधार के पैकेज से वैश्विक मंडी में भारतीय किसान की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी जिससे वह विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य में मंडी गम्यता के उद्भूत अवसरों का लाभ उठा सकेगा।

15. कृषि विपणन के मूल में सुदृढ़ तथा पर्याप्त अवसंरचना के साथ विपणन प्रणाली निहित है। विभिन्न विपणन क्रियाकलापों के निष्पादन तथा मण्डी के विस्तार के लिए ही नहीं, बल्कि उचित मूल्य संकेतों के अंतरण के लिए भी मण्डी अवसंरचना महत्वपूर्ण है, ताकि विपणन की क्षमता में सुधार हो सके। कृषि मण्डी अवसंरचना के सृजन तथा प्रबंधन के लिए उच्च निवेश तथा उद्यम कुशलता अपेक्षित है। राज्य द्वारा नियंत्रण की स्थिति को आसान बनाना होगा ताकि निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी हो सके और मण्डी अवसंरचना तथा सहायक सेवाओं के विकास के लिए अपेक्षित अत्यधिक निवेशप्राप्त हो सके। 10वीं योजना के दौरान देश में विपणन, भण्डारण और शीतागार अवसंरचना के विकास के लिए निवेश की आवश्यकता 12230 करोड़ रुपये आकलित की गई है।

[हिन्दी]

नियोजन एजेंसियों के माध्यम से रोजगार

2406. श्री सुभाष महरिया : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों के निजीकरण और रेलवे तथा बैंकों द्वारा सीधी भर्ती किए जाने के कारण रोज़गार कार्यालय अप्रासंगिक हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रोजगार कार्यालय के कार्यों को निजी नियोजन एजेंसियों को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रोजगार एजेंसियों का पैनल बनाने के लिए पहचान की गई एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, नहीं। 31.12.2006 को देश भर में 947 रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे थे। रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण करते हैं तथा नियोक्ताओं से प्राप्त अधिसूचित रिक्तियों के प्रति उन्हें प्रायोजित करते हैं। 31.12.2006 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 41.5 मिलियन रोजगार चाहने वाले थे। वर्ष 2006 के दौरान, रोजगार कार्यालयों को 3.58 लाख रिक्तियां अधिसूचित की गई जिसके लिए 30.29 लाख रोजगार चाहने वालों के नाम प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 1.77 लाख को नियोजित किया गया। रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत डाटा–बेस सृजित करने, श्रम की मांग एवं आपूर्ति के संबंध में नियोजकों द्वारा मूल्यांकन तैयार करने, रोजगार चाहने वालों को उनके आजीविका निर्माण में सहायता करने के लिए उनके व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु कैरियर साहित्य तैयार करने हेतु रोजगार बाजार सूचना को एकत्रित एवं संकलित भी करते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है।

[अनुवाद]

नया उपभोक्ता कानून

2407. श्री के.एस. राव :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ता की समस्याओं के निवारण संबंधी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के कार्यान्वयन के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं की प्राप्त शिकायतों और तकनीकी आधार पर खारिज की गई शिकायतों की अलग–अलग संख्या कितनी है;

(घ) उपभोक्ता मंचों से किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई और उनका ब्यौरा क्या है तथा एक फैसला सुनाने में औसतन कितना समय लगता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एक उपभोक्तानुकूल वातावरण में उपभोक्ताओं के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने और कम्पनियों को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए एक व्यापक कानून लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। उपभोक्ता मामले विभाग ने देश में उपभोक्ता समस्याओं के समाधान के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन के प्रभाव को आंकने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष अर्थात 2005, 2006 और 2007 के दौरान तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों में दायर किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है :–

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	2005	2006	2007
1.	राष्ट्रीय आयोग	3878	5222	4866
2.	राज्य आयोग	33323	36613	34843
3.	जिला फोरम	128764	131183	125689

राष्ट्रीय आयोग ने सूचित किया है कि उसने तकनीकी बारीकियों से संबंधित मामलों पर निर्णय न लेने की नीति अपनाई है और राज्य आयोगों और जिला मंचों को निदेश है कि यदि आवश्यक हो तो जिरह से छूट देकर रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मामलों को गुण–दोष के आधार पर निपटाएं। राष्ट्रीय आयोग के अनुसार उपभोक्ता मंचों द्वारा तकनीकी आधार पर खारिज किए मामलों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपभोक्ता मंचों में दायर किए गए अधिकांश मामले बैंकिंग, चिकित्सा, दूरभाष, बीमा, आवास, बिजली, एयरलाइंस, रेलवे आदि से संबंधित हैं। आयोग ने यह भी सूचित किया है कि उपभोक्ता मंचों द्वारा मामलों में निर्णय लेने में लगाए जाने वाले औसत समय के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पहले ही काफी व्यापक है क्योंकि उसके उपबंध उन सभी वस्तु और सेवाओं पर लागू होते हैं जिनको उपभोक्ता मूल्य चुकाकर खरीदता अथवा प्राप्त करता है किन्तु इसमें वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खरीदी गई वस्तुएं और प्राप्त की गई सेवाएं शामिल नहीं हैं।

जैव-विविधता का उपयोग

2408. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए देश में उपलब्ध जैव-विविधता के बेहतर उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों से फसलों की खरीद करने के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव-संसाधनों के सतत उपयोग, अनसुंधान एवं विकास और विकासात्मक क्रियाकलापों से संबंधित अन्य जैव-संसाधनों के प्रोत्साहन के लिये जैव-प्रौद्योगिकीय तथा सम्बद्ध वैज्ञानिक प्रणालियों के प्रभावी अनुप्रयोग के लिए विस्तृत नीतिगत ढांचे के संबंध में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की है।

(ग) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार निर्धारित कृषि जिसों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है तथा उस जिंस विशेष के मूल्य एम एस पी से नीचे आ जाने की स्थिति में अधिप्राप्ति का कार्य करती है।

इसके अलावा, भारत सरकार बागवानी जिंसों और अन्य कृषि जिसों जो नाशवान प्रकृति के हैं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के तहत शामिल नहीं है, के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम भी क्रियान्वित करती है। उच्च आवक अवधि में जब मूल्य बहुत कम हो जाते हैं, अत्यधिक फसल होने की स्थिति में इन बागवानी/कृषि जिसों के उत्पादकों को संकटकालीन बिक्री से बचाने के लिए सरकार संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी जिंस विशेष के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित करती है। केन्द्र सरकार तथा राज्य के बीच 50 : 50 के आधार पर इसमें होने वाली हानि का वहन किया जाता है।

रक्षा उत्पादों के आयात में अधिक समय लगना और लागत में वृद्धि होना

2409. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर रक्षा उत्पादों के आयात में अधिक समय लगता है और उनकी लागत में वृद्धि हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्षा उपस्करों की प्राप्ति सहमत सुपुर्दगी कार्यक्रम और तयशुदा मूल्य पर हो, संविदाओं में आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं। कतिपय मामलों में कई कारणों से समस्याएं खड़ी होती हैं जिनकी समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए जांच की जाती है। इस संबंध में और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

मुंबई में एनटीसी मिलों का पुनरूद्धार

2410. श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की रूग्ण/बंद पड़ी पांच मिलों के उद्धार के लिए एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (ए पी वी) का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मिल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना सफल हुई थी;

(घ) यदि, हां तो क्या सरकार का विचार देश में रूग्ण/बंद पड़ी शेष मिलों के पुनरूद्धार के लिए इस कार्यनीति को दोहराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार और मिल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के 5 मिलों के पुनरूद्धार के लिए 3 ख्यातिप्राप्त वस्त्र उद्यमियों के साथ संयुक्त उद्यम के लिए विशेष उद्देश्य तंत्र (एसपीवी) का गठन किया गया है। इनमें से 4 मुंबई में स्थित है। इन 4 एसपीवी कंपनियों के नाम संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(घ) और (ङ) एनटीसी के आधुनिकीकरण के लिए तथा संयुक्त उद्यम मार्ग के जरिए 12 और मिलों को चलाने के लिए 11 फरवरी 2008 को एक विज्ञापन जारी किया है। मिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

संयुक्त उद्यम में 5 एनटीसी मिलों के चलाने के लिए चुने गये निजी भागीदार

मिलों के नाम	चुने गये निजी भागीदार
इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 1, मुंबई	भास्कर इंडस्ट्रीज लिं.
न्यूसिटी ऑफ बाम्बे फ्यु. मिल्स, मुम्बई	मै. आलोक इंडस्ट्रीज लि.
गोल्डमोहर टेक्सटाइल मिल्स, मुम्बई	मै. पैन्टालून रिटेल इंडिया लि.
अपोलो टेक्सटाइल मिल्स, मुम्बई	मै. पैन्टालून रिटेल इंडिया लि.
औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद	मै. आलेक इंडस्ट्रीज लि.

विवरण-II

संयुक्त उद्यम मात्र के जरिए आधुनिकीकरण किए जाने वाली 12 मिलें

क्र.सं.	मिलों के नाम	अवस्थिति
आंध्र प्रदेश		
1	त्रिरूपति मिल्स	रेनिगुंटा
केरल		
2	पार्वती मिल्स	क्विलोन
महाराष्ट्र		
3	आर.बी.बी.ए. मिल्स	हिगानघाट
4	सेवातराम, अकोला	अकोला
5	धुले मिल्स	धुले
6	नांदेड मिल्स	नांदेड
7	चालीस गांव मिल्स	चालीसगांव
उत्तर प्रदेश		
8	स्वदेशी मिल्स मऊ	मऊनाथमंजन
पश्चिम बंगाल		
9	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	
10	सोडेपोर मिल्स	सोडेपुर
उड़ीसा		
11	उड़ीसा कॉटन मिल्स	भगतपुर
तमिलनाडु		
12	श्री शारदा मिल्स	कोयम्बटूर

मुख्य अभियंता के कार्यालय का बंद होना

2411. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुख्य अभियन्ता केरल डाक सर्किल कार्यालय के बंद होने की ओर आकृष्ट हुआ है, जो कि गत छत्तीस वर्षों से कार्य करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल के लोगों के हित में केरल स्थित कार्यालय को बंद होने से रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) केरल डाक सर्किल में कोई मुख्य अभियंता का कार्यालय नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

काजू उत्पादन में गिरावट

2412. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काजू के उत्पादन में पिछले वर्षों से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने काजू की खेती में विस्तार करने के लिए बागवानी मिशन के माध्यम से वित्तीय सहायता कराने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केरल काजू उत्पादन राज्य एजेंसी (के एस ए सी सी) ने केरल राज्य में काजू की खेती में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। केरल को छोड़कर देश में काजू का उत्पादन बढ़ रहा है। विगत 5 वर्ष (2002–03 से 2006–07) के दौरान काजू का क्षेत्र और उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत में 2005–06 से काजू सहित बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। देश में काजू के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिशन के तहत निम्नादित मुख्य कार्य–कलाप हैं– नया रोपण, पुराने पेड़ों का पुनः रोपण और अलाभकर काजू उद्यानों में उच्च उपज किस्में। मिशन के तहत पौधशालाओं की स्थापना, अग्रणी प्रदर्शन, आईपीएम/ आईएनएम, जैविक खेती जैसे समर्थनकारी कार्यक्रम भी निष्पादित किए जाते हैं।

(ग) केरल राज्य काजू उत्पादन एजेंसी (केएसएसीसी) ने केरल राज्य मे काजू उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कृषि मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत में काजू का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

राज्य	2002–03			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	ए	पी	एपीवाई	ए	पी	एपीवाई	ए	पी	एपीवाई	ए	पी	एपीवाई	ए	पी	एपीवाई
केरल	100	90	890	101	95	890	102	64	900	80	67	900	80	72	900
कर्नाटक	92	40	470	94	46	500	95	43	680	100	45	700	102	52	700
गोवा	55	30	660	55	32	690	55	26	660	55	27	690	55	29	690
महाराष्ट्र	148	110	1000	148	120	1100	160	174	1200	160	183	1300	164	197	1500
तमिलनाडु	92	50	570	95	51	600	105	53	610	121	56	640	123	60	670
आंध्र प्रदेश	136	90	740	136	95	750	150	88	840	170	92	880	171	99	890
उड़ीसा	120	70	810	124	71	850	126	74	810	120	78	860	125	84	860
पश्चिम बंगाल एल	9	8	760	9	9	760	9	8	800	10	10	950	10	10	1000
अन्य	18	12	760	18	16	790	18	14	800	21	15	900	24	17	700
कुल	770	500	760	780	535	800	820	544	810	837	573	815	854	620	8201

ए – 000 है क्षेत्र
पी – 000 मीट्रिक टन में
ए पी वाई – प्रति है. औसत उत्पादन किया. में

उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सैन्यकर्मियों की तैनाती

2413. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में थल सेना की दीर्घकालिक तैनाती से देश की रक्षा में प्रमुख भूमिका से ध्यान कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या थल सेना ने आंतरिक सुरक्षा के लिए एक पृथक विशेषज्ञता प्राप्त बल का सृजन करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) यद्यपि सेना की प्राथमिक भूमिका बाहरी आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना है, विद्रोहरोधी संक्रियाओं के साथ–साथ आंतरिक खतरों से सुरक्षा करना इसके द्वितीयक कार्य में आता है। इसलिए सेना दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से संरचित और प्रशिक्षित है। सेना की तैनाती अंतिम उपाय के रूप में किए जाने के सिद्धांत के आधार पर ऐसी तैनातियों को न्यूनतम रखने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सेना ने आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई पृथक विशेषज्ञता प्राप्त बल बनाए जाने की सिफारिश नहीं की है।

पुष्प की मांग

2414. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री एम. शिवन्ना :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुष्पों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में पुष्प का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या केन्या और इथियोपिया जैसे कुछ देश एक दीर्घकालिक वृद्धि चक्र का अनुपालन करके भारतीय पुष्पों की तुलना में बेहतर पुष्पों का उत्पादन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय पुष्पों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। फुटकर पुष्पों का उत्पादन 2004–05 के दौरान 0.66 मिलियन टन से बढ़कर 2006–07 के दौरान 0.92 मिलियन टन हो गया, जबकि कटे हुए फूलों का उत्पादन 952 मिलियन

संख्या से बढ़कर 3290 मिलियन संख्या हो गया। बागवानी का निर्यात उसी अवधि में 210.99 करोड़ रु. से बढ़कर 649.84 करोड़ रु. हो गया। कृषि मंत्रालय 2 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, अर्थात् उत्तर–पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन और फूलों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इन स्कीमों के तहत किसानों के लिए क्षेत्र विस्तार, एलाइट कल्टी वेयर्स के गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन, नई प्रौद्योगिकी को अपनाना, एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन इत्यादि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उन स्कीमों का कार्यान्वयन करता है जो फूलों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करती है। अपेडा भी विपणन विकास, ढांचागत विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान और विकास तथा परिवहन सहायता संबंधी स्कीमों के तहत बागवानी उत्पाद के निर्यात के लिए पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ) सर्वोत्तम उत्पादन अवधियों (नवंबर से फरवरी) में भारतीय फूलों की गुणवत्ता समान सेगमेंट में केन्याई फूलों से तुलनीय है। भारत में उगाई जाने वाली कुछ किस्में केन्या में समान किस्में उनके समकक्षों द्वारा उगाई गई किस्मों से उच्चतर गुणवत्ता में रखी गई है। लम्बी अवधि की उत्पादन अवधि में केन्याई फूल कुल गुणवत्ता में अधिक भारतीय फूलों से समरूप हैं चूंकि केन्या में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी जलवायु है।

इथोपिया उच्चतर अक्षांशों में फूल उगाता है जिसकी गुणवत्ता भिन्न है (बड़ी कोपल और मजबूत तना) किन्तु निम्न तापमानों के कारण निम्न उत्पादन करता है।

अपेडा ने नीदरलैंड में एक विपणन सुविधा केन्द्र खोला है और यह अपने पंजीकृत उत्पादकों के बीच बाजार में मौजूद संभावनाओं और अवसरों की जानकारी प्रदान कर रहा है। अपेडा ने उन बागवानी यूनिटों जो सभी गुणवत्ता मानदण्डों को शामिल करते हैं जो किसी निर्यात बागवानी यूनिट के पास होनी चाहिए, की मान्यता के लिए एक स्कीम भी आरंभ की है।

[हिन्दी]

अनुमानित और वास्तविक उत्पादन में अंतर

2415. डा. चिन्ता मोहन :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री मदन लाल शर्मा :
श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के अनुमानित और वास्तविक उत्पादन में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो फसलवार, विशेषकर गन्ने का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है, जिनमें देश आत्मनिर्भर हो गया है और उनके निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। फसल उत्पादन का अनुमान एक सतत प्रक्रिया है तथा यह एक सुस्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। एक कृषि वर्ष हेतु प्रकाशित चार क्रमिक अग्रिम अनुमान तथा अन्तिम अनुमान वास्तव में विगत अनुमानों के सुधार हैं जो क्षेत्र व्याप्ति तथा पैदावार स्तरों पर और अधिक सशक्त सूचनाओं पर आधारित हैं। निम्नलिखित सारणी 2006–07 हेतु खाद्यान्नों, तिलहनों, कपास तथा गन्ने के मामले में अग्रिम अनुमान तथा अन्तिम अनुमान प्रस्तुत करती है :

(मिलियन टन)

फसल	प्रथम अग्रिम अनुमान* (15.09.2006 के अनुसार)	दूसरे अग्रिम अनुमान (05.02.2007 के अनुसार)	तीसरे अग्रिम अनुमान (04.04.2007 के अनुसार)	चौथे अग्रिम अनुमान (19.07.2007 के अनुमान)	अन्तिम अनुमान (7.02.2008 के अनुसार)
खाद्यान्न	105.22	209.17	211.78	216.13	217.28
तिलहन	13.24	23.62	23.62	23.88	24.29
कपास #	18.14	20.96	21.04	22.70	22.63
गन्ना	283.40	315.53	322.94	345.31	355.52

* केवल खरीफ मौसम # 170 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें

(ग) चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों के मामले में देश आत्मनिर्भर है। घरेलू मांग–आपूर्ति तथा मूल्य स्थिति पर निर्भर रहते हुए सरकार टैरिफ तथा अन्य माध्यमों के द्वारा उनका निर्यात विनियमित करती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 अनुमोदित कर दी है। नीति के आमने–सामने उद्देश्य, भूमि, जल, पशुधन, मत्स्य तथा जैविक स्रोतों के मामले में अन्य कारणों के साथ वास्तविक सुधारों, सहायक सेवाओं तथा उत्पादकता में सुधार के लिए फ्रन्टियर प्रौद्योगिकियों को लागू करने जैसे निवेशों, उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोगमुक्त पौध सामग्री की आपूर्ति, भूमि स्वास्थ्य पासबुक के जारी करने तथा एकीकृत पौष्टिक एवं कीट प्रबंधन प्रणाली, के माध्यम से किसानों की कुल आय को गहन वृद्धि के साथ कृषि की आर्थिक अवस्था में सुधार करना है। पुनः सरकार ने दो नई योजनाएं प्रारंभ की हैं (i) चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तथा (ii) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बहुत से प्रयासों के अतिरिक्त, नियोजित योजनाएं तथा कार्यक्रम जिनमें बजट 2008–09 के दौरान घोषित की गई शामिल हैं, किसानों के द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर ध्यान देने तथा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रारंभ की गई हैं।

[अनुवाद]

पटसन संबंधी न्यूनतम समर्थन मूल्य और आयात शुल्क में वृद्धि

2416. श्री हितेन बर्मन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) और उत्पादन लागत में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पटसन संबंधी न्यूनतम समर्थन मूल्य और आयात शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) जी, नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। कच्ची पटसन के एमएसपी की सिफारिश करने के लिए, सीएसीपी पटसन की उत्पादन लागत सहित अनेक तत्वों पर विचार करती है।

आगामी उत्पादन मौसम के लिए कच्ची पटसन का एमएसपी की सिफारिश के लिए सीएसीपी कच्ची पटसन के लिए अनुमानित लागत को संदर्भ वर्ष के रूप में उपयोग करती है। तदनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए एमएसपी की तुलना में कच्ची पटसन (पूरे देश के लिए भारित औसत) की अनुमानित लागत नीचे दी गयी है –

वर्ष	कच्ची पटसन के उत्पादन की अनुमानित लागत (सी2 लागत) (रु./क्विंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) (रु./क्विंटल)
2006–07	961.85	1000.00
2007–08	1010.00	1055.00
2008–09	1062.00	1250.00

पटसन पर आयात शुल्क के संबंध में पटसन पर मूल सीमा शुल्क की सामान्य प्रभावी दर 10% है। तथापि, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल से पटसन के आयात पर मूल सीमा शुल्क की दर शून्य है। वर्तमान में पटसन पर मूल्य सीमा शुल्क बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) जब कभी कच्ची पटसन के मूल्य समर्थन स्तर को छूते हैं, भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) और जेसीआई के एजेंट के रूप में सहकारी समितियां किसानों से एमएसपी पर पटसन की खरीद करती हैं, ताकि कच्ची पटसन के बाजार मूल्य एमएसपी स्तर से नीचे नहीं जाएं। इसके अतिरिक्त पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 के तहत, पटसन उद्योग को बनाये रखने के लिए तथा पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए खाद्यान्न एवं चीनी को पटसन थैलों में 100% पैकिंग के लिए आरक्षित किया है।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में हुई मौतें

2417. श्री अधीर चौधरी :

श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों के आत्महत्या करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूख के कारण हुई मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) दक्षिण–पश्चिम मानसून 2007 (1.6.2007 से 30.9.207) के दौरान वर्षा की कमी को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने राज्य के भागों को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया है। इनमें से किसी भी राज्य ने सूखा के संबंध में भुखमरी के कारण मौतों की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। सूखा सहित राष्ट्रीय आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय करने की मूल जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें आपदा राहत कोष (सीआरएफ) में उपलब्ध निधियों से ऐसे उपाय करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियों की कमी

2418. श्री एस. अजय कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक मंदी के कारण सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी बाजार के लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का व्यापार करने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार अनुमान है कि वित्त वर्ष 2007–08 में उद्योग कार्यदल में 375,000 कार्मिक शामिल करेगा।

(ग) और (घ) नैसकॉम के अनुसार वित्त वर्ष 2007–08 में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कुल राजस्व 52.0 बिलियन अमरीकी डॉलर (208000.00 करोड़ रुपए, 1 अमरीकी डॉलर = रुपए की दर से) तक पहुंचने की संभावना है।

इच्छामती नदी में बाढ़

2419. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी को विकसित करने तथा इसकी गहराई और जल संचयन क्षमता बढ़ाने हेतु एक कार्यक्रम क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस नदी में बार–बार आने वाली बाढ़ से प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 24.88 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत से उत्तर 24 परगना जिले में भारतीय क्षेत्र के अन्दर 24.3 किमी. की लम्बाई के लिए नदी के पुनरूत्थान का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। लगभग 20 किमी. लम्बाई के शेष हिस्से के लिए, अंगरेल बीएसएफ ब्रिज से कलांची बीएसएफ ब्रिज तक, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच साझा सीमा बनाती है, बेहतर जल निकास और बाढ़ प्रबंधन के लिए इच्छामती नदी के निस्सादन/तलकर्षण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 23.59 करोड़ रुपये की राशि वाली एक स्कीम बनाई है।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि इच्छामती नदी भारत और बंगलादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, निस्सादन/तलकर्षण कार्य शुरू करने के लिए रीतियां बनाने के लिए सितम्बर, 2005 में ढाका में आयोजित इंडो–बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) की 36वीं बैठक के दौरान भारत सरकार ने, बंगलादेश के साथ मामले को उठाया है। भूतल पर स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सितम्बर, 2006 में दोनों देशों (भारत और बंगलादेश) के जल संसाधन मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त फील्ड दौरा भी किया गया।

कपास का आयात

2420. श्री चंद्रकांत खैरे :

श्री रेवती रमण सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वस्त्र उद्योग विशेषकर हथकरघा क्षेत्र में क्षेत्रवार अनुमानतः कपास की कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या देश में कपास की कम और घटिया पैदावार के कारण प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में कपास का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या पिछले एक वर्ष से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या कपास की पैदावार बढ़ाकर इसकी लागत कम करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) वस्त्र उद्योग में कपास की अनुमानित आवश्यकता विवरण–I में दी गई है। जहां तक हथकरघा क्षेत्र का संबंध है, आवश्यकता लगभग 24.5 लाख गांठ प्रति वर्ष है।

(ख) और (ग) जी नहीं। देश में कपास की 5 से 6 लाख गांठों का आयात किया जाता है जो मुख्यरूप से एक्सट्रा लांग स्टेपल (इएलएस) किस्म की है जिसकी देश में पहले ही कमी है। लगभग 280 लाख गांठों के घरेलू उत्पादन को देखते हुए यह अधिक मात्रा नहीं है। कपास के आयात आंकड़े नीचे दिए गए हैं –

कपास वर्ष (अक्तू.–सित.)	आयात मात्रा (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठों में)*
2002–2003	17.67
2003–2004	07.21
2004–2005	12.17
2005–2006	05.00
2006–2007	05.53
2007–2008 (अनंतिम)	06.50

*सीएबी की 11/01/2008 को हुई पिछली बैठक में अनुमानित अनुसार

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने व कृषि लागत में कमी करने, वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उत्तम गुणवत्ता की कपास की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति करने और किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फरवरी 2008 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया था। इस मिशन के चार लघु मिशन हैं जिनको कृषि तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। कपास अनुसंधान और विकास तथा किसानों में प्रौद्योगिकी का प्रचार–प्रसार का कार्य क्रमशः लघु मिशन I और II के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। विपणन अवसंरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण का कार्य क्रमशः लघु मिशन III एवं IV के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय (भारतीय कपास निगम) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। टीएमसी से देश के विभिन्न राज्यों में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हुआ है, जो विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार की गई पिछले कुछ वर्षों का कपास तुलनपत्र

(लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 किग्रा)

	कपास वर्ष (अक्टू.–सितंबर)				
	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (11.1.2008 की स्थिति के अनुसार)
आपूर्ति					
आरंभिक भंडार	24.00*	21.00	72.00	52.00	47.50*
फसल	79.00	243.00	241.00	280.00	310.00
आयात	7.21	12.17	5.00	5.53	6.50
कुल आपूर्ति	210.21	276.17	318.00	337.53	364.00
मांग					
मिल खपत	150.39	163.98	180.00	194.89	207.00
गैर मिल खपत	31.71	14.48	20.00	15.88	15.00
एस एस आई ई की खपत	13.00	16.57	19.00	21.26	23.00
निर्यात	12.11	9.14	47.00	58.00	65.00
कुल मांग	189.21	204.17	266.00	290.03	310.00
अतः भंडार	21.00	72.00	52.00	47.50	54.00*

*2007-08 का आरंभिक भंडार सत्यापित आंकड़ों पर आधारित है।

विवरण-II

वर्ष	2004–05			2005–06			2006–07			2007–08		
राज्य	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
पंजाब	5.09	16.50	551	5.57	20.00	610	5.88	26.00	752	06.48	24.00	630
हरियाणा	6.21	16.50	452	5.83	12.00	350	5.33	16.00	513	04.78	16.00	569
राजस्थान	4.38	10.00	388	4.71	9.00	325	3.50	8.00	389	03.68	09.00	416
गुजरात	19.06	73.00	651	19.06	89.00	794	23.90	101.00	718	25.16	110.06	743
महाराष्ट्र	28.40	52.00	311	28.75	35.00	207	31.24	52.00	288	31.91	60.00	320
मध्य प्रदेश	5.76	16.00	472	6.20	19.00	521	6.30	18.00	479	06.62	21.00	539
आंध्र प्रदेश	11.78	33.00	476	10.33	33.00	543	9.62	35.00	612	10.96	43.00	667
कर्नाटक	5.21	8.00	261	4.13	6.00	247	3.70	6.00	272	03.71	08.00	367
तमिलनाडु	1.29	5.00	659	1.40	5.00	607	1.33	5.00	697	01.23	05.00	691
अन्य	0.68	1.00	250	0.79	1.00	215	0.78	1.00	195	00.77	02.00	367
लूज लिंट		12.00	–	–	12.00	–	–	12.00	–	–	12.00	–
कुल	87.86	243.00	470	86.77	241.00	472	91.58	280.00	521	95.30	310.00	599

स्रोत: कपास सलाहकार बोर्ड (सीएसबी)

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों को रोजगार

2421. डा. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों द्वारा अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को प्रदान किए जा रहे रोजगार के अनुपात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है राज्यवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् आज की तारीख तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की भर्ती का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस): (क) वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के लिए 31 दिसम्बर (नवीनतम उपलब्ध) को कुल मिलाकर अल्पसंख्यक समुदायों तथा विशेष रूप से मुस्लिमों के संबंध में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया नियोजन निम्नानुसार है :–

(हजार में)

वर्ष	सभी श्रेणियों के रोजगार चाहने वालों का नियोजन	रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के रोजगार चाहने वालों का नियोजन	
		कुल	मुस्लिम
2003	154.9	9.8	4.5
2004	132.	68.3	5.0
2005	173.2	8.6	3.8

(ख) रोजगार कार्यालय नियोक्ताओं द्वारा उन्हें अधिसूचित की गई रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी प्रायोजित करते हैं। तत्पश्चात्, नियोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों की सूची की छंटनी करते हैं व चयन हेतु उन्हें साक्षात्कार पत्र जारी करते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए गए राज्य–वार नियोजन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

31 दिसम्बर को अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया राज्य–वार नियोजन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अल्पसंख्यक समुदाय					
		2003		2004		2005	
		मुस्लिम	योग	मुस्लिम	योग	मुस्लिम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	160	186	90	127	121	152
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	1	–	55	–	18
3.	असम	92	212	443	445	3	7
4.	बिहार	3	3	2	2	5	5
5.	छत्तीसगढ़	5	11	3	11	4	7
6.	दिल्ली	3	23	1	1	1	1
7.	गोवा	7	108	–	31	7	100
8.	गुजरात	608	663	647	670	525	575
9.	हरियाणा	3	17	4	8	3	3
10.	हिमाचल प्रदेश	3	21	4	9	19	44
11.	जम्मू – कश्मीर	7	16	1	1	1	1
12.	झारखंड	300	302	8	10	11	13
13.	कर्नाटक	123	154	89	101	69	83
14.	केरल	1231	2541	1608	2756	1635	3253
15.	मध्य प्रदेश	573	616	299	342	28	34
16.	महाराष्ट्र	314	745	199	661	298	795
17.	मणिपुर	–	–	–	–	46	47
18.	मेघालय	–	35	–	3	–	18
19.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
20.	नागालैंड	–	51	–	44	–	4
21.	उड़ीसा	1	2	1	3	19	97
22.	पंजाब	7	1410	627	1025	1	1150
23.	राजस्थान	79	82	79	91	207	219
24.	सिक्किम*	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	तमिलनाडु	412	1701	417	1201	345	1303
26.	त्रिपुरा	16	20	6	34	2	4
27.	उत्तरांचल	34	43	15	20	34	37
28.	उत्तर प्रदेश	58	63	42	45	78	96
29.	पश्चिम बंगाल	455	497	425	458	324	381
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	16	250	2	113	3	78
32.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
33.	दमन और दीव	–	1	–	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	1	6	–	–	11	41
अखिल भारत		4511	9780	5012	8267	3800	8564

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

[अनुवाद]

रक्षा प्रयोजनों हेतु अंतरिक्ष का उपयोग

2422. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा तकनीकविदों ने रक्षा प्रयोजनों हेतु अंतरिक्ष के उपयोग का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

ऋणों का संवितरण

2423. श्री एल. राजगोपाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) को ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर आंध्र प्रदेश को वितरित किए गए कुल कृषि ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना जुलाई, 2006 से 6 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक की विकास क्रेडिट सहायता से 250 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 1190 करोड़ रु.) के परिव्यय के साथ परिचालन में है जिसमें भारत सरकार का अंशदान 50 मिलियन अमेरिकी डालर का है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता, लाभप्रदता, आय उपार्जन को बढ़ाने और आजीविका सुरक्षा के लिए भारतीय कृषि के त्वरित और टिकाऊ ट्रांसफॉर्मेशन को सरल बनाना है। परियोजना के चार घटक, नामतः भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में परिवर्तन प्रबंधन के लिए कैटालाइजिंग एजेंट के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्पादन से उपयोग प्रणालियों पर अनुसंधान, टिकाऊ ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पर अनुसंधान, कृषि विज्ञान के अग्रवर्ती क्षेत्रों में मूलभूत और नीतिगत अनुसंधान करना है। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में भागीदारी का संघ (कन्सोर्टियम), प्रतिस्पर्धी निधिकरण, बाजारोन्मुख, ज्ञान प्रबंध आदि शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि नवोन्मुखी परियोजना (एनएआईपी) की विभिन्न उप–परियोजनाओं के तहत वर्ष 2007–08 के दौरान (फरवरी, 2008 तक) राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	कुल जारी की गई धनराशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	6,88,29,101.00
2.	हरियाणा	1,06,95,000.00
3.	हिमाचल प्रदेश	95,03,620.00
4.	जम्मू–कश्मीर	2,17,44,490.00
5.	झारखण्ड	64,85,775.00
6.	कर्नाटक	39,16,000.00
7.	केरल	71,40,440.00
8.	महाराष्ट्र	6,23,49,438.00
9.	मध्य प्रदेश	2,55,600.00
10.	पूर्वोत्तर राज्य	46,14,055.00
11.	नई दिल्ली	9,80,81,320.00
12.	उड़ीसा	434,2700.00
13.	पंजाब	29,95,200.00
14.	राजस्थान	2,38,03,275.00
15.	तमिलनाडु	62,17,000.00
16.	उत्तर प्रदेश	1,22,42,500.00
17.	उत्तराखण्ड	3,37,81,670.00
18.	पश्चिम बंगाल	5,59,29,30.000
19.	गुजरात	8,99,250.00
	योग	47,24,17,029.00

दूरसंचार आपरेटरों द्वारा केबल बिछाना

2424. श्री अब्दुल्लाकुट्टी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी दूरसंचार कंपनियों विशेषकर रिलायंस इंफोकोम को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए बिना तथा किसी भी शुल्क का भुगतान किए बिना केवल बिछाने के लिए किसी भी सड़क को खोदने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की रियायतें भारत संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को भी दी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों और पंजीकृत अवसंरचना प्रदाताओं को केबल बिछाने के लिए, लागू प्रभारों का भुगतान करने पर, सक्षम स्थानीय/राजमार्ग प्राधिकारी के अनुमोदन से मार्गाधिकार सुविधा की अनुमति दी जाती है।

मत्स्यग्रहण पत्तन

2425. श्री पी.सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में विशेषकर केरल में नए मत्स्यग्रहण पत्तनों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केरल सहित देश में नए मत्स्यन बंदरगाहों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा तथा उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	गुजरात	1. वेरावल चरण–2	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए एक वैकल्पिक स्थान के लिए विचार करें क्योंकि मौजूदा स्थान पहले से ही कम है तथा काफी भीड़–भाड़ वाला है।
		2. उमरगांव	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग

1	2	3		4
				संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर को सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए भूमि की पहचान करनी है।
		3.	भडेली जगलाला	केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर से अनुरोध किया गया है कि वे जांच–पड़ताल करें तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करें।
		4.	पोरबंदर चरण–2	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे पहले से सृजित सुविधाओं की उपयोगिता का जायजा लेने के लिए पोस्ट निर्माण मूल्यांकन अध्ययन प्रारंभ करें।
		5.	जाफराबाद	गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि की उपलब्धता पर संपुष्टी पर्यावरणीय मंजूरी तथा राज्य बजट में बजटीय प्रावधान को एक साथ करके परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
		6.	मंगरौल चरण–3	गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे मूल्यांकन अध्ययनों की सिफारिशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें।
		7.	मधवाद	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर द्वारा तैयार रूपरेखा की स्वीकृति भेजे।
2.	उड़ीसा	1.	चांदीपुर	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजूरी तथा राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान की संपुष्टी करें।
		2.	चूड़ामणि	केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर से अनुरोध किया गया है कि वे अपेक्षित जांच--पड़ताल करें तथा प्रस्ताव तैयार करें।
3.	कर्नाटक	1.	अलवेकोडी	राज्य सरकार को इस संस्थान पर मछली उतारने वाले केन्द्र की परियोजना को पूरा होने के बाद, मछली उतारने वाले केन्द्र को मत्स्यन बंदरगाह के रूप में उन्नयन पर एक अंतिम विचार देना है।
		2.	मालपे चरण–3	राज्य सरकार को जांच पूरी करनी है तथा प्रस्ताव तैयार करना है।
		3.	मंगरौल चरण–3	–तदैव–
4.	तमिलनाडु	1.	रामेश्वरम	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के अद्यतन को एक साथ करके भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजूरी तथा राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान की संपुष्टी करें।
		2.	पुंपुहार	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजूरी तथा राज्य बजट में बजटीय प्रावधान की संपुष्टी को एक साथ करके विस्तृत हाइड्रोलिक आदर्श अध्ययन करें।।

1	2	3	4
		3. पज़ीयार चरण–3	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजूरी तथा राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान की संपुष्टी करें।
		4. मल्लीपट्टनम चरण–2	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजूरी तथा राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान की संपुष्टी करें।
		5. थेंगापट्टीनपम	केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर से अनुरोध किया गया है कि वे आंकड़ों की जांच करें तथा परियोजना के आर्थिक मूल्यांकन को अद्यतन करें।
		6. चिन्नामुटीन चरण–2	तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करें।
		7. कोलचेल	प्रस्ताव हाल में प्राप्त हुआ है तथा प्रक्रिया के तहत है।
		8. नागपट्टिनम	तमिलनाडु सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
		9. मुथुपेट	प्रस्ताव को तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर को जांच के लिए भेज दिया गया है।
		10. सेथुभावाचरम	–तदैव–
		11. थोंडी	राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
		12. मूकैयर	–तदैव–
5.	आंध्र प्रदेश	1. निजामपट्टनम	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजूरी तथा राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान की संपुष्टी करें।
6.	केरल	1. कासरगोड	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अत्यधिक निधियों की व्यवस्था करें।
		2. चेरूवाथुर	केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर से अनुरोध किया गया है कि तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से प्रस्ताव की जांच करें।
		3. चेट्टुवई	केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर से अनुरोध किया गया है कि तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से प्रस्ताव की जांच करें।
7.	महाराष्ट्र	1. अगरडंडा	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए आदर्श अध्ययन पूरा करें तथा कमियों को पूरा करने के लिए (सीआईसीईएफ) को भेजें।

1	2	3	4
		2. दीयोगढ़ (आनंदवाडी)	केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
		3. जिवना बंदर	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक मंजूरी पर एक साथ संपुष्टी करके तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों/आदर्श अध्ययनों का पूरा करने के बाद विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
		4. करांजा	–तदैव–
		5. अरनाला	–तदैव–
		6. हरनाई	–तदैव–
		7. रतनगिरी चरण–2	–तदैव–
		8. साखरीनेट	–तदैव–
8.	दमन और दीव	1. वनाकाबरा	संघ शासित प्रदेश प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता तथा पर्यावरणीय मंजूरी की संपुष्टी करें।
		2. नानी दमन	केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर से अनुरोध किया गया है कि वे जांच का कार्य करें तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करें।
9.	पांडिचेरी	3. यानम	केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर से अनुरोध किया गया है कि वे जांच का कार्य करें तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करें।

डाकघरों के माध्यम से ऋण

2426. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के किसानों को डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्रों तथा किसान विकास पत्रों के बदले ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कार्मिकों के पहचान-पत्रों की चोरी

2427. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष देशभर में विभिन्न आतंकवादी गुटों द्वारा बड़ी संख्या में रक्षा कार्मिकों के पहचान–पत्र चोरी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं की कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के परिणाम का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) वर्ष 2007 के दौरान रक्षा कार्मिकों के पहचान पत्रों के चोरी होने की किसी घटना की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

चूककर्ता इकाइयां, प्रतिष्ठान तथा नियोक्ता

2428. श्री जी. कुप्पुसामी :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् आज की तारीख तक कितनी चूककर्ता इकाइयों, प्रतिष्ठानों तथा नियोक्ताओं ने कामगारों तथा कर्मचारियों से भविष्य निधि एकत्र करने के बावजूद

राज्यवार उसे प्राधिकरण के पास जमा नहीं कराया है तथा इसमें कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस धनराशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्यवार उनसे कितनी धनराशि वसूली गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार पहले ही उठाए जा रहे कदमों के अतिरिक्त इन चूककर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) 31 मार्च, 2005, 2006 और 2007 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या (गैर–छूट प्राप्त क्षेत्र) क्रमशः 40608, 76476 और 72554 हैं। इसमें ऐसे प्रतिष्ठान भी शामिल हैं जिन्होंने कर्मचारियों के हिस्से का अंशदान देने में चूक की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान चूककर्ताओं की संख्या तथा देय राशि संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार बकाया राशि वसूल की जाती है। इसमें चूककर्ताओं के बैंक खातों, चल/अचल संपत्तियों की कुर्की तथा उनकी गिरफ्तारी आदि शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्ताओं के खिलाफ अभियोजन दायर करने के अतिरिक्त उन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत शिकायतें दर्ज की जाती हैं जो कर्मचारियों का हिस्सा काट कर भी उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं करवाते।

विवरण-I

(31 मार्च को समाप्त वर्ष) (गैर–छूट प्राप्त क्षेत्र) के अनुसार चूककर्ताओं की संख्या तथा देय राशि संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरे

राज्य	चूककर्ताओं की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपयों में)	चूककर्ताओं की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपयों में)	चूककर्ताओं की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपयों में)
	2004-05		2005-06		2006-07	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	4581	11062.33	12025	11754.46	11556	11929.91
बिहार	752	4298.07	1966	4211.45	1406	5360.21
छत्तीसगढ़	347	1048.11	800	2095.26	727	4274.49
दिल्ली	690	2540.30	826	2419.17	775	2372.85
गोवा	313	333.88	392	337.59	258	276.37
गुजरात	730	5288.23	4620	11415.28	4370	6577.99
हरियाणा	2495	5509.18	744	6110.85	1702	3930.11
हिमाचल प्रदेश	197	434.14	137	357.03	118	259.43
झारखण्ड	559	2631.25	733	3254.60	1165	2429.26
कर्नाटक	917	8150.23	3143	9444.15	2143	10144.29
केरल	2017	8727.04	4627	8930.31	3602	11938.89
मध्य प्रदेश	1751	11359.38	3656	12581.94	2892	14098.11

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	2257	22882.34	6639	25798.43	6169	30208.89
पूर्वोत्तर क्षेत्र	651	4602.95	387	4056.27	715	3234.46
उड़ीसा	2143	11686.90	5158	12569.45	2844	19547.60
पंजाब	6672	5713.72	6186	7541.96	5413	7360.60
राजस्थान	1409	3408.46	425	3714.94	2516	4033.41
तमिलनाडु	8475	18349.06	17187	21094.83	17766	21357.11
उत्तरांचल	265	1467.74	842	1316.06	312	749.44
उत्तर प्रदेश	3181	12308.92	3265	10572.69	3274	10733.08
पश्चिम बंगाल	206	11880.25	2718	12842.93	2831	12949.70
कुल	40608	153682.48	76476	172419.65	72554	183766.20

विवरण-II

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6447.42	4942.14	5695.57
बिहार	2138.07	3026.04	1161.67
छत्तीसगढ़	701.87	795.65	1764.22
दिल्ली	1803.75	1699.02	1465.09
गोवा	351.33	456.08	432.94
गुजरात	3689.04	10722.44	8233.96
हरियाणा	2887.23	4307.23	4453.16
हिमाचल प्रदेश	961.57	1028.05	666.05
झारखण्ड	12618.62	1748.83	1668.62
कर्नाटक	6350.83	7278.64	7687.36
केरल	5114.19	4616.82	5498.94
मध्य प्रदेश	3985.98	6898.04	2460.48
महाराष्ट्र	13652.93	19589.00	11674.49
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2097.64	2999.48	2508.86
उड़ीसा	8717.73	3703.15	5980.69
पंजाब	6806.06	10293.27	6654.17
राजस्थान	2032.62	1275.35	825.14
तमिलनाडु	10725.41	7966.32	9706.22
उत्तरांचल	985.87	371.99	199.93
उत्तर प्रदेश	7125.58	4840.51	2755.48
पश्चिम बंगाल	6688.48	6875.61	8539.49
कुल	105882.22	105433.66	90032.50

मशरूम की खेती

2429. श्री तापिर गाव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मशरूम की खेती की अपार संभावनाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मशरूम के कृषकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया गया है क्योंकि कई राज्यों ने मशरूम की खेती को उद्योग में शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मशरूम कृषकों को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में विभिन्न कृषि लवायुवीय प्रचुर मात्रा में कच्चा माल (प्रति वर्ष लगभग 600 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट) और मानव शक्ति से संपूर्ण वर्ष के मौसमों और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खुंबियों के उत्पादन की अत्यधिक संभावनाएं है। वर्तमान में भारत प्रति वर्ष लगभग 1,00,000 लाख टन का उत्पादन कर रहा है।

(ग) से (ङ) खुंबी सहित बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में दो केन्द्रीय प्रायाजित स्कीमों यथा–राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीमों का उद्देश्य घरेलू एवं निर्यात मंडियों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में खुंबी सहित बागवानी उत्पाद की उत्पादकता और उत्पादों को बढ़ाना है। तथापि, विभिन्न राज्यों में खुंबियों की कृषि पर बिजली शुल्क और आयकर में कुछ विभिन्नताएं हैं जो खुंबियों के वर्गीकरण पर निर्भर हैं।

नई दिल्ली में रक्षा प्रदर्शनी

2430. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी के क्या परिणाम रहे तथा इसमें कितने रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया गया;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार बिचौलियों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए एक श्वेत पत्र जारी करने या रक्षा सौदा नीति लागू करने का है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सौदों में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) 273 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों सहित 31 देशों के 475 प्रदर्शनी लगाने वालों ने डिफेक्स्पो इंडिया 2008 में भाग लिया। लगभग 40,000 व्यवसाय आगन्तुक प्रदर्शनी को देखने आए। प्रदर्शनी के दौरान 3,490 व्यवसाय संबंधी पूछताछ की गई तथा 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनसे भारत से रक्षा मदों के निर्यात को और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है।

तथापि, डिफेक्स्पो इंडिया–2008 के दौरान सरकार द्वारा किन्हीं खरीद करारों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ख) 01 सितम्बर, 2006 से कार्यान्वयन अधीन प्रभावी रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी) 2006 तथा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी पी एम 2006) में मूल उपस्कर विनिर्माता अथवा प्राधिकृत विक्रेताओं अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों (उन देशों के मामले में लागू जिनमें मूल उपस्कर विनिर्माता को सीधे निर्यात के लिए घरेलू कानून अनुमति नहीं देते हैं।) से सीधे सौदा करने के लिए उपबंध है। इसके अलावा, प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ–साथ, विक्रेता को संविदा दिलाने के लिए यदि कोई विक्रेता किसी व्यक्ति अथवा फर्म, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, मध्यस्थता करने, कार्य को सरल करने की व्यवस्था करता है या किसी अन्य तरीके से भारत सरकार अथवा इसके किसी कार्यकर्ता, आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से, भारत सरकार से सिफारिश करता है, तो उस पर शास्ति लगाने के लिए उपबंध समाविष्ट किए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्ष में पूंजीगत अर्जन शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक व्यय निम्नवत है :

2004–05	27208.57 करोड़ रुपए
2005–06	25490.53 करोड़ रुपए
2006–07	26900.44 करोड़ रुपए

गत तीन वर्ष में राजस्व शीर्ष (भण्डार) के अंतर्गत वास्तविक व्यय निम्नलिखित है:

2004–05	16032.49 करोड़ रुपए
2005–06	17475.31 करोड़ रुपए
2006–07	18902.36 करोड़ रुपए

दूरसंचार कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण

2431. श्री विक्रम केशरी देव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में कालाहांडी दूरसंचार सर्किल के सुगमतापूर्वक कार्य करने और अच्छे कार्यकरण की दशा के लिए शीघ्र तीस कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा राज्य में कालाहांडी भारत संचार निगम लिमिटेड के उड़ीसा दूरसंचार सर्किल के अधिकारिता क्षेत्र के अधीन आता है। आमतौर पर, बीएसएनएल अपने स्वयं के संसाधनों से अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करता है।

[हिन्दी]

अधिग्रहण के संबंध में विवाद

2432. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वोडाफोन द्वारा हच एस्सार का अधिग्रहण संबंधी विवाद केन्द्र सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विवाद को निपटाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) वोडाफोन इंटरनेशनल हॉल्डिंग्स बी. वी. ने मैसर्स हचिसन टेलीकम्युनिकेशन्स इंटरनेशनल लि. (एचटीआईएल) के स्वामित्व वाले 51.96 प्रतिशत शेयर मैसर्स हचिसन एस्सार लिमिटेड (एचईएल) में हस्तातंरण के लिए सरकार की अनुमति मांगते हुए विदेशी निवेश सवंर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) में आवेदन प्रस्तुत किया था। एफआईपीबी ने अनुरोध पर विचार किया तथा निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, हचिसन से वोडाफोन को 51.96 प्रतिशत शेयरों के हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान कर दी।

[अनुवाद]

नौसेना के कब्जे में भूमि

2433. श्री फ्रांसिस्को कोज्जी सारदीना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना का पुराने हवाई अड्डे तथा अन्य स्थानों पर गोवा सरकार की भूमि पर कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपयोग की गई भूमि का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के एंटनी) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना के पास गोवा स्थित दाबोलिम हवाई अड्डे में 1687.51 एकड़ भूमि है। सन् 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के बाद पूर्व-पुर्तगाली भूमि से 249.67 एकड़ भूमि, जिस पर दाबोलिम हवाई अड्डा था, 09 अप्रैल 1962 को गोवा के तत्कालीन सैन्य गवर्नर के आदेश से रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई थी। शेष भूमि का अर्जन 23 फरवरी 1968 की राजपत्र अधिसूचना के बाद भिन्न-भिन्न टुकड़ों में किया गया था।

(ग) इस भूमि के 1687.51 एकड़ में से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 25.696 एकड़ भूमि का उपयोग कर रहा है और शेष भूमि भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग में लाई जा रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना के माध्यम से दूध की बिक्री

2434. श्री लालमणि प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का बिक्री नेटवर्क उच्च आय वर्ग की जनसंख्या के क्षेत्र तक सीमित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री नेटवर्क का निम्न आय वर्ग जनसंख्या के क्षेत्र तक विस्तार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। सभी आय समूहों की मांग को पूरा करने के लिए सारी दिल्ली में 1710 बिक्री केन्द्र स्थित हैं।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना ने वितरकों के माध्यम से प्राइवेट दुकानों पर दूध उपलब्ध करा करके अपने बिक्री नेटवर्क का विस्तार किया ताकि उपभोक्ताओं को यह निकट के स्थानों पर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा, उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कच्चा दूध खरीदा जाता है।

पी.सी. की संख्या में वृद्धि

2435. श्री एम.पी.वीरेन्द्र कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पाया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्सनल कम्प्यूटरों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्सनल कम्प्यूटरों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां।

(ख) वैयक्तिक कम्प्यूटर का मूल्य, अभिगम का शुल्क, स्थानीय भाषा में उपयुक्त सूचना सामग्री का उपलब्ध नहीं होना, साधन तथा इंटरफेस और ग्रामीण जनता के लिए अनुप्रयोग इसके कुछ मुख्य कारण हैं।

(ग) (i) सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्रोडबैण्ड इंटरनेट समर्थित क्योस्क, जिन्हें सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) कजा जाता है, स्थापित कर रही है तथा राज्यों में प्रत्येक 6 आवासीय गांवों के लिए एक सीएससी की स्थापना की जाएगी। इनकी स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी में की जाएगी। ये केन्द्र वैयक्तिक कम्प्यूटर के इस्तेमाल तथा इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे और नागरिकों को सरकारी एवं अन्य सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध कराएंगे।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास नामक एक कार्यक्रम है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं;

- भारतीय भाषाओं में मानव–मशीन सम्पर्क सुकर करने के लिए सूचना संसाधन विकसित करना तथा बहुभाषी ज्ञान के संसाधन विकसित करना।
- भाषा के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सूचना संसाधन साधनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना।

(iii) सरकार देश में सस्ते मूल्य पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग को सुविधाएं प्रदान कर रही है। सरकार ने इलेक्ट्रोनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए तथा कम्प्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के मूल्य में कमी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. **सीमा शुल्क**

- उत्पाद–शुल्क की सामान्य दर (सैनवैट) 16% घटाकर 14% कर दी गई है।
- घरेलू विनिर्माताओं को एक समान स्तर उपलब्ध कराने के लिए विनिर्धारित इलेक्ट्रॉनिक/सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए विनिर्धारित कच्ची सामग्री/उपादनों के लिए मूल सीमा शुल्क पर उपलब्ध पूरी छूट का विस्तार निम्नलिखित तक किया गया है:
- प्लाजमा प्रदर्श पैनल/मॉड्यूल तथा प्रकाशित तंतु केबल के लिए केबल फिलिंग/फ्लडिंग कम्पाउंड (थक्सोट्रॉपिक जेली) के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री और उपादान, तथा
- कनेक्टरों, रिले कैथेड रे ट्यूबों, सीआरटी पुर्जों, सेमीकंडक्टरों, कैपेसिटरों के लिए एलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर ग्रेड धात्विकृत प्लास्टिक फिल्मों और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटरों के विनिर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त कच्ची सामग्री और उपादान।
- वर्ष 2001–02 में 35% सीमा शुल्क की उच्चतम दर को वर्ष 2007–08 में घटाकर 10% कर दिया गया है।
- 217 सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) वस्तुओं पर सीमा शुल्क 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है।
- आईटीए–। में विनिर्माण की सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्तों के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों तथा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल की गई विनिर्धारित कच्ची सामग्री/उपादानों पर सीमा शुल्क ०% है।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है।
- केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

2. **उत्पाद शुल्क**

- कम्प्यूटरों पर उत्पादक शुल्क 12% है जबकि अधिकांश वस्तुओं के लिए मध्यम दर 16% है।
- माइक्रोप्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लापी डिस्क ड्राइव, सीडी रॉम ड्राइव, डीवीडी ड्राइव/डीवीडी राइडर, फ्लैश मेमोरी तथा कोम्बो ड्राइव को उत्पादक शुल्क से छूट दी गई है।
- प्रतिलोम शुल्क ढांचा दूर करने के उद्देश्य से दो और वस्तुएं छूट प्राप्त पूर्जों की सूची में शामिल की गई है।
- पैकेज सॉफ्टवेयर में अब तक उत्पाद शुल्क 8% था। इसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। अन्य सॉफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- निर्यातोन्मुखी इकाइयों, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) इकाइयों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)

इकाइयों से घरेलू शुल्क क्षेत्र में वस्तुओं की मंजूरी के लिए लागू शुल्क की प्रभावी दर समान वस्तुओं पर देय मूल सीमा शुल्क + उत्पाद शुल्क के 25% में से समान वस्तुओं पर देय मूल सीमा शुल्क +उत्पाद शुल्क का 50% कर दी गई है।

3. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी)

- परियोजना संबंधी आयात पर मूल सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) के अंतर्गत 5% सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति है।
- ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त हो।
- सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1)वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति
- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा सूचना प्रौद्यौगिकी समझौता (आईटीए–1) वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/एलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) के प्रयोजन से गिना जाएगा।

4. प्रक्रियाओं का सरलीकरण

- इलेक्ट्रौनिक डेटा आदान प्रदान (ईडीआई) का कार्यान्वयन सीमा शुल्क द्वारा किया गया है और केन्द्रीय उत्पादक शुल्क द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- विदेश व्यापार से संबंधित आवेदन पत्र जैसे कि आईसीई कोड, ईपीसीजी, अग्रिम लाइसेंस आदि डीजीएफटी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- व्यवसाय अथवा वाणिज्य में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाएं कर योग्या सेवाओं की सूची के अन्तर्गत शामिल की गई है।

5. अपने ही संगठन में अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय

इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, कम्प्यूटर तथा दूरसंचार उपस्कर के व्यवसाय से जुड़ी कम्पनी के मामले में अपनी ही संगठन में अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय के 150% तक भारित कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (2 एबी) के उपबंध (1) के अंतर्गत उपलब्ध है।

मूल्य समर्थन योजना परिचालन

2436. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने रबी 2005 मौसम के लिए सरसों तथा अन्य बीजों के संबंध में मूल्य समर्थन योजना परिचालनों हेतु दो निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक का चालू मौसम सहित पिछले दो रबी मौसमों के लिए सरसों तथा अन्य बीजों हेतु मूल्य समर्थन योजना का भी निरीक्षण करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मूल्य समर्थन स्कीम के तहत केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 2005–06 के रबी/खरीफ मौसमों के दौरान अधिप्राप्त सरसों बीज तथा अन्य तिलहनों एवं दलहनों की लेखा परीक्षा की और क्रमशः 31.10.07 और 12.12.07 को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने बहुत सी कमियों का उल्लेख किया जैसे–उत्पादन के मानकों से अधिक मात्रा में खरीद, गांव के बाहर के व्यक्तियों से खरीद, नमूनों/नमी की मात्रा का कोई रिकार्ड नहीं, घटिया स्टाक की खरीद, गिरदावरियों में गड़बड़ी, प्रसंस्करण से अल्प प्राप्ति सुरक्षा जमा या दण्डात्मक ब्याज की वसूली के मामले में बिक्री की प्रक्रिया का पालन न करना और व्यय की गलत प्रविष्टि करना आदि। लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों पर नेफेड की टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के कार्यालय ने सूचित किया है कि 2006–07 तथा 2007–08 के लिए लेखा परीक्षा 2008–09 के दौरान शुरू की जाएगी जिसके लिए लेखा परीक्षा के ब्यौरों को अभी तैयार किया जाना है।

स्टेट फार्मस् कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

2437. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय स्टेट फार्मस् कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एस.एफ.सी.आई.), की प्राथमिकताएं क्या हैं;

(ख) क्या एस.एफ.सी.आई. ने कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेन्सियों की विभिन्न रिपोर्टों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एस.एफ.सी.आई. द्वारा जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है;

(ङ) क्या कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में एक सम्मेलन इंडियन फार्मर्स–कोऑपरेटिव लिमिटेड के प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई) की प्राथमिकताएं अनाजों, दलहनों और तिलहनों के प्रजनक एवं आधारी बीजों के उत्पादन, राज्य बीज निगमों और अन्य एजेन्सियों के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन अभिज्ञात "पूर्व निर्मुक्त किस्मों" के संबंध में "टेस्ट स्टॉक सीड" का उत्पादन और उत्कृष्ट बागवानी पौध रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण करना है।

(ख) और (ग) एसएफसीआई ने कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में राष्ट्रीय एजेन्सियों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों) की रिपोर्टों की जांच की है और उनकी सिफारिशों को अपना लिया गया है और संभव सीमा तक कार्रवाई कर ली गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने रबी फसलों के लिए जल की उपलब्धता के कम होने तथा जमने के प्रभाव से निपटने के लिए सिफारिशें की हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के सिफारिश के अनुसार जल उपलब्धता के कम होने और जमने के प्रभाव से निपटने के लिए दलहनों में प्रति हैक्टेयर 700 ली. पानी में 350 ग्रा. की दर से और गेहूं एवं जौ में प्रति हैक्टेयर 700 ली. पानी में 700 ग्रा. की दर से थियोयूरिया के अनुप्रयोग को अपना लिया गया है। छिड़काव 20 दिनों के अन्तराल में दो बार किया जाता है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में गहरे हल जोतना, बाड़/वर्षा जल को अवरूद्ध करने जैसी जल संरक्षण तकनीकों को अपना लिया गया है। बागवानी पौधशाला के संबंध में ग्रीन हाऊसिस/पोलीहाऊसिस का निर्माण किया जा रहा है।

(ङ) और (च) कृषि मंत्रालय के सहयोग से इफको फाउंडेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इफको ने नई दिल्ली में 5–7 मार्च, 2008 के दौरान" "सार्क देशों में भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन हेतु विज्ञान–आधारित कृषि रूपान्तरण" पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के मुख्य विषय थे" जलवायु परिवर्तन, जोखिम प्रबंधन एवं जैव सुरक्षा"। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की अनिश्चित बढ़ोतरी और उत्पादकता पर चल रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया था।

इंटरनेट से फोन सुविधा

2438. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों के लिए इंटरनेट से फोन सुविधा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सुविधा के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता जगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी सेवा सहित विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु लाइसेंस जारी करती है। इंटरनेट टेलीफोनी सेवा में, लाइसेंस की शर्तों के ढांचे के भीतर यूएसए, यूके तथा ऑस्ट्रेलिया सहित भारत के बाहर के देशों के लिए इंटरनेट से फोन सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आर.एम.एस.सेवा में कटौती

2439. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे मेल सर्विस (आर.एम.एस.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में आर. एम.एस. में कोई कटौती/संशोधन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में विशेष रूप से राजस्थान

के कोटा क्षेत्र में आर.एम.एस. में की गई कटौती/संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसकी प्रतिपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभाग द्वारा दिए गए विवरण II और III के अनुसार मेल नेटवर्क का समेकन कार्य शुरू किया गया है।

(घ) रेलवे मेल सेवा के समेकन कार्य के परिणामस्वरूप लोगों को प्रदान की जानी वाली सेवाओं में कोई कटौती नहीं की गई है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण I

31.03.2006 की स्थिति के अनुसार रेलवे मेल सेवा की कार्यरत इकाइयां (सर्किलवार)

सर्किल	रेलवे मेल सेवा डिवीजन	रेलवे मेल सेवा छटाई/मेल कार्यालय
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	6	36
2. असम	2	14
3. बिहार	5	26
4. छत्तीसगढ़	1	6
5. दिल्ली	3	16
6. गुजरात	3	33
7. हरियाणा	2	13
8. हिमाचल प्रदेश	1	6
9. जम्मू – कश्मीर	1	2
10 झारखंड	2	11
11. केरल	3	29
12. कर्नाटक	3	26
13. मध्य प्रदेश	3	21
14. महाराष्ट्र	7	40
15. उत्तर पूर्व	0	0
16. उड़ीसा	3	22
17. पंजाब	2	11
18. राजस्थान	3	21
19. तमिलनाडु	6	51
20. उत्तरांचल	0	0
21. उत्तर प्रदेश	7	60
22. पश्चिम बंगाल	6	44
कुल	69	487

विवरण -II

अप्रैल, 2007 से अन्य कार्यालयो के साथ विलय किए गए मेल कार्यालयों की सर्किलवार सूची (29.2.2008 की स्थिति के अनुसार)

सर्किल का नाम	विलय किए गए मेल कार्यालय का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	1) चिराला एसटीजी
	2) केबीयू सिंकदराबाद
	3) अनकापल्ले आरएमएस
	4) अदोनी आरएमएस
	5) नंद्याला आरएमएस
	6) हिंदुपुर आरएमएस
	7) चित्तूर आरएमएस
	8) गुडूर आरएमएस
असम	9) टीएमओ कोटाखल
	10) करीमगंज आरएमएस
	11) मरियानी आरएमएस
	12) लुंडिंग आरएमएस
	13) सीआरसी शिलांग
बिहार	14) सोनपुर आरएमएस

1	2
	15) मोतीहारी आरएमएस
	16) नवादा आरएमएस
	17) बक्सर आरएमएस
	18) खगड़िया आरएमएस
	19) जमालपुर आरएमएस
	20) पटना सीएसओ
	21) पटना आरएमएस विदेश डाक
	22) सासाराम आरएमएस
छत्तीसगढ़	23) छिंदवाड़ा आरएमएस
	24) जगदलपुर एसटीजी
गुजरात	25) अमरेली
	26) पोरबंदर आरएमएस
हरियाणा	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य
झारखंड	27) मधुपुर आरएमएस
कर्नाटक	28) अरसीकेरे आरएमएस
केरल	29) नेय्याटिंनकरा एसटीजी
	30) कोट्टारकरा एसटीजी
	31) कोल्लम पीएसओ
	32) मुवाट्टुपुझा छंटाई
मध्य प्रदेश	33) बेतूल आरएमएस
	34) बीना आरएमएस
	35) नीमच एसटीजी
	36) मंदसौर आरएमएस
	37) नागदा टीएमओ
	38) पिपरिया आरएमएस
	39) खांडवा आरएमएस
	40) छतरपुर एसटीजी

1	2
महाराष्ट्र	41) कराड एसटीजी
	42) मनमाड आरएमएस
उड़ीसा	43) सीआरसी कटक
	44) बेरहामपुर आरएमएस पीएल एसटीजी
	45) तितीलागढ़ आरएमएस
	46) पारालाखेमुंडी छंटाई
	47) फलबनी एसटीजी
पंजाब	48) धुरी आरएमएस
	49) पठानकोट एसटीजी
राजस्थान	50) डूंगरपुर आरएमएस
	51) पाली एसटीजी
तमिलनाडु	52) पटटुकोटाई आरएमएस
	53) मदुरै प्रधान डाकघर एसटीजी
	54) तेंकाशी एसटीजी
उत्तर प्रदेश	55) बुलंदशहर आरएमएस
	56) उन्नाव आरएमएस
	57) ललितपुर आरएमएस
	58) हापुड़ आरएमएस
	59) ओरई आरएमएस
	60) बाराबंकी आरएमएस
	61) शिकोहाबाद आरएमएस
	62) बालामऊ आरएमएस
	63) गाजियाबाद आरएमएस
	64) बहराइच प्रधान डाकघर एसटीजी
	65) गाजीपुर आरएमएस
	66) प्रतापगढ़ आरएमएस
	67) फतेहपुर आरएमएस
	68) बलिया आरएमएस

1	2
	69) सीतापुर आरएमएस
	70) पीलीभीत आरएमएस
पश्चिम बंगाल	71) गंगटोक एसटीजी
	72) अद्रा आरएमएस
	73) कोंटई रोड आरएमएस
	74) मिदनापुर आरएमएस
	75) हल्दिया आरएमएस

विवरण III

राजस्थान में विलय किए गए मेल कार्यालयों का ब्यौरा
(पिछले तीन वर्षों के दौरान)

विलय किए गए मेल कार्यालय

क्रम सं.	छंटाई मेल कार्यालय का नाम	बंद/विलय करने की तारीख	जिस मेल कार्यालय में विलय किया गया उसका नाम
1.	फुलेरा आरएमएस	11.04.2005	जयपुर आरएमएस
2.	सीबीएसएसओ जयपुर	11.04.2005	जयपुर आरएमएस
3.	डूंगरपुर आरएमएस	16.8.2007	उदयपुर/चित्तौड़गढ़
4.	पाली आरएमएस	29.10.2007	फलना आरएमएस/ अजमेरआरएमएस
5.	मारवाड़ जं. आरएमएस	29.2.2008	फलना आरएमएस/ अजमेर आरएमएस

की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं का ब्यौरा

मेल कार्यालय

क्रम सं.	छंटाई कार्यालय का नाम	बंद किए जाने के बाद की गई वैकल्पिक व्यवस्थाएं
1	2	3
1.	फुलेरा आरएमएस	डाक का निपटान जयपुर आरएमएस में किया जा रहा है।
2.	सीबीएसएसओ जयपुर	डाक का निपटान जयपुर आरएमएस में किया जा रहा है।
3.	डूंगरपुर आरएमएस	मेल का निपटान उदयपुर/ चित्तौड़गढ़ में किया जा रहा है।
4.	पाली आरएमएस	मेल का निपटान फलना आरएमएस/अजमेर आरएमएस में किया जा रहा है।
5.	मारवाड़ जं. आरएमएस	मेल का निपटान फलना आरएमएस/अजमेर आरएमएस में किया जा रहा है।

दूरसंचार कंपनियों पर अर्थदंड

2440. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री हंसराज गं. अहीर :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री किरेन रिजीजू :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न दूरसंचार कंपनियों पर लगभग आठ सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन–कौन सी दूरसंचार कंपनियां हैं जिन पर यह अर्थदंड लगाया गया है तथा कितना अर्थदंड लगाया गया है तथा उक्त अर्थदंड लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/कर रही है;

(ङ) उपर्युक्त कंपनियों से अर्थदंड के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई;

(च) अर्थदंड का भुगतान नहीं करने के कारण दोषी पाई गई कंपनियों के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(छ) सरकार उक्त अर्थदंड की राशि कब तक वसूल कर लेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न दूरसंचार कम्पनियों पर लगभग 462 करोड़ रूपए का अर्थदंड लगाया गया है।

अर्थदंड की राशि वसूल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है और न्यायाधीन कुछ मामलों को छोड़कर 370 करोड़ रूपए की वसूली कर ली गई है। अर्थदंड की वसूली न्यायालय के निर्णय के निष्कर्ष पर निर्भर करती है।

जिन टेलीकॉम कम्पनियों पर अर्थदंड लगाया गया है, उनके नाम, अर्थदंड की राशि, अर्थदंड के लिए कारण और वसूली की स्थिति संलग्न विवरण–I से IV में दर्शायी गई है।

विवरण-I

सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए अर्थदंड का ब्यौरा

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	उल्लंघन की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	क्या अर्थदंड लगाया गया
	सीएमटीएस				
1	हचिसन एस्सार सेल्यूलर लिमिटेड (अब वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लिमिटेड)	महाराष्ट्र	लेखा परीक्षित एजीआर विवरण के मुकाबले देय लाइसेंस शुल्क का स्वयं निर्धारण करने पर अदा किए गए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी	2004–05	जी, हां।
2	हचिसन एस्सार सेल्यूलर लिमिटेड (अब वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लिमिटेड)	तमिलनाडु		2004–05	जी, हां।
3	आइडिया मोबाइल काम लिमिटेड	हरियाणा		2004–05	जी, हां।
	कुल सीएमटीएस				
	बेसिक/यूएएसएल				
1	टाटा टेली सर्विसेस लिमिटेड	उ.प्र. (पू.)	लेखा परीक्षा एजीआर विवरण के मुकाबले देय लाइसेंस शुल्क का स्वयं निर्धारण करने पर अदा किए गए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी	2004–05	जी, हां।
2	टाटा सर्विसेज लिमिटेड	उ.प्र. (प.)		2004–05	जी, हां।
3	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	कोलकाता		2004–05	जी, हां।
4	भारती एयरटेल लिमिटेड	बिहार		2004–05	जी, हां।
5	भारती एयरटेल लिमिटेड	उड़ीसा		2004–05	जी, हां।
6	भारती एयरटेल लिमिटेड	दिल्ली		2004–05	जी, हां।
7	भारती एयरटेल लिमिटेड	कर्नाटक		2004–05	जी, हां।
8	भारती एयरटेल लिमिटेड	तमिलनाडु		2004–05	जी, हां।
9	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	असम		2004–05	जी, हां।
10	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	असम		2005–06	जी, हां।
11	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	बिहार		2004–05	जी, हां।
12	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश		2004–05	जी, हां।
13	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर		2004–05	जी, हां।
14	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर		2005–06	जी, हां।
15	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	पूर्वोत्तर		2004–05	जी, हां।
16	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	पूर्वोत्तर		2005–06	जी, हां।

विवरण-I

सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए अर्थदंड का ब्यौरा

(राशि रु. में)

लगाए गए अर्थदंड की कुल राशि	अर्थदंड की राशि	धनराशि ब्याज की राशि	वसूल की गई धनराशि	बकाया धनराशि	आगे वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई	अभ्युक्तियां
44,742,731	32,220,221	12,522,510	44,742,731	–		
22,560,217	16,246,107	6,314,110	22,560,217	–		
7,244,336	5,216,805	2,027,531	7,244,336	–		
74,547,284	53,683,133	20,864,151	74,547,284	–		
476,314	347,363	128,951	476,314	–		
523,074	381,464	141,610	523,074	–		
36,764,401	28,200,411	8,563,990	36,764,401	–		
2,476,135	1,738,648	737,487	2,476,135	–		
1,916,585	1,345,753	570,832	1,916,585	–		
20,552,414	14,431,122	6,121,292	20,552,414	–		
22,946,452	16,112,124	6,834,328	22,946,452	–		
28,889,941	20,285,416	8,604,525	28,889,941	–		
25,605,198	21,728,570	3,876,628	25,605,198	–		
21,358,670	19,691,855	1,666,815	21,358,670	–		
25,605,198	21,728,570	3,876,628	25,605,198	–		
25,605,198	21,728,570	3,876,628	25,605,198	–		
25,605,198	21,728,570	3,876,628	25,605,198	–		
2,168,189	1,998,985	169,204	2,168,189			
25,605,198	21,728,570	3,876,628	25,605,198	–		
23,346,813	21,524,845	1,821,968	23,346,813	–		

विवरण-I

सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए अर्थदंड का ब्यौरा

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	उल्लंघन की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	क्या अर्थदंड लगाया गया
17	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	उड़ीसा		2004–05	जी, हां।
18	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	उड़ीसा		2005–06	जी, हां।
19	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	प. बंगाल		2004–05	जी, हां।
20	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	प. बंगाल		2005–06	जी, हां।
21	श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान		2004–05	जी, हां।
	आईएलडी				
1	वीएसएनएल	अखिल भारत	लाइसेंसशुल्क का स्वयं निर्धारण करने पर अदा किए गए लाइसेंस शुल्क में कमी	2004–05	जी, हां।
2	वीएसएनएल	अखिल भारत		2005–06	जी, हां।
	कुल आईएलडी				
	पीएमआरटीएस				
1	हाफिनटेल लिमिटेड	चेन्नै	लेखा परीक्षित एजीआर विवरण के मुकाबले देय लाइसेंस शुल्क का स्वयं निर्धारण करने पर अदा किए गए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी	2005–06	जी, हां।
	कुल पीएमआरटीएस				
	वाणिज्यिक वी-सेट				
1	एचईसीएल	अखिल भारत	लेखापरीक्षित एजीआर विवरण के मुकाबले देय लाइसेंस शुल्क का स्वयं निर्धारण करने पर अदा किए गए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी	2004–05	जी, हां।
2	एचईसीएल	अखिल भारत	लेखापरीक्षित एजीआर विवरण के मुकाबले देय लाइसेंस शुल्क का स्वयं निर्धारण करने पर अदा किए गए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी	2005–06	जी, हां।
	कुल वाणिज्यिक वी–सैट				
	सकल जोड़				

विवरण-I

सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए अर्थदंड का ब्यौरा

(राशि रु. में)

धनराशि					आगे वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई	अभ्युक्तियां
लगाए गए अर्थदंड की	अर्थदंड की राशि	ब्याज की राशि	वसूल की गई धनराशि	बकाया धनराशि		
25,605,198	21,728,570	3,876,628	25,605,198	–		
3,407,338	3,141,432	265,906	3,407,338	–		
34,140,264	28,971,427	5,168,837	34,140,264	–		
2,221,138	2,047,802	173,336	2,221,138	–		
181,929,145	126,140,675	55,788,470	181,929,145	–		
536,748,061	416,730,742	120,017,319	536,748,061	–		
1,046,053,856	772,553,983	273,499,873	1,046,053,856			
321,460,603	293,379,142	28,081,461	321,460,603	–		
1,367,514,459	1,065,933,125	301,581,334	1,367,514,459			
3,114	2,900	214	3,114	–		
3,114	2,900	214	3,114	–		
32,876,919	29,344,834	3,532,085	–	32,876,919		मामला न्यायाधीन है।
8,947,230	8,083,122	864,108	–	8,947,230		मामला न्यायाधीन है
41,824,149	37,427,956	4,396,193	–	41,824,149		
2,020,637,067	1,573,777,856	446,859,211	1,978,812,918	41,824,149		

विवरण-II

सेवा प्रदाता से वसूली गई राशि और कारणों का ब्यौरा

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	राशि	कारण	वसूली गई राशि
1.	भारती एयरटेल लिमिटेड	चेन्नै	59638940	एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस करार के खंड 20.8 के अनुसार, यदि वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए तिमाही स्पेक्ट्रम के रूप में भुगतान की गई कुल राशि, भुगतान किए गए स्पेक्ट्रम प्रभार के 10% से अधिक कम होगी तो इस पर 15% (वित्तीय) वर्ष 2005–06 से 50%) की दर से जुर्माना लगेगा।	
2.	भारती एयरटेल लिमिटेड	मध्य प्रदेश	67555214		
3.	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	पूर्वोत्तर	654694		654694
4.	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	उड़ीसा	3625540		3625540
5.	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	मध्य प्रदेश	22841725		22841725
6.	डिशनेट वॉयरलेस लिमिटेड	असम	7292748		7292748
7.	डिशनेट वॉयरलेस लिमिटेड	जम्मू–कश्मीर	605586		605586
8.	डिशनेट वॉयरलेस लिमिटेड	पूर्वोत्तर	8013316		8013316
9.	डिशनेट वॉयरलेस लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	413625		413625
10.	मैसर्स स्पाइस कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक	87144763		87144763
11.	मैसर्स स्पाइस कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	पंजाब	98260693		98260693
सीडीएमए स्पैक्ट्रम प्रयोक्ता					
12.	मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	109237529		
13.	मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश	12076935	–वही–	
14.	मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	मध्य प्रदेश	69614696		
15.	मैसर्स भारती इंफोटेल लिमिटेड	मध्य प्रदेश	15067883		
वीसेट सेवा प्रदाता					
16.	मैसर्स गुजरात नर्मदा वेली कम्यूनिकेशन लिमिटेड		796193	संशोधित वाणिज्यिक वीसेट लाइसेंस करार के खंड 1.8 तथा दिनांक 16.04.03 के डब्ल्यूपीसी आदेश सं. आर–11014/9/2001–एलआर के पैरा 1.5 के अनुसार, यदि वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए तिमाही स्पेक्ट्रम के रूप में भुगतान की गई कुल राशि, भुगतान किए गए स्पेक्ट्रम प्रभार के 10% से अधिक कम होगी तो लाइसेंसधारी से इस पर 150% (वित्तीय वर्ष 2005–06 से 50%) की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।	796193
17.	मैसर्स टाटानेट सर्विसेज लिमिटेड		437817		437817
18.	मैसर्स टीवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		2830679		शून्य
19.	मैसर्स एस्सल श्याम कम्यूनिकेशन लिमिटेड		3673359		शून्य
20.	मैसर्स ह्यूग्स एस्कोर्ट्स कम्यूनिकेशन लिमिटेड		33315174		शून्य
	कुल		603,097,109		230,086,700

विवरण-III

उल्लंघन के कारण सेवा प्रदाता के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा

1. उल्लंघन के कारण निम्नलिखित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं:

   (i) शिवन डाटापेक प्रा. लि.

   (ii) सिग्मा ऑनलाइन लि.

   (iii) मैग्नाकॉर्प इंडिया लि.

   (iv) कैपिटल ऑनलाइन प्रा. लि.

   (v) ट्राइडेंट नेटकॉम सोल्युशन्स प्रा. लि.

2. निर्धारित अवधि के भीतर सेवा न शुरू करने के कारण 18.02.08 को निम्नलिखित कंपनियों के लाइसेंसों को रद्द किया गया था:–

क्रम सं.	पत्र सं.	दिनांक	कंपनी का नाम
1	2	3	4
1	820–567/02–एलआर	18.02.08	मै. इंटरनेशनल टेलीफोन एंड सेटलाइट कॉर्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.
2	820–568/02–एलआर	18.02.08	मै. इंटरनेशनल टेलीफोन एंड सेटलाइट कॉर्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.
3	820–760/03–एलआर	18.02.08	मै. बेस टेलीकॉम प्रा. लि.
4	820–726/03–एलआर	18.02.08	मै. रैडिक्स इंटिग्रेटिड सिस्टम्स प्रा. लि.
5	820–8/98–एलआर	18.02.08	मै. यूनाइटेड इंटरनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.
6	820–35/98–एलआर	18.02.08	मै. एस.के. डिजीटल टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
7	820–125/98–एलआर	18.02.08	मै. बलदेव शिप ब्रेकर्स लि.
8	820–78/98–एलआर	18.02.08	मै. जे. एंड के. स्टेट इंडस्ट्रियल डेव. कॉर्पो. लि.
9	820–30/98–एलआर	18.02.08	मै. एन.एस. नेट सोर्स (आई) प्रा. लि.
10	820–249/99–एलआर	18.02.08	मै. नेककनेक्ट (इंडिया) प्रा. लि.
11	820–269/99–एलआर	18.02.08	मै. येंके नेटवर्क प्रा. लि.
12	820–247/99–एलआर	18.02.08	मै. नेप्यून साइबरवर्ल्ड प्रा. लि.
13	820–316/00–एलआर	18.02.08	मै. डिस्कवरी इन्फोवेज लि.
14	820–360/00–एलआर	18.02.08	मै. इनफिनिटी. कॉम फाइनैनशियल सिक्यूरिटीज लि.
15	820–513/00–एलआर	18.02.08	मै. सी.एन. सोल्यूशन्स प्रा. लि.
16	820–520/00–एलआर	18.02.08	मै. क्यू. नेट इन्फोसिस्टम्स प्रा. लि.
17	820–573/01–एलआर	18.02.08	मै. डोम्बिवली इंटरनेट प्रा. लि.
18	820–547/00–एलआर	18.02.08	मै. बेकन ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रा. लि.
19	820–602/01–एलआर	18.02.08	मै. सिक्कानेट सर्विसेज प्रा. लि.
20	820–641/02–एलआर	18.02.08	मै. स्टार एयरनेट ब्रॉडबैंड इन्फो प्रा. लि.
21	820–655/02–एलआर	18.02.08	मै. कश्मीर इन्फोनेट टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
22	820–588/01–एलआर	18.02.08	मै. अली ट्रेडिंग एक्पोजीशन इंडिया प्रा. लि.
23	820–748/03–एलआर	18.02.08	मै. अंजुमन कंप्यूटर्स प्रा. लि.

1	2	3	4
24	820–690/03–एलआर	18.02.08	मै. वोयेजर इन्फोकॉम (इंडिया) प्रा. लि.
25	820–693/03–एलआर	18.02.08	मै. मैसूर ब्रॉडबैंक सर्विसेज प्रा. लि.
26	820–830/04–एलआर	18.02.08	मै. ऑरेंज सिटी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रा. लि.
27	820–781/04–एलआर	18.02.08	मै. बराक इन्फोटेक प्रा. लि.
28	820–787/04–एलआर	18.02.08	मै. केटीवी नेट प्रा. लि.
29	820–821/04–एलआर	18.02.08	मै. पीएएमएस इन्फोर्मेशन सर्विसेज प्रा. लि.
30	820–790/04–एलआर	18.02.08	मै. टेलनेट टेलीकॉम इंडिया प्रा. लि.

3. दो लाइसेंसधारकों नामतः मै. प्राइम्स टेलीकम्युनिकेशन्स इंडिया लि. और एचएफसीएल इन्फोटेल लि. ने लाइसेंस करार के उल्लंघन के लिए उन पर लगाए गए अर्थदंड का भुगतान कर दिया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	कंपनी का नाम	अर्थदंड के रूप में किया गया भुगतान (रु.)
1	मै. प्राइमस टेलीकम्युनिकेशन्स इंडिया लि.	8,78,036
2	मै. एचएफसीएल इन्फोटेल लि.	16,94,288

4. मै. टाटा टेलीसर्विसेज (एमएच) लि. पर 50 करोड़ रु. का अर्थदंड लगाया गया है और यह मामला न्यायाधीन है।

मै. एचएफसीएल सेटलाइट कम्युनिकेशन्स लि. द्वारा धारित वाणिज्यिक सीयूजी वीसैट लाइसेंस के निबंधन व शर्तों के उल्लंघन के कारण उस पर निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के रूप में 50 लाख रु. का अर्थदंड लगाया गया था।

बैंक गारंटी का नकदीकरण किया गया था और लाइसेंस को जनवरी, 2005 में रद्द कर दिया गया था।

50 लाख रु. की पूर्ण निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण दूरसंचार विभाग द्वारा कर लिया गया था।

लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में वीसैट लाइसेंसधारकों के पास कोई अर्थदंड संबंधी राशि लंबित नहीं है।

विवरण-IV

अर्थदंड के रूप में उगाही गई राशि का ब्यौरा

क्रम सं.	सेवा क्षेत्र	लाइसेंसधारक का नाम	अर्थदंड के रूप में उगाही गई राशि (करोड़ रु. में)	कारण
1.	कोलकाता	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	50	अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) कालों का गलत रूट किया जाना
2.	मुंबई	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	50	–वही–
3.	चेन्नै	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	50	–वही–
		जोड़	150	

अमरीका से विमानों की खरीद

2441. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से सी–130 से सुपर हर्क्युलस मल्टी–रोल ट्रांसपोर्ट विमान की खरीद हेतु सौदे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के अंतर्गत कितने विमान खरीदे जाने की संभावना है और इस पर कितना व्यय आपने की संभावना है; और

(ग) इन विमानों को कब तक सुपुर्द किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए छह सी–130 जे–30 वायुयानों की प्राप्ति हेतु अमरिकी सरकार के साथ एक प्रस्ताव एवं स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सम्बद्ध भूमि सहयोग उपस्कर, ग्राउण्ड हैण्डलिंग उपस्कर और रोल उपस्कर सहित वायुयान का अनुमानित मूल्य 692,454,677 अमेरिकी डॉलर है।

(ग) इन वायुयानों की सुपुर्दगी दिसम्बर, 2011 तक पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

विनिर्माण इकाइयां

2442. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या संचार और सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विनिर्माण पक्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमानित वृद्धि कितनी है; और

(ख) निकट भविष्य में किन प्रमुख उपकरण विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) अप्रैल–दिसम्बर, 2007 की अवधि के लिए उपलब्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आंकड़ों के आधार पर कम्प्यूटर हार्डवेयर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2006–07 में हुए विदेश निवेश के स्तर की तुलना में घट जाने की संभावना है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मुख्य कम्पनियां जिन्होंने देश में निवेश किया है अथवा अपनी विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार कर रही हैं इस प्रकार हैं–फॉक्सकॉन, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, जबील सर्किट्स, सनमिना, कोम्पाल, एलजी, सैमसंग, मोटोरोला, नोकिया, डेल, एचपी, एचसीएल, विप्रो इन्फोटेक, लेनोवो, हॉन हाई, लिटीयन, डेल्टा एलेक्ट्रॉनिक्य आदि।

रेशम कीट पालन उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

2443. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रेशम कीट पालन उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उद्योग हेतु प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन पर मसौदा दस्तावेज को अन्तिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने उक्त मसौदा की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उक्त मिशन को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस.इलंगोवन) : (क) से (च) केन्द्रीय रेशम बोर्ड में भारतीय रेशम के लिए प्रौद्योगिकी मिशन का एक प्रस्ताव तैयार किया था। सरकार ने भारतीय रेशम के लिए प्रस्तावित प्रौद्यागिकी मिशन दस्तावेज की जांच की थी और उसे संतोष जनक नहीं पाया था। दस्तावेज को राज्य सरकार की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सी एस बी को लौटा दिया गया है। इसी दौरान रेशम उत्पादन विकास के लिए 11 वीं योजना दस्तावेज तैयार किया गया है जिसमें भारतीय रेशम के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के प्रस्ताव के तहत अपेक्षित अधिकतर संघटकों वाली केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय रुप से प्रयोजित दोनों योजनाएं शामिल हैं। सरकार के अनुमोदन के बाद 11 वीं योजना स्कीमों को अब समूह आधारित अप्रोच के माध्यम से प्रोजैक्ट मोड आधार पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

आई. टी. कंपनियों द्वारा रोजगार प्रावधान

2444. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक आई.टी. कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसरों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई.टी. कंपनियों के निकट भविष्य में और अधिक रोजगार के अवसरों की संभावना जताई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी–बीपीओ क्षेत्र (सॉफ्टवेयर तथा सेवा) में कुल रोजगार नीचे दिए अनुसार है;

- वित्त वर्ष 2005–06 में 1.293 मिलियन
- वित्त वर्ष 2006–07 में 1.6 मिलियन
- वित्त वर्ष 2007–08 में 2 मिलियन (अनुमानित)

(राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है)

नैसकॉम के अनुसार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी–बीपीओ क्षेत्र में रोजगार वित्त वर्ष 2009–10 तक कुल 2.5 से 2.7 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

निजी सुरक्षा एजेन्सियों में कार्यरत कर्मचारी

2445. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विभिन्न निजी सुरक्षा एजेन्सियों में राज्य–वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और तत्पश्चात् आज की तारीख तक इस क्षेत्र में राज्य–वार सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देने एवं बेहतर कार्यदल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों को कोई निदेश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से ऐसी सूचना नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है तथा विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही निजी सुरक्षा एजेन्सियों के कार्यकलापों का विनियमन करने में राज्यों को सहायता देने के उद्देश्य से इसके तहत मॉडल नियम तैयार किए हैं। अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुसार प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेन्सी अपने निजी सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों को यथा निर्धारित प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, धारा 11 के तहत राज्य सरकारें नियम तैयार कर सकती हैं तथा सुरक्षा एजेन्सी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए शर्तों का निर्धारण कर सकती हैं तथा ऐसे नियमों में लाइसेंसधारी द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का सत्यापन करने का प्रावधान हो सकता है।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई

2446. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ड्रिप तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार विशेषतः कर्नाटक में ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारत सरकार जनवरी, 2006 से ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई (एमआई) संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। ड्रीप सिंचाई के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है। सरकार लिफ्ट सिंचाई संबंधी कोई भी स्कीम क्रियान्वित नहीं कर रही है।

(ख) कर्नाटक सहित राज्य सरकारों को सूक्ष्म, सिंचाई स्कीम के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के क्रियान्वयन के लिए विगत तीन वर्षों में दी गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है।

विवरण-I

ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य	2005–06		2006–07		2007–08		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	34371	15681	83657	60873	13325	30824	131353	107378
2.	बिहार	0	0	13433	0	0	0	13433	0
3.	छत्तीसगढ़	0	0	7436	0	0	381.74	7436	381.74
4.	दिल्ली	0	0	50	0	0	0	50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	गोवा	0	0	53	0	0	0	53	0
6.	गुजरात	10680	4910.06	13995	12048.56	33706	16037.26	58381	32995.88
7.	हरियाणा	0	0	1722	1018.19	1671	815.5	3393	1833.69
8.	झारखंड	0	0	934	0	0	0	934	0
9.	कर्नाटक	20927	0	7256	24972.7	28833.72	12056.5	57016.72	37029.2
10.	केरल	18542	0	3282	0	0	510.29	21824	510.29
11.	मध्य प्रदेश	3122	0	1684	2705.01	2359	1796.26	7165	4501.27
12.	महाराष्ट्र	23856	26971.39	36615	28286	61618	48568	122089	103825.39
13.	उड़ीसा	0	0	1798	278.72	0	597.85	1798	876.57
14.	पंजाब	3540	0	0	1123	2273	2599.25	5813	3722.25
15.	राजस्थान	3000	0	5067	2608	4400	1927	12467	4535
16.	तमिलनाडु	28550	0	5402	0	12118	6221.98	46070	6221.98
17.	उत्तर प्रदेश	8510	0	0	0	0	2139.00	8510	2139
18.	पश्चिम बंगाल	0	0	960	0	0	0	960	0
	कुल	155098	47562.45	183344	133913.18	160303.7	124474.63	498745.72	305950.26

विवरण-II

विगत तीन वर्षों में ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत दी गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2005–06	2006–07	2007–08 (फरवरी 2008 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5380.72	12705.27	1802.0 5	19888.04
2.	बिहार	0	2347.83	0	2347.83
3.	छत्तीसगढ़	0	1693.00	0	1693.00
4.	दिल्ली	0	11.48	0	11.48
5.	गोवा	0	6.38	0	6.38
6.	गुजरात	1760.95	3039.82	6582.65	11383.42
7.	हरियाणा	0	199.29	239.62	438.91
8.	झारखंड	0	127.52	0	127.52

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक	3318.49	985.45	4639.85	8943.79
10.	केरल	2800.00	504.00	0	3304.00
11.	मध्य प्रदेश	547.89	312.98	487.77	1348.64
12.	महाराष्ट्र	3772.37	6786.11	10999.33	21557.81
13.	उड़ीसा	0	310.23	0	310.23
14.	पंजाब	513.50	0	360.33	873.83
15.	राजस्थान	437.12	724.53	634.54	1796.19
16.	तमिलनाडु	4217.60	1188.75	2159.59	7565.94
17.	उत्तर प्रदेश	1205.45	0	0	1205.45
18.	पश्चिम बंगाल	0	119.33	0	119.33
	कुल	23954.09	31061.97	27905.73	82921.79

[अनुवाद]

बारूदी सुरंग निगरानी संबंधी रिपोर्ट

2447. सुश्री महबूबा मुफ्ती : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारूदी सुरंग निगरानी संबंधी रिपोर्ट, 2007 का ब्यौरा क्या है;

(ख) बारूदी सुरंगों से कितने लोग मारे गए;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) अभी तक किन-किन क्षेत्रों में से बारूदी सुरंगें नहीं हटाई गई हैं; और

(ङ) दूसरे प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों को कितना मुआवजा दिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के एंटनी) : (क) वर्ष 2007 की बारूदी सुरंग निगरानी संबंधी रिपोर्ट नवम्बर, 2007 में अम्मान, जोर्डन में आयोजित ओटावा सम्मेलन बैठक में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में विश्व के सभी देशों के कार्मिक रोधी सुरंगों के इस्तेमाल और संचयन का विवरण निहित है।

(ख) से (ङ) ये सुरंगे, संक्रियात्मक योजनाओं संबंधी आपरेशन पराक्रम के दौरान आवश्यकता के अनुसार बिछायी गई थीं। संक्रिया के दौरान बिछायी गयी सुरंगों को हटाने का कार्य वहां से सैनिकों को हटाए जाने पर नवम्बर, 2002 में शुरू किया गया। संक्रियात्मक कारणों के लिए अपेक्षित भूमि को छोड़कर सुरंगे हटाने का कार्य पूरा हो गया है। बारूदी सुरंग जिसमें 353 सिविलियन हताहत (61 मृत और 292 घायल) हुए थे, के मामले में मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार हर्जाने के रूप में अनुग्रह राशि मंजूर की गयी है।

[हिन्दी]

दूरसंचार फैक्ट्रियों का बंद होना

2448. श्री राकेश सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ दूरसंचार फैक्ट्रियों विशेषतः जबलपुर में रीचाई को बंद करने के लिए अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त फैक्ट्री में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हेतु कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किसी भी दूरसंचार फैक्टरी को बंद करने का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले दिनांक 17.09.07 के पत्र संख्या 1733/ एचओपीसीबी/एचएसएमडी/जीडब्ल्यूएल/2007

द्वारा रिछाई, जबलपुर दूरसंचार फैक्टरी को बंद करने का निर्देश देते हुए एक नोटिश भेजा था। दूरसंचार फैक्टरी रिछाई द्वारा भंडार में रखे गए और फैक्टरी द्वारा उत्सर्जित खतरनाक कचरे के प्रबंधन हेतु एक समय बद्ध कार्य योजना पर अमल करने का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने दिनांक 29.10.07 के पत्र सं. 2169/एचओपीसीबी/एचएसएमडी/जेबीपी–08/(2)/2007 द्वारा इस फैक्टरी को चलते रहने की अनुमति दे दी।

(ग) जी, हां।

(घ) खतरनाक कचरे के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :

(i) खतरनाक कचरे निबटान हेतु सुरक्षित खत्ता अर्थात डलाव स्थल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यह पिछले 3 महीनों से चालू है। ठोस कचरे का पक्के खत्ते में डाला जा रहा है।

(ii) कचरे को निष्प्रभावी बनाने का संयंत्र काम कर रहा है। फैक्टरी से निकलने वाले खतरनाक कचरे को निष्प्रभावी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अपर्याप्त भण्डार सुविधा

2449. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
प्रो. एम. रामदास :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडारगार निगम के पास राज्य–वार खाद्यानों की कुल भण्डारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश में अपर्याप्त भण्डारण सुविधा के कारण खाद्यानों के उचित व सुरक्षित भण्डारण में गंभीर समस्या का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भण्डारण स्थान की कमी के कारण कितनी मात्रा में खाद्यान्न का नुकसान हुआ है;

(घ) वर्ष 2008–09 के दौरान कितनी क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है तथा उक्त उद्देश्य हेतु कितना आबंटन किया गया है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के भण्डारण पर राज्य–वार कितना व्यय हुआ है; और

(च) आगामी रबी मौसम के दौरान खाद्यान्नों का उचित भण्डारण सुनिश्चित करने के लिए कौन से अन्य उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 243.07 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

1.2.2008 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण, निगम के पास कुल 6748970 टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। क्षेत्र/राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध समग्र भंडारण क्षमता मैक्रो स्तर पर काफी हद तक पर्याप्त है। भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध 243.07 लाख टन की कुल भंडारण क्षमता में से 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार 144.65 लाख टन क्षमता खाली पड़ी है।

इसके अलावा, खाद्यानों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की राष्ट्रीय नीति के तहत खरीद और कमी वाले दोनों राज्यों में बनाओ और चलाओ आधार पर 5.5 लाख टन क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त आपात आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के महा प्रबंधकों (क्षेत्र)/कार्यकारी निदेशकों (अंचल) को केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भांडागारण निगमों/राज्य सरकारों से अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराए पर लेने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से निजी गोदामों को किराए पर लेने की भी शक्तियां उन्हें दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भंडारण क्षमता की कमी के कारण खाद्यानों की कोई क्षति नहीं हुई है।

(घ) वर्ष 2008–09 के दौरान भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु योजना स्कीम के तहत 20.00 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय खाद्य निगम/योजना आयोग के परामर्श से भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

वर्ष 2008–09 के दौरान, केन्द्रीय भण्डारण निगम का 1,18,800 टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है, इसमें 4964/– लाख रूपए का खर्च आएगा।

(ङ) वर्ष 2006–07 के लिए भारतीय खाद्य निगम के खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतः क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 2006–07 (अनंतिम) के लिए अखिल भार अनंतिम अनुमान 1063.26 करोड़ रूपए हैं, इसमें भंडारण प्रचालनों के लिए तैनात कार्मिकों का वेतन शामिल है।

(घ) खाद्यानों का उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं–

(i) यह सुनिश्चित करना कि खाद्यानों के भंडारण के लिए इसके सभी गोदामों का वैज्ञानिक तौर–तरीकों के अनुसार निर्माण और रख–रखाव हो।

(ii) खुले और कैप भंडारण में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए विशेष रूप से बनायी गई कम घनत्व की काली पॉलीथीन की व्यवस्था करके, पानी रोधी तारपोलीन, जिसे नॉयलोन की रस्सियों द्वारा उचित प्रकार से बांधा गया हो, की व्यवस्था करके खाद्यान्न के पर्याप्त डनेज और प्लिंथ हेतु प्रावधान करना।

(iii) योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा स्टाक/गोदामों का नियमित रूप से अवधिक निरीक्षण करना।

(iv) स्टाक का नियमित रूप से रोग निरोधी और रोगहर उपचार करना।

(v) "प्रथम आमद, प्रथम निर्गम" की प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करना ताकि स्टाक को लम्बी अवधियों के भंडारण से बचाया जा सके।

(vi) मानसून पूर्व प्रधूमन करना।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध राज्यवार भण्डारण क्षमता

31 जनवरी, 2008 का स्थिति की अनुसार

(आंकड़े लाख टन में)

जोन	क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई से किराए पर ली गई					कुल किराए पर ली गई	कुल ढकी हुई	कैप (खुली हुई)			सकल जोड़	रखा गया स्टॉक	उपयोग प्रतिशत
			भारतीय खाद्य निगम की अपनी	राज्य सरकार	के.भा. नि.	रा.भा. नि.	निजी पार्ट			अपनी	किराए की	जोड़			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.46	0.68	0.48	1.65	5.31	0	0	0	5.31	3.04	57
	2.	झारखंड	0.66	0.02	0.14	0.16	0.20	0.52	1.18	0	0	0	1.18	0.60	51
	3.	उड़ीसा	2.93	0	0.45	2.41	0.15	3.01	5.94	0	0	0	5.94	1.90	32
	4.	पश्चिम बंगाल	8.64	0.18	0.63	0	0.56	1.37	10.01	0	0	0	10.01	2.80	28
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0	0	0	0.01	0.11	0	0	0	0.11	0.08	73
		जोड़ (पूर्व जोन)	15.99	0.24	1.68	3.25	1.39	6.58	22.55	0	0	0	22.55	8.42	37
उ.पू.	6.	असम	1.99	0.02	0.13	0.07	0.37	0.59	2.58	0	0	0	2.58	1.20	47
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0	0	0	0	0	0.08	0	0	0	0.18	0.06	33
	8.	मेघालय	0.14	0	0.11	0.05	0	0.16	0.30	0	0	0	0.30	0.13	43
	9.	मिजोरम	0.17	0.01	0	0	0	0.01	0.18	0	0	0	0.18	0.05	28
	10.	त्रिपुरा	0.22	0.05	0.13	0	0	0.18	0.40	0	0	0	0.40	0.27	68
	11.	मणिपुर	0.20	0.03	0	0	0	0.03	0.23	0	0	0	0.23	0.03	13
	12.	नागालैंड	0.20	0	0.00	0	0	0.00	0.20	0	0	0	0.20	0.06	30
		जोड़ (उ.पू. जोन)	3.10	0.11	0.37	0.12	0.37	0.97	4.07	0	0	0	4.07	1.80	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तर	13. दिल्ली	3.36	0	0	0	0	0	3.36	0.34	0	0.34	3.70	1.36	37
	14. हरियाणा	7.70	3.89	1.88	4.00	1.35	11.12	18.82	3.17	0	3.17	21.99	11.85	54
	15. हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0	0	0.11	0.25	0	0	0	0.25	0.20	80
	16. जम्मू–कश्मीर	0.98	0.16	0	0	0.12	0.28	1.26	0	0	0	1.26	0.99	79
	17. पंजाब	21.84	0.02	0.72	31.94	2.41	35.09	56.93	6.33	0	6.33	63.26	29.42	47
	18. चंडीगढ़	0.40	0	0.42	0.21	0	0.63	1.03	0.06	0	0.09	1.11	0.78	70
	19. राजस्थान	7.06	0	0.11	0	0.11	0.22	7.28	1.58	0.05	1.63	8.91	2.83	32
	20. उत्तर प्रदेश	14.96	0.07	1.69	3.97	0.18	5.91	20.87	4.15	0	4.15	25.02	6.02	24
	21. उत्तराखण्ड	0.66	0.09	0.13	0.26	0.05	0.53	1.19	0.09	0	0.09	1.28	0.58	45
	जोड़ (उ. जोन)	57.10	4.29	5.00	40.38	4.22	53.89	110.99	15.74	0.05	15.79	126.78	54.03	43
दक्षिण														
	22. आन्ध्र प्रदेश	12.66	0	1.37	17.60	0.00	18.97	31.63	1.97	0	1.97	33.60	12.96	39
	23. अंडमान और निकोबार	0.07	0	0.00	0.00	0.00	0	0.07	0	0	0	0.07	0.05	71
	24. केरल	5.12	0	0	0	0	0	5.12	0.21	0	0.21	5.33	1.56	29
	25. कर्नाटक	3.78	0	0.39	0.22	0	0.61	4.39	1.37	0	1.37	5.76	1.90	33
	26. तमिलनाडु	5.83	0	0.63	0.26	0	0.89	6.72	0.60	0	0.60	7.32	1.39	19
	27. पांडिचेरी	0.42	0	0	0.02	0	0.02	0.44	0.08	0	0.08	0.52	0.07	13
	जोड़ (द. जोन)	27.88	0	2.39	18.1	0	20.49	48.37	4.23	0	4.23	52.60	17.93	34
पश्चिम	28. गुजरात	5.00	0.14	0.21	0	0	0.34	5.35	0.30	0	0.30	5.65	2.58	46
	29. दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31. महाराष्ट्र	11.77	0.19	0.77	1.16	0.55	2.67	14.44	1.42	0	1.42	15.86	2.91	18
	32. गोवा	0.15	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0.15	0.08	53
	33. मध्य प्रदेश	3.37	0	0.81	0.95	0.00	1.76	5.13	0	0.37	0	5.50	3.25	59
	34. छत्तीसगढ़	5.12	0.64	0.13	1.12	0.05	1.94	7.06	0.41	2.44	2.85	9.91	7.42	75
	जोड़ (प. जोन)	25.41	0.97	1.92	3.23	0.60	6.72	32.13	2.50	2.44	4.94	37.07	16.24	41
	सकल जोड़	129.48	5.61	11.36	65.08	6.58	88.63	218.11	22.47	2.49	24.96	243.07	98.42	40

विवरण-II

1 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार/राज्यवार भांडागारों की संख्या और उनकी क्षमता तथा प्रतिशत उपयोग

(आंकड़े मी. टन में)

क्षेत्र/राज्य	भांडगारों की संख्या	क्षमता						% उपयोग
		निर्मित	किराए की	खुला प्लिंथ	एम.जी. एम.टी.	जोड़	उपयोग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अहमदाबाद								
गुजरात	26	338863	70058	181885	31600	622406	479961	77
बैंगलूर								
कर्नाटक	30	244466	90432	61191	10478	406567	338552	83
भोपाल								
मध्य प्रदेश	28	456267	64092	6500	7826	534675	280008	52
छत्तीसगढ़	12	187700	39792	17400	22000	266892	217633	82
जोड़	40	543957	103884	23900	29826	801567	497641	62
भुवनेश्वर								
उड़ीसा	11	179550	1500	8800	152312	340162	223409	66
चंडीगढ़								
चंडीगढ़ सं. रा. क्षे.	1	10550	1385	1667	0	13602	13272	98
पंजाब	27	566450	67715	65992	0	700157	237106	34
जोड़	28	577000	69100	67659	0	713759	250378	35
चेन्नई								
अंडमान और निकोबार	1	2700	0	0	0	2700	1350	50
पांडिचेरी	1	7350	0	0	3500	10850	11444	105
तमिलनाडु	25	542772	15895	65577	1000	625244	419912	67
केरल	10	118939	5093	0	0	124032	126908	102
जोड़	37	671761	20988	65577	4500	762826	559614	73
दिल्ली								
दिल्ली	11	113315	27504	12073	0	152892	190638	125
हरियाणा	3	23251	3174	14300	0	40725	21526	53
उत्तर प्रदेश	12	162749	11155	90638	17941	282483	220078	78
जोड़	26	299315	41833	117011	17941	476100	432242	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुवाहाटी								
असम	6	64200	0	0	0	64200	50576	79
नागालैंड	1	13000	0	0	0	13000	8	0
त्रिपुरा	2	24000	0	0	0	24000	16118	67
जोड़	9	101200	0	0	0	101200	66702	66
हैदराबाद								
आन्ध्र प्रदेश	48	1170242	69414	50070	40030	1329766	733724	55
जयपुर								
राजस्थान	37	251407	170866	27845	10137	460256	250460	54
कोलकाता								
पश्चिम बंगाल	38	355559	156736	133885	69000	714980	556282	78
लखनऊ								
उत्तर प्रदेश	39	807650	26926	22569	5953	863098	630525	73
उत्तराखण्ड	6	63990	5500	0	0	69490	30735	44
जोड़	45	871640	32428	22569	5953	932588	661260	71
मुम्बई								
गोवा	2	21575	0	2350	14711	38636	42277	109
महाराष्ट्र	57	361429	289136	350010	54772	1055347	817952	78
जोड़	59	383004	289136	352360	69483	1093983	860229	79
नवी मुम्बई								
महाराष्ट्र	5	146428	0	272215	0	418643	315246	75
पंचकूला								
हरियाणा	28	348290	122272	0	0	470562	376731	80
हिमाचल प्रदेश	3	7040	00	0		7040	5150	73
जोड़	31	355330	122272	0	0	477602	381881	80
पटना								
बिहार	17	93407	30049	0	0	123456	103103	84
झारखंड	4	33950	5000	1200	0	40150	38306	95
जोड़	21	127357	35049	1200	0	163606	141409	86
सकल जोड़	491	6717079	1273694	1383967	441260	9816000	6748970	69

समुद्री मात्स्यिकी सर्वेक्षण

2450. डा. के. एस. मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ग) क्या इस गणना से हमारी समुद्री सीमा के भीतर मछली की किसी प्रजाति की संख्या कम होने अथवा समाप्त होने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घट रहे समुद्री मात्स्यिकी संसाधन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। समुद्री मात्स्यिकी सर्वेक्षण एक सतत कार्यक्रम है जिसमें उन क्षेत्रों में, जिनका 200 मीटर गहराई के भीतर पहले ही सर्वेक्षण किया गया है, मत्स्यिकी संसाधनों की निगरानी, हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के डिमर्शल और महासागरीय पैलेजिक मत्स्य संसाधनों का नया सर्वेक्षण, मत्स्य स्टॉक अभिज्ञात, मत्स्य जैव विविधता अध्ययन और समुद्री मात्स्यिकी पूर्व सूचना के लिए दूरवर्ती संवेदी तकनीकों का अनुप्रयोग शामिल है।

(ग) और (घ) समुद्री गणना तटीय निवासियों की संख्या और मत्स्यन के लिए नौकाओं, जाल आदि जैसी वास्तविक परिसंपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने के लिए की गई थीं और यह प्रादेशिक जल की प्रजातीय संरचना पर केन्द्रित नहीं थी। तथापि, अक्टूबर, 2000 के दौरान समुद्री मात्स्यिकी क्षमता के पुनर्वेधिकरण के लिए आयोजित डेस्क अध्ययन से पता चला है कि कुछ वाणिज्यिक प्रजातियों की कुल लैंडिंग में कमी आई है और कुछ अन्यों के मामलों में मात्रात्मक रूप से परिवर्तन हुए हैं, विशेषकर मत्स्य तरीकों, क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों तथा भौसमीय और वातावरणीय प्रभावों के कारण। अधिक पण्यणारी भागीदारी पर बल के साथ खाद्य और कृषि संगठन के उत्तरदायी मत्स्यिकी के लिए आचार-संहिता में यथा निहीत संसाधन संरक्षण और सतत मात्स्यिकी प्रणालियों पर ध्यान दिया जाता है। समुद्री मात्स्यिकी विनियमन के प्रावधानों को लागू करना, समान मत्स्यिकी प्रतिबंध लगाना अन्य ऐसे उपाय हैं जिन्हें मात्स्यिकी में क्रियान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों का शोषण

2451. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम आयुक्त ने देश में बाल श्रमिकों के शोषण तथा उन पर होने वाले अत्याचार के संबंध में हाल ही में कोई निरीक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या देश में कृषि तथा फार्मिंग क्षेत्र में कार्यरत बच्चों को कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बच्चों को मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के मामलों की पहचान के लिए राज्य सरकार द्वारा, जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के प्रवर्तन हेतु समुचित प्राधिकारी हैं, समय-समय पर निरीक्षण किए और छापे मारे जाते हैं। केन्द्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों में केन्द्रीय कर्मचारी तंत्र के माध्यम से निरीक्षण कराए जाते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान किए गए निरीक्षणों उल्लंघन सिद्धि तथा अभियोजन के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। कृषि तथा फार्मिंग क्षेत्र में बच्चे नियोजित हैं। उदाहरण, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग तथा हार्वेस्टिंग मशीनों के उपयोग तथा घूसे की कटाई के साथ-साथ कीटनाशक तथा खरपतवारनाशक के प्रयोग संबंधी प्रक्रियाओं में प्रतिबंध को छोड़कर कृषि में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध नहीं है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत कार्य से मुक्त कराए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में डाला जाता है जहां उन्हें त्वरित जोड़ने वाली शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान किए गए निरीक्षणों, उल्लंघनों, सिद्धदोषों तथा अभियोजनों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निरीक्षण	उल्लंघन	सिद्धदोष	अभियोजन
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)				
2.	आंध्र प्रदेश	53843	53843	0	9228
3.	अरुणाचल प्रदेश				
4.	असम				

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार				
6.	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	1454	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	3648	19	0	19
8.	दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र	69	0	0	0
9.	दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र				
10.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र				
11.	गोवा				
12.	गुजरात				
13.	हरियाणा	1956	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	2287	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	4378	64	1	60
16.	झारखंड	1704	67	0	4
17.	कर्नाटक				
18.	केरल	6073	23	0	1
19.	लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र				
20.	मध्य प्रदेश				
21.	महाराष्ट्र				
22.	मणिपुर				
23.	मेघालय	425	0	0	0
24.	मिजोरम				
25.	नागालैंड				
26.	उड़ीसा				
27.	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र				
28.	पंजाब				
29.	राजस्थान				
30.	सिक्किम				
31.	तमिलनाडु				
32.	त्रिपुरा	157	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	3807	2513	19	117
34.	उत्तराखंड	2101	2	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	3821	112	0	7
	कुल	85723	56643	20	9436

[अनुवाद]

आभूषणों पर हॉलमार्क लगाना

2452. श्री एन. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आभूषण विक्रेताओं से हॉलमार्क लगाए जाने की योजना के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) स्वर्ण आभूषणों की हॉल मार्किंग स्कीम भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के भीतर नहीं आती है क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के मौजूदा उपबंधों में ऐसी स्कीमों के कार्यान्वयन का प्रावधान नहीं है। देश भर के जौहरियों और उनके एसोसिएशनों ने सरकार को भेजे गए अपने अभ्यावेदनों में स्वर्ण आभूषणों की हॉल मार्किंग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव का मोटे तौर पर समर्थन किया है हालांकि उन्होंने आधार-ढांचे के बारे में कुछ चिंता जताई है। देश में पर्याप्त आधार-ढांचे की स्थापना को सुकर बनाने की दृष्टि से सभी राज्यों के लिए मशीनरी और उपकरणों की लागत के 15 प्रतिशत की दर से प्रति केंद्र अधिकतम 15 लाख रुपए की एकबारगी वित्तीय सहायता देकर स्वर्ण हॉलमार्किंग और एसेइंग केंद्रों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए एक स्कीम पहले ही कार्यान्वित की जा रही है, किन्तु पूर्वोत्तर में स्थित राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड जिनके लिए ऐसी सहायता मशीनरी और उपकरणों की लागत के 30 प्रतिशत की दर से प्रति केंद्र अधिकतम 30 लाख रुपए हैं, इसमें शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

खांडसारी उद्योग को बढ़ावा देना

2453. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
डा. किरण चोहन :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन्ने की अधिक पैदावार की समस्या से निपटने के लिए खांडसारी उद्योग को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार खांडसारी उद्योग को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) खांडसारी उद्योग, जो खांडसारी के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में गन्ने का इस्तेमाल करता है, को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना पहले से मौजूद है, जिसकी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय मानीटरिंग करता है। सरकार खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग से मार्जिन धन सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों, चुनिन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से अधिकतम 25 लाख रूपए की लागत की परियोजनाओं के लिए ऋण लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की आबादी के छोटे कस्बों में खांडसारी इकाइयों सहित ग्रामीण उद्योग इकाइयां स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता करने हेतु खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के जरिए अन्य बातों के साथ–साथ ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाती रही है। खांडसारी इकाइयों को "कृषि और खाद्य संसाधन उद्योग समूह" के तहत प्रोत्साहित किया जाता है। यह समूह उन सात समूहों में से एक है जिसके तहत ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण उद्योगों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।

2006–07 और 2007–08 के दौरान (फरवरी, 2008 तक) परियोजनाओं/स्थापित ग्रामीण उद्योग इकाइयों तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उद्योगों के ए.एफपी.आई. समूह को दी गई मार्जिन धन सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2006–07 और 2007–08 (फरवरी, 2008 तक) के दौरान परियोजनाओं/स्थापित वी.आई. यूनिटों के और आर.ई.जी.पी. के अधीन ग्रामीण उद्योगों के ए.एफ.पी.आई. समूह के लिए प्रदान की गई मार्जिन राशि सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07		2007–08	
		वी.आई. इकाई/ परियोजनाएं (इकाइयों की सं.)	उपयोग की गई मार्जिन राशि (लाख रुपए में)	वी.आई. इकाई/ परियोजनाएं (इकाइयों की सं.)	उपयोग की गई मार्जिन राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0	0.00	1	0.75
2.	दिल्ली	4	4.84	2	1.62
3.	हरियाणा	135	256.92	93	278.69
4.	हिमाचल प्रदेश	176	234.58	134	184.13
5.	जम्मू और कश्मीर	270	172.42	217	188.51
6.	पंजाब	221	556.78	274	773.94
7.	राजस्थान	474	681.86	232	327.93
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	45	7.97	11	4.50
9.	बिहार	349	352.75	156	210.60
10.	झारखंड	34	50.23	36	63.21
11.	उड़ीसा	342	422.21	112	167.57

1	2	3	4	5	6
12.	पश्चिम बंगाल	910	907.34	532	582.87
13.	अरुणाचल प्रदेश	35	57.78	25	38.37
14.	असम	639	686.94	461	536.46
15.	मणिपुर	39	38.57	8	7.50
16.	मेघालय	39	56.32	45	71.04
17.	मिजोरम	396	417.44	106	124.81
18.	नागालैंड	24	37.31	19	29.55
19.	सिक्किम	35	60.58	8	15.92
20.	त्रिपुरा	38	39.55	26	23.88
21.	आंध्र प्रदेश	360	918.81	324	770.00
22.	कर्नाटक	675	969.70	186	351.48
23.	केरल	167	285.85	219	338.36
24.	पांडिचेरी	31	7.59	3	0.27
25.	तमिलनाडु	403	511.95	226	370.57
26.	गोवा	65	20.18	5	6.96
27.	गुजरात	48	82.86	38	91.09
28.	महाराष्ट्र	887	716.36	218	272.22
29.	छत्तीसगढ	163	410.51	55	111.84
30.	मध्य प्रदेश	387	469.36	151	293.75
31.	उत्तराखंड	104	98.67	119	132.47
32.	उत्तर प्रदेश	620	1230.34	455	853.85
	सकल जोड़	8015	10764.67	4497	7224.71

[अनुवाद]

कृषि में प्रौद्योगिकी

2454. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिए उन्नत और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी तथा अन्य आदानों का इष्टतम उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) उक्त योजना से किसानों को क्या लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई हैं।

क. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम **"विस्तार सुधारों के लिए राज्य कार्यक्रमों को समर्थन"** वर्ष 2005–06 में शुरू की गई इसका लक्ष्य आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों और अन्य समर्थन सेवाओं पर सूचना प्रसारित करने के लिए किसान आधारित विस्तार सेवाएं प्रदान करना है, जो एटीएमए के रूप में नई संस्थागत व्यवस्थाओं के जरिए उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। एटीएमए में किसान/किसान समूहों, एनजीओ, केवीके, पीआरआई और जिला स्तर एवं उससे नीचे कार्य करने वाले अन्य स्टेकहोल्डर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

एटीएमए ने 565 जिले स्थापित किए हैं। अब तक, 18 लाख से अधिक किसानों को विभिन्न विस्तार क्रियाकलापों में लाभ मिला है। स्कीम के अंतर्गत किसान उन्मुख क्रियाकलापों में शामिल हैं–प्रशिक्षण, प्रदर्शन, विगोपन दौरे, समूह बनाना और क्षमता निर्माण, प्रदर्शनी, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान–विस्तार–किसान संपर्क।

अब तक विगत 3 वर्षों के दौरान 240.65 करोड़ रू. की धनराशि निर्मुक्त की गई है तथा वर्ष 2008–09 के लिए 298.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

ख. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम **"राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)"** को सभी स्टेकहोल्डरों की सक्रिय सहभागिता से अग्र और पश्च सम्पर्क विधिवत सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। स्कीम के अंतर्गत किसानों को सहायता बागवानी से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों, जैसे क्षेत्र कवरेज, जराग्रस्त बागों के पुनरूद्धार, संरक्षित खेती, जैव खेती, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन/समेकित कृषि प्रबंधन और मधुमक्खी–पालन को बढ़ावा देना। इसके अलावा, जल संसाधनों और कटाई पश्चात प्रबंधन एवं मंडियों के लिए अवसंरचना के सृजन को भी सहायता दी जा रही है। वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान राज्य बागवानी मिशन और राष्ट्र स्तरीय एजेन्सियों को 1575.29 करोड़ रू. की धनराशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2008–09 के दौरान स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 1150 करोड़ रू. निर्धारित किया गया।

ग. केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम **"कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी और प्रबंधन"** को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए बनाया गया। इसका लक्ष्य प्राथमिक प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए यूनिटों की स्थापना करना, मूल्य वर्धन, कम लागत वैज्ञानिक भंडारण, पैकेजिंग यूनिटों और उप–उत्पाद प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों, प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, किसानों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण स्कीम का परिव्यय ग्यारहवीं योजना के लिए 40.00 करोड़ रू. है।

घ. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम **"राष्ट्रीय बांस मिशन"** को देशभर में वर्ष 2006–07 की अंतिम तिमाही में क्रियान्वयन के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए 56,82,300 हजार करोड़ की कुल लागत पर १००: सहायता है, जिसमें वर्ष 2006-08 (10वीं योजना) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अगले वर्षों के दौरान 7,00,000 हजार रु. का परिव्यय शामिल है। मिशन क्रियाकलाप 5 वर्षों की अवधि में होंगे तथा फिलहाल 25 राज्यों में क्रियान्वित किए जाते हैं।

ङ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम **"सूक्ष्म सिंचाई"** को दसवीं योजना के दौरान जनवरी, 2008 में शुरू की गई है, जो सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 6.2 लाख हैक्टेयर का कुलक्षेत्र कवर करती है। यह स्कीम अधिक जल उपयोग कुशलता प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है, और उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता मिलेगी। बेहतर स्कीम के अंतर्गत, ड्रीप/स्प्रिंकलर सिंचाई को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी श्रेणी के किसानों को सहायता ड्रीप/स्प्रिंकलर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए 50% की दर से और प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए 75% की दर से दी जाती है। बागवानी फसलों और गैर–बागवानी फसलों दोनों के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ड्रीप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है।

च. ग्यारहवीं योजना के अन्त तक चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन बढ़ाने के देश में केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम **"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)"** शुरू की गई है। इस मिशन के लक्ष्य हैं:– क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के जरिए चावल, गेहू और दलहन का उत्पादन बढ़ाना, मृदा उर्वरता और उत्पादकता बहाल करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, लक्षित जिलों के किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाने फार्म स्तर अर्थ व्यवस्था में वृद्धि करना। एनएफएसएम के विभिन्न कार्यकलाप उन्नत पत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, अधिक उपज देने वाली किस्मों और संकरों के क्वालिटी बीजों के वितरण, नव निर्मुक्त किस्मों को लोकप्रिय बनाना, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम, जीरो टीलेज, रोटाबेटर, वीडर और अन्य कृषि उपकरणों आईपीएम, आईएनएम, विस्तार, जल लिफ्टिग यंत्रों और सर्वोत्तम कार्य निष्पादक जिलों हेतु पुरस्कारों हेतु मास मीडिया अभियान से संबंधित हैं। इसके अलावा सामुदायिक जनरेटर, ब्लूबुल नियंत्रण और आईसीआरआईएसटी प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन पर पायलट परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जाएंगी। वर्ष 2007–08 के दौरान एनएफएसएम के अधीन विभिन्न कार्यकलापों के क्रियान्वयन के लिए 39875.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है जिसमें से 38105.26 लाख रूपये विभिन्न राज्यों में निर्मुक्त किए गए।

छ. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)**–ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25,000 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्यय से यह योजना शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कृषि और संवर्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना है। वर्तमान वर्ष के लिए इस स्कीम के अधीन 1500 करोड़ रूपये अनुमोदित किया गया जिसे योजना आयोग के परामर्श से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित कर दिया गया। इस स्कीम के अधीन निधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में राज्यों को प्रदान की जाएगी। राज्यों के बीच निधियों का वितरण 2 स्ट्रीय में होगा–स्ट्रीम–I और स्ट्रीम–II, स्ट्रीम I के अधीन राज्य द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों, जिन्हें राज्य और जिला योजनाओं के भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है, के लिए आरकेवीवाई की

कम से कम 75% निधि उपलब्ध कराई जाएगी। स्ट्रीम–II के अधीन वर्तमान राज्य क्षेत्र के स्कीमों के सुदृढ़ीकरण और जिला कृषि योजनाओं, जो राज्य कृषि योजनाओं का भाग होंगे, के लिए एक वर्ष में कुल आरकेवीवाई निधि का 25% उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्ट्रीम के अधीन आरकेवीवाई स्कीम का उद्देश्य अन्तराल को पाटना होगा। निधियां राज्य कृषि विभागों के जरिए भेजे जाएंगे और यह स्कीम के लिए नोडल विभाग होगा। 46.90 करोड़ रू. जिसे 10 लाख रुपये प्रति जिले के दर से जिला कृषि योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार को निर्मुक्त किया गया है, सहित आरकेवीवाई के अधीन लगभग 984.59 करोड़ रू. पहले ही निर्मुक्त किए गए हैं।

(ग) इस स्कीम के अधीन किसानों को प्रत्याशित लाभ निम्नलिखित हैं :–

* मानसिक स्थिति (माइंड सैट) में परिवर्तन, जागरूकता सृजन और नई आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में ज्ञान प्राप्ति
* दक्षता कार्य निष्पादन स्तर में वृद्धि
* नई/उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि
* फार्म पर उत्पादन क्षति में कमी
* फार्म पर उत्पाद पर मूल्यवर्धन
* उत्पादन क्षेत्र में क्रियाकलापों के विविधीकरण के कारण ग्रामीण आबादी के लिए अधिक रोजगार और आय।

पोर्ट ब्लेयर में भूमि पर अवैध कब्जा

2455. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में रक्षा भूमि के कुछ भागों पर अवैध कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध कब्जाधारकों से अवैध कब्जे वाली भूमि को खाली कराने हेतु कोई समयबद्ध योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) (i) वर्ष 1983 से बुनियादाबाद में श्री मुत्थु मरियम्मन मंदिर – 1653 वर्ग मीटर

(ii) वर्ष 1998 से जंगलीघाट में श्रीमती कमला नारायण द्वारा – 190 वर्ग मीटर

(ii) वर्ष 1989 से जंगलीघाट में नगरपालिका परिषद का सार्वजनिक शौचालय – 200 वर्ग मीटर

(iv) स्कूल लाईन में अंडमान व निकोबार प्रशासन का एक प्राथमिक विद्यालनय और आंगनबाड़ी – 4300 वर्ग मीटर

(v) स्कूल लाइन में एक गिरजाघर – 300 वर्ग मीटर

(ग) से (ङ) यह मामला अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ उठाया गया है जो कि अधिक्रमणित रक्षा भूमि के बदले वैकल्पिक राजस्व भूमि का आबंटन करने के लिए सहमत हो गया है।

उर्दू माध्यम से आई टी आई पाठ्यक्रम की पढ़ाई

2456. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में उर्दू माध्यम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) के कुछ पाठ्यक्रम/ट्रेड शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेषकर केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से उर्दू माध्यम अपनाने में छूट देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) पाठयक्रमों को आरंभ करना या शिक्षण के माध्यम का निर्णय करना राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन है। समस्त राज्य सरकारों को जब भी अपेक्षित हो उर्दू में प्रशिक्षण प्रदान करने के अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को उर्दू को शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की अनुमति या छूट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी हाट योजना

2457. श्री संजय धोत्रे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी हाट योजना राज्य–वार किन–किन स्थानों पर कार्यान्वित की गई है :–

(ख) क्या ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान सरकार का विचार ऐसी योजना को देश के और शहरों में कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) महात्मा गांधी हाट योजना नाम की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, शिल्पियों को पूरे देश में बारी–बारी से पाक्षिक आधार पर विपणन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम के एक घटक के रुप में शहरी हाट स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। अब तक स्थापित शहरी हाट का राज्यवार ब्यौरा, संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) जी, हां। राज्यवार, स्थानवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, स्कीम के प्राचलों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्तावों पर स्वीकृति दी जाएगी।

(ग) स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित शहरी हाटों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शहरी हाट की अवस्थिति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	तिरूपति
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	पटना
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर
5.	दिल्ली	पीतमपुरा एवं दिल्ली हाट
6.	गोवा	पणजी
7.	गुजरात	अहमदाबाद
8.	हरियाणा	करनाल
9.	जम्मू–कश्मीर	जम्मू–कश्मीर
10.	झारखंड	रांची एवं हजारीबाग
11.	कर्नाटक	मैसूर
12.	मध्य प्रदेश	गौहर महल (भोपाल) एवं इंदौर
13.	महाराष्ट्र	पुणे व नवी मुम्बई
14.	नागालैंड	दीमापुर
15.	उड़ीसा	भुवनेश्वर, पुरी व कोर्णाक
16.	पांण्डिचेरी	पांण्डिचेरी
17.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर व अजमेर
18.	तमिलनाडु	चेन्नई व कन्याकुमारी
19.	त्रिपुरा	अगरतला
20.	उत्तर प्रदेश	आगरा, लखनऊ, वाराणसी, रामपुर, झांसी, बरेली व मेरठ
21.	उत्तराखंड	देहरादून

विवरण-II

क्रमांक	राज्य का नाम	शहरी हाट की अवस्थिति
1.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
2.	कर्नाटक	मंगलोर व बागालकोट

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

2458. श्री धीरेंद्र अग्रवाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के बाद दौरान सफेद और अपरिष्कृत चीनी का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सफेद चीनी का भारी अधिशेष स्टॉक है;

(घ) यदि हां, तो चीनी के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) भारत से चीनी खरीदने वाले प्रमुख खरीददारों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) केन्द्रीय सरकार व्हाइट चीनी और कच्ची चीनी का निर्यात नहीं करती है। निर्यात घरानों/चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार चीनी के निर्यात किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) 19 अप्रैल, 2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के लिए 1350/– रूपये प्रति टन से और गैर–तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के लिए 1450/– रूपये प्रति टन की दर से (पड़ोसी देशों को सड़क/रेल द्वारा निर्यात के लिए वास्तविक व्यय के अध्यधीन) आंतरिक ढुलाई, विपणनन और हैंडलिंग प्रभारों और समुद्री भाड़े पर हुए खर्च के भुगतान के लिए निर्यात सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें 300 करोड़ रूपये (लगभग) की राशि अंतर्ग्रस्त है जो चीनी विकास निधि से वहन की जायगी। इस सहायता का उपयोग किसानों के गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान के लिए पहली प्राथमिकता के रूप में किया जाएगा।

(ii) निर्यात के प्रयोजन के लिए रिलीज आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा 31 जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर, 2008 तक समाप्त कर दी गई है। इससे चीनी फैक्ट्रियों को शीघ्र निर्यात करने और उनकी भुगतान स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

(ङ) भारत से चीनी खरीदने वाले प्रमुख देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता)।

विवरण

भारत से चीनी खरीदने वाले प्रमुख देश

क्रम सं.	देश
1	2
1.	अफगानिस्तान
2.	बंगलादेश
3.	चीन
4.	जिबूती
5.	मिस्र
6.	इंडोनेशिया
7.	ईरान
8.	केन्या
9.	पाकिस्तान
10.	पुर्तगाल
11.	सिंगापुर
12.	सोमालिया
13.	श्रीलंका
14.	सीरिया
15.	तंजानिया
16.	संयुक्त अरब अमीरात
17.	यमन गणतंत्र

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता

[अनुवाद]

दिल्ली और मुंबई के बीच लोकल कॉल दर

2459. श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने हाल ही में पीसीओ और एसटीडी बूथों से केवल 1 रुपये में मुंबई कॉल करने की सुविधा प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुविधा से मोबाईल फोन वाले भी लाभान्वित होंगे;

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा के उन्नयन और विकास से टेलीफोन और मोबाईल सेवा पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को दी जा रही नियमित सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ दलों का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। एमटीएनएल दिल्ली ने केवल एमटीएनएल मुंबई लैंडलाइन, कोडेड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) पर दिल्ली से कॉल करने की सुविधा पदान की है।

यह सुविधा दिल्ली के लोकल लैंडलाइन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पीसीओ) से 1 रुपए प्रति मिनट की दर पर और दिल्ली के लैंडलाइन एसटीडी पीसीओ से 1.20 रु. प्रति मिनट की दर से प्रदान की गई है।

यह सुविधा स्थानीय एफडब्ल्यूटी प्रीपेड पीसीओ से एमटीएनएल मुम्बई नेटवर्क पर 1 रुपए प्रति मिनट की दर से प्रदान की गई है। एसटीडी पीसीओ के लिए कॉल दर 1.20 रुपए प्रति मिनट है।

(ख) जी, हां। इस सुविधा से सीडीएमए एफडब्ल्यूटी और मोबाइल उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

(ग) और (घ) परियात की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच पर्याप्त रूप से सर्किट/बैंडविड्थ प्रदान किए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। एमटीएनएल/बीएसएनएल द्वारा नियमित रूप से और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा तिमाही आधार पर सेवाओं पर निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

व्यक्ति की औसत वार्षिक आय

2460. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद आज की तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत और उनकी संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रो में राज्य-वार और क्षेत्र वार अलग-अलग व्यक्ति की औसत वार्षिक आय कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति की वार्षिक आय को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। प्रमुख राज्यों में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का सामान्य स्थिति आधार पर प्रतिशत वितरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 हेतु चालू मूल्यों पर राज्य-वार प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (औसत वार्षिक आय) संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) 11 पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 58 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन करना है। पहले की अपेक्षा अधिक त्वरित गति से उत्पादक रोजगार पर भी बल दिया है तथा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सामान्य सुधार करने हेतु उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4% की दर से कृषि विकास का लक्ष्य रखा गया है। सरकार विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती रही है, जिनमें से प्रमुख हैं-प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमजी आरवाई); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व--रोजगार योजना (एसजीएसवाई); सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई); ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए)।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के दौरान प्रमुख राज्यों में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का सामान्य स्थिति आधार पर प्रतिशत वितरण

	ग्रामीण पुरुष			ग्रामीण महिला			शहरी पुरुष			शहरी महिला		
प्रमुख राज्य	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	66.5	15.5	18.0	83.3	10.2	6.6	6.1	34.4	59.5	18.1	32.4	49.5
आन्ध्र प्रदेश	66.4	14.6	19.2	78.5	11.6	10.0	6.9	31.2	62.1	17.7	27.3	55.1
असम	69.6	6.4	23.8	88.3	4.5	7.1	4.3	21.4	74.5	7.3	8.7	84.1
बिहार	75.8	8.4	15.8	86.4	8.1	5.4	17.2	19.5	63.3	46.7	14.8	38.4
छत्तीसगढ़	80.3	9.6	10.0	93.3	4.1	2.5	8.2	28.7	63.1	29.9	25.2	44.9
दिल्ली	4.6	30.2	65.3	44.6	0.0	55.4	0.2	33.5	66.3	0.0	19.8	80.2
गुजरात	69.3	14.6	16.2	89.1	6.6	4.3	4.1	46.4	49.4	15.6	40.1	44.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	49.4	25.4	25.2	90.6	4.2	5.2	7.3	37.3	55.1	29.3	19.0	51.7
हिमाचल प्रदेश	49.4	28.3	22.2	91.0	3.5	5.6	2.6	41.4	56.0	28.4	23.5	48.2
जम्मू–कश्मीर	53.8	22.1	24.1	86.6	9.8	3.6	9.4	38.6	52.0	38.7	32.4	29.1
झारखंड	61.5	24.2	14.2	85.3	11.3	3.5	6.7	33.9	59.5	32.0	30.0	37.8
कर्नाटक	77.7	9.0	13.3	85.5	8.5	5.8	6.0	32.9	61.1	16.0	31.4	52.7
केरल	37.1	27.4	35.5	51.7	23.0	25.3	1.4	30.1	55.7	19.8	26.5	53.6
मध्य प्रदेश	79.1	10.0	11.1	88.1	8.5	3.3	9.0	29.5	61.5	23.7	31.8	44.3
महाराष्ट्र	71.4	12.4	16.2	90.7	4.5	4.9	4.6	35.5	59.8	14.2	30.3	55.6
उड़ीसा	65.9	16.2	17.9	74.6	19.8	5.8	10.1	28.7	61.1	28.3	19.0	52.8
पंजाब	54.7	24.1	21.1	89.7	3.8	6.4	4.1	36.6	59.3	15.2	25.1	59.6
राजस्थान	60.2	23.8	15.9	89.5	7.6	2.9	7.1	34.2	58.7	33.9	38.4	27.6
तमिलनाडु	58.7	22.8	18.6	73.8	16.6	9.8	6.2	38.1	55.8	13.7	40.7	45.7
उत्तराखंड	63.3	16.5	20.2	96.0	1.8	2.1	7.2	25.7	67.0	33.4	13.5	53.1
उत्तर प्रदेश	66.3	17.3	16.3	86.5	8.2	5.1	7.2	35.3	57.5	26.5	41.2	32.3
पश्चिम बंगाल	63.9	14.3	21.9	58.8	29.5	11.8	2.7	34.8	62.3	3.1	36.9	59.8

स्रोत : 2004-05 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के आधार पर एन एस एस ओ की रिपोर्ट। हो सकता है पूर्णांकों के कारण तथा गैर प्रतिक्रिया मामलों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

विवरण-II

चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद
(औसत वार्षिक आय)

(रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23755	26228	29582
2.	अरुणाचल प्रदेश	22542	23788	लागू नहीं
3.	असम	17013	18211	20166
4.	बिहार	7467	7876	9214
5.	झारखंड	17493	19068	20811
6.	गोवा	66135	70112	लागू नहीं
7.	गुजरात	29468	34157	लागू नहीं
8.	हरियाणा	37648	41988	49038
9.	हिमाचल प्रदेश	31139	33806	36782
10.	जम्मू–कश्मीर	18630	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	कर्नाटक	23848	27101	लागू नहीं
12.	केरल	27864	30668	33509
13.	मध्य प्रदेश	14476	15304	16578
14.	छत्तीसगढ़	18068	20151	लागू नहीं

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	32979	37081	लागू नहीं
16.	मणिपुर	18386	20326	22495
17.	मेघालय	21915	23420	25141
18.	मिजोरम	22417	23900	25679
19.	नागालैंड	20998	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	उड़ीसा	16306	17610	20240
21.	पंजाब	33158	36759	40566
22.	राजस्थान	16515	17306	19512
23.	सिक्किम	23791	26412	29521
24.	तमिलनाडु	27137	29958	32733
25.	त्रिपुरा	22836	24706	लागू नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	12023	13316	14685
27.	उत्तराखण्ड	22093	24595	27879
28.	पश्चिम बंगाल	22522	25223	लागू नहीं
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31004	34853	लागू नहीं
30.	चंडीगढ़	75181	88629	लागू नहीं
31.	दिल्ली	55215	61676	लागू नहीं
32.	पांडिचेरी	44908	48477	52689
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद		23199	25956	29642

[हिन्दी]

हथकरघा योजनाओं का मूल्यांकन

2461. श्री सुभाष महरिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा के विकास हेतु चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कोई सर्वेक्षण/मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त सर्वेक्षण/मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस.ई. इलंगोवन) : (क) भारत सरकार ने 10वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं का मूल्यांकन करवाया था। मूल्यांकित योजनाओं के नाम इस प्रकार है–

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम
3. हथकरघा निर्यात योजना
4. थ्रिफ्ट निधि योजना
5. कार्यशाला–सह–आवास योजना
6. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना
7. स्वास्थ्य बीमा योजना

(ख) और (ग) पूर्वोक्त योजनाओं का मूल्यांकन, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एन आई एस आई ई टी), हैदराबाद के माध्यम से किया गया था। उक्त संस्थान की सिफारिशों, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) हेतु वस्त्र और पटसन उद्योग के कार्य दल की रिपोर्ट तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए, 10वीं योजना की विभिन्न योजनाओं का पांच योजनाओं में विलय एवं आमेलन कर दिया गया है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय जिन पांच योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, वे हैं:– दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, कार्यशाला–सह–आवास योजना तथा एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना का परिशोधन सहित अथवा उसके बिना, घटकों का विलय करके (1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना; विपणन संवर्धन कार्यक्रम और हथकरघा निर्यात योजना का परिशोधन सहित अथवा उसके बिना घटकों का विलय करके, (2) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना; स्वास्थ्य बीमा योजना और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का परिशोधन सहित अथवा उसके बिना घटकों का विलय करके (3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना; (4) मिल गेट कीमत योजना, वर्ष 1992–93 में आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य विनिर्माण स्थल पर उपलब्ध कीमत पर हथकरघा बुनकर संगठनों को सभी प्रकार के धागों की व्यवस्था करना है। यह योजना ग्यारहवीं योजना में जारी है, और (5) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना जिसमें डिजायन

विकास, कुशलता उन्नयन, बुनकर सेवा केन्द्रों/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, तृतीय संगणना और हथकरघा बुनकरों को पहचान पत्र जारी करने पर ध्यान दिए जाने की परिकल्पना है।

[अनुवाद]

मत्स्य उत्पादन

2462. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान देश में मात्स्यिकी के उत्पादन को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एक अलग बोर्ड बनाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त बोर्ड अपने उद्देश्यों को अब तक किस हद तक प्राप्त कर पाया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार देश में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं नामतः (1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास, (2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी ढांचा तथा पोस्ट हारवेस्ट संचालनों का विकास, (3) राष्ट्रीय मधुआरा कल्याण, प्रशिक्षण तथा विस्तार योजना, (4) डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण, (5) विभाग के मात्स्यिकी आधारित संस्थानों को सहायता क्रियान्वित कर रही है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अंत तक 9.61 मिलियन टन के मछली उत्पादन को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड (एनएफडीबी) जुलाई, 2006 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय तथा समुद्री, मत्स्य कैप्चर, कल्चर में मात्स्यिकी क्षेत्र की दोहन न की गई क्षमता का पता लगाना, मछली के प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देना, तथा मात्स्यिकी से उत्पादन, उत्पादकता को ईष्टतम करने के लिए बायोटैक्नोलोजी उपायों सहित अनुसंधान एवं विकास के आधुनिक उपायों को उपयोग करके मत्स्यिकी का सकल विकास करना है। एनएफडीबी को अब तक 80 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(ङ) बोर्ड ने अब तक सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को तालाबों एवं टैंकों में गहन जलकृषि, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जलाशयों में मछली बीच का स्टाक बनाने, क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास तथा अध्ययन आयोजित करने के लिए 27.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, एनएफडीबी ने राज्यों के मात्स्यिकी विभागों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनका उद्देश्य मात्स्यिकी प्रबंधन, विस्तार तथा विकास के नए आयामों में अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है।

दूरसंचार उपकरण के लिए कोटा नीति

2463. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायबरेली स्थित घाटे में चल रही इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री (आईटीआई) को दूरसंचार उपकरण हेतु क्रयादेश देने की वर्तमान कोटा नीति से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की क्षमता बढ़ाने की योजना में व्यवधान और विलम्ब उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईटीआई, एल्काटेल इंटरनेशनल, जिसे हाल ही में भारी घाटा हुआ है, से प्रौद्योगिकी के हस्तातरण में तकनीकी बाधाओं के कारण एमटीएनएल की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) आईटीआई ने पिछले तीन वर्षों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दिए गए आर्डरों को समय पर पूरा नहीं किया है सिवाय जीएसएम मुम्बई के आर्डर तथा एडीएसएल आर्डर के जिन्हें आईटीआई के अनुरोध पर बीच में ही बंद कर दिया गया था। ये आर्डर आईटीआई की अन्य इकाइयों में पूरे किए जाते हैं न कि रायबरेली में।

(ग) और (घ) आईटीआई को जीएसएम परियोजना के निष्पादन में नुकसान हुआ है। ये नुकसान मुख्य रूप से कार्य–निष्पादन में विलम्ब तथा अव्यवहार्य अवसंरचना राजस्व के कारण थे न कि जीएसएम की प्रौद्योगिकी के अंतरण में तकनीकी बाधाओं के कारण।

[हिन्दी]

मिग-27 एयरक्राफ्ट का दुर्घटनाग्रस्त होना

2464. श्री मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल में हाशीमारा एयरमारा एयरबेस पर मिग–27 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने मिग–27 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और इन दुर्घटनाओं में कितने विमानचालकों और सह विमानचालकों को अपनी जाने गंवानी पड़ी;

(ग) क्या दुर्घटनाओं की जांच हेतु कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) एम मिग–27 एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने से औसतन कितना वित्तीय घाटा होता है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी हां। एक मिग–27 विमान 31 जनवरी, 2008 को हाशीमारा एयरबेस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ख) गत दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2005–06, 2006–07 तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2007–08 (10 मार्च, 2008 तक) के दौरान कुल दो मिग–27 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। इन दुर्घटनाओं में किसी पायलट अथवा सह–पायलट की मृत्यु नहीं हुई।

(ग) और (घ) प्रत्येक विमान दुर्घटना की जांच एक जांच अदालत के माध्यम से की जाती है। तथा तदनुरूप उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ङ) एक मिग–27 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 6, 79,00,000/– रुपए का औसत वित्तीय नुकसान हो जाता है।

[अनुवाद]

घाटे की भरपाई

2465. श्री हितेन बर्मन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथ चालू वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत पटसन किसानों की पटसन को खरीदने हेतु उन्हें भुगतान करते समय काफी अधिक घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल ने पटसन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करने में उन्हें हुए घाट के लिए भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) या केंद्र सरकार से भरपाई करने के लिए कई बार अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) राज्यों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जेसीआई, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पटसन उत्पादकों से कच्ची पटसन खरीदने के लिए भारत सरकार की सरकारी एजेंसी है। पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लि. (बीईएनएफईडी) भी जेसीआई के एजेंन्ट के रुप में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तह खरीदारी कर रहा है जिसमें एमएसपी के तहत उनके द्वारा खरीदी गई पूरी पटसन संयोजन के तहत मिलों को दी जाती है। इस व्यवस्था के तहत जेसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य, परिवर्तन प्रभार एवं वास्तविक परिवहन दर का भुगतान बीईएनएफईडी को कर रहा है। इसलिए, बीईएनएफईडी को एमएसपी की खरीद के लिए जेसीआई के एजेंट के रुप में कार्य करने में कोई हानि नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जेसीआई के पास बीईएनएफईडी को एमएसपी पर हुई हानि से संबंधित ऐसा कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक विभाग में नई योजना

2466. श्री अधीर चौधरी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के डाक विभाग में डाक सेवाओं को सुधारने तथा घाटे को पूरा करने के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) डाक विभाग सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के सहयोग से डाक सेवाओं के अलावा कुछेक स्कीमों तथा सेवाओं की पेशकश कर रहा है ताकि मौजूदा नेटवर्क का विस्तार एवं बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग हो सके।

(ख) और (ग) ये सेवाएं मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:–

(i) विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य प्रोयोगिक आधार पर शुरू किया है।

(ii) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से स्व–सहायता

ग्रुपों तक माइक्रो क्रेडिट वितरण का विस्तार करने का कार्य भी प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है।

(iii) विभाग ने रेल मंत्रालय के सहयोग से यात्री आरक्षण सेवा शुरू की है।

(iv) विभाग ग्राहकों को दूरसंचार कंपनियों एवं अन्य उपभोक्ता सेवा प्रदाताओं के विभिन्न बिलों के भुगतान की सुविधा हेतु मंच प्रदान कर रहा है।

(v) विभाग यूटीआई, भारतीय स्टेट बैं, फ्रैंकलिन टैंपलटन, रिलायन्स म्युचुअल फंड जैसी वित्तीय संस्थाओं आदि की ओर से म्युचुअल फंड आदि वित्तीय लिखतों का वितरण कर रहा है। विभाग ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. के गैर–जीवन बीमा उत्पादों का भी वितरण कर रहा हैं विभाग ओरिएंटल एंश्योरेंस कंपनी लि, के गैर–जीवन बीमा उत्पादों का भी वितरण कर रहा है।

(vi) विभाग अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण सेवा के माध्यम से 205 देशों से भेजे गए धन को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

(vii) कुछ राज्यों में डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के लाभार्थियों के लिए मजदूरी का वितरण किया जाता है।

(viii) डाक विभाग द्वारा कुछ राज्यों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान का कार्य शुरू किया जा रहा है।

बिना बारी के स्पेक्ट्रम जारी किया जाना

2467. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ टेलीकॉम ऑपरेटरों को बिना बारी के स्पेक्ट्रम जारी करने के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से जांच करने कस अनुरोध करने से स्पेक्ट्रम विवाद गहराने की आंशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीकॉम वॉचडॉग एक गैर–सरकारी संगठन ने निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों को संविदा मात्रा से अधिक स्पेक्ट्रम के मुक्त वितरण की व्यापक जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस गैर–सरकारी संगठन के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) केंद्रीय सतर्कता आयोग ने स्पैक्ट्रम संबंधी मुद्दों पर कुछ सवाल उठाए थे तथा उन्हें आवश्यक स्पष्टीकरण/सूचना प्रदान कर दी गई।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पैक्ट्रम का आवंटन इसकी उपलब्धता के अध्यधीन "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर लाइसेंस करारों के संगत उपबंधों तथा प्रात्रता मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

सेवा प्रदाताओं को अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की प्रतिशतता/हिस्से के रूप में स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करना होता है। इन प्रभारों की राशि तत्संबंधी आदेशों के अनुसार सेवा प्रदाता के पास बहुत अधिक मात्रा में स्पैक्ट्रम उपलब्ध होने पर बढ़ जाती है।

ई एस आई अस्पतालों तथा औषधालयों का उन्नयन

2468. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ई एस आई) निगम के कुछ अस्पतालों तथा औषधालयों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किराये के परिसरों में चल रहे ई एस आई के अस्पतालों/औषधालयों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा उसके बाद आज की तिथि तक इन अस्पतालों/औषधालयों पर राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन अस्पतालों/औषधालयों से कितने श्रमिक/कामगार लाभान्वित हुए तथा उन्हें क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयो का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन करने के लिए इस दिशा में समय–समय पर कदम उठाए जाते हैं ताकि लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, महाराष्ट्र को छोड़कर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपने भवनों से चलाए जा रहे हैं जहां

चार अस्पताल राज्य सरकारों के अस्पतालों के भवनों से तथा एक एम जी एम ट्रस्ट के स्वामित्व वाले अस्पताल के भवन से चलाए जा रहे हैं किराए पर चलाए जा रहे औषधालयों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण– I पर दर्शाई गई है।

(घ) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान अस्पतालों और औषधालयों पर राज्य–वार खर्च की गई निधियां संलग्न विवरण–II पर दर्शाई गई हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अस्पतालों/औषधालयों से लाभान्वित श्रमिकों/कामगारों की संख्या संलग्न विवरण–III में दर्शाई गई है। लाभार्थियों को आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन्हें विख्यात सरकारी तथा निजी संस्थानों के साथ टाई–अप व्यवस्थाओं के माध्यम से मुहैया कराया जा रहा है।

विवरण-I

31.03.2007 की स्थिति के अनुसार किराए के भवन में चलाए जा रहे कराबी औषधालयों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	93
2.	असम	27
3.	बिहार	17
4.	चण्डीगढ़ प्रशासन	–
5.	छत्तीसगढ़	08
6.	दिल्ली	06
7.	गोवा	04
8.	गुजरात	32
9.	हिमाचल प्रदेश	04
10.	हरियाणा	41
11.	जम्मू और कश्मीर	08
12.	झारखंड	23
13.	कर्नाटक	63
14.	केरल	91
15.	मध्य प्रदेश	26
16.	महाराष्ट्र	56
17.	मेघालय	01
18.	उड़ीसा	38
19.	पांडिचेरी	11
20.	पंजाब	25
21.	राजस्थान	29
22.	तमिलनाडु	54
23.	उत्तर प्रदेश	79
24.	उत्तराखण्ड	10
25.	पश्चिम बंगाल	19

विवरण-II

चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था पर राज्य–वार व्यय

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7,391.30	7280.10	9560.55
2.	असम	373.54	386.92	64.58
3.	बिहार	409.78	446.01	494.52
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	249.40	268.74	319.80
5.	गुजरात	6,980.71	6223.31	6091.49
6.	गोवा	546.38	570.70	575.30
7.	हरियाणा	3,0257.91	3567.56	3745.93
8.	हिमाचल प्रदेश	223.65	292.73	230.67
9.	जम्मू और कश्मीर	84.96	97.93	148.30
10.	केरल	4,459.03	4139.65	5549.30
11.	कर्नाटक	5,565.16	5434.65	5137.10
12.	मध्य प्रदेश	3,171.40	3332.47	3756.61

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	11,474.56	10907.86	11596.3
14.	उड़ीसा	1,242.56	1232.82	1479.10
15.	मेघालय	24.68	27.41	3087
16.	पंजाब	3,194.16	4051.56	4529.86
17.	पांडिचेरी	558.95	659.25	1293.72
18.	राजस्थान	2,185.29	2554.11	2929.54
19.	तमिलनाडु	7,965.75	8387.83	9060.08
20.	उत्तर प्रदेश	5,355.63	5703.62	4971.57
21.	पश्चिम बंगाल	6,730.49	7349.04	9190.43
22.	दिल्ली	8,535.87	8938.83	9619.23
23.	छत्तीसगढ़	319.38	316.72	284.87
24.	झारखंड	421.34	541.29	568.28
25.	उत्तराखण्ड	102.57	112.11	164.91
	कुल	80592.45	82844.22	91312.91

विवरण-III

वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों से लाभांवित श्रमिकों/कामगारों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	2004–2005		2005–2006		2006–2007	
		आई.पी.	परिवार	आई.पी.	परिवार	आई.पी.	परिवार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2074349	2601390	1931255	3731590	1720731	2024335
2.	असम	42128	42804	33836	28884	35622	32550
3.	बिहार	48384	42332	59091	55228	51153	63403
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	73929	45018	84360	74568	93798	67974
5.	गुजरात	1375622	1938928	1288410	1870454	1322899	1805675
6.	गोवा	135100	145349	117330	152996		–
7.	हरियाणा	632872	852521	742298	1073123	843320	1136842
8.	हिमाचल प्रदेश	119118	140250	64104	उपलब्ध नहीं	2059	1311
9.	जम्मू और कश्मीर	37944	16252	44990	25768	47299	25169
10.	केरल	1892743	1741173	1825526	1381086	1960078	1608567
11.	कर्नाटक	973853	1084243	1021413	1157439	1034086	1192626
12.	मध्य प्रदेश	710759	921615	648265	4610934	520863	824239
13.	महाराष्ट्र	715862	766766	679693	769263	727856	828186
14.	उड़ीसा	427744	516872	378879	438789	366832	446735
15.	मेघालय	1792	1698	1382	1178	1179	842
16.	पंजाब	711963	719496	677323	697982	641101	655854

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	पुडुचेरी	181266	163160	150654	138700	167573	142358
18.	राजस्थान	993120	1311232	944471	1250516	977255	1335496
19.	तमिलनाडु	2299931	3031872	3063888	2142997	3258596	4575668
20.	उत्तर प्रदेश	597136	739245	625664	820115	650515	816069
21.	पश्चिम बंगाल	940233	600729	934273	1198223	1032679	691735
22.	दिल्ली	1861867	2786630	1907233	2746858	1877749	2813666
23.	छत्तीसगढ़	119126	144576	138345	172875	145528	176469
24.	झारखंड	92533	96558	93987	101750	104999	204566
25.	उत्तराखण्ड	29044	36126	32062	41542	39687	42307
	कुल	17088421	20486835	17488741	23223291	17622743	21512642

जल की उपलब्धता

2469. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में खेती के लिए जल की उपलब्धता में कमी होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को ऐसी फसलों की खेती करनी होगी जिन्हें कम जल की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकार भारत निर्माण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सिंचाई कवरेज को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के अंत तक 10 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों जैसी जल बचत युक्तियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित लघु सिंचाई स्कीम भी शुरू की गई है जिससे कि जल उपयोग कुशलता को किफायती बनाया जा सके तथा बढ़ाया जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने विभिन्न फसलों की किस्में और संकर किस्में विकसित की हैं जिन्हें कम सिंचाई या शुष्क भूमि/सूखा स्थितियों में किसानों द्वारा सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर जल को संरक्षित करने के लिए जीरो टिलेज और फर्रो सिंचित उभरी हुई क्यारी (एफआईआरबी) प्रणाली जैसी संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा दिया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि के नए क्षेत्रीय कार्यालयों का खोला जाना

2470. श्री एन. एन कृष्णदास :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कर्मचारी भविष्य नीधि के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य–वार तथा स्थान–वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने हेतु कार्यकारी समिति द्वारा राज्य तथा स्थान–वार किन–किन स्थानों की पहचान की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी नहीं, वर्तमान में, नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) हल्दिया, पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य नीधि का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए 2005 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। क्षेत्र कार्यालय खोलने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) की 25.9.2007 को आयोजित बैठक में उसके समक्ष रखा गया था। मामला स्थगित कर दिया गया क्योंकि बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नए क्षेत्र कार्यालय खोलने के मानदण्डों पर पुनर्विचार करने के पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि के नए क्षेत्र कार्यालय खोलने के मुद्दे की पुनः समीक्षा की जा सकती है।

पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

2471. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं में संचारी रोगों की पहचान तथा उन्हें प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए सभी राज्यों में शाखाएं सहित केन्द्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजा के दौरान इसके क्रियान्वयन हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सस्ता कम्प्यूटर

2472. श्री रेवती रमन सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एच सी एल या किन्हीं अन्य कंपनियों द्वारा डेस्क टॉप तथा लैपटॉप सहित सस्ते कम्प्यूटर बाजार में उतारे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कम्प्यूटरों की तुलनात्मक विशेषताएं क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) एचसीएल इन्फोसिसटम्स लि., नोएडा द्वारा एससीएल माइलीप ब्रांड के अन्तर्गत कम्प्यूटरों के और अधिक सस्ते संस्करण बाजार में लाए गए हैं।

एचसीएल माइलीप मॉडल एमएक्स 1001

एचसीएल माइलीप मॉडल एमएक्स 1001 की रैंज 13,990/–रुपए जमा वैट से आरम्भ होती है।

विशेषताएं : इन्टेल सेलेरॉन एम 353 प्रोसेसर (900 मेगा हटर्ज) द्वारा चालित एचसीएल माइलीप एक्स सीरीज, ओपन ऑफिस सहित उबुन्टु लाइनक्स प्रचालन प्रणाली, 512 एमबी डीडीआर 2 रैम, 17.7 से. मी. (7") चौड़ा (800x480) टीएफटी एलसीडी, 2 अन्तः निर्मित स्पीकर, 2 जीबी फ्लैश ड्राइव, डीसी–आईएन, हेडफोन, मिक–इन, अन्तः निर्मित मिक, आरजे–45 एसडी कार्ड स्लॉट, वाइफाई बी/जी, 2x यूएसबी संस्करण 2.0,6 सेल बैटरी, लगभग वजन 1.44 किलोग्राम।

एचसीएल माइलीप मॉडप एमएल 0301

एचसीएल माइलीप मॉडल एमएल 0301 रैंज 15, 990/– रुपए जमा वैट से आरम्भ होती है।

विशेषताएं : पिछले मॉडल के समान हैं, अन्तर मात्र यह है कि 2 जीबी फ्लैश ड्राइव के स्थान पर इसमें 30 जीबी का हार्ड डिस्क ड्राइव है।

एचसीएल माइलीप मॉडल एमएस 0301

एचसीएल माइलीप मॉडल एमएस 0301 रैंज 16,900/–जमा वैट से आरम्भ होती है।

विशेषताएं : निम्नलिखित परिवर्तनों सहित पिछले मॉडल के समान हैं : (i) 2 जीबी फ्लैश ड्राइव के स्थान पर इसमें 30 जीबी का हार्ड डिस्क ड्राइव है तथा (ii) ओपन ऑफिस सहित उबुन्टु लाइनक्स प्रचालन प्रणाली के स्थान पर इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स सहित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी सटार्टर संस्करण है।

डाक भूमि विकास प्राधिकरण

2473. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाक विभाग के पास स्थित पड़ी भूमि की चकबंदी करने तथा इसके वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि विकास प्राधिकारण (पीएलडीए) का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक भूमि विकास प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, डाक भू–संपत्ति के इष्टतम विकास एवं प्रबंधन के लिए सीमित दायित्व सहित संपूर्ण स्वामित्व वाली तथा सरकार की 100% इक्विटी भागीदारीयुक्त और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अपर इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना

2474. श्री विक्रम केशरी देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा किस तिथि को इसकी परिकल्पना की गई थी;

(ख) मूल परियोजना के अन्तर्गत कितनी नहरों का प्रस्ताव है; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण है तथा इसके शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्य कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) अपार इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है;

क्रम सं.	घटक	वर्तमान स्थिति
1	2300 घन मी. की कुल भंडारण प्रणाली के साथ एकीकृत अलाशय प्रणाली, इन्द्रावती नदी पर मुख्य बांध, सहायक नदियों अर्थात पोडागडा, कापुर और मुरान पर तीन अन्य बांध।	1999–2000 में पूरा किया गया
2	महानदी बेसिन में टेल की एक सहायक नदी हाती पर मंगलपुर में 117 मी. लम्बी बैराज जहां से मुख्य नहरें शुरू होती हैं।	1987 में पूरा किया गया
3	600 मे. वा. क्षमता वाला जल विद्युत संयंत्र	1999–2000 में पूरा किया गया
4	सिंचाई नेटवर्क	नीचे पैरा (ख) देखें

(ख) और (ग) मूल परियोजना योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहरों की संख्या नीचे दी गई है;

क्रम सं.	नहर प्रणाली	सीसीए* (हेक्टे.)	वर्तमान स्थिति
1.	बांयी नहर प्रणाली	49,076	1999 में पूरी की गई
2.	दांयी नहर प्रणाली	27 192	2005 में पूरी की गई
3.	लिफ्ट नहर प्रणाली	26,248	अभी तक शुरू नहीं की गई है
	कुल	102, 516	

उपरोक्त के अलावा, विस्तार स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2003–04 में निम्नलिखित घटकों को परियोजना में शामिल किया गया है;

क्रम सं.	नहर प्रणाली	सीसीए* (हेक्टे.)	वर्तमान स्थिति
4.	दांयी नहर प्रणाली का विस्तार	15,260	वर्तमान में एआईबीपी के अन्तर्गत 2010 तक पूरा किया जाना है।
5.	बांयी नहर प्रणाली का विस्तार	10,224	वर्तमान में एआईबीपी के अन्तर्गत 2010 तक पूरा किया जाना है।
	कुल	25,484	

* कृषि योग्य कमान क्षेत्र

सिंचाई विकास राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का नियोजन, वित्तपोषण, निष्पादन, प्रचालन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से और अपनी जरूरतों और कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता और मार्गदर्शन देती है।

चैक डैम

2475. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियों के अधिशेष जल के भण्डारण हेतु नदियों पर चैक डैम बनाने के संबंध में व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चैक डैमों के निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय ने नदियों के अधिशेष जल के भण्डारण हेतु नदियों पर चैक डैम बनाने के संबंध में व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय के पास "जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चैक डैमों के निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय नीति" बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कुशल श्रम शक्ति की कमी

2476. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार वित्त वर्ष 2007–08 में वित्त वर्ष 2006–07 की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 375,000 और नौकरियां शामिल किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

ठेका श्रमिक/कामगार

2477. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथिनुसार पृथक रूप से राज्य–वार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केन्द्र और राज्य सरकारों व संगठित उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिकों/कामगारों की संख्या क्या है;

(ख) क्या हाल ही में संगठित श्रमिकों/कामगारों की तुलना में असंगठित और ठेका श्रमिकों/कामगारों को नियोजित करने का रुझान बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) ठेका मजदूरों को नियोजित करने के लिए ठेकेदारों/कामगारों को किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त मामले में ठेका श्रमिकों/कामगारों को कितना वास्तविक भुगतान किया गया;

(ङ) क्या श्रमिक कानूनों के खुल्लमखुल्ला उल्लंघन के कारण उक्त श्रमिकों/कामगारों की कार्य परिस्थितियां बदतर होती जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा तत्पश्चात् आज की तिथिनुसार राज्य–वार उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) इस प्रकार के श्रमिकों/कामगारों के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित संगत कानूनों में संशोधन सहित क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीज) : (क) 2003–04 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में उद्योगों में नियोजित ठेका श्रमिकों के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण– I में हैं।

(ख) जी हां।

(ग) अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र की तुलना में संगठित क्षेत्र में नियोजन का ब्यौरा निम्नवत है:

सैक्टर/श्रमिक	अनौपचारिक/ असंगठित श्रमिक	औपचारिक/ संगठित श्रमिक	कुल
	1999-2000		
अनौपचारिक	341.3	1.4	342.6
असंगठित श्रमिक	(99.6)	(0.4)	(100.0)
औपचारिक	20.5	33.7	54.1
संगठित श्रमिक	(37.8)	(62.2)	(100.0)
कुल	361.7	35.0	396.8
	(91.2)	(8.8)	(100.0)
	2004-05		
अनौपचारिक	393.5	1.4	394.9
असंगठित श्रमिक	(99.6)	(0.4)	(100.0)
औपचारिक	29.1	33.4	62.6
संगठित श्रमिक	(46.6)	(53.4)	(100.0)
कुल	422.6	34.9	457.5
	(92.4)	(7.6)	(100.0)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत हैं। रोजगार आंकड़े मिलियन में हैं। मुख्य कारण अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में लागत में कमी लाने की संगठन की इच्छा और तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमबल का समायोजन आसान होना है।

(घ) ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार, प्रधान नियोक्ता की जानकारी में रहते हुए या इसके बगैर, ठेकेदार द्वारा या उसके जरिए ऐसे काम में या ऐसे काम

के संबंध में प्रतिष्ठान के कार्य के मामले में नियोजित किए गए कर्मकार को "ठेका श्रमिक" माना जाएगा। ठेका श्रमिक को ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाता है। सभी प्रतिष्ठानों के संबंध में ऐसे आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते ।

(ङ) और (च) जिन मामलों में केंद्र सरकार समुचित सरकार है, उनमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत शुरू किए गए अभियोजनों और दोष सिद्धियों के संबंध में सूचना विवरण – II में है। जिन प्रतिष्ठानों के मामले में राज्य सरकारें समुचित सरकार हैं, उनसे संबंधित आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा संग्रहीत नहीं किए जाते।

(छ) विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंध उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जो ठेका श्रमिकों से कम लेते हैं और श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर राज्य–सरकारें और केन्द्र सरकार अपने–अपने क्षेत्र में औद्योगिक संबंध तंत्र के जरिए आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

विवरण-I

2003–04 का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

वर्ष 2003–04 के दौरान राज्यों में नियोजित ठेका श्रमिकों का सैक्टर–वार प्रतिशत

क्रम सं.	राज्य	ठेका श्रमिकों की कुल संख्या	कुल ठेका श्रमिकों में ठेका श्रमिकों का सैक्टरवार प्रतिशत			कुल श्रमिकों में ठेका श्रमिकों का सैक्टरवार प्रतिशत			
			सार्वजनिक	संयुक्त	निजी	सार्वजनिक	संयुक्त	निजी	समग्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जम्मू और कश्मीर	5216	0.96	1.09	97.97	1.36	47.90	28.08	23.72
2	हिमाचल प्रदेश	4657	5.45	17.11	77.43	36.08	67.03	14.01	16.85
3	पंजाब	54920	2.67	2.28	95.05	16.22	15.79	21.08	20.76
4	चंडीगढ़	300	–	1.67	98.33	–	100.00	5.43	5.39
5	उत्तरांचल	6161	4.19	25.58	70.23	8.84	18.70	26.63	22.33
6	हरियाणा	85804	0.72	1.09	98.19	25.22	16.96	37.14	36.54
7	दिल्ली	3920	–	–	100.00	–	–	4.96	4.94
8	राजस्थान	61320	3.42	2.19	94.39	33.11	19.31	32.46	32.01
9	उत्तर प्रदेश	126501	1.52	4.33	94.14	9.81	22.54	30.13	28.80
10	बिहार	22697	1.87	3.46	94.67	18.42	27.50	51.62	48.51
11	नागालैंड	1362	–	–	100.00	–	–	58.81	57.81
12	मणिपुर	8	–	–	100.00	–	0.78	–	0.73
13	त्रिपुरा	6415	–	0.16	99.84	–	0.81	54.11	48.95
14	मेघालय	687	–	10.19	89.81	–	34.15	40.46	38.75
15	असम	13063	3.18	18.06	78.76	7.02	37.22	12.30	13.62
16	पश्चिम बंगाल	59201	18.28	3.30	78.42	19.42	13.92	13.69	14.48
17	झारखंड	14129	18.82	0.91	80.27	6.19	0.74	22.34	12.72
18	उड़ीसा	37706	2.42	14.00	83.59	29.64	20.52	45.26	38.31
19	छत्तीसगढ़	21881	19.92	4.43	75.65	22.34	41.61	33.26	30.56
20	मध्य प्रदेश	33960	0.58	7.35	92.08	4.78	21.26	21.54	21.10
21	गुजरात	181556	0.71	2.20	97.09	26.46	38.81	33.71	33.74
22	दमन और दीव	8670	–	0.43	99.57	–	47.44	19.32	19.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	दादरा और नगर हवेली	13926	–	–	100.00	–	–	36.58	36.58
24	महाराष्ट्र	187317	0.86	4.74	94.40	6.75	17.19	25.32	24.20
25	आंध्र प्रदेश	360147	0.36	1.12	98.52	6.84	21.95	51.77	49.83
26	कर्नाटक	45557	2.03	7.03	90.94	9.22	20.82	11.42	11.73
27	गोवा	7600	–	8.14	91.86	43.29	29.88	30.39	
28	केरल	15817	11.94	9.21	78.85	7.17	9.84	5.39	5.81
29	तमिलनाडु	108084	1.36	2.93	95.71	8.58	16.36	11.35	11.41
30	पांडिचेरी	7060	–	0.06	99.94	–	0.81	26.57	22.54
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	–	–	100.00	–	–	24.11	13.43
	कुल भारत	1495671	2.34	3.40	94.26	12.29	18.94	25.48	24.57

विवरण-II

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

केन्द्रीय क्षेत्र के आंकड़े

क्रम सं.	विवरण	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1	प्रधान नियोक्ताओं को जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की संख्या	590	747	752
2.	ठेकेदारों को जारी लाइसेंसों की संख्या	7277	7317	9280
3.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	4540	5759	5365
4.	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	59301	60206	77422
5.	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	3356	2991	2648
1	2	3	4	5
6.	दोषसिद्धियों की संख्या	2018	1017	887
7.	लाइसेंस द्वारा कवर किए गए ठेका श्रमिकों की संख्या	968792	983707	1001947
8.	वापस लिए गए/रद्द किए गए/अवधि समाप्त हो चुके लाइसेंसों की संख्या	6601	7632	8186
9.	वापस लिए गए/रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की संख्या	08	211	51

डाक टिकटें

2478. श्री के. सी. पल्लामी शामी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का कार्ड पर मुद्रित फोटो वाली व्यक्तिगत डाक टिकटें लाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उन्नयन निधि योजना

2479. श्री जी. कल्याणकर रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उन्नयन निधि योजना को सीमित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बैंकों ने वस्त्र उन्नयन निधि योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज राजसहायता की प्रतिपूर्ति करने से इन्कार कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस.इलैंगोवन) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, जो वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, के तहत उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों अर्थात् 2005–06 में 485 करोड़ रु., 2006–07 में 835.00 करोड़ रु. और 2008–09 में 1140 करोड़ रु. का वृद्धिशील बजट प्रावधान किया गया है। तदनुसार, इस योजना को सीमित करने की संभावना नहीं है।

(ग) वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) जी, नहीं। प्रौद्योगिकी उन्नन निधि योजना के तहत बैंक ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करने के लिए मना नहीं कर सकते। उपर्युक्त उल्लिखितानुसार, बजट प्रावधान किया गया है और सरकार बैंकों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

विवरण

भारतीय वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

(i) विनिर्माण के लिए कपास की उत्पादकता और गुणवता में सुधार करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक डाउन स्ट्रम वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरु किया है।

(ii) वस्त्र उद्योग के संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरु की है। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप–क्षेत्रों में निवेश में तीव्र वृद्धि करने के लिए योजना में और सुधार किए गए हैं। आयातों पर सीमा शुल्क को कम करके मशीनरी की लागत को और चीने लाया गया है।

(iii) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों के अनुसार विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाओं वाली अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर एकीकृत वस्त्र पार्क, योजना के नाम से ज्ञात एक योजना अगस्त, 2005 में शुरु की गई है।

(iv) बजट 2004-05 में, मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न को छोड़कर सम्पूर्ण वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क में वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी।

(v) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र को 8-9% ब्याज दर पर ऋण देने के लिए बैंकों को अनुमति देने के प्रमुख उद्देश्य से सितंबर 2003 से ऋण पुनर्संरचना योजना शुरु की है।

(vi) शाप फ्लोर स्तर पर बढ़ती हुई कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ करने और नए केन्द्र खोलने के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है।

(vii) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी है।

(viii) सरकार ने सिले सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र सूची से अनारक्षित किया है ताकि इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ix) उद्योग प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यवसायी शामिल करके मूल्यवर्धन की संकल्पना के प्रति उपयोग को संवेदनशील बनाने में अग्रणी भूमिका उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संसीान (निफ्ट) की स्थापना की गई है। इसके परिणामस्वरूप उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायियों की मांग बढ़ी है।

(x) तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है। जिसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र एककों के लिए बेसलाइन सर्वे करना और 9वीं योजना अवधि के लिए 48 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से एग्रो तकनीकी, बिल्ड तकनीकी, मंडी तकनीकी और भू–तकनीकी प्रत्येक के लिए एक; उत्कृष्टता के चार केन्द्र स्थापित करना है।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणियों में उत्पादन प्रणाली

2480. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खमीरा, जबलपुर में स्थित आयुध निर्माणियों में फर्नेस तेल की आपूर्ति न होने से उत्पादन प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयुध निर्माणियों में अबाधित विनिर्माण को जारी रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

निर्यातकों को वित्तीय पैकेज

2481. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये में मूल्य वृद्धि के कारण निर्यातकों को अब तक प्रदान किए गए वित्तीय पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्यातकों को 500 करोड़ रुपये का नया पैकेज देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यातकों को उनके लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाने व उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रुप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) सरकार ने अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की मजबूती से प्रभावित वस्त्र उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में वस्त्र उद्योग की सहायता के लिए अनेक राहत उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(1) (i) पोलिएस्टर फिलामैंट यार्न और पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर पर 7.5% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।

(ii) अन्य मानव निर्मित फिलामैंट यार्नों नामतः अक्रैलिक, विस्कोस आदि (नाइलोन फिलामैंट यार्न को छोड़कर) पर 10% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।

(iii) अन्य मानव निर्मित स्टैपल फाइबरों नामतः अक्रैलिक, विस्कोस आदि (नाइलोन फिलामैंट यार्न को छोड़कर) पर 10% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।

(iv) मानव निर्मित स्टैपल फाइबरों और फिलामैंट यार्नों के स्पन यार्नों (नाइलोन फाइबरों को छोड़कर) पर 10% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।

(v) पोलिएस्टर चिप्स पर 7.5% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।

(vi) फाइबर इंटरमीडियेट्स अर्थात् डीमिथाइल टैरेपैथेलेट (डीएमटी) शुद्ध; टेरेपैथेलिक तेजाब (पीटीए) और मोनो इथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) पर 7.5% से घटाकर 5% करना।

(vii) पैरा–एक्सीलीन पर 2% को घटाकर शून्य करना।

(viii) धुलाई सेवाओं (फ्यूमीगेशन) और बेयरहाउसिंग सेवाओं के संबंध में सेवा कर को माफ कर दिया गया है।

(2) वस्त्र (हथकरघा भी), सिलेसिलाए परिधान (आरएमजी) और हस्तशिल्प सहित 9 क्षेत्रों के लिए शुल्क हकदारी पासबुक (डीइपीबी) दरों को 3% बढ़ा दिया गया है। अन्य मदों के लिए डीईपीबी दरों को 2% पढ़ाया गया।

(3) निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) प्रीमियम में 10% तक कमी की गई।

(4) टार्मिनल उत्पाद शुल्क की तत्काल वापिसी आदेशित कर दी गई है।

(5) एक्सटैंडिड सार्वधिक कवरेज सहित रियायती निर्यात ऋण लागू किया गया है।

(6) सामानों के निर्यातों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के सेवाकर की वापिसी को अधिसूचित किया गया है।

(7) केंद्रीय कर (सीएसटी) प्रतिपूर्ति और टर्मिनल उत्पाद शुल्क के बकायों को निपटाने के लिए 600 करोड़ रू. जारी कर दिए गए हैं।

(8) मौजूदा शुल्क वापसी दरों को 10–40% तक बढ़ा दिया गया है।

(9) ऋण दर पर 2% तक अनुदान की अनमति।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) निर्यातकों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

1. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.1.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना प्रचालन में है। टीयूएफएस को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए भी बढ़ा दिया गया है। वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तीव्र आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.2005 से टीयूएफएस के तहत वर्तमान 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना शुरू की है।

2. देश के भीतर वृद्धि और अधिकतम मूलयवर्द्धन प्राप्त करने के लिए आमतौर पर राजकोषीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। मानव निर्मित फिलामेंट यार्नों और मानव निर्मित स्टैपल फाइबरों पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समस्त मूल्यवर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क छूट का विकल्प दिया गया है।

3. निवेश आकर्षित करने और वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान मशीनरी के आयात को सीमा शुल्क के रियायती दर पर अनुमति दी गई है। मशीनरी की लागत को राजकोषीय नीति उपायों के माध्यम से भी घटाया गया है।

4. गारमैंट निर्यातकों को ट्रीमिंग और एंबलिशमैंट की 21 मदों को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। यह उनके पिछले वर्ष के वास्तविक निर्यात निष्पादन का 3% तक हो सकता है।

5. 2004–05 में मानव निर्मित फाइबर और फिलामैंट यार्न को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट दी गई थी। 2005–06 में पोलिएस्टर फिलामैंट यार्न पर 24% केंद्रीय मूल्य सहायित कर (सेनवेट) को घटाकर 16% कर दिया गया है। राजकोषीय उपशुल्कों में संशोधन वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

6. कोटा पश्चात युग में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादक के विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक वस्त्र मशीनरी के आयात को सुकर बनाने के लिए, 2005–06 में 49 में दर्ज 23 मशीनरी को छोड़कर जिस पर 15% का मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगता है, वस्त्र मशीनरी पर सीमा शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है।

7. सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र को रियायती ब्याज पर ऋण देने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर 2003 से ऋण पुनर्संरचना योजना शुरू की है।

कपास उत्पादकों व हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन

2482. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
प्रो. एम. रामदास :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास तथा हथकरघा निर्मित वस्त्र फैशन में आ रहे हैं और पश्चिमी बाजारों में अपनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कपास उत्पादकों और हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पृथक रुप से इस प्रयोजनार्थ ग्यारहवीं योजना के दौरान कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस.इलैंगोवन) : (क) भारत, वैश्विक बाजार में लाइनेन और घरेलू उपयोग के वस्त्र उत्पादों के रूप में वर्गीकृत गृह वस्त्र उत्पादों की व्यापक श्रंखला के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहा है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय हथकरघा वस्त्रों की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए सरकार ने विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना शुरू की है, जो विनिर्दिष्ट हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों की निर्यात योग्य श्रृंखला विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका विपणन करने में सहायता करती है। उपर्युक्त योजना के अलावा, सरकार, बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार पहुंच पहल योजना (एमएआई), शुल्क हकदारी पासबुक योजना (डीईपीबी), फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस), फोकस बाजार योजना (एफएमएस) आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से हथकरघों के निर्यात सहित देश से निर्यातों के संवर्धन को भी सुकर बना रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने कपास उत्पादन, उत्पादकता और स्वदेशी कपास की गुणवत्ता में सुधार करने और कपास खेती की लागत में कमी करने के उद्देश्य से फरवरी 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया था। इस मिशन के चार लघु मिशन हैं, जो उन्नत किस्मों के विकास, बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, बाजार अवसंरचना के सुधार और जिनिंग और प्रसंस्करण फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण पर संकेंद्रित हैं। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में लघु मिशन III और IV जिनके लिए नोडल मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय है, के लिए 241.35 करोड़ रू. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए हथकरघा उत्पादों की निर्यात योग्य श्रृंखला के उत्पादन के लिए विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना शुरू की गई है। 11वीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के लिए 230 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन

2483. डा. के. एस. मनोज : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) सहित अनेक संगठन भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पी एस यू और राज्य सरकारों की नौकरियों में कितने भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह ग तथा समूह घ पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए विद्यमान नीति के अनुसार आरक्षण निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है;

	समूह ग	समूह घ
मंत्रालय/विभाग	10%	20%
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में	14.5%	14.5%

इसी प्रकार, केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए सहायक कमाडेंट के पदों का 10% आरक्षित हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने पुलिस बलों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 से 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के दिशा–निर्देश जारी किए हुए हैं कि अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सुरक्षा सेवा संबंधी ठेके भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा एजेंसियों को दिए जाने चाहिए। तथापि इस विषय पर व्यापक डाटा बेस की अनुपस्थिति में इस बात की पुष्टि अथवा खंडन करना संभव नहीं है कि राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कई संगठन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मुहैया नहीं करा रहे हैं।

(ग) महानिदेशक, पुनर्स्थापन के कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों /राज्य सरकारों द्वारा भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या निम्नवत है:

	2005	2006	2007
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	785	1522	435
राष्ट्रीयकृत बैंक	798	398	406
राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	673	2255	613
राज्य सरकार	1421	3055	2768
कुल	3677	7230	4222

बेरोजगारी का उन्मूलन

2484. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रम आधारित उद्योगों के उन्नयन के माध्यम से सरकार ने बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित नीतिगत पहलें निहित हैं।

(i) विकास को और अधिक समाहित बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादक परिसम्पतियों तक और अधिक लोगों की पहुंच हो सके जिससे कि वे स्वयं अच्छी आय अर्जित कर सकें और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वेतन श्रम हेतु पर्याप्त मांग सृजित कर सके जिससे कि जो स्व–नियोजित न हो सकें, वे अच्छे वेतन पर नियोजित हो सकें।

(ii) सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि तथा कृषि में दुगनी वृद्धि के लक्ष्य से इस प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। विनिर्माण क्षेत्रों यथा; खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पादन; जूते तथा कपड़े तथा सेवा क्षेत्रों यथा; पर्यटन एवं निर्माण जैसे श्रम सघन क्षेत्रों को प्रात्साहित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी।

(iii) ग्राम एवं लघु पैमाने के उद्यम (वी एस ई) 11वीं योजनावधि के दौरान अधिकतर नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाएंगे।

इसके अतिरिक्ति, भारत सरकार रोजगार सृजन हेतु बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनमें से मुख्य हैं: (i) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी); (ii) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) (iii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई); (iv) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई;) (v) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) तथा (vi) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005।

जल प्रबंधन

2485. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से सरकार ने जल प्रबंधन पर कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। देश में जल संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से सरकार ने जल प्रबंधन पर कोई नीति तैयार नहीं की है। संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय जल नीति में एतद् द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आईएसीआर विज्ञान मेला

2486. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएसीआर) द्वारा कृषि विज्ञान मेले (केवीएम) का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसमें प्रदर्शित नई फसल की किस्मों तथा अत्याधुनिक कृषि उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के कृषि विज्ञान मेले किस सीमा तक किसानों को लाभ पहुंचाते हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने हाल ही में 21–23 फरवरी, 2008 तक दिल्ली में कृषि विज्ञान मेला (केवीएम) आयोजित किया। देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किसानों/पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) ने भाग लिया तथा मेले का लाभ उठाया। इस मेले का विषय था "भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उच्च उत्पादकता एवं व्यापारीकरण की ओर कदम"। इस कृषि विज्ञान मेले में फसलों, सब्जियों और फूलों की कुछ प्रमुख उन्नत किस्में प्रदर्शित की गईं। विभिन्न अनाजों, तिलहनों, दलहनों, सब्जियों और फूलों का खेत प्रदर्शन किया गया। किसानों के लाभार्थ उच्च आय लेने हेतु सब्जियों और फूलों की संरक्षित खेती भी की गई। कृषि विज्ञान मेले के दौरान निःशुल्क मृदा एवं जल विश्लेषण की सुविधाएं भी मुहैया की गईं।

(ग) विभिन्न फसलों का सीधा प्रदर्शन वैज्ञानिकों और साथी किसानों से मिलने और बातचीत करने के लिए किसानों को अवसर प्रदान करता है। देशभर से आए किसानों ने उच्च उपजशील किस्मों के बीज, फार्म मशीनरी और अन्य फार्म पणधारियों को उनके उत्पादों का प्रदर्शन करने तथा उत्पाद की बिक्री का भी अवसर प्रदान करता है। किसान मेला देश भर के किसानों/अन्य पणधारियों के लिए अत्यन्त उपयोगी रहा।

[अनुवाद]

ध्रुव हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति

2487. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को ध्रुव एडवांस लाइट हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु थल सेना व वायुसेना से क्रयादेश प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में एचएएल तथा ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एचएएल द्वारा समय से आपूर्ति करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) ने सेना और वायु सेना के लिए ध्रुव उन्नत हल्के हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए संविदा की है। वायुसेना की सुपुर्दगियां 20–12–13 और सेना की 2015–16 तक पूरी की जानी हैं।

(घ) हेलिकॉप्टरों की सुपुर्दगी समय पर किए जाने के लिए हिन्दुस्तान एनोनॉटिक्स लिमिटेड में अवसंरचना और क्षमता का संवर्द्धन किया गया है।

मरम्मत और संपूर्ण मरम्मत (ओवरहाल) कार्य हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक पृथक प्रभार को सौंपे गए हैं ताकि हेलिकॉप्टरों का उत्पादन एक समर्पित कारखाने (फेसिलिटी) में पूरा किया जा सकें

[हिन्दी]

संगठित व असंगठित श्रमिकों के लिए कानून

2488. श्री सुभाष महरिया : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों तथा दूसरे श्रमिकों को संगठित करने के लिए कोई कानून बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस कानून को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इससे उक्त श्रमिकों को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओंकार सनवीरसिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि विकास में निवेश

2489. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि भूमि के विकास में पिछले कुछ वर्षों से निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि विकास में निवेश को बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषक आयोग ने प्रत्येक भूमिहीन कृषक को एक एकड़ भूमि देने की व्यवस्था की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय देश में कृषि भूमि सहित अवक्रमित भूमियों के विकास के लिए पनधारा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ये कार्यक्रम हैं—(i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीबीआरए), (ii) नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी तथा एफपीआर) के आवाह क्षेत्रों में अक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण, (iii) क्षारीय मृदा का सुधार (आरएएस) तथा झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)। वर्ष 2004–05 में इन कार्यक्रमों के अधीन निवेश 397.74 करोड़ रूपये था और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार यह वर्ष 2006–07 में बढ़कर 627.37 करोड़ रूपये हो गया:

कार्यक्रम का नाम	निवेश (करोड़ रूपये में)		
	2004–05	2005–06	2006–07
एनडब्ल्यूडीपीआरए	235.58	267.86	356.54
आरवीपी एवं एफपीआर	136.84	146.52	222
आरएएस	6.06	9.3	10.26
डब्ल्यूडीपीएससीए	19.29	29.16	38.57
कुल	397.74	452.84	627.37

अवक्रमित/बंजर भूमि, पनधारा विकास कार्यक्रमों के पुनरूद्धार सहित शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली पर कृषि और संबंधित मुद्दों संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की उप समिति के कार्यदल ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 32095.00 करोड़ रूपये से लगभग 38 मिलियन है. भूमि के विकास करने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति 2007 को अनुमोदन किया है, जो पहले ही विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वयनाधीन है। भूमि के संबंध में परिसम्पत्ति सुधारों से संबंधित सरकार द्वारा यथा स्वीकृत आयोग सिफारिश को राष्ट्रीय किसान नीति में समाहित कर लिया गया है। नीति में यह सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है कि गावों में प्रत्येक कृषक परिवार के पास भूमि, पशुधन, मत्स्य पोखर, वासभूमि फार्म जैसी परिसम्पत्तियां और/या उद्यम और/या मंडी वाहित दक्षताओं के माध्यम से आय हों और/या उन तक उनकी पहुंच हो, ताकि परिवार की आय सतत आधार पर पर्याप्त रूप से बढ़ सके। इसके बाद में पोषण और आजीविका सुरक्षा और उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरा किया जाना सुनिश्चित होगा।

भूमिहीन कृषक

2490. श्री रघुवीर सिंह कौशल :
डा. बाबू राव मिडियम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमिहीन कृषकों की संख्या और स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रकार के भूमिहीन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन–से ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि संगणना पंचवर्षीय आधार पर भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है जो कि कृषि प्रचालनात्मक जोतों के विभिन्न पैरामीटरों संबंधी आंकड़े एकत्रित करती है। कृषि संगणना 2000–01 के अनुसार, बिहार, झारखण्ड तथा मेघालय को छोड़कर देश में भूमिहीन किसानों की अनुमानित संख्या (प्रचालनात्मक किसान पूर्ण रूप से पट्टे की भूमि पर और पूर्ण रूप से अन्यथा प्रचालित भूमि पर खेती कर रहे हैं) 6,60,991 थी।

(ग) वर्ष 2007 में प्रकाशित की गई राष्ट्रीय किसान नीति में भूमिहीन फार्म परिवारों के संबंध में नीति निर्देशन निहित है। इन प्रावधानों में अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करना शामिल है कि गांवों में प्रत्येक किसान परिवार के पास उद्यम अथवा मंडी वाहित

दक्षताओं के माध्यम से या भूमि, पशुधन, मत्स्य पोखर, वास भूमि फार्म या इन तक उनकी पहुंच हो ताकि परिवार की आय सतत् आधार पर पर्याप्त रूप से बढ़ सके; भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों का कार्यान्वयन; व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक स्कीम के अधीन किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन कृषि कामगारों का कवरेज।

(घ) सरकार भूमिहीनों को सीलिंग सर्प्लस भूमि, अदान भूमि तथा बंजर भूमि के वितरण का मानिटरन करती है। इसके अलावा, भूमिहीन किसानों सहित ग्रामीण गरीब को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वः रोजगार योजना, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न रोजगार सृजन स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा

2491. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए कोई नई नीति/योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए आबंटित निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद/विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा और उपलब्धियां क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) सरकार विपणन विकास सहायता (एम डी ए) स्कीम और मार्केट एक्सेस इनीशिएटिव (एम ए आई) स्कीम के अंतर्गत हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषदों और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से निर्यातकों को सुविधाएं प्रदान करती है।

(ख) और (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार हस्तशिल्पों के संवर्धन और विकास के लिए 6 स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनमें शामिल हैं: अभिज्ञात शिल्प समूहों के समेकित विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई); हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम; विपणन सहायता एवं सेवा स्कीम; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम; मानव संसाधन विकास स्कीम और अनुसंधान एवं विकास स्कीम। 11 वीं योजना अवधि के लिए इन स्कीमों के अंतर्गत 1257.01 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद एवं कालीन निर्यात संवर्धन परिषद नामक दो निर्यात संवर्धन परिषदें हस्तशिल्प और कालीनों के लिए अलग–अलग रूप से पहले ही काम कर रही हैं। जहां तक विशेष आर्थिक जोन (सेज) का संबंध है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत तीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गये हैं, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार केवल एक सेज को अधिसूचित किया गया है–

क्रम सं.	डेवलेपर का नाम	सेज की अवस्थिति	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	टिप्पणी
1.	मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम	जोधपुर, राजस्थान	राज.	131	अधिसूचित
2.	गुजरात ग्रोथ सेंटर्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (जीजीडीसीएल)	मोती चिराल जीजीडीसीएल एस्टेट, ग्राम मोती चिराल, जिला कच्छ, गुजरात	गुजरात	131–59–62	
3.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू पी एल आई जी सी)	भदोही, जिला संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश	उ.प्र.	103.96	

[अनुवाद]

जल की उपलब्धता

2492. श्री अधीर चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूदा जल उपलब्धता की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नए जल संसाधनों और जल की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) देश में औसत वार्षिक वर्षा 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आंकी गई है। वाष्पीकरण आदि की प्राकृतिक प्रक्रिया के पश्चात देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बीसीएम आंकी गई है। स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक एवं अन्य बाधाओं के कारण उपयोग योग्य जल की मात्रा 1123 बीसीएम आंकी गई है।

उपयोग योग्य जल संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नदियों को परस्पर जोड़ने के जरिए जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल अंतरण द्वारा बाढ़ के अधिशेष जल के उपयोग करने, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे विभिन्न उपायों की योजना की गई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक सेवा

2493. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप देश के भीतर और सीमापार गुणवत्तायुक्त सेवा प्रदान करने का आश्वासन दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां। विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों समूचे देश के अपने ग्राहकों को गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान की जाएं।

(ख) विभाग ने अपने ग्राहकों को गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इसे प्राप्त करने के लिए सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रचालनों पर सतत निगरानी रखी जाती है। यह एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजी जाने वाली रिपोर्टों, औचक जांच, विशेष दस्तों के गठन आदि जैसी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। बेहतर ग्राहक सुविधा के लिए देश भर में 1116 कंप्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है जिन्हें ग्राहकों की पूछताछ का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने हेतु वेब–आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा गया है। विभाग ने हाल ही में अपने नागरिक घोषणा पत्र में संशोधन किया है और इसे भारतीय डाक की वेब साइट पर उपलब्ध कराया है ताकि ग्राहकों द्वारा इसे बेहतर रूप से समझा जा सके।

डाक मंचों, डाक अदालतों की बैठकों तथा विभिन्न सेवाओं की शिकायतों व डाक परियात के अनुपात के विश्लेषण से ग्राहकों की संतुष्टि का अंदाजा लगाया जाता है। हाल ही में किए गए विश्लेषण में पिछले सात वर्षों में विभिन्न सेवाओं के लिए शिकायतों व डाक परियात के अनुपात में अधोमुखी प्रवृत्ति का संकेत है। इसके अलावा, विभाग द्वारा अर्जित राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और घाटे में भी कमी आइ है।

ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने एवं सेवा में निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 'सर्वोत्तम' – जन वितरण सेवा में श्रेष्ठता, जिसमें नागरिक घोषणा पत्र एवं जन शिकायत तंत्र तथा वितरण सेवा क्षमता के क्षेत्रों को सुधारने पर बल दिया गया है, को लागू करने के माध्यम से विभाग द्वारा सक्रिय कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग द्वारा 8263 डाकघर कंप्यूटरीकृत किए गए हैं। इससे ग्राहकों को अपने लेन–देन के लिए काउंटर पर कंप्यूटरीकृत रसीदें प्राप्त होती हैं और कतार में प्रतीक्षा करने का समय कम हो गया है तथा ग्राहक संतुष्टि का स्तर भी सुधर गया है।

भारतीय डाकघर (संशोधन) अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

2494. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग द्वारा भारतीय डाकघर (संशोधन) अधिनियम, में संशोधन करने के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें वित्त मंत्रालय ने डाक विभाग द्वारा यथाप्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 प्रतिशत तक रखने और 150 ग्राम तक के भारतीय डाक टिकटों, पार्सलों और पैकटों के अधिकार विशेष रूप से उन्हीं को देने पर आपत्ति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कौन से मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा नामंजूर नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के स्वास्थ्य की स्थिति

2495. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में असंगठित/अकुशल मजदूरों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा असंगठित/अकुशल मजदूरों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 1 अक्तूबर, 2007 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और उसके परिवार (5 सदस्य की इकाई) को कवर किया जाएगा। प्रति परिवार प्रतिवर्ष कुल बीमा राशि परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000/–रुपये होगी। योजना के तहत लाभ 1 अप्रैल, 2008 से मिलने शुरू होंगे।

रक्षा विनिर्माण इकाईयों की स्थापना

2496. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के वर्तमान उपक्रमों के अतिरिक्त और अधिक रक्षा विनिर्माण इकाईयों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड की पलक्कड़ इकाई ने स्वयं को रक्षा विनिर्माण इकाई के रूप में परिवर्तित करने हेतु कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड की पलक्कड़ यूनिट को रक्षा उत्पादनक हेतु अधिमानप्राप्त उत्पाद यूनिट के रूप में विचार करने तथा भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को रक्षा उद्योग रत्न का दर्जा दिए जाने के लिए अधीनस्थ विधायन समिति, लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ङ) रक्षा मंत्रालय में अधिमानप्राप्त उत्पादन यूनिट की कोई संकल्पना नहीं है। रक्षा उद्योग रत्न का दर्जा किसी उद्योग को नहीं दिया गया है।

एफसीआई की संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग

2497. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की प्रयोग में न लाई जाने वाली भूमि और भवनों का उपयोग करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम ने राजस्व जुटाने के लिए निगम की भूमि तथा सम्पत्ति संबंधी साधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए नीतियों की जांच करने, उसके बारे में प्रस्ताव बनाने तथा उपाय सुझाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है। इस प्रयोजन के लिए गठित कार्य बल ने मार्च, 2008 में अपनी रिपोर्ट दे दी है।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणी में चोरी के मामले

2498. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर की खमरिया स्थित आयुध निर्माणी से बमों के कारतूसों की चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) निर्माणी में मजदूरों तथा ठेकेदारों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए क्या सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 9 फरवरी, 2008 को आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर से 253 पीतल के कारतूसों के गायब होने की रिपोर्ट थी। 11 फरवरी, 2008 को पुलिस स्टेशन, खमरिया, जिला जबलपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(ग) ठेका श्रमिक पहचान युक्त पोशाक पहनते हैं और भोजनावकाश के दौरान अनुभाग प्रभारी के पर्यवेक्षण के अधीन एक स्थान पर रहते हैं। ठेकेदारों को ही प्राधिकृत अधिकारियों/कार्यालयों में जाने की अनुमति है और उनकी आवाजाही प्रतिबंधित है

[अनुवाद]

असंगठित कामगारों के लिए भविष्य निधि की राज्य से सहायता प्राप्त योजनाएं

2499. डा. के. एस. मनोज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए राज्य से सहायता प्राप्त भविष्य निधि योजना (एस.ए.एस.पी.एफ.यू.डब्ल्यू.) प्रारंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने उक्त योजना को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई आपत्तियों, यदि कोई हों, के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के नियोजित एवं स्व-नियोजित कामगारों के लिए असंगठित कामगार भविष्य निधि की 01-01-2001 से प्रभावी राज्य-सहायता प्राप्त स्कीम शुरू की है। जैसा कि राज्य सरकार ने जानकारी दी है, इस स्कीम के महत्वपूर्ण बिन्दू निम्नवत् हैं:-

वर्तमान में 13 नियोजन तथा 8 स्व–नियोजनों को इस स्कीम के तहत शामिल किया गया है तथा जल्दी ही इस स्कीम का दायरा कुछ अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा दिया जाएगा।

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले कामगार इस स्कीम के दायरे में आने का पात्र है।

(i) उसे पश्चिम बंगाल के सूचीबद्ध नियोजनों में नियोजित होना चाहिए/अथवा सूचीबद्ध व्यवसायों में संलग्न होना चाहिए।

(ii) उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(iii) उसकी सभी स्रोतों से औसत पारिवारिक आय 3500/–रूपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) वह कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।

प्रत्येक लाभार्थी इस स्कीम के तहत खाते में प्रतिमाह 20/–रूपये की राशि जमा करता है। राज्य सरकार भी इस खाते में बराबर राशि का अंशदान करती है। राज्य सरकार कुल जमा राशि पर ब्याज भी देती है। लाभार्थी को 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर कुल जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाएगा। किसी लाभार्थी की 55 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसकी मृत्यु होते ही ब्याज के साथ पूरी राशि का उसके नामित/विधिक उत्तराधिकारी को भुगतान कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) असंगठित कामगारों के लिए राज्य की सहायता से चलने वाली भविष्य निधि स्कीम विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य के लिए है। अतः प्रत्येक राज्य को इस बात पर विचार करना है कि वे इस स्कीम को लागू करना चाहेंगे अथवा नहीं।

थल सेना कल्याण आवास संगठन

2500. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना कल्याण आवास संगठन (एडब्ल्यूएचओ) ने सेवारत/सेवानिवृत्त थल सेना कर्मियों और उनकी विधवाओं के लिए आवास बनाने हेतु मेरठ प्राधिकरण से वर्ष 1989 में शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश से भूमि खरीदी थी;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए थल सेना कल्याण आवास संगठन द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण को कितना भुगतान किया गया था;

(ग) क्या भूमि पर घरों के निर्माण करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या घरों के निर्माण में हो रही देरी के लिए किसी पर जिम्मेदार निर्धारित की गई है; और

(च) उक्त भूमि पर घरों का निर्माण कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) सेना कल्याण आवास संगठन को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शताब्दी नगर, मेरठ में अक्तूबर 1989 में 30 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी।

(ख) सेना कल्याण आवास संगठन ने मेरठ विकास प्राधिकरण को 3,82,41,541/– रुपए की राशि का भुगतान किया।

(ग) भूमि पर निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का कब्जा नहीं सौंपा गया है।

(घ) सड़क, विद्युत लाइन, जलापूर्ति तथा जलमल निकास लाइनें जैसी बाह्य सेवाएं विकसित नहीं की गई हैं। इसके अलावा, सम्पूर्ण भू–खण्ड स्थानीय किसानों के कब्जें में था तथा उनके द्वारा उस पर खेती की जा रही थी क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण ने स्पष्टतया भू–स्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया था। अब तक भी भू–खण्ड पूर्णतः विकसित नहीं है तथा पूर्ण रूप से मेरठ विकास प्राधिकरण के कब्जे में नहीं है।

(ङ) सेना कल्याण आवास संगठन ने मेरठ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में मुकदमा दायर किया है।

(च) इस समय मकानों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं सौंपा गया है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी समिति

2501. श्री जशुभाई धानाभाई बारड : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंध एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा गहरे समुद्र में मत्स्यन में इसकी क्या भूमिका है; और

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को सौंपे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) :

(क) से (ग) जी, हां। नवम्बर, 2004 में एक समुद्री मात्स्यिकी संबंधी शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी। इसका गठन तथा विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में हैं। यह एक स्थायी समिति है जो कि गहरे समुद्र में मात्स्यिकी के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेती है और यह एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करती है।

विवरण

समुद्री मात्स्यिकी संबंधी अंतर–मंत्रालयी शक्ति प्राप्त समिति का गठन

1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग	अध्यक्ष
2. सलाहकार (कृषि), योजना आयोग	सदस्य
3. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय	सदस्य
6. अध्यक्ष, एमपीडा, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
7. संयुक्त सचिव, नौवहन मंत्रालय	सदस्य
8. संयुक्त सचिव, संचार मंत्रालय	सदस्य
9. संयुक्त सचिव, (मात्स्यिकी), डीएएचएंडडी	सदस्य
10. संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य
11. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
12. विदेश व्यापार महानिदेशक अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
13. महानिदेशक, तटरक्षक अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
14. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई	सदस्य
15. नौचालन महानिदेशक अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
16. मात्स्यिकी विकास आयुक्त, डीएएचएंडडी	सदस्य–सचिव

विचारार्थ विषय

(1) अनुमति पत्र जारी करने के लिए गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों के निर्माण/आयात के जरिए खरीद द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए भारतीय उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार करना;

(2) क्षेत्र में सयुक्त उद्यम, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकों के विकास तथा मानव संसाधन विकास के लिए मानक निर्धारित करना; तथा

(3) जब भी इसके पास बृहद समुद्री मत्स्य नीति के किसी भी अन्य पहलुओं को क्रियान्वयन के लिए भेजा जाए तो इसके लिए सरकार को सलाह देना।

एचएएल का बोइंग के साथ समझौता

2502. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉक्टिस लिमिटेड (एचएएल) ने लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टरों के सब–सिस्टम को बोइंग को सौंपने हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौसेना हेतु लांग रेंज मेरिटाइम रिकोनेसेन्स (एल. आर. एम. आर.) पेट्रोल एयरक्रांफ्ट की खरीद के लिए बोइंग के साथ बातचीत चल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे समझौते के लागू होने के पश्चात् संभावित सहयोग के नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बोइंग के साथ दिसम्बर 2007 में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें प्रधानतः रक्षा से सम्बद्ध कार्य पैकेजों से संबंधित व्यवसाय अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) दीर्घ रेंज समुद्री टोही विमान की अधिप्राप्ति से संबंधित प्रस्ताव प्रगति पर है।

(ङ) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को संवर्धित निर्यात अवसरों, नई प्रौद्योगिकियों तथा प्रक्रियाओं के विकास तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु बेहतरीन परम्पराओं तथा कौशलों के कार्यान्वयन के माध्यम से लाभ होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. में रिक्त पद

2503. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) में काफी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं और लम्बे समय से इन पर भर्ती नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सर्किल–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में रिक्त पदों का दूरसंचार, स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिक्त पदों और उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। पदों का सृजन और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। कार्यभार एवं स्थिर लाइनों की संख्या में हो रही कमी की वजह से, विशेषकर व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तन के मद्देनजर पूर्णतः आवश्यकता आधारित आंतरिक प्रोन्नतियों एवं बाह्य भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। समूह "ग" तथा "घ" के संवर्गों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, पुनर्गठन से पूर्व के धीरे–धीरे समाप्त होने वाले संवर्ग के अधिकारियों द्वारा धारित पद पुनर्गठन से पूर्व के संवर्ग के कार्मिकों की प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, इत्यादि पर इन पदों को रिक्त किए जाने पर उन्हें समाप्त किया जाना है। इसके अतिरिक्त समूह 'घ' के रिक्त पदों को पात्र अनियत मजदूरों के नियमितीकरण, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एवं किसी कारणवश सरप्लस किए गए "समूह" "घ" स्तर के स्टाफ की पुनः तैनाती द्वारा भरा जाना होता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्थान–वार पदों की संस्वीकृति नहीं दी जाती है। तथापि, समूह–वार रिक्तियां निम्नानुसार हैं:–

समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"	कुल
241	1577	2388	149	4328

(घ) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों से आज तक उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा

क्रम. सं.	निम्न स्थिति के अनुसार	तारशुदा सीधी एक्सचेंज लाइनें	डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	सेल्यूलर	कुल जोड़	रिक्त पद **	कार्यरत स्टाफ
1. .	जनवरी–2008	31607310	4237841	33748599	69593750	39,472	309683
2	मार्च–2007	33738604	3556263	27428658	64723525	33,687	320506
3	मार्च–2006	35422889	2572525	17163761	55159175	36,339	326948
4	मार्च–2005	35859482	1628111	9447357	46934950	38,888	339853

• •

टिप्पणी–

1. पदों का सृजन एवं उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। स्थिर लाइनों की संख्या में हो रही कमी की वजह से सभी श्रेणियों के कुल एवं श्रेणी–वार रिक्त पदों के परिवर्तित हो जाने की संभावना है क्योंकि अधिकांश पदों का संबंध स्थिर लाइन प्रणाली से है।
2. समूह "घ" में उपलब्ध पदों को पात्र नियत मजदूरों के नियमितीकरण, अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्तियों एवं किसी कारणवश सरप्लस हुए समूह "घ" स्तर के स्टाफ की पुनः तैनाती द्वारा भरा जाना है।
3. समूह "ग" एवं "घ" संवर्गों के पुनर्गठन होने से समूह "ग" एवं "घ" पदों पर कार्यरत पुनर्गठन से पूर्व के धीरे–धीरे समाप्त होने वाले संवर्ग के अधिकारियों की प्रोन्नतियों, सेवानिवृत्ति इत्यादि के उपरांत इन पदों के रिक्त होने पर उन्हें समाप्त किया जाना है।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों हेतु भण्डारण सुविधाएं

2504. श्री एस. के. खारवेलथन :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री उदय सिंह :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समुचित भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण देश में भारी मात्रा में फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास किसानों को उनके उत्पाद हेतु उचित मूल्य दिलवाने के लिए फलों और सब्जियों के संगठित विपणन में तथा भण्डारण सुविधाओं हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) उचित भण्डारण सुविधाओं के अभाव में देश में फलों और सब्जियों की अनुमानित क्षति/बर्बादी उत्पादन के 10–30 प्रतिशत के बीच है।

(ग) और (घ) सरकार दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है अर्थात् (i) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन और (ii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसके अधीन फलों और सब्जियों सहित बागवानी उत्पाद के विपणन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास सहित विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है। कटाई पश्चात सुविधाओं जैसे–पैक हाउस, शीतागार, नियंत्रित वातावरण भण्डार आदि की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। सहायता सामान्य क्षेत्रों हेतु पूंजी लागत की 25 प्रतिशत दर से तथा पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों पूंजी लागत की 33.33 प्रतिशत दर से ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता के रूप में है। विपणन अवसंरचना के अधीन ग्रामीण मंडियों/अपनी मंडियों, थोक मंडियों और टर्मिनल मंडियों के विकास के लिए सहायता दी जाती है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पंचायतों में कम्प्यूटरीकरण

2505. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए 2.5 लाख पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2007–08 के दौरान आंध्र प्रदेश में कितनी पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण हो जाएगा तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए तत्संबंधी लक्ष्य क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। पंचायती राज मंत्रालय अगले वर्ष के दौरान सभी ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना बना रहा है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 475 ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए पहल की है। लगभग 855 ग्राम पंचायतों में चरणवद्ध रूप से कम्प्यूटरीकरण करने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

फूड पार्क

2506. श्री इकबाल अहमद सरदगी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने देश में कृषि सेवा फूड पार्क स्थापित करने हेतु एक विशेष उद्देश्यीय वाहन बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) ये फूड पार्क कृषि उत्पाद की कीमतों को रोकने में किस हद तक सहायक होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33 प्रतिशत दर से, जो 4.00 करोड़ रूपए के अध्यधीन होगी, अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत फूड पार्कों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। ये खाद्य पार्क सामान्य सुविधाओं जैसे विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, शीतागार, भण्डारगरण सुविधा, मलनिस्राव उपचार संयंत्र, खाद्य परीक्षण विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला, सामान्य प्रसंस्करण सुविधा आदि के सृजन के कार्य करते हैं। यह मंत्रालय स्वयं फूड पार्क स्थापित नहीं करता है। इस मंत्रालय ने देश में 56 फूड पार्कों के संबंध में वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

एमएफपीआई ने योजना आयोग के लिए स्कीम प्रस्तुत की है, जिसमें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में मेगा फूड पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देना परिकल्पित है। इस स्कीम, जो परियोजना उन्मुख है, का लक्ष्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और फुटकर विक्रेताओं को एक साथ लाने तथा कृषि उत्पादन को मण्डी के साथ जोड़ने के लिए तंत्र प्रदान करना है ताकि वर्धन को अधिक से अधिक, बर्बादी को कम से कम तथा किसान आय में सुधार किया जा सके। मेगा फूड पार्क में सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण क्षेत्र परिकल्पित है, जिसमें समर्थन अवसंरचना के साथ आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाएं और सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। इस स्कीम में मेगा फूड पार्कों के क्रियान्वयन प्रचालन और रख–रखाव के लिए स्टेकहोल्डरों/प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा विशेष प्रयोजन वाहनों का निर्माण परिकल्पित है इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समेकित मूल्य श्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है, जिसमें प्रसंस्करण केन्द्र बिन्दु होगा तथा इस श्रृंखला को अपेक्षित अग्र एवं पश्च सम्पर्कों का समर्थन होगा।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित फूड पार्क का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का क्षेत्र	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदन का वर्ष
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुपपम जिला–चित्तूर	आंन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रेक्चर कारपोरेशन लि.	2001–01
2.	असम	चायगांव, जिला–कामरूप	असम स्माल इन्डस्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.	2000–01
3.	बिहार	हाजीपुर– जिला वैशाली	नार्थ बिहार एरिया डेव. ऑथरिटी, सी/ओ उद्योग विभाग	2002–03
4.	छत्तीसगढ़	गांव टेडसरा, जिला–राजनांदगांव	छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन	2001–02
5.	हरियाणा	साहा, जिला–अंबाला	हरियाणा स्टेट इन्डस्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	2001–02
6.	हरियाणा	राय, जिला–सोनीपत	हरियाणा स्टेट इन्डस्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	2001–02
7.	जम्मू और कश्मीर	खुनमोह, जिला–श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर स्टेट इन्डस्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	2000–01
8.	जम्मू और कश्मीर	सोपोर, बारामुला	जाम्मू और कश्मीर स्टेट इन्डस्ट्री डवेलपमेन्ट कारपोरेशन	2002–03
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू एग्रो इन्डस्ट्री फूड पार्क	2001–02
10.	कर्नाटक	मलुर, जिला–कोलार	मैसर्स इनोवा एग्री–वायो पार्क लि.	2000–01
11.	कनार्टक	बागलकोट	मैसर्स ग्रीन फूड पार्क लि.	2000–01
12.	कर्नाटक	जेवारगी	मैसर्स जेवारगी एग्रो फूड पार्क	2002–03
13.	कर्नाटक	हिरीयूर	मैसर्स अक्षय फूड पार्क लि.	2006–07
14.	केरल	जिला–माल्लापुरम	केरल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रेक्चर कारपोरेशन लि.	1969–67
15.	केरल	अरनूर, जिला– अलाप्पुझुआ	मैरिन प्रोडक्टस इन्फ्रांस्ट्रेक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन पी. ली./सी–फूड पार्क इंडिया लि.	2001–02
16.	केरल	मज्जुवन्नुर, एर्नाकुलम	केरल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रेचर कारपोरेशन लि.	2002–03
17.	केरल	अडूर	केरल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रेक्चर कारपोरेशन लि.	2005–06
18.	मध्य प्रदेश	जग्गखेड़ी, जिला– मंदसौर	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र इन्फ्रास्ट्रेक्चर कारपोरेशन लि.	2000–01
19.	मध्य प्रदेश	निमरानी, जिला–खरगौन	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि.	2001–02
20.	मध्य प्रदेश	पिपरिया, बबई, जिला–होशंगाबाद	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि.	2001–02
21.	मध्य प्रदेश	बेतगांव, जिला–छिन्दवाड़ा	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लि.	2001–02
22.	मध्य प्रदेश	मालनपुर, घिरोंगी, जिला–भिण्ड	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (ग्वालियर) लि.	2002-03

1	2	3	4	5
23.	मध्य प्रदेश	मनेरी, जिला–मण्डला	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लि.	2002-03
24.	महाराष्ट्र	बुटीबोड़ी, जिला–नागपुर	महाराष्ट्र एग्रो इण्डस्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.	2000–01
25.	महाराष्ट्र	विनचुर, जिला–नासिक	महाराष्ट्र एग्रो इण्डस्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.	2001–02
26.	महाराष्ट्र	मौजा गुमथाला, भंडारा रोड, जिला–नागपुर	मैसर्स हल्दी राम कृषि उद्योग प्रा. लि. जिला–नागपुर	2002–03
27.	महाराष्ट्र	गांव सांगवी, जिला–सतारा	मैसर्स एग्रीफूड इन्फार्मेटिक्स (इंडिया) लि. पुना–411013	2002–03
28.	महाराष्ट्र	पालुस, जिला–सांगली जिला–नागपुर	महाराष्ट्र इण्डस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	2003–04
29.	महाराष्ट्र	कापसी, तालुका कामठी, जिला–नागपुर	मैसर्स मां उमियास औद्योगिक सहकारी वसाहट मर्यादित	2005–06
30.	महाराष्ट्र	एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र सेन्द्रा, औरंगाबाद	मैसर्स लक्ष्मी निर्मल प्रतिष्ठान	2006–07
31.	मणिपुर	लाम्फेलपट, इम्फाल	मणिपुर फूड इण्डस्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.	200–2001
32.	मणिपुर	जिला–उखरूल	रिशांग केसिंग फाउण्डेशन फार मैनेजमेण्ट आफ ट्राइबल एरिया	2001–02
33.	मिजोरम	छिन्गचिप	मिजोरम फूड एण्ड एलाइड इण्डस्ट्री	2001–02
34.	नागालैंड	बमुंपुकरी, दीमापुर	प्रोगेसिव रूरल डवलपमेन्ट सोसाइटी	2006–07
35.	उड़ीसा	खुरदा	उड़ीसा इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रेक्चर कारपोरेशन लि.	2001–02
36.	पंजाब	सिरहिन्द, जिला–फतेहगढ़ साहिब	पंजाब एग्री एक्पोर्ट कारपोरेशन	2000–01
37.	राजस्थान	राणपुर, जिला–कोटा	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमि.	2002–03
38.	राजस्थान	बोरनदा, जिला–जोधपुर	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमि.	2002–03
39.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमि.	2003–04
40.	राजस्थान	अलवर	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड, इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमि.	2006–07
41.	तमिलनाडु	विरुद्धनगंर, जिला–मदुरई	वी. पी. एस. अरूयेम्पेरूमाल नादर एण्ड सन्स	2000–01
42.	तमिलनाडु	डिडींगुल, जिला	निलाकोट्टी फूड पार्क लिमि.	2004–05

1	2	3	4	5
43.	त्रिपुरा	बोधजंगनगर, पश्चिमी त्रिपुरा	त्रिपुरा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमि.	2000–01
44.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	वाईस इण्डस्ट्रियल पार्क लिमि.	1999–00
45.	उत्तर प्रदेश	खसरकिओन, जिला–वाराणसी	यूपी स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमि.	2000–01
46.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांनवां, गोरखपुर	गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट ऑथारिटी	2004–05
47.	उत्तर प्रदेश	गांव कुशालीपुर जिला–सहारनपुर	मैसर्स कुशल इन्टरनेशनल लिमि.	2002–03
48.	उत्तर प्रदेश	कुरसी रोड, जिला–बाराबंकी	यूपी स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमि.	2000–01
49.	पश्चिम बंगाल	चकगरिया, 24 परगना (दक्षिण)	स्टेट फिशरमेन्स कोआपरेटिव लिमि. कोलकता	1989–99
50.	पश्चिम बंगाल	दनकुनी, जिला–हुगली	मदुलार कन्सलटेन्ट प्रा. लिमि.	1996–97
51.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया, जिला–मिदनापुर	हल्दिया डेवलपमेन्ट ऑथरिटी, हल्दिया	2002–03
52.	पश्चिम बंगाल	सुलतानपुर, दक्षिण 24 परगना	स्टेट फिशरमेन्स कोआपरेटिव लिमि. कोलकाता	2003–04
53.	पश्चिम बंगाल	मालदा	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	2003–04
54.	पश्चिम बंगाल	शंकरपुर, जिला–पुरबा मिदनापुर	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	2004–05
55.	पश्चिम बंगाल	संखरैल हावड़ा	इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमि.	2004–05
56.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	मैसर्स पाटका इण्डस्ट्री लिमि.	2005–06

लाल मिर्च का न्यूनतम समर्थन मूल्य

2507. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश के किसानों को लाल मिर्च के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें केन्द्र सरकार के हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने लाल मिर्च के न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार देश के लिए 25 जिंसों की उचित औसत गुणवत्ता किस्मों के लिए समग्र रूप से न कि राज्यवार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सरकार लाल मिर्च के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं करती है।

अन्य फसलों, जिनमें लाल मिर्च शामिल है, के मामले में, सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन करती है जिसका उद्देश्य अपने उत्पाद की संकट बिक्री की स्थिति में किसानों के हितों की सुरक्षा करना है। किसी विशेष जिंस के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को प्रारम्भ करने का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से विशेष अनुरोध की प्राप्ति पर लिया जाता है। एक जिंस के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना एक विशेष अवधि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्य पर प्रापण क्रियाओं हेतु कार्यान्वित की जाती है। लाभ–हानि, यदि कोई है, को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा मिल–जुलकर वहन की जाती है।

(ग) बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत, कर्नाटक सरकार से लाल मिर्च के प्रापण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना को बंद करना

2508. डा. के. एस. मनोज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन योजना को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेंशन भोगियों को संराशन (कम्प्यूटेशन) अवधि पूरी होने के बाद भी वार्षिक वृद्धि और पूर्ण पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन योजना से छूट प्राप्त करने का विकल्प मुहैया कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 एक बीमांकक निर्मित स्कीम है जिसमें लाभ बीमांकन सिद्धांत के आधार पर दिए जाते हैं। इसलिए इस स्कीम में पूर्व–निर्धारित वार्षिक वेतन–वृद्धि/मूल पेंशन के पुनःस्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल

2509. श्री एस. के. खानवेनथम :
श्री महावीर भगोरा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) ने देश में सुपर–स्पेशिएलिटी अस्पतालों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं सहित तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर तमिलनाडु में ऐसे और अस्पतालों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) ऐसे अस्पतालों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल अस्पताल कॉम्पलेक्स, कोल्लम, केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक उच्च विशेषज्ञता अस्पताल स्थापित किया है। इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी और नेफरोलॉजी से संबंधित उच्च विशेषज्ञता सेवाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। अन्य उच्च विशेषज्ञता सेवाओं को आवश्यकता के अनुसार शुरू किया जाएगा।

(ग) से (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा देश के विभिन्न भागों में जोनल उच्च विशेषज्ञता अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सनथ नगर कॉम्पलेक्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में दक्षिण जोन के लिए उच्च विशेषज्ञता अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। अनुभव के आधार पर देश के अन्य भागों में उच्च विशेषज्ञता अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में तमिलनाडु में उच्च विशेषज्ञता अस्पताल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सनथ नगर, हैदराबाद में उच्च विशेषज्ञता अस्पताल संभवतः तीन वर्ष के बाद कार्य करना आरम्भ कर देगा। सनथ नगर उच्च विशेषज्ञता अस्पताल के अनुभव के आधार पर और अधिक उच्च विशेषज्ञता अस्पतालों की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

घटिया दूरसंचार सेवा

2510. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ महीनों में दूरसंचार क्षेत्र की सेवा गुणवत्ता में तीव्र ह्रास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सितंबर, 2007 और दिसम्बर, 2007 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को सौंपी गई बुनियादी और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की कार्य–निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्ट और प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन संकुलन रिपोर्टों के अनुसार गत कुछ महीनों में दूरसंचार क्षेत्र की सेवा की गुणवत्ता में कोई तीव्र गिरावट नहीं हुई है।

(ग) दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

i. ट्राई ने जुलाई, 2000 में सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम जारी किया था और बाद में जुलाई, 2005 में इसे संशोधित किया था

ताकि बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए पीओआई संकुलन सहित सेवा की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न मानदंडों के लिए बेंचमार्क बनाया जा सके।

ii. बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के कार्य–निष्पादन की मॉनीटरिंग तिमाही कार्य–निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों और मासिक संकुलन रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है।

iii. एक स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से बुनियादी और सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं की सेवा संबंधी गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन कराया जाता है। इन संपरीक्षणों और सर्वेक्षण के परिणाम जनता/स्टेकहोल्डरों की जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं।

iv. ट्राई सेवा प्रदाताओं के साथ होने वाली विभिन्न बैठकों में सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा करने में आने वाली कमियों पर विचार करने हेतु सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

दिहाड़ी कामगारों को क्षतिपूर्ति एवं पेंशन लाभ

2511. श्रीमती मेनका गांधी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम कल्याण बोर्ड नियमों में यह प्रावधान है कि दिहाड़ी कामगार की मौत की पुष्टि होने पर ठेकेदार द्वारा मृतक के परिवार को उचित क्षतिपूर्ति तथा पेंशन लाभ दिए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कामगारों को नियमों के अन्तर्गत विशेषः हताहत होने के मामले में उनके अधिकारों के बारे में सूचना देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलबंध अधिनियम, 1952 के साथ–साथ कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों में और 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले) तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (कारखानों, खानों, बगानों, मशीन चलित वाहनों, निर्माण कार्यों और कतिपय अन्य जोखिमकारी व्यवसायों में) हैं।

दोनों अधिनियमों के तहत नियमित और नैमित्तिक श्रमिक में कोई विभेद नहीं किया जाता। तथापि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में ठेका श्रमिक की मृत्यु की दशा में पीड़ितों के परिवार को कोई क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान नहीं है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का उद्देश्य अधिनियम के दायरे में आने वाले औद्योगिक और अन्य श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को, असामयिक मृत्यु की स्थिति में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

उक्त अधिनियम के तहत, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में पीड़ित परिवार के लाभार्थ पेंशन की व्यवस्था है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में रोजगार के कारण और रोजगार के दौरान श्रमिकों और उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था है बशर्ते वे इस प्रकार घायल या दुर्घटनाग्रस्त हुए हों कि अशक्त हो गए हों या उनकी मृत्यु हो गयी है; इनमें कतिपय व्यवसायजन्य रोग भी शामिल हैं। यह अधिनियम रेलवे कर्मचारियों और ऐसी किसी भी क्षमता में नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है जिनमें कारखानों/खानों, बागानों, मशीन चलित वाहनों, निर्माण कार्यों और कतिपय अन्य जोखिमकारी व्यवसायों में नियोजित व्यक्ति भी शामिल हैं। स्थायी पूर्ण अपंगता और मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति की न्यूनतम दरें क्रमशः 90 हजार रूपये और 80 हजार रूपये निर्धारित की गयी है। मृत्यु और स्थायी पूर्ण अपंगता के लिए अधिकतम राशि क्रमशः 4.56 लाख रुपये और 5.48 लाख रुपये हो सकती है जो कर्मकार की उम्र और मजदूरी पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) श्रमिकों को सूचित करने की कोई विनिर्दिष्ट योजना नहीं है किन्तु ऐसे कई त्रिपक्षीय मंच हैं जिनके जरिए ऐसे संदेशों पर चर्चा की जाती है और उनका प्रसार किया जाता है।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाएं

2512. श्री राजनरायन बुधैलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में आत्महत्या प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) एक अंतःमंत्रालयी केन्द्रीय अध्ययन दल ने वास्तविक स्थिति तथा विभिन्न मध्यावधिक और दीर्घावधिक सूखा शमन कार्यक्रमों/स्कीमों का जायजा लेने तथा कार्यनीति और विभिन्न उपाय जो वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए क्षेत्रों हेतु उपयुक्त कृषि विकास के लिए अपेक्षित है, की सिफारिश करने के लिए जनवरी, 2008 के चौथे सप्ताह में बुंदेलखण्ड क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले तथा फरवरी,

2008 के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्रों का दौरा किया है। दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

सुरक्षा के खतरे के बारे में नौ सेना आसूचना की रिपोर्ट

2513. डा. टोकचोम मैन्या : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अनियमित रूप से पोतों को तोड़ने के कारण सुरक्षा को होने वाले खतरे के संबंध में नौ सेना आसूचना की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोतों को तोड़ने के इस लाभप्रद व्यवसाय में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों के संलिप्त होने की संभावना संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस प्रकार के कार्यकलापों की संवीक्षा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के एंटनी) : (क) से (ङ) विगत में ऐसी सूचना थी जिसमें अलग में अविनियमित रूप से पोतों को तोड़ने के कारण सुरक्षा के प्रति संभावित चिंताओं को दर्शाया गया था। तथापि, चूंकि भारतीय नौसेना पोतों को तोड़े जाने संबंधी कार्यकलाप नहीं करती है, इसलिए यह सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए देश की अन्य आसूचना एजेंसियों को दी गई थी।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपायों हेतु निधियां

2514. श्री सर्बानंद सोनोवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और 2007-08 के दौरान असम में ब्रह्मपुत्र और बारक घाटी दोनों में प्रत्येक बरसाती मौसम प्रारम्भ होने से पहले संरक्षात्मक उपाय करने के लिए आवश्यक निधियां जारी कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य करने के लिए जिन एजेन्सियों को दायित्व सौंपा गया है, उनके नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने "राज्य क्षेत्र के तहत ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी स्कीम" के तहत विगत 3 (तीन) वर्षों के दौरान असम सरकार को 90:10 की वित्त पोषण पद्धति (90% केन्द्रीय अंशदान और 10% राज्य अंशदान) के अनुसार केन्द्रीय सहायत उपलब्ध कराई है। विगत 3 (तीन) वर्षों के दौरान असम को उपलब्ध कराई गई निधियां निम्नानुसार हैं;

(करोड़ रू. में)

2004-05	2005-06	2006-07	कुल
9.3000	30.2400	39.2782	78.8182

वर्ष 2007-08 के दौरान, बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंध कार्यों को प्रारंभ करने वाली राज्य क्षेत्र स्कीम-"बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ पहली किस्त के रूप में 97.83 करोड़ रू. राशि की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी करने के लिए असम सरकार की 75 पात्र स्कीमें प्रस्तुत की गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई निधि से असम में निम्नलिखित बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी कार्य प्रारंभ कर दिए हैं।

1. धोला-हातीधुली में ब्रह्मपुत्र नदी का एवल्शन
2. माजुली द्वीप चरण-1 का संरक्षण
3. नगरीजुली, रंगिया कस्बा, मुकालमुवा-बोरभाग, क्षेत्र के बोरनाड़ी/पुथिमारी नागरिजुली नदी का बाढ़ और कटाव से संरक्षण

उपर्युक्त स्कीमों के संबंध में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार

(करोड़ रू. में)

2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जनवरी 08 तक)
2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जनवरी 08 तक)
10.12	10.25	13.56	12.89

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों के लिए राजसहायता

2515. श्री के. सुब्बारायन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के लिए बिजली पर राजसहायता से लाभान्वित होने वाले छोटे तथा मंझोले किसानों सहित किसानों की संख्या और प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार बड़े किसानों के लिए मीटरिंग तथा शुल्क आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65, राज्य सरकारों को राज्य आयोग के द्वारा लगाए गए टैरिफ में किसी भी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं के वर्ग को किसी भी प्रकार का अनुदान, इस प्रकार की अनुदान की राशि के वितरक कम्पनी के मुआवजे को पूरा करने के साथ, देने का अधिकार प्रदान करता है। विद्युत का वितरण राज्य सरकारों का दायित्व है। कृषि क्षेत्र में अनुदानों पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा एकत्र की गई सूचना में, किसानों जिनमें छोटे तथा मध्यम किसान, जो कृषि के लिए ऊर्जा पर अनुदान से लाभान्वित होते हैं, शामिल हैं, की संख्या तथा प्रतिशतता के बारे में विवरण नहीं रखा जाता।

(ख) और (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55, में प्रावधान है कि कोई भी लाइसेंसी निश्चित तिथि अर्थात 10.6.2003 से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात, सिवाए इस बारे में प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार, एक सही मीटर की स्थापना के माध्यम के बगैर विद्युत आपूर्ति नहीं करेगा। तथापि, राज्य विद्युत विनियामक आयोग, अधिसूचना के द्वारा, दो वर्षों की कथित अवधि व्यक्तियों के एक वर्ग अथवा वर्गों अथवा किसी क्षेत्र के लिए जैसा कि विशिष्ट रूप से कहा गया हो, के लिए बढ़ा सकता है।

झींगा मछली फार्म

2516. डा. के. धनराजू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्वाकल्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में झींगा मछली फार्मों का निकट अनुवीक्षण करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक झींगा मछली फार्मों के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, केरल आदि जैसे राज्यों के तटीय जिलों में अवैध झींगा मछली फार्मों के लिए सरकारी भूमि के अतिक्रमण की घटनाएं सामने आई हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। तटीय जलकृषि प्राधिकारण तटीय क्षेत्रों में झींगा/प्रॉन पालन पर निगरानी तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रखता है। प्राधिकरण ने दिसम्बर, 2005 में अपने अस्तित्व में आने के बाद से फरवरी, 2008 तक 3292 झींगा फार्मों को किया है।

(ग) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, २००५ के अनुसार कोई भी व्यक्ति झींगा/प्रॉन पालन सहित तटीय जलकृषि तब तक नहीं चलाएगा जब तक कि वह अपने फार्म को प्राधिकरण के पास पंजीकृत न करा ले। तटीय क्षेत्रों में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों की जांच–पड़ताल जिला और राज्य स्तर समितियों द्वारा की जाती है और भूमि के स्पष्ट स्वामित्व के बिना वाले झींगा फार्मों को प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं कराया जा सकता।

उद्योगों द्वारा जल उपयोग संबंधी नीति

2517. श्री मधु गौड़ यास्की : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों द्वारा कच्चे जल के उपयोग हेतु किसी उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकलें; और

केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) भूजल के बड़े उपभोक्ताओं के लिए किफायती उपयोग के लिए विनियमन और साथ ही प्रोत्साहन के लिए भी ढांचा रखने वाले उद्योगों के लिए जल संबंधी एक नीति के संबंध में सुझाव देने के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद के निर्णय के अनुसार एक उप–समिति का गठन किया गया। उप–समिति की विभिन्न सिफारिशों पर विचार–विमर्श करने के लिए कार्यशालाए आयोजित की गई हैं।

सेवा कर लगाया जाना

2518. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लैण्ड लाइन तथा ब्रॉड बैण्ड उपभोक्ताओं पर सेवा–कर लगाए जाने के कारण हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए पहले ही इसकी कीमत अदा कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास सेवा–कर को हटाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) सेवा–कर करयोग्य सेवाओं पर लगाया जाता है जिनमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के साथ पठित धारा 65 (105) के तहत विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं। तदनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा प्रदत्त दूरसंचार सेवाएं सेवा–कर लगाने योग्य हैं। इस समय, उक्त करयोग्य सेवाओं पर सेवा–कर हटाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

महत्वपूर्ण मिसाईल प्रौद्योगिकी का विकास

2519. श्री नवीन जिन्दल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) ने मिसाइल प्राणाली के लिए कम्पोजिट रॉकेट मोटर कैसिंग का विकास कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिसाइल प्रौद्योगिकी में इस सफलता से क्या लाभ होने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) द्वारा प्रक्षेपास्त्र प्रणोदय प्रणाली के लिए एक मीटर व्यास वाली कम्जोजिट मैटिरियल रॉकेट मोटर का विकास तथा स्थैतिक परीक्षण किया गया है।

(ग) कम्पोजिट मैटिरियल रॉकेट मोटर भार में हल्की है और इसे निर्मित करना आसान है।

खाद्य पर्याप्तता पर एन एस एस ओ अध्ययन

2520. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान (एन एस एस ओ) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को खाद्य अपर्याप्तता के मामले में विशेषकर ग्रामीण कुटुम्बों के मामले में शीर्षस्थ राज्यों की सूची में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो एन एस एस ओ द्वारा राज्य–वार पृथक रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य अपर्याप्तता के विषय में किए गए सर्वेक्षण के ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) उक्त सर्वेक्षण के माध्यम से उद्घाटित अपर्याप्तता के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नेवल इवेन्ट मिलन 2008

2521. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेवल इवेन्ट मिलन 2008 का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस इवेन्ट में भाग लिया था; और

(ग) गत इवेन्ट के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गई?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) जनवरी, 2008 में कुछ विदेशी राष्ट्रों की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना ने, पोर्ट ब्लेयर में 'मिलन 2008' नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया था। 'मिलन 2008' में ग्यारह राष्ट्रों अर्थात आस्ट्रेलिया, ब्रूनी, बंगलादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम के पोतों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अवधि के दौरान एक सेमिनार भी किया गया था जिसमें समुद्री सुरक्षा, समुद्री परिवेश और आपदा प्रबंधन से संबंधित आम चिन्ता के मुद्दे उठाए गए थे।

पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का असर

2522. श्री पी. सी. थामस : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हाल में ही हुई वृद्धि के कारण उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पेट्रोलियम मूल्य में वृद्धि से पहले और बाद में उक्त वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें क्या है; और

(ग) पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि के असर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) उपभोक्ता मदों, सेवाओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के प्रभाव को अन्य कारकों के प्रभाव को समय बीत जाने के बाद भी महसूस किया जा सकता हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि (15.2.2008) से वृद्धि का कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि विवरण में दिए गए ब्यौरे से देखा जा सकता है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं पर पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

(15.2.2008 की स्थिति के अनुसार)

(रुपए प्रति कि.ग्रा.)

	वृद्धि से पूर्व		जब से वृद्धि हुई	वृद्धि के बाद	
	7.2.2008	14.2.2008	15.2.2008	18.2.2008	22.2.2008
चावल	17.00	17.50	17.50	17.50	18.00
गेहूं	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
आटा	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
चना दाल	35.00	34.00	34.00	34.00	34.00
तूर दाल	42.00	41.00	41.00	41.00	41.00
मूंग दाल छिलका	36.00	36.00	36.00	36.00	37.00
उड़द दाल छिलका	37.00	37.00	37.00	38.00	37.00
मसूर दाल छिलका	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
चीनी	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
मूंगफली का तेल	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
सरसों का तेल	69.00	70.00	70.00	69.00	70.00
वनस्पति	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
चाय (खुली)	107.00	108.00	108.00	107.00	107.00
दूध	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
आलू	8.50	7.00	7.00	8.00	8.00
प्याज	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00
नमक (पैक)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

स्रोत : दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

[हिन्दी]

खाद्यान्न भण्डार

2523. श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव :
श्री वी. के. दुग्गर :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदामों में खाद्यानों के स्टाक को ठीक ढंग से न रखने के संबंध में कोई मामला ध्यान में जाने पर कोई जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कितनी जांच की गई;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें समय पर ध्यान न दिए जाने के कारण खाद्यान्न खराब हुआ और

(घ) कितने व्यक्तियों को इसके लिए दोषी पाया गया और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान इस प्रकार की 5 जांच की गई थी।

(ग) इस प्रकार के कोई मामले नहीं हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के 14 चूककर्ता कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

[अनुवाद]

अवसंरचना की भागीदारी

2524. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.)/भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा देश में राज्य-वार, विशेषकर गुजरात राज्य में कितने मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास देश में मोबाईल सेवाओं के लिए टावरों की भागीदारी करने सहित निष्क्रिय अवसंरचना की भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) बीएसएनएल ने गुजरात राज्य में 1873 टावरों सहित कुल 30, 595 मोबाइल टावर स्थापित किए हैं। इनका ब्योरा विवरण-I में दिया गया है। एमटीएनएल ने आज की तारीख तक दिल्ली में 897 और मुम्बई में 746 मोबाइल टावर स्थापित किए हैं।

(ख) और (ग) बीएसएनएल गुजरात सर्किल एयरटेल के साथ पारस्परिक आधार पर 7 टावरों की भागीदारी करता है और महाराष्ट्र में एयरटेल वोडाफोन और आइडिया के साथ पारस्परिक आधार पर 14 टावरों की भागीदारी की जाती है। (विस्तृत सूची विवरण-II में संलग्न है)।

बीएसएनएल ने देश के विभिन्न भागों में मोबाइल सेवाओं के लिए निष्क्रिय अवसंरचना हेतु छह अवसंरचना प्रदाताओं अर्थात मैसर्स जीटीएल, मैसर्स एस्सार, मैसर्स विपो, मैसर्स एक्सेल, मैसर्स टीबीएस और मैसर्स एस्टर के साथ करार किया है। अभी तक भागीदारी के आधार पर कोई टावर नहीं लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल ने 6175 मोबाइल टावरों की व्यवस्था करने के लिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ), दूरसंचार विभाग के साथ करार किया है जिसकी भागीदारी अन्य मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ, देश के विभिन्न भागों में, यूएसओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मोबाइल/वायरलैस सेवाएं प्रदान करने के लिए की जाएगी।

दिल्ली में, एमटीएनएल आज की तारीख तक विभिन्न निजी प्रचालकों के 21 बीटीएस स्थलों की भागीदारी करता है और इसी प्रकार एमटीएनएल दिल्ली के 6 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थलों पर स्थित अवसंरचना की विभिन्न निजी प्रचालकों द्वारा भागीदारी की जाती है।

मुंबई में, एमटीएनएल अन्य मोबाइल प्रचालकों तथा स्वतंत्र अवसंरचना प्रदाताओं के साथ बीटीएस स्थलों के लिए निष्क्रिय अवसंरचना की भागीदारी करने संबंधी कार्रवाई कर रहा है। एमटीएनएल, मैसर्स जीटीएल इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा संस्थापित एक स्थल की पहले से भागीदारी कर रहा है। अफजल कंपाउंड में, मुम्बई एमटीएनएल द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ स्थलों की भागीदारी के लिए करार किया जा चुका है। एमटीएनएल बीटीएस स्थलों की निष्क्रिय अवसंरचना की भागीदारी हेतु अन्य प्रचालकों के साथ भी बात कर रहा है।

विवरण-I

बीएसएनएल की मोबाइल टावरों की सूची (सर्किलवार)

क्र. सं.	सर्किल	बीएसएनएल द्वारा स्थापित मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	70
2.	आन्ध्र प्रदेश	1859
3.	असम	741
4.	बिहार	1039
5.	छत्तीसगढ़	605
6.	गुजरात	1873
7.	हरियाणा	1014
8.	हिमाचल प्रदेश	481
9.	जम्मू-कश्मीर	524

1	2	3
10.	झारखण्ड	554
11.	कर्नाटक	1683
12.	केरल	2017
13.	मध्य प्रदेश	1168
14.	महाराष्ट्र	2857
15.	पूर्वोत्तर – I	281
16.	पूर्वोत्तर– II	212
17.	उड़ीसा	1034
18.	पंजाब	1059
19.	राजस्थान	2030
20.	तमिलनाडु	2012
21.	उत्तरांचल	440
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2751
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	1218
24.	पश्चिम बंगाल	1244
25.	कोलकाता	754
26.	चैन्नै	675
	कुल बीएसएनएल	30595
27.	दिल्ली	897
28.	मुम्बई	746
	कुल एमटीएनएल	1643

विवरण-II

बीएसएनएल का महाराष्ट्र टेलीकॉम सर्किल

मुम्बई

क्र. सं.	साझा स्थल का नाम	निजी प्रचालक का नाम
1.	आरमबोल	एयरटेल
2.	मजोर्दा	एयरटेल
3.	गोआ वेल्लाह	एयरटेल
4.	वास्को एयरपोर्ट	एयरटेल
5.	ओर्लिम (चार्का)	एयरटेल
6.	जोशी बिल्डिंग (वास्को)	आइडिया
7.	पोंडा–मडगांव–एच/डब्ल्यू (बेटिम)	आइडिया
8.	फटोर्डा	आइडिया
9.	करटोरिम	आइडिया
10.	मारूति मंदिर	हच वोडाफोन
11.	भूतनाथ मंदिर	हच वोडाफोन
12.	क्रांति नगर पोरवोरिम	हच वोडाफोन
13.	कैलंगुट प्लांट लीफ	हच वोडाफोन
14.	चावडी (कंकोना)	हच वोडाफोन

गुजरात दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	एसएसए	एसडीसीए	कस्बा या शहर	बीटीएस का नाम	शहरी/ग्रामीण	टावर की किस्म
1.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	शहर	कृतिका विद्यालय ठक्करबापा नगर	शहरी	एयरटेल
2.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	शहर	नव चेतन स्कूल	शहरी	एयरटेल
3.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	शहर	प्रसाद एवेन्यू	शहरी	एयरटेल
4.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	शहर	सयोना प्लाजा	शहरी	एयरटेल
5.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	शहर	शिवाज गांव अहमदाबाद	ग्रामीण	एयरटेल
6.	भुज	भुज	शहर	चंद्रमोली अपार्टमेंट	शहरी	एयरटेल
7.	भुज	भुज	कस्बा	निर्जापुर	ग्रामीण	एयरटेल

जल का उपयोग

2525. श्री रघुनाथ झा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल को उपयोग लायक बनाने की उपयुक्त तकनीक की कमी के कारण काफी जल बेकार चला जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस अप्रयुक्त जल को उपयोग लायक बनाने हेतु उपयुक्त तकनीक के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) देश में औसत वार्षित जल उपलब्धता 1869 विलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आंकी गई है परंतु उपयोग योग्य जल की मात्रा लगभग 1123 बीसीएम आंकी गई है। मुख्य रूप से स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण सभी उपलब्ध जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है। उपयोग योग्य जल संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नदियों को परस्पर जोड़ने के जरिए जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल अंतरण द्वारा बाढ़ के अधिशेष जल का उपयोग करने, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे विभिन्न उपायों की योजना की गई है।

[हिन्दी]

विश्व खाद्य कार्यक्रम

2526. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की सहायता से देश के कुछ भागों में चलाए जा रहे विश्व खाद्य कार्यक्रम को आगामी वित्त वर्ष में समाप्त किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त कार्यक्रम के समाप्त होने से किन-किन राज्यों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि उक्त योजना का लाभ प्रभावित लोगों तक पहुंचता रहे, कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम पंचवर्षीय कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। मौजूदा कार्यक्रम मार्च, 2008 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1.4.2008 से पंचवर्षीय संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम 2008-2012 प्रारंभ होगा, जो मौजूदा कार्यक्रम के दो घटक नामतः कार्य के बदले अनाज तथा शिक्षा गतिविधियों के बदले अनाज के अलावा होगा।

(ख) खाद्य सुपुर्दगी की रणनीति को सहमति से परिवर्तित कर तकनीकी सहायता करने, सरकारी कार्यक्रमों के साथ द्विरावृत्ति (मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन आदि) होने, बाह्य संसाधनों के घटते स्तर और मध्यकालिक मूल्यांकन मिशन की सिफारिश (जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के दो घटकों को समाप्त कर दिया गया) के फलस्वरूप वन कार्य के बदले अनाज तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के बदले अनाज के तहत क्रमशः सात राज्य नामतः गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश और पांच राज्य नामतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड प्रभावित हो जाएंगे।

(ग) और (घ) संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य के अगले देशीय कार्यक्रम, 2008-2012 की सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संयुक्त तौर पर परिकल्पना की गई है जिसमें निम्नलिखित पर जोर डालते हुए तीन घटक शामिल हैं अर्थात् (i) खाद्य सुरक्षा के लिए क्षमता विकास (ii) समन्वित बाल विकास योजना को समर्थन और (iii) जीविका संबंधी गतिविधियों को समर्थन :-

(i) समन्वित बाल विकास योजना के खाद्य तथा स्थानीय तौर पर पकाए गए मध्याह्न भोजन का पौष्टिकरण, ग्रामीण अनाज बैंक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण, ग्रामीण मिलों के जरिए आटा का पौष्टिकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण जैसी खाद्य आधारित राष्ट्रीय कल्याण योजनाओं का प्रभावकारी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता को इष्टतम बनाना।

(ii) मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में समन्वित बाल विकास योजना के समर्थन में सीमित खाद्य सुपुर्दगी को जारी रखना।

(iii) वन कार्य के बदले अनाज को समाप्त करने के कारण प्रभावित सात राज्यों में मार्च, 2010 तक निधियां जुटाने वाली गतिविधियों को जारी रखना।

(iv) कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि के साथ सहभागिता कर उड़ीसा, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों को सहायता जारी रखना।

(v) निधि उपलब्ध होने पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए औसत से अधिक कुपोषण दरों वाले राज्यों में खाद्य आधारित राष्ट्रीय कल्याण योजनाओं को लक्षित करना।

[अनुवाद]

अन्य देशों के साथ नौसेना का संयुक्त फोरम

2527. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री देविदास पिंगले :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए अन्य देशों के साथ नौसेना की संयुक्त फोरम शुरू करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे देशों की संख्या कितनी है जिनके साथ उक्त समुद्रीय सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) हिन्द महासागर क्षेत्र में संरक्षा, सुरक्षा और स्थिरता की स्थिति का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारतीय नौसेना ने हिन्द महासागर क्षेत्र की अन्य नौसेनाओं (और जिन देशों की कोई औपचारिक नौसेना नहीं है उनके संदर्भ में उनके समुद्री सुरक्षा संगठनों) के साथ हिन्द महासागर नौसेना परिसंवाद (आई ओ एन एस) शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना ने, फरवरी, 2008 में नई दिल्ली में 'आई ओ एन एस सेमिनार, 2008' नामक प्रथम सेमिनार का आयोजन किया जिसमें भारत सहित हिन्द महासागर क्षेत्र के अधिकांश समुद्रवर्ती देशों के 26 अध्यक्षों/नौसेना अध्यक्षों/उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

भारत तथा कनाडा के बीच
समझौता ज्ञापन

2528. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा कनाडा सरकार ने कृषि में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत और कनाडा कृषि तथा समवर्गी क्षेत्रों, जिनमें उभर रही प्रौद्योगिकियां; कृषि विपणन तथा पशु विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं; में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर बातचीत करने के लिए परामर्श कर रहे हैं।

आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली

2529. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री के.एस. राव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 2007 में नौ दिवसीय आकाश प्रक्षेपास्त्र अभियान आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं;

(ग) क्या थल सेना तथा वायुसेना जैसे प्रयोक्ताओं के मन में आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की तैयारी तथा प्रभाविता के संबंध में कोई आशंका/भ्रम है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अभियान से इस आशंका/भ्रम को दूर करने में कितनी सहायता मिली?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) वायुसेना प्रयोक्ता उड़ान परीक्षण 11–20 दिसंबर, 2007 तक चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण रेंज में आयोजित किए गए थे और सभी परीक्षण उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिए गए थे। निर्धारित उत्पादन एजेंसी से आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की अधिप्राप्ति के मामले पर वायुसेना द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) वायुसेना अपने प्रयोक्ता परीक्षणों के आधार पर आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों की अधिप्राप्ति के मामले पर कार्रवाई कर रहा है। सेना ने सूचित किया है कि वे आकाश शस्त्र प्रणाली को शामिल करने का अंतिम निर्णय वायुसेना प्रयोक्ता परीक्षणों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद लेंगे।

(ङ) इस अभियान से "रिप्पल" मोड में लक्ष्य पर केन्द्रित करने सहित विभिन्न उड़ान स्थितियों के तहत उड़ान लक्ष्यों के सामने क्षेत्र रक्षा भूमिका में आकाश शस्त्र प्रणाली की तैयारी और प्रभावकारिता निर्णायक रूप से स्थापित हुई है।

[हिन्दी]

जैव-उर्वरक

2530. श्री सुभाष महरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैव–उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जैव उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय आर्गेनिक खेती परियोजना (एनपीओएफ) के अधीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, फील्ड प्रदर्शनों, किसान मेलों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों तथा प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिए प्रचार के माध्यम से जैव-उर्वरकों सहित आर्गेनिक आदानों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) एमपीओएफ के अधीन, जैव–उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से प्रति इकाई 20.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर पर ऋण संबद्ध और पार्श्वांत राजसहायता मुहैया कराई जा रही है। जैव–उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों, राज्य सरकार की एजेंसियों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय सहायता सीधे मुहैया कराई जा रही है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर घाटी प्राधिकरण

2531. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर घाटी प्राधिकरण के गठन की व्यवहार्यता की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसानों को जल संचयन संबंधी सहायता प्रदान हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कदम उठाए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 के दौरान पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण (न्यूरा) के गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया था। और यह प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। अरूणाचल प्रदेश (ए.पी.) की राज्य सरकार को प्रस्तावित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र, संरचना आदि पर कुछ आपत्तियां थीं। तदनुसार, अरूणाचल प्रदेश सरकार की और से न्यूरा के संबंध में जताई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों का एक सेट तैयार करने और राज्य के लिए पर्याप्त प्रतिपूरक तंत्र प्रदान करने के लिए फरवरी, 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, विद्युत मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय से सदस्य वाले एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। अरूणाचल प्रदेश सरकार की आपत्तियों पर विचार करते हुए संरचना, कार्यों और प्रोत्साहनों में आशोधन के लिए इसकी सिफारिशें देते हुए कार्यकारी दल की रिपोर्ट जुलाई, 2006 में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट पर माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव द्वारा 18.8.2006 को बुलाई गई अन्तर मंत्रालयी बैठक में चर्चा की गई। तत्पश्चात अरूणाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने और न्यूरा का गठन करने के माध्यम से क्षेत्र का एकीकृत विकास के संबंध में चर्चा करने और सर्वसम्मति विकसित करने के लिए दिसम्बर, 2006 में एक उच्च स्तरीय दल (एचएलजी) का गठन किया जिसमें माननीय जल संसाधन मंत्री इसके अध्यक्ष तथा अरूणाचल प्रदेश व असम के माननीय मुख्य मंत्री, माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग और माननीय सदस्य (जल संसाधन एवं ऊर्जा), योजना आयोग इसके सदस्य हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण 2004–05 के लिए अनुसार देश में 20,000/–रुपये की औसत लागत से 24,500 जल संचयन संरचनाएं प्रदान करने के लिए 49 करोड़ रुपये की 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के किसानों के लिए जल संचयन स्कीम' अनुमोदित की गई जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल किए गए। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को उनके खेतों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है। आठ पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित वर्षवार स्कीमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जल संचयन स्कीमों के संबंध में वर्षवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति (30.09.2007 को)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07		वर्ष 2007–08 (31.3.2007 से पहले नाबार्ड द्वारा स्वीकृत यूनिटें)		कुल	
		वास्तविक (यूनिटों की सं.)	वित्तीय नाबार्ड द्वारा जारी सब्सिडी की राशि (रुपये लाख में)	वास्तविक (यूनिटों की सं.)	वित्तीय नाबार्ड द्वारा जारी सब्सिडी की राशि (रुपये लाख में)	वास्तविक (यूनिटों की सं.)	वित्तीय नाबार्ड द्वारा जारी सब्सिडी की राशि (रुपये लाख में)	वास्तविक (यूनिटों की सं.)	वित्तीय नाबार्ड द्वारा जारी सब्सिडी की राशि (रुपये लाख में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	49	6.8000	0	0	0	0	419	6.8000
2.	असम	0	0	1094	159.53857	1331	200.75613	2425	360.29470
3.	मणिपुर	0	0	69	16.04	50	11.50	119	27.54
4.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	मिजोरम	11	1.65	0	0	150	22.5	161	24.15
6.	नागालैंड	31	4.65	9	1.35	391	58.65	431	64.65
7.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	त्रिपुरा	515	51.55	180	18.61	1	0.15	696	70.31

टिप्पणी :-

1. उपरोक्त सभी आंकडे निवल आंकड़े हैं अर्थात प्रतिदेय राशि का लेखा जोखा के पश्चात। दावा संख्याबार के लिए प्रतिदेय राशि का लेखा जोखा कर लिया गया है ताकि वर्षवार वास्तविक आंकडे सही बैठ जाएं।
2. लाभान्वित अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों की संख्या = वित्तपोषित यूनिटों की संख्या।

बीएसएनएल के कर्मचारियों की भर्ती

2532. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने नए कर्मचारियों की भर्ती की है और उसमें अ.जा./अ.ज.जा. जो कि छंटनी के कगार पर हैं, को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीएसएनएल ने विनिवेश के समय केन्द्र सरकार को यह आश्वासन दिया था कि उस समय कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में बीएसएनएल ने सरकार को दिए आश्वासन का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार नये कर्मचारियों को रोजगार दिया जाता है और ऐसा एक व्यापक और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के पश्चात पूर्णतः योग्यता और अर्हता के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) विदेश संचार निगम लिमिटेड ने विनिवेश के समय सरकार को ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं दी थी कि वह उस समय नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करेगा। तथापि, विनिवेश के समय पेनाटोन (महत्वपूर्ण साझेदार) द्वारा लिखित रूप में आश्वासन दिया गया था कि बीएसएनएल के किसी भी कर्मचारी की 2 वर्षों की अवधि तक छंटनी नहीं की जाएगी (जबकि शेयरधारक करार में यह अवधि 1 वर्ष थी), और वर्तमान वेतन, मजदूरी और परिलब्धियों को बदला नहीं जाएगा और उन सेवा निवृत्ति लाभों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिसके बीएसएनएल में नियुक्त कर्मचारी पात्र थे। इन आश्वासनों को पूरा किया गया है और उनका अनुपालन किया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त पैरा (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8302/08]

(3) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) वर्ष 2008–2009 के लिए कृषि मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8303/08]

(दो) वर्ष 2008–2009 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8304/08]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8305/08]

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8306/08]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं श्री पी. आर. किन्डिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8307/08]

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8308/08]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8309/08]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं श्रीमती मीरा कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं–

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8310/08]

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8310ए/08]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2007, जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधि–सूचना संख्या सा.का.नि. 655 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका

एक शुद्धिपत्र जो 13 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 708 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8311/08]

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2008 जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 17 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (नौवां संशोधन) नियम, 2007 जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 264 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) शिक्षु, (सातवां संशोधन) नियम, 2007 जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना स. का. नि. 696 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8312/08]

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8313/08]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8314/08]

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8315/08]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8316/08]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए डाक विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8317/08]

(2) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8318/08]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8319/08]

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8320/08]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8321/08]

(3) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8322/08]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को–ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को–ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को–ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8323/08]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : महोदय, श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल को–ऑपरेटिव कंज्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को–ऑपरेटिव कंज्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8324/08]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) कर्नाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8325/08]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन निर्बन्धन) का अपसरण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 28 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 400 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8326/08]

(5) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8327/08]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पी. के. एस. इलॅंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं–

(1) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 का अनुदानों का विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8328/08]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8329/08]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 5 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 749 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8330/08]

(2) चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 1(अ) जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में किसी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित की गई समस्त चीनी पर तत्काल प्रभाव से 15 रुपए प्रति क्विंटल चीनी की दर से उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 392 (अ) जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में किसी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित की गई समस्त चीनी पर रुपए प्रति क्विंटल चीनी की दर से उत्पाद शुल्क की उद्ग्रहण अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8331/08]

(3) बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 की उपधारा (3) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) नियम, 2007, जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 717 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8332/08]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री जय प्रकाश नारायण यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8333/08]

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित "सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) का कार्यकरण" विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिए गए निर्देश

73 क के अनुसरण में यह वक्तव्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंध में विभागों से संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी विभागों से संबद्ध संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन (2006–07) (14 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूं।

i. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी–डैक) नामक विभाग की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था की कार्यप्रणाली की जांच की गई तथा प्रतिवेदन दिनांक 21 अगस्त, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

ii. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी 23 संस्तुतियां नोट कर ली हैं तथा उनके अनुपालन के लिए संलग्न अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षित कदम उठाए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8334/08]

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, हमारा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कालिंग अटेंशन के बाद आपको बोलने के लिए समय मिलेगा, क्योंकि परिपाटी ऐसी है। आपको दस मिनट बाद बोलने के लिए अवसर मिलेगा। आप लोग नियमों के पारंगत हैं, कालिंग अटेंशन के बाद ही आपकी बात सुनी जाएगी। कालिंग अटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले इसे हो जाने दीजिए। इसमें केवल दस मिनट का समय लगेगा, उसके बाद आप सब को बोलने का अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने स्वयं नोटिस दिया है, लेकिन अभी आप बैठ जाइए। आप दस मिनट बाद बोलिए, कालिंग अटेंशन हो जाने दीजिए। इसमें केवल दस मिनट का समय लगेगा, उसके बाद आप सब को बोलने का अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैंने नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने स्वयं नोटिस दिया है, लेकिन अभी आप बैठ जाइए। आप दस मिनट बाद बोलिए, कालिंग अटेंशन हो जाने दीजिए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, तिब्बत के मामले को पहले लिया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : स्वामी जी, आपके महत्व को हम समझते हैं, इस मामले को लिया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इस पर चर्चा करने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और आप भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वामी जी, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और दस मिनट धीरज रखें।

अपराह्न 12.07 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बालकों/बालिकाओं के पढ़ाई के बोझ को कम करने और उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए देश में शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मैं मानव संसाधन मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में वक्तव्य दें:

"बालकों/बालिकाओं के पढ़ाई के बोझ को कम करने और उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए देश में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप इसे ले कर लीजिए।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभापटल पर रख रहा हूं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा–संशोधित) में देश की बेमिसाल सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने और प्रोत्साहित करने तथा समय की चुनौतियों का सामना करने के लिये शिक्षा पद्धति

*सभापटल पर रखा गया और
ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8335/08

तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। चहुमुखी विकास, राष्ट्रीय भावना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिये शिक्षा को आधारभूत तत्व माना जाता रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में एकसमान शिक्षा संरचना (10+2+3) की परिकल्पना की गई है और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना पर आधारित है।

वर्ष 2005 में एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तैयार की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित है।

* ज्ञान को विद्यालय–बाह्य जीवन से जोड़ना,
* यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन से रुढ़ पद्धतियां हटा दी गई हैं,
* बच्चों के पाठ्य–पुस्तक केन्द्रित विकास के स्थान पर उनके चहुमुखी विकास के लिये पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना,
* परीक्षाओं को अधिक लचीली बनाकर इन्हें कक्षा–कक्ष वातावरण के साथ एकीकृत करना, और
* देश की लोकतांत्रिक नीति के तहत शामिल किये गये तथ्यों के बारे में सूचना प्रदान करके देश की अभिभूत करने वाली पहचान को सुदृढ़ करना।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यक्रम, पाठ्य–विवरिणकाएं और नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं जो विद्यार्थियों का बोझ कम करने के साथ–साथ अध्ययन को विद्यार्थी–सहज बनाने की दिशा में एक सही कदम है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 में अध्ययन के रचनात्मक दृष्टिकोण के उपयोग का उल्लेख किया गया है। शारीरिक और स्वास्थ्य और कला एवं संगीत को पाठ्यक्रम का अभिन्न भाग बनाया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 में सतत् विद्यार्थी मूल्यांकन और संबंधित फीडबैक प्राप्त करने का भी सुझाव दिया गया है।

ये सिफारिशें विद्यालय में अध्ययन वातावरण में सुधार के संबंध में और इनमें बच्चों की प्राथमिकता और उनके मन में समानता, विविधता, बच्चों की गरिमा और अधिकार के मूल्यों को बैठाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 में शिक्षक में शिक्षक शास्त्र से शिक्षु केन्द्रित शिक्षा शास्त्र के तत्काल अंतरण का भी सुझाव दिया गया है जिसमें शिक्षक को मात्र सूचना देने वाले के स्थान पर प्रोत्साहन देने की व्यापक भूमिका प्रदान की गयी है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 में महत्वपूर्ण यंत्रों के रुप में मनोवैज्ञानिक परामर्श और कैरियर मार्गदर्शन के प्रावधान की भी सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 को देश के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों में लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यचर्या और परीक्षाओं से संबंधित कुछ सुधार पहले ही कर लिये हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) रटने की जांच करने के स्थान पर अत्यधिक अवधारणात्मक ज्ञान और समझ–बूझ की जांच करने के लिये परीक्षा पद्धति का पुर्नगठन किया गया है।

(ii) आंतरिक मूल्यांकन के लिये अंक प्रदान करने की सतत् और व्यापक मूल्यांकन पद्धति पहले ही लागू कर दी गई है।

(iii) कक्षा–I–V तक के बच्चों को कोई गृहकार्य नहीं दिया जाता।

(iv) कक्षा X और XII की परीक्षाओं में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि छात्र प्रश्नपत्र को अच्छी तरह से पढ़ सकें।

(v) परीक्षा हैल्पलाईन और नमूना प्रश्न पत्र उपलब्ध कराना

(vi) प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार करना सभी प्रश्न 2.5 घंटे में ही हल किए जा सकें हालांकि परीक्षा के लिए कुल समय 3 घंटे है।

(vii) विषय आधारित परीक्षण के स्थान पर प्रश्न हल करने और सक्षमता पर आधारित परीक्षण

(viii) प्रायोगिक परीक्षा को अधिक महत्व देना

(ix) अवधारणापरक समझ में सुधार करने के लिए स्कूलों में गणित प्रयोगशालाओं की शुरुआत।

(x) मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद छात्रों को कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति देना।

सभी राज्यों तथा राज्य परीक्षा बोर्डों से अपेक्षा है कि वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 की सिफारिशों के आधार पर ऐसी कार्रवाई करेंगे और अधिकांश राज्यों तथा राज्य परीक्षा बोर्डों ने पहले से ही यह कार्य कर दिया है।

यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि सामाजिक पारिवारिक दबाव भी स्कूल के बच्चों में तनाव बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि उन्हें प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध सीमित स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसके साथ ही किशोरावस्था में शरीरिक विकास की प्रक्रिया के कारण शरीर और मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन भी तनाव में बढ़ोतरी करते हैं। अत्यधिक तनावग्रस्त छात्रों के लिए

मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग की आवश्यकता है। साथ ही स्कूलों के शिक्षकों को भी किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के तहत अंशकालिक परामर्शदाताओं के रुप में कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को स्कूलों में शारीरिक दंड पर रोक लगाने के लिए पहले से ही सलाह दी है। साथ ही सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध सभी स्कूलों तथा अनेक राज्यों में कक्षा–I से कक्षा–X तक शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और योग अनिवार्य है।

आशा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 को पूर्ण रुप से अंगीकार करने से छात्रों पर बोझ में कमी आएगी और उन्हें एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा। स्कूलों में छात्रों को ऐसा स्वस्थ वातावरण उपलबध कराने में अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, शिक्षक प्रशिक्षकों और व्यापक रुप से समाज सहित सभी स्टेकहोल्डरों को भूमिका निभानी होगी।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानकर्षण प्रस्ताव को मुझे उठाने का मौका दिया गया है। मुझे सरकार की तरफ से जो वक्तव्य मिला है, उसे मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। इसमें मै यही कहना चाहूंगा कि इस वक्तव्य को पढ़ कर निराशा हुई है। ...*(व्यवधान)* मैं पांच मिनट के लिए सदन का संरक्षण चाहूंगा, मैं जानता हूं कि सदन को तिब्बत के मामले में बात करने की उत्सुकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे पांच–सात मिनट संरक्षण मिले।

सभापति महोदय, नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क में कुछ बातें बताई गई हैं, क्योंकि यहां हर व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उनके बच्चे पौते एवं उनका परिवार का कोई न कोई सदस्य या तो अभी शिक्षा प्रणाली से जुड़ा है या गत वर्षों में जुड़ा होगा। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क में कहा है कि सरकार को जो सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा प्रयास रहा है, इसमें सबसे पहले ये कहते हैं–

[अनुवाद]

ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना।

[हिन्दी]

मतलब, पढ़ाई को जिन्दगी के पहलुओं से जोड़ कर करना चाहते हैं। यह कितना सार्थक और सच है, कम से कम मुझे अपने अनुभव में इस वाक्य में इस सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें कहीं सत्यता नहीं दिखाई देती है। इसमें यह लिखा जाता है–

[अनुवाद]

शिक्षा को रटने की पद्धति से अलग करें।

[हिन्दी]

मतलब, रटने की प्रक्रिया से हम शिक्षा को दूर करें। आज कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बिना रटे इम्तहान में जाता हो। अगर केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वह इम्तहान में आगे नहीं हो पाता है। टीचर को कहा जाता है कि इम्तहान प्रणाली में, जब सीबीएसई के दसवीं या 12वीं के इम्तहान होते हैं तो बिल्कुल साफ रूप में बता दिया जाता है कि अगर मेथमेटिक्स में या साइंस में इस तरीके से सवाल–जवाब होगा तभी उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे।

सभापति महोदय, अगर इस तरीके से आंसर नहीं होता है, तो नंबर नहीं मिलते। इसका मतलब है कि यदि उस सवाल को बच्चा रटकर आया है और उसने उसी प्रकार उसका उत्तर दिया है, जिस प्रकार से उसने रटा है, तो उसे नम्बर मिलते हैं, नहीं, तो बच्चे की अपनी बुद्धि इम्तिहान के सिस्टम में कहीं नहीं ली जाती है। तीसरी चीज ये कहते हैं कि :

[अनुवाद]

"मात्र पाठ्यपुस्तक केंदित न होकर बालकों–बालिकाओं का समग्र विकास करने के लिए पाठ्यचर्या का संवर्द्धन करना है।"

[हिन्दी]

बच्चा जानता है, क्योंकि एन.सी.ई.आर.टी. के अपने विश्लेषण में कहा गया है कि जो बाकी चीजें हम पढ़ाई के अलावा बच्चे की जिन्दगी में डालना चाहते हैं, ये बच्चे की जिंदगी में कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि किसी भी रुप से हम उसे स्कौलैस्टिक नहीं देते हैं। आज आप चाहे कुछ सिखना चाहो, आर्ट सिखना चाहो, खेल सिखाना चाहो, अगर बच्चे की अपनी रूचि है, तो वह सीखेगा। यह समग्र विकास की बात हो रही है, पढ़ाई को छोड़कर, आज की शिक्षा प्रणाली में उसका स्थान कहीं भी नहीं है। इसमें दिया जाता है कि:

[अनुवाद]

"देश की लोकतांत्रिक नीति के अंगर्तत केयरिंग कन्सर्न्स द्वारा सूचित अधिभावी पहचान को प्रोत्साहन...."

[हिन्दी]

यही नहीं है, इसके अलावा इस करीकुलम में जो जवाब दिए गए हैं, उसमें दिया गया है कि:

[अनुवाद]

स्मरण शक्ति की अपेक्षा अधिक अवधारणात्मक ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए परीक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण किया गया है।

[हिन्दी]

इसमें कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"I से V कक्षा तक कोई गृह कार्य नहीं।"

[हिन्दी]

मेरी बच्ची अब पांचवीं से छठी क्लास में गई है और पूरे साल उसने होम वर्क किया है। मुझे कोई भी सांसद बता दे, जिसके बच्चे तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठवीं या आठवीं क्लास में पढ़ते हों और होम वर्क नहीं करते हों अथवा स्कूल से लौटने के बाद दो–दो घंटे या चार–चार घंटे टयूशन या होमवर्क में न बितातें हों। आज यहां सरकार यह स्टेटमेंट देती है कि :

[अनुवाद]

"I से V कक्षा तक कोई गृह कार्य नहीं।"

[हिन्दी]

या तो किसी को पता ही नहीं है कि होम वर्क होता है कि नहीं। मुझे लगता है कि मंत्रियों को भी शायद अधिकारियों ने इस बारे में ठीक प्रकार से हैल्प नहीं की है या सही नहीं बताया है। इसमें कई चीजें कही जाती हैं कि हमने 15 मिनट इम्तिहान के पेपर में ज्यादा दे दिए हैं या हायर वेटेज प्रैक्टीकल का दे दिया है। इन सब का जो असर पड़ता है, उसके अनुसार मैं आज की बहुत ही भयानक स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब यह विषय हमारे सामने आया, तो मैंने इस विषय में कुछ पेपरों को पढ़ा। एक जगह दिया गया है, शायद आप पढ़कर जानना चाहें। दिल्ली के एक सायकौलौजिस्ट हैं, और दिल्ली तथा बैंगलुरु की एक संस्था विमहैन्स है। उसकी रिपोर्ट पढ़कर मैं घबरा गया। उसमें टॉपिक है :

[अनुवाद]

बालक–बालिकाओं द्वारा एंटी–डिप्रेशन दवाई लेना।"

[हिन्दी]

उसके डॉ. के. के. अग्रवाल का मैं एक वक्तव्य पढ़ूंगा:

[अनुवाद]

हमने मानसिक दबाव ग्रस्त बालक–बालिकाओं को परीक्षाओं के समय स्वयं को जगाए रखने के लिए धूम्रपान, तंबाकू के सेवन की बुरी लत में पड़ते हुए और चाय, कॉफी पीने तथा ड्रग्स लेते हुए देखा है। परंतु आजकल चिंताजनक बात जो है वह यह है कि इन दैनिक कार्यों के अतिरिक्त कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षाओं के दबाव से मुक्त होने के लिए छिपकली और उसकी पूंछ को खाना शुरू कर दिया है..."

[हिन्दी]

आज बच्चों के बारे में इस तरह के हालात हो रहे हैं। कालाहांडी के बारे में एक रिपोर्ट आई थी कि वहां गरीब आम की गुठली खा रहे हैं। मुझे याद है कि इस घटना से उस समय देश हिल गया था। आज बच्चे अपने–अपने स्ट्रैस को हटाने के लिए लिजर्ड खाने लगे हैं, छिपकली खाने लगे हैं। इसी रिपोर्ट में आगे दिया गया है कि बच्चे सैंडविच पर आयोडैक्स लगाकर खाने लगे हैं, टूथपेस्ट खाने लगे हैं, एंटीफिट ड्रग्स पीने लगे हैं और बार–बार लोगों के पास जाने लगे हैं। आज हमने इस तरह की दुनिया बना ली है। आज हमारे बच्चों की यह हालत हो गई है कि हम और आप जिस चीज से परहेज करते हैं, पढ़ाई के दबाव और भय में हमारे बच्चे न जाने क्या–क्या करने लगे हैं।

सभापति महोदय : दीक्षित जी, जल्दी से सवाल पूछें।

श्री सन्दीप दीक्षित : सभापति जी, मैं जल्दी से एक और चीज पढ़ना चाहूंगा। मैं आपसे थोड़ा सा संरक्षण चाहता हूं। मैं दो–चार मिनट और लूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। आपकी मदद की उन्हें जरूरत नहीं है।

श्री सन्दीप दीक्षित : सभापति जी, दिल्ली में साइकौलौजी के डॉ. बूटा हैं। उनका वक्तव्य सुनिए। वे बच्चों की साईकौलौजी पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के फोन उनके पास आते थे, उनमें से छः बच्चे ऐसे थे, जिन्होंने अपनी जान ले ली और 300 बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट किया। अगर खुदा न करे, ये 300 बच्चे मर गए होते, तो इस देश की हालत क्या होती? दिल्ली के 300 बच्चे, 15 दिन के अंदर चाहते थे कि वे अपनी जिन्दगी ले लें। हमने इस तरह के समाज की कल्पना की है? हमने इस तरह की शिक्षा प्रणाली बना ली? यह तो मैं एक डॉक्टर की बात बता रहा हूं।

सभापति महोदय : दीक्षित जी, आप सवाल करें।

श्री सन्दीप दीक्षित : जो मासूम बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, उनमें

से आज केवल दिल्ली में 300 ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि अपनी जान ले लें, क्योंकि उनके ऊपर इम्तिहान का प्रैशर है।

सभापति महोदय : दीक्षित जी, आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह पूछिए।

श्री सन्दीप दीक्षित : सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूं जिससे मैं समझता हूं कि पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। बर्तानिया की सरकार और हिन्दुस्तान की कुछ संस्थाओं ने मिलकर एक सर्वेक्षण किया। एक पीटर फॉस्टर हैं, जिनका मैं एक वाक्य पढ़ रहा हूं, आप कृपया यह सैंटेंस सुनिए:

[अनुवाद]

"ब्रिटेन की अपेक्षा यहां 70 गुणा अधिक किशोरियों द्वारा आत्महत्या करने की संभावना होती है।..."

[हिन्दी]

रिसर्च ने बताया है कि ब्रिटेन के मुकाबले हमारे यहां सुसाइड की दर 70 गुना ज्यादा है।

[अनुवाद]

गत वर्ष वेल्लोर, दक्षिण भारत में लासेट में प्रकाशित अध्ययन में दर्शाया गया कि युवा महिलाओं (15 से 18 वर्ष) द्वारा आत्महत्या प्रति 10,000 महिलाओं में 148 की जनसंख्या के अनुसार है। इसकी तुलना ब्रिटेन में प्रति 100000 पर 2.1 और दिश्वव्यापी दर प्रति 1,00,000 पर 14.5 से है।

[हिन्दी]

यह एक स्थिति है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि हमारे सामने जिस तरह की बातें आ रही हैं, हमारे जो आब्जैक्टिव्स हैं, वे बहुत अच्छे हैं, उनमें वैल्यू एजूकेशन की बात की जाती है, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने की बात की जाती है, एक समग्र समाज में सभी को संवदेनशील रूप से देखने की बात की जाती है। लेकिन आज जिस तरीके इम्तिहानों ने एक राक्षसी रूप अख्तियार कर लिया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे डर कर इम्तिहान देने जा रहे हैं। उनके पैरेंट्स और टीचर घबराए रहते हैं। जनवरी से लेकर मई–जून तक का 6 महीने का पीरियड, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, मुझे मालूम है कि बहुत से मां–बाप डरे रहते हैं, यदि बच्चा दो घण्टे तक नहीं आता है, पता नहीं मेरी बेटी वापस लौटेगी या नहीं अथवा उसकी लाश हमारे घर आएगी।

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री सन्दीप दीक्षित : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विषय को समझती है? जैसा जवाब इन्होंने दिया है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मेरा कहना है कि इसे सही रूप से लिया जाए। हिन्दुस्तान के सभी विशेषज्ञों को बुलाया जाए और पूरी इम्तिहान प्रणाली को फिर से देखा जाए। मैंने दसवीं के इम्तिहान बंद करने की बात सुनी थी मेरा आग्रह है कि इम्तिहानों के पूरे सिस्टम को देखा जाए।

महोदय, हम ऐसे हिन्दुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हर व्यक्ति हम चाहते हैं कि समाज की मुख्यधारा में जुड़े, एक भयमुक्त समाज हो। लेकिन हमारे बच्चे इसमें एक टूल बनते जा रहे है। मैं बड़ी विनम्रता से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विषय को बहुत सीरियसली लिया जाए और पूरे एजूकेशन सिस्टम, खास तौर पर इम्तिहान की प्रणाली को एक समग्र रूप से दुबारा देखा जाए।

सभापति महोदय : मंत्री जी, मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे हाउस की भावना को इन्होंने व्यक्त किया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है। श्रीमती प्रिया दत्त का नोटिस है, उनकी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रिया दत्त (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, इस अति गंभीर स्थिति पर बोलने का अवसर प्रदान करने पर मैं आपकी आभारी हूं जो आज हमारे राष्ट्र, हमारे उन बच्चों के सामने आ रही है जो परीक्षा के मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदय पिछले दो सप्ताहों में दिल्ली में ही 12 बालकों बालिकाओं वे आत्महत्या की है; पिछले तीन महीनों में गुजरात राज्य में 15 बालक/बालिकाओं ने आत्महत्या की है और आज एक अग्रणी समाचार पत्र में वे आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिनमें दिखाया गया है कि वर्ष 2006 में 6000 छात्रों ने आत्महत्या की है। यह बहुत ही खतरनाक प्रवृति है और यह प्रवृत्ति प्रति वर्ष बढ़ रही है। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा परीक्षाओं के मानसिक दबाव और आज की शिक्षा प्रणाली के बोझ के कारण हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बालक/बालिकाएं ऐसे आत्मघात कदम उठा रहे हैं।

हमें आश्चर्य है कि ऐसा क्या है जिसके कारण इतनी कम आयु के और इतने मासूम बच्चे/बालिकाएं इस आत्मघाती कदम को उठाने के लिए बाध्य होते हैं। यह तात्कालिक अपेक्षा है, माता–पिता, अपने अध्यापकों, अपने साथियों की अपेक्षा पर खराब उतरना – और अधिकांशतः शिक्षा प्रणाली, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, उसी के कारण वे ऐसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। हम सब यहां बैठे हैं। हमें

प्रत्येक मृत्यु के लिए यहां उपस्थित होकर उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।

महोदय, 'बालक–बालिकाएं हमारे देश का भविष्य हैं'। हम इस वाक्यांश का अपने भाषणों, व्याख्यानों और अनुच्छेदों में बार–बार प्रयोग करते हैं। परंतु मुझे यह कहते हुए अति खेद है कि हमने भविष्य के इन पथ प्रदर्शकों के लिए बहुत कम कार्य किया है। हम उनका आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं; हम उनकी आशा तोड़ रहे हैं, हम उनकी इच्छा तोड़ रहे हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं! क्या एक परीक्षा इन बालक–बालिकाओं के जीवन को निर्धारित करती है अथवा करनी चाहिए? तेरह वर्ष की थकाऊ, गहन स्कूली शिक्षा का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि एक परीक्षा यह तय करेगी कि क्या वह अपने सपनों को साकार कर सकता है या कर सकती है। ठीक वहीं पर इस आशा को तोड़ रहे हैं; हम इस प्रकार का विकल्प देकर अपने बालकों–बालिकाओं को मार रहे हैं। हमें उनको आज़ादी देनी होगी; हमें उनको सृजनात्मकता की आजादी देनी होगी।

जैसा कि मेरे साथी ने उल्लेख किया है, हमें दिए गए उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि सब कुछ कागजों पर पूरी तरह सही है परंतु उसका कार्यान्वयन शून्य है। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि वे इस अति महत्वपूर्ण मामले पर संज्ञान लें और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने बालकों – बालिकाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अंतः करण से निर्णय लें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप नोटिस दीजिए। इस पर बहस पूरी हो जाने दीजिए, यह महत्वपूर्ण विषय है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी के बयान के अलावा कुछ भी लिखा नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपके मंत्री खड़े हैं, उनका जवाब सुन लीजिए।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सदन में सब की यह भावना है कि हमारे विद्यार्थियों के ऊपर जो बंदिशें हैं, वे समाप्त हों।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दीजिए। अभी आप बैठिये, उत्तर हो जाने दीजिए। अभी बहुत से महत्वपूर्ण सवाल बाकी हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आज नहीं, अभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी के बयान के अलावा कुछ लिखा नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सबसे पहले मैं संदीप दीक्षित साहब और श्रीमती प्रिया दत्त साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत ही अहम मौजू का उन्होंने सदन के सामने कालिंग अटेंशन के जरिये रखने का काम किया और बिला शक ओ शुबहा मुल्क के अंदर आज हमारे बच्चों को वह एनवायर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल पाता है, जिसकी कल्पना हम लोग कण्ते हैं, जो गार्जियन करते हैं। यही वजह है कि पूरा सदन इस मामले में कन्सर्न है और मैं सब की भावना के साथ मैं अपने आपको भी जोड़ता हूं।

लेकिन जहां तक सरकार का सवाल पैदा होता है, सरकार ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है और इन सभी चीजों को, जिसका जिक्र अभी सलीम भाई भी यहां कर रहे थे, इन सभी चीजों को निगाह में रखते हुए एक नया नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क, 2005 में लाया गया। उसके तहत बहुत सारे कदम उठाये गये हैं ...*(व्यवधान)* अब आप थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए।

बहुत सारे कदम उठाये गये हैं और विभिन्न स्टेजों पर उठाये गये हैं, प्राइमरी लेविल पर, अपर प्राइमरी लेविल पर, सैकेण्डरी लेवल पर और हायर सैकेण्डरी लेविल पर और कोशिश यह की गई है कि बच्चे स्कूल के अंदर एन्जॉय करें, एग्जामिनेशन हॉल में एन्जॉय करें और जितना हो सके, उन पर स्ट्रैस उतना कम हो। उसके लिए एन. सी. ई. आर. टी. ने अच्छी किताबें भी तैयार की हैं और मिनिमम किताबें लेकर बच्चा स्कूल जाये, इसकी भी कोशिश हम लोगों ने की है। ...*(व्यवधान)* मेरी बात सुन लें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल मंत्री जी की बात लिखी जायेगी।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : पांच मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप आसन को संबोधित करिये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : जी। मैंने कहा कि एन. सी.

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एफ. ने जो प्रयास किया है, कोशिश की है, जिसके जरिये जो एजुकेशन है, वह एन्जॉयबल भी हो और मीनिंगफुल भी हो। इसके लिए जो कैरीकुलम हमने तैयार किया है, वह फ्रेंडली भी है और कॉम्प्रीहेंसिव भी है। इसके अंदर अब हमने स्पोर्ट्स, डांस और म्यूजिक को भी एड किया है, ताकि बच्चे लाइट मूड में स्कूल जायें। जहां वे एक तरफ स्कूल में दूसरी तालीम हासिल करें ...*(व्यवधान)* आप पूरी बात सुन तो लीजिए।

सभापति महोदय : आप मंत्री जी को सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इस तरह के क्वश्चन पेपर्स तैयार हों, इस तरह का सिस्टम तैयार हो, जिसमें रटने का हिन्दुस्तान का जो पुराना सिस्टम था, रटकर पढ़ने वाला सिस्टम हम लोगों के वक्त में भी था, आपके वक्त में भी रहा होगा, ...*(व्यवधान)* आप बैठिये, आप सुन तो लीजिए, फिर सवाल करना है तो कीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ नहीं लिखा जा रहा है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : एन. सी. एफ. को निगाह में रखते हुए एन. सी. ई. आर. टी. ने अच्छी किताबें तैयार की हैं, ताकि बच्चे इण्टरैस्ट से उनको पढ़े। अब मुश्किल यह है कि ...*(व्यवधान)* आप सुन तो लीजिए। यह जो स्कूल सिस्टम है, इसके अंदर कुछ स्कूल तो हमारे अंडर में आते हैं, जिसको सीबीएसई चलाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम स्टेट के जरिए भी चलाया जाता है। ...*(व्यवधान)* हम यह कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों को स्टेट ज्यादातर एक्सेप्ट करें और जो हमारे एनसीएफ के अंदर हैं, जो भी हमने रिकमंडेशन की है, उसे स्टेट उसी तरह से मानने का काम करें, जो हम लोग चाहते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे प्राइमरी लेवल पर बच्चों को एक से दो क्लास में ज्यादा किताबें घर से स्कूल लेकर जाने की जरूरत नहीं है और एक से दो क्लास के बच्चों को कोई होमवर्क भी नहीं दिया जाता है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मंत्री की बात सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्लास वन और टू में सिर्फ तीन किताबें ही प्रेस्क्राइब्ड की जाती हैं। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ के लिए सिर्फ चार किताबों हम लोगों ने प्रपोज की हैं। ''क्लास अपटू टू, देअर इन नो होमवर्क', जो प्रोविजन किया गया है, उसमें होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उनकी बात सुन लीजिए। उनकी बात खत्म होने दीजिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ लिखा नहीं जा रहा है। वे पीछे नहीं कर रहे हैं, और कुछ और लिखा नहीं जा रहा है। मंत्री जी की बात के अलावा कुछ लिखा नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ लिखा नहीं जाएगा। खड़े होकर तो आप भी बोल रहे हैं। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप यह मत समझिए कि आप ही कंसर्न्ड हैं, सभी कंसर्न्ड हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी आप अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, ये बीच-बीच में इस तरह से करेंगे, तो कैसे काम चलेगा?

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप अब संक्षिप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हमने डिफरेंट स्टेट्स में क्या कदम उठाए हैं और इसमें क्या-क्या मुश्किलें हैं? इसके बारे में समझने की आवश्यकता है। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम आगे कदम नहीं उठा सकते। यह सिर्फ सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, यह स्टेट का भी सब्जेक्ट है और आज अगर कहीं से ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, अब आप समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं खत्म कर दूं।

सभापति महोदय : संक्षिप्त में कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर, सेकेंड्री लेवल पर और हायर सेकेंड्री लेवल पर बहुत सारे कदम हम उठा रहे हैं, जिससे कि इग्जामिशन सिस्टम आसान हो और क्वेश्चन आसान तरीके से हों। इस संबंध में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे हाई स्कूल के अंदर जब सीबीएसई का कोई बच्चा एग्जाम देने जाएगा, तो 15 मिनट उसको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का मौका मिलेगा। ...*(व्यवधान)* यह होगा नहीं, यह इंप्लीमेंट हो चुका है। आप इसकी खबर रखिए। ...*(व्यवधान)* जो क्वेश्चन पेपर सेट होंगे, उसमें हाफ ऐन आवर एक्सट्रा टाइम दिया गया है, यह असेस करके कि ये एक्सट्रा टाइम बच्चों के लिए रहेगा, ताकि

वे अपने आन्सर्स को दोबारा देख सकें, समझ सकें, इस तरह से एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गयी है। पहले तो बुक लोड कम किया गया और ऐसा सिस्टम सीबीएसई में एनसीईआरटी की किताबों के जरिए लाया गया कि रटने की जरूरत बच्चों को न पड़े। ...*(व्यवधान)* एग्जामिनेशन का जो लोड है, उसे बच्चे महसूस न करें। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ यह नहीं की इग्जामिनेशन सिस्टम खराब है। आज हमारे जो पैरेंट्स या गार्जिएन्स हैं, जो स्कूल का अपना एन्वार्यनमेंट है, वह भी बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि बच्चा 95 प्रतिशत नंबर्स क्यों नहीं लाया या 90 प्रतिशत नंबर्स क्यों नहीं लाया? पैरेंट्स के अंदर जो कंपटीशन है, वह भी बच्चों पर दबाव पैदा करता है, इसके अलावा स्कूल का भी स्ट्रेस है। ...*(व्यवधान)* जो हमारे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है कि ये अच्छा करेंगे तो हमारा दूसरे स्कूलों से कंपटीशन बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ यह कहना कि सिस्टम में खराबी है, ठीक नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे आयाम हैं और हमें उन सबके ऊपर सोचना होगा।

माननीय सदस्यों ने यहां जिन सवालों को उठाया है और जो कन्सर्न हैं, हम सोचकर, विचार करके निश्चित रूप से अगले सीबीएसई या एनसीईआरटी के कार्यक्रम में इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। हम चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल जाएं, वे स्ट्रैस फ्री हों, उनकी किताबें अच्छी हों, इग्ज़ामिनेशन सिस्टम अच्छा हो। ...*(व्यवधान)* इसके साथ ही मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि घर में बच्चों के गार्जियन्स और पेरैंट्स की काउंसलिंग की तरफ भी ध्यान हो। आज मुल्क के अंदर अच्छे टीचर्स, जो बच्चों को सही तरह से दिशा देकर चला सकें, उनकी भी कमी है। हमें इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

मैं एक बार फिर से अपने दोनों साथियों – श्री संदीप दीक्षित और श्रीमती प्रिया दत्त – जिन्होंने यहां इस संवेदनशील मामले को उठाया धन्यवाद देता हूं। इन्होंने मुल्क के सामने सदन के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखने का काम किया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे सदन का जो कन्सर्न है, उसे हम कम्प्रीहैन्सिव तरीके से देखें और जिस रिफार्म की जरूरत है, जो हम कर सकते हैं, चाहे वह सीबीएसई के जरिए हो, चाहें एनसीईआरटी के जरिए हो, इग्ज़ामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने का तरीका हो, स्कूल के इन्वायरर्नमैंट को ठीक करने का तरीका हो, इन सारी चीजों की समीक्षा करके स्ट्रैस कम करने के लिए, सिस्टम को अच्छा करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, उन्हें निश्चित रुप में उठाएंगे, हम सदन से यह वादा करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों की जो भावना है, वह केवल कॉलिंग अटैंशन से पूरी नहीं हो पाई। यदि नोटिस दिया जाए तो विचार किया जा सकता है कि इस पर एक लम्बी चर्चा हो। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और परीक्षा पद्धति और शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करे।

सभापति महोदय : अब हम आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेना चाहते हैं। हमारे सामने बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आई हैं जिनमें एक सूचना ऐसी है जिसे बहुत सारे सदस्यों ने दिया है। वह तिब्बत में मानवाधिकारों की हत्या के संबंध में है। इसे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, योगी आदित्यनाथ जी, मेहताब साहब, रामजीलाल सुमन जी और श्री मोहन सिंह ने दिया है। इसलिए मैं, प्रो. मल्होत्रा से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, हमारा भी नोटिस है।

सभापति महोदय : हम आपका नोटिस भी लेंगे। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यह सूचना दी है, इसलिए इसे पहले ले रहे हैं।

अपराह्न 12.33 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

ल्हासा में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के मारे जाने के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, पिछले एक सप्ताह में तिब्बत में नरसंहार हो रहा है। अब तक की सूचना के मुताबिक, चीन सरकार द्वारा तिब्बत में वहां के सौ से ज्यादा निवासियों की हत्या कर दी गई है। यह केवल नरसंहार ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक नरसंहार हो रहा है। चीन सरकार की यह परिपाटी रही है कि वह अपने यहां रक्त रंजित तरीके से विपक्ष या विरोधियों को समाप्त करते हैं। पहले तियानेनमेन स्कवायर में इसी तरह से उन पर टैंक्स चढ़ा दिए गए थे और हजारों आदमी मार दिए गए थे। पिछले पचास सालों से लगातार सांस्कृतिक तौर पर तिब्बत को समाप्त करने, तिब्बत की संस्कृति को समाप्त करने, तिब्बत में रहने वाले, विशेष तौर पर बौद्ध धर्मावलम्बियों को समाप्त करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। इस समय वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे थे। चीन से लाकर लोगों को बसाकर तिब्बत की अपनी संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास था, जब लोगों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई, तो उस आवाज़ को कुचलने के लिए वहां नरसंहार किया गया और सौ से ज्यादा लोग मार डाले गए। इस बारे में भारत सरकार को जोरदार वक्तव्य नहीं आया।

दुनिया भर की सरकारों ने इसकी निंदा की है। परंतु भारत सरकार की ओर से अभी तक इस घटना की कोई निंदा नहीं की गयी।

भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है कि तिब्बत न केवल हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि उससे हमारे सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। धर्मगुरु दलाईलामा जी ने कहा है कि वे चीन से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन उसकी स्वायत्तता, सांस्कृतिक स्वायत्तता को नष्ट होते हुए भी नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारा सदन तिब्बत में चीन द्वारा किये गये नरसंहार की निंदा करे। भारत सरकार इस बारे में अपना वक्तव्य दे और चीन से आग्रह किया जाये कि वे इस नरसंहार को तुरंत बंद करे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। चीन ने तिब्बत में जन युद्ध की घोषणा कर दी है। तिब्बत की राजधानी में जो खून–खराबा हुआ है, उस बारे में चीनी सरकार क्या कहती है, वह अलग बात है। लेकिन धर्मगुरू दलाई लामा का जो बयान अखबारों में छपा है, उसके मुताबिक कम से कम वहां 100 भिक्षु मारे गये हैं। तिब्बत एक लंबे समय तक आजाद रहा है। वर्ष 1950 में जब चीन ने वहा फौजें भेजी तभी डा. लोहिया ने कहा था कि यह शिशु हत्या है। वर्ष 1959 से धर्मगुरु दलाई लामा हमारे यहां शरण लिये हुए हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि यह हमारे अतिथि हैं।

सभापति महोदय, वहां जो कुछ हो रहा है, वह अत्यधिक गंभीर है। तिब्बत के लोगों में जागृति आयी है। वे दुनियां के तमाम हिस्सों में रहकर अपनी आजादी के आंदोलन को इस तरह से सक्रिय कर रहे हैं। जहां तक स्वायत्तता का सवाल है, उस बारे में दलाई लामा का बयान अखबारों में छपा है। वहां आर्थिक विकास और किसी भी सवाल पर लोगों से संपर्क नहीं किया जाता। स्वायत्तता के नाम पर कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाता। 10 मार्च को उनकी आजादी की लड़ाई का 49वां वर्ष था। उसके बाद से ये लोग बराबर अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं।

महोदय, न सिर्फ तिब्बत की राजधानी ल्हासा में, बल्कि दुनिया के हर कोने में, संयुक्त राष्ट्र में भी लोगों ने इस सवाल पर प्रदर्शन किये हैं। लोग अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन आदि ऐसे देश हैं, जिन्होंने अपना एतराज जताया है कि चीन जिस तरह से मानवाधिकारों को रौंद रहा है, वे किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। जार्ज बुश ने भी कहा है कि चीनी सरकार दलाई लामा से बात करे और दमन का रास्ता बंद करे। संयुक्त राष्ट्र ने चीन को चेताया है कि अगर उसने तिब्बत में व्यवस्था बनाने के नाम पर आजादी समर्थकों को कुचलना बंद नहीं किया, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

महोदय, मैं आपकी मार्फत एक ही निवेदन करूंगा जिसे मैंने समाचार पत्रों में देखा है। जहां एक तरफ यह घटना हो रही है वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट सचिव का मंत्रियों को एक फरमान जारी हुआ है कि वह दलाई लामा के स्वागत समारोह में नहीं जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात पूरी हो गयी है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* एक तरफ कैबिनेट सचिव का यह फरमान जारी होता है कि मंत्री लोग दलाई लामा के स्वागत समारोह में नहीं जायेंगे वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने कहा है कि चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के समय कानून व्यवस्था का पालन करें और ऐसे राजनीतिक क्रिया–कलापों से बचें जिससे मित्र देशों में रिश्ते प्रभावित न हों।

महोदय, यह किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। हम जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दुनिया के तमाम देश चिंतित हैं उसी तरह भारत का उसमें क्या रुख है? भारत अपने दृष्टिकोण से इस संसद को अवगत कराये।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, पिछले एक सप्ताह से चीन द्वारा तिब्बत में जो कुछ किया जा रहा है, वह अत्यंत शर्मनाक है। वह न केवल मानवाधिकारों का बल्कि मानवता का एक प्रकार से नरसंहार ही कहा जायेगा। चीन आज से नहीं, बहुत पहले से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत कार्य कर रहा है। चीन की उस विस्तारवादी नीति को हम लोग स्वयं देखते हैं जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश की यात्रा में गये थे। उस समय जिस प्रकार के वक्तव्य चीन सरकार द्वारा दिये गये थे, वे अत्यंत आपत्तिजनक थे। भारत सरकार को तिब्बत के मामले में पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज चीन के द्वारा जो कुछ तिब्बत में किया जा रहा है, उस देखते हुए हम चीन को फिर नेपाल में आने से रोक नहीं पायेंगे। जैसा आज न्यूज में आया भी है कि चीन की सेनाएं, चीन के अधिकारी नेपाल में घुसे हैं और कल नेपाल भी उसी प्रकार से चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार होगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य और तमाम क्षेत्र उसके शिकार होंगे। भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि जो लोग चीन के नाम पर इस देश में राजनीति करने आए हैं, आज तिब्बत के मामले में भारत में उनकी चुप्पी आश्चर्यजनक है। ये लोग भारत में छोटी–छोटी घटनाओं को लेकर राजनीति करते हैं। तिब्बत के अंदर इतना बड़ा नरसंहार किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है।

ल्हासा में कहा जा रहा है कि अगर लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनको घरों से निकालकर तोपों और बख्तरबंद वाहनों के नीचे कुचल दिया जाएगा। इस तरह की चेतावनियां वहां दी जा रही हैं। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चीन के

जो प्रतिनिधि इस देश के अंदर बैठकर बार–बार इस देश की नीतियों को कोसते हैं, लेकिन आज चीन की इस प्रकार की शर्मनाक कार्यवाही और नरसंहार पर मौन बने हुए हैं, उन्हें भी अपने चेहरे को देश की जनता के सामने साफ करना चाहिए। चीन की इस कार्यवाही की पुरजोर निंदा की जानी चाहिए। भारत सरकार को, संयुक्त राष्ट्र संघ से वहां पर हस्तक्षेप करने की मांग करनी चाहिए। अंतराष्ट्रीय समुदाय का दल वहां जाए। चीन वहां जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है, जिस प्रकार से वहां पर मानवता को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, नरसंहार हो रहा है, इसकी जांच करके चीन के खिलाफ एक संयुक्त कार्यवाही करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं यहां चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और ल्हासा में उन पर जारी दमन के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। मुझे तिब्बत के संबंध में दो बातें कहनी हैं।

प्रथम, मैं बौद्ध भिक्षुओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ चीन द्वारा पाशविक बल प्रयोग की निंदा करता हूं जिसमें सौ से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। यह जनआंदोलन केवल ल्हासा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीन के तिब्बत के नजदीक उत्तर–पश्चिम का गांसू प्रांत में भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है। तिब्बत के लोग विरोध कर रहे हैं और वे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने तथा अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तिब्बत और गांसू में आज यह हो रहा है कि हांस लोग अपनी संस्कृति तिब्बत पर थोप रहे हैं। एक दशक से ज्यादा समय से चीन बौद्ध मठाधीशों को दलाई लामा से अलग करने के लिए उनके विरुद्ध अभियान चला रहा है। भिक्षुओं को उसको त्याग देने की बात कही जाती है जब कि आम आदमी को उसकी प्रार्थना नहीं करने से मना किया जा रहा है। विश्व के किसी भी हिस्से में किसी जाति विशेष के खात्मे के विरुद्ध भारत को आवाज उठानी चाहिए। हमें अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए केवल विश्व समुदाय के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि चीन से तत्काल संयम बरतने तथा तिब्बतियों के ध र्मगुरु दलाई लामा पर विद्वेषपूर्ण हमले को रोकने के लिए कहना चाहिए। सांस्कृतिक नरसंहार रोका जाना चाहिए।

दूसरी बात, चीन हमारा पड़ोसी देश है और निःसंदेह चीन से मधुर संबंध बनाए रखना हमारे राष्ट्रीय हित में है। हमारे देश में भारत में या कहीं भी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अहिंसक विरोध की अनुमति देने की परंपरा रही है। तिब्बत में विशेषकर ल्हासा में चीन सरकार की कुछ गतिविधियों की आलोचना को राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। तिब्बत चलो, एक अहिंसक शांतिपूर्ण अभियान का मुख्य उद्देश्य तिब्बत में लोगों की दुर्दशा की ओर अंतराष्ट्रीय समुदायों का ध्यान आकर्षित करना है। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में चीन के उकसाने वाले बयान के बाद भी चीन की भावनाओं को न छेड़ने के प्रति सरकार की इस उत्सुकता को देखकर वास्तव में आश्चर्य होता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने देश में शांतिपूर्ण अहिंसक प्रदर्शन के मूलभूत अधिकार की उपेक्षा न करें। चीन सरकार द्वारा तिब्बती लोगों पर किए जा रहे पाशविक बल प्रयोग की निंदा करने में हमें विश्व समुदाय का साथ देना चाहिए। भारत को आगे आना चाहिए और तिब्बत में तत्काल संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेप की मांग करनी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभी मुद्दों को इसमें मत लाइए। अभी ह्यूमन राइट्स पर चर्चा करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, नेता सदन यहां बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, चीन की ओर से तिब्बत में जो मानव संहार हो रहा है, भिक्षुओं पर हमला हो रहा है, जिसमें 100 से भी ज्यादा भिक्षु लोग मारे गए हैं। मानवता का हनन करने का प्रयत्न चाइना की ओर से हो रहा है। धार्मिक गुरु दलाई लामा जी ने स्वायत्तता की मांग की है, पूरी आजादी नहीं मांगी है। इसलिए उन्होंने जैसे ताइवान में रिपब्लिक आफ चाइना आन ताइवान है, उसी तरह से रिपब्लिक आफ चाइना आन तिब्बत को स्वायत्तता देने की बात कही है। भारत सरकार को इसमें मध्यस्थता करने की आवश्यकता है। अगर वक्त आ जाता है तो चाइना को चैलेंज देने की भी आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए। धार्मिक गुरु दलाई लामा जी हमारे देश में 50 वर्षों से रह रहे हैं। इसलिए भारत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है और भारत को चीन के साथ बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय : इस विषय पर बहुत सारे सदस्यों ने अपना नाम दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्री सवाई, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री विजय कृष्ण के नाम भी इस विषय के साथ जोड़ें जाएं। अब हम दूसरा विषय लेते हैं और मैं श्री गुरुदास दासगुप्ता को मौका देता हूं।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : सदन के नेता बैठे हुए हैं, उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए।

सभापति महोदय : सरकार को कम्पैल नहीं किया जा सकता। आपने अपनी बात कह दी, सरकार ने सुन लिया। सरकार को बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : गुरुदास दासगुप्त जी की बात के अलावा और कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आसन से सरकार को वक्तव्य देने का आदेश नहीं हो सकता। आपने अपनी बात कह दी सरकार ने सुन ली। अब दूसरा विषय ले लिया गया है। इसलिए श्री गुरुदास दासगुप्त जी के अलावा और कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग बैठ जाएं, आपकी बात हो गई है।

[अनुवाद]

श्री छेवांग थुपस्तन (लददाख) : महोदय, मैं इस विषय के साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : विदेश मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह अपना बयान पढ़कर सुनाएंगे।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैंने तिब्बत के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को सुना है। कल हमने अपनी चिंता व्यक्त की थी। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि हमने स्थिति पर नजर नहीं रखी है। जो वक्तव्य दिया गया था मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं: "ल्हासा की अस्थिर स्थिति और हिंसा की तथा निर्दोष लोगों की मृत्यु की रिपोर्ट से हम चिंतित है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित लोग वहां स्थिति में सुधार लाने के लिए काम करेंगे और तिब्बत जो कि चीन का एक स्वायत्तशासी हिस्सा क्षेत्र है, में इस प्रकार के संकट के कारणों को वार्ता तथा अहिंसक उपायों से दूर करेंगे।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, अब बात पूरी हो गई। विदेश मंत्री जी का वक्तव्य हो गया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस बारे में नोटिस दें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या यही बयान होता है?

सभापति महोदय : शून्य काल में इतना ही होता है। आप तो पुराने सदस्य हैं। शून्य काल के आप पारंगत व्यक्ति हैं।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : सभापति जी, मुझे भी इस विषय पर बोलने का मौका दें।

सभापति महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। आपने नोटिस भी नहीं दिया है। अगर आपको बोलना है तो पहले उसके लिए नोटिस दें। मंत्री जी का वक्तव्य हो गया है। अगर आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दें। वह कंसिडर किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, सरकार ने उसकी निंदा तक नहीं की। हम विदेश मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और इसके विरोध में सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 12.49 बजे

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है। लेकिन पहले एनडीए के घटक दल बैठकर बयान तैयार कर लें कि किस प्रकार से इसकी निंदा की जाए। उसकी एक कापी हमें भेज दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : जब वे 1998 से 2004 के दौरान सरकार में थे तो उन्होंने क्या किया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री थे। जहां तक चीन और तिब्बत का संबंध है, 1959 से ही नीतियां बन रही हैं और तब से आजतक भारत की सभी सरकारों ने चीन और तिब्बत के संदर्भ में किसी भी नीति में परिवर्तन नहीं किया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : सभापति महोदय, मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के पृष्ठ 14 पर भारत सरकार द्वारा किए गए रक्षा सौदे के संबंध में एक गंभीर आरोप है। यदि आप कृपया मुझे उद्धृत करने की अनुमति दें तो मैं पढ़ूं :

"नौ सेना ने एक मरम्मत की हुई पुरानी विदेशी पोत बिना वास्तविक आकलन के 50.63 मिलियन यू.एस.डी. की लागत पर खरीदा था। इस पोत की खराब स्थिति के कारण मरम्मत कार्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाना पड़ा तथा इससे मरम्मत खर्च 15 मिलियन यू.एस.डी. से बढ़कर 36.94 मिलियन यू.एस.डी. हो गया।"

नौसेना ने इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करते सक्षम अधिकारियों के समक्ष इस लागत को नहीं रखा। यह एक गंभीर प्रश्न है जिसमें राजनीति, भ्रष्टाचार, अर्थशास्त्र और हर चीज सम्मिलित है। यह पोत 36 वर्ष पुराना था इस 36 वर्ष पुराने पोत को खरीदा गया।

दूसरी बात, अमेरिकी नौसेना ने किसी के द्वारा नहीं खरीदे जाने की स्थिति में इस पोत को 2006 तक त्याग देने का निर्णय लिया था। इसकी कीमत न केवल 50.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। बल्कि इसका मरम्मत खर्च भी 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 36.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था और यह सब पोत में बिना वास्तविक सत्यापन के किया गया। यह एक पुराना पोत था और परिव्यक्त था और अमेरिकी नौ सेना के किसी काम का नहीं था। ऐसे समय पर जब अमेरिका इसे त्याग देने की बात सोच रहे थे अचानक भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच रक्षा विभाग के माध्यम से इसके खरीद–बिक्री के लिए एक समझौता हुआ।

इसलिए, इससे कई प्रश्न उठते हैं। क्योंकि इस प्रकार की खराब हालत वाला एक पोत खरीदा गया? 36 वर्ष पुराना एक पोत उनसे क्यों खरीदा गया? विदेशी मुद्राकोष से इतना धन क्यों खर्च किया गया। सक्षम अधिकारियों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं लाया गया? भारत सरकार ने अमेरिकी नौ सेना से एक पुराना पोत खरीदने में उदारता क्यों दिखायी?

अगला घटना क्रम क्या था? अगला घटना क्रम यह है कि इस पोत से क्लोरीन के रिसाव के कारण छह भारतीय नाविक मर चुके हैं। इसके पहले जब यह पोत अमेरिकी नौसेना के कब्जे में था तो तीन नौसैनिकों की इस प्रकार मृत्यु हो गई थी। इसलिए यह ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति थी, क्या खरीदते समय यह सब मालूम नहीं था? यह कैसे हुआ? मेरा मूल प्रश्न जिसके प्रति मैं आपका ध्यान आकृषित करना चाहूंगा। वो यह है कि भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की गैर–जिम्मेदाराना ...*, गैर–किफायती...* की गई, भारत सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

महोदय, इससे दो बातें उभर कर आती हैं। क्या यह आर्थिक दृष्टि से लिया गया निर्णय था? या अमेरिका से घनिष्ठता बढ़ाने हेतु राजनीतिक निर्णय था? क्या यह भारत और बुश प्रशासन के बीच सामरिक रक्षा सहयोग का हिस्सा है? मुद्दा यह है कि हमारी रक्षा संबंधी आवश्यकता को कम आंका गया है। ऐसे समय जब हमें अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा हेतु मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है तब हमें एक पुराना पोत दे दिया गया जो भारत की रक्षा तैयारी के प्रतिकूल है...* मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं और मेरे विचार से सरकार ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : चार्ज प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं सरकार पर अपना कर्तव्य न निभाने का आरोप लगाता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, जी. ए. जी. की रिपोर्ट में चार्ज है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं सरकार पर अपना कर्तव्य न निभाने और राष्ट्रहित के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगाता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है इसे देख लिया जाएगा। आचार्य जी, चार लोगों ने नोटिस दिया है, मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में अमेरिकी नौसैनिक पोत यू.एस.एस. ट्रैन्टन की खरीद पर रिपोर्ट है...*(व्यवधान)*। इसे अब जलास्वा नाम दिया गया है। इसकी कटु अलोचना की गयी है और यह एक अत्यधिक गंभीर अभ्यारोपण है। तथा इससे प्रश्न उठता है कि इसे खरीदा ही क्यों गया? यह पोत 1971 का है, इसे तब खरीदा गया जब अमेरिकी नौसेना ने स्वयं ही 2003 में यह निर्णय लिया था कि यह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आधुनिकीकरण हेतु उपयुक्त नहीं है तथा इसे 2006 में सेवामुक्त कर दिया जाए। पोत को बिना निरीक्षण 50 मिलियन अमेरिकी डालर में खरीदा गया था। इसका निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? भारत सरकार ने यह जानते हुए कि अमेरिकी नौसेना ने 2003 में ही इसे 2006 में सेवामुक्त करने का निर्णय लिया था। तो इसे जल्दबाजी में खरीदने का निर्णय क्यों लिया गया? यह जानकारी होते हुए भी इस पोत को खरीदने का निर्णय क्यों लिया गया?

अमेरिका द्वारा इस पोत के आक्रामक उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। भारत सरकार ने यह शर्त क्यों मानी? मैं यह जानना चाहूंगा। क्या भारत सरकार को इसे खरीदते समय यह पता नहीं था कि इसमें गैस रिसाव से तीन नौसैनिक मारे गए थे? इसके अलावा हमारे देश के एक अधिकारी सहित तीन नौसैनिक भी गैस रिसाव के कारण मारे गए हैं...*(व्यवधान)* हम इस बारे में जानना चाहेंगे। भारत सरकार अमेरिका के साथ इस प्रकार का रक्षा सौदा क्यों कर रही है?

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, भारत सरकार इसे खरीद रही है क्योंकि ...', इन सैनिक साजो-समान, हथियार और रक्षा उपस्कर खरीदने को मजबूर है।

महोदय, मेरी मांग है कि भारत सरकार को इसकी जांच के आदेश देने चाहिए तथा सभा को आश्वासन देना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के घटिया हथियारों और उपस्करों की खरीद नहीं की जाएगी। ऐसा अमेरिका के साथ रक्षा समझौता प्रारूप तथा सामरिक संबंध समझौते के कारण हुआ है। हमारी मांग है कि इस संबंध में वक्तव्य दिया जाए।

भारत सरकार को सभा के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री सभा के समक्ष वक्तव्य दें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : बिना अनुमति के न लिखें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिए हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आचार्य जी, आपकी बात हो गई है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप कम से कम चार सदस्यों को बोलने दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नोटिस बहुत हैं। माननीय सदस्य की बात सुन ली जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह बहुत ही गंभीर बात है। इनने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है। आप कम से कम चार सदस्यों को बोलने दें।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, आपने प्रश्न काल के दौरान आश्वासन दिया था कि मुझे प्रश्न काल के बाद बोलने का अवसर दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं सरकार का ध्यान उस बात की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे सारे देश की इंडस्ट्रीज खत्म होने के कगार पर हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षडयंत्र है। ...*(व्यवधान)* हर रोज स्टील के भाव बढ़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह एसोसिएट हो गए हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक ही विषय पर कितने लोग बोलेंगे?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह एसोसिएट हो गए हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब उससे अपनी तुलना मत करिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : हम मांग करते हैं कि सरकार वक्तव्य दे, यह बहुत ही गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : महोदय, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि आपने प्रश्न–काल में मुझे आश्वासन दिया था? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : पंजाब में कोई भी इंडस्ट्री बच नहीं पाएगी। सरकार ने माना था कि इसके प्राइज नहीं बढेंगे। अफसोस की बात है कि दो महीने में लगातार तीन बार स्टील के भाव बढ़े हैं। अगर कोई उद्योगपति स्टील के ऑर्डर प्लेस करता है...*(व्यवधान)* जब कोई चीज मैन्यूफैक्चर करता है तो स्टील का रेट बढ़ कर दुगुना हो जाता है। इसके कारण पंजाब की इंडस्ट्री और फगवाड़ा के चार हजार यूनिट्स बंद होने के कगार पर हैं। ...*(व्यवधान)* स्टील इंडस्ट्री को बचाया जाए और सरकारी स्टील के भाव को स्टेबल करे वरना बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रीज के बंद होने से देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए मैं आपकी मदद से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कुछ लिखा नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : बाकी सभी नोटिस शाम को लिए जाएंगे। अब हम भोजनावकाश के लिए उठते हैं।

अपराह्न 1.03 बजे

[अनुवाद]

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय को उनके जन्मदिन पर बधाई

[हिन्दी]

अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को आपका जन्म दिन था, उस दिन छुट्टी थी, आज आप आये हैं, इसलिए आपको जन्म दिन की बहुत–बहुत मुबारकबाद। परमात्मा आपकी उम्र लम्बी करे, सेहतयाफ्ता करे और आप लम्बे समय तक देश की सेवा कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सर, हम भी आपको बधाई देते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सर, हमें पता नहीं था नहीं तो हाउस में लड्डू देते।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की तरफ से बहुत–बहुत शुभकामनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सर, हमारी तरफ से भी आपको जन्म दिन की बधाई।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सर, आप दीर्घायु हों।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, हमारी तरफ से भी बधाई स्वीकार करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, आज मिठाई चलनी चाहिए थी, लेकिन मिठाई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मिठाई के लिए आप जितना हुक्म करें, उतनी आ जाएगी।

अपराह्न 2.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम, 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे माने जायें। ...*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों को समुचित वेतन दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दुबे (धनबाद) : महोदय, आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री का ध्यान कोल इंडिया की खदानों के विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन के प्रति आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि उपक्रम की ओर से इन्हें 3000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, जो एक कुशल व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों को 4000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलता है। शिक्षा मित्रों से भी कम वेतन इन शिक्षकों को मिल रहा है।

अतः मैं माननीय कोयला मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि सरकारी उपक्रम की कोल कंपनियों को अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे कि इन शिक्षकों को प्रतिमाह, शैक्षिक योग्यता को देखते हुए राज्य सरकारों के वेतनमान के बराबर भुगतान करें।

(दो) हुबली-धारवाड़ में ऑटो क्लस्टर और गुलबर्गा में महिला उद्यमियों के लिए फूड क्लस्टर के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत सरकार को लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत (एक) हुबली– धारवाड़ में 500 लाख रुपये की अनुमानित लागत से आटो कलस्टर तथा (दो) गुलबर्गा में महिला उद्यमियों के लिए 23 लाख रुपये की अनुमानित लागत से फूड कलस्टर हेतु दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों को 2.8.07 तथा 12.09.07 को सौंपा गया था।

चूंकि प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है तथा एक प्रस्ताव मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति दे।

(तीन) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में यातायात को सुचारू बनाने के लिए एक रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल) : बहरामपुर शहर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का मुख्यालय है। शहर की जनसंख्या दो लाख तक पहुंच गई है। जिले भर से लोग प्रतिदिन विभिन्न कार्यों से शहर आते हैं। कोलकाता तथा लाल गोला रेल लाइन शहर के बीचों–बीच से गुजरती है जिसके कारण भारी जाम लगता है।

शहर आने वाली हर मुख्य सड़क रेल लाइन से होकर गुजरती है। शहर के अस्पताल में दाखिल करने के लिए ले जाए जा रहे गंभीर रोगी जाम में अक्सर फंस जाते हैं और इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

मुर्शिदाबाद के लोग अनेक वर्षों से शहर में उपरि पुल की मांग कर रहे हैं। जिस पर अभी विचार किया जाना है। मेरा रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि शहर में उपरि पुल का निर्माण किया जाए जिससे सड़क पर लगने वाले जाम को कम किया जा सके ताकि जिल में लोगों के सुचारू आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके।

(चार) जूनागढ़ और ऊना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने और गुजरात में केशोद सिटी के लिए एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र जूनागढ़ शहर से केशोद, वेरावल, कोढीनार और ऊना तक जाता है, आज खराब स्थिति में है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 200 कि.मी. तक का है और इसी राजमार्ग के बीच का लगभग 125 कि.मी. का मार्ग अत्यंत खराब स्थिति में है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन काफी अधिक संख्या में होता है।

जूनागढ़ से ऊना तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति और महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे जल्दी से ठीक कराया जाये अन्यथा आने वाली वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं।

इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित केशोद शहर के बाईपास की अनुमति काफी समय पहले दी जा चुकी है, लेकिन कार्य अभी तक भी आरंभ नहीं हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि बाईपास के कार्य को भी जल्दी से शुरु करवाया जाये।

अतः मेरा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध है कि मेरे इन प्रस्तावों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जल्दी से उचित कार्यवाही की जाये। ये कार्य जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(पांच) सिंगापुर, मलेशिया और बहरीन में रह रहे अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. एम. आबान रशीद (पेरियाकुलम) : मैं थिंता के कुछ क्षेत्रों को सरकार के ध्यान में लाता हूं जिन्हें सिंगापुर, मलेशिया और बहरीन

में रह रहे भारतीय मूल के तमिलों/अनिवासी भारतीय नागरिकों के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किया गया है।

सिंगापुर और मलेशिया में राजदूतावास शनिवार और रविवार को बंद रहते है। वहां रहने वाले अनिवासी भारतीयों को दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में अपने निकट संबंधियों से मिलने के लिए वीज़ा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे राजदूतावासों (संयुक्त अरब अमीरात और (सऊदी अरब जैसे देशों में 24 घंटे का वीजा अथवा नेट पर वीजा व्यवस्था करने से उनकी कठिनाइयां कम होंगी।

इसके अतिरिक्त वे भारतीय बैंकों से ऋण/अग्रिम प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि ये बैंक अधिकांशतः बहुत सी औपचारिकताओं को पूरा करने की बात पर अड़ जाते हैं। इन देशों में भारतीय दूतावास विद्यालय भी नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप अनिवासी भारतीयों को अपने बच्चों को वहां ऐसे प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाना पड़ता है जहां भारतीय संस्कृति और भाषाओं का पाठ्यक्रम नहीं होता है।

यदि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने के एयर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइन्स से भारत आते हैं तो उन्हें एयर इंडिया द्वारा वापस लौटाने में अत्यधिक किराए की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को एयर इंडिया एक्सप्रेस की सुविधा प्रदान की जाए क्योंकि ये लोग बहुत समृद्ध नहीं हैं।

मैं संबद्ध मंत्रालयों के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में तत्काल सुधारात्मक/उपचारात्मक कदम उठाएं।

(छह) तमिलनाडु में डिंडीगुल और केरल में कुमुली के बीच रेल संपर्क सुविधा आरम्भ कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेलयन (पलानी) : तमिलनाडु में डिंडीगुल वस्त्र उद्योगों का केंद्र है जहां लगभग 130 कताई मिल हैं। डिंडिगुल केरल का प्रवेशद्वार है। परंतु डिंडीगुल और केरल की सीमा कुमुली के बीच रेल संपर्क नहीं है। पतलकुंड, पेरियाकुलम, तेनी, बोदी, चिन्नमनूर, उत्मपलयम, कंबम, गुडालूर, लोअर कैंप जैसे स्थान महत्वपूर्ण कस्बे हैं और इलायची, काली मिर्च, नारियल, धान, पान के पत्ते, पान सुपारी, अंगूर, चाय और सभी प्रकार के अनाजों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन सभी वस्तुओं को लारी और वैगनों द्वारा निर्यात किया जाता है।

हाईवैविश टी एस्टेट मन्नार टी एस्टेट को जोड़ रही है। इसके अतिरिक्त, थेक्कड़ी, मन्नार, कुमारहम, कोट्टायम, कोडैकनाल जैसे पर्यटक स्थल इस क्षेत्र के निकट हैं। बड़ी संख्या में भक्तगण पलानीहिल मंदिर तथा सबरीमलाई की तीर्थयात्रा करने के बाद केवल इस मार्ग का प्रयोग करना पसंद करते हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने डिंडीगुल रेलवे स्टेशन के माध्यम से ट्रेन में चढ़ना पसंद किया है क्योंकि यह मदुरै की अपेक्षा निकट है। डिंडीगुल–कुमली को रेल सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। यदि इस रेल मार्ग को स्वीकृति दी जाती है तो इससे रेलवे को काफी लाभ होगा तथा यह आम जनता और पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। यह लाइन तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों को जोड़ती है।

अतः, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस डिंडिगुल–कुमुली रेलवे परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दे।

(सात) गोरखपुर और सोनौली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29 (ई) का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, नेपाल भारत का निकटतम पड़ोसी मित्र राष्ट्र है। उत्तर प्रदेश को नेपाल से जोड़ने के लिए प्रमुख मार्ग गोरखपुर होते हुए सोनौली तक जाता है। इस मार्ग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए वर्ष 2003 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29(ई) के रूप में मान्यता दी। इस राजमार्ग के कि.मी. 86 पर गोरखपुर महानगर से लगा महेसरा सेतु 14 अगस्त, 2007 को तीसरी बार क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से यातायात लगातार बाधित है। यद्यपि संसद में बार–बार मुद्दा उठाने के फलस्वरूप इस सेतु की मरम्मत आदि के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने आवश्यक धनराशि स्वीकृत की है, परन्तु इस स्थान पर एक नए सेतु का निर्माण आज की आवश्यकता है। साथ ही गोरखपुर–सोनौली राजमार्ग बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आता है जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थस्थल प्रमुखता से आते हैं, इसके अतिरिक्त लाखों देशी विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष यहां से आते जाते हैं। इसलिए इस मार्ग को ऊंचा उठाना अत्यंत आवश्यक है।

कृपया महेसरा पर नए सेतु के निर्माण तथा गोरखपुर–सोनौली राजमार्ग को चौड़ा एवं ऊंचा करने के कार्य को अविलम्ब प्रारंभ किया जाये।

(आठ) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को भारत के पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई ऐतिहासिक पुरातत्वीय एवं प्राकृतिक दृष्टि से दर्शनीय एवं पर्यटन योग्य स्थान हैं। इन जिलों में मध्य प्रदेश

के मंदसौर जिले में भी पुरातात्विक दृष्टि से कई विशिष्ट ऐतिहासिक किले तथा प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, सौंधनी जिले में स्तम्भ एवं देश में प्रसिद्ध भादवा माता का मंदिर आदि है। मंदसौर जो कि दशपुर नाम से विख्यात है एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर है यहां पर पशुपतिनाथ जी की विशाल एवं भव्य अष्टमुखी प्रतिमा है जिसके दर्शनार्थ भारत के कोने–कोने से लाखों लोग प्रतिवर्ष यहां पर आते हैं। राज्य सरकार द्वारा मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की मांग की है क्योंकि जिले के अन्य विभिन्न स्थानों जिनमें गांधी सागर का विशाल जलाशय, अभयारण्य तथा पहाड़ों पर उत्कीर्ण शिलालेख आदि हैं। प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से मंदसौर को पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु पूर्व में भी आग्रह किया गया है।

मेरा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से अनुरोध है कि मंदसौर जिले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसको शीघ्र पर्यटन स्थल घोषित करने का कष्ट करें।

(नौ) गुजरात में औद्योगिक परियोजना को चालू करने की समय सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बड़ोदरा) : गुजरात राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों से 7900 करोड़ रुपये के निवेश वाली 180 परियोजनाओं को शुरू किया गया है जबकि 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार लगभग कुल 32000 करोड़ रुपये के निवेश वाली 409 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में उत्पादन शुरू नहीं कर सकी हैं। गुजरात सरकार ने दिनांक 3.3.2006 को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2007 तक बढ़ाया जाए और कच्छ, गुजरात में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्पादशुल्क तथा बिक्री कर के लिए पैकेज की घोषणा करने जैसे उदार प्रावधान करें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस स्थिति की समीक्षा करें और समय सीमा को राज्य सरकार की इच्छानुसार दिसंबर २००७ तक बढ़ाकर उसे कृतार्थ करें।

(दस) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक ''सूर्य कुण्ड'' स्थान का रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा में एक कालपी तहसील है जिसमें ब्लाक कदौरा के ग्राम मदरालालपुर में एक सूर्यकुंड है जो कि देश की ऐतिहासिक धरोहर है। चन्द्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के समय देश विदेश खगोलशास्त्री दूरबीन लगाकर यहां अध्ययन करने आते हैं। यह सूर्यकुंड इस समय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है तथा वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़की की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पर्यटकों, शोधकर्ताओं एवं खगोल शास्त्रियों को पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है इससे इस ऐतिहासिक धरोहर का महत्व भी कम होता जा रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इस सूर्यकुंड का जीर्णोद्धार कराया जाये एवं कालपी से ववीना तक मदरालापुर होते हुए पक्की सड़क बनाई जाये।

(ग्यारह) मगदल्ला और अन्य पत्तनों के विकास के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सौभाग्य से भारत में 7500 कि.मी. लंबी तटीय रेखा है जहां पर 13 प्रमुख और 187 छोटे पत्तन हैं और वहां से ऊर्जा बचत माध्यम वाले परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा यह पर्यावरण अनुकूल भी है। तटीय पोत–परिवहन कारगो के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिवहन का सुरक्षित माध्यम है और यह छोटे व्यापारियों की पहुंच में भी है जो भारत के तटीय क्षेत्र में अपने पार्सल भेज सकते हैं। यद्यपि संभावना अधिक है। फिर भी हम देखते हैं कि भारत में तटीय पोत–परिवहन में वास्तव में बढ़ोत्तरी नहीं हुई और इसका प्रतिशत लगभग 8–10 प्रतिशत मात्र है।

भारत सरकार ने उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में तटीय कारगो की व्यवस्था करने के लिए कतिपय छोटे पत्तनों की पहचान की है। जीएमबी पत्तनों द्वारा तटीय यातायात का संचालन वर्ष 2004–05 के दौरान 202.75 लाख मीटरी टन और वर्ष 2006–07 के दौरान यह लगभग 230 लाख मीटरी टन का।

गुजरात सरकार ने मगदल्ला और अन्य पत्तनों का विकास करने के लिए महानिदेशक, पोत–परिवहन को प्रस्ताव भेजा है और भारत सरकार की अपेक्षानुसार पुनः गुजरात सरकार द्वारा संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महोदय, मैं सरकार से इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति देने का आग्रह करता हूं।

(बारह) केन्द्र सरकार के उपक्रम इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : 'द इन्स्ट्रूमेंटशन लिमिटेड' केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो 1993 से बढ़ रहे

घाटों के कारण गहरे संकट में है। इसे एक रूग्ण उद्योग घोषित कर दिया गया है और 1993 में बी आई एफ आर को सौंपा जा चुका है। इसके पुनरोद्धार के लिए एक पैकेज था लेकिन यह अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। यद्यपि कंपनी पूर्ण रूप से गहरे संकट में है तथापि पलक्कड़ स्थित इसकी इकाई आज भी लाभ अर्जित कर रही है। बीएचईएल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों ने इसे अपनी उत्पादन इकाई बनाने में अपनी रुचि व्यक्त की है। इसलिए मैं सरकार से' इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड' को बीएचईएल की उत्पाद इकाई बनाने अथवा इसका विलय बी एच ई एल में करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) केरल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वन्डानाम, अलप्पुझा के पास एक ब्लॉक रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : अलप्पुझा कस्बे में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल अलप्पुझा को वंदनम स्थानांतरित कर दिया गया है जो कस्बे से लगभग 25 किमी. दूर है। यहां चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, पराचिकित्सा संस्थान और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित हैं। जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां इलाज कराने आते हैं। यहां एक प्रसिद्ध मंदिर है। अस्पताल पहुंचने के लिए लोगों को पुन्नापरा रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है। जो अस्पताल से तीन किलोमीटर दूर है। लेकिन यह ब्लॉक स्तर का स्टेशन नहीं है। यदि वंदनम में एक ब्लॉक स्टेशन स्थापित कर दिया जाए तो यह रोगियों और उनके तीमारदारों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इसलिए, मैं रेलमंत्री से अलप्पुझा कायाकुलम स्टेशन लाइन पर वन्डानाम में एक नया ब्लाक स्टेशन स्थापित करने का आग्रह करता हूं।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रेल संपर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ. प्र.) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के बाद से रेलवे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्य आज तक नहीं किया गया। हरपालपुर से पनबाकी, राठ, मुस्करा, विर्वोर होते हुए मुख्यालय हमीरपुर तक एवं महोबा से चरखारी, राठ, गोहाण्ड होते हुए उरई तक हरपालपुर से राठ–गोहाण्ड–सरीला–चंडौत होते हुए कालपी तक नई रेल लाइन बिछाई जाये। खजुराहो–महोबा रेल लाइन बनकर लगभग तैयार है, उनका यथाशीघ्र उद्घाटन कर खजुराहो से महोबा होते हुए दिल्ली एवं खजुराहो से बनारस के लिए आवश्यक रेलगाड़ियों के साथ गरीब रथ या शताब्दी जैसी ट्रेनों को चलाने की आवश्यकता है। साथ ही एक गरीब रथ एक्सप्रेस दिल्ली से पटना तक वाया झांसी–महोबा–बांदा–चित्रकूट–इलाहाबाद होते हुए चलाया जाये। उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति की घोषणा माननीय रेल मंत्री जी ने अपुपूरक मांगों के जवाब में सदन में इसे मेरे द्वारा पांच दिन चलाने के लिए की गयी मांग को उत्तरोत्तर में की थी जिसे तुरंत चलाया जाये। रायपुर से लखनऊ चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का रागौल, हमीरपुर जनपद रेलवे स्टेशन पर ठहराव की आवश्यकता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि लोगों की आवश्यकता एवं क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने एवं आवागमन के साधन उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त जगहों में नई रेल लाइन बिछाने, महोबा–खजुराहो रेल मार्ग का उद्घाटन तथा उक्त सभी रेलगाड़ियां चलाये जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। रागौल में गरीब रथ का ठहराव दिया जाए।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के ललितपुर में वन क्षेत्रों में बेदखल कर दिए गए एक अनुसूचित जाति समुदाय "सहरिया" के लिए निवास संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी) : देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रही सहरिया जाति के अनुसूचित जनजाति के लोगों का जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण है ये आदिवासी देश के वन क्षेत्रों में अपना जीवन–यापन कर रहे थे। अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत आदिवासी अधिनियम 2006 का उद्देश्य वन अधिकारों से वंचित किए आदिवासियों को वन उपज पर तथा काबिज भूमि पर अधिकार दिलवाना है। जबकि वन कानूनों के अंतर्गत अब कोई भी आदिवासी या जनजाति वन क्षेत्रों के भीतर नहीं रह सकती। मेरे संसदीय क्षेत्र के 70,000 से एक लाख के बीच सहरिया जाति के लोगों को वन से बाहर कर दिया गया है। उन्हें अनुसूचित आदिवासी अधिनियम के अधिकार नहीं मिल रहे हैं और न ही वन अधिकार अधिनियम 2006 का लाभ मिल रहा है। पहले ये लोग अनुसूचित जाति में आते थे अब इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के ललितपुर जिले में रह रहे सहरिया जाति के लोगों की वन क्षेत्र में रहने की व्यवस्था की जाए या बाहर रह कर भी उन्हें उनके अधिकार सुनिश्चित कराए जाएं।

(सोलह) बिहार में दानापुर मेन लाईन पर स्थित जमालुद्दीन चक गांव और खगौल नौबतपुर के बीच एक पैदल ऊपरि पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : दानापुर (पटना) मेन लाइन पर जमालुद्दीन चक गांव और लाइन के दूसरी तरफ खगौल–नौबतपुर मेन रोड से आने–जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मोहल्ले की आबादी करीब 25–30 हजार की है। वहां छः लाइन है और लाइनों के बीच

में एक हजारों वर्ष पुरानी मजार है। जहां लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। साल में एक बार उर्स का मेला भी लगता है। वर्षों से गांव वाले लाइन पार करने के लिए एक पुल की मांग करते आ रहे हैं। हमेशा लाइन पार करते समय दुर्घटना होती रहती है और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि मजार के पास खगौल–नौबतपुर मेन रोड और जमालुद्दीन चक गांव को जोड़ने के लिए वहां मेन रेलवे लाइन के ऊपर एक फुट ब्रिज के निर्माण की अविलम्ब अनुमति प्रदान करें। इसमें कई अन्य गांव जैसे गुड़गावा, मोहम्मदपुर, बाबूचक आदि के लोगों को सुविधा मिलेगी।

(सत्रह) आठवीं अनुसूची में दी गई समस्त भाषाओं को संघ सरकार की राज भाषा बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर) : हमारे संविधान के अनुच्छेद 348(2) के उपबंधों के अनुसार उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई के दौरान हिन्दी सहित सभी राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्णय केवल अंग्रेजी में ही दिया जाएगा। अपने राज्य मे अपनी संबंधित भाषा में उच्च न्यायालयों की कार्यवाही देखने और निर्णय प्राप्त करने के लिए जाने वाले करोड़ों आम आदमियों को सक्षम बनाने के लिए सभी राज्यों की राजभाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। यदि न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों में केवल हिन्दी के प्रयोग की सिफारिश की जाती है तो यह संविधान की भावना और इसके उपबंधों का उल्लंघन होगा। विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती और यदि उच्च न्यायालयों के निर्णय सुनाने के लिए केवल हिन्दी को ही चुना जाता है तो इससे सभी राज्यों के हितों को नुकसान होगा। अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हू कि वह भारत के सभी नागरिकों के हितार्थ और आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को केन्द्र सरकार की राजभाषा बनाने के लिए सभी राज्यों की राजभाषाओं को भारतीय संघ में प्रयोग करने की शीघ्र आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय विधि मंत्रालय द्वारा विधि आयोग और राजभाषा संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की राय मांगने के साथ–साथ अन्य उपयुक्त कदम भी उठाएं।

(अठारह) मान्यता प्राप्त पत्रकारों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं फिर से दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुख्यालय पत्र–सूचना कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों और विशेष रूप से फ्री–लांस पत्रकारों के साथ किए जा रहे व्यवहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इन पत्रकारों को भारत सरकार की ओर से मात्र दो सुविधाएं मुहैया करायी जा रही थीं। इसमें एक तो रेल मंत्रालय की ओर से रेल यात्रा में पचास प्रतिशत की छूट है और दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज में कुछ सहूलियत। पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सुविधा बंद कर दी है। पहले भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के पूरे परिवार यथा–पत्रकार, उसके माता–पिता, पत्नी एवं बच्चों को यह सुविधा सालाना 600 रु. जमा करने पर उपलब्ध थी बाद में उसे बढ़ाकर लगभग 1100 रु. कर दिया गया। पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सुविधा पूरी तरह समाप्त कर दी है। इसके विपरीत राज्य सरकारें अपने यहां पत्रकारों को बस पास, रेलवे कूपन, आवास की सुविधा तथा दिल्ली के अच्छे अस्पतालों में इलाज की पूरी व मुफ्त सुविधा भी दे रही है। इसके विपरीत राज्य सरकारें अपने यहां पत्रकारों को बस पास, रेलवे कूपन, आवास की सुविधा तथा दिल्ली के अच्छे अस्पतालों में इलाज की पूरी व मुफ्त सुविधा पूरी तरह समाप्त कर दी है। इसके विपरीत राज्य सरकारें अपने यहां पत्रकारों को बस पास, रेलवे कूपन, आवास की सुविधा तथा दिल्ली के अच्छे अस्पतालों में इलाज की पूरी व मुफ्त सुविधा भी दे रही हैं। इसी तरह अन्य प्रदेश सरकारों ने भी अपने यहां पत्रकारों को यात्रा, आवास और इलाज की सुविधा मुफ्त दे रखी हैं, लेकिन भारत सरकार के मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो नाम–मात्र की सुविधा दी जा रही थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार की यह कार्रवाई लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ अन्याय है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि वह भारत सरकार के मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दी जा रही स्वास्थ्य संबंधी सुविधा को पूर्व की भांति बहाल करें ताकि वे बगैर किसी चिंता के अपना काम कर सकें।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण संबंधी उषा मेहरा आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की 59 जातियों को उपजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक निकटता के आधार पर 'क', 'ख', 'ग', 'घ' समूहों में श्रेणीकृत करने के लिए 'माडिगा आरक्षण पोरता समिति' द्वारा पिछले 14 वर्ष तक एक आंदोलन चलाया गया। स्वतंत्रता के 60 वर्ष के पश्चात भी आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की 59 उपजातियों को आरक्षण का लाभ समान रुप से नहीं मिल रहा है।

भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों को 'क', 'ख', 'ग', 'घ' समूहों में श्रेणीकृत करने की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उषा मेहरा आयोग का गठन किया था।

उषा मेहरा आयोग ने लोगों की राय जानने के लिए आंध्र प्रदेश में कई बैठकें की और इसकी रिपोर्ट अभी आनी है?

जबकि यह प्रक्रिया चल रही है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। यदि आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत होने से पूर्व इसकी अनुमति दी जाती है तो मीडिया और संबंधित जातियों के लोगों को अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि वे 'मालाज' से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे अत्यंत पिछड़े हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से उषा मेहरा रिपोर्ट को सरकार को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को 'क', 'ख', 'ग', 'घ' समूहों में श्रेणीबद्ध करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(बीस) 220 के.वी. पारेषण लाइन द्वारा उत्तरी ग्रिड के साथ लद्दाख को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : जम्मू कश्मीर राज्य के समूचे लद्दाख क्षेत्र में वस्तुतः बिजली आपूर्ति ही नहीं है। सर्दियों के महीनों में दो मुख्य कस्बों–लेह और कारगिल में भी केवल 4 से 5 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है क्योंकि दोनों माइक्रो जलविद्युत परियोजनाएं पानी के जमने के कारण बंद करनी पड़ती है। यद्यपि किए विद्युत परियोजना, लेह में और एम कारगिल में निर्माणाधीन हैं तथापि इन्हें पूरा होने से कम से कम 5 वर्ष लगेंगे। यह मांग की गई है कि एक 220 केवी संप्रेषण लाइन के जरिए लद्दाख क्षेत्र को उत्तरी ग्रिड से जोड़ दिया जाए और यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृत हो। कुल 634 करोड़ रुपए की राशि मंजूर भी की गई थी। लेकिन परियोजना टाल दी गई। लद्दाख क्षेत्र में सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इसे उत्तरी ग्रिड से जोड़ा जाना आवश्यक है। लद्दाख में निर्माणाधीन दोनों परियोजनाओं के पूरा हो जाने से भी सर्दियों में मांग पूरी नहीं होगी क्योंकि पानी कम आने से विद्युत उत्पादन कम हो जाएगा। अतः, मैं सरकार से 220 के वी लाइन के जरिए लद्दाख क्षेत्र को उत्तरी ग्रिड से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने का आग्रह करता हूं ताकि हमारे देश के रणनीतिक दृष्टि से इस संवेदनशील सीमा क्षेत्र को अबाधित ऊर्जा आपूर्ति हो सके।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैंने सूचना दी है। *...(व्यवधान)* मुझे आश्वासन दिया गया था कि मैं इस (मुद्दे) को सोमवार को उठाऊंगा। लेकिन आज भी, सुबह इसे स्थगित किया गया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जीरो आवर नहीं है, इसे शाम को ले लेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : सर, मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको समय दूंगा तो और भी मांगेंगे, फिर उन्हें कैसे इनकार करूंगा। त्रिपाठी जी फिर दूसरों को भी टाइम देना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी तरफ से रिक्वैस्ट है, उन्होंने जाना है।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक) : सभा में चारों ओर से मांग होगी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 19 लेंगे।

श्री मोहन सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री प्रबोध पाण्डा – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप शाम को बोल लेना। अब मैंने नैक्स्ट आइटम ले लिया है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति को मंजूरी दे दी है। संसद का सत्र चल रहा है। हमें समाचार पत्रों और संचार माध्यमों से पता लग रहा है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय को मंजूरी दे दी है और इस सभा को इसका पता तक नहीं है। वस्तुतः हुआ क्या है? *...(व्यवधान)* यह चुनावी वर्ष है और खनन उद्योग से जुड़े अंतरराष्ट्रीय लोगों के दबाव की वजह से सरकार ने इस खनन नीति को मंजूरी दी है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा बैठ जाएं। आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी आ गए हैं, मैंने पहले आपको बुलाया था, लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ...*(व्यवधान)* के केवल पांच मुख्यमंत्रियों ने एक संयुक्त ज्ञापन दिया है।. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, कृपया अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

केवल मोहन सिंह जी की बात रिकार्ड पर जायेगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्यकाल' का समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन सिंह जी को बोलने के लिए कहा है।

अपराह्न 2.10 बजे

चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं:–

"कि यह सभा 5 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।" ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : त्रिपाठी जी, ज़ीरो ऑवर में आप अपनी बात रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी बात के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया रहा है।

...*(व्यवधान)**

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं:–

"कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा 5 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

"कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शरद पवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि 2006–07 के गन्ने के मौसम में गन्ने का उत्पादन अप्रत्याशित रूप से ज्यादा रहा था जिसके कारण 190 लाख टन के घरेलू खपत के आकलन की तुलना में 283 लाख टन अधिक चीनी का उत्पादन हुआ।

वर्ष 2006–07 में 90 लाख टन से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन तथा अंतराष्ट्रीय बाजार में लगभग 110 लाख टन के अतिरिक्त चीनी होने से चीनी की कीमत काफी कम थी और भारत में तथा विदेश में भी वर्ष 2007–08 के गन्ने के मौसम में गन्ना और चीनी के प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन के कारण देश में चीनी की कीमत 450 रुपये से 600 रुपये प्रति क्विंटल कम हुई। चीनी मिलों का भारी नुकसान हुआ और वे गन्ने की बकाया राशि देने में असमर्थ रहे जिससे किसानों का गन्ने का बकाया बढ़ गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

जून, 2007 में गन्ने की कीमत का बकाया 4964 करोड़ रुपये था। इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार को बड़े पैमाने पर चीनी के विक्रय में हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने (क) चीनी के निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और (ख) 50 लाख टन का बफर स्टॉक सृजित करके तथा उसमें रख–रखाव के लिए बफर सब्सिडी की घोषणा करना जिससे कि कीमतें स्थिर हो सकें तथा कारखानों की नकदी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, की घोषणा की जिससे कि किसानों की बकाया राशि को चुकता किया जा सके।

तथापि, चूंकि अतिरिक्त चीनी इतनी अधिक थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी मांग नहीं थी, सरकार द्वारा कदम उठाये जाने के बावजूद भी गन्ना उत्पादक किसानों की गन्ना की बकाया राशि बहुत अधिक थी। इसलिए कारखानों को और अधिक नकदी राशि उपलब्ध कराकर तत्काल मदद करने की जरूरत थी जिससे किसानों की गन्ने की बकाया राशि को चुकता किया जा सके।

वर्ष 2006–07 में कुल गन्ना उत्पादन तथा 2007–08 में गन्ना मौसम में संभावित उत्पादन पर सांकेतिक उत्पाद शुल्क की तुलना में कारखानों को बैंकों से ऋण देने के लिए सरकार द्वारा तदनुसार निर्णय लिया गया। जिसके साथ यह शर्त थी कि ऋण का उपयोग गन्ने की बकाया राशि के रुप में किसानों के बकाया के भुगतान के लिए किया जाएगा। 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के कारण ऋण आकर्षक नहीं रहा और इस बात पर विचार करते हुए कि यह योजना नहीं चल सकती, सरकार ने ऋण पर कुल ब्याज के बराबर आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। ब्याज पर आर्थिक सहायता और वित्त वर्ष के दौरान उसके भुगतान के संबंध में सरकार की ओर से बिना किसी आश्वासन के बैंक 2007–08 में अपने तुलन–पत्र में देयता से बचने के लिए ऋण देने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं।

योजना के महत्व और गन्ना किसानों के लिए इसके निहितार्थ को देखते हुए सरकार ने ब्याज के रुप में आर्थिक सहायता की मद में बजट में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत तक राशि देने का निर्णय लिया है। तथा उसके एस.डी.एफ. से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष तक ब्याज के मद में आर्थिक सहायता के भुगतान की अनुमति दी है।

वर्ष 2006–07 के गन्ना मौसम के दौरान चीनी उद्योग को हुए भारी नुकसान के कारण कारखानों के पास पर्याप्त कार्यकारी पूंजी नहीं है अथवा 2007–08 के मौसम के लिए समय पर मिलें चालू करने के लिए धन नहीं है। इस विलम्ब के कारण गन्ने का उपयोग गुड़ या खांडसारी बनाने वाले निर्माताओं के द्वारा किया गया जहां किसानों को अपने गन्ने का कम मूल्य मिला और देर से कटाई के कारण गेहूं की बुआई में भी देर हुई। संसद की बैठक नहीं चल रही थी और किसान अपनी बकायों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और चीनी मिलों को धन की सख्त जरूरत थी और कभी–कभी तो गन्ने की पेराई के लिए भी उनके पास धन नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण से ब्याज के रुप में आर्थिक मदद के संदाय और वित्त वर्ष 2007–08 से ही एस.डी.एफ निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक विधायी संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से पूरा किया गया। बिना किसी और विलम्ब के सरकार ने अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया। जिससे कि संसदी की बैठक की प्रतीक्षा किए बिना ऋण जारी किया जा सके तथा आवश्यक विधायी संशोधन पारित किया जा सके।

बफर सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण, चीनी मिलों को निर्यात सहायता तथा अब बैंकों से ऋण, जिसमें ब्याज के रुप में आर्थिक सहायता भी सम्मिलित है, मिलने के कारण चीनी मिलें किसानों के गन्ने की बड़ी बकाया राशि का भुगतान करने में सक्षम हुई है। 2008 में राज्यों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष के बकाया को छोड़कर, कुल बकाया राशि लगभग 1090 करोड़ रुपये है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अध्यादेश का प्रख्यापन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 फरवरी, 2008 को किया गया था। बैंक पहले ही लगभग 2482 करोड़ रुपये संस्वीकृत कर चुके थे तथा अन्य 464 करोड़ रुपये का ऋण की संस्वीकृति दी जाने वाली है। वर्ष 2006–07 के गन्ना मौसम तथा 2007–08 के मौसम के लिए गन्ने की आपूर्ति के लिए किसानों को बकाया का भुगतान शुरु किया जा चुका है।

यदि सरकार ने अध्यादेश जारी नहीं किया होता तो लगभग दो महत्वपूर्ण महीने ऐसे ही निकल जाते और किसानों के गन्ने का बकाया और बढ़ गया होता। कुछ चीनी मिलें या तो चालू नहीं होती या देर से चालू होती। जिससे गन्ने की फसल का नुकसान होता और किसानों के लिए अन्य फसल की बुआई में देर होती।

महोदय, अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अध्यादेश जनहित में जारी किया गया है जिसका एक मात्र उद्देश्य किसानों के गन्ना के बकाया राशि का पूर्ण भुगतान किया जाना विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के तथा यह भी सुनिश्चित करना था कि 2007–08 के गन्ने के मौसम के दौरान गन्ने की आपूर्ति के लिए समय पर भुगतान किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : इस विधायी कार्य के निष्पादन के बाद हमारी कार्य सूची

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

में दो अन्य कार्य हैं; अग्रिम संविदा (विनियमक) संशोधन विधेयक और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक। सरकार की ओर से आज मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से लिखित अनुरोध किया है कि अग्रिम संविदा विनियमन विधेयक पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे और प्रसार भारती के संबंध में अंतिम विषय पर आज हम चर्चा शुरु करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में इस विधेयक पर चर्चा होने के बाद विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हमारी नियमावली, संसद की परम्परा – उसके अनुसार कोई अध्यादेश जब विधेयक के रुप में सदन के समक्ष विचार के लिये आता है तो उसके लिये निरनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जो परिपाटी रही है, उसका पालन करते हुये मैं निरनुमोदन का प्रस्ताव तो रख रहा हूं लेकिन मेरी मंशा इसे 'डिसअप्रूव' करने की नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी भी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह गन्ना उत्पादकों के हितों का विशेष ध्यान रखें लेकिन साथ ही चीनी उत्पादक कम्पनियों के हितों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि हम चीनी उद्योग को पूरे–पूरे बाजार के हवाले कर देंगे तो किसी भी हालत में, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र की चीनी मिल हो, वह किसानों का समुचित भुगतान नहीं कर सकती है। अगर हम गन्ने के इतिहास के अलावा चीनी उत्पादकों के इतिहास को देखें तो पायेंगे कि हर तीसरे साल गन्ने का उत्पादन घटता है।

गन्ने की घटती उत्पादकता को देखकर बाज़ार में चीनी के दाम बढ़ने लगते हैं, यानी डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू है और चीनी और गन्ना के क्षेत्र में यह विशेष रूप से लागू है। जब तीसरे साल गन्ने का उत्पादन कम हो जाता है और चीनी की कीमत बढ़ने लगती है, मिलों को फायदा होता है और गन्ना काश्तकारों को कोई भी कीमत देने की स्थिति में मिलें हो जाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी क्षमता भर की पेराई के लिए गन्ना बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, ऐसे में जब एक वर्ष गन्ना काश्तकारों को गन्ने की कीमत अधिक मिलती है तो दूसरे वर्ष में ही गन्ने की बुवाई एकरेज विस्तृत हो जाता है। नतीजा यह होता है कि गन्ना अधिक होने से चीनी का निर्माण भी अधिक होता है और बाज़ार में चीनी अधिक हो जाती है तो उसकी कीमत घटने लगती है और गन्ना मिलें सांसत में पड़ती है, झंझट में पड़ती है। इसके ही निराकरण के लिए इस देश में चीनी फंड की स्थापना की गई थी कि जब चीनी मिले परेशानी में पडें तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम कुछ उपाय कर सकें। पिछले दो वर्ष का इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षमता की नई चीनी मिलें स्थापित हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतिहास में गन्ने का सबसे अधिक मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। लेकिन यदि पिछले साल के बाज़ार को देखें तो सरकारी गन्ना मूल्य का जो एग्रीड प्राइस था, भारत सरकार एक स्टैच्युटरी प्राइस सर्कुलेट करती है पूरे देश के लिए, लेकिन कुछ राज्य सरकारें चीनी मिलों की सहमति से एग्रीड प्राइस तय करती हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी परिपाटी रही है। भारत सरकार ने 80–85 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय करके भेज दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से चीनी मिलों ने खेत में जाकर गन्ना किसानों को 135–136 रुपये प्रति क्विंटल का भाव उनके अपने ही खेत में दिया। नतीजा यह हुआ कि एक वर्ष के प्रयास से उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को 19 हजार करोड़ रुपये का भुगतान स्वयं कृषि मंत्री जी के अपने शब्दों के अनुसार पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में वहां की चीनी मिलों ने किया था। उसके चलते जहां पहले महाराष्ट्र का भारत में चीनी उत्पादन में नंबर का एक स्थान था, उसको छीनकर नंबर एक का स्थान उत्तर प्रदेश ने ले लिया। लेकिन उसका घाटा क्या हुआ? इस वर्ष गन्ना उत्पादन का क्षेत्र इतना बढ़ गया और पिछले साल चीनी का उत्पादन जैसा मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि भारत के अंदर जितनी चीनी की खपत है, उससे 80–90 लाख टन हमने अपने देश में अधिक उत्पादन किया। चूंकि हमने पिछले 11 वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, इसलिए दुनिया में जो ठहराव आता है अर्थव्यवस्था का, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है और यदि दुनिया की अर्थव्यवस्था छलांग मारती है तो भारत भी उसमें कुछ रेंगेने लगता है और भारत सरकार अपनी पीठ ठोंकने लगती है कि यह तो हमारी नीतियों का प्रतिफल है कि भारत रेंग रहा है। लेकिन जब गिरता है और ठहराव आता है तो भारत सरकार उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होती। यदि आप आंकड़े देखें तो पिछले तीन महीनों में हिंदुस्तान का औद्योगिक उत्पादन साढ़े पांच फीसदी से अधिक गिरा है ठहराव की ओर। उसी तरह कृषि उत्पादन के लिए भारत सरकार संकल्प करती है कि चार फीसदी हो जाए, लेकिन बीच में वर्ष 2001–2002 में तो शून्य फीसदी था। अब दो–ढाई फीसदी के ऊपर आकर रूका हुआ है। यही स्थिति होती है कि जब भारत मे चीनी का उत्पादन अधिक होता है तो दुनिया में चीनी का बाज़ार भाव गिर जाता है। जब भारत में गेहूं हो, चावल हों, सरसों हो या चीनी हो, कुछ भी हो, भारत में जिस खाद्य पदार्थ का उत्पादन कम होता है, दुनियां के बाज़ार में उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि खाद्यान्न की खपत सबसे अधिक खरीदकर, भारत जैसे देश में होती है। कृषि मंत्री जी ने हमारे ही प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हिन्दुस्तान की सरकार को गेहूं की अंतिम खेप खरीदकर लानी पड़ी।

उसका कारण यह है कि हमारे देश की कमी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई और आसमान छूने लगी। हमारे देश के अतिरिक्त उत्पादन को देख कर चीनी की कीमत दुनिया में कम हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि दीवालियेपन की स्थिति में हिन्दुस्तान की चीनी मिलें हो गईं और गन्ना काश्तकारों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले सदन में यह बात आई थी और मंत्री जी ने उसे स्वीकार किया, आपने सहायता देने की कोशिश की। इस फंड से पहली बार नहीं, जब राजनाथ सिंह जी भारत के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने फंड से पैसा देने की कोशिश की कि उनका समय से भुगतान हो जाए। जैसे मैंने कहा कि हर तीन साल के अंतराल पर चीनी और गन्ने के उत्पादन, उसके निर्माण एवं उसकी कीमत में ठहराव तथा कमी आती है, उसका असर आज से तीन साल पहले भी था। उस समय उनकी सरकार की कोशिश थी कि हम से इसी तरह पैसा लेकर चीनी मिलें भुगतान कर दें और बाद में तीन साल के इंस्टालमेंट पर हमारा भुगतान भारत सरकार करती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भारत सरकार से केवल इतनी शिकायत है, अपनी तरफ से कृषि मंत्री जी और भारत सरकार ने कोशिश की कि इस फंड से फ्री इंटरेस्ट लोन दे दें। किसानों पर भारत सरकार ने बड़ी कृपा की है, ये कहते हैं कि हम सात फीसदी पर किसानों को ऋण दे रहे हैं, यह तारीफ की बात है, लेकिन चीनी मिल–मालिकों को आपने शून्य प्रतिशत पर दे दिया। चीनी मिलों के इस ऋण के ऊपर जो ब्याज है, स्वयं मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम उस इंटरेस्ट का पांच फीसदी भुगतान भारत सरकार के बजट से और सात फीसदी, हमारी जो चीनी निधि है, उस पैसे करेंगे। इंटरेस्ट का कोई भार गन्ना मिलों के ऊपर नहीं आएगा। किसानों के ऊपर भारत सरकार का जो दया का दायरा है, वह कुछ सीमित है और चीनी मिलों के ऊपर जो आशीर्वाद का दायरा है, वह ज्यादा विशाल है उनके ऊपर ज्यादा मेहरबानी है कि तुम भी जीवित रहो, हम तुम्हें जो कर्जा देंगे, वह शून्य फीसदी पर होगा और किसानों को बचाने के लिए हम जो कर्जा देंगे, उस कर्जे की रकम सात फीसदी होगी। उसके बाद ये प्रचार करेंगे कि हम किसानों की भरपूर सेवा करने में लगे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी मंशा को हम चुनौती नहीं देते, इसके पीछे इतनी ही मंशा थी कि चीनी मिलें गन्ना काश्तकारों के मूल्य का भुगतान कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि भारत सरकार की इस कोशिश के बावजूद चीनी मिलों ने गन्ना काश्तकारों के खरीद का इस वर्ष का कोई पैसा नहीं दिया। कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे खराब हालत है। उनके

पिछले हफ्ते सदन में दिए गए वक्तव्य के अनुसार, आज भी उत्तर प्रदेश की गन्ना काश्तकारों के गन्ने के मूल्य का भुगतान शेष रह जाएगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब में भी यही हालत है।

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से हम यह विनती करना चाहते हैं कि जब भारत सरकार इतनी कृपालु है तो चीनी मिलों से इस बात की भी गारंटी लेनी चाहिए कि 15 दिन के भीतर हम जो पैसा अपने फंड से दे रहे हैं, वह पैसा किसानों को समय पर मिलना चाहिए। यदि उसके भुगतान में एक महीने से अधिक देरी हो तो उसका भुगतान चीनी मिल को सूद सहित, गन्ना काश्तकारों को करना पड़ेगा। यह प्रावधान भारत के कृषि मंत्री जी को किसानों के हित में करना चाहिए। इन थोड़े से सुझावों के साथ मैं इस बात का आश्वासन मंत्री जी से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों का और साथ ही साथ देश भर के गन्ना काश्तकारों के खरीद का भुगतान एक महीने के भीतर हो। यदि मंत्री जी ऐसा आश्वासन हमें देंगे तो यह जो डिसएप्रूवल है, मैं इन्हें वचन देता हूं कि हम इनके विधेयक का पूर्णतया समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यू.पी. के साथ पंजाब को भी इन्क्लुड कर लेना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 माननीय मंत्री जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिस पर सदन विचार कर रहा है। माननीय मंत्री जी की इच्छा शक्ति या उनकी नीयत पर हमें संदेह नहीं है, लेकिन जो हमारे सहयोगी माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि चीनी मिलों पर तो माननीय मंत्री जी कृपा कर रहे हैं, परंतु इस देश के किसान, जिनके संरक्षण के लिए इस प्रकार की नीतियां बनाई गई थीं, वह इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और न कहीं दिखाई दे रहा है। हम इस बात को बड़े दुख के साथ कहते हैं कि सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों में देश के डेढ़ लाख से अधिक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं और आज भी वह क्रम लगातार जारी है, फिर चाहे वह विदर्भ का मामला हो जो माननीय कृषि मंत्री जी के गृह राज्य में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से हम लोग चुनकर आते हैं, वह सचमुच इस देश का वृहद् गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है।

महोदय, आजादी से पहले, 1920 और 1930 के दशक में वहां चीनी मिलें स्थापित हुई थीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे–बड़े कस्बे हैं, उन सब के विकास में चीनी मिलों ने अपना योगदान दिया है। उन चीनी मिलों के नाम पर ही उन कस्बों का नामकरण और उस क्षेत्र

[योगी आदित्यनाथ]

का विकास हुआ है। हम आज दुख के साथ कहना चाहते हैं कि उस क्षेत्र का किसान "खून के आंसू बहा रहा है" और सरकारें चैन की नींद सो रही हैं। गन्ना किसान अपनी खड़ी फसल को खेतों में आग लगाकर जला रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पिछले गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ और इस बार के गन्ने के मूल्य का भी भुगतान नहीं होगा।

महोदय, शुगर डैवलपमेंट फंड चीनी मिलों के जीर्णोद्धार एक्सपेंशन करने और उनके मॉउर्नाइजेशन हेतु बनाया गया था, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी चीनी मिलें हैं, वे या तो पुरानी पड़ चुकी है, बन्द पड़ी हुई हैं या फिर उनकी क्षमता नहीं कि वे प्रतिस्पर्धा में जो आधुनिक चीनी मिलें हैं, उनका मुकाबला कर सकें और इसी का परिणाम है कि उन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया वर्षों से बकाया है, फिर वे चाहे सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हों, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हो या निजी क्षेत्र की हों। गोरखपुर में निजी क्षेत्र की एक चीनी मिल है, जिस पर पिछले छः वर्षों से लगभग 30 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों के बकाया है और उन 30 करोड़ रुपयों को अभी तक देने का कोई नाम नहीं ले रहा है और न उस पर कोई ब्याज ही दिया जा रहा है और वह शुद्ध रूप से गन्ना किसानों का बकाया है। उसे देने की अब तक कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि चीनी मिलें गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान कर सकें। यह आश्चर्यजनक है कि क्यों चीनी मिलों द्वारा पिछले सालों के गन्ना किसानों के बकाया धन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? सरकार की गलत नीतियों के कारण पूर्वी उ. प्र. की अधिकतर चीनी मिलें या तो जर्जर स्थिति में हैं अथवा बंद पड़ी है। गन्ने के उत्पादन के बारे में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में गन्ने का अधिक उत्पादन हुआ। वहां के किसानों ने गन्ना उत्पादन भी किया क्योंकि डिमांड थी, इसलिए वहां किसानों ने डिमांड के अनुसार गन्ना पैदा किया, लेकिन उत्पादन के साथ आज जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई, वे ठीक नहीं है। सरकार गन्ने का मूल्य घोषित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चीनी मिलों को 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना किसानों को भुगतान करना चाहिए, परन्तु सच्चाई कुछ और है। अगर आज गन्ना किसान, अपना गन्ना चीनी मिलों तक ले जा रहा है, तो 80 से 82 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य का भुगतान बमुश्किल हो रहा है। यह मूल्य भी उन लोगों को मिल रहा है, जिनके पास साधन हैं, शक्ति है और जो समर्थ हैं। सामान्य और गरीब किसान तबाह होता जा रहा है, क्योंकि उसे अपने गन्ने की पर्ची तक नहीं मिल पा रही है। जब उसे गन्ने की पर्ची प्राप्त नहीं होगी, तो वह अपना गन्ना, गन्ना माफियाओं को 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेचने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि शासन ने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा गन्ना किसान को उसके गन्ने का मूल्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो बचा हुआ गन्ना है, उसे वह खेत में ही जलाने के लिए मजबूर हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने कुछ प्रावधान किए हैं, लेकिन जब तक इन प्रावधानों से किसान सीधे लाभान्वित नहीं होंगे, तब तक इस प्रकार की नीतियों को परिवर्तित करने और उन्हें संशोधित करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और यह जानना चाहूंगा कि हम लोग जब किसानों के हित की नीतियां बनाते हैं, तो किसान हमारी नीतियों के दायरे में सीधे क्यों नहीं आते? आखिर चीनी मिल मालिक ही क्यों, आखिर बड़े कास्तकार ही क्यों उनका लाभ उठाते हैं, जो अपना संरक्षण कर लेते हैं? हम बैंक लोन तो माफ करते हैं, लेकिन बैंक लोन में कौन से व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं, यह नहीं देखते हैं। बैंक से जो लोग लोन लेते हैं, वे ही लाभान्वित होते हैं। किसी गरीब किसान को बैंकों से लोन कहां मिलता है? यह असंभव है या बहुत ही कठिन है। इन स्थितियों में माननीय मंत्री जी ने जो बात कही थी कि पहले शुगर डैवलपमैंट फंड में जो 15 रुपए जाते थे, उसे अब वे बढ़ाकर 25 रुपए कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी प्रावधान किए हैं उनमें एक यह भी है कि बैंक चीनी मिलों को जो लोन देंगे, उससे उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हम मानते हैं कि चीनी मिलों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी ने यह प्रावधान भी किया है कि जो ऋण वे लें, उससे वे किसानों का भुगतान करें, लेकिन यह हो नहीं रहा है। वास्तविक स्थिति में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि वहां किसानों को चीनी मिलों द्वारा उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान नही किया जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का पुरजोर अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार का प्रावधान करना ही है, तो सामान्य उपभोक्ता पर, चाहें 10 पैसे एक किलो ही भार आता होगा, कम से कम उपभोक्ता और किसान को उसके दायरे से मुक्त कर के चीनी मिलें उस भार को वहन करें, क्योंकि अब यह तय है कि चीनी मिलें एक तो किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही हैं और दूसरे वहां कम भी तोलती हैं। वहां कोई जांच करने वाला नहीं है। अन्ततः किसान ही उसका शिकार होता है। फिर चाहे चीनी मिलों के द्वारा उनके साथ जो कदाचार तोल के माध्यम से किया जा रहा है या फिर गन्ना मूल्य का भुगतान न कर के। जैसा मैंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि चीनी मिलें किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान 125 रुपए प्रति क्विंटल से ही करेंगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक ऐसा नहीं हो रहा है। वहां कोई चीनी मिल गन्ना किसान को इस दर पर भुगतान नहीं कर रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से

अनुरोध करना चाहूंगा कि यद्यपि आप अच्छी नीयत से इस विधेयक को लाए होंगे, तथापि ऐसी व्यवस्था करें कि उस दायरे में केवल चीनी मिल मालिकों का ही लाभ न हो, बल्कि चीनी विकास निधि, गन्ने को पेरने के बाद जो चीनी उत्पादित होती है, आखिर उसके मूल में किसान है, किसान का ही गन्ना है, इसलिए किसान भी उससे सीधे लाभान्वित हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था, इसमें संशोधन के माध्यम से लाई जाए। इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। इसके साथ–साथ मेरा अनुरोध यह भी होगा कि चीनी मिल मालिकों द्वारा जो ऋण उन्हें शुगर विकास निधि से प्रदान किया जाए, वित्तीय संस्थाओं या बैंकों से उन्हें जो लोन उपलब्ध कराया जाए, वही यह व्यवस्था भी की जाए, वहीं यह व्यवस्था भी की जाए कि किसान को उसके गन्ने के बकाया का भी भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस बिल के समर्थन और रिजोल्यूशन के विरोध के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा और मुझे भी यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह बिल सही समय पर और एक सही काम हेतु लाया गया है। इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसानों के गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान समय पर हो जाए, इस हेतु हमें मंत्री जी की ओर से आश्वासन मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सब लोगों को पता है कि 1982 से शुगरकेन डैवलपमैंट फंड चल रहा है। अब तक इस फंड में लगभग 4,400 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और उसमें से लगभग 3,500 करोड़ रुपए इस फंड से ट्रांसफर हो चुके हैं। हर साल टैक्नीकल अपग्रेडेशन होता है, किसान के गन्ने की उपज बढ़ाने का काम होता है और खेती में टैक्नौलौजी ट्रांसफर होती है।

मैं हमारे कृषि मंत्री, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह का अभिनन्दन करना चाहूंगा क्योंकि दो साल पहले गन्ने के किसानों के लिए सरकार ने 1300, 1400 और 1500 रुपए दाम तय किए थे, लेकिन उनको 1000 रुपये और 900 रुपये मिल रहा था। वर्ष 2004–05 में 16 रुपये, वर्ष 2005–06 में 18 रुपये और वर्ष 2006–07 में 17 रुपये था। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में चीनी मिल का स्टाक कितना है? वर्ष 2003 में हमारा कैरीओवर स्टाक 40 लाख टन था, जबकि 113 अन्य प्राडक्शन, 101 लाख टन शुगर प्रोडक्शन, 41 लाख टन इमपोट शुगर, टोटल एवैलेबिलिटी 314.92 लाख टन और इन्टरनल कन्ज़म्पशन 183 थी। इसीलिए 115 लाख टन हुआ था और 116 हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। वर्ष 2005–06 में हमारा कैरीओवर स्टॉक 40 लाख टन था, प्राडक्शन शुगर 59 लाख टन, इम्पोर्ट शुगर 3.62 लाख टन और टोटल एवैलिबिटी 233.21 टन था। इन्टरनल कन्ज़म्पशन 183.21 और एक्सपोर्ट 13.61 था। पिछले साल 2 लाख 87 हजार टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। इस साल 2 लाख टन चीनी का उत्पादन कम होगा। इसका कारण यह है कि किसान को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। मनमोहन सिंह जी के कहने पर किसान ने गन्ने के अलावा दालें इत्यादि फसल बोना शुरू किया। तीन साल से किसानों का बकाया बढ़ रहा था। इसके बाद शुगर पैकेज आया। उसने टर्म लोन लिया, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। इन्टरनेशनल मार्किट में चीनी के जो दाम थे, उससे कई गुना हमारे यहां कम थे। एक्सपोर्ट करने में भी घाटा हो रहा था क्योंकि वर्ष 2000 में विदेश में 1300–1400 रुपये प्रति क्वींटल दाम थे, जबकि यहां 900 रुपये प्रति क्वींटल चीनी का दाम था। सरकार ने एक्सपोर्ट पर सब्सिडी भी दी थी। लेकिन वह सब्सिडी डालर के मुकाबले रुपये को बढ़ने के कारण कामयाब नहीं रही। इसके कारण चीनी का एक्सपोर्ट कम हो गया है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को घाटा हो रहा है।

आपने इस साल नौ रुपये एक्साइज डयूटी को फिर से बढ़ा दिया है। इसके अलावा आपने तीन रुपये सेस भी लगाया हुआ है। कुल मिलाकर 97 रुपये हो गए हैं। केन डेवलपमैंट फण्ड 14 से बढ़कर 25 रुपये हो गया है। चीनी का पैसा किसान से लेते हैं और किसान को ही देने का प्रयत्न करते हैं। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी सही नहीं हैं, गलत हैं, क्योंकि 12 रुपये विदाउट इंटरेस्ट चीनी पर ऋण दे रहे हैं, सात प्रतिशत भारत सरकार अपने बजट से दे रही है, लेकिन सात प्रतिशत केन डेव्लपमेंट फण्ड से किसको जा रहा है? यह पूरा पैसा चीनी मिलों को जा रहा है और उन्हें यह इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि गन्ने का बकाया और एरियर्स चुका दें। इसके अलावा उन पर लेबर्स का भी काफी बकाया है, बैंकों का बकाया है। इसलिए किसानों, लेबर और बैंकों का भुगतान किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारा यह फण्ड माडर्नाइजेशन के लिए है। हमारे हिन्दुस्तान में आंकड़ों के अनुसार 552 चीनी मिलें हैं, उसमें से शायद 242 निजी चीनी मिलें हैं। मुझे लगता है कि इन आंकड़ों में कुछ गलती है। मेरे ख्याल से 552 में से 500 सहकारी में है और 42 मिलें पब्लिक सेक्टर में हैं। सहकारी सेक्टर में दो तरह की चीनी मिलें हैं, निजी चीनी मिलें और कॉपरेटिव चीनी मिलें।

मैं यह चाहूंगा कि कोआपरेटिव चीनी मिल के पास तो कोई रास्ता नहीं है, जैसे निजी चीनी मिल तो आई. पी. ओ. में, स्टॉक एक्सचेंज में चली जाती है, स्टाक एक्सचेंज में जाने के बाद उनके शेयर की कीमत भी बढ़ती है, उसको आई.पी.ओ. भी करते हैं, एक्सपेंशन भी करते हैं,

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

पावर प्लांट भी लगाते हैं, एथेनोल भी लगाते हैं, हालांकि वह तो एस. डी.एफ. में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन सहकारी चीनी मिल में हम तो मैम्बर के अलावा किसी से पैसा नहीं लेते। आपके पंजाब में भी तो सहकारी आन्दोलन की चीनी मिल है, इसलिए हमको तो शुगरकेन डैवलपमेंट फंड के अलावा कोई सहारा नहीं है।

जैसे एथेनोल की बात है, एथेनोल में 21.50 रुपये पूरे देश के लिए कीमत तय हुई। आज भी महाराष्ट्र में मंत्री जी को पता है कि एथेनोल इतना कम पैट्रोलियम कम्पनी लेती नहीं। वे कहती हैं कि हमारा टेंडर 19 रुपये का है। यह केबिनेट में तय हुआ है। सरकार ने मुम्बई में मीटिंग करके इसे तय किया है, लेकिन अभी काफी एथेनोल कम्पनियां नहीं ले रही हैं। इसके ऊपर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसके ऊपर ध्यान दें। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि बैगसा से हम बिजली बनाने की बात कर रहे हैं, वह भी एस.डी.एफ. से हम फंड दे रहे हैं। यह तो एक ठीक बात है कि चीनी मिल के लिए एक इंटीग्रेटिड प्रोजैक्ट होना चाहिए। जब चीनी मिल लगाएंगे, तब खाली चीनी मिल नहीं लगाएंगे, उससे बिजली भी बनाएंगे, एथेनोल भी बनाएंगे, हाई प्रैशर बॉयलर भी लगाएंगे। कई पुरानी चीनी मिलें ऐसी हो गई हैं कि उनमें हाई प्रैशर बॉयलर की जरूरत है, कहीं टैक्नोलोजी ट्रांसफर्स की जरूरत है, नई तंत्र नीति लाने की जरूरत है, लेकिन वह हाई कॉस्ट हो जाती है और हाई कॉस्ट होने के कारण फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। उत्पादन की, चीनी की कीमत बढ़ने के कारण फिर वह चीनी मिल घाटे में चली जाती है, कोआपरेटिव चीनी मिलों की खास तौर पर बात कर रहा हूं।

दूसरे मैं यह भी बात कर रहा हूं कि एग्रो प्रोसेसिंग चीनी मिल जैसा एक और भी फंड हो जाये, जो एग्रो प्रोसेसिंग में कोआपरेटिव यूनिट आएगी, जो हमारी बाकी भी फसल होती हैं, उसके लिए भी थोड़ा फंड हो जाये और उसके कारण हम एग्रो प्रोसेसिंग कोआपरेटिव में लगायें, उसका कुछ पैकेज बनाकर किसान को सही दाम मिले। आज किसान कहां आत्महत्या कर रहा है, जहां किसान को ठीक दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन गन्ने के दाम इस समय तो ठीक मिल रहे हैं, चीनी के दाम भी इस समय ठीक हैं, लेकिन आज अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में चीनी के दाम हमारे यहां से इतने कम हैं, जिसके हिसाब से हमें जितना लाभ होना चाहिए, उतना लाभ नहीं हो रहा है। यह बात ठीक है। यू.पी. बिहार में हमारी चीनी मिलें किसान को कितना दाम दे रही हैं, कितना नहीं दे रही हैं, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमने हाई टैक्नोलोजी की तरफ जाना है, भारत सरकार ने इसके लिए एक टैक्नोलोजी मिशन भी बनाया है। टैक्नोलोजी मिशन में क्या काम किया है, कितना काम किया है, उसकी एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कितनी चीनी मिलों को कितनी टैक्नोलोजी की उन्होंने भुगतान किया है और चीनी मिल को पैसे देने के बाद उससे कितना उत्पादन बढ़ा, कितनी रिकवरी बढ़ी, क्योंकि टैक्नोलोजी ट्रांसफर टैक्नोलोजीकल अपग्रेडेशन के बाद हमारी रिकवरी बढ़नी चाहिए।

हमारे जो 16 जोन हैं, उसके ऊपर हमारी लेवी चीनी के दाम तय हो जाते हैं। आज कई बार लेवी के दाम कम होते हैं और मार्केट में चीनी के दाम ज्यादा होते हैं। मार्केट में दाम ज्यादा होने के कारण चीनी मिल लेवी वाली सरकार उठाती नहीं है, कोई कांट्रैक्टर नहीं उठाता है, फिर जब बाजार में चीनी मिल के दाम कम हो जाते हैं और लेवी चीनी के दाम ज्यादा होते हैं, पिछले साल में जैसी स्थिति हुई तो सब राज्य सरकारें और जो निजी कांट्रेक्टर होते हैं, वे पूरी लेवी की चीनी उठाते हैं, क्योंकि, वह चीनी किसके पास जाती है, बिला पावर्टी लाइन वाले को जाती है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाती है या नहीं जाती है या वहां क्या होता है, यह जानकारी सब को है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह स्थिति आती है तो मिनिमम प्राइस कैसा होता है। हमारा पिछले साल और इस साल तो 81 रुपये कुछ पैसे प्राइस है, अभी और भी बढ़ेगा। मैं यह चाहूंगा कि लेवी के दाम तय होने चाहिए। उसके दाम कम हो जाते हैं तो सरकार को कम से कम उसके ऊपर कम्पेंसेशन देना जरूरी है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि चीनी के लिए निर्यात और आयात की एक दस साल की नीति होनी चाहिए। साल दो साल में मन में आया, चीनी का आयात किया, दिल में आया चीनी बाहर जाने से रोक दी, इससे चीनी उद्योग और किसान, दोनों को घाटा हो रहा है। चीनी में तीन साल, पांच साल के बाद एक साइकिल आता है, हर बार दो साल अच्छे होते हैं, किसान का तीसरा साल खराब होता है। दो साल मिल को भी घाटा होता है और किसान को भी घाटा होता है और गन्ने की उपज इतनी कम हो जाती है कि फिर मिल का स्पर्धा हो जाती है कि कौन किसका गन्ना ज्यादा खरीद ले। इसीलिए 10–15 साल की गन्ने की और चीनी की एक दीर्घकालीन नीति हो। चीनी हमेशा एक राजनीति का विषय रहा है।

चीनी के दाम हमेशा राजनीति का विषय रहे हैं, गन्ने के दाम हमेशा राजनीति का विषय रहे हैं, लेकिन हम राजनीति के बाहर आकर चीनी मिल, चीनी और गन्ने के लिए कोई हमेशा के लिए दीर्घकालिक नीति बनायें। पहले ड्रेवल प्राइसिंग कंट्रोल सिस्टम था, इसमें पहले 40–60 था, फिर 50–50 हो गया, फिर 60–40 फिर 70–30, अभी 90 प्रतिशत फ्री सेल है और 10 प्रतिशत लेवी शुगर है।

महोदय, मैंने अखबार में पढ़ा है कि इसमा, जो निजी उद्योगों का एक संगठन है, वह चाहता है कि चीनी उद्योग पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म कर दिया, इसे डी–रैग्युलेट कर दिया जाए और दीर्घाकालीन कर दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ समय तक इसे डी–कंट्रोल करना या डी–रैग्युलेट करना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि अगले साल

क्या साइकिल आएगी? हाल में विदेश में भी चीनी के दाम थोड़े बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में अभी चीनी के दाम ठीक हैं। सभी चीनी मिलें भी वैसे ही काम कर रही हैं, पैकेज का पैसा तो उनको मिल ही रहा है। उन्हें पिछले साल का भी पैसा मिल रहा है और इस साल का भी मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार को देखना जरूरी है कि यह दाम किसान के पास तक पहुंचता है या नहीं।

महोदय, केंद्र सरकार चीनी मिल को पैसा देती है, लेकिन जब राज्य सरकार एक एडवाइजरी प्राइज कमेटी तय करती है, तो उनका यह फर्ज है कि भारत सरकार ने जो पैकेजेज दिए हैं, उन पैकेजेज के हिसाब से दाम किसानों को मिलते हैं या नहीं, उसे देखे। अगर वे यह सब नहीं देखेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारे कृषि मंत्री जी इसके जानकार हैं। उनको पूरी तरह से पता है कि चीनी मिल की क्या स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार को भी थोड़ा जिम्मेदारी उठानी है।

महोदय, आपने बेल बजायी है, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस बिल का समर्थन करना जरूरी है और जो सुगरकेन डेवलपमेंट फंड है, इसका और भी विस्तार होना चाहिए, क्योंकि जब–जब समय आता है, तब–तब हम अमेंडमेंट करते हैं। कई बार इसका अमेंडमेंट हो चुका है। एक कांप्रिहेंसिव बिल लाया जाए, जिससे सरकार को पूरा अधिकार हो। चीनी मिल और किसान की जो समस्यायें आती हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए उस बिल से एक महत्वपूर्ण काम लेना है और इसके लिए सही काम करें, इसके लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा। मैं पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आर्डिनेंस बिल्कुल सही समय पर निकाला। आपको पता है और मंत्री जी ने भी बताया कि गन्ने की मिल दो महीने लेट शुरू हुयीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनका क्या होने वाला है? दिसंबर में आर्डिनेंस नहीं हो जाता, तो और भी एक महीना चीनी मिलें लेट हो जाती। इससे किसान की हालत और भी खराब हो जाती। हमारे मित्र कह रहे थे कि अभी किसान गन्ना जला रहे हैं। वे दो महीने लेट हो गए। अक्तूबर–नवंबर में मिलें चालू होनी चाहिए थीं, लेकिन दिसंबर के आखिर में और जनवरी में ये शुरु हुयीं। इसी कारण आर्डिनेंस सही समय पर निकाला। जो निर्णय हुआ, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आपने बेल बजायी है, इसलिए आपका आदर करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं तथा चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस विधेयक का समर्थन करते समय, मैं कुछ शंकाओं को प्रकट करना चाहता हूं तथा सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस विधेयक का समर्थन करते समय, मैं कुछ शंकाओं को प्रकट करना चाहता हूं तथा सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

महोदय, विगत दो फसल ऋतुओं से चीनी तथा गन्ने के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है तथापि बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट आयी है। यह बाजार नियम के बिल्कुल विपरीत है और इसलिए, अंतिम उत्पाद चीनी तथा गन्ना, जो कि कच्चा माल है, के बीच में किसान ही सबसे बुरी तरह प्रभावित होता है, क्योंकि वह औद्योगिक हितों के साथ जुड़ा हुआ है। चीनी विकास निधि, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की सहायता करना है, के माध्यम से चीनी मिलों को बाजार में चीनी की कीमतों के आधार पर ऋण मुहैया कराया जाता है न कि गन्ने की खरीद कीमत पर।

आज गन्ना उत्पादकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उदाहरण के लिए, मेरे अपने राज्य आंध्र प्रदेश में, लगभग 4,25,000 गन्ना उत्पादक हैं। इस वर्ष वे गन्ना नहीं बो पाए और सामान्यतः लगभग 6 लाख एकड़ में गन्ना बोया जाता था, इस बार वे 90,000 एकड़ में गन्ना नहीं बो पाए। वे कर्ज़ के बोझ से दबे हैं तथा विगत दो फसल वर्षों से उनकी उपज का पैसा भी उसे नहीं मिल पा रहा है। उद्योगों द्वारा भी उनकी बकाया राशि की भरपाई उचित रूप में नहीं की जाती है। इसलिए, मेरे राज्य में गन्ना किसानों के लगभग 65,000 करोड़ रु. बकाया है। लगभग 38 इकाइयों में, जहां गन्ना पिराई का काम चल रहा है, लोगों को यातायात पर ऋण, राजसहायता आदि तथा अन्य कई लाभ दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक उत्पादक घाटे में हैं। अब वे गन्ने का और उत्पादन नहीं कर पा रहे है। वे पूरी तरह से कर्ज़ के बोझ से दब गए हैं तथा वे अपनी फसल को मिलों में भेजने की बजाय जला रहे हैं। मिल के लोग किसानों को उचित समय में गन्ने की कटाई करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तथा गन्ना उत्पादकों के साथ धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में, मेरा विनम्र अनुरोध है कि गन्ना उत्पादकों के लिए एक अलग निधि आवंटित की जाए जिसे चीनी पिटाई इकाइयों से बिल्कुल अलग रखा जाए। यह गन्ना उत्पादकों के काफी हित में होगा।

दूसरी बात यह है कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने हेतु जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलों द्वारा नही प्रदान किया जाता। वे 950 रु. प्रति टन से भी कम रुपये अदा कर रहे हैं, जबकि 1,500 रु. प्रति टन की

[डा. बाबू राव मिडियम]

धनराशि की सिफारिश की गई है। इस संदर्भ में एम.एस. स्वामीनाथन समिति ने 1800 रुपए प्रति टन के हिसाब से गन्ने का मूल्य देने की सिफारिश की थी। लेकिन इसे देश के किसी भाग में अपनाया नहीं गया अतः, लाभकारी मूल्य के अलावा गन्ना उत्पादकों को पैसे सही समय से मिले इस बात को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। यह अलग से दिया जाना चाहिए।

विधेयक का समर्थन करते हुए मेरा निवेदन है कि इससे संबंधित "एल" फार्मूला, जो गन्ना उत्पादकों के हित में है और जिसे अब तक घोषित नहीं किया गया है, को यथाशीघ्र घोषित किया जाए। किसान अभी भी घाटे में है। इसलिए, मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री इस फार्मूले पर विचार करें और शीघ्र इसे घोषित करके किसानों की मदद करें।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी जो चीनी विकास निधि विधेयक सदन में लाए हैं, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। सोच बहुत अच्छी है, उद्देश्य बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। इसमें दो–तीन बातें जो किसानों और मिलों के बीच की हैं, मैं स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इस विकास निधि में जो व्यवस्था 1982 से है और सरकार ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए, जब–जब भारत सरकार ने इस निधि से मिल मालिकों को पैसा निकालकर दिया, चाहें वह प्राइवेट सैक्टर का हो, पब्लिक सैक्टर का हो, कॉरपोरेट सैक्टर का हो, यह बात सुनिश्चित नहीं हो पाती कि वह पैसा किसानों को मिल जाएगा। दूसरी बात है कि यदि पैसा मिल भी जाए तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है, भुगतान की कोई तारीख नहीं है, जब तक मन में नहीं आए, तब तक नहीं मिलें और यदि साल भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को जिस उद्देश्य से लाए हैं, तो जो पैसा किसानों के भुगतान के लिए देंगे, जो आज पूरे देश में परेशान हालत में हैं, जब आप जवाब दें और इसे पास कराएं, उन्हें कितनी समय सीमा के अंदर भुगतान कर दिया जाए, इसे सुनिश्चित करने की बात भी सदन में रखी जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

दूसरी बात, मैं गन्ना मूल्य के बारे में कहना चाहता हूं। भारत सरकार गन्ना मूल्य के बारे में यहां से जो निर्देश देती है, उसे देखकर राज्य सरकार मिल मालिकों के साथ बैठकर मूल्य तय करती है। यह रेट अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग तय किये जाते हैं और पूरे देश के स्तर पर इनमें कोई मेल नहीं होता। माननीय सदस्य मोहन सिंह जी अभी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट अलग है। अब बिहार में कोई रेट ही नहीं है। राज्य सरकार के साथ गन्ना मिल मालिक बैठकर किसानों के भाग्य निर्धारण करते हैं। इस बैठक में किसान का प्रतिनिधि कभी नहीं बैठता। मैं इस विधेयक के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आप किसानों के हित की बात सोचते हैं, तो क्या किसान के प्रतिनिधि को भी उस बैठक में बैठने की इजाजत देंगे और जो मूल्य का निर्धारण होगा, उसमें कोई एकरुपता होगी?

तीसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक इस वर्ष जो गन्ना ले रहे हैं, उसका मूल्य वे किस परिस्थिति में पर्चे पर नहीं लिख रहे हैं। हमारे बिहार में कई मिलों में यह मूल्य नहीं लिखा जा रहा है। चौथी बात यह है कि पिछले साल हमारे बिहार में गन्ने के खेतीहर किसानों का गन्ना जून महीने तक खराब हो गया। उनका गन्ना चीनी मिल मालिक नहीं ले पाये। वे उस गन्ने को जला नहीं पाये, सूखा नहीं पाये। इस कारण वह गन्ना खराब हो गया। हमारी समझ में यह नहीं आता है कि यह कौन सी नीति है? मैं किसान की हैसियत से यह बात बोल रहा हूं। किसान जब खेत में गन्ना लगाता है, तो उसका एरिया जिस चीनी मिल में पड़ता है, वहां उसका गन्ना न जाये, तो उनका क्या होगा? जब चीनी मिल मालिकों को इसकी कोई परवाह नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती। यह कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए।

पांचवीं बात यह है कि किसान को कर्जा मिलेगा चाहे वह मिल मालिक दें या बैंक दें। उस कर्जे के एवेज में उनसे सूद वसूल होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा कानून है कि किसान का पैसा मिल मालिकों के पास वर्षों तक रहे और किसान को उसका एक पैसा सूद भी न मिले?

छठी बात यह है कि इस विधेयक में प्रोविजन किया गया कि मिल मालिकों को सूद नहीं लगेगा और जो किसान कर्ज लेकर खेती करेगा, उसे सूद लगेगा। अब साधारण आदमी के ज्ञान में यह बात नहीं आती है। मैं सांफ–सुथरा कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसान के पक्ष में ऐसी बात आये। आप जो विधेयक लाये हैं, उसमें आप किसान के बारे में ऐसी कुछ व्यवस्था करने का उपाय करें। आपने जब इस विधेयक का नाम चीनी विकास निधि लिखा है, तो बिना किसान के बिल या बिना मिल के चीनी नहीं। इससे एक तरफ की बात होगी। इससे चीनी मिल का विकास होगा। वैसे भी मिल चलनी चाहिए क्योंकि मिल चलेगी नहीं, तो फिर गन्ना कैसे पैदा होगा। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि किसान के लिए इस विधेयक में कोई प्रोविजन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा वक्त और लूंगा। हमारा घर मोतिहारी है। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें हमारी जिले में थीं। वे सारी चीनी मिलें एक सुर से बंद हो गयी हैं। जब हमने इस बारे में चर्चा की, तो माननीय मंत्री जी ने हमारे यहां चीनी मिल खोलने के लिए कहा। वे वहां गये और बहुत मेहनत की। लेकिन वे ऐसे वक्त गये जब चुनाव आचार संहिता लागू थी। इस संबंध में माननीय मंत्री जी पर गलत मुकदमा भी

दायर हुआ। यह सब कुछ होने के बाद भी कोई चीनी मिल नहीं खुली। अकेले मोतिहारी चीनी मिल का 15 करोड़ से ज्यादा रुपया दस साल से बाकी है।

महोदय, मैं इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इस विधेयक को पारित करवाकर और इससे भी पांच फरवरी को राष्ट्रपति जी के यहां से अध्यादेश जारी करवा आपने जो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन किसानों का जो 15 करोड़ रुपए बकाया है, वह हमारे किसानों को कब मिलेगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र की रोजा चीनी मिल में किसानों का पिछले साल का पैसा बाकी है। उस किसान की बेटी की शादी में पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस साल भी गन्ने की खरीद जारी है, लेकिन उसका पैसा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इस विधेयक को लाने का मतलब साफ है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से लाखों–करोंड़ों बार यह आग्रह करूंगा कि आज इस विधेयक पर जब आप सदन में जवाब दें, तो यह भी सुनिश्चित करें कि यह सदन आपको जो पैसा दे रहा है, यह पैसा जो आप चीनी मिलों के लिए भेज रहे हैं, किसान के लिए भेज रहे हैं, नई टैक्नोलॉजी पर खर्च करेंगे, इस पैसे का किसानों को भुगतान कितने दिन के अंदर किया जाएगा, इस सदन में यह बात साफ होनी चाहिए। यहां से जो पैसा जाता है, राज्य सरकार मिल वालों से मिलकर तिजोरी में बंद करवा देती है। मिल वाले उस पैसे को मैनेज करते हैं। अब गरीब किसान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। जिसके पांव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। किसानों की हालत किसान ही जानता है। आज वहां यहीं स्थिति है। किसानों ने अपने खेत का सारा गन्ना मिल को दिया है, उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है, बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे इलाके की आज यही परिस्थिति है कि वह आज तड़प–तड़पकर मर रहा है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह एक मजबूत इरादे से आप यह विधेयक लाए हैं, उसी मजबूत इरादे के साथ सदन को यह बताएं कि किसानों का बकाया पैसे का भुगतान, कितने महीने, कितने दिन और कितने घंटों में होगा।

इसी के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहे हैं।

चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 को चीनी उद्योग के विकास तथा उससे जुड़े और उससे संबंधित मामलों के लिए वित्त पोषण करने हेतु अधिनियमित किया गया था। अब चीनी विकास निधि से चीनी मिलों तथा उद्योगों को ऋण देने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1982 के बाद चीनी उद्योग को कितनी धनराशि दी गई है तथा उसमें संबंधित मामलों हेतु अर्थात किसानों को दी गई अप्रत्यक्ष सहायता–कितनी है।

महोदय, नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिसे संसद में प्रस्तुत किया गया है, कीमत के प्रतिशत के रूप में गन्ना बकाया बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गया है तथा कुल बकाया अनुमानतः 1,830 करोड़ रु. है। किसानों का कुल मिलाकर 1830 करोड़ रुपए का बकाया है और वे काफी तकलीफ में है। अब माननीय मंत्री जी और सरकार चीनी उद्योग को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए काफी इच्छुक हैं। परंतु मैं समझता हूं कि सरकार किसानों के बारे में चिंतित नहीं है।

चीनी विकास निधि से पात्र चीनी मिलों को क्षमता विस्तार, संयंत्र के आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार तथा मशीनों के साथ–साथ प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ऋण दिए गए हैं। इस निधि को चीनी मिलों के लिए और अधिक लोकप्रिय तथा स्वीकार्य बनाने के लिए, सरकार ने 2002 में चीनी विकास निधि नियमों में संशोधन किया ताकि महत्वपूर्ण गौण–उत्पादों का बेहतर उपयोग किया जा सके और इथेनॉल तथा खोई आधारित विद्युत उत्पादन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण देने का निर्णय लिया।

अतः, इथेनॉल तथा अल्कोहल के उत्पादन के लिए, जो अंततः विद्युत उत्पादन में सहायता करेगा, चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान किए गए थे, तथा वर्ष 2002 में इस संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया था।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस उद्योग को ऋण प्रदान कर कितनी विद्युत और कितने इथेनॉल और अल्कोहल का उत्पादन किया गया है जो अंततः पेट्रोल और डीज़ल के शोधन में मदद करेगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इन सब चीजों का कोई अनुमान लगाया है ताकि यह देखा जा सके कि जिस प्रयोजन के लिए यह चीनी विकास निधि प्रदान की गई थी, उसका बेहतर उपयोग किया गया है या नहीं।

महोदय, केन्द्र ने इस बजट में चीनी पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 9 रु. प्रति क्विंटल कर दिया है। अतिरिक्त शुल्क से चीनी पर कुल उत्पाद शुल्क 95 रु. प्रति क्विंटल हो जाएगा। उपकर के साथ प्रति क्विंटल 97.85 रु. का बोझ पड़ेगा। लेकिन अंततः इस बोझ को कौन उठाएगा? इसे उपभोक्ता उठाएंगे। इसे चीनी मिल नहीं उठाऐंगी। उपभोक्ता ही चीनी खरीदकर 97.85 रु. प्रति क्विंटल के बोझ को उठाएगा। अब, यह ऋण चीनी उद्योग को प्रदान किया जाएगा।

किसानों का ऋण के रूप में लगभग 2,000 करोड़ रु. बकाया

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

है, जिसे किसानों को अदा नहीं किया जा रहा है। वे भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। वे भी बहुत हताशा की स्थिति में है।

वर्तमान में, 30 सितंबर, 2006 के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 582 चीनी मिलें हैं, जिनमें से, 317 सहकारी क्षेत्र में हैं; 203 निजी क्षेत्र में है; तथा 62 सरकारी क्षेत्र में हैं। इस प्रकार, अधिकतर चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। लेकिन अभी तक अधिकतर ऋण निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को प्रदान किया गया है। यह सच है कि सहकारी क्षेत्र की कुछ चीनी मिलों को ऋण प्रदान किया गया है लेकिन अधिकतर ऋण निजी क्षेत्र को ही दिया गया है। एक तरह से हम चीनी उद्योग की मदद कर रहे हैं। हां, यह भी आवश्यक है, नहीं तो उद्योग जीवित नहीं रहेगा, किसान अपने गन्नों के उपयोग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है। किंतु यदि आप संसद में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देखेंगे, तो यह उत्तर दिया गया है कि चीनी विकास निधि से कुछ ही राज्यों को ऋण दिया जाता है। अन्य राज्यों को चीनी विकास निधि से ऋण नहीं दिया गया है अथवा अन्य कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। जहां तक उड़ीसा का संबंध है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि उड़ीसा राज्य को इस तरह का कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया है, यह उत्तर में कहा गया है। मैं यह नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश अथवा महाराष्ट्र को इस प्रकार का ऋण नहीं देना चाहिए। निश्चित रुप से, वे अधिक गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अन्य राज्य भी है जैसे पंजाब आदि जिन्हें अधिक देना चाहिए। इसी प्रकार, अन्य राज्यों को भी चीनी विकास निधि से इस प्रकार का ऋण देना चाहिए, ताकि उनके चीनी उद्योग तथा किसान इससे लाभान्वित हो सकें।

महोदय, केन्द्र सरकार ने गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य तय किया है। इसके अलावा, हमारा राज्य सलाहकार बोर्ड है, जो मूल्य तय करता है। परंतु यदि हम गन्ना किसानों की स्थिति देखें तो यह बहुत दयनीय तथा दुःखद है।

गन्ना किसानों तथा मिल मालिकों के बीच की वर्तमान लड़ाई कीमत पर केन्द्रित है। सरकार चीनी मिल मालिकों को काफी सहायता प्रदान कर रही है, जिसका एकमात्र इरादा यह है कि इससे अंततः गन्ना किसानों को मदद मिलेगी।

लेकिन जहां तक कीमत का संबंध है, वे सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अनुसार गन्ना किसानों को वास्तविक मूल्य प्रदान नहीं कर रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य स्तर पर तय किया गया है, राज्य सलाहकार मूल्य निर्धारण निकाय मूल्य तय कर रहे हैं। इसलिए, अंततः गन्ना किसान उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस पर चर्चा की है। लेकिन वह मूल्य भी मिल मालिकों द्वारा किसानों को नहीं दिया जा रहा है।

जबकि किसानों का कहना है कि वे गन्ने की फसल की लागत भी वसूल नहीं कर पाते, वहीं मिल मालिकों का कहना है कि गन्ने की पिराई उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है। इस प्रकार यह स्थिति है। जबकि किसान कह रहे हैं कि वे श्रम को छोड़कर, जो कुछ भी निवेश कर रहे हैं, उन्हें उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। वे इस फसल में निवेश कर रहे हैं परंतु जहां तक उनके निवेश का संबंध है, उन्हें उसका मूल्य अभी तक नहीं मिल रहा है।

नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मैं पहले ही कह चुका हूं कि लगभग 1,830 करोड़ रु. बकाया है। ऐसा ही हो रहा है। गन्ना सहकारी समितियों का नेटवर्क जो मुख्यतः किसानों के हित के लिए काम कर रहा था, वह पूरी तरह से चरमरा गया है। सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। राज्य सरकार भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। यह नेटवर्क गन्ना किसानों के हित में मदद कर सकता था। चूंकि सहकारी समिति निकाय पूरी तरह से चरमरा चुका है, अब वे किसानों से सीधे गन्ने की खरीद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अतः स्वाभाविक है कि किसान अपना गन्ना बिचौलियों को बेच रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में, उनके किसानों के संगठन ने कहा है कि वे 50 रु. प्रति क्विंटल की दर पर बेचने की स्थिति में है। कहां? बिचौलियों को, क्योंकि मिल मालिक गन्ना किसानों से सीधे गन्ना नहीं खरीद रहे हैं। इसलिए, वे अपना गन्ना बहुत कम मूल्य पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गन्ना सहकारी समितियों का नेटवर्क पूरी तरह से चरमरा चुका है और इसलिए वे बिचौलियों को गन्ना बेच रहे हैं। अब यही परिस्थिति है।

इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह गन्ना किसानों की दशा में सुधार हेतु उनके लिए भी किसी पैकेज की घोषणा करेगी। वे इसके इच्छुक नहीं हैं। इस चीनी विकास निधि द्वारा, अब हम सभी सहायता चीनी मिल मालिकों तथा उनकी फैक्ट्रियों को प्रदान कर रहे है। लेकिन जहां तक किसानों की दयनीय स्थिति का संबंध है, हमने उस पर चर्चा की है। हम सभी दलों के सदस्य किसानों की दयनीय स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। जो भी मूल्य तय किया गया है, उन्हें वह मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्हें उनकी सालों की बकाया राशि भी नहीं मिल रही है। यह सभी बातें अब किसानों को मजबूर कर रही हैं कि वे किसी और फसल को चुनें। कुछ किसान संगठनों ने यह घोषणा की है कि भविष्य में वे गन्ने को छोड़कर गेहूं, चावल अथवा अन्य कोई फसल उगायेंगे। अतः, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। जब ब्राजील तथा अन्य देशों के किसान हमारे देश के किसानों के साथ पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथा वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम मूल्य पर बेच रहे हैं तो हमारे गन्ना उगाने वाले किसान दूसरे देशों के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं

क्योंकि वे अपने किसानों को जो भी राज–सहायता और प्रोत्साहन देते है, वह हमारे यहां के किसानों को नहीं दिया जा रहा है।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों के लिए किस प्रकार के पैकेज की घोषणा करना चाहती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों, जैसे उड़ीसा, को चीनी विकास निधि से धनराशि नहीं दी जाती है, उन्हें चीनी मिलों तथा उद्योगों के विकास के लिए इस निधि से धनराशि दी जानी चाहिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, जारी किए गए अध्यादेश पर असहमति जताने के लिए मैंने नोटिस दिया हुआ है। हालांकि मैं विधेयक की विषय – वस्तु का पूरी तरह समर्थन करता हूं। फिर भी वास्तव में मुझे समझ नहीं आ रहा कि अध्यादेश को 04 फरवरी को जारी किए जाने की क्या आवश्यकता थी। मैंने अभी–अभी मंत्री महोदय का वक्तव्य सुना जिसमें कहा गया कि यह उन किसानों के हितों के लिए, जो प्रदर्शन कर रहे थे कि चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के बकाया की अदायगी की जाए तथा कानून और व्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए, किया गया। पिराई मौसम को शुरू करने में चीनी मिल विफल हो जाती अतः उन्हें यह कहना पड़ा।

जहां तक मुझे स्मरण है संसद का पिछला सत्र दिसम्बर के अंतिम सप्ताह अर्थात लगभग अंत में समाप्त हुआ था। अतः इस प्रकार के विधेयक को अध्यादेश जारी किए जाने के बजाय संसद के पिछले सत्र में लाया जाना चाहिए था। महोदय, मैं हमेशा से महसूस करता रहा हूं कि अध्यादेश केवल अति असाधारण परिस्थितियों में ही लाया जाना चाहिए क्योंकि यह संसद के इस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने के अधिकार को छीन लेता है और अगर अध्यादेश जारी किया भी जाता है तो संसद के लिए उसे कानून में परिवर्तित करना 'सम्पन्न कार्य' जैसा हो जाता है। अतः वास्तव में मैं इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का विरोध करता हूं और इसलिए मैंने नोटिस दिया था।

महोदय, पहले ही हमारा ग्रामीण भारत कृषि संकट से गुजर रहा है। हमें इस बात की चिंता है कि कृषि उत्पाद कम होता जा रहा है, ओर हम इसलिए भी चिंतित हैं कि फसलों में भी गिरावट आती रही है और किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, जिस स्तर पर हम उत्पादन करना चाहते थे, वह नहीं हो रहा। यह हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है और यह अन्य आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। जैसा कि हमने एक दिन चर्चा की थी कि, अब सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 18.5 प्रतिशत हो गयी है। अतः इसके समाधान के लिए हमें कई तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

इसका एक तरीका हमने कृषि–प्रसंस्करण करने का निकाला है। हमने सोचा कि कृषि उत्पाद को बाजार में प्राथमिक रूप से केवल बेचे जाने की ही आवश्यकता नहीं है अपितु इसे प्रसंस्कृत किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को न केवल बचे जा रहे उत्पाद के मूल्य मिलें, बाजार में बेचें जाने वाले प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद का भी लाभ मिल सकें। यह भी सच है कि भारत में लगभग 30 प्रतिशत से ज्यादा कृषि उत्पाद बेकार चला जाता है क्योंकि उसका पर्याप्त रूप से प्रसंस्करण नहीं किया जाना। चीनी एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि–प्रंसस्कृत उत्पाद है, और का भी लाभ मिल सके।

यह भी सच है कि भारत में लगभग 30 प्रतिशत से ज्यादा कृषि उत्पाद बेकार चला जाता है क्योंकि उसका पर्याप्त रूप से प्रसंस्करण नहीं किया जाना। चीनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि–प्रसंस्कृत उत्पाद है, और इसका बहुत पहले प्रसंस्करण शुरू किया गया था और इस प्रकार हम इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन चीनी उद्योग में हमें हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अतः चीनी उद्योग की समस्याओं को अलग तरह से निपटाने की जरूरत है।

यह सच है कि चीनी चक्रीय रूप से गुजरती है। प्रत्येक तीन या चार वर्षों में उत्पादन इतना बढ़ जाता है कि मूल्य गिर जाता है। चूंकि मूल्यों में गिरावट होती है। अतः किसान आने वाले मौसम के लिए गन्ने की फसल नही लगाते तत्पश्चात कुछ समय के बाद उत्पादन फिर गिर जाता है। मूल्यों में वृद्धि होती है, और हमें ऐसे प्रोत्साहन देने पड़ते हैं। अतः मैं समझता हूं कि यही समय है जब हमें चीनी उद्योग के पुनरूद्धार पर विचार करना चाहिए, इसके इस रूप में नहीं, बल्कि चीनी बनाने में लागू चक्रीय प्रक्रिया के रूप में जिससे चीनी उद्योग हमेशा प्रभावित होता है।

हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं, इस संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए और इसके लिए संभवतः हमें फसल के पैटर्न को बदलने की संभावना को देखना होगा, किसानों को बताना होगा कि वे कितनी फसल लगाएं, ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो। हमें वास्तव में इस पर भी विचार करना होगा। कुछ समय से हम विचार कर रहे हैं कि इस समस्या के निपटान के लिए हम आयात कर सकते हैं। लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है क्योंकि हमें अपना कृषि उत्पादन भी चाहिए। अतः सरकार को चीनी बनाने की दीर्घकालिक स्थायी प्रकृति पर विचार करना चाहिए ताकि चीनी उद्योग, ऐसे चरणों से न गुजरे जैसे आज कई अन्य उद्योग ऐसे चक्रीय रूप से गुजर रहे हैं।

महोदय, इस विशेष विधेयक का उद्देश्य चीनी विकास निधि अधिनियम की धारा 4 को संशोधित करना है। इसे 1981 में पारित किया गया था। इस निधि से धन प्राप्त करने के लिए 1982 में इसे अधिनियम में संशोधन किया गया और बफर स्टाक को 'क्वालिफाईंग आइटम' के रुप में रखा गया। 2002 में गन्ने के निर्यात और उसके लिए आन्तरिक यातायात जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। तत्पश्चात् हमने इसे साह–उत्पादन के लिए तथा अल्कोहल

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

और इथानेल के लिए भी संशोधित किया। लेकिन हम पहली बार इस अधिनियम को चीनी मिलों को उनके परिचालन के लिए धनराशि देने के उद्देश्य से संशोधित कर रहे हैं।

वास्तव में यह कानून, यह अधिनियम मुख्य रूप से लेकिन हम पहली बार इस अधिनियम को चीनी मिलों को सुदृढ़ करने के लिए पारित किया गया था ताकि वे अनुसंधान और विकास करें, लाभ को बढ़ायें, किसी प्रकार का पूंजीगत व्यय करें, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, हमने राजस्व व्यय का भी उल्लेख किया है। लेकिन चीनी निधि से चीनी मिलों को वास्तविक कार्य करने की पूंजी देना, मैं समझता हूं अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं करता। अतः हमें हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी निधि का उपयोग करके चीनी मिलों को दीर्घाकालिक आधार पर सुदृढ़ किया जा सके, बजाय इसके कि राजस्व व्यय हेतु भुगतान किया जाए जो देश के दीर्घकालिक हित में नहीं होगा।

महोदय, मैं यह सुनिश्चित करने की बात कर रहा था कि चीनी उद्योग का स्वयं पुनरुद्धार हो जाये। हमने एक आर्थिक सर्वेक्षण किया था जिसे संसद में 20 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हमने पाया कि वित्त मंत्री चीनी उद्योग से नियंत्रण हटाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

उस आर्थिक सर्वेक्षण में हमने पाया कि माननीय वित्त मंत्री चीनी उद्योग से नियंत्रण हटाने के संबंध में चर्चा कर रहे थे। यही एक विषय है जिसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्योंकि गिने-चुने व्यक्तियों में से वही हैं जिन्हें चीनी उद्योग के बारे में अच्छी जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज्यादा लोग होंगे जो यह जानते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दीर्घकालिक योजना क्या है। क्या हम चीनी उद्योग के विनियंत्रण पर विचार कर रहे हैं जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो क्या चीनी निधि प्रदान करना इसका हल है? क्या इस समस्या का यही समाधान है? हमें वास्तव में इस बारे में जानने की आवश्यकता है।

दूसरा, चीनी निधि को बढ़ाने के लिए धनराशि को 15 रुपये से 25 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसकी अतिआवश्यकता है कि हमें चीनी उद्योग के लिए समर्थन चाहिए। इस बारे में कोई संदेह नहीं हैं। इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उस समर्थन को कौन वित्त पोषित करे? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उपभोक्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए या फिर सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। मेरे विचार से इसके लिए सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं पर इस भार को नहीं लगाया जाना चाहिए। अतः मेरे विचार से सरकार को अब वास्तव में ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि चीनी उद्योग के पोर्टफोलियो को कैसे अलग करे।

महोदय, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राज़ील ने ही बायो-ईंधन, जिसे इथानोल कहा जाता है को दीर्घाकालिक आधार पर लोकप्रिय बनाया और अब जिसे विश्व भर में ईंधन में मिलाया गया है। जिसे हम यातायात के लिए उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि इथानोल अब ब्राजील में चीनी उद्योग के लिए राजस्व के मुख्य स्रोत जैसा है। आपको ऐसा ही कुछ भारत में भी करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में चीनी उद्योग दीर्घाकालिक आधार पर बना रह सके और ऐसी चक्रीय प्रक्रिया के प्रभाव से बच सकें। वास्तव में ऐसा ही करने की आवश्यकता है।

मुझे पता है एक समय क्यूबा विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक था। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात् वहां क्या हुआ, जब से नया शासन सत्ता में आया? क्यूबा में भी शासन परिवर्तन हुआ है। फीडल कास्ट्रो के भाई ने शासन व्यवस्था संभाली है और वे पहले ही सुधारों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर क्यूबा चीनी उद्योग में और अधिक निवेश करना शुरू करता है, और वह बाजार में अधिक चीनी की आपूर्ति शुरू करता है, तो विश्व बाजार का क्या होगा? हमें इस पर भी विचार करना होगा और संभवतः हमें चीनी उद्योग के भविष्य के संबंध में रणनीति तैयार करते समय अधिक सावधान होने की आवश्यकता है।

महोदय, भारत में चीनी उद्योग, विशेषकर महाराष्ट्र में सहकारी समितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है क्योंकि सहकारिताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि चीनी मिलों में जाने वाली फसल का हिस्सा किसानों को मिले। इसीलिए न केवल उसे गन्ने का मूल्य मिल रहा है, बल्कि चीनी मिलों द्वारा चीनी को बेचने से अर्जित किया गया लाभ का हिस्सा भी मिल रहा है। लेकिन सहकारिताओं को इन दिनों, विशेषकर भारत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें सहकारिताओं का पुनरूद्धार करने की आवश्यकता है। वर्षों पहले जिस अभियान के अंतर्गत सहकारिता का उद्भव हुआ था, उसी भावना की आज आवश्यकता है। अतः हमें विचार करना होगा कि सहकारिताएं स्वयं अपना पुनरूद्धार कैसे कर सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो संभवतः जिस संरचना के माध्यम से चीनी उद्योग परिचालित होता है, उसका सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः इस संबंध में हमें कुछ करने की आवश्यकता है।

महोदय, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, और महसूस करता हूं कि चीनी उद्योग के लिए समर्थन की आवश्यकता है। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन मामलों के लिए वे बहुत योग्य व्यक्ति हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीनी उद्योग का उचित प्रकार से पुनरूद्धार हो इस ओर पूरा-पूरा ध्यान देकर ठोस प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धांतिक रूप से शूगर डैवलपमेंट फंड अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं। जब मैं इसकी जानकारी आगे–पीछे कर रहा था और माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था तो मुझे बहुत सी दूसरी बातों की जानकारी मिली। मेरा राज्य चीनी की अर्थव्यवस्था में एक नगण्य खिलाड़ी है। अभी हम अपने क्षेत्र में इसे थोड़ा–थोड़ा शुरू कर रहे हैं। इसकी पिछले 15–20 साल में उड़ीसा में शुरूआत हुई है जिससे हमें कुछ अनुभव हो रहा है। अभी मेरे साथ उड़ीसा के सांसद तथागत जी बैठे थे। उनके वहां इसकी एक इंडस्ट्री है लेकिन गन्ने की खेती मेरे इलाके में होती है। मैं अपने आजू–बाजू के इलाकों के कुछ अनुभव बताना चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी खेती करने वाले मजदूरों का ध्यान रखते हुए यह बिल बनाते तो अच्छा होता। इसके द्वारा चीनी मिलों को सब्जिडाइज्ड रेट पर या इंटरेस्ट फ्री रेट पर लोन देने का प्रॉविजन किया गया है। वह इसे ऑर्डिनेन्स के रूप में लाए हैं और आज हम इसे पास करने जा रहे हैं। वहां तमिलनाडु की शक्ति नाम की एक शुगर फैक्ट्री लगायी गई है।

इसमें हमारा 55–56 साल का क्या अनुभव है। अभी हम शुगर साइकिल के बारे में समझ रहे थे कि खेती एक साल अच्छा होती है और दूसरे साल चीनी का रेट घटता है उसके बाद फिर खेती और बढ़ जाती है लेकिन इससे किसान को नुकसान होता है। आप चीनी मिल को एजेंसी बनाते हो, मुआवजा, दाम अच्छे देने के लिए और क्रॉप शक्ति अच्छी रखने के लिए लोन देते हो, यह स्वागत योग्य पक्ष है। लेकिन कानून में उसे मिलता है या नहीं, फार्मर तक पहुंचता है या नहीं, इस बारे में सैंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। इसमें लिमिटेशन आ जाती है, राज्य सरकार हाथ खड़ा कर देती है, केंद्र सरकार के पास बात पहुंचती नहीं है। हमारे प्रदेश की फैक्ट्री अगर शुगरकेन लाने के लिए रोड रिपेयर करती है तो उसका भी पैसा किसानों के ऊपर लादा जाता है। इसके अलावा जो कैनाल मैंटेनेंस होता है, उसका भी पैसा लादा जाता है। अगर गारन्टियर फैक्ट्री बनकर इन्डीविजुअल लोन लेता है तो भी लोन का पूरा अमाउंट किसानों को नहीं मिलता है। अगर आप इतनी बड़ी बात यहां से कर रहे हो कि चीनी मिलों को सस्ती दर पर या बिना ब्याज के लोन देंगे तो मेरी इतनी विनती है कि इसके लिए कोई प्रोवीजन होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि उड़ीसा जैसे प्रांत में कालाहांडी, बलांगीर, कटक और ढेंकानाल जिले में भी कुछ हुआ है जिससे वे लड़खड़ा जाते हैं। आप किसानों के हित को थोड़ा ध्यान में रखें ताकि आप उसके लिए जो यहां से देते हो वह किसानों तक पहुंचे। इस संबंध में अगर बिल में कुछ प्रोवीजन हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव या एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्शन्स दी जाएं, मैं मानता हूं यह किसानों के हित में होगा, गरीब लोगों के हित में होगा।

मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्री द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी सब मैम्बर्स से विनती है कि सभी मैम्बर्स का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, अब सैकिण्ड राउंड शुरू होना है इसलिए मैं चाहता हूं कि मैम्बर्स दो या चार मिनट में अपनी बात कह दें।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : इसके लिए दो घंटे दिए गए थे, दो घंटे हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, लेकिन पांच–सात मैम्बर रहते हैं।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ शर्त के साथ विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक का उद्देश्य चीनी उद्योगों के समग्र विकास और इससे जुड़े मामलों तथा उपकर 15 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति क्विंटल के लिए है। ऐसा लगता है कि यद्यपि फैक्ट्रियों विधेयक में और अन्य संसाधनों के मामलों पर ध्यान दिया गया है लेकिन किसानों पर अभी भी पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि विधेयक में किसानों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं हीं है।

सामान्यतः किसी अन्य कृषि उत्पाद की तरह गन्ना उत्पादकों की पूरे देश और मेरे आंध्र प्रदेश राज्य विशेषकर तेलांगना के क्षेत्रों, मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर जिलों जहां वे गन्ना उपजाते हैं, की अनदेखी की गई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि गन्ना उत्पादकों को न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार द्वारा उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। और वे अन्य किसानों की तरह हताश हैं और वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।

इसके अतिरिक्त एक विचित्र बात घटित हो रही है। कृषि उत्पाद के किसी मामले में यदि कोई व्यक्ति इसे किसानों से खरीदता है तो मूल्य का भुगतान किसानों को ही किया जाएगा। लेकिन गन्ना किसानों के संबंध में एक विचित्र स्थिति हो रही है। तथ्य यह है कि कोई संस्था जो किसानों से गन्ना खरीदती हैं, वह किसानों को उस समय भुगतान नहीं करती है। लेकिन वे किसानों से पेराई मौसम खत्म होने तक प्रतीक्षा करने को कहेंगे। उन्हें जो दर मिलती है उस आधार पर किसानों को भुगतान करेंगे। साथ ही यह घटित हो रहा है कि जो निवेश किसान गन्ना उत्पादन करने में करता है वह भी उसे नहीं मिलता है और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति है।

यह आरोप लगाया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ही किसानों का लगभग 65,000 करोड़ रुपया बकाया है। यदि यह स्थिति है तो आप इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि पूरे देश में क्या स्थिति हो सकती है। यह बहुत गलत बात है। धान के मामले में इसका भुगतान

[डा. एम. जगन्नाथ]

किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा और माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं कि वे पेराई मौसम खत्म होने तक प्रतीक्षा न करे और उस समय के मौजूदा दर का भुगतान करें। किसानों को मौजूदा दरपर ही भुगतान किया जाना चाहिए।

हाल ही में स्वामीनाथन आयोग ने यह सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि किसानों को 1800 रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। बहुत विलंब हो चुका है। यदि इस आधार पर इस तरह की बातें मानी जाए तो किसानों को कहीं भुगतान किया जाना चाहिए। हाल ही में माननीय मंत्रीजी ने किसानों को ऋण माफी की घोषणा की है। यह गन्ना किसानों पर भी लागू किया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 रुपए के करीब घोषणा की जानी चाहिए। तभी गन्ना उत्पादकों की समस्या सुलझेगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी, अब आप बोलिये, लेकिन आप केवल तीन–चार मिनट में अपनी बात खत्म करें।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने से पहले ही आप तीन मिनट कह देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी भी मजबूरी है, सभी पार्टियों का टाइम खत्म हो गया है, दो घंटे का अलॉटेड टाइम भी खत्म हो गया है। अब आप ही बतायें, मैं क्या करूं। अपनी पार्टी से कह दें, मैं दूसरे किसी...

...(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : सर, आप दो मिनट टाइम बढ़ा दीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्टार्ट करें, फिर देख लेंगे।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां से बोल सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : सर, आज आपका जन्म दिन है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गोयल साहब, जैसा आप कहो, वैसा कर लेंगे।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : सर, जन्मदिन की आपको बधाई हो, मुझे अभी पता लगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह 15 तारीख को था, उस दिन छुट्टी थी, वह बीत गया। बहुत–बहुत धन्यवाद।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को अपनी और समस्त गन्ना किसानों की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मंत्री जी नये बिल को अमैन्डमैन्ट करके शुगर डैवलपमैन्ट फंड के द्वारा जो चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 आप लाये हैं, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सर्वप्रथम अगर हम गन्ना किसानों की तरफ देखें तो बहुत वर्षों से उनके सामने एक समस्या चली आ रही है कि जो गन्ना किसान बड़ी मेहनत से गन्ना उगाता है, उसका भुगतान नहीं होता और न केवल फसल पर ही भुगतान होने की बात है, बल्कि दो–दो, तीन–तीन साल तक उसका भुगतान नहीं होता है, जिसके कारण निरंतर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है और अपने बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा, बच्चियों की शादी करने तक के लिए वह मोहताज हो जाता है। माननीय मंत्री जी इस बिल के द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसमें कई चीजें हैं। पहले यदि हम गन्ने के बारे में देखें तो जो पर्चियों का वितरण होता है, वे किसानों तक नहीं पहुंचती, उनका विवरण बिचौलियों के द्वारा होता है और बाद में किसान जिन पर्चियों को लेना चाहता है, वह उन्हें ब्लैक से खरीदता है। इसके बाद जब वह पर्ची लेकर फसल काटकर तुलाई के लिए जाता है तो वहां भी ठीक से गन्ने की तुलाई नहीं होती और वहां वह जितना गन्ना ले जाता है, उसकी सही तुलाई नहीं होती। कई बार हम लोग भी मौके पर गये हैं और उन अधिकारियों का डांटा, फटकारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई गई है, मगर कोई विशेष सुधार नहीं आया। इसके अलावा आपने देखा कि किसानों ने अपनी मांग उठाते हुए कहा कि उनका भुगतान समय पर हो, इस मुद्दे को लेकर कई प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों के दौरान किसानों पर गोलियां भी चलाई गई हैं।

बहुत से किसान वहां मारे गये हैं। बहुत से किसानों ने खेती की समस्याओं से जूझते हुए वहां पर आत्महत्याएं की हैं जो आप सभी को मालूम हैं और यह सदन भी भली प्रकार से जानता है। इसके अलावा केवल किसानों ने ही नहीं, बल्कि परिवार के परिवारों ने आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत किया है जो इस सदन और देश के लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि इस देश में करीब 80 फीसदी किसान जो हमारा अन्नदाता भी कहलाता है! इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान इसी से जुड़ी हुई समस्याओं की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सिंचाई के साधन बहुत ही सीमित हैं। बिजली 18–18 घंटे नहीं आती है, किसान को पानी भी पूरा उपलब्ध नहीं होता, पम्प चलाकर पानी देना पड़ता है और कभी–कभी डीजल की कमी होती है, डीजल भी समय पर नहीं मिलता

और इस तरह से उसकी खेती सूख जाती है। जितनी पैदावार होनी चाहिए, जितना गन्ने में रस होना चाहिए, उतनी क्षमता नहीं रहती। इसके अलावा सिंचाई के भी साधन, नहरों की सफाई न होने के कारण खेतों तक पानी पहुंचने का सवाल नहीं है। बीस-बीस सालों से पानी वहां नहीं पहुंचता। जो किसान गन्ना उगाते हैं, जो नहरों के पास भी हैं, उनको भी सिंचाई पूरी नहीं मिलती जिससे किसानों का समय-समय पर बहुत उत्पीड़न होता रहता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देते हुए किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यहां तक किसान और फैक्टरी ओनर्स के झगड़े में चाहे वे कोआपरेटिव फैक्टरियां हों या प्राइवेट फैक्टरियां हों, उनके झगड़े में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफिअर करना पड़ा है। मैं यह 28 फरवरी, 2008 के इंडियन एक्सप्रैस की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को कोट करना चाहूंगा जो इस अखबार में दी गई है:

[अनुवाद]

"....माननीय उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों को वर्ष 2006-07 मौसम के लिए गुणवत्ता पर आधारित 115 रुपए से 123 रुपए के बीच मूल्य निर्धारित कर गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है..."

[हिन्दी]

वर्ष 2006-07 के सीजन की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरफिअर किया है। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में हाई-कोर्ट ने भी कहा है :

[अनुवाद]

"उच्च न्यायालय ने उ.प्र. सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है।

[हिन्दी]

उन्होंने लिखा है :

[अनुवाद]

वर्ष 2006-07 के अक्तूबर-सितम्बर के दौरान गन्ने का स्टेट एडवाइज प्राइस (एसएपी)। न्यायालय ने नए सिरे से गन्ने के मूल्य का आकलन करते हेतु सेवानिवृत न्यायधीश के नेतृत्व में एक समिति गठित करने की सिफारिश भी की है..."

[हिन्दी]

बार-बार हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट भी इसमें इंटरफिअर करती रही हैं मगर दुख की बात है कि उनके आदेश करने के बावजूद भी किसानों को न्याय नहीं मिलता। फिर आगे हाई-कोर्ट ने कहा है कि:

[अनुवाद]

...वर्ष 2006-07 के मौसम में जब गन्ने का मूल्य लगभग 8 प्रतिशत बढ़ा, चीनी का मूल्य बंपर फसल के कारण 30 प्रतिशत गिर गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य की सभी चीनी मिलों को चालू वित्त वर्ष की प्रथम दो तिमाही में घाटा होने की बात सामने आई..."

[हिन्दी]

इस तरह कभी शुगर फैक्टरियां बंद हो रही हैं, कभी किसानों को गन्ने का प्राइस नहीं मिल रहा है, इस तरह की समस्याओं को भी देखना चाहिए। जहां तक लॉसेस को सवाल है, लॉसेस के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है

[अनुवाद]

चीनी पैकेज लागू करें।

[हिन्दी]

यह हमारे वित्त मंत्री जी ने 13 फरवरी, 2008 को कहा है।

[अनुवाद]

श्री चिदंबरम ने दी बिजनेस स्टैण्डर्ड में 13 फरवरी, 2008 को चीनी पैकेज लागू करने के लिए बैंकों को कहा। इसमें यह उल्लेख किया गया है :

"वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों को चीनी के मिलों के लिए घोषित ब्याजमुक्त ऋण पैकेज लागू करने के लिए कहा है..."

"पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक ने पैकेज लागू किया है। अन्य बैंकों को यह कार्य जल्द पूरा करने के लिए परामर्श दिया गया है।

दिसम्बर में सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु चीनी मिलों को अनुमति प्रदान करते हुए एक पैकेज अधिसूचित किया है।"

[हिन्दी]

उन्होंने इंटरैस्ट फ्री लोन की बात कही तो मैं माननीय मंत्री जी

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

से आग्रह करूंगा कि जब आप शूगर इंडस्ट्री को इंटरैस्ट फ्री लोन देते हैं तो फिर किसानों को क्यों नहीं? जब उन्हें बराबर सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से, फाइनैंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऋण मिला है। हमारे कृषि राज्य मंत्री डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है:

[अनुवाद]

"सरकार चीनी विकास निधि के प्रति रुझान से अप्रसन्न है"

[हिन्दी]

यह उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। आगे कहा है:

[अनुवाद]

"संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु चीनी विकास निधि के प्रति चीनी उद्योगों के खराब रूझान ने केन्द्र सरकार को नाराज किया है।"

[हिन्दी]

अगर दोबारा आप इस ओर बढ़ रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसानों की जो स्थिति है, उस पर आप गौर फरमायें।

मुझे याद है कि जब हमारे यहां चीनी मिलें हुआ करती थीं और जो गांव इसके अंदर आते थे, जहां जहां गन्ना खरीद करते थे, वहां सड़क निर्माण किया करते थे, उन्हें शैल्टर बनाकर देते थे, जहां किसानों का गन्ना तुलने के लिये जाता था। लेकिन आज, यदि ठंड या बरसात का मौसम रहता है तो वह भीगता रहता है और शूगर फैक्टरी पर एक किलोमीटर से ज्यादा की लाइन में खड़ा रहता है। न उसके लिए प्रापर शौचालय है, न शैल्टर है और न रोटी बनाने के लिये जगह है। वह खुले आसमान के नीचे बरसात में कई दिन तक पड़ा रहता है। मंत्री जी शूगर इंडस्ट्री की समस्या जानते हैं लेकिन मेरा आग्रह है कि किसानों के लिये भी इस अध्यादेश के जरिये जल्द भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जाये। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसलिये उन्हें भी बैंक से फ्री लोन दिये जाने की व्यवस्था की जाये ताकि वे भी अपना जीवन शांति से बिता सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया संक्षेप में बोलें और अपना भाषण तीन से चार मिनट के अंदर समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

जैसा कि माननीय मंत्री जी 1982 के विधेयक में कुछ संशोधन लेकर आये हैं, जिस पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से विस्तार में विचार आये हैं। श्री मोहन सिंह जी, जो सांविधिक संकल्प लेकर आये हैं, मैं उनके विचारों को बल देते हुये कहना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि इस सदन में माननीय मंत्री जी ने खुद कहा था कि चीनी के उत्पादन में सब से ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का रहा है और मंत्री जी ने स्वीकारा भी है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के गन्ना किसानों के दुख–दर्द को विस्तार से रखा है। पश्चिमी इलाके के गन्ना किसानों की भी बड़ी समस्यायें हैं। हालांकि मुझे कम समय दिया है, फिर भी इनके बारे में विस्तार में बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान उत्पादन में अग्रणी थे, वे पीछे न हों, उन्हें विशेष पैकेज देकर उनका जो बकाया रह गया है, उसका भुगतान तत्काल हो। इसकी कोई न कोई सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये। मैं अभी जब इस संशोधन विधेयक को पढ़ रहा था, उसमें सरकार ने चीनी मिलों की ओर ज्यादा ध्यान दिया है कि आप उन्हें ऋण देंगे लेकिन उन्हें उन किसानों का कोई जिक्र नहीं किया गया जोकि एक शोचनीय विषय है।

अभी जो सम्मानित सदस्यों के सुझाव आए हैं, वे ज्यादातर किसानों की समस्याओं को लेकर ही आए हैं। इसलिए मैं कहना-चाहूंगा और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि बात सत्य है कि किसान अगर गन्ने की बुवाई करता है और बाद में फसल को काटकर मिलों तक ले जाता है, तो मानवेन्द्र सिंह जी ने उस दुखड़े को बड़े विस्तार से बताया, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। यह बात सत्य है कि जगह–जगह पर कांटे भी लगते हैं और कांटों में भी इतनी धांधली होती है कि जो कांटों का ठेका लेता है, वह भी घटतौली करता है। उससे सबसे बड़ी चोट किसानों को पहुंचती है। वहां पर जो घटतौली होती है तो किसान उससे वहीं पर दब जाता है, उसको अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता। किसी तरह से वह अपने उत्पाद को मिल में ले जाता है, वहां पर पर्ची दे दी, समय पर उसका भुगतान नहीं हुआ तो अगली फसल के लिए वह एक प्रकार से मर जाता है। उसका उत्पादन ही रुक जाता है। वह कुछ नहीं कर पाता। जैसा सम्मानित सदस्यों ने कहा कि लड़कियों की शादी करने में और अपने घर–परिवार को चलाने में उसकी है कि इतनी मुश्किल हो जाती है कि उसको कर्ज लेना पड़ता है। यही कारण आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं।

जैसा मंत्री जी ने कहा और संशोधन के माध्यम से बात आई है कि बहुत सी चीनी मिलें जो बंद हैं, सरकारी हैं, गैर–सरकारी हैं या कोआपरेटिव सैक्टर की हैं, अगर बंद हैं तो उन्हें चालू किया जाए। उन्हें आप प्रोत्साहन दीजिए, गन्ना मालिकों को आप प्रोत्साहन दीजिए लेकिन उसके साथ–साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो किसान गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, उनको हम कितनी सहूलियत दे रहे हैं?

मानवेन्द्र सिंह जी ने यही कहा कि हम उनको न बिजली दे पा रहे हैं, न पानी दे पा रहे हैं, फिर हम गन्ने का भी उत्पादन इतना करना चाहते हैं कि हमारी चीनी का उत्पादन इतना हो जाए कि हमारे देश में भी खपत हो और बाहर भी इसका निर्यात हो। इन सब बातों को देखते हुए हमें सोचना पड़ेगा। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कहां हमारा बैलेन्स बिगड़ रहा है। कभी कभी गन्ने का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खेत में खड़े हुए गन्ने को किसान जला देता है। माननीय अशोक प्रधान जी बैठे हैं, वे इस बात को जानते हैं। इससे बहुत बड़ी हानि उनको होती है। इसलिए यह सोचने का विषय है। मंत्री जी हँस रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी न हंसें। मंत्री जी का महाराष्ट्र तो चीनी उत्पादन में आगे है, लेकिन इसको गंभीरता से लें और इस पर सोचें। आपने इस विधेयक में किसानों का कहीं ज़िक्र नहीं किया, यह मेरी आपत्ति है। मैं चाहूंगा कि अपने उत्तर में आप कम से कम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए, उनके बकाये के भुगतान के लिए उनको किस प्रकार से सहूलियत मिलेगी, इस पर ज़रूर जवाब दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, चीनी विकास निधि संशोधन विधेयक पर आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, यह जो बिल आदरणीय मंत्री जी लाए हैं, इसके संबंध में मैं कुछ बोलना चाहती हूं। ये चीनी मिल मालिकों को जो सहूलियत देना चाहते हैं, उसके साथ ही मेरे क्षेत्र में जो 800 से 900 क्रैशर्स गुड़ निकाल रहे हैं, उनको भी कुछ राहत देने के लिए कुछ सोचना चाहिए। इसके साथ साथ जो इथनॉल और बिजली का उत्पादन करते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए इनका प्रावधान भी इसमें होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में इतनी आत्महत्याएं हो रही है। कि आज के समाचारों में आया है कि आठ दिन पहले आपने जो कर्ज़ माफ की, उसके बाद भी चार–पांच लोगों ने हमारे क्षेत्र में आत्महत्याएं कीं। इसकी एक ही वजह है कि आप चीनी मिल मालिकों को बचाना चाहते हैं। उसके साथ–साथ किसानों को भी बचाना चाहिए, यह मैं कृषि मंत्री जी से विनती करती हूं। जो चीनी मिल मालिक होते हैं, वे किसानों का गन्ना लेकर जाते हैं। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि वहां इतनी समस्याएं किसानों को रहती हैं– बिजली नहीं, पानी नहीं, फिर भी वे गन्ना लगाते हैं। उनको लगता है कि चीनी मिल मालिक हमारा गन्ना लेकर जाएं और हमारे पास कुछ पैसा आना चाहिए।

इतनी समस्या होने के बावजूद भी वे गन्ना लगाते हैं और जब गन्ना लेने की बारी आती है तो चीनी मालिक बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ है। टाइम हो जाता है तब भी उनका गन्ना नहीं लेते हैं। इस तरह जो ये राजनीति करते हैं, यह बंद होनी चाहिए। गन्ने का भाव निर्धारित करना चाहिए कि इसका इतना भाव है। गन्ने का भाव निर्धारित किया हुआ है तब भी हमारे यहां के जो मालिक हैं वे उन्हें उतना नहीं देते हैं। जो रिकवरी आती है, उसके हिसाब से वे उन्हें पैसा नहीं देते। वे मनमानी करते हैं, उन्हें ठीक से पैसा नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने जैसे चीनी मालिकों के बारे में सोचा है, उसी तरह हमारे यहां जो गुड बनाते हैं, कम से कम उनके लिए बिजली मुफ्त होनी चाहिए। उसका उन्हें जो मुआवजा दे सकते हैं, वह भी उन्हें देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक तहसील में नौ सौ गुड के कारखाने चलते हैं, इन कारखानों में चीनी मालिक जितना क्रशिंग करता है, उतना ही गुड निकालने वाला किसान भी करता है। इसलिए इनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, इससे इन्हें भी राहत मिलेगी और किसान आत्महत्या कम करेंगे। जो गुड बनाते हैं, उनके लिए कुछ पैकेज वगैरह देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसुभाई बराड़ हमारे अंतिम वक्ता हैं। कृपया बहुत संक्षेप में बोलें। अपना भाषण चार मिनट के अंदर समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। आज श्री शरद पवार जी जो बिल लेकर आए हैं, पूरा गन्ना बोने वाले जो किसान हैं, उनके लिए वे लगातार कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम् सवाल यह है कि आज जो चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति है, उसके कारण क्या हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे हिन्दुस्तान में हर जगह पर जो लागत आती है, वह सभी जगह पर एक ही तरीके से आती है। इसके लिए अलग–अलग जोन बनाए हुए हैं। किसी जगह पर लो रिकवरी जोन है और किसी जगह पर हाई रिकवरी जोन है। किसी जगह पर एक एकड़ पर पैदावार 40 प्रति टन है तथा किसी जगह पर सूखा पड़ता है। आज अगर 1250 मीट्रिक टन, केपिसिटी की कोई चीनी मिल 65 परसैंट नहीं चलती है तो एक भी पैसे का मुनाफा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो–तीन बातें मंत्री जी के ध्यान में लाना

[श्री जसुभाई धानाभाई बारड़]

चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में 1998 से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम हुए। यहां उत्पादन की पैदावार ज्यादा हुई और उसके बाद लगातार चीनी के भाव कम होने की वजह से जो लागत आती थी, इससे करीब–करीब तीन सौ–चार सौ रुपए प्रति क्विंटल जो चीनी का भाव मिलना चाहिए, वह कम हुआ। इस वजह से चीनी मिलों की जो आर्थिक स्थिति थी, वे जो प्लेज और क्लीन के लोन लेते हैं, इन सब लोन का भुगतान करने में एक बड़ी समस्या आ गई। गन्ने का न्यूनतम भाव सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, वह चुकाना ही पड़ता है। जहां तक कोआपरेटिव मिल का सवाल है, यह मिल अपने हिसाब से तीन पार्ट में पेमेंट करती है। पहले दो सौ–तीन सौ रुपए का पेमेंट करती है, फिर बाद में सौ–डेढ़ सौ रुपए का करती है। मिल बंद हो जाने के बाद आखिरी पेमेंट वह उनको देती है। राज्य सरकार में जो कोआपरेटिव बैंक है, उनके लिए मैं कहूंगा कि प्लेज किस हिसाब से मिलता है, करीब–करीब 13.5 परसैंट के हिसाब से प्लेज मिलता है। बैंक वाले 14 से 15 परसैंट लेते हैं। जहां तक रीस्ट्रक्चर का सवाल है, इसमें मैं आपको गुजरात की, खास कर सौराष्ट्र की बात बताता हूं। सौराष्ट्र का एरिया सूखा है। वहां पहले छः मिलें थीं और आज सिर्फ दो मिलें चल रहीं हैं, चार मिलें वहां इसी वजह से बंद हो गईं। केन्द्र सरकार कोई नीति बनाती है, कोई खास पैकेज डील करती है।

अपराह्न 4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने यह किया है। माननीय मंत्री, श्री शरद पवार जी ने चीनी मिलों के लोन को दो वर्ष पहले रीस्ट्रक्चर किया। उसके कारण आज स्थिति यह हो गई है कि गुजरात सरकार इसमें गारंटी नहीं दे रही है। जब गुजरात सरकार गारंटी नहीं देगी, तो ब्याज की दर में 3 प्रतिशत तक राहत जो बैंक को मिलने वाली है, वह नहीं मिल पा रही है। लिक्विडिटी सपोर्ट लोन, गुजरात में पांच कोआपरेटिव मिलों को मिल सकता था, लेकिन गुजरात सरकार ने सिर्फ चार को दिया। सौराष्ट्र में जहां सूखा पड़ा है, वहां वह नहीं दे रही है। इस प्रकार की कुछ बातें हैं, जो होनी चाहिए। जिस मिल में पिछले दो साल में जितनी भी एक्साइज पे की है? उसके हिसाब से, उसे बिना ब्याज के लोन देने की बात है। 7 परसेंट कौन रखेगा, एस. डी. एफ. के माध्यम से 5 परसेंट भारत सरकार देगी। एस. डी. एफ. में जो कन्वर्जन की बातें हो रही हैं, उनका सामना आज भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की मिलें कर रही हैं। स्टेट कोआपरेटिव बैंक से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि नाबार्ड ने कोई नीति बनाई है कि जब तक गुजरात की गवर्नमेंट इसमें गारंटी नहीं देगी, तब तक हम परसेंटेज के हिसाब से ब्याज का भुगतान नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण लिक्विडिटी सपोर्ट नहीं मिल सकेगा। इसलिए जहां तक आम किसानों का सवाल है, जिनके लिए शरद पवार जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वे किसानों की समस्याओं को सुलझाने में यदि जरूरत पड़े, तो राज्यों की सरकार से भी बात कर के इन समस्याओं को निपटाने में मदद करें। अंत में, मैं उनका और उनके द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं तथा आपको समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए मैं आपक आभारी हूं। मैं सिर्फ दो ही मिनट लूंगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए के किसानों के कर्ज माफ करने यानी उन्हें छूट देने की घोषणा की है। आप इस बिल के माध्यम से चीनी मिलों को लाभ पहुंचा रहे हैं। अब चीनी मिलें गन्ना किसान को पैसा देंगी या नहीं, यह कैसे सुनिश्चित होगा? इसलिए मेरा आग्रह है कि यह पैसा चीनी मिल को न देकर आप सीधे गन्ना किसानों को दें। चीनी मिलों को बैंक द्वारा जो भुगतान होता है, उसमें एक–एक और दो–दो महीने का डिले होता है, उससे चीनी मिलों को ब्याज का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। नंबर दो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार, पालिसी फायनल न होने की वजह से, गन्ने के किसानों ने, शुरू के दो–तीन महीनों में खेत जल्दी खाली करने की गर्ज से, ताकि वे उसमें गेहूं बो सकें, 30 से 50 रुपए प्रति क्विंटल में अपना गन्ना बेच दिया। हमारी नीति दुरुस्त न होने के कारण, हमारी चीनी मिलें दिसम्बर में चलनी शुरू हुई। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ऐसा सुनिश्चित करें कि एक तो जून में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान को कितना पैसा दिया जाएगा वह बताएं और एक डेट निर्धारित करें कि इस क्षेत्र की इस तारीख तक और इस क्षेत्र की इस तारीख तक चीनी मिलें शुरू होंगी। यह भी सुनिश्चित करें कि गन्ने के मूल्य का भुगतान यदि एक सप्ताह या 15 दिन के अंदर नहीं देंगे, तो उस चीनी मिल वाले को ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप यह सुनिश्चित करेंगे, तो चीनी मिल वालों के ऊपर कुछ दबाव पड़ेगा और वह किसानों का भुगतान करेंगे। जो आप उन्हें दे रहे हैं, उसे तो आप ब्याज–रहित कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस दिशा में विचार कर के जब आप इसके ऊपर हुई बहस का उत्तर दें, तब इस विषय में भी कुछ बताएं और कुछ निर्देश जारी करें, तभी इसका क्रियान्वयन हो पाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका पुनः बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री संतोष गंगवार जी से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को श्री संतोष गंगवार जी से एसोसिएट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों माननीय सदस्यों को एसोसिएट कर दिया जाए।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के जिन सदस्यों ने इस ऑर्डिनेंस के रूपान्तर कानून के बारे में यहां जो वक्तव्य दिए हैं, मुझे खुशी है कि सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसके साथ–साथ कुछ समस्याएं जो चीनी मिलों और किसानों की हैं, उन्हें आज सदन और सरकार के सामने रखने की कोशिश की है।

महोदय, इस देश में टैक्सटाइल के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है, तो वह शुगर इंडस्ट्री है। यह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, पूरे हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाले गरीबों को रोजगार देती है और इसका सबसे ज्यादा लाभ, देश का जो ग्रामीण हिस्सा है, वहां के लोगों को होता है।

हमारा देश दुनिया में शुगर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 6–7 साल पहले हमारा देश दुनिया में शुगर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, लेकिन आज ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर उत्पादन करता है। ब्राजील की स्थिति और यहां की स्थिति में जमीन–आसमान का अंतर है। एक तो ब्राजील में जमीन ज्यादा है और आबादी कम है, जबकि हमारे देश में 80–81 प्रतिशत किसान दो हेक्टेयर के नीचे वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि ब्राजील में इस तरह के किसान होंगे। ब्राजील के और हमारे गन्ना उत्पादन में फर्क है। वहां का 70 फीसदी से ज्यादा गन्ना उत्पादन बारिश पर निर्भर है, लेकिन यहां के किसानों को गन्ने का उत्पादन करने के लिए पानी का प्रबंध करना होता है। वहां की लागत मूल्य भारत से बहुत कम है। वहां की चीनी मिलें किसानों को जो गन्ने का मूल्य देती हैं, वह भारतीय रुपये में आप तुलना करें तो चार सौ रुपये प्रति टन के आस–पास है, यानी 40 रुपये मन के आस–पास है। 30–40 रुपये प्रति मन जब गन्ने की कीमत थी तब उत्तर प्रदेश में मुझे जहां तक याद आता है, गेन्डा सिंह नाम के एक प्रभावी नेता हुआ करते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था। लेकिन आज 30–40 रुपये प्रति मन किसानों को स्वीकार करना नामुमकिन है। ब्राजील में चीनी मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी 30 या 35 हजार टन के आसपास है, जबकि हिन्दुस्तान में एवरेज दो हजार टन के आसपास है। वहां 30–35 हजार टन क्रशिंग कैपेसिटी वाली चीनी मिल में ज्यादा से ज्यादा दो सौ लोग काम करते हैं, जबकि हमारे यहां 1200 से 1500 टन की क्रशिंग कैपेसिटी वाली मिल में आठ सौ या नौ सौ लोग काम करते हैं। इसलिए उनके साथ कम्पीट करना इस देश के गन्ना किसानों और चीनी उत्पादन करने वाली मिलों के लिए मुर्यादित नहीं है, फिर भी इस देश के किसानों ने दुनिया में दो नम्बर पर चीनी उत्पादन करने का एक रिकार्ड कायम किया है। हमारे देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे जो कुछ कर सकते हैं, वह करने पर उन्होंने ध्यान दिया है। शुरू में मोहन सिंह जी ने जो कहा, वह सच है कि चीनी उद्योग ऐसा है, जहां पांच साल का साइकिल होता है। वह डिमान्ड और सप्लाई पर निर्भर करता है। और हमारे किसानों की आदत पर भी निर्भर करता है। शुरू के दो साल किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। अच्छी कीमत मिलने से अच्छी पैदावार होती है। तीसरे साल कीमत कम होने का प्रोसेस शुरू होता है और चौथे और पांचवें साल इतनी कीमत कम हो जाती है कि किसान दूसरी फसल पर शिफ्ट होता है। इससे गन्ने का उत्पादन कम होता है, जिससे चीनी कम होती है, इसके बाद चीनी के दाम बढ़ते हैं, फिर गन्ने के दाम बढ़ते हैं और किसान फिर से खेत में गन्ना पैदा करता है। इस तरह का ट्रेंड हम कई सालों से इस देश में देख रहे हैं।

इस पर कोई बंधन लगाने की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि किसानों को हम यह नहीं कह सकते कि आपको कौन सी फसल लेनी है। अमेरिका जैसे देशों में फसल कौन सी लेनी है, इसका निर्णय कई बार सरकार करती है कि व्हीट का टोटल प्रोडक्शन हमें इतना ही करना है, इतना ही क्षेत्र व्हीट के अंदर लगाना चाहिए, हर किसान को इतना ही व्हीट लगाना चाहिए। इस तरह का कोई कानून, कुछ कदम, कोई आदेश वहां की सरकार कर सकती है, पर अपने जैसे देश में यह नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो हमारे किसानों की ताकत बहुत कम है, क्षेत्र बहुत कम है, उनका परिवार इस पर चलाना मुश्किल है, जिसके बारे में इस सदन में भी कई बार चर्चा हुई है।

पिछले दो सालों में क्या हुआ, 2004–2005, 2005–2006 में इस देश में गन्ना पैदा करने वाले किसानों को जो कीमत मिली, वह शायद पिछले 50–60 सालों में कभी नहीं मिली थी और इसलिए जो हमेशा होता है, वह हो गया कि क्षेत्र बढ़ गया। पिछले साल से समस्या यह हो गई कि गन्ने का क्या करना है, किस तरह से इसको क्रशिंग करना है। कई राज्यों में, जहां अप्रैल मई तक चीनी मिल का सीजन चलता है, वहां की सरकार ने कदम उठाकर, दबाव डालकर चीनी मिल के मैनेजमैंट को कहा कि चाहें मई महीना हो, जून महीना हो या जुलाई महीना हो, आपको चीनी मिल चलानी चाहिए, भले ही इसके कारण बहुत बड़ा रिकवरी लॉस सहन करने की परिस्थिति आ जाये। लेकिन अगर यह नहीं करते तो वह गन्ना ऐसे ही क्षेत्र में रहता और दूसरी फसल लेने की ताकत बिल्कुल किसान की नहीं होती। इससे बड़ा भारी नुकसान अल्टीमेटली देश का होता। यह स्थिति होने के बाद आज मुझे दिख रहा है कि शायद अगले साल इस देश में गन्ने का उत्पादन कम हो जायेगा। इस साल ही प्लांटेशन कम हुआ है, जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अगले दो साल में चीनी की कीमत ऊपर जायेगी, गन्ने की कीमत बढ़ेगी, किसानों

[श्री शरद पवार]

को दो पैसे मिलेंगे और फिर ज्यादा क्षेत्र में शायद किसान लगा सकते हैं।

कुछ न कुछ रास्ता इस बारे में हमें निकालना होगा। वह रास्ता कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपना ही देश एक ऐसा देश है कि यहां गन्ना तैयार करने के बाद इससे हम चीनी ही बनाते हैं। आज दुनिया में सभी जगह पर चीनी उद्योग खाली चीनी नहीं बनाता है, वे इससे बिजली बनाते हैं, जैनरेट करते हैं, वे एथेनोल बनाते हैं, स्प्रिट बनाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रीशनल एल्कोहल बनाते हैं और कई जगह पर कागज भी बनाते हैं। इन सभी को मिलाकर जो कीमत आती है, उसका लाभ किसानों को भी मिल सकता है और उसका लाभ चीनी उद्योग को भी मिल सकता है, इसलिए भारत को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों में स्थिति में बदलाव आ रहा है।

इसलिए, 1982 में जब यह कानून बन गया, तब देश के सामने यह बात थी कि इतना बड़ा रोजगार देने वाले उद्योग को चलना चाहिए, वह माडर्न होना चाहिए, इसमें अच्छी तरह से किसानों को कल्टीवेशन करने की परिस्थिति पैदा करनी चाहिए, उनको गन्ने का ठीक तरह से सीड मिलना चाहिए। यह सब करने के लिए रुपये की लागत लगती है, उसकी उपलब्धि ठीक करने की आवश्यकता थी, इसलिए शुगरकेन डैवलपमेंट फंड का निर्माण हो गया। जो फंड उससे कलैक्ट किया गया, वह कंज्यूमर से कलैक्ट किया गया। आज भी 15 रुपये से 25 रुपये करने का यहां जो प्रस्ताव है, उसका असर चीनी की कीमत, जो चीनी खरीदने वाले आम आदमी है या परिवार है, उन पर पड़ेगा और उनको नौ या दस पैसे प्रति किलो ज्यादा देना पड़ेगा। प्रभु साहब ने यहां पर कहा कि आप यह बोझ इनके ऊपर क्यों डालते हैं। अगर हम यह उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, चीनी का उत्पादन कम होगा तो अल्टीमेटली उपभोक्ताओं को इसकी जबरदस्त कीमत देनी पड़ती है। दो साल पहले हमने देखा कि चीनी की कीमत 20 रुपये से ऊपर चली गई थी। उसकी कीमत उपभोक्ता को देनी पड़ी। चीनी का एक स्टेबल प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उनकी भी लूट नहीं होगी और ठीक कीमत पर चीनी उनके पास उपलब्ध होगी। इसलिए लांग टर्म कंज्यूमर का इंट्रेस्ट सेव करने के लिए, जो उत्पादन की आवश्यकता है, उसे मद्देनजर रखते हुए, हमें इसकी थोड़ी-बहुत जिम्मेदारी कंज्यूमर्स के ऊपर भी देने की आवश्यकता थी। सन् 1998 में, जब ये कदम उठाए, उसमें आज तक फर्क नहीं आया है। यह पूरी जिम्मेदारी कंज्यूमर्स पर रहती है।

यह फंड किसलिए तैयार किया? नंबर एक, इसमें राशि चीनी मिलों के पास उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में जहां गन्ना पैदा होता है या अच्छी तरह से गन्ना तैयार होने के लिए पानी का प्रबंध वे कर सकें, उसके लिए, बोरिंग करने के लिए, लिफ्ट इरीगेशन नदियों से करने के लिए, पाइपलाइन और बाकी जो पानी लाने के लिए सुविधा देनी है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सीड फार्म और सीडलिंग देने का भी बंदोबस्त भी कर सकते हैं। इन सब कामों के लिए इसका प्रबंध इसमें किया गया। आज तक जो भी पैसे चीनी मिलों को दिए, इनमें से 530 करोड़ रुपए केन डेवलपमेंट के लिए दिए। इसमें से ज्यादा हिस्सा को-आपरेटिव मिल्स के पास गया। को-आपरेटिव मिलों के मालिक खुद किसान है, 10-15-20 हजार किसान इकट्ठा होकर अपनी मिल शुरू करते हैं और इसका पूरा लाभ उनके पास जाता है। इस तरह से ये पैसे केन डेवलपमेंट के लिए दिए गए।

दूसरी, यहां से रकम चीनी मिल माडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन करने के लिए जाती है। इस क्षेत्र में आज दुनिया में कंपटीशन हो रहा है। इस कंपटीशन में हमारा सामना ब्राजील जैसे देश के साथ हो, तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैसे कम कर सकते हैं और चीनी मिल माडर्न किस तरह से कर सकते हैं, इसमें आटोमेटाइजेशन किस तरह से बढ़ सकता है, साथ ही साथ एलाइड इंडस्ट्रीज इसमें कैसे डेवलप कर सकती है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की परिस्थिति आती है, तब कहीं न कहीं से तो साधन तैयार करने की आवश्यकता होती है। इस तरह से शुगर डेवलपमेंट फंड से उसे मदद भी हो जाती है।

तीसरे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक एलाइड इंडस्ट्री, केबल चीनी बनाकर, हम इंटरनेशनल मार्केट में सागना नहीं कर सकेंगे और साथ-साथ इससे दूसरा भी जो पदार्थ बन सकता है, वह पैदा हम नहीं करें, तो इससे पूरे देश का नुकसान होता है। आज इससे, को-जेनरेशन से, बिजली तैयार करने का काम हो सकता है और साथ ही साथ हम इथेनॉल और स्पिरिट भी बना सकते हैं। अभी तक को-जेनरेशन तैयार करने के लिए, पावर तैयार करने के लिए, बिजली तैयार करने के लिए 350 करोड़ रुपए शुगर डेवलपमेंट फंड से अलग-अलग चीनी मिलों को दिए गए हैं। इथेनॉल के प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन हुआ और 32 करोड़ रुपए इथेनॉल के प्लान्ट्स लगाने के लिए आज तक दिए। इस बारे में कई एप्लीकेशंस हमारे पास पेंडिंग हैं। इससे एक नया रास्ता खुल रहा है। जो देश में स्टडी हुयी, इससे तीन हजार मेगावॉट से भी ज्यादा बिजली चीनी उद्योग से इस देश में तैयार हो सकती है। उस रास्ते पर अब हम लोग जा रहे हैं, इसलिए इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो शुगर डेवलपमेंट फंड है, इससे केन प्लांटेशन के मामले में हम मदद कर सकते हैं, प्लांट माडर्नाइजेशन के लिए मदद कर सकते हैं, डायवर्सिफिकेशन के लिए मदद कर सकते है। हर पांच साल के साइकल में जो दो या तीन साल का खराब समय आता है, उस समय चीनी उद्योग को बचाना किसानों के लिए आवश्यक बात होती है।

उन्हें उस समय कुछ न कुछ राहत देनी पड़ती है। पिछले दो साल जो बहुत खराब गए, उसमें कई चीनी मिलें न किसानों की कीमत दे सकीं, न मजदूरों की तनख्वाह दे सकीं। कई मिलें डिवीडैंड नहीं दे सकीं, ऐसी परिस्थिति आई। परिस्थिति इतनी खराब हुई कि देश के बैंक भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे? क्यों? क्योंकि उनकी पैदावार काफी बड़े पैमाने पर हुई। उनका माल पड़ा रहा, इंटरनेशनल मार्किट में उसकी कोई डिमांड नहीं थी। हम इंटरनेशनल मार्किट में ब्राजील, थाईलैंड, आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन इस उद्योग को बचाना, अल्टीमेटली किसानों को भी बचाना, रोजी बचानी हो, रोजगार बचाना हो, ऐसी परिस्थिति में सरकार को कुछ न कुछ मदद करनी पड़ती है। सरकार ने सिर्फ चीनी उद्योग की मदद की है, ऐसा नहीं है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री की डैवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट तैयार करके भारत सरकार ने उस इंडस्ट्री को राहत दी। देश में कुछ गिनी–चुनी स्टील मिलें हैं। जब वे स्टील मिलें बहुत संकट में थीं, तब भारत सरकार ने बैंकों को सलाह देकर उनके लिए एक अलग प्रस्ताव तैयार किया और स्टील मिलें बचाने की कोशिश की। यह सबसे ज्यादा रूरल इम्पलॉयमैंट देने वाली इंडस्ट्री है, जिसका खेती से डायरैक्ट संबंध है। ऐसी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ न कुछ मदद करने की आवश्यकता है। इसलिए जिस साल हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, तब इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत सरकार ने इससे पहले कुछ कदम उठाए। हमारे पास उत्पादन ज्यादा हो गया तो चीनी मिलों से लेकर सरकार ने पचास लाख टन का बफर स्टॉक किया। जो चीनी स्टॉक में रखी, उसके ऊपर जो इन्टरेस्ट एंड स्टोरिंग चार्जेस होते हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। साथ ही जो इंटरनेशनल मार्किट में उतरना चाहते हैं, अपनी चीनी वहां भेजना चाहते हैं, जो राज्य समुद्र किनारे, पोर्ट से दूर हैं, उन्हें 1450 रुपये प्रति टन ट्रांसपोर्ट सहायता देने का काम सरकार ने किया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्य जो सागर के पास हैं, उन्हें सौ रुपये कम दिए गए क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगती है। इसलिए उन राज्यों को 1350 दिए गए। ऐसे कुछ कदम उठाए गए। लेकिन इसके साथ ही फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन्स को भी डायरैक्शन दी गई कि आप उनके रीहैबीलिटेशन का प्रोग्राम करें। नाबार्ड, जो खेती और कृषि उद्योगों को मदद करने वाला बैंक है, उन्हें भी सूचना दी गई कि आप कोआपरेटिव मिलों की मदद कीजिए। उन्होंने भी रीहैबीलिटेशन का पैकेज तैयार किया। यह सब कुछ करने के बाद भी आज देश में 190 लाख टन चीनी की आवश्यकता है और देश में 280–290 लाख टन से भी ज्यादा चीनी उपलब्ध है। यदि ऐसी स्थिति रही तो आज नहीं तो कल, चीनी उद्योग बहुत संकट में आ जाएगा। जब चीनी मिलें बंद हो जाएंगी, तब किसानों के गन्ने को प्रोसैस करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। गुड बन सकता है लेकिन गुड से देश की समस्या खत्म नहीं होगी। यदि हम किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडयूस को प्रोसैस नहीं करेंगे तो किसानों को ठीक तरह से कीमत नहीं दे सकेंगे, देश को भी दो पैसे मिलने का कोई रास्ता नही मिलेगा और न ही इससे रूरल इम्पलॉयमैंट बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडयूस के प्रोसैस के लिए जो भी किया जा सकता है, वे सब कदम उठाने की आवश्यकता है। चीनी उद्योग इस क्षेत्र का उद्योग है, इसलिए सरकार ने उसकी तरफ देखने का अलग नजरिया रखा है।

अभी जो नुकसान हो रहा है, उससे क्या होगा? हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो बताया, यह बात सच है कि इस साल उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग कई जगहों पर अपनी चीनी मिल शुरू करने की स्थिति में नहीं था, न ही शुरू करना चाहता था।

अगर गन्ना हारवेस्टिंग नहीं होता, तो देश की फूड मिनिस्ट्री का मंत्री के नाते, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यदि गन्ना नहीं कटेगा, तो वह जमीन क्षेत्र गेहूं के लिए ऐवेलेबल नहीं होगा। इससे गेहूं पर असर पड़ेगा और फिर इसे इम्पोर्ट करने की नौबत आयेगी। आज उत्तर प्रदेश खासतौर से वेस्टर्न यूपी इस देश में पंजाब, हरियाणा के बाद या उनके साथ–साथ गेहूं पैदा करने वाला बड़ा हिस्सा है। इसलिए वहां के गन्ने की क्रशिंग होने की आवश्यकता थी। जब वे मिल ही नहीं चलायेंगे, तो यह कैसे होगा। कई जगह किसानों ने अपने गन्ने को आग लगायी है, इस तरह की न्यूज भी अखबारों में आयी है। इसका भी बुरा असर होता है और यह नेशनल लॉस है। ये सब करने और चीनी मिलों की हालत कैसे दुरस्त कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ा। इसके साथ–साथ बड़े पैमाने पर चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जिसे किसानों को देने की आवश्यकता थी, उसे चीनी मिल दे नहीं पायी। वे रकम उन पर बकाया थी। इसलिए कुछ रास्ता निकालने के लिए हमने राज्य सरकार के साथ बातचीत की, तो एक सुझाव सामने आया कि इन चीनी मिलों को बैंकों से लोन देने का बंदोबस्त किया जाये। मगर बैंक्स इन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके नेटवर्क की जो आर्थिक ताकत थी, वह बिल्कुल नीचे चली गयी थी जिससे बैंक्स रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कुछ जिम्मेदारी भारत सरकार को उठानी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी चाहिए और कुछ बैंकों को रिस्क लेना चाहिए, इस तरह का सुझाव आया। कई राज्यों ने इस पर परचेज टैक्स भी माफ कर दिया तथा कई और सहूलियतें भी दे दीं। भारत सरकार ने शुगर डेवलपमेंट फंड से यह पैसा रेज करना तय किया। अब बैंक्स से जो चीनी मिले पैसा लेंगी, वे उसका सूद देने के लिए भी तैयार रहें। मैं सदन के सभी सदस्यों से एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि बैंक्स से जो पैसा चीनी मिलों को जायेगा, उन पर यह बंधन होगा कि यह पैसा सिर्फ किसानों को गन्ने की कीमत देने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते

[श्री शरद पवार]

हैं, दूसरी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास एक सुझाव यह भी आया था कि किसानों की बकाया रकम देने के बाद यदि कुछ रकम बचती है, तो जो मजदूर वहां काम करने वाले हैं, उनकी तनख्वाह भी रही होगी, इसलिए इस बारे में भी सोचना चाहिए। साथ-साथ अगर फिर भी कुछ पैसे बच गये, तो बैंकों के ऋण देने के लिए भी इसे खर्च कर सकते हैं। मगर इस पर हमने अभी कुछ निर्णय नहीं लिया है। अभी विखे साहब ने जो सूचना दी, उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी। मगर हमारी पहली प्रॉयरिटी किसानों को उनकी गन्ने की कीमत देने के लिए रहेगी। आज यही स्थिति है। कई सदस्यों ने यहां यह सवाल उठाया कि ये पैसे वहां जायेंगे, उस पर भरोसा क्या है? इसमें जो रूल्स बन रहे हैं, उसमें पैसे दो इंस्टालमैंट में वहां जायेंगे। सबवैंशन का पहला इंस्टालमैंट जाने के बाद, दूसरा इंस्टालमैंट देने से पहले, सभी चीनी मिलों को यह सर्टीफिकेट देना होगा कि ये पैसे उन्होंने किसानों को ही दिये हैं। उसे देने के बाद ही उसका दूसरा हिस्सा रिलीज हो जायेगा। साथ-साथ आज भारत सरकार का जो शुगर केन कंट्रोल आर्डर है, इसके एक सैक्शन में सुविधा है जिसके माध्यम से किसी चीनी मिल ने किसानों को 14 दिन में पैमेंट नहीं किया, तो उनको 14 परसेंट इंटरैस्ट देना पड़ता है। यदि यह इंटरैस्ट और पैमेंट देने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, तो भारत सरकार ने राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों ने जिलाधिकारियों को पावर्स दी हैं कि आवश्यकता हो, तो वे चीनी मिलों की सम्पत्ति, मशीनरी और वहां की चीनी भी जब्त कर सकते हैं।

आज ये पूरे अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कुछ मिल मालिकों के लिए अरेस्ट वारन्ट्स भी जारी किए हैं और जब लोग कोर्ट्स में जाने लगे तो उन्हें स्टे आर्डर दिए गए हैं। लेकिन इससे यह फायदा हुआ है कि बकाया 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम में से लगभग 3000 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं, फिर भी अभी 1,000 करोड़ रुपए रकम बाकी है। उनकी ओर हमारा ध्यान है और हमेशा रहेगा। हमने उनको कहा कि जल्दी से जल्दी पैसे रिकवर करके देने के लिए प्रबंध कीजिए, अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो सख्ती से कदम उठाने के लिए आपको जो अधिकार दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करें और किसानों के पैसों का भुगतान कराएं। अगर यह नहीं होगा तो हम यह जो नई फेसिलिटी दे रहे हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में जो प्रिकाशन्स लेने हैं, हम लेंगे।

चीनी उद्योग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड आदि कुछ राज्यों की परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से भिन्न हैं। पूरे देश में गन्ने की कीमत केन्द्र सरकार द्वारा तय की जाती है जिसे एसएमपी कहा जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा तय किए जाने के बाद अन्य राज्यों द्वारा इस पर अमल किया जाता है। देश के तीन-चार राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने इस दिशा में अपने अलग कानून बनाए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश भी है। वहां भारत सरकार द्वारा तय की गई कीमत के आधार पर राज्य सरकार अपनी ओर से कीमत तय करती है। इससे एक बात अवश्य है कि दो पैसे किसानों को ज्यादा मिलते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए जो नीति तय होती है, उसमें दो - तीन राज्यों की नीति अलग हो जाती है। इससे थोड़ी दिक्कत आती है और एक तरह से नुकसान होता है। लेकिन इस बारे में मैंने इन राज्यों के प्रमुखों की एक बार मीटिंग बुलाई थी, हालांकि उसमें आम सहमति नहीं हो सकी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकार को स्वीकार किया है, इसलिए अब इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। यहां कुछ चीनी मिलों के अनुभवों को माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रखा है। कई जगह पर चीनी मिल ठीक नहीं चलती है, कई जगह पर पेमेंट नहीं होती है। मोतिहारी चीनी मिल का जिक्र माननीय सदस्य ने किया, हमने उसकी जांच की थी। यह मिल तीन-चार साल से बंद है। ऐसी मिलों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। यह सुविधा केवल उन मिलों के लिए है जिन्होंने पिछले साल क्रशिंग की, चीनी की पैदावार की, उस पर उनको जो एक्साइज के लिए पैसा देना है, उस एमाउण्ट पर बैंक उनको लोन देगी और फिर हम उसका इंट्रेस्ट देंगे। जिन चीनी मिलों ने उत्पादन ही नहीं किया, उनको इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसी मिल को, यहां की सरकार द्वारा लिक्वीडेशन के लिए निकालकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। जहां तक मोतिहारी मिल की बात है, उन्होंने किसानों के पुराने पेमेंट नहीं दिए, इसलिए उनको नोटिस दी गयी। इसके बाद वहां के गन्ना पैदा करने वाले किसानों के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी। उसके बारे में पटना हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देने के लिए कहा। इसकी कीमत वसूली करने के लिए आर्डर दिए। इस आर्डर पर बिहार सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, इसलिए शायद कंटेम्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति बिहार सरकार के लिए बनने वाली है।

श्री सीताराम सिंह ने जो मोतीहारी चीनी मिल का मसला बताया, वह कोर्ट में है और कई सालों से वह चीनी मिल बंद है। इस परिस्थिति में हम उसे लाभ देने की स्थिति में नहीं हैं और हम मदद नहीं कर सकते। वहां की सरकार को कुछ न कुछ इस बारे में कदम उठाने चाहिए। उद्योग, रोजगार और किसानों को बचाने के लिए यह आवश्यक कदम उठाया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन इसे स्वीकार करेगा और हम इस कानून के माध्यम से शूगर डवलपमेंट फंड में पैसा कलैक्ट कर सकेंगे। यह पैसा देश के लाखों-करोड़ों किसानों को राहत देने के काम आएगा। साथ ही साथ शूगर इंडस्ट्री को इंटरनेशनली कम्पीटिटीव बनाने में भी हम सहायता दे सकेंगे। मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस बिल को पास करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : शरद पवार जी, आप मोहन सिंह को यह रिक्वैस्ट करें कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री शरद पवार : उन्होंने शुरू में ही कहा था कि मैं इस पर जोर नहीं डालूंगा। आपने जो पहले प्रस्ताव दिया है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप उसे वापस लें।

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ सारी बातों का उत्तर दिया है। मैं चाहूंगा कि जो उन्होंने सदन में आवश्वासन दिया है, उसकी पूर्ति इनके मंत्री रहते ही होगी। इस विश्वास के साथ, चूंकि मेरी मंशा इस विधेयक को निरस्त करने की नहीं थी, मंत्री जी ने भी सदाशयता का परिचय दिया है, इसलिए मैं सदन की अनुमति से अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ने अपने सांविधिक संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त की है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि चीनी विकास निधि, 1982 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4 में,–

"चीनी विकास निधि (संशोधन)
अधिनियम, 2008" के स्थान पर"

"चीनी विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2008"

प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन मूव किया है इसलिए जो तकनीकी विषय है कि इस विषय पर क्यों यह संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा। एक ही संशोधन है। हमारी जो स्थापित परम्परा है और विधायी कार्य की प्रक्रिया है, जहां एक से अधिक विधियां होंगी, एक ही विषय की होंगी, जो भी यहां बिल आते हैं, जैसे

[अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक है,

[हिन्दी]

वह मैं लेकर आया हूं;

[अनुवाद]

उपज उपकर विधि (संशोधन विधेयक)

[हिन्दी]

यह मैं लेकर आया हूं।

[अनुवाद]

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001

[हिन्दी]

यह भी मैं लेकर आया हूं;

[अनुवाद]

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001

[हिन्दी]

यह भी मैं लेकर आया हूं;

[अनुवाद]

भारतीय विवाह–विच्छेद तथा पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम है;

[हिन्दी]

यह भी मैं लेकर आया हूं; जो हिन्दू मैरिज एक्ट है, इनका संशोधन एक ही बिल में हो सकता है, लेकिन आप जो बिल लेकर आए हैं, उसके द्वारा दो अधिनियम हैं–एक शूगर डवलपमेंट फंड एक्ट, 1982 है, उसमें संशोधन लेकर आए हैं और दूसरा शूगर सैस एक्ट, 1982 है, उसका भी संशोधन खंड तीन में है। लेकिन उसे नाम दे दिया गया है शूगर डवलपमेंट फंड अमेंडमेंट बिल, 2008। जब हम विधेयक को पारित करेंगे, उसकी धारा एक बनेगी।

वह धारा (एक) यह बननी है कि "शुगर डेवलपमेंट फंड अमेंडमेंट एक्ट, 1982"। जो इतनी बड़ी गंभीर त्रुटि हुई है, मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी ने त्रुटि की है, कानून मंत्रालय ने इसकी पेटेंज

[श्री बची सिंह रावत]

देखी होगी, यहां से त्रुटि हुई है, फिर भी चूंकि माननीय मंत्री जी इसके इंचार्ज हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इसे देखते। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खेल को काफी बढ़ावा दिया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, वहां समय लगा होगा, लेकिन यहां हम इस सर्वोच्च सदन में विधेयक को प्रस्तुत करें तो यह स्थापित है कि आने वाले समय में, जहां भी यह जो सेस-एक्ट है, उसका अमैंडमेंट विद-ड्रा हो सकता है या फिर अगर एक ही नेचर के हैं, जैसे मैंन अभी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल, 1973 में आया था, सीआरपीसी, आईपीसी एंड एवीडेंस एक्ट अमेंड हुए थे और ये स्थापित रूल है कि एक से अधिक बिल अगर होगा तो आपको लॉज लेकर आना होगा। लेकिन आप लेकर आये हैं "शुगर डेवलपमेंट फंड"। यह इतनी बड़ी त्रुटि है, इसका निदान करना चाहिए और मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार करें। मैंने सहयोग किया है ताकि सरकार और सदन को सहयोग हो। आप अपनी ओर से अमेंडमेंट लेकर आयें क्योंकि यह ऑन-रिकार्ड हमेशा के लिए रहेगा कि इस तरह की एक ग्रॉस-नैगलिजेंस हुई है, प्रथम - दृष्टया यह घोर लापरवाही का द्योतक है। इसमें सदन की ओर से, अध्यक्ष पीठ की ओर से निर्देश जाना चाहिए कि हमेशा विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी जो अंतरवस्तु है, उसे देखा जाना चाहिए। यह न केवल हमें और सत्ता पक्ष को प्रभावित करता है बल्कि यहां जो भी माननीय सदस्य उपस्थित हैं वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम जो भी बिल पास करें, उसके समर्थन में विषय-वस्तु उसके अंदर है। यह तकनीकी प्रश्न है, इसलिए या तो आप इसे राज्य सभा में लेकर जाएं, वहां अमेंडमेंट लेकर आयें या इसमें यह कर सकते हैं कि "शुगर डेवलपमेंट फंड अमेंडमेंट बिल एंड शूगर सेस अमेंडमेंट बिल" इसके ऊपर बिल के हैंडिंग में जोड़े या फिर आप नीचे जो धारा (एक) लेकर आयेंगे, वहां भी आपको इसे जोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह जो डिफैक्ट है, इस डिफैक्ट को रिमूव होना चाहिए। इसलिए मैं अपने संशोधन पर पूरा-पूरा बल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी, सहयोग का रुख अपनाते हुए, मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सदन में यह किसी पक्ष से आये, आप लेकर आयें तो हम समर्थन करेंगे, हमने किया है तो आप समर्थन कीजिए, सदन का कार्य हो जाएगा और सदन की गरिमा रहेगी और विधायी कार्य की गंभीरता भी आगे के लिए बनी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तावित सुझाव स्वीकार करना मुश्किल है। इस सुझाव 'चीनी विकास अधिनियम, 2008 हेतु' पृष्ठ 1 में, पंक्ति 2 'चीनी कानून संशोधन अधिनियम, 2008 को प्रतिस्थापित करता है। वास्तव में यह विशेष कानून इसी नाम से कई वर्षों से है। चीनी कानून-अधिनियम नाम से कोई कानून नहीं है। प्रस्तावित विधेयक चीनी विकास निधि अधिनियम, चीनी उद्योग के विकास हेतु कार्यकलापों के लिए वित्त प्रदान करने के बारे में है। चीनी उपकरण अधिनियम, 1982 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के बारे में है। चीनी विकास निधि अधिनियम चीनी उद्योग के विकास हेतु के कार्यकलापों के लिए प्रदान करने के बारे में है। चीनी उपकर अधिनियम, 1982 का अधिनियम चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी पर उपकर लगाने के लिए किया गया था। दूसरे शब्दों में दोनों अधिनियमों को चीनी विकास निधि का प्रावधान करके चीनी उद्योग के विकास हेतु अधिनियमित किया गया है। संसद द्वारा किए गए उपबंध के अनुसार संग्रहित चीनी उपकर का उद्देश्य चीनी उद्योग के विकास हेतु एक कोष को गठित करना था।

इसलिए, चीनी विकास निधि संशोधन विधेयक, 2008 के रूप में विधेयक का नाम रखना सही समझा गया था, इसके अतिरिक्त विधेयक को पारित करने के बाद प्रस्तावित संशोधन को संबंधित अधिनियमों में समाविष्ट किया जाएगा। विधेयक के नाम से यह प्रस्तावित संशोधन विधायी उद्देश्य को प्रभावित नहीं करेगा और इसलिए माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया इसलिए मैं उनसे अधीन करता हूं कि वे इस संशोधन को वापस लें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने एक विस्तृत उत्तर दिया है। इसलिए अब आप अपना संशोधन वापस लें।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत ('बचदा') : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने अभी जो वक्तव्य दिया है वह स्वीकार करने योग्य इसलिए नहीं है कि कोई शुगर लॉज एक्ट पहले से है, ऐसा हमारा कहना नहीं है। जो माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है, मिसलीडिंग रिप्लाई दिया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप फिर इसमें संशोधन करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान हेतु रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और उसे अस्वीकृत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शरद पवार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.46 बजे

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2008

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, जैसा कि मैंने सुबह कहा था हमने माननीय अध्यक्ष को लिखित में सूचित किया है कि आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध मद संख्या 21 और 22 – निस्संदेह मद संख्या 21, सरकारी कार्य नहीं है, यह अग्रिम संविदा विधेयक संबंधी अध्यादेश के निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प है – को आज नहीं लिया जा सकता है, इसलिए, इसे आस्थगित किया जाता है। इसलिए, हमने कहा कि मद संख्या 23 और 24 को लिया जाए मद संख्या 21 और 22 को नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो मद संख्या 21 और 22 को आस्थगित किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अपराह्न 4.46½ बजे

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 23 और 24 को एक साथ लेगी। श्री मोहन सिंह।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि यह सभा 7 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 सितम्बर, 1997 को अस्तित्व में आया। निगम की सामान्य व्यवस्था, निर्देश तथा प्रबंधन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (4) में प्रसार भारती बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो कि उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो कि अधिनियम के तहत निगम द्वारा प्रयोग किया जा सकता अथवा किया जा सकता है। विधेयक की धारा 3 की उप–धारा (5) में बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ–साथ इसमें एक अध्यक्ष जो कि बोर्ड का अंशकालिक सदस्य भी होगा, का प्रावधान है।

अपराह्न 4.48 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष का कार्यकाल कार्यग्रहण के पश्चात् 6 वर्ष का होता है। विधेयक अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा, जैसी कि बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों के संबंध में है, का कोई प्रावधान नहीं है। प्रसार भारती बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य कार्यग्रहण के पश्चात् 6 वर्ष तक अथवा 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है। पूर्णकालिक सदस्यों अर्थात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और कार्यकारी सदस्य, सदस्य (कार्मिक) और सदस्य (वित्त) के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। अतः यह महसूस किया गया है कि अध्यक्ष के मामले में भी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की जाए ताकि तुलनात्मक रूप से युवा प्रतिभा और अनुभव की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। यह भी महसूस किया गया कि अध्यक्ष के कार्यकाल को वर्तमान 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किए जाने से शीर्ष स्तर पर अनुभव में विभिन्नता आएगी जिससे यह संगठन लाभांवित होगा। इसी प्रकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन करने और इसे क्रमशः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तथा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की आवश्यकता भी महसूस हुई।

प्रसार भारती को निजी इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रतिस्पर्धा करने के साथ–साथ संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा इसे सौंपे गए दायित्वों को भी अक्षरशः पूरा करना है। प्रसार भारती तथा इसके बोर्ड में क्षेत्रीय अनुभव डालकर इसका कायाकल्प करने के लिए तुरत कानून

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

बनाकर इस प्रकार के मामलों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

संसद का सत्र नहीं होने के कारण और उपरोक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रस्तावों को एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 123(1) के तहत महामहिम राष्ट्रपति ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 7 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित किया।

इस संदर्भ में हमने अध्यादेश के स्थान पर विधान लाने के लिए इस सभा में एक विधान भी पुरःस्थापित किया। अतः, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि प्रसार भारतीय (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी आकस्मिक तत्काल, आपातकालीन स्थिति में जब संसद का अधिवेशन न हो तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को यह अधिकार दिया गया है कि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो इसलिए विशेष स्थिति में उनको कानून बनाने का अधिकार अध्यादेश के जरिए दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह संवैधानिक व्यवस्था का नग्न आक्रमण है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उसके कुछ सदस्यों की उम्र में कटौती या बढ़ोतरी करने के लिए या उनकी उम्र की सीमा बढ़ाने के लिए ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति देश के सामने आ गई कि हम उसे अध्यादेश के जरिए लाएं। हम नहीं चाहते कि अध्यादेश करने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है, उसका मंत्रिमंडल दुरुपयोग करे। इस तरह की स्थिति आने पर कैबिनेट में निहित या भारत के राष्ट्रपति में निहित अधिकारों पर ऊंगली उठती है और चर्चा होती है कि हम इस तरह के अधिकारों का दुरुपयोग करके एक आलोचना का पात्र बनते हैं। इसे सामान्य विधेयक की हैसियत से माननीय मंत्री जी पहले भी और आज जैसे विधेयक की शक्ल में लाए है, सदन के सामने इंट्रोडयूस करते और संसद की स्थायी समिति में सम्यक विचारोपरान्त केवल कुछ सदस्यों और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के उम्र के घटाव, बढ़ाव के अलावा प्रसार भारती के पूरे सैट–अप में विचार करवा सकते थे। आज उसमें परिवर्तन की अनन्त संभावनाएं है और लोगों को अनन्त अपेक्षाएं भी हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन करने और सम्यक विचार करने से बचने के लिए सरकार ने संविधान की इस धारा का दुरुपयोग किया है। इसलिए हमारी मजबूरी है। माननीय मंत्री जी से भी मेरे दोस्ताना संबंध है और मैं भी सरकार के पूरे विरोध में नहीं हूं, इसलिए बहुत कष्ट के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि यह सभा 7 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यक 5) का निरनुमोदन करती है।"

"कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रसार भारती बोर्ड के संबंध में जो अध्यादेश लाया गया है, वास्तव में लगता है कि जल्दबाजी करके लाया गया है। कहा गया है कि कॉम्पीटिशन का युग है जिससे बहुत से प्राइवेट चैनल्स के साथ कम्पीटीशन करना पड़ रहा है। इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की उम्र जो 62 वर्ष है, उसे बढ़ा कर 70 साल करना चाहते हैं। 70 साल की उम्र करके आप किस तरीके का कॉम्पीटिशन प्राइवेट मीडिया से करेंगे। आज प्राइवेट चैनल्स में बहुत यंग लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता है लेकिन यहां उम्र बढ़ाना, ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में इस तरीके का निर्णय लिया गया है।

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, टेलीविजन में जवानों के चेहरे खूबसूरत लगते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : एक तरफ कहना कि उम्र बढ़ा कर 62 से 70 साल कैप लिमिट करना और फिर कहना कि कम्पीटिशन का युग है, इसलिए इनकी उम्र बढ़ा रहे हैं, दूसरा यह कहना कि टैन्योर को 6 साल घटा कर तीन साल कर रहे हैं, इसलिए कि चेंज होते रहना चाहिए, मेरी सोच है कि तीन साल बहुत कम समय है। जब किसी चीज को अच्छा या डेवलप करना चाहते हैं या नई योजना लाना चाहते हैं तो उसके अंदर 6 साल उम्र डिफाइन थी, वह बिल्कुल उपयुक्त थी।

इतनी ही उम्र हो तो आदमी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से अध्यादेश को लाया गया है, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि चेयरमैन का सैलेक्शन कमेटी के माध्यम से होता है या टोटली पॉलिटिकली होता है? संसद की स्टैंडिंग कमेटी में ऐसे बहुत से विषय आते हैं जो प्रसार भारती से संबंधित होते हैं लेकिन उन विषयों को इस अध्यादेश के माध्यम से या किसी और तरीके से लाकर इसमें जोड़ा जाता है कि हम किस तरीके से प्रसार भारती को और अधिक पॉपुलर कर सकते हैं हम आजकल देखते हैं कि जितने भी चैनल्स हैं, उसके मुकाबले प्रसार भारती का चैनल बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि इसमें केवल सरकार के

डेवलपमेंट वर्क का ही चित्रण किया जाता है, देश की पूरी छवि नहीं आती है। यह बार–बार कहा जाता है कि हम कम्पीटिशन युग में जीना चाहते हैं, इसे और पॉपुलर करना चाहते हैं और दूसरी तरफ पहलू साफ है कि न्यूज चैनल में नेताओं या मिनस्टरों के प्रोग्राम को ही हाईलाईट किया जाता है जबकि देश की बहुत सी प्रॉब्लम्स के बारे में इसमें नहीं आता है। यहां प्रसार भारती का अध्यादेश लाया गया है, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी कि चैनल्स में महिलाओं की छवि को लेकर बहुत गलत चित्रण किए जाते हैं। खास तौर से इस पर किस तरीके से रोक लगनी चाहिए, इस बारे में अध्यादेश में बातें लेकर आते कि चैनल्स पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं या सेंसर के रूप में कार्य करेंगे या नहीं? क्योंकि चैनल्स ही ऐसा माध्यम है जो घर–घर तक पहुंच गया है। कोई अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने जाए या न जाए, उस पर अंकुश लग सकता है लेकिन टीवी चैनल्स के माध्यम से हर घर में बात जाती है। अब हर घर में टीवी आ गया है, इसके माध्यम से जो भी गलत चीज आती है वह परिवार और हमारी संस्कृति के ऊपर गलत असर डालती है। ऐसी स्थिति में गलत चीजों पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाते तो समझ में आता। इस तरह से कुल मिलाकर यह अध्यादेश बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। हम स्टैंडिंग कमेटी के सजैशन्स पढ़ते हैं तो लगता है कि इन पर सही रूप से चर्चा होनी चाहिए लेकिन उन पर चर्चा न करके केवल किसी एक्जीक्यूटिव अफसर की उम्र बढ़ाने या किसी व्यक्ति विशेष को एजस्ट करने की बात है, हो सकता है यह मेरा आरोप हो। आप मुझे क्षमा करें अगर आपको यह आरोप है लेकिन उम्र बढ़ाना और बोर्ड की छः साल से लिमिट कम करके तीन साल करना समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसका विरोध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सभापति महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह विधेयक अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के साथ साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करने के लिए है। इस विधेयक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्यों के कार्यकाल को कम करने का भी प्रावधान है।

प्रसार भारती के अनेक दायित्व हैं। इसे अनेक निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा करनी है जो कि पूर्ण रूप से प्राइवेट हैं और उनका बड़ा बाजार आधार है। इसके अतिरिक्त, इसके बहुत से सामाजिक दायित्व हैं। वास्तव में, यह उम्मीद की जाती है कि इसके विचार पक्षपात रहित एवं संतुलित हो और यह लोगों के विचारों का भी आदर करने के साथ–साथ देश को लोगों के विचारों से अवगत कराए। देश के लोगों को सही तस्वीर और संतुलित विचार मिलने चाहिएं। यही प्रसार भारती का मुख्य उद्देश्य है।

वास्तव में, मैं प्रसार भारतीय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पढ़ रहा था। इसकी संरचना जटिल है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं स्थायी समिति के प्रतिवेदन से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। इसमें लिखा है : "यह हैरानी की बात है कि 225 रेडियो स्टेशनों के साथ..." प्रसार भारतीय के पास आकाशवाणी केंद्रों के साथ–साथ दूरदर्शन केन्द्र भी हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसमें लिखा है:

"यह हैरानी की बात है कि आकाशवाणी अपने 225 रेडियो स्टेशनों और 361 ट्रांसमीटरों के द्वारा देश के 91.42 प्रतिशत क्षेत्र और 99.13 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करता है। आकाशवाणी अपना प्रसारण 24 भाषाओं और 143 बोलियों में करता है, 2004–05 की मार्केट रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी के श्रोताओं की संख्या शहरी क्षेत्रों में 53 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 58 प्रतिशत और महानगरों में 30 प्रतिशत है। इसी प्रकार, दूरदर्शन 64 दूरदर्शन केन्द्रों और 1400 ट्रांसमीटरों की मदद से 26 चैनलों का संचालन करता है और भारत की 90 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करता है। आई आर एस सर्वेक्षण के अनुसार डीडी–I की बाजार हिस्सेदारी 47.4 प्रतिशत है, दूरदर्शन समाचार की बाजार हिस्सेदारी 12.9 प्रतिशत है और दूरदर्शन स्पोर्ट्स की बाजार हिस्सेदारी 2.3 प्रतिशत है। दूरदर्शन के विज्ञापन राजस्व की बाजार हिस्सेदारी केवल 20 प्रतिशत है जबकि शेष 80 प्रतिशत निजी चैनलों के पास है।"

सभापति महोदय : श्री मिस्त्री, कृपया रिपोर्ट संख्या और वर्ष का भी उल्लेख करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जून 2007 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का शीर्षक है "प्रसार भारती की भूमिका और इसकी भावी स्थिति"।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : यह 47वीं रिपोर्ट है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : जी हां, यह 47वीं रिपोर्ट है। ऐसा लगता है कि आप उस स्थायी समिति के सभापति हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, यह आपत्ति आयु सीमा को बढ़ाने को लेकर की जा रही है। यही समय है जब पूरा देश युवा लोगों के बारे में सोचता है। अब उम्र का नए, सकारात्मक और गतिशील विचारों के साथ ताल मेल

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

बिठाना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि कभी–कभी लोग कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वह समय के साथ चलने लगता है; अधिकतर लोग विगत की बात सोचते रहते हैं तथा वे वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि "....."। लेकिन वे यह नहीं देखते हैं कि हम भविष्य और वर्तमान को कैसे देखते हैं। बेशक जो लोग भी प्रसार भारती में नीति निर्माता है। मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि आकाशवाणी में लोग बेहद गतिशील है। एक बार मैं आकाशवाणी, अहमदाबाद हेतु व श्रोता का सर्वेक्षण किया करता था और मैं जानता हूं कि लोग कई कार्यकर्ता के बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं इसके बावजूद इस देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन में जिस तरह की विरासत है वह आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अब आप वैसे सभी मूल आवाज और मूल कार्यक्रमों को सुनें तो यह आपको रोमांचित कर देता है और कभी–कभी तो आप अतीत में चले जाते हैं और यह आपका इतना अच्छा मनोरंजन करता है कि आप इसे संजोकर रखना चाहते हैं। लेकिन कमोबेश यह एक ऐसा माध्यम है जो विचारों को तैयार करता है; यह एक ऐसा माध्यम है जो आपका मनोरंजन करता है, यह एक ऐसा माध्यम है जो आपके मन–मस्तिष्क में स्फूर्ति पैदा करता है और यह कुछ इस तरह का विचार है कि जो लोगों में उनमें एक तरह की बहस करने की उत्सुकता पैदा करता है और यह एक ऐसा माध्यम है जो अलग तरह का मिजाज पैदा करता हैं। लेकिन यह एक सचमुच जीवंत माध्यम है। इसके परिणामस्वरूप आपको एक अच्छे और गतिशील बोर्ड की आवश्यकता होती है; आपको एक अच्छे गतिशील मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष (चेयरमैन) की आवश्यकता होती है यह बहुत कुछ बोर्ड के अध्यक्ष (चेयरमैन) पर निर्भर करता है।

महोदय, विदेशी चैनलों विशेषकर ब्रिटिश ब्रॉड कास्टिंग कार्पोरेशन और अन्य चैनलों में ऐसे दृष्टांत हुए हैं जहां एक कार्यक्रम के अभाव के कारण कार्यक्रम में संवाददाता (रिपोर्टर) की ओर से कुछ गंभीर खामियां हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप उनके चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। पूर्वाग्रह हमेशा हावी रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बोर्ड पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है; कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पूर्वाग्रह पूर्ण हो सकता है। लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन एक अच्छा माध्यम हो सकता है। जो भी सरकार सत्ता में आती है तो वैसे लोग भी हो सकते हैं जो दूरदर्शन पर हर हमेशा कुछ विशेष चेहरों को दिखाने के बारे में शिकायत कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब रविशंकर प्रसाद सूचना और प्रसारण मंत्री थे तो कुछ क्षेत्र के लोग कहते थे कि यह "दूरदर्शन के बजाय यह रविदर्शन हैं।" इस तरह की टिप्पणी की गई थी, यह होना ही था। किसी सरकारी प्रसारण प्रणाली द्वारा ऐसी स्थिति में संतुलन बिठाना बहुत मुश्किल है विशेषकर जहां एक संसदीय समिति हो जो अधिकांश बातों का निर्णय करती है और सिफारिशें करती है।

प्रसार भारतीय का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि आपको सरकार की ओर से प्रसार भारती के सभी कर्मचारियों के लिए भुगतान करना होगा।

लगभग 70 प्रतिशत धनराशि सरकार व्यय करती है। स्वभाविक रूप से सरकार को उन विचारों को मूर्त रूप देने के बारे में कहना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप इससे बदलावा आया है। मुझे आशा है कि इस विधेयक के अंतर्गत यह परिवर्तन एक नई संकल्पना, नई प्रणाली, नयी कार्य संस्कृति लाने के लिए किया गया है ताकि इस समय लोगों की आवश्यकताओं के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को और अधिक प्रासंगिक बना जा सके। इसके परिणामस्वरूप मुझे उम्मीद है कि हम सभी इस विधेयक को पारित करते हैं और इन परिवर्तनों का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं।

मैं बाजार से होने वाले फायदे को देख रहा था जो निजी चैनलों, दूरदर्शन और विशेषकर समाचार चैनल को हो रहा है। एक बार मैंने टेलीविजन खोला और यह पाया कि बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है क्योंकि इसमें कम ब्लॉक है और इसमें विज्ञापन के लिए कम समय है। दूसरे चैनलों में अनेक विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त दो या तीन बातें हैं। चूंकि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है और विशेषकर सूचना और प्रसारण मंत्री यहां बैठे हैं मैं उन्हें यह कहते हुए अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूं कि चार वर्षों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकाशवाणी का केन्द्र है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे शुरू करें और इसका उद्घाटन करें। मैंने इस बारे में नियम 377 के अधीन एक सूचना (नोटिस) भी दी है।

दूसरी बात यह है कि हाल में गुजरात में आकाशवाणी, राजकोट का उर्दू चैनल बंद किया जा रहा है और मुझे राजकोट से अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से पत्र प्राप्त हुए हैं जो इस उर्दू उन्हें चैनल को सुन रहे हैं। मैं आपसे इस उर्दू चैनल को शुरू करने का भी अनुरोध करता हूं।

मैंने यह भी देखा है कि कुछ पूर्वाग्रह है जैसा कि किरण महर्षिया कह रही थी। जी हां, ऐसे लोगों में कुछ पूर्वाग्रह है जो समाचारों का चयन करते हैं। मैंने ऐसा पाया है ऐसा पाने का मेरे अपने कारण हैं। ऐसा देखने उनके अपने कारण हो सकते हैं? लेकिन यह ऐसे व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उस समय समाचारों का चयन करता है। यह पाठक नहीं होता है जो समाचारों का चयन करता है। यह संपादकीय बोर्ड होता है जो चयन करता है और जिसे व्यापक रूप से प्रसारित करने ने की आवश्यकता होती है। मुझे नहीं पता है कि आप उसमें कैसे बदलाव लाएंगे। लेकिन प्रणाली के साथ साथ अन्य चैनलों से अच्छे, निष्पक्ष और

संतुलित समाचार देने के लिए समग्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इसके साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अभी भी अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे।

श्री हम्मान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, जैसाकि मुझ से पूर्व वक्ता ने कहा कि यह मुख्य संशोधन न होकर एक लघु संशोधन हैं, हालांकि इसकी उम्मीद सभी को थी।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रसार भारती लगभग पिछले 10 वर्षों से है यह कभी भी पूर्ण बोर्ड नहीं रहा है। हमेशा से यह एक अधूरा बोर्ड ही रहा है। इसमें केवल आधे सदस्य या दो–तिहाई सदस्य ही कार्य कर रहे हैं। अतः ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए अगर बोर्ड के पूरे सदस्य नियुक्त नहीं किए जाते हैं तो वह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पायेंगे। सदस्य अनेक क्षेत्रों से आते हैं। अगर आधे क्षेत्र छूटे जाते हैं तो, आधा–अधूरा बोर्ड अपेक्षित परिणाम नहीं दे पायेगा। हमने यह पहले भी देखा है और मैं नहीं जानता कि क्या हमें भविष्य में भी यही देखना पड़ेगा। इसलिए चिंता का विषय यह भी है। अब, प्रश्न उठता है आयु तथा अन्य सब बातों का। एक यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। संसद सत्र के केवल एक सप्ताह पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि आत्यावश्यक है। लेकिन मैं इस दलील से सहमत नहीं हूं। सीईओ की आयु बढ़ायी जानी है। मैं नहीं जानता कि यह प्रसार भारती के हित में है या किसी व्यक्ति विशेष के हित में है जिसे हम सीईओ के तौर पर जारी रखना चाहते हैं। मैं नही जानता क्यों किया जा रहा है। अन्य था ऐसा कोई कारण नही की सत्र से 10 दिन पहले हमें यह अध्यादेश लाना पड़ा। हमें उस व्यक्ति को केवल तीन वर्ष तक रखना था। मैं इसका कारण नहीं जानता। ये प्रश्न लोगों के दिमाग में है। प्रसार भारती अधि नियम के बारे में मैं कहूंगा कि हमें इससे बहुत आशाएं हैं। मैं वहां काफी समय तक रहा। इस प्रसार भारती के लिए हम काफी लंबे समय तक लड़े हैं।

हमारा एक स्वप्न था; इस पृष्ठभूमि के पीछे हमारे विचारों बीबीसी तथा अन्य संगठनों की भूमिका के बारे में थे। लेकिन जैसा कि मैंने पाया कि प्रसार भारती उस तरह से नहीं उभर सका है जैसी कि अपेक्षा की गई थी। यह बहुत पिछड़ रहा है। यह स्वयं की कल्पना, योजना को शामिल करते हुए नए क्षेत्रों में उभर नहीं पा रहा। प्रसार भारती पर अच्छी चर्चा के लिए इन सब बातों पर चर्चा करना आवश्यक है, विशेषकर तब, जब इसके कार्यकरण का एक दशक पूरा हो गया हो।

दूसरे वित्त व्यवहार्यता एक अलग बात है। अगर इसे धनराशि

केवल सरकार से प्राप्त होती है तो उन्हें सरकार के आदेश जबरदस्ती मानने पड़ते हैं और इसकी स्वायतता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। हालांकि दस वर्ष बीत चुके हैं हम उस क्षेत्र को सही रूप में आकलन ही नहीं कर पाए हैं कि इसे वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य कैसे बनाया जा सकता है।

मैं अब कर्मचारियों की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। यह भी एक क्षेत्र है। वहां करीब 40,000 कर्मचारी हैं, वे कहां जायेंगे? वे न तो 'न घर का, न घाट का' रहेंगे। ऐसी स्थिति है। मैं नहीं जानता कि वे सरकार में जायेंगे या प्रसार भारती बोर्ड में रहेंगे। प्रसार भारती बोर्ड उन्हें भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह वित्तीय घाटे वाला संगठन है। वह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकता। एक संगठन जो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकता वह उचित प्रकार से संस्था के रूप सेवा कैसे कर सकता है। यह एक संस्थान है। आपको ऐसा करना होगा। मैं इन विषयों को उठा रहा हूं, यह हमारी देन है। सदन ने इसे सृजित किया है, लेकिन इसका विकास नहीं हो पाया। यह अपंग हो गया है तथा यह अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। इसकी इन सब बीमारियों का हमें इलाज करना होगा। चिंता का यह भी एक क्षेत्र है।

मैं अब कार्यक्रमों के विषय तथा किस प्रकार के कार्यक्रम वह दे रहा है पर आता हूं। अन्य वाणिज्यिक चैनल दिन–भर कोई सूचना नहीं देते केवल प्रचार करते रहते हैं। वे एक घटना को पकड़ लेते हैं और पूरा दिन उसे दिखाते रहते हैं और सायं तक जनमत तैयार हो जाता है। इसी तरह वे किसी सूचना का प्रचार–प्रसार नहीं करते बल्कि किसी विशेष बिन्दु के प्रचार के चैनल बनते जा रहे हैं और उसी पर केन्द्रित रह कर बहुत कुछ कर रहे हैं। यह आधुनिक मीडिया घातक भूमिका निभा रहा है, विशेषकर वाणिज्यिक चैनल और आधुनिक चैनल। महोदय, इनकी भूमिका घातक है। ये कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन वे कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जो घातक है। कभी ये भ्रम पैदा करते हैं कभी दंगा फैलाते हैं तो कभी घृणा पैदा करते हैं–यह इसलिए होता है क्योंकि चैनलों पर प्रसारण बार–बार दिखाया जाता है। अगर अच्छा कार्य होता है तो उसकी सूचना नहीं दी जाती। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम में गढ्ढे के बारे में बताया जाता है तो वे पूरे दिन गढ्ढे को दिखाते रहेंगे मानों कि 100 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं है और वहां एक ही गढ्ढा है। महोदय इस तरह से वे आधी तस्वीर ही दिखाते हैं। जो सोची–समझी होती है।

लेकिन दूरदर्शन के मामले में, उन्होंने अच्छी भूमिक निभाई है। उन्होंने गलत रिपोर्ट नहीं दी है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन अपनी निष्पक्षता और अच्छी कवरेज के लिए सुप्रसिद्ध हैं। यद्यपि कुछ पक्षपात

[श्री हन्नान मोल्लाह]

है, जैसा कि माननीय सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी ने शिकायत की है। सरकार, उनके लोग और उनके मंत्रियों को बेवजह दिखाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर, निष्पक्षता, कवरेज, निष्ठा तथा सच्चाई के संबंध में हम ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन की तुलना अन्य चैनलों के साथ नहीं कर सकते। हम अपने दूरदर्शन की तुलना किसी निजी चैनल के साथ नहीं कर सकते हैं।

वे रंगीन हो सकते हैं। वे अच्छे कैमरे तथा अन्य चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन विषय–वार, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दूरदर्शन कोटि है कोई का है। हम सबको इसके चरित्र की रक्षा करने के लिए दूरदर्शन का साथ देना चाहिए। यही कुछ बिंदु हैं।

अब हम शैली पर आते हैं, हमें उम्र के बदलाव के साथ, दर्शकों के बदलाव के साथ, आधुनिक पीढ़ी के दर्शकों के साथ अपनी शैली बदलनी होगी। हम कभी कभी पुरानी शैली को ही बनाए रखते हैं। लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। हमें इसके बारे में सोचना होगा और कुछ नया करना होगा। हमें कल्पनाशील बनना होगा। नहीं तो, कभी कभी हम नई चीज़ों की कल्पना करने के स्थान पर नकल करने लगते हैं। हम निजी चैनलों की नकल करने लगते हैं। हम निजी चैनलों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक और गलत बात हो रही है। हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। हमें कल्पना करनी चाहिए और नए तरीके की शैली का विकास करना चाहिए ताकि यह आकर्षक बन सके और आम आदमी इसकी ओर आकर्षित हो सके।

अब मैं विषय की गुणवत्ता पर आता हूं। हम बच्चों के लिए एक चैनल के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं आप जानते हैं कि बीबीसी में बच्चों के लिए एक चैनल है। क्या हम अपने देश में इस प्रकार के चैनल की कल्पना नहीं कर सकते हैं? हम बच्चों की बहुत सी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। हमें एक ऐसा चैनल शुरू करना चाहिए जो हमारे देश के बच्चों को समर्पित हो।

हमारे यहां 24 घंटे के चैनल, फैशन चैनल, ये चैनल, वो चैनल हैं लेकिन हमें सोचना होगा कि हमारे देश के लिए क्या आवश्यक है।

यह चिंता का विषय है। अब मैं प्राथमिकता के मुद्दे पर आता हूं। हमारी एकमात्र प्राथमिकता क्रिकेट है। प्रतिदिन, पूरे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, क्रिकेट आता रहता है जैसे कि समाज में इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी और विशेषकर इसको बदलने में कानून बनाने वालों तथा अन्य को शामिल करना चाहिए।

वित्त सहायता के संबंध में, मंत्रालय को योजना बनानी चाहिए कि किस प्रकार इसकी स्वतंत्रता को भी बनाए रखने के लिए धनराशि आबंटन को बेहतर बनाया जा सकता है। इस बोर्ड की हमेशा छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा।

सभापति महोदय : हम प्रसार भारती के सभी कार्यों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह केवल एक संशोधन विधेयक है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, यह एक संशोधन विधेयक है, परंतु यह बहुत छोटा विधेयक है जबकि एक व्यापक संशोधन विधेयक की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि एक व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए। स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी यह सिफारिश की गई है कि एक व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए। सभी लोग एक व्यापक संशोधन की मांग कर रहे हैं। 40,000 कर्मचारी भी इसकी मांग कर रहे हैं। 8,000 पद रिक्त पड़े हैं। वे कहां जाएंगे? वे सरकार के साथ रहेंगे अथवा प्रसार भारती में जाएंगे? सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। एक व्यापक संशोधन लाया जाना आवश्यक है, लेकिन यह संशोधन केवल उम्र बढ़ाने अथवा घटाने के लिए लाया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण संदेह उत्पन्न हुए हैं। एक मंत्री समूह ने भी सिफारिश की कि हमें एक व्यापक संशोधन लाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय, स्थायी समिति, मंत्रियों के समूह ने कहा कि एक व्यापक संशोधन होना चाहिए। इस संशोधन को क्यों लाया गया? यह एक बिंदु वाला संशोधन क्यों लाया गया? इन सब से लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सरकार इन सब बातों का स्पष्टीकरण दे। वे एक व्यापक संशोधन भी लाए जैसा कि हम सब मांग कर रहे हैं। उन्हें विगत एक दशक की समीक्षा के आधार पर अधिकतर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। मेरे विचार से इससे मदद मिलेगी। यदि हम केवल एक व्यक्ति के लाभ को देखेंगे तो इससे प्रसार भारती को मदद नहीं मिलेगी; और यह उस स्वप्न को पूरा नहीं करेगा जिसके साथ प्रसार भारती का जन्म हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय, मैं आज प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008 का घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से यह विधेयक तैयार किया गया है और जिस प्रकार 1 जुलाई को मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उसमें अत्यधिक विरोधाभास दिखाई देता है। इस विधेयक को यदि प्रथम दृष्टया देखा जाए तो यह एक अत्यधिक सस्ती विधेयक है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसार भारती में किसी व्यक्ति ने अपने उच्च अधिकारी को पूरी तरह खुश नहीं किया ताकि पात्र व्यक्ति पद पर बना रहे।

पहले सोच ऐसी थी जब ए आई आर को 'ऑल इंदिरा रेडियो' कहा जाता था। 80 के दशक के अंत में ऐसी सोच थी जब लोगों ने यह माना कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेसी प्रधान मंत्री दूरदर्शन पर इतना अधिक दिखायी दी कि शब्द 'बर्न्ट आउट' कर उपयोग किया गया, कि उन्होंने स्वयं को जला लिया और वर्ष 1989 के चुनावी परिणामों ने राष्ट्र को यह दिखा दिया कि मीडिया के माध्यम पर अत्यधिक दिखाई देना सत्तासीन व्यक्ति को निश्चित रूप से क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रत्येक राजनेता की इच्छा यह होती है कि लालबत्ती हमेशा जलती रहे, वह हमेशा 'आन' रहे और उसकी आवाज सभा में सबसे ज्यादा बुलंद हो, उसका चेहरा टी.वी. स्क्रीन पर दिखाई देता रहे और उसका भाषण हमेशा आकाशवाणी पर चलता रहे। अतः इस 'मेरा' प्रभाव ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है जिसके परिणामस्वरूप इन दो संगठनों से जो चीज उत्पन्न हो रही है वह है–प्रसार भारती।

यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसकी पहल फिर से विगत की गैर कांग्रेसी सरकारों द्वारा की गयी थी जिसमें एक वर्तमान कांग्रेसी मंत्री, जो पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मंत्री अर्थात् श्री एस. जयपाल रेड्डी, इसके निर्माताओं में से एक थे। प्रसार भारती की अवधारणा तब आयी जब लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोगों ने यह माना कि मजबूत मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए और उसे देश के विकास के लिए संघर्ष करना चाहिए और उसे कुछ मुट्ठी भर लोगों को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

मैं उड़ीसा के ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हूं जिसे इस राष्ट्र को दो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रदान करने का गौरव प्राप्त है। यह दुःख की बात है कि आज जब हम उस स्तर तक आ चुके हैं जब हमें – इस सम्मानित सभा को – निशाना साधना है और कतिपय लोगों को बाहर निकालना है जब हम चेयरमैन की बात करते हैं और जब हम उसके कार्यकाल की अवधि को छह से तीन वर्ष करना चाहते हैं, हम उसकी आयुसीमा देखते हैं। मैं समझता हूं कि अंतिम बार जो व्यक्ति उस सीट पर था वह 86 वर्ष का था और हमें इसे घटाकर 70 वर्ष करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कतिपय लोगों को उनकी सीटों से हटा दिया जाए। लेकिन समय आ गया है जब इस सभा और सरकार को प्रसार भारती में लोगों को लेने पर विचार करना होगा जो इस राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों की उम्र के बराबर के हों।

हम सरकारी मीडिया में ऐसे कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं जिन्हें कोई भी देखना नहीं चाहता। मुझे से पहले के कई वक्ताओं ने यह बात कही है। उनमें से कुछ ने सरकारी मीडिया की प्रशंसा की है। संभवतः, उन्होंने यह महसूस किया है कि नंदीग्राम संकट अथवा ऐसी ही किसी घटना को सरकारी मीडिया ने तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जो कुछ लोगों को अच्छा लगा। लेकिन जब हर कोई अलग–अलग ढंग से घटना को प्रस्तुत कर रहा था और जब वे लोगों की आवाज सुन रहे थे, जो संदेश देश भर में गया वह संभवतः सरकारी मीडिया द्वारा भेजे गए संदेश से अधिक ठीक था।

मैं यहां पर गैर सरकारी प्रसारणकर्ताओं के लिए क्षमाप्रार्थी के रूप में नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन आज हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी प्रसारण प्रणाली को गैर–सरकारी प्रसारणकर्ताओं के लिए खोल देने से निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और कार्यक्रमों में बेहतर गुणवत्ता आयी है। लोग निश्चित रूप से आज पहले की तुलना में अधिक कार्यक्रम देख पा रहे हैं। लेकिन यह एक कठिन बात है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सत्पथी महोदय, इस चर्चा के लिए आबंटित समय केवल दो घंटे है और कई अन्य माननीय सदस्यों को इस विषय पर बोलना है। अतः आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, कृपया उन्हें बोलने का कुछ और समय दे दें ...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी : धन्यवाद, महोदय। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। यह कहना कि अमुक चैनल अच्छा है और अमुक चैनल बुरा है, यह निर्णय करना बहुत कठिन है। मैं समझता हूं कि आपको आज के युवा को आज की दुनियां में उपलब्ध हर चीज प्रदान करनी है, और उसमें से उनके विकास के लिए क्या जरूरी है, यह चयन करना उनका कार्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश, प्रसार भारती के अंतर्गत आपके प्रसारण की दोनों भुजाएं भारत के युवा लोगों को यह सब प्रदान करने में विफल रही हैं।

यह आवश्यक है – जब हम ऐसे विधेयक देखते हैं जो महत्वहीन हैं और उनमें अधिक सार नहीं हैं – कि माननीय मंत्री प्रसार भारती को स्वायत्ता प्रदान करने के संबंध में वास्तव में सोचना शुरू करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को प्रत्येक राज्य में लाभकारी केन्द्र बनाया जाए।

आपको वहां कार्यरत लोगों – दूरदर्शन निदेशकों, आकाशवाणी के निदेशकों को बाध्य करना होगा कि वे सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं अपितु वे इस सभा के प्रति उत्तरदायी बनें। यदि सरकार ने उन्हें धन दिया है तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह निश्चित रूप से इन संगठनों का वित्त पोषण करें जब तक कि वे सबल और आर्थिक रूप से पर्याप्त सक्षम न हो जाएं। उस स्थिति तक सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ–साथ और समानान्तर कदम के रूप में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे लोग जो इन प्रसारण भुजाओं के प्रभारी हैं, वे इसे आर्थिक रूप से सक्षम और लाभ मुक्त केन्द्र

[श्री तथागत सत्पथी]

बनाने के प्रयास करें। जिससे उसे सच्ची स्वतंत्रता मिल सके। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकार की दया पर निर्भर रहेंगे, राजनेताओं द्वारा इस प्रकार के हस्तक्षेप तथा राजनेताओं को खुश करने की इच्छा रखने वाले नौकरशाहों द्वारा हस्तक्षेप होते रहेंगे ताकि वे अपना हित साधन करते रहें।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी : अंत में मैं एक बात कहूंगा यद्यपि यह उम्र कम करने का अच्छा प्रयास है, लेकिन प्रसार भारती के चेयरमैन के लिए 70 की उम्र भी बहुत ज्यादा है। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना होगा कि गैर सरकारी प्रसारणकर्ताओं अथवा गैर सरकारी प्रसारण कंपनियों का अनुभव रखने वाले, सफल कार्य इतिहास रखने वाले लोगों को अच्छे वेतन, अच्छी सुविधाएं और पर्याप्त स्वतंत्रता देकर कैसे आकर्षित किया जाए ताकि पहले से दिखायी देने वाले भविष्य में प्रसार भारती के दोनों संबंधों को प्रसारण के क्षेत्र में प्रतियोगी कंपनी बनाया जा सके। यह क्षेत्र अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनता जा रहा है। भविष्य में, यह गला काट दौड़ बन जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार राजनैतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए मामूली परिवर्तन करने के स्थान पर मौजूदा प्रणाली के प्रति जागरूक हो जाए।

मैं इस विधेयक का पुनः विरोध करता हूं, और यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, मेरे अच्छे मित्र, एक अच्छे संसदविद् और जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री होने के साथ-साथ अब संसदीय कार्य मंत्री हैं, ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मैं अंतरसत्रावधि के दौरान इतने सारे अध्यादेश लाने के बारे में सरकार की बुद्धिमता को वास्तव में समझ नहीं पाया हूं। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि सरकार ने अचानक यह सोचना क्यों शुरू कर दिया है कि अब उनका कार्य शासन करना नहीं अपितु विधान बनाना है। मूलतः यह संसद को प्रदान की गई स्वाभाविक शक्तियों का अतिक्रमण है और इसलिए, जारी किए गए किसी भी अध्यादेश का विरोध किया जाना चाहिए। परंतु मैं इसका मुख्य तौर पर इसका इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि इसे उस व्यक्ति ने पुरः स्थापित किया है जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में वह विधेयक के संबंध में उत्तर दे रहे हैं--परंतु संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अध्यादेश के संबंध में उत्तर दे रहे हैं--कि वह हमें बताएं कि क्या वह इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए।

महोदय, इसकी क्या अत्यावश्यकता है? किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इस मामले में अत्यावश्यकता यह है जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि अचानक उन्होंने यह महसूस किया कोई व्यक्ति जो प्रसार भारती के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक है। उन्होंने अचानक महसूस किया। संभवतः, उनका जन्म प्रमाण पत्र गुम हो गया था; इसे प्रस्तुत किया गया और उन्होंने अचानक यह महसूस किया कि वह व्यक्ति जो कि एक अच्छा कार्य कर रहा है और इसलिए, इन सभी वर्षों में उसे नहीं हटाया गया उसने ऐसा व्यवहार करना शुरू किया कि वह प्रसार भारती का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए, जब अचानक यह महसूस किया गया तो इसने सरकार को तत्काल अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेरित किया। इस बारे में क्या अत्यावश्यकता है? वे अब 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के स्थान पर 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति को ला रहे हैं।

सर्वप्रथम, मैं अपने मित्र, श्री प्रियरंजन दासमुंशी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में क्या तात्कालिकता थी। वह इसे स्पष्ट करें क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। अब मैं यह जानता हूं कि केवल कुशल लोगों को ही बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलती हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी इतने कुशल व्यक्ति हैं कि उन्हें अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने उनके भाषण सुने हैं। वे बड़े जोरदार ढंग से कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कैसे लाया जा सकता है। हालांकि वह इस बारे में बात कर रहे थे, मैं जानता हूं कि वह इसे कभी भी पसंद नहीं करेंगे, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तक आप संसद की भूमिका को नहीं जान पाएंगे तब तक आप लोकतंत्र को नहीं अपना पाएंगे। क्या संसद के बगैर लोकतंत्र हो सकता है? यह मूल मुद्दा है और वह इस अत्यावश्यकता को स्पष्ट करें।

मैंने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हम यह कह रहे हैं कि हमें युवा लोगों की जरूरत है। मैं यहां पर युवा की परिभाषा जानना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और इसलिए आप इस उच्च पद पर आसीन हैं हमें ज्ञानी, प्रतिभाशाली और अनुभवी लोगों की जरूरत है। इसी दौरान, हम यह कह रहे हैं कि यदि आपकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो जाती है। तो आप अच्छे नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री एम.वी. कामथ अब युवा नहीं हैं -- मैं उनकी आयु के बारे में नहीं जानता हूं। श्री कामथ विख्यात पत्रकारों में से एक हैं। वह 'इलस्ट्रेटिड वीकली ऑफ इंडिया' के संपादक रहे हैं, उन्होंने विभिन्न देशों में टाइम्स ऑफ इंडिया के विदेशी संवददाता के रूप में कार्य किया है। वह एक बहुत बड़े स्तंभ-लेखक भी रहे हैं। मैं काफी समय से उनके लेख पढ़ रहा हूं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। तथापि, सरकार अचानक उसे प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से हटाना चाहती है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पद पर किसी 'युवा' व्यक्ति को नियुक्त करने के पीछे सरकार का क्या तर्क है। 'युवा' की क्या परिभाषा है? क्या 'एम.बी. कामथ से छोटा' आपके 'युवा' की परिभाषा है? किसकी तुलना में युवा? सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। यदि आप युवा किसी व्यक्ति के बारे में बात करते है तो आप 60 वर्ष से कम व्यक्ति के किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। यदि आप मुख्य कार्यकारी आदि के रूप में कार्यरत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो क्या उनकी आयु सीमा 65 वर्ष की जा रही है? इसलिए, वास्तव में मैं यह नहीं जानता हूं कि इसका सही तात्पर्य क्या है। इसलिए, इसे स्पष्ट रुप से परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।

यह अध्यादेश एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करता है कि इस अध्यादेश के प्रवर्तन से तत्काल पहले अध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा, यदि उसकी नियुक्ति इस उप–धारा के अनुरूप है और पद पर न रहने के कारण किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है। इसलिए, ऐसा दिखाई देता है कि यह अध्यादेश मुख्यतः एक व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए जारी किया गया है। क्या ऐसा है? यदि ऐसा ही है, तो इसके क्या कारण हैं? यदि ऐसा नहीं है तो इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता थी?

आपाताकाल के पश्चात् वर्ष 1977 में प्रसार भारती विधेयक संसद में पुरः स्थापित किया गया था। उस समय बहुत सारे प्राइवेट मीडिया चैनल विशेषरूप से इलेक्ट्रोनिक मीडिया चैनल नहीं थे। इसलिए हमने सोचा कि हमनें इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से जनमत बनाने की आवश्यकता वास्तव में महसूस की जिस पर सरकार का प्रभुत्व न हो। हम वास्तव में यह चाहते थे कि यह संगठन स्वतंत्र रूप से और व्यावसायिक रूप से कार्य करे और इसकी कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। इस प्रकार प्रसार भारती का सृजन किया गया था। यदि आप इसकी कार्यशैली में इस प्रकार से हस्तक्षेप करेंगे तो इस विधेयक को लाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सर्वप्रथम ऐसे कदम उठाएं जिससे इस संगठन को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके। इससे यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यावसायिक मानदंड कायम रख जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रसार भारती देश में प्रथम मीडिया संगठन है। इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान में अनेक न्यूज चैनलों के आने के बावजूद इस संगठन ने अपना वर्चस्व बनाये रखा है। यह इस संगठन की अंतर्निहित व्यावसायिक शक्ति को दर्शाता है। हमें इसे और अधिक मजबूत करने और इसमे सधार लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो हमें इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सरकार प्रसार भारती के अध्यक्ष को नियुक्त करने जा रही है। क्या उस संगठन के अध्यक्ष को नियुक्त करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया है? क्या यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया बनने जा रही है? मेरा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि ऐसी नियुक्तियों को वास्तव में राजनीतिक हस्तक्षेप से परे रखा जाए। हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण यह है कि हम इस बारे में बीबीसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का पालन करें। बीबीसी श्री टोनी ब्लेयर की सरकार के विरुद्ध एक अभियान चला रहा था। अपने देश के प्रधान मंत्री के रूप में श्री ब्लेयर इससे खुश नहीं थे परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके तहत वह इसे ऐसा करने से रोक पाते। क्योंकि बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है। मैं यह समझता हूं कि श्री दासमुंशी एक ऐसी व्यवस्था करे कि वह एक ऐसा संगठन बनाएं जो कि किसी भी प्रकार की राजनीति से पूर्णतः मुक्त हो, जिसमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। इसके लिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुझाव दे कि इस पद जो कि पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेप से परे होगा, पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए वे क्या उपाय करने की योजना बना रहे है।

आधुनिक युग में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मीडिया में आई खबरों के आधार पर ही लोकमत तैयार होता है। इसलिए, देश की संसद के रूप में हमारा यह महान दायित्व है कि लोकतंत्र के इस पांचवें स्तंभ की सुरक्षा हो और इसका समुचित विकास हो। इस संबंध में, प्रसार भारती को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस संस्थान की महता किसी प्रकार भी कम न हो।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अध्यादेश पर बोलना चाहता हूं। जब माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रियरंजन दासमुंशी जी 13वीं लोक सभा में प्रतिपक्ष में थे तो मैं उन्हें अध्यादेशों, प्रत्येक अध्यादेश के संबंध में विरोध व्यक्त करते हुए या अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए देखता था। लेकिन मैं यह देखकर अचंभित और आश्चर्यचकित हूं कि अब जब वह सूचना और प्रसारण मंत्री है तो वह यह अध्यादेश लेकर आए हैं। अध्यादेश को प्रख्यापित किया जा चुका है। यह सिर्फ अध्यादेश नहीं है। इस सत्र में मैं समझता हूं कि अब तक हमने तीन से अधिक अध्यादेशों को निपटाया है। अभी भी अनेक अध्यादेश निपटाए जाने के लिए लंबित होंगे।

कुछ दिन पहले इस महान सभा में माननीय कानून मंत्री ने कहा था कि वे अध्यादेशों का प्रख्यापन करने वाले अंतिम व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे पहले वही इस यह अध्यादेश को लेकर आए। इसकी इसकी क्या

[श्री प्रबोध पाण्डा]

तात्कालिकता थी? वे भी स्पष्टीकरण हो यह हमारे समझ से परे है। इस अध्यादेश का प्रख्यापन 7 फरवरी, 2008 को किया गया था और यह बजट सत्र 25 फरवरी, 2008 को शुरू हुआ। इस बीच इसकी अब क्या तात्कालिकता थी? यदि यह विधेयक विचार–विमर्श हेतु इस महान सभा में सीधे प्रस्तुत किया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आसमान टूट पड़ता। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात से संतुष्ट करेंगे और उन्हें स्पष्टीकरण देंगे कि इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के पीछे क्या तात्कालिकता थी।

अब मैं विधेयक पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं माननीय हन्नान मोल्लाह, सुरेश प्रभु, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत हूं। कतिपय अधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाने के क्या कारण हैं? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह अध्यादेश कुछ व्यक्तियों को बचाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रसार भारती का गठन दस वर्ष पहले हुआ था और अब यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। मुझे नहीं लगता कि यह अपने उद्देश्य से पीछे चल रहा है अथवा इसने कोई सफलता नहीं पाई है? लेकिन बहुत कुछ किया जाना है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम अथवा नगण्य होगा और उसका मार्ग दर्शन किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से नहीं किया जाना चाहिए। यह ज्ञात नहीं है कि इसकी स्थापना के बाद से गत दस वर्षों में इसे क्यों नहीं पूरा किया गया है। गत दस वर्षों में ऐसा क्यों हुआ है? यह विधेयक हमारे समक्ष स्वीकार करने के लिए लाया गया है लेकिन इसके लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता है। हर चीज की समीक्षा करने और एक समग्र विधान लाने का समय आ गया है।

महोदय, मंत्री जी ऐसे प्रशासनिक कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हैं जो 'दूरदर्शन, आकाशवाणी और अन्य सहायता कार्यालयों से जुडे हैं अथवा कार्यरत या पक्षस्थापित हैं। कई वर्षों से वे सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं और माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है।

वे पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने धरना, सत्याग्रह और ऐसे अन्य कार्यक्रम आयोजित किए थे। मंत्री जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को लेकर कुछ किया जाएगा और मामला मंत्री समूह के विचाराधीन है। लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी उनकी मांगों पर विचार करेंगे और 31 मार्च के पहले कुछ करेंगे क्योंकि अब यह विदित है कि 31 मार्च तक, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और यदि अभी मांगों का समाधान 31 मार्च से पहले नहीं किया गया तो दूरदर्शन और प्रसार भारती के प्रशासनिक कर्मचारियों के हितों की रक्षा वैसी नहीं हो जाएगी जैसा कि इसके बारे में सोचा गया था। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और ध्यान देंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर और घरेलू स्तर पर अनेक कंपनियां हैं। इसलिए प्रसार भारती को इस तरह कार्य करना चाहिए कि वह बेहतर कार्यनिष्पादन दे सकें, प्रतिस्पर्धी बन सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ विधेयक का व्यापक समर्थन करता हूं कि मंत्री जी दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारियों की समस्याओं का हल को निकालेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार जो बिल लायी है, इसके पीछे मेलाफाइड इंटेन्शन है। अगर प्रसार भारती की स्वायत्ता को मजबूत बनाने की बात होती, अगर प्रसार भारती को प्राइवेट इलेक्ट्रानिक चैनल्स की प्रतिस्पर्धा में और भी अधिक सशक्त बनाने की बात होती, तो हम जरूर इसका समर्थन करते। पिछले दिनों एम्स के वेणुगोपाल जी को हटाने के लिए इस संसद के अंदर एक बिल लाया गया और जो स्थिति पैदा हुयी, कुछ उसी प्रकार की स्थिति इस बिल के अंदर भी नजर आ रही है।

महोदय, जैसा कि हमारे मित्रों ने भी कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी मिलाकर प्रसार भारती निगम बना था। इनके कारपोरेशन के अध्यक्ष पद पर सरकार चाहती है कि कम उम्र का आदमी हो और इनकी विचारधारा का हो। ये नाम तो ले रहे हैं कि वह कम उम्र का हो, एक्टिव हो, काम करने वाला हो, यह तो बहाना है। एमडी श्री कामथ साहब जिनको पहले वाली सरकार ने अध्यक्ष पद पर रखा था, अब उनकी उम्र 70 साल की हो गयी है, हालांकि उनका वर्ष 2009 में कार्यकाल पूरा होने वाला है। एक साल में कुछ खास घटने वाला तो नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनाव नजदीक आने के कारण यूपीए सरकार चाहती है कि इनकी हां में हां मिलाने वाले, इनके स्वर में दिवनिंग करने वाले, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को उस गद्दी पर बैठाया जाए।

मान्यवर, एक स्वायत्तशासी निगम जिसे संसद ने बिल पास करके बनाया और आज जो सारे देश की आकाशवाणी और दूरदर्शन को कंट्रोल करता है, अरबों रुपया जिसमें सरकार का लगा हुआ है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आकाशवाणी और रेडियो के माध्यम से, सरकार उसे अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इसकी निंदा करता हूं। इनका आरोप है कि ये भाजपा के नजदीक हैं, ऐसी कुछ सरकारी क्षेत्रों में चर्चा है। इस आरोप की आड़ के अंदर, हालांकि इन्होंने उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन अब बहाना क्या करें? चुनाव सर के ऊपर आ गए और अपनी मनमानी कैसे चलायें,

अपनी निरंकुशता और जो इनका एंटीडेमोक्रेसी एप्टीच्यूट है, जो हमने आपातकाल के समय देखा थी, ऐसी स्थिति को लाने के लिए ही ये संसद के माध्यम से इसे लाए हैं। ऐसे छोटे से काम के लिए इन्होंने आर्डिनेंस लागू किया। इसे लागू करके उम्र 70 साल की जगह कम हो जाए, पहले जो इसमें पद पर बैठा हुआ हो, नियमों से असंगत हो, उसे हटा दिया जाए और उसके स्थान पर नया रखा जाए। अगर सरकार यह सोचती कि आकाशवाणी और प्रसार भारती के जो सामाजिक उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई और सूचना और मनोरंजन को लेकर जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए इसे बनाते, तो हम इसका पुरजोर समर्थन करते। मुझे आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रसार भारती दुर्दशा का शिकार हो रहा है। इसलिए अध्यादेश जारी कर जो बिल लेकर आए हैं, इसके पीछे केवल एक व्यक्ति को हटाने की बात है।

मैं आपकी आज्ञा से यहां कोट करना चाहूंगा। ऐसे अध्यादेश को स्वीकृति दी है जिसके जरिए प्रसार भारती एक्ट में बदलाव लाकर इसके अध्यक्ष के पद की अधिकतम उम्र सीमा को 70 साल कर दिया गया है। श्री कामथ का कार्यकाल अगले साल जनवरी, 2009 को खत्म हो रहा है। वर्तमान प्रसार भारती एक्ट में इसके अध्यक्ष के पद की अधिकतम उम्र सीमा के लिए कोई बंधन नहीं है। अब तक जो था, उसमें उम्र के लिए कोई बंधन नहीं था। अब उम्र का बंधन लगाकर कामथ साहब की छुट्टी और अपने नए कठपुतली की नियुक्ति। श्री अनुपम खेर, जो सैंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे, इन्होंने उन्हें हटा दिया। श्री अनुपम खेर सारे देश के अंदर जानी–मानी हस्ती हैं। ऐसे लोगों को हटा दिया गया, मुझे यह बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है। चाहिए यह था कि प्रसारण सेवा और नियामक विधेयक, जो बहुत समय से पैंडिंग है, प्राइवेट चैनल्स को नियंत्रित करने के लिए, आचार संहिता बनाने के लिए उसे लाते। उसे नहीं ला रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष को हटाने और उनके पर कतरने की तैयारी हो रही है। मीडिया को नियंत्रित करने का इनका कोई प्रयास नहीं है। हम दूरदर्शन में जैसे कार्यक्रम सोचते थे कि भारत की संस्कृति के अनुरूप, भारत के गौरव के अनुरूप अच्छे कार्यक्रम आएंगे जो दूसरे इलैक्ट्रॉनिक चैनलों के लिए उदाहरण का काम करेंगे, लेकिन आप उनसे भी गिरे हुए कार्यक्रम, निम्न स्तरीय कार्यक्रम, केवल पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। कहां सरकार का सामाजिक उद्देश्य और कहां कोरा पैसा कमाना, इसे उचित नहीं कहा जा सकता। ...*(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि प्राइवेट चैनल्स की एकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए स्पष्ट बताएं कि प्रसारण सेवा और नियामक विधेयक इस सदन में इस बजट सैशन के अंदर सरकार प्रस्तुत करेगी या नहीं। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज प्रसार भारती में अकर्मण्यता का वातावरण है, अन्धकार फैला हुआ है और जैसे मैंने आरोप लगाया कि जन सेवा संचार माध्यमों को सख्त और अच्छा करने की आवश्यकता थी, वहां उनका स्तर गिराया जा रहा है। सरकार के ढीलेपन के कारण निजी संचार माध्यमों से प्रसार भारती पिछड़ती जा रही है। मंत्री जी, आप नौजवान हैं, सही काम करने वाले हैं, ऐसी आशा थी, लेकिन आपके होते हुए इसे सरकारी भोंपू बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसे पेशेवर बनाएं लेकिन रोचकता बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे, प्रामणिकता बनी रही, पेशेवर प्रबंधक आएं और स्वतंत्रता के साथ प्रसार भारती को फलने–फूलने दें, इसे कठपुतली न बनाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008 के नाम के अंतर्गत विधेयक में अनर्निहित विचारों से सहमत है।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी की प्रशंसा करता हूं क्योंकि इन्होंने पहले इस मांग से जोड़ा जो हमारे देश में क्रिकेट के मौसम के पहले उठा था। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, जब क्रिकेट का बुखार हमने गांव–देहातों तक पहुंचता है, युवा पुरुषों और महिलाओं की मीडिया तक पहुंच आसान नहीं होती क्योंकि निजी चैनल सुदूर क्षेत्रों में अपने सिग्नलों का प्रसारण नहीं करते।

जब युवा पुरूष और महिलाएं – जो क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं – मीडिया तक पहुंच बनाने को उत्सुक थे, लाखों लोगों ने माननीय मंत्री से ऐसा करने का अनुरोध किया और उन्होंने इसे अपनी पहल से पूरा किया। इसलिए, वे प्रशंसा के पात्र हैं।

विधेयक का उद्देश्य धारा 6 में संशोधित करना है जिसमें कहा गया है कि सभापति महोदय अंशकालिक सदस्य होंगे और वे पद धारण करने की तिथि से अगले 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। दूसरा संशोधन यह है कि कर्मचारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे और वे पद धारण करने की तिथि से अगले 3 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। यही कारण है कि विधेयक के संबंध में चर्चा का दायरा बहुत सीमित है। लेकिन किसी प्रकार विपक्ष को इस विधेयक, जिसे माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, लाने के पीछे कुछ अन्य उद्देश्य ही दिख रहा है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि वे अटल बिहारी वाजपेयी के स्थान पर भी क्या कुछ आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के

[श्री अधीर चौधरी]

रूप में क्यों पेश कर रहे हैं? कोई शारीरिक रूप से सक्रिय हो सकता है। लेकिन आपको प्रत्येक व्यक्ति की आयु पर भी विचार करना होगा। यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर रहे हैं जो उन्हें बहुत प्यारा है। चाहें कोई भी हो। सरकार के मन किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि श्री कामथ, वर्तमान पदधारी, की उम्र और 80 वर्ष और 3 माह हो चुकी है और कार्यकाल की समाप्ति पर उनकी आयु 89 वर्ष हो जाएगी। इसलिए, यह मान लेना आसान है कि कोई भी व्यक्ति कम से कम 89 वर्ष की उम्र में प्रसार भारती बोर्ड की अध्यक्षता करने में सक्षम नहीं है जिसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम के तहत प्रसार भारती निगम की स्थापना के बाद हुई थी।

यदि देश में आप किसी अन्य संगठन की बात करें तो आप पायेंगे कि जहां तक कैट का संबंध है, कैट के सभापति की उपरी आयु सीमा 68 वर्ष है और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान मंच (नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम) के चेयरमैन की उपरी आयु सीमा 70 वर्ष है। इसलिए विधेयक की मंशा आयु सीमा को औचित्यपूर्ण बनाना है। और किसी व्यक्तित्व का कार्यकाल जो अंशकालिक चेयरमैन के रूप में प्रसार भारती बोर्ड की अध्यक्षता करेगा, उसको भी तार्किक बनाना है। मुझे यह पता चला है कि शीत कालीन सत्र के दौरान भी प्रसार भारती बोर्ड की बैठक अत्यधिक ठंडी के कारण दिल्ली के बजाय मुम्बई में हुई। हम सभी को प्रसार भारती पर गर्व है।

[हिन्दी]

दूर–दराज गांवों में रहने वाले गरीब लोग जिस हथियार के तहत सारे हिन्दुस्तान के दर्शन कर सकते हैं। उसका नाम दूरदर्शन है। यह दूरदर्शन हम सबके लिए गर्व का विषय है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस लक्ष्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार को प्रसार भारती को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संगठन को केन्द्रीय राजकोष से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान से चलाया जा रहा है, जैसा कि श्री प्रभु द्वारा दलील दी जा रही थी, मैं भी यह कहना चाहूंगा कि एक स्वतंत्र प्राधिकरण होने के लिए पहली शर्त होगी जब यह संगठन अपना राजस्व सृजित करने में समर्थ होगा; वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने में समर्थ होगा; और अधिक संसाधन जुटाने में समर्थ होगा और जब यह संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में समर्थ होगा।

दूसरी बात, मैं माननीय मंत्री जी से दूरदर्शन की धारिता को डिजीटलाइन करने का अनुरोध करूंगा ताकि राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं और ऐतिहासिक भाषणों को अपने भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकेगा। मैं माननीय मंत्री को अवश्य बधाई दूंगा और उन्हें यह भी कहूंगा कि प्रसार भारती और दूरदर्शन तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने के उनके इस उद्यम में और कार्यक्रम की गुणवत्ता को सुधारने के उनके प्रयास में, जिसकी हम सब आशा करते हैं, उनके साथ है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने इस सांविधिक संकल्प की अस्वीकृति का नोटिस दिया है। पूर्व के मौके पर मैंने इस सभा में यह बात उठाई थी कि सरकार संविधान में इस आपात प्रावधान का दुरुपयोग कर रही है। यह ऐसा हुआ कि जब अग्रिम संविदा विनियमन का अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, तब सभा में यह विधेयक था। इसे स्पष्ट कर दिया गया था। यह दुरूपयोग का भी स्पष्ट मामला था। ऐसा क्यों?

यह प्रसार भारती अधिनियम 1990 में पारित हुआ था। तब से चार लोकसभा गठित हुई और भंग हो गईं। इस सभा में कई सत्र हुए और यह सरकार भी पिछले चार वर्षों से सत्ता में है। हम सभी जानते हैं कि प्रसार भारती के चेयरमैन की आयु सीमा और कार्यकाल को 1990 में पारित अधिनियम में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तब से 18 साल बीत गए और किसी भी सरकार को किसी आपात स्थिति का मान नहीं हुआ और इस सरकार ने भी पिछले चार वर्षों से इस संबंध में कोई संशोधन लाने की आकस्मिकता को नहीं समझा। प्रसार भारती के चेयरमैन की आयु सीमा और कार्यकाल को घटाने के लिए अध्यादेश जारी करने की अब आकस्मिकता क्यों पड़ी? व्यक्तिगत रूप से मैं इस पहल के पीछे नहीं हूं, लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसका दोष नहीं देना चाहिए। प्रश्न है – वह कौन सी आपात स्थिति थी? हमने रामायण में 'कुंभकर्ण' की निद्रा के बारे में सुना है, लेकिन इस सरकार की उससे भी लंबी निद्रा है और संविधि में कोई आयु सीमा और कार्यकाल न निर्धारित करने के तथ्य के बारे में 18 वर्षों तक किसी आपात स्थिति का पता नहीं चला। इस सरकार को सत्ता में आने के साथ ही करना चाहिए था। क्या इस सरकार को पिछले चार वर्षों में किसी आपात स्थिति का पता नहीं चला?

महोदय, मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री की आयु सीमा घटाने अथवा चेयरमैन के कार्यकाल की अवधि को घटाने के लिए पिछले चार वर्षों में कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह संगठन के एक चेयरमैन थे जिन्हें सरकार की किसी पाबंदी के बिना शीघ्र बाहर किया जा सके। इस अध्यादेश में यह भी है। यह रोजमर्रा का मामला है और रोजमर्रे के मामले में भी सरकार अध्यादेश का सहारा ले रही है। सरकार का प्रयास विधायिका को कार्यपालिका की रबड़ स्टम्प, बनाने का है। अग्रिम संविदा विनियमन में भी यही हुआ था। क्या यह

रोजमर्रा का मामला नहीं है? अब अगर ऐसे संगठन को निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करनी है तो, प्रसार भारती के कार्यकरण में सुधार करना होगा। लेकिन सरकार को कोई आपातकालीन स्थिति नहीं लगी।

सायं 6.00 बजे

स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने किसी विधान को लाने का विचार नहीं किया। इस विशेष संविधि को परिवर्तित करने की सिफारिश तो इस सदन की स्थायी समिति ने भी की है। इस संबंध में मेरे प्रिय सहयोगी को कुछ नहीं कहना है, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इस सभा के समक्ष कोई संशोधन विधेयक नहीं लाया गया। इस संगठन को कार्यशील संगठन बनाने के लिए हजारों समाचार वाचक है जो नैमेत्तिक कामगार है। हमारे माननीय मंत्री महोदय को इस विषय में कोई आपातकालीन स्थिति नहीं दिखायी दी। गरीब लोगों को रोजगार प्रदान में उन्हें कोई आपात स्थिति नहीं नजर आई। आपके सामने अनेक सिफारिशें हैं और इस संबंध में आपको कोई अत्यावश्यकता नहीं दिखी। जो अत्यावश्यकता इन्हें दिखायी दी वह थी, चेयरमैन की आयु सीमा में कटौती तथा उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के बाहर निकालना। यही आपातकाल की स्थिति थी। अचानक उन्हें एक दिन स्वप्न आया और एक सुबह उन्होंने सोचा यही कि उचित समय है कि उन्हें अध्यादेश जारी कर देना चाहिए ....*(व्यवधान)* ऐसे कार्य दोहराये न जाएं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों कृपया मेरी बात सुनें, अब 6.00 बजे हैं और इस विधेयक पर बोलने के लिए मेरे पास सात सदस्यों से ज्यादा की सूची है। सभा का समय बढ़ाने के लिए मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। क्या, सभा इस बात से सहमत है कि सभा का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाएं और मेरे विचार से एक घंटे के अंदर चर्चा पूरी हो जायेगी।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : जी हां, महोदय सभा का समय बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय : ठीक है, तो यह तय हुआ कि सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है और इसके पश्चात 'शून्य–काल' होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे बताया गया कि इस संस्था में लगभग 40,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। नैमित्तिक श्रमिकों और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लोगों की सेवा शर्तें नहीं है। पिछले कई वर्षों से मैं उनके समक्ष प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। परन्तु कुछ नहीं किया गया है। उन्हें इन बातों में कोई अत्यावश्यकता नहीं लगती। यहां तक कि स्थायी समिति ने भी इस संस्था में सुधार लाने की सिफारिश की है। लेकिन कुछ नहीं किया गया। जो अत्यावश्यकता इन्हें नजर आयी वह चेयरमैन की आयु सीमा कम करने के सिवाय कुछ नहीं है। बल्कि यही नहीं उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के हटाया भी जाना चाहिए। यह केवल चेयरमैन के विषय में नहीं था, बल्कि सभी कार्यकारी सदस्यों के संबंध में भी ऐसा ही था। यहां भी उन्होंने यह प्रावधान किया कि अगर उन्हें निकाल दिया जाता है तो उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी। इस प्रावधान का क्या उद्देश्य है? क्या यह उचित है? यहां दिन रात कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई सुधार नहीं किया गया। उनकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको यहां कोई आपात स्थिति नजर नहीं आयी। पिछले चार वर्षों से आप मंत्रालय में है। कम से कम आपको इस विषय पर विचार तो करना चाहिए था। प्रसार भारती के लगभग 40,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए आपको कोई समय नही मिला। यह बहुत दुख की बात है और मुझे इस कारण शर्म आती है...*(व्यवधान)* चेयरमैन का पद एक महत्वपूर्ण पद है और यहां तो कार्यकारी सदस्य भी हैं। हम सभी उनकी स्थिति जानते हैं। वे इस संगठन से इन दो सज्जनों की सेवाओं को समाप्त करना चाहते थे और इस उद्देश्य हेतु उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 123 का प्रयोग किया। आप देखिए कि किस प्रकार से संविधान के आपातकालिन प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है। ...*(व्यवधान)* मैं एक बार फिर आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि दोबारा ऐसा फिर न किया जाए। आपके द्वारा लाये गये इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं लेकिन भविष्य में इसे न दोहरायें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने इस विधेयक के मूल उद्देश्य के बारे में बोला है। मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा तीन को उद्धृत करूंगा इसके अनुसार :

चूंकि प्रसार भारती को प्राइवेट इलैक्ट्रानिक मीडिया घरानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और साथ ही साथ सही भाव से संसद् के उक्त अधिनियम द्वारा उसे सौंपे गए सामाजिक उद्देश्यों को भी प्राप्त करना है, इसलिए विधान को तुरंत प्रारंभ करके प्रसार में ऐसे विषयों को बुद्धि संगत बनाया जाना आवश्यक समझा जा रहा है।

मेरे विचार से यह इस विधेयक को पुरः स्थापित करने का मूल उद्देश्य है। यद्यपि अंशकालिक चेयरमैन की आयु सीमा पर विशेष ध्यान दिया गया है; चेयरमैन के कार्यकाल को छह वर्ष से कम करके तीन वर्ष करने का उल्लेख किया गया है; तथा चेयरमैन की अधिकतम आयु सीमा तय करने के बारे में भी उल्लेख है।

यह अधिनियम में काम चलाऊ प्रावधान करने जैसा है। यद्यपि यह अधिनियम 1990 में पारित किया गया था, परन्तु यह 1997 में प्रस्थापित

[श्री भर्तृहरि महताब]

किया गया था। यद्यपि यह अठारह सालों से हैं, परन्तु प्रख्यापन केवल दस साल पहले हुआ है। इसलिए, सरकार और लोगों को इस बात का थोड़ा अनुभव है कि प्रसार भारती ने इन दस सालों में किस प्रकार कार्य किया है। जब हम प्रसार भारती के बारे में कुछ कहते है। तो हमें इस पर भी चर्चा करनी होगी कि इसने कैसा कार्य किया है। क्या यह उस अपेक्षा पर खरी उतरी है जो लोगों को प्रसार भारती से है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रसार भारती को निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। प्रसार भारती के अपने अधिदेश हैं तथा अपने श्रोतागण और दर्शक हैं। जो दर्शकगण दूरदर्शन देखते हैं तथा ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, वे कभी–कभार ही निजी दूरदर्शन चैनलों का प्रसारण देखते हैं। दूरदर्शन के अपने श्रोतागण और दर्शकगण हैं। प्रसार भारती निजी दूरदर्शन चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अपने श्रोताओं और दर्शकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास क्यों नहीं कर सकता?

इस विश्व में प्रत्येक कार्यशील लोकतंत्र अपना एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसारण संगठन है। दूरदर्शन अथवा प्रसार भारती एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसारण संगठन है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारण संगठन को सरकार से पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता होती है।

सायं 6.09 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। विनियम की समस्या है। क्या सरकार को विषय वस्तु विनियमित करना चाहिए? क्या सरकार को प्रशासन को विनियमित करना चाहिए? सरकार के सामने यह दो बातें हैं और संसद को विचार–विमर्श करना है। मेरा विचार यह है कि सरकार को विषय वस्तु को विनियमित नहीं करना चाहिए। इसे नीति तय करनी चाहिए। उस नीति का पालन प्रसार भारती तथा निजी चैनल करेंगे। परंतु प्रशासन इसके नियंत्रण में रहना चाहिए।

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कार्य करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन, साथ ही, वे संसद तथा कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार, प्रसार भारती अथवा सार्वजनिक सेवा प्रसारक को कार्यपालिका तथा संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लेकिन विषय वस्तु के हिसाब से इन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। यह कहकर मैं सरकार से एक बात पूछना चाहूंगा। क्या यह विधेयक किसी प्रकार से ऐसी परिस्थिति बना सकता है जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मेरा कहना है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस ढंग से यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ था जब मंत्रिमंडल ने यह निर्णय ले लिया था कि किन मुद्दों पर बजट सत्र में चर्चा की जाएगी। मीडिया में यह रिपोर्ट दी गयी कि जब इस अध्यादेश को माननीय राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, तो बीच में मुश्किल से तीन सप्ताह का समय बचा था। यह 7 फरवरी को प्रख्यापित किया गया था और संसद सत्र 25 फरवरी को आरंभ हुआ था। कोई आसमान नहीं टूट पड़ता यदि इस बजट सत्र में एक सामान्य विधेयक पेश किया गया होता, जैसा कि बताया गया है, और ये बहुत गंभीर मामले हैं, जिस पर मंत्री महोदय को थोड़ा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। क्या यह सच है कि सीईओ प्रसार भारती में निदेशक के तौर पर एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त करना चाहते थे अथवा ऐसे पदों पर जो अध्यक्ष से जुड़ा हुआ नहीं था? यही कारण है कि इस अध्यादेश को जल्दबाजी में प्रख्यापित किया गया ।.. *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपको बताऊंगा कि इसका उत्तर 'नहीं' है।

श्री भर्तृहरि महताब : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मीडिया में इसकी रिपोर्ट दी गई थी और मैं इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देने के लिए माननीय मंत्री महोदय का शुक्रगुजार हूं।

चेयरमैन एक अंशकालिक सदस्य है और वह भी तीन साल के लिए। हम एक श्रेणीबद्ध उत्तर चाहेंगे कि उसी अध्यक्ष को तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात् पुनः वह पद दिया जा सकता है। कानून में इसके लिए कोई बंधन नहीं है। उत्तरदायी और जवाबदेह होना आवश्यक है। परंतु इस संशोधन द्वारा, क्या यह सीईओ नहीं है जो प्रसार भारती में अधिक शक्तिशाली हो रहा है?

मेरा विचार है कि यह विधेयक निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रसार भारती को मजबूत नहीं बना रहीं है। लेकिन इस देश और इस सदन के सामने बुनियादी प्रश्न यह है कि किस प्रकार प्रसार भारती की वित्तीय व्यावहारिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है; इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। अथवा नहीं; यह किस प्रकार अपनी स्वायत्तता की रक्षा करेगा; तथा इसके दर्शकों को किस प्रकार के कार्यक्रम देखने चाहिए – इन बातों का निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय प्रसार भारती बोर्ड लेगा अथवा कार्यपालिका अथवा सरकार लेगी?

अंत में, जैसा कि हमारे एक माननीय सहयोगी ने भी उल्लेख किया है, प्रसार भारती बोर्ड में अभी भी काट–छांट क्यों है? एक संपूर्ण प्रसार भारती बोर्ड बनाने में कितना समय लगेगा? पहले ही दस वर्ष बीत चुके हैं। मैं इस सरकार से तथा माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करता हूं कि विषय–वस्तु के संदर्भ में प्रसार भारती को स्वतंत्र बनाने के लिए तथा साथ ही कार्यपालिका और संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (सरगुजा) : सभापति महोदय, मैं बड़ी उम्मीद कर रहा था कि प्रियरंजन जी इस समय एक व्यापक और नियामक विधेयक प्रसार भारती के संबंध में लेकर आएंगे। जिस तरह कई माननीय सदस्यों ने कहा, उसी तरह पूरा सदन भी आश्चर्यचकित है कि इस विधेयक को लाने में इतनी क्या जल्दी थी जिससे ऑर्डिनेन्स लाना पड़ा। मैं समझता हूं कि वह सदन का मनोरंजन करने के लिए हीं इसे लेकर आए हैं। इस समय राष्ट्र और समाज के सामने जो अनेक तरह की गड़बड़ियां हैं, वह प्रसार भारती विधेयक के माध्यम से दूर हो सकती थीं। लोक शिक्षण कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से यदि व्यापक और आचार–संहिता सहित विधेयक लाया जाता तो अच्छा होता और उसकी बहुत जरूरत भी है। मेरा इस संबंध में एक प्रश्न था जिस की प्रश्नोत्तरी नही हो पायी। अखबारों में आया था कि मंत्री जी एक व्यापक विधेयक लाने वाले हैं। क्या इसमें बड़े मीडिया घराने वालों का बड़ा विरोध है और वे सहमत नहीं हैं? देश और समाज को बनाना और ठीक रखना है तो जो गड़बड़ियां समाज और छोटे बच्चों पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं, उसे रोकने के लिए एक आचार–संहितायुक्त कानून बनाना पड़ेगा और इस काम को जल्दी करना पड़ेगा। समाज में जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं लेकिन घर–घर में ऐसी स्थिति बन रही है और कुछ चैनल्स इस तरह से दिखा रहे हैं जिससे पति–पत्नी अलग हो गए हैं और बच्चे अलग हो गए हैं। मीडिया में इसे जिस तरह दिखाया जाता है, समाज कहीं न कहीं विघटित होने की स्थिति में न पहुंचे, उसके लिए एक लोक शिक्षण कार्यक्रम चला कर लोगों में धैर्य तथा कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति कैसे पैदा हो सकती है, वे दिखाएं। भारतीय वाङ्मय में इसके विविध पहलु हैं। प्रसार भारती मजबूत, शक्तिशाली और व्यापक बोर्ड बनाना चाहिए था, जैसा हमारे मित्रों ने भी कहा है, वह भी नहीं बना है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो निर्देश हैं, जो धर्म की परिभाषा है, वह उपासना पद्धति नहीं है, संकटों में धर्य रखने वाले जो गुण हैं, उसे बताया गया है। मनु महाराज ने कहा "धृति क्षमा दमो आस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह:, धीर विद्या सत्यं अक्रोधा दशकं धर्म लक्षणम्।" पहला धर्म का लक्षण धैर्य है। परीक्षा में फेल होने के डर से बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं। पाठयक्रमों से विसंगतियां हैं ही, लेकिन समाज में ऐसी परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई? देश की सबसे बडी सम्पदा जनसम्पदा है। कोई राष्ट्र कितना महान है, उसकी सड़कें, फसलें सब देख कर अन्दाजा लगाया जा सकता है लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण सम्पदा अगर कोई है जो जन सम्पदा है। कोई देश कितना महान है, उसकी जानकारी इस बात से होगी कि वहां के लोग कैसे हैं? लोक शिक्षण का काम इसके माध्यम से भली–भांति हो सकता है। मैं चाहूंगा कि बिना किसी दबाव के, सलाह–मशविरा करके इससे संबंधित एक विधेयक लाया जाए। स्टैंडिंग कमेटी ने भी सुझाव दिये हैं। एक पूरा बोर्ड बनाएं और व्यापक जन–हित में भारतीय वाङ्मय को प्रतिबिम्बित करते हुए, देश में नए लोक शिक्षण के कार्य को प्रारंभ करके ऐसा प्रसार भारती विधेयक लाएं जिस में प्राइवेट चैनल्स को नियंत्रित किया जा सके। वे क्या दिखाएं, क्या न दिखाएं, इस तरह की चर्चा और चिन्ता की जा सके, ऐसा एक विधेयक आप लाएं। इन्होंने विधेयक को लाने में बहुत जल्दी की है। इसमें मनोरंजन के अलावा कोई विषय नहीं है। 80 साल की उम्र मे कुंवर सिंह ने तलवार उठायी थी। उम्र बहुत बड़ा बंधन नहीं होती। उम्र को घटाने के लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश लाना पड़ा। आप प्रसार भारतीय के मंत्री हैं। उसमें मनोरंजन भी आता है। सदन का केवल मनोरंजन हुआ है। इस विधेयक में और कुछ नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। मैंने जो बातें रखी हैं, उस पर आप विचार करें और ऐसा एक विधेयक जल्दी लाएं। आपने समय दिया।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी यह बिल प्रसार भारती को मजबूत करने के लिए और कम्पीटिशन के लिए लाए हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की आयु कितनी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता लेकिन जिसके पास ज्यादा अनुभव होता है वही कम्पीटिशन कर सकता है और इसमें अध्यक्ष की आयु बढ़ाने की बात है। अगर कोई आदमी अच्छा है तो उसे रिपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती और अगर सरकार चलानी है तो इस तरह के विधेयक लाने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि ये विधेयक एक या दो साल पहले लाने की आवश्यकता थी, आपने बहुत देर कर दी है। विपक्ष पक्ष विरोध प्रकट कर रहे हैं? आप उन्हें विरोध करने दो, निंदा करने दो, हम इस विधेयक को मंजूर करने के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए हैं। इसमें कार्यपालक अधिकारी की आयु 62 से 65 वर्ष करने का प्रस्ताव है इसी तरह से उनके कार्यकाल को छः साल से कम करने का प्रस्ताव है। हमारा कार्यकाल पांच साल का है और उनका छः साल का है, उनके कार्यकाल को कम करने के बारे में यह विधेयक लाया गया है। इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया को गतिशील करने के लिए, समाज में जो गलत परंपरा है, उसे खत्म करने के लिए प्रसार भारती को मजबूत करने की आवश्यकता है। जिस तरह से मुम्बई में हिन्दी – मराठी भाषा पर विवाद हुआ था और एक टैक्सी का इंसीडेंट हुआ था और इसी इंसीडेंट को बार–बार दिखाया गया था। हमें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से आजादी छीननी नहीं है, उनको आजादी देनी है लेकिन अगर इससे समाज में दूषित परिणाम सामने आएं तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है और इस संबंध में बिल लाने की आवश्यकता है। मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रसार भारती के इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खडा हुआ हूं। किसी व्यक्ति को हटाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को यह विधेयक लाना पड़ा। इसके स्थान पर एक व्यापक विधेयक लाना पड़ा। इसके स्थान पर एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए था और प्रसार भारती, दूरदर्शन और आल इंडिया रेडिया की समस्याओं पर बेहतर ढंग से चर्चा की जा सकती थी।

महोदय, संविधान में किए गए आपात प्रावधान का इस मामले में उपयोग अध्यादेश प्रख्यापित करके नहीं किया जाना चाहिए था। सरकार को उस व्यक्ति के प्रति थोड़ी मानवीय सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए जिसे वह हटाने जा रही है और जिसकी आयु करीब 86 वर्ष की है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनका जीवन समृद्ध अनुभवों से परिपूर्ण रहा और जिसने प्रेस को महान योगदान दिया है एवं अनेक लेख लिखे हैं। जिस दिन सदन में बजट प्रस्तुत किया गया, उसी दिन से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हम वरिष्ठ नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें। लेकिन आज सरकार इस विधान के माध्यम से बिना किसी मुआवजे के एक वरिष्ठ नागरिक को निकाल रही है। यह नितान्त अमानवीय है। अतः मैं समझता हूं कि सरकार उन्हें कुछ मुआवजा अथवा राहत राशि देने पर विचार करे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे वहां अपना व्यक्ति लाना चाहते हैं। मुझे वर्ष 1975 की याद आ रही है जब देश में आपातकाल लागू किया था। आपातकाल के दौरान प्रेस को पूरी तरह कुचल दिया गया था। उस दिन से, अध्यादेश देश के लिए खतरा बन गए। यह विधेयक केवल यही दर्शाता है कि पक्षपात किया जा रहा है।

महोदय, मैं एक पिछड़े क्षेत्र से आया हूं, हमारे यहां आल इंडिया रेडियो स्टेशन भवानी पटना में है जो काम नहीं कर रहा है। हमें उसके लिए जनरेटर चाहिए। फिर, यह स्टेशन कोलकाता के क्षेत्रीय नियंत्रण में है। लेखांकन आदि कार्य के लिए लोगों को कोलकाता जाना पड़ता है। इस ओर ध्यान देकर इसमें बदलाव लाया जाना चाहिए।

महोदय, टेलिविजन आने के बाद रेडियो की प्राथमिकता कम हो गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि देश के सभी रेडियो स्टेशनों का अन्य स्टेशन स्थापित कर उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाकर एवं एफ एम सेवाएं प्रदान कर उन्नयन किया जाना चाहिए। ताकि नियत क्षेत्रों एवं दूरदराज के इलाकों के लोग आल इंडिया रेडियो तथा समाचार प्रसारण का लाभ उठा सकें।

महोदय, अंत में, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। क्योंकि इस संबंध में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए था। वे आज सत्ता में है और यह सत्र लंबा भी है जो मई तक चलेगा। अतः वे आसानी से एक व्यापक विधेयक ला सकते थे और जिसपर सदन में विस्तृत चर्चा की जा सकती थी।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन का समर्थन करता हूं। अध्यादेश लाए जाने के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। मैं इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं मानता। अब, सरकार अध्यादेश को नियमित करने के लिए विधेयक लायी है और उसने प्रत्येक व्यक्ति को सभा में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। इस संबंध में हमने अनेक विचार सुने हैं। अतः, मैं कोई कारण नहीं समझता कि अध्यादेश लाये जाने के संवैधानिक प्रावधान की निन्दा की जाये। अध्यादेश लाकर सरकार की ओर से एक अति बुद्धिमता पूर्ण पहल की गयी है और वह इसे यथा शीघ्र विनियमित करने के लिए इस विधेयक को लायी है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आज प्रसार भारती जन सेवा प्रसारक है और उसे वाणिज्यिक सेवा प्रसारकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। यदि प्रसार भारती से वाणिज्यिक सेवा प्रसारण चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने की अपेक्षा की जाती है, तो इसके लिए उसे कुशल व्यक्तियों जिसमें चेयरमैन से लेकर पूर्णकालिक सदस्य तथा बोर्ड के अन्य सदस्य शामिल है, उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है और आप चाहते हैं कि मैं बन्द कर दूं। मैं केवल दो मिनट के लिए बोलूंगा। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें, मुझे कहना है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, कृपया इन्हें बोलने की अनुमति दें, ये संबंधित स्थायी समिति के सभापति हैं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार : सभापति महोदय, जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो प्रोविजन्स इस नये बिल में लाये हैं, ये बहुत सही है और जरुरी हैं कि प्रसार भारती के काम को, इसकी फंक्शनिंग को, जो लैकलस्टर रही है, इम्प्रूव किया जाए और यह तभी इम्प्रूव होगा, जब इसमें एक्सीपीरियंस भी हो और यूथ भी हो। यूथ का मतलब मैं यह नहीं कहता कि 18 या 20 साल की उम्र हो। मैं कहता हूं कि कहीं इस समय कोई 70 साल से ऊपर की उम्र का चेयरमैन है और कहीं 80 साल से ऊपर का चेयरमैन है। यह नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसे आदमियों को होना चाहिए, जिन्हें प्रशासन का अनुभव हो।

अगर सैक्रेटरी लैवल का ऑफिसर चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर बनकर प्रसार भारती में जाता है तो उसे टाइम मिलना चाहिए। चूंकि सैक्रेटरी लैवल का ऑफिसर साठ साल की उम्र में रिटायर होता है। लेकिन जब यह बिल बना था, उस समय उसके रिटायरमैन्ट की उम्र 58 साल थी। इसलिए यदि उसे पांच साल का टेन्योर दिया जायेगा तो जाहिर है कि वह 62 साल से ऊपर जायेगा। इसीलिए 65 साल की उम्र उसके लिए रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही युक्तिसंगत है और इसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं। रही बात चेयरमैन की, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे फाजिल दोस्तों ने एक नाम लिया है। जब उन्होंने नाम लिया है तो मैं बताता हूं कि यह बिल उन्हें हटाने के लिए नहीं बनाया गया है, यह सिर्फ एक ऐसे चेयरमैन को लाने के लिए बनाया गया है, जिसकी अपर एज लिमिट 70 साल से ऊपर न हो, बल्कि उससे कम हो और उसके लिए तीन साल का अनुभव रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बढ़िया है और कोई नई बात नहीं है।

[अनुवाद]

यह स्थिति वैसी ही है जैसी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समय हुयी थी। यह केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसी स्थिति है।

[हिन्दी]

क्योंकि देव भाई ने कामत जी का नाम लिया है, मैं आपको बताता हूं

[अनुवाद]

कि कामथ जी इलस्ट्रेड वीकली ऑफ इंडिया, देश की एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक पत्रिका के सम्पादक थे।

[हिन्दी]

और जब वह उसके एडीटर थे तो उस समय इलेस्ट्रेटिड वीकली की सर्कुलेशन इस मुल्क में मैक्सिमम थी और जब उन्होंने काम छोड़ा तो वीकली खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई।

उनकी तारीफ जब आप कर रहे हैं तो उनकी इस बैकग्राउंड को भी उनके इस रिकार्ड को भी ध्यान में रखिए और यही प्रसार भारती के साथ हुआ है। पिछले 7 साल से जो प्रसार भारती काम कर रहा है, वह बहुत लैकलस्टर रहा है। जिस स्टैंडिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूं, उसने मिनिस्ट्री को कहा है कि आप अपनी पर्फार्मेंस इम्प्रूव कीजिए और इम्प्रूव करने का तरीका यह है कि वहां को जो पर्सनेल मैनेजमैंट है, उसे इम्प्रूव कीजिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी में मैं अकेला नहीं हूं उसमें 40 लोग हैं और सबने मिलकर यह रिपोर्ट दी है जिसका मधु भाई ने जिक्र किया था।

[अनुवाद]

वह स्थायी समिति का 47वां प्रतिवेदन था

[हिन्दी]

मिनिस्ट्री ने जो उस पर कार्रवाई की है, देर से की है। उनको यह कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि वे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से प्रभावित हुए हैं और जल्दी-जल्दी करने के लिए वे आर्डिनेंस लाए हैं। इसके लिए मैं उनको काम्पलीमेंट करता हूं कि उनको यह पहले करना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि जो-जो प्रावधान उन्होंने इस बिल में लगाये हैं, वे बहुत ही उपयुक्त हैं, बहुत ही युक्तिसंगत हैं। मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसे लागू करें और लागू करके प्रसार भारती की कार्यशैली को इम्प्रूव करें, उसमें सुधार लाएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री खारबेल स्वाईं, कृपया संक्षेप में, समय नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सभापति महोदय, कृपया अधीर न हों। मैं बहुत संक्षेप में बोलुंगा।

मेरे अधिकांश पूर्व वक्ताओं की तरह मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि प्रसार भारती के अध्यक्ष (चेयरमैन) के लिए अधिकतम आयु-सीमा तय करने हेतु अध्यादेश को नए सिरे से प्रख्यापित किया जाना है। इस विधेयक का दूसरा उपबंध जो कि मुख्य उपबंध है, में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर क्रमशः छह से पांच वर्ष और बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष करने का है। लेकिन उद्देश्यों और कारणों के कथन में पैरा में यह उल्लेख है कि

"अतः यह महसूस किया जाता है कि अध्यक्ष के मामले में भी कनिष्ठ योग्यता और अनुभव की तुलना करके नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सत्तर वर्ष की ऊपरी आयु नियत की जाए।"

पहली बात यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए आपने अधिकतम आयु सीमा सीमा को बासठ वर्ष से पैसठ वर्ष कर दिया और आप कहते हैं कि आप युवा प्रतिभा को ला रहे हैं। क्या यह निकटता नहीं है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप आयु सीमा बढ़ाकर नई प्रतिभा को ला रहे हैं।

[श्री खारवेल स्वाई]

दूसरी बात जैसे कि माननीय महताब जी ने कहा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 3 में यह उपबंध किया गया है कि प्रसार भारती का सामाजिक उद्देश्य है और यह विधेयक प्रसार भारती और इसके बोर्ड को पुनर्जीवित करने हेतु और कार्य क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता लाने के लिए लाया गया है।

केवल अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर और निर्धारित करने के द्वारा मैं यह समझने में असफल हूं कि आप किस तरह कार्य क्षेत्र में अनुभव लाने जा रहे हैं। माननीय मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

लंबे समय और हर वर्ष प्रसार भारती घाटे में चल रहा है। इसके आय का मुख्य स्रोत क्रिकेट और फिल्म है। अधिकांश समितियों में उत्तर देते समय हम हमेशा प्रसार भारती के अधिकारी कहते हैं कि वे घाटे में चल रहे हैं क्योंकि उनके सामाजिक दायित्व हैं और वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक विकास के बारे में कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक विकास संबंधी कार्यक्रमों से लाभ अर्जित नहीं किया जा सकता।

प्रसार भारती में विशेषज्ञता की भावना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एनडी टीवी के व्यक्ति ने हमसे कहा कि पिछले वर्ष लगभग सभी टेलीविजन चैनल जन्माष्टमी का सीधा प्रसारण करने हेतु मथुरा गए थे। प्रसारण भारती और दूरदर्शन को छोड़कर सात लोगों की 22 बजे अधिक संख्या वाली टीम आज तक द्वारा भेजी गई थी।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूरदर्शन से कितने लोग गए थे। दूरदर्शन से 50 लोग गए थे। यह मुझे वे बता रहे थे। क्या वे वहां दर्शनीय स्थलों को देखने गए थे या कार्यक्रम का प्रसारण करने गए थे।

यह बहुत ही गैर-पेशेवर तरीका है। यही कारण है कि दूरदर्शन घाटे में चल रहा है? इसलिए मैं यह अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक विशेषता लोगों को दूरदर्शन और आकाशवाणी में लाया जाना चाहिए।

अब मैं अंतिम मुद्दे पर आता हूं। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र उड़ीसा में बालासोर में 'सोरो' नामक एक स्थान है जहां आकाशवाणी केन्द्र का प्रसारण शुरु करने के लिए दस वर्ष पहले एक भवन का निर्माण किया गया है लेकिन प्रसारण अभी भी शुरू नहीं किया जा रहा है। राजग के शासन के दौरान भी मैंने इस बारे में तत्कालीन माननीय मंत्री से भी अपील की थी। यदि आप इसे शुरू नहीं करना चाहते हैं तो इस भवन का निर्माण क्यों किया गया। यह गत दस वर्षों से रिक्त पड़ा है। मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि चूंकि आपने भवन का निर्माण किया है और उस केन्द्र से प्रसारण शुरू करें ताकि लोगों को कुछ लाभ मिले।

सभापति महोदय : अब श्री राम कृपाल यादव। कृपया संक्षेप में बोलें और किसी भी स्थिति में मैं लंबा भाषण देने की अनुमति नहीं प्रदान करूंगा। आपको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। अब आप भाषण शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं अभी बोलने के लिये खड़ा ही हुआ हूं। मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मेरा भाषण शुरु करने से पहले ही सावधानी बरतने के लिये कह दिया है।

मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008 के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सदन में कई तरह की बातें कहीं गई हैं कि किसी खास आदमी को हटाने के लिये या किसी खास आदमी को लाने के लिये जल्दी-जल्दी यह अध्यादेश लाया गया, उसकी उम्र कम करनी है वगैरह-वगैरह। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो पहल की है कि कम उम्र का और अनुभवी आदमी चेयर करने के लिये होना चाहिये, यह एक उत्तम कदम है। सब आदमियों की आयु की एक सीमा होती है, काम करने की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है। कोई आदमी आजीवन काम नहीं कर सकता है, और हर आदमी की रिटायरमेंट की आयु होती है लेकिन राजनीति में रिटायरमेंट की कोई आयु नहीं होती है। इसकी लिमिट रखनी चाहिये। हम लोग कब्र में भी जाते हैं तो राजनीति करते रहते हैं। सतर्कता तभी होगी, जब काम करने की क्षमता हो। अगर सोचने की क्षमता नहीं, काम करने की क्षमता नहीं है तो उसे बनाये रखने का क्या औचित्य है? इसलिये सरकार ने यह सही कदम उठाया है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि यह कार्य शीघ्र किया जाये और किसी सक्षम आदकी को लाया जाये। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में दो-तीन बातें लाना चाहता हूं। जब प्रसार भारती कायम किया गया तो इसका उद्देश्य था कि यह बिल्कुल इंडेपैंडेट होकर काम करे लेकिन हम समझते हैं कि यह केवल कागज पर रह गया। सरकारें आईं और चली गईं लेकिन उसका चेयरमैन सरकार के प्रभाव में रहा। चाहें उसका सी.ई.ओ. रहा हो, वह सरकार के प्रभाव में काम करता रहा है। यह सरकार का अंग बनकर रह गया है। इसकी शुरूआत जनता पार्टी के समय में हुई, जब प्रतिपक्ष के नेता श्री अडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री थे। उस समय यह कार्यक्रम लागे किया गया। जो उनकी मानसिकता रही कि बी.जे.पी. या आर.एस.एस. जैसे लोग भरे जाते रहे। इसलिये सामने बैठे लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे लोग भी अछूते नहीं हैं। जिसकी सरकार रहती है, उसका भोंपू बन कर रहता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैं कनकलूड कर रहा हूं। अभी मुझे दो मिनट भी नहीं हुये हैं।

[अनुवाद]

महोदय, आपका रुख बहुत सहयोगात्मक है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं अब आपको और क्या बोलना है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, आजकल प्राइवेट चैनल्स आ गये हैं। डी.डी. और रेडियो भी आ गये हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास जो इनफ्रास्ट्रक्चर है, कर्मचारी हैं, वे प्राइवेट चैनल से कम्पीट नहीं कर पाते। यह चिन्ता का विषय है। सरकार ने रेडियो के लिये लाइसैंस जारी किये हैं और कई जगह प्राइवेट प्रसारण शुरू हो गया है। दूरदर्शन और रेडियो जब कि अपने हैं, इसलिये लोग इसे देखना कम पसंद करते हैं और प्राइवेट चैनल देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारा प्रसार भारती घाटे में जा रहा है। इसे कैसे अपग्रेड करें, इसे कैसे कम्पीटीशन में रखें, यह ध्यान में रखना होगा?

मैं आपसे कह रहा था कि आम तौर पर जानकारी मिलती रही है और माननीय मंत्री जी भी उस पर निश्चित तौर पर निगाह कर रहे होंगे कि भ्रष्टाचार का बोलबाला डिपार्टमैंट में बढ़ता जा रहा है, प्रसार भारती में बढ़ता जा रहा है। कई पहलुओं पर जो बातें आ रही हैं, निश्चित तौर पर उन पर ध्यान देना चाहिए। हमारा जो प्रसार भारती है, चाहे वह दूरदर्शन से काम ले रहा हो या रेडियो से काम ले रहा हो, प्राइवेट चैनलों से कंपीट करने के लिए उसकी क्षमता अधिक होनी चाहिए और अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए।

अंत में एक निवेदन करके मैं बैठ जाऊंगा। यह बात सही है कि जिस तरह से दूरदर्शन पर कई तरह के सीरियल्स आते हैं, अश्लील चित्र दिखाई जाते हैं या कई ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जो आपत्तिजनक हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। यहां तक कि कई तरह के ऐसे चैनल्स भी प्रसारित हो रहे हैं, जो समाज को कुप्रभावित कर रहे हैं। ऐसी बातों पर भी माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। उससे निपटने के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए जिससे दूरदर्शन या टीवी चैनलों के माध्यम से समाज में बड़े पैमाने पर जो क्राइम बढ़ रहा है, कई तरह की नई–नई बातें अपने चैनल को बढ़ाने और लोकप्रिय करने के लिए दिखाई जाती हैं, सस्ती लोकप्रियता और पैसा हासिल करने के लिए प्राइवेट चैनलों द्वारा इस माध्यम का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि किसी विधेयक द्वारा आप ऐसे चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। दूरदर्शन और रेडियो जो प्रसार भारती के अंतर्गत काम कर रहा है, सरकारी है, उसको नंबर एक परकरने का हर संभव प्रयास करेंगे और जो इसमें भ्रष्टाचार तंत्र है, उसको दूर करके प्रसार भारती को ढंग से काम करने के लिए उत्साहित करेंगे।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री अबु अयीश मंडल। एक विशेष मामलों के रूप में मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। आप एक मिनट के लिए बोलें।

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण जानकारी चाहता हूं जो इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल में जैसाकि मैं जानता हूं कि प्रसार भारती ने रामाघाट और कृष्णानगर नामक दो निम्न क्षमता वाले दूरदर्शन केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पूरे देश में निम्न क्षमता वाले दूरदर्शन केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। मैं केवल यही जानकारी चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री पी. एस. गढ़वी। आप विषय पर ही आधारित बोलें और अपना भाषण एक मिनट के अंदर समाप्त करें।

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और जैसाकि मेरे अनेक पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यह विधेयक जल्दबादी में ला रहे हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जिसके बारे में अन्य सदस्य कह चुके हैं।

मंत्री जी अब आप प्रसार भारती को कब प्रतिस्पर्धात्मकत बनाने जा रहे हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी प्रतिस्पर्धा कम है। जहां पड़ोसी देश के टेलीविजन के सिग्नल बहुत आसानी से आ रहे हैं। हमारे ट्रांसमीटर हजार सुदूर क्षेत्रों में बहुत की कम है। मैं विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर और कच्छ जिलों के बारे में कह सकता हूं जहां लोगों की पहुंच हमारे भारतीय टेलीविजन के बजाए पाकिस्तानी टेलीविजन तक आसानी से

[श्री पी. एस. गढ़वी]

है। इसलिए प्रसार भारती को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सबसे पहले इसे अधिक प्रभावी बनाना है। इसलिए प्रसार भारती को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : सभापति महोदय, इस चर्चा में उत्तर देने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में तथा विरोध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

चाहे सरकार में कोई भी हो, चाहें वह इस पक्ष के हों अथवा उस पक्ष के, संविधान ने इसका अवसर प्रदान किया है – मुझे 'शक्ति' शब्द का प्रयोग मुद्दे को आरंभ करने के लिए नहीं करना चाहिए, यदि उन्हें लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसे अध्यादेश के रूप में लाएं। प्रत्येक संसद में विपक्ष सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकता है कि इसकी क्या आवश्यकता थी।

महोदय, पारंपरिक तौर पर हम इसका स्वागत करते हैं। जबकि वे विरोध करते हैं और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और हम उत्तर देते हैं; हम अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं।

एक अध्यादेश था – पोटा, जब केवल एक ही सदन में नहीं बल्कि इसको दोनों सदनों में पारित करने में उस दिन की सरकार भी असफल हो गई थी। मैं क्षमता पर प्रश्न नहीं कर रहा।

महोदय, प्रसार भारती में भी अध्यादेश का रास्ता नया नहीं है। सर्वप्रथम, मैं आपके सामने यह पेश करना चाहूंगा यदि मेरी याद्दाश्त ठीक है। यह सही है कि वे दावा करते हैं कि हमने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, विषयनिष्ठता के लिए प्रसार भारती की स्थापना की थी। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कब लाया गया था? यह 1990 में लाया गया था। इस कानून को विधान बनाने के लिए सात साल इंतजार क्यों करना पड़ा? क्या हमने कभी इस पर चर्चा की है? लोकतंत्र का उद्देश्य हासिल करना एक बात है और वहां शामिल कर्मचारियों की व्यावहारिकता समझना अलग बात है। प्रसार भारती को उन लोगों का ध्यान रखना होगा जो आल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के साथ कार्य करते थे। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने भरपूर कोशिश की है। उनमें गुस्सा था। इसमें समस्याएं भी थी। अंततः, 1997 में आपको रोशनी की किरण दिखाई दी।

मैं सभी मुद्दों पर आज जवाब नहीं दे रहा हूं क्योंकि रात के दस बज जाएंगे लेकिन महोदय, मैं आपसे अग्रह करूंगा कि यदि सदन अनुदानों की मांगों के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संपूर्ण कार्यतिथि पर चर्चा करने के लिए सहमत है, तो मैं आपके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर दुबारा उत्तर दूंगा। आज मैं दो पहुलओं तक सीमित हूं। प्रथम पहलू यह है कि इस अध्यादेश को लाने की अत्यावश्यक क्या है? दूसरा पहलू यह है कि इसको देखने का यह पहला प्रयत्न है।

सर्वप्रथम, मुझे कुछ सुधार करने हैं। पहला सुधार यह है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रसार भारती अधिनियम के व्यापक इंतजाम अथवा संशोधन के लिए सरकार को कभी भी निर्णय अथवा निर्देश नहीं दिए। मैं इसे सुधारना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों की स्थिति तथा अन्य चीज़ों को शीघ्र निपटाने के बारे में सरकार को निदेश दिए थे। यह मेरा पहला सुधार है।

दूसरा सुधार यह है कि प्रसार भारती के पूर्ण कार्यभार के बारे में स्थायी समिति ने बिल्कुल ठीक नोट किया और निदेश दिया, बल्कि मुझे कहना चाहिए सिफारिश की – और यही इस संसद की आत्मा है – पूरे मामले की व्यापक जांच के लिए एक मंत्रीसमूह नियुक्त किया जाए तथा किसी निर्णय पर पहुंचा जाए।

यहां पर आप आंशिक रूप से ठीक हैं। हन्नान मोल्लाहजी, जो कि हमारे विशिष्ट साथी है, हमेशा आधा बोलते हैं और प्रसार भारती के पूरे उद्देश्य पर ठोस एवं पारदर्शी विचार व्यक्त करते हैं। मंत्रियों के समूह ने अभी तक अपना अंतिम विचार–विमर्श पूरा नहीं किया है। मैं वाकई आशा करता हूं कि इस महीने के अंत तक अथवा अप्रैल के आरंभ में, अंतिम विचार–विमर्श पूरा हो जाएगा। उससे पहले, वित्तीय पुर्नगठन के लिए, कर्मचारियों को किस प्रकार समायोजित किया जाए, यह मुद्दा और वह मुद्दा, एक व्यापक दृष्टिकोण में इस सप्ताह मैं हमारी प्रस्तुति के साथ वित्त मंत्री के साथ पहली बैठक आयोजित कर रहे हैं और उसके पश्चात हम मंत्रीसमूह के पास अंतिम रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं। मैं पूरी आशा करता हूं कि कर्मचारियों की सभी दुःख, तकलीफें, चाहे वे प्रसार भारती के हों अथवा वे सरकार में हों, यदि वे सरकार में है, उनकी अंतिम स्थिति क्या है–इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले, मैं प्रबोध पाण्डाजी तथा हन्नान मोल्लाहजी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम पहले ही मंत्रीसमूह को तथा वित्त मंत्रालय को सूचित कर चुके हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अथवा इस के समकक्ष हैं, उन्हें छठे वेतन आयोग में शामिल किया जाना चाहिए। हम पहले ही यह बात कह चुके हैं।

इसलिए, हम इस पूरे मुद्दे पर संपूर्ण रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं महोदय, आज इस सदन में मैं सबके साथ हूं। यदि इसके विपणन, प्रोग्रामिंग, प्रशासन आदि को पेशेवर ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया तो प्रसार भारती का भविष्य उज्जवल नहीं है।

इसके लिए अच्छी तरह से जांच की आवश्यकता है तथा इस

जांच के कदम को तभी उठाया जा सकता है जब मंत्रिमंडल द्वारा मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। मुझे विश्वास है कि यूपीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस व्यापक घोषणा के साथ सदन में वापस आएगा। मैं आपको यह प्राधिकार के साथ कह रहा हूं। यही किया जाएगा।

मैं अब कर्मचारियों के मुद्दे पर आता हूं। पक्ष एवं विपक्ष दोनों ओर के विशिष्ट साथी यहां पर बैठे हुए हैं। जी हां महोदय, कर्मचारी बहुत कठिनाई में हैं। मैं एक मंत्री हूं। मैं कम से कम पांच या सात बार विभिन्न प्रकार के कर्मचारी संगठनों से मिल चुका हूं। मैं उनका दर्द समझता हूं। मैं कुछ केन्द्रों पर भी गया जहां मैंने पाया कि एंकर, समाचार वाचकों, जो रात में समाचार पढ़ते हैं, यहां तक कि महिलाओं को भी समुचित शौचालय सुविधा प्राप्त नहीं है अथवा उनके पास बैठने की जगह नहीं है। मैं यह जानता हूं। मैं अंदरूनी समस्याएं जानता हूं। इसी प्रकार, मैं एक राज्य के बाद दूसरे राज्य जा रहा हूं। परंतु अब मैं अध्यादेश के मुख्य मुद्दे पर वापस आता हूं।

इस अध्यादेश से, मैं नहीं जानता कैसे प्रो. रासा सिंह रावत ने अचानक पाया

[हिन्दी]

हम लोग सुनते हैं कि इसके चेयरमैन भा.ज.पा. के साथ जुड़े हुए थे। आपको यह खबर है, लेकिन मुझे तो यह खबर अभी मिली है। अगर मुझे पहले मिलती, तो मैं सरकार आने के पहले दिन ही कहता कि इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। आपने यह सूचना देकर, मेरे ज्ञान में वृद्धि की है। हमें ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि कमाल जी, भा.ज.पा. के नजदीक हैं। आपने यह जिक्र कर के, स्वयं बता दिया कि आप कैसे इसे चलाते थे। हम इस ढंग से नहीं चलाते हैं। हमारी आब्जैक्टिविटी कुछ अलग है।

सर, 15 अगस्त और दि एनीवर्सरी ऑफ सिक्सटियथ ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे पर झंडा फहराने की टेलीवीजन पर कैसेट देखिए। उस दिन डॉ. मनमोहन सिंह जी को झंडा फहराना था, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री थे। हम डिक्टेट नहीं करते और न इंटरफीयर करते हैं।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय को प्रसार भारती की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अनौपचारिक रूप से उन्होंने पूछा–हम कल किस प्रकार उत्सव मनाएंगे, बच्चों को लेकर, मैंने कहा कि आपका पहला काम ध्वाजारोहण समारोह की 60वीं वर्षगांठ में है, इस देश के सभी माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने झंडा फहराया था, उन्हें दलगत नीति से हटकर पहले दिखाना चाहिए।

[हिन्दी]

आप गौर से देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे झंडा फहराते हैं, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कैसे झंडा फहराते हैं और श्री देवगौड़ा ने कैसे झंडा फहराया। इन सबको दिखाने के बाद हमने डॉ. मनमोहन सिंह जी को मौका दिया।

[अनुवाद]

आप वास्तविकता समझने का प्रयत्न करें कि हम किस प्रकार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह जी, मैं आपको लेडी उदघोषक का बुलेटिन सुनाऊंगा, आपकी आवाज, आपके 377 के अधीन मामलों के बारे में आकाशवाणी पर जमकर बोलते हैं, कोई और चैनल नहीं बोलता है। आप ही का नाम बार–बार आता है। कभी –कभी आपके मैम्बर गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हीं का नाम, आकाशवाणी से बार–बार क्यों बोलते हैं मैंने कहा कि आप क्यों गुस्सा होते हो, वे ज्यादा बोलते हैं।

[अनुवाद]

इसलिए मैं आपसे कहता हूं – आप ऐसा ना समझें कि हम इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रभु यहां नहीं हैं। मैं उनकी बात का कुछ सुधार करता। उन्होंने कहा था कि श्री टोनी ब्लेयर बीबीसी से खुश नहीं थे; तब भी कुछ नहीं हुआ। नहीं।

वस्तुनिष्ठा के मामले में हमारा दूरदर्शन बीबीसी से काफी बेहतर है। दूरदर्शन पैनल, को परमाणु समझौते की अच्छाई अथवा बुराई के बारे में चर्चा करने का अधिकार है। लेकिन बीबीसी में, मैं आपको आज बताता हूं, सामूहिक विनाश के हथियार के मुद्दे पर, जो समाचार बीबीसी में आया था कि हाऊस ऑफ कॉमन्स में एक भी बहस नहीं की गई और इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। आप समझने का प्रयत्न करें – हमारी वास्तुनिष्ठा काफी महान है। इसे हम राजनैतिक रूप नहीं देते हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से देखते हैं।

अब हम अत्यावश्यकता के मुद्दे पर आते हैं। एक ओर हम दूरदर्शन में पेशेवर शुरूआत करने की बात करते हैं। माननीय सदस्य श्री भर्तृहरि महताब यहां उपस्थित हैं। देश विश्व के प्लेटफार्म पर प्रतिकूल अभियान की बुराई से लड़ने तथा लोक सेवा दायित्व की रक्षा करने जा रहा है। प्रसार भारती का पहला उद्देश्य लोक सेवा दायित्व है। आप मुझे बताएं। आप सब यहां हैं। प्रसार भारती निजी चैनलों के प्रति उत्तरदायी क्यों हो? प्रसार भारती निजी चैनलों के प्रति उत्तरदायी

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

नहीं है। चाहें निजी चैनल सही कर रहे हों अथवा गलत कर रहे हों, यह सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि वह सोचें कि किस प्रकार की कार्रवाई करनी है।

संसद ने केबल नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 पारित किया है। उस आधार पर हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया। श्रीमती किरण माहेश्वरी यहां नहीं है। प्रो. रासा सिंह रावत यहां हैं। आप कहते हैं यह सरकार टेलीविजन की सभी बुराइयां दिखाने की कोशिश कर रही है, कुछ नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

हर बार गिरता जा रहा है।

[अनुवाद]

नहीं, जब बहस प्रारंभ होगी तो मैं इसे साबित कर सकता हूं।

[हिन्दी]

इस यू.पी.ए. सरकार ने प्राइवेट चैनलों को जितने शो–कॉज नोटिस इश्यू किए हैं और कुछ को बैन भी किया है, वह एन.डी.ए. की तुलना में हजार गुना ज्यादा है।

[अनुवाद]

लेकिन मैं इस पर विश्वास नही करता हूं कि चैनल से उलझ कर तथा मीडिया के साथ लड़कर आप स्वयं को बहुत मजबूत साबित कर सकते हैं। नहीं। लोकतंत्र में मैं अनुनय, समझौते तथा वार्ता की नीति में विश्वास करता हूं।

[हिन्दी]

डायलॉग, पर्सूएशन और नैगोसिएशन में जितना फायदा होता है, उतना फायदा डण्डा दिखाकर नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

जब राजस्थान, जिस पर बीजेपी का शासन है, के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बड़ी समस्या में थी – वह जानते हैं कि वह समस्या क्या थी – प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि हमें राजनीति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भी हमारे दल के नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "राजनीति की ओर मत देखो ; निजी चैनलों को बुलाओ, उनका सहयोग लो और देखो कि किस प्रकार तनाव कम किया जाए तथा संदेश भेजा जाए।" मैंने ऐसा ही किया। कुछ चैनल सहमत नहीं हुए।

[हिन्दी]

उनको मैंने चाय पर बुलाया और हाथ जोड़कर कहा कि हमारा वसुन्धरा जी के साथ चाहें जो भी राजनीतिक विरोध हो, लेकिन आप माहौल ठीक करने में सहयोग कीजिए। एक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी सरकार की, उसे ही हमने निभाया है। आप लोग पूछिए चैनल्स से, हमने रात के दो–दो बजे फोन किया है और कहा है कि आज जो आपने आग लगाते हुए दिखाया, कल मत दिखाइएगा। हम उन्हें डिटेक्ट नहीं करते हैं। बातचीत से काम करने पर देश ज्यादा मजबूत होता है, डिक्टेट करने से नहीं। आपने कहा कि हम लोग रैगूलेशन लेकर क्यों नहीं आए? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस विषय में आदेश दिया हुआ है। पूरा रैगुलेशन तैयार हो चुका है, उस पर बहस हो चुकी है, वैबसाइट पर डालकर सबके आपीनियन ले लिए गए हैं, कन्सलटेटिव कमेटी ने भी इजाजत दे दी है, कान्टैण्ट पर भी बहस करीब–करीब पूरी हो चुकी है। फिर भी मैं समझता हूं कि आखिरी दम तक सभी को साथ लेकर इसे लागू किया जाए, किसी को नाराज करके नहीं, जबरदस्ती से नहीं। इसीलिए थोड़ी देर हुई है।

[अनुवाद]

महोदय, आज मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमारा कान्टैण्ट कोड लगभग तैयार है। हमारा कान्टैण्ट कोड तथा प्रोग्राम कोड एक विकसित रूप से जल्दी ही आएगा। वह कान्टैण्ट कोड तथा प्रोग्राम कोड किसी भी मीडिया अथवा चैनल के लिए यह कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है क्योंकि एक देश में, एक लोकतंत्र में एक दिशा देने से कहीं अधिक विश्वास, आस्था और समझ मायने रखती है। हम इसे जान चुके हैं। यह आधुनिक लोकतंत्र की प्रवृत्ति है।

बुरी चीजें भी आती हैं। क्या हमने एक चैनल को एक महीने अथवा दो महीने के लिए बैन नहीं किया है? क्या हमने एक चैनल को रात में गलत चीजें दिखाने के लिए तीन महीने के लिए बैन नहीं किया है? हमने ऐसा किया और उन्होंने समाधान किया। वे वापस आए और अपना दृष्टिकोण बदला। प्रतिक्षण आपको यह जानना चाहिए कि जिला निगरानी प्राधिकरण जिला मजिस्ट्रेट तथा डीएसपी हैं। क्या आप इस उपबंध को बदलना चाहते हैं। दिल्ली में बैठकर आप यह कैसे जान सकते हैं कि किस गांव में कौन सा केबल ऑपरेटर क्या दिखा रहा है? आपके जिम्मेदार अधिकारी को यह करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि प्रसार भारती को इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रसार भारती का काम लोक सेवा दायित्व को निभाना है।

[हिन्दी]

आप लोगों को तो आज ताली बजानी चाहिए थी। असम में जब नेशनल गेम्स के कवर करने के लिए डर की वजह से कोई चैनल नहीं गया था।

[अनुवाद]

यह दूरदर्शन ही है जिसने पूरे राष्ट्रीय खेल को कवर किया था। आपको यह जानना चाहिए क्योंकि

[हिन्दी]

उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है।

आप लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल को लाओ।

[अनुवाद]

नब्बे प्रतिशत चैनलों में वाउचर से भुगतान करने का नियम है और वे अपने लोगों को 24 घंटे के भीतर हटा देते हैं और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं देते हैं। हम लोक सेवा दायित्व निभाने वाले ऐसा नहीं कर सकते है। दूरदर्शन में, हमारी जिम्मेवारी अधिक है। अतः, आपको इस संतुलन की प्रशंसा करने का प्रयत्न करना चाहिए।

अब तात्कालिकता यह है कि अगस्त, 2008 में पुणे में प्रथम राष्ट्रमंडल युवा खेल तथा भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं। प्रसार भारती को समर्पित मेज़बान प्रसारक के रूप में चुना गया है। न केवल बोर्ड की बल्कि पूरे प्रबंधरन की बार--बार बैठक बुलाने की आवश्यकता है। बोर्ड के अनुमोदन से बार--बार नीति योजना तथा गुणवत्ता योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। ये काम मंत्री अथवा मंत्रालय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड है। प्रसार भारती के सभी पदधारियों को सम्मान देते हुए, हमने महसूस किया कि यह भविष्य के लिए आवश्यक है। मैंने सभी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत की है कि आप किस प्रकार का सीईओ लाना चाहते हैं। तब तक, नौकरशाही के एक वरिष्ठ सचिव अथवा प्रशासन के वरिष्ठ व्यक्ति को यहां लाने का रिवाज था। मैं एनडीए सरकार के दस व्यक्तियों के नाम ले सकता हूं कि उन्होंने यह कैसे किया।

[हिन्दी]

अप्रूवल भी प्रसार भारती ने नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से एपॉइंट कर दिया गया था। मेरे पास इसके दस्तावेज हैं, लेकिन मैं आप लोगों को छोटा नहीं करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

हमने पाया कि अंतर्राष्ट्रीय विचार यह है कि यदि आप सीईओ के कार्यकाल को 61 या 62 वर्ष के भीतर सील कर देते हैं तो आप पेशेवर सक्षम सीईओ नहीं पा सकते हैं। मैने पूछा 'क्यों' उन्होंने कहा कि अधिकतर पेशेवर जो उस लाइन से आते हैं, वे योजना तथा कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी समय चाहते हैं और फिर वे अन्य क्षेत्रों में तथा सौंपे हुए अन्य कार्य करते हैं।

सायं 7.00 बजे

मैंने भारत के 22 संगठनों और पूरे विश्व के 35 संगठनों की जांच की जहां कुशल सीईओ की आयु 65 वर्ष है और कार्यकाल पांच वर्ष है न कि छह वर्ष। अतः यह केवल एक व्यक्ति को ही लक्ष्य बनाने वाली बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वहां दो वर्ष के लिए रहता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह सरकार बदल देगा और आपकी सरकार लाएगा।

[हिन्दी]

यदि ऐसा होता तो दुनिया में आर्डिनेंस से ऐसा होता कि सरकार गिराओ, सरकार लाओ, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसो कभी नहीं हुआ।

यदि चेयरमैन को बदलने की हमारी कोई गलत भावना होती तो हम यह पद 2004 में ही ले चुके होते और हम यह काम 2005 में ही कर चुके होते। हम इसे लंबित क्यों रखते? इसमें कोई गलत भावना नहीं है। विश्व में हमने कहीं ऐसा नियम नहीं देखा जिसमें चेयरमैन के संबंध में वर्ष के समाप्त न हुए कार्यकाल के लिए या अंशकालिक चेयरमैन बनने के बारे में कुछ कहा गया है। अंशकालिक चेयरमैन वेतनभोगी व्यक्ति नहीं होता। वह बैठकों में भाग लेता है और इसके लिए उसे 2000 रुपये से 5000 रुपये तक फीस का भुगतान किया जाता है। उसे कोई वेतन, बोनस या महंगाई भत्ता नहीं मिलता। अतः ऐसे अध्यादेश में क्षतिपूर्ति का सवाल ही नहीं उठता। स्वाभाविक रूप से ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, कृपया एक मिनट इन्तजार करें। सभा का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया गया था जो समाप्त हो चुका है। अतः यदि सभा की सहमति हो तो हम सभा का समय एक घंटा और बढ़ा देंगे।

...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अतः यह किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए नहीं है। जिसने भी यहां काम किया है हम उसका सम्मान करते हैं। पहला चेयरमैन बहुत महान व्यक्ति था। उनका पहले ही निधन हो गया था उनका नाम श्री निखिल चक्रवर्ती था। वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। हमें किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है कि किसने क्या किया। मेरी आपसे एकमात्र अपील है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 'अंतर्राष्ट्रीय निकायों को यह संदेश दे कि हमारा प्रसार भारती हाल ही की चुनौतियों का सामना करते हुए कार्य कर रहा है तथा सी ई ओ के कार्यकाल में कुछ सक्रियता लाई जाए। मान लीजिए किसी 67 वर्ष

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

के व्यक्ति को लेता हूं तो वह तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहेगा अथवा यदि कोई प्रोफेशनल आ जाता है तो वह वहां पर 68 वर्ष के बाद नहीं रह सकता। हां, यह तब हो सकता है यदि आप उसे पुनः चुनते हों।

एक प्रश्न पूछा गया था कि उन्हें कैसे चुना जाए। हमने इस कानून को श्री आडवाणी के विधेयक के दिनों से नहीं बदला, श्री जयपाल रेड्डी के विधेयक के दिनों से नहीं बदला और सभी सरकारों के दिनों से नहीं बदला। चयन का मानदण्ड उतना ही सरल है जितनी धारा चार। राज्यों की परिषद का चेयरमैन भारत का उपराष्ट्रपति होता है और प्रेस काउंसिल का चेयरमैन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है क्योंकि उसी के द्वारा चेयरमैन और सी ई ओ का चयन किया जाएगा। यह कार्य किसी मंत्री अथवा किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाता। हमने वह प्रथा संशोधित नहीं की है और हम इसे संशोधित नहीं करेंगे।

इस संशोधन को करने का यही सीमित उद्देश्य है और मंत्री समूह के अनुसार व्यापक संशोधन के अंतर्गत सबसे पहले कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा। श्री प्रबोध पाण्डा और श्री हन्नान मोल्लाह मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग – चाहें यह तकनीशियन हो, इंजीनियरिंग हो या नियमित हो – के कर्मचारी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसलिए मैं मंत्री समूह में उनके प्रवक्ता के रूप में उनके लिए संघर्ष कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को इस सभा द्वारा अनुमोदित किया जाए। मैंने अपना अभिमत समाप्त करता हूं क्योंकि निरनुमोदन सूचना पहले ही दी जा चुकी है। स्वाभाविक रूप से, यह प्रस्तुतकर्ता का समय है। उन्हें अपने विचार पूरे करने चाहिए और फिर मैं यह करूंगा। मैं अपील करूंगा।

[हिन्दी]

कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। में तो मोहन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके इसको विथड्रा कर लीजिए और हमें ताकत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : इसमें कोई कन्क्लूडिंग स्पीच तो होती नहीं, लेकिन चूंकि मंत्री जी ने अपने जवाब में इस बात का भरपूर आश्वासन दिया है कि इस पार्लियामैंट सैशन के सैकिण्ड लैग में इनके विभाग पर एक लम्बी बहस होगी और बहुत जल्दी ये इस संबंध में एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल लाएंगे।

हमको चिन्ता केवल इस बात से होती है कि 1977 में बी.बी.सी. की तर्ज पर एक इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टिंग कन्सर्न इस देश में लागू की बात सोची गई, लेकिन पहला विधेयक इस संबंध में 11वीं लोक सभा में आया और जयपाल रेड्डी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। वह पार्लियामैंट भी चली गई। 12वीं लोक सभा में जब श्रीमती सुषमा स्वराज जी मिनिस्टर हुई तो वे इसका विधेयक लाईं।

महोदय, 12वीं लोकसभा के बाद यह 14वीं लोक सभा है और इसका भी यह समापन वर्ष है। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रसार भारती का कुछ दुर्भाग्य है कि इसके बारे में एक सदन, दूसरा सदन, तीसरा सदन और यह निरंतर चलता रहता है और अपने दुर्भाग्य के लिए इस विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, हमें और आपको कोसते रहते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जिस चीज का वचन उन्होंने इस सदन में दिया है, उस पर गंभीरतापूर्वक अमल करने की पहल करेंगे और उनकी बात पर विश्वास करते हुए, डिस–अप्रूवल का जो रिजोल्यूशन है, महोदय, मैं आपकी और सदन की अनुमति से वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने के लिए सभा से अनुमति ली है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड–वार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब 'शून्य काल' से जुड़े मामलों पर विचार करेगी।

सायं 7.08 बजे

(श्री मोहन सिंह पीठासीन हुए)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : मैं सरकार का ध्यान केरल राज्य में बिजली की भारी कमी के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत यह केन्द्रीय पुल, अर्थात् अनावंटित पूल से बिजली वितरित अथवा आबंटित करता है। कई राज्यों को उनके लिए आबंटित इस बिजली को प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। तथापि, पिछले वर्ष के बाद से, बिजली की भारी कमी थी और बिजली वितरण के मामले में भारी कटौती की गई है। अप्रैल, 2007 में, कोटे में 133 मेगावाअ की कटौती की गई; दिसंबर, 2007 मे केन्द्र सरकार ने इसमें 50 मेगावाट की कटौती की, लेकिन इसी समय खपत में 150 मेगावाट की बढ़ोतरी हो गई।

जहां तक केरल का संबंध है, केन्द्रीय कोटा सहित बिजली की कुल आवश्यकता करीब 2,800 मेगावाट की है। हमारे पास अभी मात्र 2,400 मेगावाट बिजली है। 400 मेगावाट बिजली की कमी है। ऐसा इसी समय हुआ कि केन्द्र सरकार ने भी बिजली कोटे में भारी कटौती कर दी। हमें यह समझ में नहीं आता कि केन्द्र सरकार क्यों भेदभाव करती है क्योंकि कई अन्य राज्यों के मामले में कोटा बढ़ा दिया गया है। केरल के मामले में इसमें कटौती की गई है। केरल जैसे राज्य के लिए अन्य उत्पादन ईकाइयों से 8 रु. अथवा 9 रु. की दर से बिजली खरीदना संभव नहीं है।

अतः हम सरकार से पूर्व का कोटा बहाल रखने का अनुरोध करते हैं ताकि आम लोगों और औद्योगिक ईकाइयों को बिजली दी जा सके।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय : श्री पी. सी. थामस, श्रीमती सी. एस. सुजाता, श्री फ्रांसीस जार्ज, श्री सी. के. चन्द्रप्पन, डा. के. एस. मनोज का नाम भी इस विषय से संबद्ध होगा।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, इस्पात, सीमेंट और बिजली तीन ऐसी वस्तुएं हैं जो राष्ट्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वे देश के विकास के प्रमुख तत्व हैं। तथापि, इन तीन वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस्पात का मूल्य 50,000 रु. प्रति टन पहुंच गया है; अब सीमेंट का मूल्य प्रति बोरी 225 रु. हो गया है; और बिजली प्रति यूनिट 10 रु. तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश 9 से 10 रु. की दर पर 1500 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है। इन तीनों वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर है। भारत में इस्पात का उत्पादन केवल 50 मिलियन टन है जबकि दबी मांग 55 मिलियन टन से भी अधिक है।

सायं 7.11 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

हम 164 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करते हैं जबकि इसकी मांग 165 मिलियन टन है। हम 640 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करते हैं, जो आमतौर पर 1,40,000 मेगावाट के बराबर है, जबकि आवश्यकता 730 मिलियन यूनिट से भी अधिक है। वस्तुतः पिछले कुछ वर्षों में हम इन सभी वस्तुओं में बहुत थोड़ी ही वृद्धि कर पाए हैं। हमें एक नीति बनाने की जरूरत है जिससे सरकार आयात और निर्यात को रोक कर मूल्यों को नियंत्रित कर सके। हमें इस्पात, सीमेंट और सभी कच्चे मालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हमने देखा है कि बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात हो रहा है और हमने निलंब से इस पर 300 रु. प्रति टन की दर पर शुल्क लगाया है। हमें इसकी छान-बीन करने की आवश्यकता है कि भारत में इस्पात का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है। सीमेंट उत्पादन की क्षमता और क्यों नही बढ़ाई जा रही है? हम दोहरे अंक में विकास की बात कर रहे हैं। क्या ये सभी प्रमुख तत्व उस लक्ष्य के अनुरूप हैं? क्या हम इन वस्तुओं में और नई क्षमता वृद्धि करने में समर्थ हैं? जब चीन एक वर्ष में अपनी क्षमता में 50 मिलियन टन की वृद्धि करता है, हम पचास वर्षों में 50 मिलियन टन का ही उत्पादन कर पाए हैं। सीमेंट में चीन प्रत्येक वर्ष 120 मिलियन टन की क्षमता बढ़ा रहा है जबकि पिछले 50 वर्षों में हम करीब 164 मिलियन टन की वृद्धि करने में ही समर्थ हुए हैं। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है।

हमें समुचित योजना बनाने की जरूरत है। हम इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धन लोगों के लिए प्रति वर्ष 15 लाख आवासों का निर्माण कर रहे हैं। केवल आंध्र प्रदेश में ही प्रति वर्ष 25 लाख आवासों का निर्माण किया जा रहा है। भारत में कई सिंचाई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पिछले चार वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं में 50,000 करोड़ रु. निवेश किए गए हैं। भारत सरकार

को एक तंत्र बनाना चाहिए जो दैनंदिक आधार पर इस पर कार्य करे। आज निर्माता संघ बनाए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। कल विशाखापत्तनम में हो–हल्ला मच रहा था। विजाग इस्पात संयंत्र ने इस्पात का मूल्य 50,000 रु. प्रति टन बढ़ा दिया है। विभाग इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश को इस्पात की आपूर्ति नहीं कर रहा है बल्कि इसे दूसरे स्थानों पर भेज रहा है और इससे मांग और आपूर्ति के बीच कृत्रिम अंतर पैदा हो रहा है। इससे मूल्य बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे इन सभी महत्वपूर्ण तत्वों के मूल्यो को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र बनाने की आवश्यकता है। बिजली के मामले में राज्य सरकारें एक – दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि दस रु. प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के लिए एक–दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। राज्य सरकारें दस रु. प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और इन सभी तीनों वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए तंत्र बनाना होगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार) : महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में विशेषकर तहसील रुड़की क्षेत्र में विगत वर्षों में अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। उनके द्वारा अपने उत्पादन के बाद बचे विभिन्न केमिकल्स एवं कचरा युक्त खराब जल की निकासी के लिए नाला आदि का प्रावधान नहीं किया गया है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न केमिकल्स एवं खराब जल बोरिंग के माध्यम से जमीन के अंदर वापिस भेजा जा रहा है और गड्ढों–नालों आदि में कर दिया जा रहा है जिससे भूमि के अंदर प्रदूषित जल जाने से पीने का पानी प्रदूषित एवं संक्रमित होता जा रहा है, जिसका परिणाम अभी रुड़की क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इस समय पीलिया रोग व्यापक रूप से फैलता जा रहा है जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिला हरिद्वार में विशेषकर रूड़की तहसील में विगत वर्षों में स्थापित होने वाले प्रत्येक औद्योगिक इकाइयों की जांच करवाकर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को मानक एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराने एवं संक्रमित बेकार जल की समुचित निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए व पीलिया रोग पीड़ित रोगियों का सर्वे करवाकर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था व आर्थिक सहायता दी जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, अप्रत्याशित और बे मौसम भारी बरसात के कारण करोड़ों रुपये की धान की फसल नष्ट हो गयी है। भारी वर्षा से धान के खेतों में बाढ़ आ गई हैं जिससे कटाई के लिए तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई है। 30,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में धान की फसल प्रभावित हुई है जिससे किसानों को अत्यधिक हानि हुई है। केरल के अलपुझा जिले के कुटानाड में 4 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है। इसी प्रकार, केरल के धान उत्पादक सभी जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य में पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करे।

अलपुझा में कुटानाड, जिसे केरल में धान का कटोरा कहते हैं, उन पता लगाए गए क्षेत्रों में से है जो कि गंभीर कृषि संकट से प्रभावित हैं। डा. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने 1840 करोड़ रुपये के पैकेज की सिफारिश की थी। परन्तु, रिपोर्ट यह है कि चूंकि केन्द्रीय बजट में किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है, इसलिए, क्षेत्र आधारित योजनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। इस जिले में कृषि क्षेत्र पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र में कृषि को बचाये रखने हेतु सुझाई गई योजना को बिना किसी विलंब के लागू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री भानू प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां चार साल से वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं, उससे किसान अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ–साथ यमुना किनारे बुन्देलखंड से सटा हुआ एक कानपुर देहात जिला है जिसकी स्थिति भी यही है। वहां के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। कानपुर देहात में एक सेंगर नदी है जो एटा, इटावा और औरया से कानपुर देहात होते हुए मूसा नगर में जाकर चपरघटा घाट पर जाकर मिलती है। अगर मलासा गांव के पास जुनेद गांव में इस नदी को रोकर घाट बना दिया जाये और लिफ्ट केनाल बनाकर उस क्षेत्र के लोगों को पानी दिया जाये, तो जल स्तर को नीचे जाने से रोका जा सकता है और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। जब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी, तो जो किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, उसे रोका जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहता हूं कि उस नदी को रोककर बांध बनाया जाये, लिफ्ट केनाल बनायी जाये जिससे उस क्षेत्र के किसानों को पानी मिल सके।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद, मैं बर्ड फ्लू फैलने के संबंध मे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर फल बर्ड फ्ल्यू गहन चिंता का विषय है। यह न केवल पश्चिम बंगाल में ही फैला है अपितु इस बर्ड फ्ल्यू से पड़ोसी राज्य भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। प्रभावित व्यक्तियों को कुछ मुआवजा भी मिल चुका है। उनको मुआवजा प्रदान किया गया है। परन्तु अधिकांश पोल्ट्री फार्मों के मालिकों ने वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बहुत सारा ऋण लिया हुआ है। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दें ताकि वह बर्ड फ्ल्यू के कारण अत्यधिक घाटा उठाने वाले पोल्ट्री फार्म मालिकों के लिए ऋण राहत के पैकेज की घोषणा कर सके। इस संदर्भ में मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ उपाय पहले ही किये जा चुके हैं और मुर्गियों को मारने का कार्य जारी है तथा लाखों चूजे मार दिये गये हैं।

परन्तु, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इसने मानव को प्रभावित नहीं किया। मैं नहीं जानता कि यदि यह मानव को प्रभावित करता तो क्या होता। क्या वे इसी तरह मुर्गियों को मारते? मैं नहीं जानता कि इस बारे में सरकार क्या कारवाई करती।

सभापति महोदय : अगर आप इतना समय लेंगे, तो दूसरे लोग क्या करेंगे?

श्री प्रबोध पाण्डा : बस एक मिनट। इसके उपचार के लिए कुछ उपाय जैसे कि इंजेक्शन अथवा कुछ और प्रदान किया जाए ताकि यह न फैले। मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : सभापति महोदय, रूस से टर्की जाते हुए एम. वी. रशक नामक एक मालवाहक जहाज 17 फरवरी को 'ब्लैक सी' में गुम हो गया जिसमें 25 भारतीय इसके चालक दल के सदस्य थे।

अब इस जहाज के विलुप्त हुए एक महीना हो गया है, परन्तु, प्राधिकारी इस जहाज और इसके चालक दल के अते–पते के बारे में कोई तर्कसंगत अथवा महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं दे पाये हैं। अत्यधिक आपत्तिजनक बात तो यह है कि जहाजरानी महानिदेशालय को इस जहाज के स्वामित्व के बारे में स्पष्ट तौर पर पता नहीं है और यह उस अभिकरण के मत का समर्थन कर रहा है जिसने चालक दल की भर्ती की थी कि खराब मौसम के कारण जहाज डूब गया होगा।

चालक दल की भर्ती करने वाली एजेंसी मै. पेलिकन मेरिन के पास ऐसी भर्ती करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। जहाजरानी उप–महानिदेशक, श्री पी. एच. कृष्णन ने इस बात की पुष्टि की है और उसने यह बताया है कि गलती करने वाली ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके पास कठोर कानून और विनियम नहीं है। यहां यह भी नोट करने लायक है कि इसी एजेंसी ने जहाज जूपिटर – 6 को चालक दल मुहैया कराया था जो सितम्बर, 2005 में अफ्रीका तट पर गुम हो गया था।

जहाज के मुख्य इंजिनियर, श्री महेन्द्र मोहन, केरलवासी सहित चालक दल के लापता 25 सदस्यों के परिवार विगत एक माह से तीव्र मानसिक व्यथा और मुसीबत में है, उनकी मानसिक व्यथा को कम करने के लिए प्राधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाए हैं।

मैं सरकार और जहाजरानी मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र प्राधिकरणों की सहायता लेते हुए, यदि आवश्यकता पड़े, इस घटना के बारे में तत्काल व्यापक जांच करवाए और इस जहाज के विलुप्त हो जाने के बारे में सच्चाई का पता लगाए। सरकार जहाज चालक दल की भर्ती और इनको नौकरी दिलाने संबंधी कानूनों को सशक्त करने और जहाजरानी उद्योग में भर्ती एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान करने और इनके विनियमन के लिए तत्काल कदम उठाए।

यह बहुत गंभीर मामला है; जहाज को लापता हुए लगभग 30 दिन हो गए हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जहाज और इसके चालक दल के अते–पते के बारे में प्राधिकारियों के पास कोई तथ्य नहीं है। हम यह चाहते हैं कि सही बात का पता लगाने के लिए कि क्या हुआ और इस मामले में चूककर्ता एजेंसियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार और जहाजरानी मंत्रालय तत्काल हस्तक्षेप करे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। केन्द्र सरकार के बजट में इस वर्ष तीन आई आई टी खोलने की घोषणा की गयी है। मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय बजट में घोषणा होने के बाद मैं जयपुर शहर का प्रश्न इसलिए रख रहा हूं कि वहां मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके पास भूमि भी है, भवन भी है, केवल नाम बदलने की आवश्यकता है। जयपुर शहर नेशनल हाइवे पर स्थित है जहां पर दुनियां भर के विद्यार्थी आ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, अंन्तर्राष्ट्रीय एयरोड्रम भी वहां है, मेडिकल यूनिवर्सिटी वहां खुल गयी है। इस तरह हर प्रकार से जयपुर इसके लिए उपयुक्त शहर है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार अपने वचन के अनुसार जो तीन आई आई टी खोलने वाली है, उसके लिए जयपुर एक उपयुक्त स्थान है। राजस्थान की राजधानी होने के साथ ही वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि उपलब्ध है। अभी बहन वसुंधरा जी की कृपा से वहां पानी का अभाव भी दूर होने वाला है। इसलिए जयपुर हर प्रकार से आई टी टी खोलने के लिए उपयुक्त स्थान है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होने के कारण आपके प्रभाव से जयपुर में एक आई आई टी स्थापित किया जाए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली शहर के मध्य में छावनी क्षेत्र हैं। अभी तीन–चार दिन पहले करीब चार प्रमुख मार्गों को आम यातायात के लिए सैन्य प्रशासन ने बंद कर दिया। उनमें एक मार्ग बरेली जंक्शन को जाता था, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाता था और तीसरा मार्ग दो–तीन स्कूलों की ओर जाता था। इन मार्गों को सैन्य प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी कारण के बंद कर दिया। इससे आम लोगों को आने–जाने में काफी असुविधा हो रही है। इससे पहले भी एक–दो मार्गों को उन्होंने इसी तरह बंद कर दिया था। जब हमने लोक सभा में यह मामला उठाया तो वहां के लोगों को राहत मिली। मेरा रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए। उस छावनी क्षेत्र में 30,000 के करीब सिविल नागरिक भी रहते हैं इससे छावनी के आसपास के लोगों को काफी असुविधा हो रही है। वहां पर एक दरगाह भी है, जहां हजारों की तादाद में, विशेषकर शुक्रवार को लोग आते हैं। लेकिन सैन्य प्रशासन इन दिक्कतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं कल रात बरेली में था। मैंने स्वयं जाकर देखा कि वहां सेना के लोग मौजूद थे। वे हर आने–जाने वाले को रोक रहे थे। मुझे भी उन्होंने उस रास्ते से जाने से मना किया, जबकि सामरिक दृष्टि से भी उसका इतना महत्व नहीं है। मेरी रक्षा मंत्री जी प्रार्थना है कि सेना की इस हठधर्मिता वाले रवैये को रोका जाए और इन मार्गों को तत्काल खोलने का निर्देश दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै) : सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार और रेल कर्मचारियों के बोनस के बारे में कहना चाहता हूं। कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई और 27 अक्तूबर, 2007 के राजपत्र में तत्संबंधी अधिसूचना जारी की गयी थी। इसके अतिरिक्त, संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदन केन्द्रीय सरकार और रेल कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा को हटाने के लिए एकमत थे। तथापि, वर्ष 2006–07 के लिए बोनस के बकाया की कर्मचारियों को अदायगी का मामला अभी भी लंबित पड़ा है। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कर्मचारियों को उपरोक्त बकाया राशि की अदायगी बिना किसी विलंब के की जाए ताकि वे आगामी त्यौहारों को मना सकें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, इस देश में कई पीढ़ियों से वन्य क्षेत्र की धरती पर कब्जा करके जनजातीय लोग वहां परम्परागत रूप से रहते आए हैं। वन संरक्षण अधिनियम पास होने के बाद उनके वन भूमि से निर्वासित होने की नौबत आ गई है। वन्य अधिकारी और पुलिस अधिकारी मिलकर उन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और जिस जमीन पर उनका कब्जा है, उसे खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से कई आंदोलन भी हुए हैं। सरकार ने वन भूमि मान्यता अधिकार अधिनियम को संसद में पास कराया था। बिल पास होने के बाद, उसका नियम नहीं बनने से इन आदिवासी भाइयों को जमीन के जो पट्टे दिए जाने थे, राज्य सरकारों को उस बाबत उचित निर्देश नहीं मिल सके हैं। इस वजह से वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी मिलकर इनकी जमीन का कब्जा खाली कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह बिना वजह से इन आदिवासी भाईयों को, जो वन्य क्षेत्र की भूमि पर पीढ़ियों से परम्परागत रूप से रहते आए हैं? काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जो बिल यहां पास हुआ था, उसे कानूनी रूप देकर तुरंत लागू किया जाए और राज्य सरकारों को इस पर अमल करने के लिए कहा जाए।

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में अरनौद, प्रतापगढ़, सलूम्बर, धरियावद सराड़ा, खैरवाड़ा, कोटड़ा और गोगुन्दा ऐसी तहसीलें हैं जो पहाड़ी और बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग शुद्ध पेयजल के अभाव में प्रतिवर्ष नारु और बाला रोग से पीड़ित हो जाते हैं। यह ऐसा रोग है, जिससे व्यक्ति विकलांग तक हो जाता है। राजस्थान में कुल 82,372 ऐसी आबादियां हैं, जो स्वच्छ पेयजल के अभाव में समस्या से ग्रसित घोषित हैं। यह कार्य राजीव गांधी पेय जल मिशन से होगा। समस्या ग्रस्त आबादी की इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार कदम उठाए। ...*(व्यवधान)* एवं मांग अनुसार 16,200 करोड़ रुपये आबंटित करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे राजस्थान सरकार के जलापूर्ति विभाग को देखना है।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा : सभापति जी, राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से 13955 करोड़ रुपये की मांग की है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करुंगा कि इस पर जो 11585 करोड़ रुपये 11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यय होने वाला है, उसे आबंटित करोगे तो इस समस्याग्रस्त आबादी को पेयजल की समस्या से राहत मिलेगी। मैं आपके माध्यम से

केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि पेयजल समस्या के निदान के लिए 11585 करोड़ रुपये आबंटित कराकर अनुगृहित करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल में बर्ड फ्लू फैलना सुर्खियों में आ चुका है और यह भयावह रूप से फैल चुका है। सर्वप्रथम, 12 दिसम्बर, 2007 को पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में इसका पता लगा था। परन्तु तथ्य यह है कि एक वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल में बर्ड फ्लू के फैलने से पहले एहतियती उपाय करने की चेतावनी दी थी बाद में मुर्गियों को मारने का कार्य शुरू किया गया और पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में, सरकार ने सुरक्षोपाय कार्य शुरू किये और पुनः सरकार ने पोल्ट्री उत्पादों पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा लिया। अब पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में बर्ड फ्लू पुनः फैल गया है। स्वभावतः, आम आदमी जो मुर्गी पालते हैं और जो पोल्ट्री उत्पाद बेचकर जैसे–तैसे अपना गुजारा चलाते हैं, वे घबराए हुए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मुर्गीपालन करने वाले लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल के गांवों में सैंकड़ों – हजारों गरीब लोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से मुर्गीपालन से अनुपूरक आय अर्जित करते रहे थे। राज्य सरकार रोजाना सारा दोष केन्द्र सरकार पर लगा रही है।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रभावित कुक्कुटपालन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मना लिया है। अथवा क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में यह भ्रम है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है जैसाकि पश्चिम बंगाल सरकार ने तोड़ – मरोड़ कर लोगों के सामने इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया ताकि पश्चिम बंगाल की जनता के सामने केन्द्र सरकार की छवि खराब हो। अतः यह गंभीर समस्या है और नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल में बर्ड–फ्लू से उत्पन्न समस्या की ओर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें।

डा. बाबू राव सिडियम (भद्राचलम) : महोदय, मैं गृह मंत्री और संस्कृति मंत्री के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। यह हाल ही में हैदराबाद के एक सांस्कृतिक केन्द्र पर हुए हमले के संबंध में है। यह केन्द्र पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहा था। यह शास्त्रीय नृत्य, ललित कला और समकालिन राजनैतिक आंदोलन के संबंध में प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा था।

यह एक अनुसंधान केन्द्र था। विभिन्न राज्यों से सैंकड़ों लोग यहां विभिन्न राज्यों से पढ़ने आते थे और संदर्भ ग्रंथालय का उपयोग करते थे। इस केन्द्र में एक बहुत बड़ा ग्रंथालय है और दो सभागार हैं। इस ग्रंथालय में लगभग ढ़ाई लाख किताबें हैं, विशेषकर उर्दू साहित्य की। यहां उर्दू साहित्य के लगभग 60 अलग–अलग पुस्तकें हैं। यह देश के सबसे बड़े ग्रंथालयों में से एक था। इसे हमलावरों ने जला दिया था। राज्य सरकार केन्द्र की गतिविधियों से प्रभावित थी। केन्द्र ने संदर्भ और अनुसंधान ग्रंथालय के विस्तार के लिए विशेष पैकेज दिया था। जिसका उद्घाटन हाल ही श्री अर्जुन सिंह, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने किया था। ऐसी प्रतिष्ठित संस्था पर साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा हमला किया गया था।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस संस्था की खोई हुई पुस्तकों और चित्रों के लिए सहायता प्रदान कर इस संस्था की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग यहां के नागरिकों द्वारा, यहां के बुद्धिजीवियों औरयहां के छात्रों द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही है। समय–समय पर इस संबंध में काफी आंदोलन वहां होते रहे हैं। अभी पिछले दिनों वहां की जनता द्वारा समस्त राजनीतिक दलों द्वारा तीन जनवरी को अभूतपूर्व बंद का आयोजन किया गया। यह सागर के इतिहास में ऐतिहासिक बंद था, जो इस बात का प्रतीक है कि इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए सागर की जनता निर्णायक मूड में आ गई है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी पिछले दिनों विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में गए थे और वहां उन्होंने इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का आश्वासन दिया था। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, लेकिन वहां एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। नैक की टीम भी जब सागर में वैल्यूएशन करने गई थी, तब उन्होंने भी सागर विश्वविद्यालय को ए प्लस ग्रेड दिया था। अतः मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की औपचारिकता इसी सत्र में करें तथा डॉ. हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में हाईड्रोग्राफिक सर्वे हेतु एन ओ सी दिए जाने

और कच्छ क्षेत्र के कोरी संकरी खाड़ी में समुद्रपत्तन सुविधाएं स्थापित किए जाने से संबंधित महतवपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। गुजरात के पत्तन और यातायात विभाग ने अपने दिनांक 16.8.07 पत्र द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बी एस एफ से अनुरोध किया है कि समुद्रीपत्तन सुविधाओं के विकास के लिए कोरी संकरी खाड़ी में सर्वेक्षण और जांच का कार्य करने हेतु निजी कम्पनियों को अनुमति दी जाए। इसके प्रत्युत्तर में बी एस एंफ के महानिदेशक में दिनांक 23.10. 2007 के अपने पत्र के माध्यम से गुजरात सरकार के पी एंड टी डी से अनुरोध किया कि वह कोरी संकरी खाड़ी में समुद्रीपत्तन गतिविधियों के लिए और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कराने के लिए एन ओ सी प्राप्ति हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संपर्क करें। तदनुसार, गुजरात सरकार के पी एंड टी डी ने दिनांक 30.11.2007 के अपने पत्र माध्यम से एन ओ सी के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया। भारत सरकार का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एन ओ सी प्रदान करने के काम में तेजी लाए।

सभापति महोदय : श्री पी. सी. थामस, सुश्री सुजाता द्वारा पहले ही उठाए गए विषय के बारे में आपने नोटिस दिया है। आप किसी अन्य मामले को नहीं उठा सकते। अतः आप स्वयं को उनसे सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सुश्री सुजाता द्वारा उठाए गए मामले के बारे में आपने नोटिस दिया है। आप उनसे सम्बद्ध कर सकते हैं। लेकिन अब आप कोई अन्य मुद्दा उठाना चाहते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आप वो मुद्दा उठाना चाहते हैं, उसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। आप सुश्री सुजाता के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं। आपने केवल उस मुद्दे को उठाने का नोटिस दिया था। अब, आप कोई अन्य मुद्दा उठाना चाहते हैं जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप केवल सुश्री सुजाता के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, उनसे सम्बद्ध होते हुए मैं केवल उनकी प्रशंसा ही कर रहा हूं, उसमें कुछ जोड़ नहीं रहा हूं...*(व्यवधान)* केरल में भारी वर्षा के कारण...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्रीमति सुजाता के साथ आपकी सम्बद्धता ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जायेगी अन्य कोई मामला सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : महोदय, मैं कर्नाटक में नारियल उत्पादकों की समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। महोदय, नारियल के वृक्ष को कल्पवृक्ष माना जाता है। दुर्भाग्य से इस कल्पवृक्ष पर 'नूसी' जैसी बिमारी ने हमला कर दिया है। रूटविल्ट और नूसी बिमारियां कर्नाटक के नारियल उत्पादकों की गहरी चिंता का कारण बनी हुयी है। इन बिमारियों की वजह से पैदावार कम होती है। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, चामराजनगर, एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहां के नारियल उत्पादक इन बीमारियों से बुरी तरह से प्रभावित हैं। मेर जिले में नारियल की खेती लगभग पांच हजार हैक्टेयर भूमि में होती है। इन बिमारियों से लगभग पचास लाख नारियल के वृक्ष प्रभावित हुए हैं। लोग नारियल के मीठे पानी का मजा ले रहे थे। लेकिन आजकल नारियल उत्पादक रो रहे हैं क्योंकि कम पैदावार और नारियल के मूल्यों में गिरावट के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार बिमारी ग्रस्त नारियल वृक्षों को काटने और उसे वहां से हटाने के लिए केवल 250/– रुपये दे रही है। लेकिन इसी कार्य के लिए नारियल उत्पादक वास्तव में 500/– रुपये से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। महोदय यह सही नहीं है।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आगे आएं और नारियल उत्पादकों को कुछ विशेष पैकेज देकर इस समस्या से निजात दिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : इस सम्मानीय सभा में मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोलकात्ता में प्रबंधन के इस निर्णय के विरोध में अनिश्चित भूख हड़ताल शुरु कर दी है। कि विदेशी मुद्रा विभाग का कोलकाता से मुम्बई स्थानांतरण किया जाए।

कोलकाता, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय था। तत्पश्चात् भारत सरकार ने मुख्यालय का स्थानांतरण कोलकाता से मुम्बई करने का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

निर्णय लिया। लेकिन यह भी निर्णय लिया गया कि देश के सभी भागों और विदेशों के लिए विदेशी मुद्रा विभाग कोलकाता से कार्य करेगा। लेकिन उसके बाद प्रबंधन ने एक निहित उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा विभाग का स्थानांतरण कोलकात्ता से मुम्बई करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप देश भर में कर्मचारियों और लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। यहां तक कि पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने एकमत होकर निर्णय लिया कि भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग का स्थानान्तरण कोलकाता से मुम्बई नहीं किया जाएगा। अंततः, उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जनवरी 2000 में किये गये समझौते में निर्णय लिया गया कि पचास प्रतिशत कार्य भारतीय स्टेट बैंक के कोलकात्ता स्थित विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा किया जाएगा और शेष पचास प्रतिशत कार्य भारतीय स्टेट बैंक के मुम्बई कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा किया जाएगा। इस समझौते के बावजूद अब प्रबंधन ने एक गुप्त उद्देश्य के साथ शेष पचास प्रतिशत कार्य को कोलकात्ता कार्यालय से मुंबई कार्यालय स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया है। कोलकाता कार्यालय बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है और काफी धनराशि अर्जित कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस निर्णय के विरुद्ध अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया है।

हम कोलकाता स्थित भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की मांग का समर्थन करते हैं। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि पचास प्रतिशत कार्य भारतीय स्टेट बैंक के कोलकाता स्थित कार्यालय द्वारा किया जा सके, यथा स्थिति कायम रखनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : श्री एस. मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. शिवन्ना द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से संबद्ध हो सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, कश्मीर भारत का मुकुट है। हमारे देश का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले शनिवार को डकार में 57 इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी द्वारा में कश्मीर मुद्दे पर भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया गया जिसके बारे में वहां चर्चा हुई। खास तौर से सेनेगल के प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय का अधिकार कश्मीरियों को होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मांग ओआईसी संगठन में उठना बहुत निंदनीय है, अनुचित है, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। ओआईसी देशों में, हमारे जो मित्र देश हैं, उनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा। ओआईसी संगठन के देश कश्मीर के बारे में समय-समय पर इस प्रकार की गलत टिप्पणियां करते रहते हैं, हमें दृढ़ता के साथ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें दुनिया को कहना चाहिए कि कश्मीर अविभाज्य अंग है और हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उनको कह तो दिया है।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, केवल खेद व्यक्त कर दिया, उनको निंदा करनी चाहिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। देश में करोड़ों व्यापारी परेशान हैं क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में प्रोवीजन था कि जहां 40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन होता है वहां व्यापारियों को बहीखाता ऑडिट करवाना पड़ता है और ऑडिट के साथ इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना पड़ता है। इसके लिए जो लिमिट थी वह 1 अप्रैल, 1985 को तय की गई थी और आज 23 साल हो गए हैं लेकिन लिमिट वहीं है जो तय की गई थी। वर्ष 1985 में इनकम टैक्स का रिलेक्सेशन 15,000 रुपए था। जो आज 1.50 लाख रुपए हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट की क्लॉज 48 में कैपिटल इनकम बढ़ाने के लिए प्राइज इन्डैक्स को बढ़ी हुई महंगाई के साथ जोड़ा जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज के लिए फाइनेंशियल लिमिट हर तीन साल में बढ़नी चाहिए। यह हमारा इकनॉमिकल स्टैंडर्ड है कि कोई भी लिमिट, जो आप तय करते हो वह तीन साल में बढ़नी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह जो लिमिट है, यह कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आज करोड़ों लोग जो परेशान हैं, जो छोटे – छोटे व्यापारी परेशान हैं, इससे उन लोगों को राहत मिलेगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. मनोज, आप श्रीमती सी. एस. सुजाता से संबद्ध हो सकते हैं। मूसलाधार बारिश के कारण भारी क्षति हुई है।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : मैं श्रीमती सी. एस. सुजाता से संबद्ध हूं लेकिन कुट्टानाड मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

महोदय, यह दिल दहला देने वाली बात है कि कुट्टानाड की पूरी फसल गत दो या तीन वर्षों की मूसलाधार बारिश के कारण चौपट हो गई है। सभी मलयाली समाचार पत्रों ने नष्ट प्राय धान की फसलों की

तस्वीरें प्रकाशित की है। लगभग 35,000 हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हो गई थी और वह भी तब जब फसल की कटाई का मौसम है।

महोदय, कुट्टानाड के परिस्थितिकीय संरक्षण हेतु स्वामीनाथन आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट गत वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जानी चाहिए थी लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्रताशीघ्र युद्ध स्तर पर लागू करे।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को ए.पी.एल. और बी.पी.एल. के अंतर्गत चावल मासिक आबंटन 61.005 मैट्रिक टन मिलता था, उसे घटाकर 740 मैट्रिक टन कर दिया गया है, उसे पूर्ववत यथावत रखा जाए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों में निर्धारित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न का आबंटन जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997–2008 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित कई परिवार ऐसे हैं जिनके नाम किसी कारणवश वर्ष 2002–03 के बी.पी. एल. सर्वे में शामिल नहीं हो पाये हैं। ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति बी.पी.एल. सर्वे सूची में सम्मिलित परिवारों के लगभग समकक्ष है तथा निम्न क्रय क्षमता के कारण ए. पी. एल. खाद्यान्न का उठाव करने में सक्षम नहीं है।

राज्य शासन द्वारा मुख्य मंत्री खाद्यान्न सहायता योजना को वर्ष 2007–08 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के द्वारा ए. पी. एल. चावल को बी.पी.एल. दर पर राज्य शासन द्वारा उपरोक्त लक्षित समूह को उपलब्ध कराया जाएगा जिससे राज्य सरकार 3.00 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल सर्वे लिस्ट में गरीब परिवारों को देगी। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य के लगभग 12.00 लाख निर्धन परिवार लाभान्वित होंगे और कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें सर्वे लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण लाभ नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्ष 2006–2007 में 3104 मिट्रिक टन ए.पी.एल. गेहूं एवं 61.005 मिट्रिक टन चावल मासिक खाद्यान्न का आबंटन वित्तीय वर्ष में किया जाता रहा है परंतु इस वर्ष मात्र 74 मिट्रिक टन चावल देकर केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ को अनदेखा कर रही है। इससे गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश नहीं है और सौतेला व्यवहार होने के कारण राज्य सरकार स्वतः अपने आबंटन से कार्य कर रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पिछले समय 61.005 मिट्रिक चावल तथा 700 मिट्रिक टन गेहूं वगैरह है, इन सबको पर्याप्त मात्रा में केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाए जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.54 बजे

तत्पश्चात लोकसभा मंगलवार, 18 मार्च 2008/ 28 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध - I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री राकेश सिंह	241
2.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	242
3.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री काशीराम राणा	243
4.	श्री किन्जरपु येरननायडु श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	244
5.	श्री नवीन जिन्दल	245
6.	श्री जे. एम. आरून रशीद	246
7.	श्री महावीर भगोरा श्री घुरन राम	247
8.	एडवोकेट सुरेश कुरूप	248
9.	श्री थावरचन्द गहलोत	249
10.	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	250
11.	श्री अजीत जोगी	251
12.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री वी. के. तुम्मर	252
13.	श्री जी. एम. सिद्दीश्वर	253
14.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	254
15.	श्री आनंदराव दिठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	255
16.	श्री संजय धोत्रे श्री श्रीचन्द्र कृपलानी	256
17.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल	257
18.	श्री रायापति सांबासिवा राव	258
19.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री हेमलाल मूर्मू	259
20.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री मनसुखभाई डी. वसावा	260

अनुबंध - I

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	2224
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2475
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2458
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2374, 2440 (सं.), 2441, 2489
5.	अजय कुमार, श्री एस.	2418
6.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2379 (सं), 2443, 2484, 2501
7.	बर्मन, श्री हितेन	2416, 2465
8.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	2421
9.	भगोरा, श्री महावीर	2446, 2509
10.	भक्त, श्री गिरधारी लाल	2395, 2463, 2491, 2503, 2532
11.	भार्गव, श्री मनोरंजन	2399, 2455,
12.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2417(सं.), 2512
13.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2419
14.	चारेनामै, श्री मणि	2391
15.	चौरे, श्री बापू हरी	2527 (सं.)
16.	चिन्ता मोहन डा.	2415, 2453 (सं.)
17.	चौधरी, श्री अधीर	2417, 2486, 2492
18.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2410, 2473, 2497
19.	देव, श्री विक्रम केशरी	2431, 2441 (सं.)
20.	देवरा, श्री मिलिन्द	2388, 2474 (सं.)
21.	धनराजू, डा. के.	2516

1	2	3
22.	धोत्रे, श्री संजय	2457, 2527 (सं.)
23.	दुबे, श्री रमेश	2401
24.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2437 (सं.), 2477 (सं.)
25.	गमांग, श्री गिरिधर	2382
26.	गांधी, श्रीमती मेनका	2511
27.	गाव, श्री तापिर	2429
28.	गवली, श्रीमती भावना पुडलिकराव	2527 (सं.)
29.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	2456
30.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2380
31.	जगन्नाथ, डा. एम.	2398
32.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2397
33.	जयाप्रदा, श्रीमती	2504 (सं.)
34.	झा, श्री रघुनाथ	2436, 2525
35.	जिन्दल, श्री नवीन	2519
36.	जोशी, श्री प्रहलाद	2405 (सं.), 2427
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2420, 2468, 2495
38.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2369, 2445, 2481 2504, 2509
39.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2373, 2439, 2490
40.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	2394, 2470, 2496
41.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2428
42.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2453
43.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2438, 2524
44.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2414
45.	महाजन, श्री सुमित्रा	2504 (सं.)
46.	महरिया, श्री सुभाष	2406, 2461, 2488, 2530
47.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2400
48.	महताब, श्री भर्तहरि	2413
49.	महतो, श्री टेक लाल	2381
50.	माने, श्रीमती निवेदिता	2437, 2477
51.	मनोज, डा. के. एस.	2387, 2450, 2483, 2499, 2508
52.	मिडियम, डा. बाबू राव	2490 (सं.)
53.	मेघवाल, श्री कैलाश	2414 (सं.)
54.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2432
55.	मैन्या, डा. टोकचोम	2513
56.	मुफ्ती, सुश्री महबूबा	2447
57.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2397 (सं.), 2451, 2459 (सं.), 2486 (सं.)
58.	मुर्मू, श्री रुपचन्द	2402
59.	निखिल कुमार, श्री	2403
60.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	2518
61.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2372, 2471
62.	पल्लानी शामी, श्री के. सी.	2371, 2444, 2478
63.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2407 (सं.)
64.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2440 (सं.)
65.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2377
66.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2477 (सं.)
67.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2392 (सं.), 2405 (सं.) 2460 (सं.), 2487 (सं.) 2502 (सं.)
68.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2389
69.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2370, 2440 (सं.) 2489 (सं.)
70.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2401 (सं.)
71.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2527 (सं.)

1	2	3
72.	पिंगले, श्री देविदास	2527 (सं.)
73.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2390
74.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2458 (सं.), 2477(सं.)
75.	प्रसाद, श्री लालमणि	2434
76.	राजगोपाल, श्री एल.	2423, 2470 (सं.)
77.	रामदास, प्रो. एम.	2386 (सं.), 2449 सं.) 2482 (सं.)
78.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2405 (सं.)
79.	राव, श्री के. एस.	2407, 2529 (सं.)
80.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2521
81.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2379, 2415 (सं.), 2479, 2507, 2510
82.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2426
83.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2393, 2452, 2493, 2505
84.	रिजीजू, श्री कीरेन	2440 (सं.)
85.	साय, श्री नन्द कुमार	2392, 2405 (सं.), 2460 (सं.), 2487 (सं.)
86.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	2433
87.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2376, 2467, 2494, 2506
88.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2405 (सं.)
89.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2502 (सं)
90.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2459, 2486
91.	शर्मा, श्री मदन लाल	2415 (सं.)
92.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2475 (सं.)
93.	शिवन्ना, श्री एम.	2414 (सं.)
94.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2386, 2449, 2482, 2500
65.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	2442, 2485
96.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2430
97.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2523
98.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2409
99.	सिंह, श्री गणेश	2375
100.	सिंह, श्री मोहन	2383, 2464
101.	सिंह, श्री राकेश	2448, 2480, 2498
102.	सिंह, श्री रेवती रमन	2396, 2420 (सं.), 2472
103.	सिंह, श्री सुग्रीव	2392 (सं.), 2405, 2460, 2487, 2502
104.	सिंह, श्री उदय	2404, 2504 (सं.)
105.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2384, 2428 (सं.) 2477 (सं.)
106.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2514
107.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2378, 2520
108.	सुब्बारायण, श्री के.	2515
109.	सुजाता, श्रीमती सी. एस.	2412
110.	सुमन, श्री रामजीलाल	2415 (स.)
111.	सुरेन्द्रम, श्री चेंगरा	2407 (सं.), 2411
112.	थामस, श्री पी. सी.	2425, 2522
113.	थुम्मर, श्री वी. के.	2523 (सं.)
114.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2440, 2526
115.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2408, 2462, 2529, 2531
116.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2408 (सं.), 2422, 2469, 2527
117.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	2435, 2476
118.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2475
119.	वाघमारे, श्री सुरेश	2385 (सं.)
120.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2437 (सं.), 2477 (सं.)
121.	यादव, श्री मित्रसेन	2391 (सं.)
122.	यास्खी, श्री मधु गौड	2437 (सं.), 2477 (सं.) 2517
123.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2454, 2528

अनुबंध - II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि	242, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	241, 254
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	248, 257, 259
रक्षा	255
श्रम और रोजगार	251, 258, 260
वस्त्र	243, 256
जल संसाधन	253

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि	2372, 2379, 2380, 2385, 2386, 2387, 2391, 2396, 2397, 2398, 2399, 2401, 2403, 2405, 2408, 2412, 2414, 2415, 2417, 2423, 2425, 2429, 2334, 2437, 2436, 2446, 2450, 2454, 2462, 2669, 2471, 2486, 2489, 2490, 2501, 2504, 2506, 2507, 2512, 2515, 2516, 2528, 2530
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	2373, 2376, 2377, 2400, 2402, 2404, 2411, 2418, 2424, 2426, 2431, 2432, 2435, 2438, 2439, 2440, 2442, 2444, 2448, 2459, 2463, 2466, 2467, 2472, 2473, 2476, 2478, 2493, 2494, 2503, 2505, 2510, 2518 2524, 2532
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	2370, 2390, 2394, 2407, 2449, 2452, 2453, 2458, 2497, 2520, 2522, 2523, 2526
रक्षा	2382, 2383, 2388, 2409, 2413, 2422, 2427, 2430, 2433, 2441, 2447, 2455, 2464, 2480, 2483, 2487, 2496, 2498, 2500, 2502, 2513, 2519, 2521, 2527, 2529
श्रम और रोजगार	2371, 2375, 2381, 2393, 2395, 2406, 2421, 2428, 2445, 2451, 2456, 2460, 2468, 2468, 2470, 2477, 2484, 2488, 2495, 2499, 2508, 2509, 2511
वस्त्र	2369, 2374, 2410, 2416, 2420, 2443, 2457, 2461, 2465, 2479, 2481, 2482, 2491
जल संसाधन	2378, 2384, 2389, 2392, 2419, 2474, 2475, 2485, 2492, 2514, 2517, 2525, 2531

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्ग
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।